राजस्थान

1989

प्रधान सम्पादक : जगदीश ललवानी

राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर

पृष्ठ

Rajasthan at a Glance

1989

Situation	Rajasthan State is situated between 23°3' and 30°12' North Latitudes and 69°30' and 78°17' East longitudes. Its expansion from North to South is 816 Km. and from East to West 864 Km. in length.
Area	342239 Sq. Km.
Population (Projected March, 1987)	39760600
Population (Census'81)	34261862
Male	17854154
Female	16407708
Rural population	27051354
Male	14013454
Female	13037900
Urban population	7210508
Male	3840700
Female	3369808
Scheduled Castes	5838879 (17.04 Per cent)
Scheduled Tribes	4183124 (12.21 Per cent)
Density of population	100 Persons (Per Sq. Km.)
Female/male ratio	919 Women (Per 1000 men)
Female/male ratio in urban area	877 Women (Per 1000 men)
Female/male ratio in rural area	930 Women (Per 1000 men)
Literacy Percentage	24.38%
Male	36.30%
Female	11.42%
Rural	17.99%
Urban	48.35%
Districts	27
Sub-divisions	83

Zila Parishads	27
Tehsils	203
Panchayat Samities	237
Gram Panchayats	7353
Cities-Towns	201
Villages	37124
Municipalities	192

AGRICULTURE

Culturable Land	266.06 lakh hact.
Area cultivated	180.75 lakh hact.
Area under foodgrains	12850 ('000 hact.)
Production of foodgrains	70.00 lakh tonnes
Targets 1987-88	102.05 lakh tonnes
Area under high yielding varieties	3370 lakh hact.
Distribution of high yielding variety seeds	188.8 ('000 qtls.)
Use of fertilizers	15.26 (Per hact., per kg)
Irrigated Area	4014 ('000 hact.)
Fruit plantation (Targets 1987-88).	7500 hact.

IRRIGATION

Available water for irrigation	4120000 lakh cft.
Major projects in progress	Theen Bandh, Siddhmukh, Jakham, Bisalpur, Gurgaon Nahar, Okhala Barrage, Narmada, Indira Gandhi Canal, Mahi Bajaj Sagar, Vyas Project, Nohar Feeder, Chambal Phase II
Expenditure on medium projects (1984-85)	Rs. 1257.17 lakhs
Expenditure on minor projects (1984-85)	Rs. 569.10 lakhs
Projects under progress	2 major, 13 medium, 93 minor irrigation projects
Length of Indira Gandhi Canal (Main)	649 Km.
Length of Indira Gandhi Feeder	204 Km.
Length of Indira Gandhi Canal	445 Km.
Construction cost of Indira Gandhi Canal	Rs. 1676.00 crores
Additional irrigation potential (Targets 1987-88)	48140 hact.

Medium projects under construction	Meja Feeder, Bheem Sagar, Harish Chandra Sagar, Sukali, Choli, Somkagadar, Somkamala Amba, Panchana Bandi, Sendra, Baman, Vagan Diversion, Bassi, Kothari, Savan-Bhandon, Kanota, Vilas, Chhapi, Pakhan Lift Scheme, Gardara

FOREST

Total forest cover in the State	9% of the area
Area of reserved forest	12843 Km.
Area of guarded forest	15491.98 Sq. Km
Area of classified forest	6270.78 Sq Km.
Total forest area	60506.38 Sq. Km.
Revenue from forests	Rs. 8.62 crores
Wild Life Sancturies	Sariska (Alwar), Ghana (Bharatpur), Tal-chhapar (Churu), Dara (Kota), Ranthambhore (S. Madhopur), Nahargarh (Jaipur), National Marudyan (Jaisalmer), Jaisamand (Udaipur), Ramsagar (Bharatpur), Van Vihar (Dholpur), Ranakpur (Pali), Kumbhalgarh (Udaipur), Abu Sanrakshan Sthal (Sirohi), Ravli Tadgarh (Ajmer), Peepalkhoon (Banswara)
National Parks	(1) Ranthambhore Wildlife Sanctuary (2) Kaivaladeo National Park, Bharatpur (3) National Marudyan, Jaisalmer

INDUSTRIES

No. of Small Scale Industries	128970
Capital Investment	Rs. 511 crores
Labour employed	4.78 lakhs (Dec , 1986)
No. of Industrial Areas	174
District Industries Centres	27
No of Regd. Factories	9150
Industrial Financial Institutions	(1) Rajasthan Small Scale Industries Corporation (2) Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation

(3) Rajasthan Financial Corporation

(4) Rajasthan Khadi & Village Industr Board

(5) Rajasthan Agricultural Industrial Cor poration

(6) Rajasthan Handloom Development Boar

POWER

No. of electrified villages	22439
No. of energised wells	2.94 lakhs
Installed capacity of power	1802.36 m.w.
Power generation	4620.00 Million Units
Purchase of power	2724.00 Million Units
Wells to be energised (Targets 1987-88)	10,000
Electrification of villages (Targets 1987-88)	1000
Installation of wind-mills (Targets 1987-88)	25
Solar cooker assistance	5400
Financial allocation (1987-88)	Rs. 215.80 crores

DRINKING WATER

Urban Water Supply Scheme	201 (All the Towns of the State)
Villages benefited	25522
Annual Achievements	1617 Villages
Financial allocation (1987-88)	Rs. 45 00 crores

ANIMAL HUSBANDRY

No. of cattle heads (Cattle Census 1983)	4.96 crores
Cows	135.04 lakhs
Buffaloes	60.43 ,,
Sheep	134.31 ,,
Goats	154.80 ,,
Camels	7.56 ,,
Pigs	1.79 ,,
Others	2.57 ,,
Annual production	36 lakh tonnes milk, 1750 lakh eggs, 17.50 thousand tonnes meat, 15 thousand metric tonnes fish

Financial allocation	Rs. 375.00 lakhs (1986-87)
	Rs. 425.00 lakhs (1987-88)
Veterinary Disp./Hospitals	1088
Income from fisheries	Rs. 150 lakhs (1986-87)
	Rs. 160 lakhs (1987-88)
State level poultries	2
Boiler Farms	3
Intensive poultry Development Blocks	10
No. of Sheep	1.40 crores
Wool production	15600 tonnes
Sheep breeder families	2 lakhs
Distt. sheep breeding offices	17
Sheep & wool extension centres	135
Sheep A-I (Centres)	28

TOURISM

No. of tourists in the State (1986-87)	34.06 lakhs
Indian tourists	31.14 "
Foreign tourists	2.92 lakhs
Tourist bungalows (1985)	33
Beds in tourist bungalows	1707

CO-OPERATION

No. of Co-operative Societies	19012
No. of members of Co-operative Societies	61.52
Construction of godowns	2696
Storage capacity of the godowns	244200 m.t.

Loans distributed (In crores of rupees)

Year	Short Term	Medium Term	Long Term
1985-86	99.54	4.77	20.12
1986-87	125.00	12.00	25.00 (targets)

DAIRY DEVELOPMENT

Distt. Level Milk producing Co-operative Unions	16
Dugdh Utpadak Sahkari Samities and collection centres (Dec., 1986)	4314

Dairy Plants	9
Dairy capacity	8 lakh litres
Chilling centres	22
Average collection of milk	5.48 lakh litres
Cattle feeding plants	5
Production of cattle food	14403 m t.

MEDICAL & HEALTH

Hospitals	186
Community Health Centres	86
Dispensaries	712
PHCs.	598
F.W. Centres	390
M.C.W. Centres	111
Mini Health Centres (Scheduled Castes area)	13
Aid-posts	280
Sub-centres	4792
Ayurvedic Hospitals and Dispensaries	3061
Homeopathic Dispensaries/Hospitals	80
Unani Hospitals	74
Naturopathy Hospitals	3
Mobile Hospitals	5
Beds : Allopathic	23311
Ayurvedic	962
Total no. of beds	24273
Financial allocation (1987-88)	21.36 crores rupees

ROADS

Total length of roads	51636
No. of villages connected by roads	9385
Target to connect the villages by roads (1987-88)	9710

TRANSPORT

Registered vehicles	606484

ROAD TRANSPORT CORPORATION

No. of passenger vehicles (March, 1986)	2841
Scheduled Vehicles	2412
No. of routes	1542
Length of routes	202573 Km.

MINES & MINERALS

State undertakings	1. Rajasthan State Minerals Dev. Corporation Ltd., Jaipur 2. Rajasthan State Mines & Minerals Ltd., Udaipur
Cement Factories	7
Total production of cement	52 lakh tonnes annual
Major minerals available in the State	7 types of mettalic, 45 types of non-mettalic and others minor minerals

EDUCATION

Percentage of literacy	24.38%
Primary Schools	27908
Upper Primary Schools	8133
Secondry and Higher Secondry Schools	3036
Colleges	137
Medical Colleges	5
Nursing College	1
Ayurved Institutions	5
Law Colleges	3
Institutions of Sanskrit Learning	401
Teachers' Training Colleges	36
Engineering Colleges	5
B Ed. Institutions	37
Polytechnic Colleges	14
Govt. & Private Industrial Training Institutes	67
Sports Council	Rajasthan State Sports Council, Jaipur
Academies	Rajasthan Sahitya Academy, Rajasthan Sindhi Academy, Rajasthan Sanskrit Academy, Rajasthan Hindi Granth Academy,

Rajasthan Urdu Academy,
Rajasthan Bhasha Sahitya and Sanskrit Academy,
Brij Bhasha Academy,
Rajasthan Lalit Kala Academy

RAJASTHAN VIDHAN SABHA PARTY POSITION

Total No. of seats	200
Congress (I)	115
Bhartiya Janata Party	37
Janata Party	10
Lok Dal	27
C.P.I. (M)	1
Independents	9
Vacant seat due to death of member or other reasons	1

PARTY POSITION IN THE PARLIAMENT

Total No. of seats in Lok Sabha	25
Congress-I	24
Vacant	1
No. of members of Rajasthan in Rajya Sabha	10

FIVE YEAR PLANS

		(*Rs. in Crores*)
Ist Five Year Plan	1951-56	54.14
IInd Five Year Plan	1956-61	102.74
IIIrd Five Year Plan	1961-66	212.70
Annual Plans	1966-69	136.75
IVth Five Year Plan	1969-74	308.79
Vth Five Year Plan	1974-79	867.62
Annual Plan	1979-80	290.19
VIth Five Year Plan	1980-85	2130.69
VIIth Five Year Plan	1985-90	3000.00
Annual Plan	1986-87	530.00
Annual Plan	1987-88	645.00

and Sanskrit

RAJASTHAN—NOW AND THEN

ITEM	UNIT	1950-51	1980-81	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6
1 AGRICULTURE :					
Production of Food grains	Lakh tons	29.46	65.02	81.18	70.00
2 IRRIGATION :					
Total Irrigated Area	'000 hac	1171	3749	4007	4425
3 POWER :					
Installed capacity	M. W.	8.00	1210.82	1802.36	1802.36
Electrified villages/Towns	No.	42	15440	21427	22439
Energisation of Wells	No. in lakh	—	2.14	2.84	2.93
4 INDUSTRIES :					
Industrial Areas	No.	—	134	171	174
No. of small scale Indus.	No. in '000	—	43	124	130
5 ANIMAL HUSBANDRY :					
Veternary Hospitals/Disp.	No.	145	657	1083	1088
6 MEDICAL & HEALTH :					
Allopethic hospitals/Disp. P. H. C. Ald post etc.	No.	390	1169	1617	1776
Aurvedic/Unani Hospitals Dispensaries.	No.	1350	2484	3118	3135
Heomeopathic hospitals	No.	—	63	80	80
Moving Hospitals	No.	—	2	3	5
7 DRINKING WATER :					
Urban water supply	—	5	201	201	201
Rural water supply	No. of village	—	7887	23752	26301
8 EDUCATION :					
Primary schools	No.	4494	21863	27558	27908
Upper Primary schools	,,	834	5175	7950	8133
Sec. & Hr. Secondary	,,	220	2420	2944	3036
Colleges	,,	51	120	135	137
Universities	,,	1	3	5	5
Literacy percentage	,,	8.95	23.44	24.38	24.38
9 ROADS :					
Length in	K.M.	18749	41194	50436	51636
10 COOPERATION :					
Cooperative Societies	No.	3590	18275	18696	19012
Membership	Lakh	1.45	43.05	58.83	61.52

POPULATION

The population of Rajasthan is 3,42,61,862 according to the Census of 1981. It was 2,57,65,806 in 1971. Thus, the growth of pupulation is 84,96,056 in the DECENNIAL PERIOD. In all respects population of the State Males and Femals as follows—

Male — 1,78,54,754

Female — 1,64,07,708

Percentage of the Male population is 52.11 of the whole population while the of percentage of Female is 47.89. Thus, density of the population is 100 (per Square Km) where it was 75 in the year 1971. Now we see that the variation of percentage is 33 in the Decennial period. For the Administration of the State, there are 27 Districts, 81 Sub-Divisions, 27 Municipal Councils, 200 Tehsils, 236 Block-Developments and 72?? Gram Panchayats (Dholpur has recently been declared as District by the Govt.). Number of cities and towns in Rajasthan are 201 according the Census of 1981. There are 37,124 villages in the State—among them 34,968 are residentials and 2,156 are un-occupied villages. The Rural Population is 2,70,51,354 and Urban is 72,10,508 of the State. The number of Males are 1,40,13,454 and Females are 1,30,37,900 of the Rural Population. Similarly the number of Males are 38,40,700 and Females are 33,69,808 of the Urban Population.

Variation Ratio of Pouplation in the State

When we go through the Statistics of the Census from 1901 to 1981 we see that the Population was 103 Lacs in 1901 where it became 342 Lacs in 1981. Or one can say that growth of Population is 239 Lacs of last 80 years and its percentage is 230 of last 80 years. The variation of percentage of the Population is being continued after 1921.

The variation of percentage of the Population was 6.70 in the year 1911 but in 1981 it was 32.38. The variation rate of Males was 6.52% in 1911 but it was 31.52 in 1981. Thus, the rate of variation is 25 01% in the Decennial period.

Similarly the variation rate of Females was 6.9 in 1911 where it was 33.31 in 1981, which means that rate of variation was 26.41 in this period. If we compare the variation rate of percentage, we find that where it was 6.70 in the year 1911 but in 1981 it was 231.34. Table No. 1 shows the position as much better. The variation of percentage over Males is 228.20 in 1901 while it is 234.81 over Females. District wise population has been shown in Table No. 2. The Table shows the Decennial growth of Population and the rate of variation. This has an importance for the view of Town Planning. Apart from this, density of Population and rate of variation provides the usual facilities to be given to the people.

भौगोलिक परिचय

स्थिति—राजस्थान भारत के उत्तर-पश्चिम में 23·03°, से 30·12° उत्तरी अक्षांशों एवं 60 30° से 78·17° पूर्वी देशान्तर रेखाओं के मध्य स्थित है. इस राज्य की पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है. शेष सीमाएँ अन्य राज्यों—उत्तर एवं उत्तर-पूर्व में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश द्वारा, पूर्व तथा दक्षिण-पश्चिम में गुजरात राज्य द्वारा सीमित है. कर्क रेखा इस राज्य की दक्षिणी सीमा को छूती हुई निकलती है. भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान उत्तर एवं उत्तर-पूर्व में सतलज-व्यास नदियों के मैदान, पूर्व में गंगा-यमुना नदियों के मैदान, दक्षिण में मालवा के पठार तथा दक्षिण-पश्चिम में गुजरात के उपजाऊ मैदान द्वारा घिरा है.

आकार एवं विस्तार—राजस्थान राज्य की राजनैतिक आकृति एक विषमकोण चतुर्भुज (Rhombus) के समान है. जिसका उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम विस्तार क्रमश: 784 किलोमीटर और 850 किलोमीटर है. राज्य की सम्पूर्ण सीमा की लम्बाई 5,920 किलोमीटर है जबकि पाकिस्तान के साथ लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लम्बाई 1070 कि. मी है जो राज्य के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों को पाकिस्तान के बहावलपुर, रहीमयार खान एवं मीरपुर खास जिलों से पृथक करती है. इस राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग कि. मी. तथा जनसंख्या 34,261,862 (1981) है. क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के बाद भारत का दूसरा सबसे वृहत्त राज्य है जो भारत के क्षेत्रफल का 10.74 प्रतिशत भाग पर विस्तृत है.

क्षेत्रफल के तुलनात्मक आंकड़े (सारणी 1) स्पष्ट करते हैं कि राजस्थान राज्य बिहार, गुजरात एवं कर्नाटक राज्यों में प्रत्येक से लगभग दुगना, उड़ीसा तथा तमिलनाडू से ढाई गुना, पंजाब एवं हरियाणा से सातगुना, केरल से लगभग नौ गुना और राष्ट्र के सबसे छोटे राज्य सिक्किम से लगभग अड़तालीस गुना बड़ा है. इसी प्रकार विश्व के अनेक देश भी राजस्थान से (सारणी 2) क्षेत्रफल में छोटे हैं. यह राज्य जापान से कुछ ही छोटा है जबकि ग्रेट ब्रिटेन से दुगने से भी अधिक तथा इजराइल से सत्रह गुने से भी अधिक बड़ा है.

स्थलाकृति—राजस्थान के धरातलीय विन्यास में अरावली श्रेणी का प्रमुख योगदान रहा है. यह श्रेणी राज्य में उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर लगभग 692 कि. मी. तक फैली है. ये पर्वत श्रेणियां न केवल भारत की अपितु संसार की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है जिसने राज्य को शेष भारत से एक विलग प्रकार की जलवायु प्रदान की है. फलस्वरूप इसका पश्चिमी भाग मरुस्थली अथा अर्द्ध मरुस्थलीय पेटी से संभावित है जहाँ बालुका स्तूपों की प्रधानता ने इस क्षेत्र के बसाव एवं अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित किया है. राज्य का पूर्वी भाग नदी बेसिनों एवं दक्षिण पठार का अंग है. सामान्यत: भौतिक लक्षणों के आधार पर राजस्थान चार भू-प्राकृतिक विभागों में विभक्त किया जाता है :

1. पश्चिमी बालुका मैदान
2. अरावली पर्वतीय क्षेत्र
3. उत्तर-पूर्वी मैदान
4. दक्षिण-पूर्वी पठार

1. पश्चिमी बालुका मैदान—अरावली पर्वत श्रेणियों के पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में राज्य के वृहत भाग पर बालुका मैदान का विस्तार है. यह मैदान उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर लगभग 640 कि. मी. लम्बे तथा पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 300 कि. मी. चौड़े क्षेत्र पर लगभग 1,75,000 वर्ग कि. मी. क्षेत्र पर फैला है. सामान्यत: 25 से. मी. वर्षा रेखा इस मैदान को दो भागों में बांटती है. इस रेखा का पूर्वी भाग जो पश्चिमी भाग से कम शुष्क है अर्द्ध-मरुस्थली क्षेत्र अथवा राजस्थान बागर के नाम से जाना जाता है जबकि

पश्चिम में मरुस्थली क्षेत्र स्थिति है जिसे वालुका 'विशाल समुद्र' (Sea of Sand) कहा जाता है.

(अ) मरुस्थली प्रदेश—राजस्थान में यह प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक राज्य के अधिकांश क्षेत्र को घेरे है जिनमें बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, पश्चिमी नागौर का कुछ भाग, वाड़मेर का पश्चिमी भाग और जोधपुर जिले के पश्चिमी भाग को सम्मिलित किया जाता है. दक्षिण में लूनी नदी का उत्तरी किनारा और उत्तर-पूर्व में शेखावाटी क्षेत्र इस विस्तृत प्रदेश की सीमा का निर्धारण करते हैं जो थार मरुस्थल के नाम से सम्बोधित किया जाता है. जैसे-जैसे पूर्व की ओर जाते हैं मरुस्थली क्षेत्र शनैः शनैः घटता जाता है. वालुका स्तूप, भूमिगत जल तथा लवण के गर्त इस क्षेत्र की विचित्र भू-आकृतियाँ हैं. वालुका स्तूपों की ऊँचाई 90 मीटर से 370 मीटर और लम्बाई 8 कि. मी. तक पाई जाती है. इस प्रदेश में पूर्णतः मरुस्थलीय परिस्थितियां विद्यमान हैं. धूल भरी आंधियों के थपेड़े, गर्मी में भीषण गर्मी और सर्दी में कड़ाके की सर्दी पड़ती है.

ग्रीष्म के तापमान 32° से. ग्रे. से 48° से. ग्रे. तक ऊँचे पाए जाते है, वर्षा पूर्व में 25 से. मी. से पश्चिम में 10 से. मी. तक घटती जाती है. जैसलमेर में औसत सामान्य वर्षा केवल 16.40 से. मी. होती है जब कि वाड़मेर में 27.75 से. मी., बीकानेर 26.37 से. मी., चूरू 32.55 से. मी., नागौर 38.86 से.मी. और जोधपुर में 31.07 से. मी., औसतन वर्षा होती है फलस्वरूप उच्चतम तापमान निम्न से निम्नतम तथा अनिश्चित वर्षा, कंटीली, कुब्जनुमा तथा छितरी 'फोग' तथा 'मंपोड' वनस्पति, चारों ओर विस्तृत वालुका स्तूप, अल्प एवं छितराए मानव बसाव तथा अद्‌भुत गृह प्रकार प्रमुख रूप से परिलक्षित हुवे हैं. गर्मियों में धूल भरी आंधियां आकाश में छाई रहती हैं. बाजरा महत्वपूर्ण खाद्य फसल है. यहां के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय पशु पालन है.

(ब) अर्द्ध शुष्क मैदान—अरावली के पश्चिमी किनारे से मरुस्थली प्रदेश की सीमा तक लगभग 75000 वर्ग कि. मी. क्षेत्र पर अर्द्ध-मरुस्थली प्रदेश का विस्तार है. इस क्षेत्र के उत्तर में घग्घर नदी का क्षेत्र है. उत्तर-पूर्व में शेखवाटी क्षेत्र तथा दक्षिण-पूर्वी भाग में लूनी नदी अपनी कई सहायक नदियों के साथ फैली है जिसमें जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों के अधिकांश भाग तथा पाली, जालोर और सिरोही जिले के पश्चिमी भाग स्थित हैं.

इस प्रदेश में मरुस्थली प्रदेश की अपेक्षा प्राचीन चट्टानें अधिक प्रकट हुई हैं. इसके अतिरिक्त भूमिगत जल तल भी समीप है. लूनी तथा अनेक छोटी-छोटी मौसमी नदियों पर मध्यम एवं लघु सिंचाई बांध बनाए गए हैं जिससे सिंचाई द्वारा बाजरा, मूंग, मोठ के अतिरिक्त कपास, गन्ना, चना, तिलहन और दालें पैदा की जाती हैं. यहाँ के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि, पशु-पालन व्यापार एवं मध्यम लघु उद्योग है.

2. अरावली पर्वतीय प्रदेश – अरावली पर्वत श्रेणियां दक्षिण-पश्चिम में खेड़ ब्रह्मा से उत्तर-पूर्व में खेतड़ी तक 692 कि. मी. की लम्बाई में फैली हैं. ये श्रेणियां राज्य को दो भागों में विभक्त करती हैं. राज्य का 3/5 भाग इस श्रेणी के पश्चिम में तथा 2/5 भाग पूर्व में स्थित है. ये श्रेणियां क्वार्टजाइट चट्टानों से निर्मित हैं जो ऊँचाई एवं क्रम में दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम-पूर्व की ओर बढ़ती हैं. इन श्रेणियों की औसत ऊँचाई 100 मीटर है तथा लम्बाई 690 कि. मी. है. सर्वोच्च ऊँचाई 1722 मी. (गुरु शिखर) है (सारणी 3). अरावली पर्वतीय प्रदेश को दक्षिणी अरावली आबू ब्लाक से अजमेर तक, मध्य अरावली; अजमेर से जयपुर तक तथा उत्तरी अरावली जयपुर से खेतड़ी तक तीन उपविभागों में रखा जाता है.

अरावली प्रदेश खनिज सम्पदा में काफी धनी है. यहाँ लोहा, शीशा, जस्ता, चांदी, अभ्रक, तांबा, मैंगनीज, यूरेनियम, रॉक फास्फेट, ग्रेनाइट आदि अमूल्य खनिज पाए जाते हैं. इसके अतिरिक्त जयपुर, अजमेर, उदयपुर एवं अलवर नगर अरावली की सुरम्य घाटियां में हैं.

3. पूर्वी मैदान—अरावली श्रेणी के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्व में स्थित समतल प्रदेश पूर्वी मैदान के नाम से जाने जाते हैं. भारत वृहत जल विभाजक पूर्वी दिशा में फैलकर इस मैदान को दो उपविभागों में विभक्त करता

है. उत्तरी क्षेत्र मेवाड़ के मैदान या बनास वेसिन तथा दक्षिण भाग छप्पन मैदान कहलाते है, भरतपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर का पूर्वी भाग, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर तथा अलवर के दक्षिणी भाग बनास के अन्तर्गत रखे जाते हैं जबकि दक्षिणी भाग एवं डूंगरपुर जिले में छप्पन मैदान का विस्तार देखा जा सकता है.

इस प्रदेश की भूमि अत्यन्त समतल होने के साथ ही कई नदियों द्वारा सिंचित है जहां जलोढ़ मिट्टियों का निक्षेप हुआ है, फलस्वरूप मिट्टियां उपजाऊ हैं, बनास, खारी, वेड़च. मोरल, माही, सावी, गंभीरी आदि नदियों के जल को कई स्थानों पर बांधों में एकत्रित कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है छप्पन मैदान में प्रवाह शक्ति की तीव्रता के कारण दक्षिण में नाईसी मैदान का अधिक अपरदन हुआ है, फलस्वरूप भू-आकार का एक विलग रूप प्रदर्शित हुआ है, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार, कृषि, उद्योग धन्धे तथा पशुपालन है, गेहू. ज्वार, तिलहन, दाले तथा वाजरा प्रमुख फसलें हैं, भरतपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा एवं उदयपुर औद्योगिक रूप में विकसित हुवे है.

दक्षिण-पूर्वी पठार—चम्बल नदी के सहारे राज्य का दक्षिणी-पूर्वी भाग हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कोटा, बून्दी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिले सम्मलित किए जाते हैं जिनका अधिकांश भाग चम्बल तथा उसकी सहायक नदियां कालीसिन्ध तथा पार्वती द्वारा अपवाहित है. इस क्षेत्र के भौतिक स्वरूपों को दो उप विभागों में रखा जाता है; विन्ध्यन कगार तथा दक्कन लावा पठार.

विन्ध्यन कगार—यह भौतिक स्वरूप बनास एवं चम्बल नदियों के मध्य दक्षिण एवं दक्षिणपूर्व की ओर दृष्टिगत होते हैं जो और आगे बुन्देल खण्ड तक विस्तृत हैं, इन कगारों की औसत ऊँचाई 350 मी. से 500 मी. के मध्य पाई जाती है, कुछ कगार धौलपुर तथा करोली क्षेत्रों तक भी दृष्टिगत होते हैं.

दक्कन लावा पठार—मध्य प्रदेश के विन्ध्याचल पठार का पश्चिमी भाग मध्यवर्ती शैल के साथ त्रि-पठार के रूप में फैला है. दक्षिण पूर्वी राजस्थान की यह भौतिक आकृति 'पठार' (पथरीला) के नाम से जानी जाती है. इस क्षेत्र में कोटा-बूंदी के पठारी भाग भी सम्मलित है. अपरदन की क्रिया ने प्राचीन भूमि धरातल को प्रकट किया है. चम्बल तथा उसकी सहायक नदियों ने यहां एक कोप बेसिन का निर्माण किया है जो काफी उपजाऊ है.

सामान्यत—राजस्थान के इस क्षेत्र में काली, कछारी और लाल मिट्टियां पाई जाती हैं. अधिक वर्षा और आर्द्र नम जलवायु के कारण प्राकृतिक वनस्पति और वनों का बाहुल्य है. लम्बी घास, वांस, खैर, गूलर, सालर, धौक, सागवान इत्यादि के वृक्ष अधिक पाये जाते है. चम्बल घाटी योजना से इस क्षेत्र में सिंचाई का तीव्र विकास हुआ है. परिणामस्वरूप यहां कृषि फसलों में विविधता पाई जाती है. गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार. तिलहन, दलहन, कपास, तम्बाकू, गन्ना आदि का गहन उत्पादन किया जाता है. जल विद्युत तथा अणु विद्युत सुविधा के फलस्वरूप उद्योगों का तीव्र गति से विकास हो रहा है. कोटा राजस्थान का प्रमुख औद्योगिक नगर बन रहा है जहां रासायनिक, प्लास्टिक, कृत्रिम, रेशे, कपड़ा, विद्युत उपकरण मशीन निर्माण आदि उद्योगों का जाल सा बिछ गया है. इसके अतिरिक्त लाखेरी, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, रामगंज मन्डी आदि औद्योगिक केन्द्र भी इसी क्षेत्र में फैले है.

प्रवाह प्रणाली—अरावली पर्वत श्रेणी ने राज्य की प्रवाह प्रणाली को भी दो भागों में विभक्त किया हैं. प्रथम बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां तथा दूसरी अरब सागर की ओर प्रवाहित नदियां मरुस्थलीय क्षेत्र में अन्त-स्थलीय प्रवाह पाया जाता है जो समुद्र तक नहीं पहुँच पाता राज्य में निम्नांकित प्रमुख नदियां पाई जाती हैं—

१. **चम्बल नदी** सम्पूर्ण राज्य में केवल चम्बल ही वर्ष पर्यन्त प्रवाहित होने वाली है जो मध्य प्रदेश में मऊ के निकट विन्ध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल से निकलती है.

लगभग 325 कि. मी उत्तर की ओर बहने के पश्चात चम्बल नदी चोरासीगढ़ के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है, राज्य में 60 कि. मी. तक संकरे एवं गहरे द्रोणी में बहने के पश्चात खुली घाटी में काली सिन्ध, पार्वती एवं बनास के संगम तक बहती है, धौलपुर के दक्षिण में इस नदी के किनारों पर असंख्य गलीदार भूमि का निर्माण हुआ है जिनमें से कुछ 27 मीटर गहरे है, इटावा से लगभग 25 कि. मी. दक्षिण-पश्चिम में (मुरादगंज) यमुना नदी में यह नदी अपना जल समर्पित करती है. राजस्थान में इस नदी का प्रवाह लगभग मैदानी है, चम्बल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बेरेज सिंचाई व जल विद्युत प्रधान स्रोत हैं.

सहायक नदियां

बनास नदी—मेवाड़ मैदान के मध्य से अप्रवाहित बनास नदी यद्यपि वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी है किन्तु इसकी सहायक नदियां मौसमी हैं, बनास नदी उदयपुर जिले मे कुम्भलगढ़ के पास खमनोर की पहाड़ियों से निकल कर टेढ़े-मेढ़े रास्ते से होकर 480 कि. मी. तक बहती है, सवाई माधोपुर जिले में दक्षिण की ओर मुड़कर यह नदी चम्बल में गिरती है, दीगोद और माण्डलगढ़ के मध्य बनास, बेडच और मैनाल नदियों का संगम स्थल है जिसे त्रिवेणी कहा जाता है.

बेचड़ नदी—उदयपुर के उत्तर-पश्चिम में गोगुन्दा की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है. उद्गम स्थल से उदयसागर झील तक इसे आहड़ नदी के नाम से जाना जाता है. 190 कि. मी. प्रवाहित होने के पश्चात मांडलगढ़ के समीप त्रिवेणी सगम पर यह बनास नदी मे मिल जाती है.

कोठारी नदी—यह नदी उदयपुर जिले के उत्तरी भाग में देवार स्थान से निकलती है तथा लगभग 145 कि. मी. मैदानी भाग में बहकर भीलवाड़ा के पूर्व में बनास में मिल जाती है. भीलवाड़ा की पेयजल इसी नदी पर निर्मित बांध से उपलब्ध कराया जाता है.

खारी नदी—यह नदी उदयपुर जिले में देवगढ़ के समीप अरावली श्रेणी से निकलती है. गुलाबपुरा-विजयनगर के समीप बहती हुई देवली के समीप बनास नदी में मिल जाती है.

बनास नदी की अन्य सहायक नदियां मैनाल, मानसी बाण्डी, मोरेल आदि प्रमुख हैं.

काली सिन्ध—दक्षिण-पूर्व की ओर से आकर चम्बल नदी में मिलने वाली नदियों में काली सिन्ध मुख्य नदी है. इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है. राजस्थान के झालावाड़ और कोटा जिलों में प्रवाहित होकर यह नोनेरा स्थान पर चम्बल नदी में मिल जाती है. इस नदी की सहायक नदियों में निवाज, परवन और आहु प्रमुख हैं.

पार्वती नदी—इस नदी का उद्गम स्थल भी विन्ध्याचल पर्वत में हैं. मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने के बाद कर्याहट के पास राजस्थान में प्रवेश करती है. 65 कि. मी. बहने के पश्चात चम्बल नदी में मिल जाती है. इसके अतिरिक्त कुटाल नदी उपरमाल के पठार से निकलकर बून्दी के पूर्व में प्रवाहित होती हुई चम्बल नदी में मिल जाती है.

2. लूनी नदी—लूनी नदी अरावली श्रेणी के पश्चिम किनारे (अजमेर : अन्नासागर) से निकलकर लगभग 320 कि. मी. तक जोधपुर, बाड़मेर एवं जालोर जिलों से प्रवाहित होने के पश्चात कच्छ के रन में विलीन हो जाती हैं. यह पूर्णतया मौसमी नदी है जो वर्ष के अन्य महीनों में शुष्क रहती है. बालोतरा तक इस नदी का जल अपेक्षाकृत मीठा रहता है किन्तु इसके पश्चात कच्छ के रन तक जल अधिकाधिक खारा होता जाता है. लूनी नदी का कुल अप्रवाह क्षेत्र 34,866 वर्ग कि. मी. है. इस नदी पर बिलाड़ा के समीप निर्मित बांध सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत है.

लूनी नदी की अनेक सहायक नदियां हैं जिनमें सूकड़ी, लीलड़ी, जोजरी, जवाई, बांडी, मीठड़ी, सगाई आदि नदियां 12000 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई करती हैं.

3. माही नदी—ग्वालियर के समीप मालवा पठार से निकलकर साधारणतया उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बांसवाड़ा जिले के दक्षिणी सीमा तक बहती है. यहां से यह नदी मेवाड़ की पहाड़ी द्वारा दक्षिण-पश्चिम को मोड़ दी जाती है. यहां पर माही, सोम तथा जाखम

नदियां मिलती हैं. माही नदी डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों के मध्य सीमा का निर्माण भी करती है. माही तथा साबरमती नदियां मौसमी नालों द्वारा भी मिली हैं.

माही नदी की सहायक नदियाँ

सोम नदी—इसका उद्गम स्थल उदयपुर जिले में बीछामेड़ा स्थान है. आरम्भ में दक्षिण-पूर्व दिशा में बहती है इसके पश्चात डूंगरपुर की पूर्वी सीमा पर बहती है. जाखम और सारनी इसकी सहायक नदियाँ हैं.

जाखम नदी— इसका उद्गम छोटी सादड़ी के समीप है. प्रतापगढ़ क्षेत्र में प्रवाहित होकर सोम नदी में मिल जाती है.

4. साबरमती नदी—उदयपुर जिले के दक्षिण-पश्चिम अरावली की पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है. उदयपुर जिले में कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश कर जाती है और आगे जाकर खम्बात की खाड़ी में विलीन हो जाती है.

5. पश्चिमी बनास नदी– सिरोही जिले के आबू ब्लॉक से निकलकर कुछ दूर तक प्रवाहित होकर गुजरात राज्य में बहती है. आगे जाकर 'लिटिल रन' में मिल जाती है.

6. घग्घर नदी—इसका उद्गम शिवालिक में कालका के निकट है. पंजाब, हरियाणा मे प्रवाहित होकर राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में हनुमानगढ़ के पश्चिम में लगभग 30 किलोमीटर बहती है. वर्षा ऋतु में प्राय: बाढ़ आ जाने से यातायात में रुकावट आ जाती है और फसलों को नुकसान होता है. आजकल इस नदी की तलहटी में चावल अधिकता से बोया जाता है. बाढ का पानी अधिक आने पर यह नदी श्रीगंगानगर जिले में बहकर पाकिस्तान में सीमा पार कर रेतीले टीलों में विलीन हो जाती है.

7. काकनेय नदी—जैसलमेर से 27 किलोमीटर दूर कोहरी गांव के निकट इस नदी का उद्गम है. यहां से उत्तर पश्चिम में 44 कि. मी. प्रवाहित होकर यह नदी 40 कि. मी. के घेरे में 'बुज झील' का निर्माण करती है. यहां थोड़ा बहुत पानी वर्षा ऋतु में बहता है.

8. कांटली नदी—यह झुंझुनू जिले की उत्तरी सीमा के मध्य से दक्षिण की ओर बहती है और इस जिले को दो भागों में बांटती है. इसका बहाव लगभग 95 किलोमीटर तक है. उसके बाद रेतीले टीलों में विलीन हो जाती है.

9. साबी नदी : यह नदी जयपुर जिले में शाहपुरा के निकट से निकल कर अलवर जिले में प्रवाहित होती हुई हरियाणा में पटौदी के उत्तर में भूमि में विलीन हो जाती है.

10. बांणगंगा नदी : यह नदी जयपुर जिले की बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है. इस नदी की लम्बाई 380 किलोमीटर है. पूर्व की ओर बहती हुई भरतपुर जिले में प्रवाहित होकर उत्तर प्रदेश की सीमा में फतेहबाद के निकट यमुना नदी में मिल जाती है.

11. मन्था नदी : जयपुर जिले के मनोहर थाना नामक स्थान से निकलकर सांभर झील में जाती है.

इनके अतिरिक्त राजस्थान में कई छोटी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती हैं. जिलानुसार राजस्थान की मुख्य नादियां निम्न हैं.

जिलानुसार राजस्थान की नदियाँ

जिले का नाम	नदियों के नाम
1. अजमेर	साबरमती, सरस्वती, खारी, डाइ, बनास
2. अलवर	साबी, रूपारेल, काली, गौरी, सोटा
3. उदयपुर	बनास, बेड़च, वाकल, सोम, जाखम, साबरमती
4. कोटा	चम्बल, काली सिन्ध, पार्वती, आऊ, नवेज, परवन
5. गंगानगर	घग्घर
6. चित्तौड़गढ़	बनास, बेड़च, बामणी, बागली, बागन औराई, गम्भीरी, सीवना, जाखम, माही
7. चुरू	—
8. जयपुर	बाणगंगा, बांडी, ढूंढ, मोरेल, साबी-सोटा, डाई, सखा, माशी
9. जालोर	लूनी, बांडी, जवाई, सूकड़ी
10. जैसलमेर	काकनेय, लाठी, चांधण, धऊआ, धोंगड़ी
11, जोधपुर	लूनी, मीठड़ी, जोजरी

12. झालावाड़	कालीसिंध, पार्वती, छोटी काली सिंध; निवाज
13. झुंझुनू	कांटली
14. टोंक	बनास, माशी, बांडी
15. डूंगरपुर	सोम, माही, सोनी
16. नागौर	लूनी
17. पाली	लीलड़ी, बांडी, सूकड़ी, जवाई
18. बाड़मेर	लूनी, सूकड़ी
19. बांसवाड़ा	माही, अन्नास, चैनी
20. बीकानेर	—
21. बूंदी	कुराल
22. भरतपुर	चम्बल वराह, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती
23. भीलवाड़ा	बनास, कोठारी, बेड़च, मेनाली, मानसी, खारी
24. सवाईमाधोपुर	चम्बल, बनास, मोरेल
25. सिरोही	प. बनास, सूकड़ी; पोसालिया, खाती, किशनावती, भूला, ओरा, सुखदा
26. सीकर	कांटली, मन्था, पावटा, कांवत

राजस्थान राज्य की विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों के कारण यहां पर बहने वाले मौसमी एवं छोटे से छोटे नदी नाले का भी अत्यधिक महत्व है. इन नदी-नालों पर वृहत मध्यम व छोटे सिंचाई बॉध बनाए गये हैं. इनके कारण भूमिगत जल तल कम गहराई तक रहने में भी सहायता मिली है. सम्पूर्ण देश के एक मात्र इसी राज्य में लगभग 60.2 प्रतिशत क्षेत्र में आन्तरिक प्रवाह या अन्त-स्थलीय प्रवाह है जिसमें प्रवाहित होने वाले नदी नाले समुद्र तक नहीं पहुँच कर मरुस्थलीय या अर्द्ध-मरुस्थलीय क्षेत्र में ही लुप्त हो जाते हैं.

राजस्थान की प्रमुख नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र एवं प्रतिशत

नदियों के नाम	जल ग्रहण क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)	संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिशत
चम्बल	72,032.05	20.9
काली सिंधएवं परवान	11,444.72	3.3
मोरेल	5,436.93	1.6
माही	16.551.18	4.8
लूनी	34,866.40	10.3
जवाई	8,866.88	2.6
सूकड़ी एवं बांडी	22,672.06	6.7
साबरमती	3,288.68	1.0
प. बनास	2,837.81	0.9
कांठली	4,667.80	1.4
सोटा एवं साबी	5,793.88	1.7
वराह	3,516 50	1.0
बाण गंगा	6,742.57	2.0
लूनी के अनुपयोगी नाले	27,594 04	8.1
आंतरिक परिवहन का क्षेत्र	3,85,587.21	60.2

सिंचाई कार्यो के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति के लिए भी नदियों का विशिष्ट महत्व हैं. कभी-कभी इन नदी क्षेत्रों में बाढ का प्रकोप भी रहता है.

मुख्य झीलें : राजस्थान में खारे तथा मीठे पानी की अनेक झीलें पाई जाती है जिनमें से कुछ तो प्राकृतिक है जबकि अधिकांश कृत्रिम हैं जिन्हें पर्यटन दृष्टि से काफी आकर्षक तथा मोहक बनाया गया. खारे पानी की झीलों में फलोदी की बाप तथा रिण. बाड़मेर की पचपद्रा और नागौर की सांभर तथा डीडवाना की झीलें प्रमुख हैं जहां नमक उद्योग विकसित है. मीठे पानी की झीलों में निम्नांकित जिले मुख्य हैं :

उदयपुर	जयसमन्द, राजसमन्द, उदयसागर, पिछोला फतेहसागर
बूंदी	नवलखा सागर
अजमेर	आनासागर, पुष्कर, फाईसागर, नारायण सागर बांध
भरतपुर	बारेण बांध, शाही तालाब
जयपुर	गलता, रामगढ बांध
जैसलमेर	गढ़ीसर, अमरसागर, बुज की झील
जोधपुर	पिचयाक बांध, बीसलपुर बांध, बालसमंद, प्रतापसागर, उम्मेदसागर, कायलाना
पाली	सरदार समंद, हेमावास बांध, जवाई बांध
बीकानेर	गजनेर, अनूपसागर, सूरसागर, कोलायतजी
अलवर	राजसमंद, सिलीसेड झील
कोटा	जवाहर सागर बांध, कोटा बांध

चित्तौड़गढ़	भूपालसागर, राणा प्रताप सागर बांध
बांसवाड़ा	बजाजसागर बांध, कडाणा बांध
भीलवाड़ा	मेजाबांध, सरेरी बांध, उम्मेदसागर, मांडल ताल, अराड़ बांध, खारी बांध, जैतपुरा बांध
डूंगरपूर	गैवसागर

जलवायु : धरातलीय स्वरुप एवं उपोषणीय स्थिति ने राज्य की जलवायु को अत्यधिक प्रभावित किया है. भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिम स्थिति ने राज्य को मुख्य मानसून प्रवाह से वंचित रखा है. फलस्वरूप कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अन्यत्र बहुत कम वर्षा होती है. राज्य का लगभग आधा भाग शुष्क जलवायु क्षेत्र में तथा शेष भाग आर्द्र-उष्ण मानसून क्षेत्र में आता है. शीतकाल पर्याप्त ठंडा रहता है. कई स्थानों पर तापमान हिमांक बिन्दु से नीचे गिर जाते हैं. इसके विपरीत ग्रीष्म काल में गर्मी तीव्र और झुलसाने वाली होती है. राजस्थान में वर्ष को तीन प्रमुख ऋतुओं में बांटा जाता है.

1. ग्रीष्मऋतु		मार्च से मध्य जून तक
2. वर्षा ऋतु		मध्य जून से मध्य सितम्बर तक
3. शीत ऋतु	(i)	लौटते मानसून का मौसम-अक्टूबर से मध्य दिसम्बर तक
	(ii)	सर्दी का मौसम-मध्य

ग्रीष्मऋतु—ग्रीष्मऋतु मार्च से प्रारम्भ होकर मध्य जून तक रहती है. इस मौसम में तापमान 32° से ग्रे. से 43° से. ग्रे. तक पाए जाते हैं. मई के महिने में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40.5° से. ग्रे. से 42° से. ग्रे. के मध्य तथा निम्नतम तापमान 23° से. ग्रे. से 27° से, ग्रे. तक रहते हैं. दोपहर के समय भयंकर गर्मी तथा चौंध रहती है. राज्य के पश्चिमी भाग भीषण रूप से गर्म रहते तथा तापमान 45° से. ग्रे. से भी ऊपर तक पहुंच जाते है. अंकित ताप रेखाएं स्पष्ट करती हैं कि अरावली श्रेणी के उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम में तापमान बढ़ते जाते हैं इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व में झालावाड़ तथा कोटा क्षेत्रों में तापमान ऊंचे रहते हैं. 28° से. ग्रे. ताप रेखा आबू के पहाड़ी क्षेत्रों को सीमित करती है. इसी ऋतु में भयंकर लू चलती है. जिससे तापक्रम पर्याप्त बढ़ते हैं. गंगानगर में 50° से. ग्रे. बीकानेर व बाड़मेर में 49° से. ग्रे. जयपुर तथा कोटा में 47. 5° से. ग्रे तथा जैसलमेर में 46.6° से ग्रे तापमान रहते हैं. तीव्र गर्मी के कारण स्थानीय वायु भंवर बन जाते हैं. जो रेत भरी आंधियों के साथ मिलकर भयंकर रूप धारण कर लेती है. रेत भरी आंधियों का औसत वर्ष में गंगानगर में 27 दिन, कोटा में 5 दिन, अजमेर तथा झालावाड़ में 3 दिन रहता है. इस मौसम की अन्य विशेषताएँ शुष्क वायु, उच्च तापक्रम तथा गर्म तथा शुष्क पश्चिमी हवाएँ हैं. सम्पूर्ण ऋतु में सापेक्षिक आर्द्रता प्रातः 35 प्रतिशत से 60 प्रतिशत और दोपहर में 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत करती है.

वर्षा ऋतु : सामान्यतः वर्षा ऋतु अरावली तथा इसके समीपस्थ क्षेत्रों में जून के अन्त में और पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों में जुलाई के मध्य से प्रारम्भ होती है. राज्य में वर्षा का वितरण असमान है अतः राज्य को तीन प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है :

1 अरावली के पूर्व तथा दक्षिण में उपार्द्र पेटी जहाँ वर्षा 50 से. मी. तक होती है.

2 अरावली के पश्चिमी भाग से मरुस्थलीय सीमा तक की आर्द्र-शुष्क पेटी जहाँ वर्षा 30 से 50 से. मी. के मध्य रहती है.

3 थार प्रदेश में शुष्क पेटी जहाँ वार्षिक वर्षा 10 से.मी से 30 से. मी तक पाई जाती है.

वर्षा का वितरण पश्चिमी जैसलमेर क्षेत्रों में 10 से.मी से लेकर द. पू कोटा तथा झालावाड़ जिलों में 100 से. मी. से अधिक पाया जाता है. जैसे मनोहर थाना (झालावाड़) 110 से. मी, कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) 105 से. मी और छीपा बड़ोद तथा छबड़ा (कोटा) क्रमशः 102 से. मी. तथा 107 से. मी.

शीत ऋतु—लौटते मानसून का मौसम-मध्य सितंबर तक राज्य से मानसून लगभग समाप्त हो जाते हैं तथा तापमानों

में कुछ समय के लिए वृद्धि हो जाती हैं. अक्तूबर में समस्त राज्य में तापमान समान रहते है. कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 33° से. ग्रे. तथा 38° से. ग्र. के मध्य और न्यूनतम तापमान 18° से. ग्रें. से 20° से. ग्रे. के मध्य पाए जाते है. इस समय मानसून के लौटने के कारण हवाऐं लगभग समाप्त हो जाती हैं तथा वहुत हल्की तथा अपरिवर्तनशील रहती हैं. प्रति चक्रवात चक्रवातीय स्थिति धारण कर लेते हैं जो सामान्यतः वर्षा करते हैं.

सर्दी का मौसम— द. पश्चिमी मानसून के लौटने के साथ अक्टूबर के अंत में शीतऋतु आरंभ हो जाती है. इस समय सम्पूर्ण क्षेत्र में सापेक्षिक आर्द्रता शनैः शनैः घटती जाती है फलस्वरूप जनवरी माह सर्वाधिक शीत माह होता है. इस प्रकार औसत अधिकतम तापमान श्री गंगानगर में 20 से. ग्रे., बीकानेर में 22 से. ग्रे. जयपुर तथा अजमेर में 22.8 से. ग्रे. वाड़मेर तथा जोधपुर में 24.5 से. ग्रे. तथा कोटा में 25 से. ग्रे. रहते हैं. निम्नतम तापमान गंगानगर में 3.3 से. ग्रे. अजमेर में 7.7 से. ग्रे, जयपुर, बीकानेर झालावाड़ 10 से. ग्रे. के मध्य पाए जाते हैं. कई क्षेत्रों में अत्याधिक सर्दी के कारण तापमान हिमांक विन्दु से नीचे तक पहुंच जाते हैं तथा कड़ाके की ठण्ड पड़ती है.

मिट्टियां— वृहत्तरूप से राज्य में दो प्रकार की निर्वासित तथा अवशिष्ट-मिट्टियां पाई जाती हैं प्रथम प्रकार की मिट्टियां वहित पदार्थो जैसे कॉप, वालू एवं सिल्ट को प्रदर्शित करती है जो मुख्य रूप से नदी घाटियों में संचित होती है, जवकि दूसरे प्रकार की मिट्टियां नीचे स्थित चट्टानों के तात्विक परिवर्तन का प्रतिफल है जो मुख्य रूप से पर्वतों, पहाड़ियों एवं पठारों पर पाई जाती है. राज्य में निम्नांकित मिट्टियां पाई जाती हैं.

1. मरुस्थलीय मिट्टी—यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी मैदान में विशेषतः अन्तर-स्तूपीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं. इन मिट्टियों का विस्तार श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, वाड़मेर जैसलमेर, जोधपुर और जालौर जिलों में पाया जाता है. भूसनती के अनुसार यह क्षेत्र कॉप एवं वायु द्वारा निक्षेपित मिट्टियां से निर्मित है जिसमें पीली मिट्टी से पीली भूरी, वलुई से वलुई चीका मिट्टियां उपस्थित हैं. वर्षा की कमी और ढीली संरचना के कारण इस मिट्टी में उर्वरक शक्ति कम पाई जाती है.

2. लाल रेगिस्तानी मिट्टी—यह मिट्टी नागौर, जोधपुर, जालौर, पाली, चूरू, झुन्झुनु जिले में पाई जाती है. ये मिट्टियां पीले भूरे रंग से लाल भूरे रंगों में मिलती है जो संरचना में ढीली किन्तु उत्तम सिंचित हैं, इन मिट्टियों का गठन वलुई कांप से वलुई चीका कांप तक पाया जाता हैं. इन मिट्टियों में जल को सोखने की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक है.

3. भूरी काली मिट्टी—ये मिट्टियां चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा कोटा और टोंक जिलों में पाई जाती हैं जो मुख्यतः धारवाडियन चट्टानों से विकसित हुई हैं. ये मिट्टियां मध्यम से भारी गठन की होती है. ये मध्यम श्रेणी की सिंचित मिट्टियां हैं.

4. लाल-पीली मिट्टियां—ये मिट्टियां अरावली पर्वतों के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषतः सिरोही, पाली, उदयपुर, चित्तौडगढ़ तथा अजमेर जिलों में पाई जाती है. भीलवाड़ा, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में मिश्रित लाल और काली मिट्टी पाई जाती हैं. पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण मिट्टी में उर्वरक शक्ति कम पाई जाती है.

5. साधारण काली मिट्टी—यह कोटा, बून्दी, झालावाड़ और सवाई माधोपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है जहां कपास, गेहूं, मक्का तथा तिलहनों की कृषि की जाती है.

6. प्राचीन कांप मिट्टी—ये मिट्टियां जयपुर, टोंक, अजमेर, अलवर, सीकर और भीलवाड़ा जिले के मैदानी भागों में पाई जाती है. ये चूने रहित भूरी मिट्टियां है जो कांप वालू से वलुई कांप के गठन में पाई जाती है. ये उत्तम सिंचित है तथा ढालू स्थानों को घेरे है.

7. जलोढ़ कछारी मिट्टी—ये मिट्टियां राज्य नदी घाटियों में विशेषतः चंवल मैदानों, सवाईमाधोपुर, बून्दी, भरतपुर और अलवर जिलों में पाई जाती हैं. इन मिट्टियों में चूना, पोटाश, फासफोरस एवं लोहा आदि तत्व अधिकता में पाए जाते हैं फलस्वरूप गेहूं, चावल, तम्वाकू आदि फसलें विशेषतः उत्पन्न की जाती है

8. लिथोसोल और रेगोसोल—ये मिट्टियां अरावली पर्वतों, पूर्वी राजस्थान की पहाड़ियों तथा पश्चिम राजस्थान की छितरी पहाड़ियों पर पाई जाती है. कंकड़ीले पदार्थ सतह के समीप ही होता है अतः मिट्टियां काफी छिछली होती है. मिट्टियों की सीमित गहराई के कारण कृषि क्रिया सीमित है.

वनस्पति—राज्य की भौताकृति, जलवायु तथा मिट्टियों की अद्भुत विभिन्नताओं ने विविव प्रकार की वनस्पति पश्चिमी क्षेत्र में न्यून कंटीली झाड़ियों से लेकर अरावली श्रेणी के पूर्व में एवं दक्षिण-पूर्व में मिश्रित पतझड़ तथा उष्ण कटिबंधीय वनों तक को जन्म दिया है. राज्य के विभिन्न भागों में पायी जाने वाली वनस्पति और वर्षा के मध्य घनिष्ट सम्बंध है. वनस्पति की दृष्टि से राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख वनों को निम्न विभागों में रखा जाता है.

1. मरुस्थली वनस्पति—अरावली श्रेणी के उत्तर-पश्चिम समस्त क्षेत्र में वनस्पति काफी विरल और काफी अन्तरों पर कुछ ही वृक्ष देखने को मिलते हैं. मरुस्थलीय वृक्षों को दो भागों में विभक्त किया जाता है—(1) वे वृक्ष जो वार्षिक वर्षा पर निर्भर रहते है तथा (2) वे वृक्ष जो मिट्टी की गहरी परतों में स्थित उपधरातलीय जल पर निर्भर रहते हैं शुष्कता के कारण पौधों की पत्तियां छोटी एवं जड़ें काफी गहरी होती हैं. वर्षा काल में इण्डिगोफोरम, कोरडीफोलिया तथा सेन्चूरस वाईफ्लोरस सामान्यतः उगते हैं. चिरकाल वनस्पति में केर खेजडी, वुई और हेलोमीलन सेलिकोरनियम वृक्ष प्रमुख है. सभी वृक्षों मे खेजड़ी अधिक सफल सिद्ध हुई है जो पशुओं के चारा प्रदान करने का उत्तम वृक्ष है.

2. अर्द्ध मरुस्थलीय वनस्पति—अरावली पर्वतीय श्रेणियों के पश्चिमी ढालों पर मुख्यतः पाली, जालोर, सीकर, झुन्झुनु आदि क्षेत्रों में अर्द्ध-मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है. एरन्डी, इमली, वबूल, धोक, कैर आदि प्रमुख वृक्ष है.

3. अरावली पर्वतीय वनस्पति—अरावली क्षेत्र में जहां वर्षा अधिक होती है वहां प्राकृतिक वनों का विस्तार अधिक पाया जाता है. गूलर, नीम, आम, बड़, वहेड़ा, महुवा, धोक और खैर के वृक्ष उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा जिलों में अधिक पाए जाते हैं.

4. पूर्वी-मैदानी वनस्पति—उपयुक्त वर्षा एवं जलवायु के कारण इस क्षेत्र में घनी वनस्पति पाई जाती है इनमें मुख्यतः मालर, बांस, सेमल, पलास, खेर, सफेद धोक आदि प्रमुख है. भरतपुर, टोंक, सवाईमधोपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में इन वृक्षों का बाहुल्य है. सागौन वृक्षों के लिए काली चिकनी मिट्टी अत्यन्त उपयुक्त रहती है.

खनिज संसाधन—यद्यपि भारत के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का अत्यन्त कम योगदान है किन्तु कुछ विशिष्ट खनिजों मे राज्य का एकाधिकार जैसे शीशा, जिंक, तांवा तथा पन्ना हैं. खड्डी के उत्पादन में 85.5 प्रतिशत का योगदान हैं जबकि अभ्रक के उत्पादन में बिहार तथा आंध्रप्रदेश के पश्चात तीसरा स्थान रखता है. अन्य खनिज जिममे राज्य का वृहत्त भाग रहता है उनमें स्टेटाइट (84.5 प्रतिशत), एस्वेस्ट्स (72 प्रतिशत) फेवड्स्पर (49.6 प्रतिशत) और केलसाइट (35 प्रतिशत) प्रमुख खनिज हैं. राजस्थान की खनिज सम्पदा को मुख्यतः तीन भागों में रखा जाता है.

1. आग्नेय खनिज—इनमें लिग्नाइट कोयला एवं पेट्रोलियम प्रमुख हैं जो क्रमशः पलाना एवं जैसलमेर क्षेत्रों में फैले है.

2. धातु खनिज—ताम्बा, लोहा, सीसा, जस्ता, चांदी, वेरिलियम, मैंगनीज और टंगस्टन.

3. अलोह खनिज - एसवेस्टस, बेराइट, वेन्टोनाइट इमारती पत्थर, एमरल्ड, फुलर्स अर्थ, गारमेन्ट, कॉच वनाने की वालू, काइनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, अभ्रक, धीया पत्थर आदि खनिजों को अलोह धातु में रखा जाता है.

खनिज वितरण की दृष्टी से अरावली क्षेत्र सर्वाधिक धनी है जहां सीसा, जस्ता चांदी, अभ्रक, लोहा, तांवा, मेंगनीज, एसबेस्ट्स आदि बहुलता में उपलब्ध है. पश्चिमी राजस्थान में जिप्सम, लवण, खनिज, लिग्नाइट

टंगसटन, संगमरमर, ग्रेनाइट आदि खनिजों के भण्डार पाए जाते हैं. उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर नागौर, जालोर, जोधपुर, बीकानेर आदि जिले खनिज सम्पदा की दृष्टि से अग्रणीय हैं.

उद्योग—यद्यपि खनिज एवं मानव संपदा में राजस्थान धनी है किन्तु फिर भी औद्योगीकरण की दृष्टि से पिछड़ा राज्य है. क्योंकि राज्य में पूंजी नियोजन की कमी, सस्ती विद्युत शक्ति व जल का अभाव, अपर्याप्त यातायात सुविधा और तकनीकीकरण की कमी मुख्य कारण रहे हैं, आधारभूत खनिजों की सीमितता केवल कुछ उद्योग ही ऐसे हैं जो कुछ हजार मनुष्यों को कार्य दे सकते हैं, लघु तथा हस्तकला उद्योग लाखों लोगों को जीवन यापन की सुविधा प्रदान करते हैं.

कपास तथा ऊन उद्योगों के अतिरिक्त औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान रिक्त रह जाता है, केवल कुछ अलग-अलग क्षेत्रों लाखेरी, चित्तौड़गढ़ सवाईमधोपुर (सीमेन्ट), श्री गंगानगर तथा भूपाल सागर (शक्कर), उदयपुर (जिंक स्मेल्टिंग), धोलपुर (कॉंच), कोटा (नायलोन तथा रसायन उत्पादक) में स्थित है, इसी प्रकार कुछ उद्योग पश्चिमी भाग में भी स्थित हैं.

दूसरी ओर हस्तकला तथा लघु उद्योग राज्य के विभिन्न भागों में वितरित हैं जिनका स्थापनीकरण कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर है. इन उद्योगों में असंख्य वस्तुऐं जैसे हस्तकर्घा तथा छपाई-रंगाई वस्त्र, वनस्पति तेल, दुग्ध व्यवसाय, खंडसारी एवं गुड़, साबुन, प्लास्टिक मोजरी, चर्म वस्तुएं, चूना उद्योग, मकराना पत्थर एवं ग्रेनाइट उद्योग, पीतल, एल्यूमूनियम तथा हाथी दांत की वस्तुएँ, आटा तथा बेकरी, बीड़ी निर्माण कार्य तथा अन्य कई उद्योग प्रमुख हैं, राज्य में हस्तकला उद्योग में कई विशिष्ट एवं एकाधिकार उद्योग भी हैं जैसे जयपुर (चूंदड़ी तथा लाख उद्योग), जोधपुर (बन्धेज तथा मोजरी), पाली (हाथी दांत की चूड़ियां, रंगाई तथा छपाई कार्य), बालोतरा (रंगाई तथा छपाई कार्य) मकराना (संगमरमर पत्थर उद्योग). जालोर (ग्रेनाईट उद्योग) आदि प्रसिद्ध हैं.

पशु सम्पदा—पशु सम्पदा की दृष्टि से राज्य का अग्रणीय स्थान है पशु संख्या यहां की जन संख्या से अधिक हैं. अनुमानतः राज्य में प्रति 1000 व्यक्ति 1660 पशु अनुपात आता है. राज्य में मुख्यतः गौवंश की 9 उत्तम नस्लें, भेड़ों की आठ नस्लें, बकरियों की 6 नस्लें और ऊंटों की 4 उत्तम नस्लें पाई जाती हैं. घोड़ों की उत्तम नस्लों के लिए भी राजस्थान प्रसिद्ध है, राज्य की पशु सम्पदा को निम्नांकित क्षेत्रीय वितरण में रखा जाता है.

1. राठी क्षेत्र—इस नस्ल की गायें अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध हैं अतः पशुपालन ही इस क्षेत्र में मुख्य आर्थिक व्यवसाय है. ऊंटनियां, बकरियां तथा भेड़ों की खरीद-फरोख्त अधिक की जाती है. बीकानेर का पश्चिमी भाग, गंगानगर तथा जैसलमेर इस क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते है.

2. सांचोरी अथवा कॉंकरेज क्षेत्र—इस नस्ल का विस्तार बाड़मेर का पूर्वी भाग, जालोर, सिरोही पाली का पश्चिमी तथा दक्षिण-पश्चिमी भाग एवं उदयपुर जिलों में पाया जाता है. इस क्षेत्र में भी अर्थ व्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर ही केन्द्रित है. कॉंकरेज बैल इस क्षेत्र का प्रसिद्ध बैल है जो भारी बोझा ढोने के काम आते हैं. ऊन, ऊंट व बकरों का निर्यात अन्य व्यवसाय है. इस क्षेत्र की गायें अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध हैं. पशु मेलों में यहां के बैलों को खरीदने समीपस्थ राज्यों जैसे मध्यप्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश से लोग आते है.

3. थारपारकर क्षेत्र—यह नस्ल देश में अपनी दूध देने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है. यहां की गायें औसतन 30 से 40 पौण्ड तक प्रतिदिन दूध देती हैं. यहां की उत्तम सेवन घास गायों का चारा है. इस क्षेत्र में जैसलमेरी तथा बीकानेरी नस्ल के ऊंट, जैसलमेरी तथा मारवाड़ी भेड़ें तथा बकरियां मुख्य रूप से पाई जाती है. बाड़मेर, जैसलमेर तथा जोधपुर जिले का पश्चिमी भाग सम्मलित किया जाता है.

4. उत्तरी नहरी क्षेत्र—इस क्षेत्र में मुख्यतः गंगानगर जिले के सिंचित क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है. सिंचाई सुविधा ने इस क्षेत्र को उत्तम कृषि भूमि में परिवर्तित

कर दिया है फलस्वरूप मिश्रित कृषि व्यवस्था पाई जाती है. इस क्षेत्र में हरियाणवी एवं राठी नस्ल की गाएँ, मुर्रा नस्ल की भैंसें, जैसलमेरी तथा बीकानेरी नस्ल के ऊंट पाए जाते है.

5. नागौरी क्षेत्र—इस क्षेत्र में नागौर जिला, दक्षिण पूर्वी बीकानेर *जिला, चूरू एवं बीकानेर जिलों के दक्षिण-*पश्चिमी भाग, मध्य तथा पश्चिमी जयपुर जिला, अजमेर जिले के उत्तरी तथा पाली जिले के उत्तरी-पश्चिमी भागों को सम्मिलित किया जाता है. यहां के नागौरी नस्ल के बैल सुगठित और मजबूत होते है जो कोल्हुओं तथा बैल-गाड़ियों के लिए उपयुक्त गिने जाते है. इसके अतिरिक्त मारवाड़ी भेड़ की नस्ल ऊन और मांस की उत्तमता के लिए प्रसिद्ध है.

6. वृहद हरियाणवी क्षेत्र—यह क्षेत्र राज्य के उत्तरी-पूर्वी भाग से दक्षिण-पूर्वी भाग तक फैला है जिसमें मुख्यत: अलवर, झुन्झुनु, जयपुर, टोंक, सीकर, भरतपुर, गंगानगर तथा चुरू जिलों के भाग सम्मिलित किए जाते है. इस क्षेत्र में हरियाणवी नस्ल का गौवंश, चोकला, नाली और मार-वाड़ी नस्ल की भेड़ें, जमुना पारीं, बरबारी अलवारी और सिरोही नस्ल की बकरियां पाई जाती है. घोड़ों की मलानी नस्ल इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है.

7. मेवाती क्षेत्र—यह क्षेत्र दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश *के निकट पूर्वी राजस्थान में स्थित है. मेवाती नस्ल की* गाएँ 10 से 15 पौंड दूध प्रतिदिन देती है. मुर्रा भैंसे और बकरे-बकरियां इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण पशु सम्पदा है. भारी वर्षा के कारण वनस्पति खूब होती है.

8. राठ क्षेत्र—यह क्षेत्र उत्तर-पूर्वी राज्य में पंजाब के समीप है, यहां चौपायों की राठ नामक नस्ल छोटी जोतों और जुताई योग्य होती है जो 12 से 15 पौण्ड दूध प्रतिदिन देती है.

9. मालवी क्षेत्र—डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झाला-वाड़ व उदयपुर जिलों के दक्षिण-पूर्वी भाग तथा चित्तौड़ जिले के उत्तरी भाग को सम्मिलित किया जाता हैं. यहां की भैंसे मुर्रा नस्ल की भैंसों से कुछ घटिया होती है किंतु

सारणी १— तुलनात्मक क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं घनत्व 1981

राज्य/संघ	क्षेत्रफल (वर्ग कि मी.)	जनसंख्या	घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)
भारत	32,87,782	683,810,051	221
असम	78,523	19,902,826	254
आन्ध्र प्रदेश	2,76,814	53,403,619	194
उड़ीसा	1,55,782	26,272,054	169
उत्तर प्रदेश	2,94,413	110,858,019	377
कर्नाटक	1,91,773	37,043,451	183
केरल	38,864	25,403,217	654
गुजरात	1,95 984	33,980,905	173
जम्मू-कश्मीर	2,22,236	5,961,600	27
तमिलनाडू	1,30,069	48,297,456	371
त्रिपुरा	10,477	2,060,189	196
नागालैण्ड	16,527	773,281	47
पंजाब	50,362	16,669,755	331
पं. बंगाल	87,853	54,485,560	614
बिहार	1,73,876	69,823,154	402
मणिपुर	22,356	1,433,691	6[illegible]
मध्य प्रदेश	4,42,841	52,131,717	118
महाराष्ट्र	3,07,762	62,693,898	204
मेघालय	22,489	1,327,874	59
राजस्थान	3,42,214	34,102,912	100
सिक्किम	7,299	315,682	44
हरियाणा	44,222	12,850,902	291
हिमा. प्रदेश	55 673	4,237,589	76

दूध में चर्बी का प्रतिशत अधिक होता है. ढाक के पत्ते उनके लिए उत्तम भोजन है. इस क्षेत्र की लगभग आधी अर्थव्यवस्था पशुओं के उत्पादन पर निर्भर है. सोनादी नस्ल की भेड़ें काफी विख्यात है. बकरियां सिरोही नस्ल की मिलती है.

10. गीर क्षेत्र—राज्य के पूर्वी भाग में स्थित यह एक छोटा सा क्षेत्र है. इस नस्ल के पशुओं को रेंडा अथवा अजमेरा भी कहते है. गीर नस्ल दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जो औसतन 16 से 20 पौंड दूध प्रतिदिन देती है. बकरियों में मिश्रित नस्ल पाई जाती है भेड़ें मारवाड़ी नस्ल में पाई जाती है.

राज्य में गौवंश: भैंसें, बकरे-बकरियां, घोड़े सर्वाधिक संख्या में मालवी क्षेत्र में तथा फिर क्रमश: हरियाणवी क्षेत्र तथा सांचोरी या कॉकरेज क्षेत्र में पाये जाते है. भेड़ों में हरियाणवी क्षेत्र प्रथम, नागौरी क्षेत्र द्वितीय तथा सांचोरी या कॉकरेज क्षेत्र तृतीय स्थान पर है. ऊंटों संख्या क्रमश: हरियाणवी क्षेत्र, नागौरी क्षेत्र और थारपार का क्षेत्र में है.

सारणी २—राजस्थान एवं अन्य देशों का क्षेत्रफल

देश	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
राजस्थान राज्य	3,42,214
जापान	3,69,661
पोलैण्ड	3,12,520
इटली	3,01,225
युगोस्लेविया	2,55,804
जर्मन गणतन्त्र	2,48,553
ब्रिटेन	1,51,120
चेकोस्लोवाकिया	1,27,870
पुर्तगाल	91,971
श्रीलंका	65,610
बेल्जियम	30,513
इजराइल	20,700

सारणी ३—अरावली पर्वत श्रेणियों के प्रमुख शिखर

शिखर	ऊंचाई (मीटर में)
गुरु शिखर	1623
जरगा	1310
कुम्भलगढ़	1244
रघुनाथगढ़	1070
गोरम	936
सूंधा माता	930
तारागढ़	914

किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास उस क्षेत्र की जनसंख्या पर निर्भर होता है. प्राकृतिक साधनों का उपभोग श्रमपूर्ति पर आधारित होता है. प्राकृतिक साधन केवल आर्थिक विकास के अवसर मात्र प्रदान करते है जबकि श्रम शक्ति (मानव) का कार्य उनसे अधिकाधिक उत्पादन करना होता है. इसलिये किसी क्षेत्र या राज्य की जनसंख्या का अध्ययन एवं विश्लेषण करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है.

जयपुर और भरतपुर जैसे राज्य घरानों में 1872 से पहले भी जनगणना का कार्य किया जाता था लेकिन अब उनके बारे में प्रमाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं हैं. आधुनिक समय की पहली जनगणना 1871 में अजमेर-मेरवाड़ा के लिए की गई थी लेकिन प्रमाणिकता के अभाव में 1875 में इसी कार्य को पुनः करना पड़ा. इस प्रकार राजपूताना राज्य में पहला नियमित जनगणना कार्य1881 से प्रारम्भ होता है. लेकिन इस जनगणंना में सिर्फ आयु. धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान और व्यवसाय के बारे में ही जानकारियां प्राप्त की गई थीं जो कि अर्प्याप्त थीं. राजपूताना राज्य की प्रथम पूर्ण जनगणना 1901 में की गई है और उसके बाद प्रति दस वर्ष में की जाती रही है. इन सालों में जनगणना के तरीकों में अधिक व्यापकता तथा शुद्धता आई है. 1951 में स्वतंत्रता के बाद और राजस्थान बनने से उन आर्थिक आंकड़ों पर जोर दिया जा रहा है जो अन्य बातों के साथ-साथ पंचवर्षीय की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं.

(History of Census-asper old edition)

1981 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 342.62 लाख थी जबकि 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 257.66 लाख थी. अतः इन दस वर्षों के अन्तराल में 84.96 लाख की वृद्धि हुई. 1981 में राज्य में जनसंख्या के वृद्धि की दर 32.97 प्रतिशत रही जो कि देश के जनसंख्या वृद्धि (24.75 प्रतिशत) की दर से 8.22 प्रतिशत अधिक रही राज्य की कुल जनसंख्या में पुरूषों की संख्या 178.54 लाख और स्त्रियों की संख्या 164.08 लाख है. पुरुष कुल जनसंख्या के 52.11 प्रतिशत है तथा स्त्रियों का प्रतिशत 47.89 है 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या का औसत घनत्व 190 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है. जबकि 1971 में राज्य जनसंख्या का औसत घनत्व 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही था. पिछले दस वर्षो में राज्य में जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से 25 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है.

1981 की जनगणना के अनुसार पर राज्य में 201 शहर या नगर में तथा 47.124 गांव है. कुल जनसंख्या की 72.11 लाख जनसंख्या शहरों में तथा 270.51 लाख जनसंख्या गावों में रहती है.

जनसंख्या वृद्धि–

राजस्थान देश का नवाँ सबसे बड़ा राज्य है. देश के कुल क्षेत्रफल का 10.40 प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुवा है. जबकि राज्य में देश की केवल 5 प्रतिशत जनसंख्या ही निवास करती है. राज्य की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही. निम्न तालिका में 1901 से 1981 तक की जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि दर 1901 पर प्रतिशत वृद्धि दर्शायी गई है.

उक्त तालिका का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में 1901 से 1981 तक की जनगणना के आकड़ो को देखने से स्पस्ट होता है कि 1901 में राज्य की कुल जनसंख्या 103 लाख थी जो 1981 तक बढ़कर 342 लाख हो गई अर्थात 80 वर्षो में 239 लाख बढ़ी. प्रारम्भ के 50 वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि 56 लाख की हुई जबकि केवल 1971-81 को समयावधि में राज्य की जनसंख्या में 84 लाख की वृद्धि हुई जो प्रारम्भिक 50 वर्षो की वृद्धि से भी 28 लाख अधिक है. राज्य में

तालिका संख्या 1

जनसंख्या वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि तथा 1901 पर प्रतिशत वृद्धि

वर्ष	जनसंख्या (लाखों में)			प्रतिशत वृद्धि			1901 पर प्रतिशत वृद्धि		
	कुल	पुरूष	स्त्रियों	कुल	पुरूष	स्त्रियां	कुल	पुरूष	स्त्रियां
1901	103	54	49	—	—	—	—	—	—
1911	110	58	52	+6.70	+6.52	+6.90	+6.70	+6.52	+6.90
1921	104	55	49	−6.29	—5.58	—6.96	—0.01	+0.09	−0.55
1931	118	62	56	+14.14	+13.47	+14.89	+14.12	+14.00	+14.26
1941	139	73	66	+18.01	+18.08	+17.39	+34.68	+34.62	+34.75
1951	159	83	76	+15.20	+14.29	+16.20	+55.15	+33.85	+56.58
1961	201	105	96	+26.83	+27.07	+25.27	+95.80	+95.49	+96.14
1971	258	135	123	+27.83	+27.64	+28.04	+150.30	+149.53	+151.15
1981	342	178	164	+32.38	+31.53	+33.31	+231.34	+228.20	+233.81

Source : Census 1981 India : Rajasthan Facts and Figures.

जनसंख्या वृद्धि का क्रम 1981को छोड़कर निरन्तर बढ़ता ही रहा है. 1981 में जनसंख्या 110 लाख से घटकर 104 लाख रही.

जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत 1911 में 7.70 था जो 1921 में घटकर 6.29 हो गया लेकिन 1981 तक जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत बढ़ता ही रहा 1981 में जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत 32.38 था. जो कि 1901 से 1981 तक की वृद्धि में सर्वाधिक है.

राष्ट्रीय वृद्धि दर (24.75 की तुलना में राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर 32.38 राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक हैं. राज्य के पश्चिमी जिलों में वृद्धि विशेषकर असाधारण रही इस असाधारण वृद्धि के कारणों के सम्बन्ध में कोई वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत नही किया जा सकता है फिर भी कुछ कारणों में उच्च जन्मदर, निम्न मृत्यु दर, स्थानान्तरण, प्रवास, रोजगार शरणार्थियों आगमन की सुविधाऐं धनसंख्या की वृद्धि के मुख्य कारक कहे जा सकता है.

1901 की जनगणना में 58 लाख पुरुष व 52 लाख स्त्रियों थी. पुरूषों में वृद्धि की दर 1911 में 6.52 प्रतिशत थी जो 1981 में बढ़कर 32.53 प्रतिशत हो गई अर्थात वृद्धि दर में वृद्धि 25.01 प्रतिशत रही. इसी प्रकार स्त्रियों में वृद्धि दर 1911 में 6.90 प्रतिशत थी जो 1981 में बढ़कर 33.31 प्रतिशत हो गई अर्थात वृद्धि दर में वृद्धि 26.41 रही. कुल वृद्धि दर (पुरूष-स्त्रियों) 1901 में 6.60 प्रतिशत थी जो 1981 में बढकर 231.34 प्रतिशत हो गई. 1901 पर प्रतिशत वृद्धि पुरूषों में 228.20 हैं, स्त्रियों में रही वृद्धि दर 233.81 है.

उपरोक्त तालिका से राजस्थान की जनसंख्या से सम्बन्धित तथ्य स्पष्ट होते है कि राज्य के प्रत्येक जिले में जनसंख्या में वृद्धि हुई है. राज्य में 1971-81 में वृद्धि की दर 32-97 प्रतिशत थी. राज्य के 12 जिलों में श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, भरतपुर, जयपुर, जैसलमेर जोधपुर वाड़मेर जालोर बांसवाड़ा बूंदी व कोटा में राज्य की वृद्धि दर से अधिक वृद्धि की दर रही है. बीकानेर जिले में सबसे अधिक वृद्धि दर लगभग 48.08 प्रतिशत रही जबकि निम्न 14 जिलों में जिनमें झुन्झुनू, अलवर, सवाईमाधोपुर, सीकर, अजमेर, टौंक, नागौर, पाली,

Source : Census 1981 India

Census 1971—Series I Paper one of 1972 Final Population.

तालिका संख्या—2

जिलानुसार जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि तथा वृद्धि की दर

	जन संख्या 1981					जन संख्या 1971		
जिला	कुल जनसंख्या	पुरुष	स्त्रियां	कुल जनसंया	पुरुष	स्त्रियां	जनसंख्या	वृद्धि दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. श्री गंगानगर	20,350,68	1,089,134	9,46,834	13,94,011	7,43,892	6,50,119	1315.60	45.62
2. बीकानेर	848,749	4,48,752	3,99,997	5,73,148	30,439	2.72,710	446.70	48.08
3. चुरू	1,179,469	6,03,759	5,75,707	8,74,439	4,49,279	4.25,160	453.64	34.88
4. झुन्झुनू	1,211,583	6,19,813	5,92,280	9,29,230	4,81,873	4,47,357	354.90	30.39
5. अलवर	1,771,173	9,35,898	8,35,275	13,91,162	7,37,373	6,53,789	207.60	27.32
6. भरतपुर	1,884,132	1,028,749	8,55,383	14,90,206	8,10,026	6,80,180	210.03	36.43
7. सवाई माधोपुर	1,535,870	8,22,859	7,13,011	11,93,528	6,40,298	5,53,230	149.75	28.68
8. जयपुर	3,420,574	1,806,452	1,624,122	2,482,385	13,13,618	11,68,767	282.50	37.79
9. सीकर	13,77,245	710,778	675,467	1042,648	531,650	5,10,998	186.29	32.09
10. अजमेर	14,40,366	7,49,362	691,004	11,47,729	6,00,762	5,46,967	172.72	25.50
11. टोंक	7,83,635	4,06,530	377,105	6,25,830	3,27,806	2,98,024	200.24	25.21
12. जैसलमेर	2,43,082	1,34,204	1,08,878	1,66,761	92,135	74,626	222.66	45.77
13. जोधपुर	16,67,791	8,73,531	7,94,260	11,52,716	6,06,802	5,45,910	292.47	44.66
14. नागौर	16,28,662	8,31,985	7,96,684	12,62,157	6,49,865	6,12,292	210.87	29.04
15. पाली	12,74,504	6,54,884	6,19,720	9,70,007	4,97,462	4,72,540	223.60	31.39
16. बाड़मेर	11,18,892	5,87,648	5,31,244	7,74,805	4,10,648	4,64,157	257.50	44.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. जालोर	9,03,073	4,65,067	4,38,006	6,67,950	3,45,814	3,22,136	233.21	35.20
18. सिरोही	5,42,049	2,76,178	2,65,871	4,23,815	2,16,504	2,07,311	332.50	27.90
19. भीलवाड़ा	3,10,379	6,74,923	6,35,456	10,54,890	5,52,393	5,02,497	371.10	24.22
20. उदयपुर	23,56,959	11,91,909	11,65,050	18,03,680	9,21,733	8,81,947	326.99	30.68
21. चित्तौड़गढ	12,32,494	6,13,699	6,00,795	9,44,981	4,89,690	4,55,291	423.40	30.32
22. डूंगरपुर	6,82,845	3,33,951	3,48,894	5,30,258	2,63,116	2,67,142	583.00	28.78
23. बांसवाड़ा	8,86,600	4,46,837	4,39,763	6,54,586	3,30,891	3,23,695	443.17	35.44
24. बूंदी	5,86,982	3,11,022	2,75,960	4,49,021	2,38,158	2,10,863	242.69	30.72
25. कोटा	11,59,784	8,26,308	7,33,476	11,43,810	6,07,116	5,36,754	337.70	30.36
26. झालावाड़	7,84,998	4,07,522	3,77,476	6,22,001	3,24,040	2,97,961	310.30	26.21
राजस्थान	3,42,61862						232.83	32.97

सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तोड़गढ़ डूंगरपुर व झालावाडा में राज्य की वृद्धि दर से कम वृद्धि की दर रही. भीलवाडा जिले में राज्य की सबसे कम 24.22 वृद्धि की दर रही. टौंक व अजमेर व झालावाडा में वृद्धि की दर 25.21,25.50 व 26.21 प्रतिशत क्रमश रही.

तालिका से राज्य के जिलों की पिछले 30 वर्षों की वृद्धि दर का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि जिन जिलों में पहले से ही जनसंख्या अधिक थी, जहां लोग कृषि, व्यापार व व्यवसाय में संलग्न थे वहां जनसंख्या की वृद्धिदर कम रही जैसे सवाई माधोपुर 149.75 प्रतिशत, अजमेर 162.72 प्रतिशत सीकर 186.20 प्रतिशत टौंक 200.24 प्रतिशत, नागौर 210.87 पाली 223.83 अलवर 207,60 प्रतिशत भरतपुर 210.03 प्रतिशत वृद्धि हुई. इन जिलों में पिछले 80 वर्षों की वृद्धि दर 232.83 प्रतिशत से कम रही. जबकि कई जिलों में सिचाई, परिवहन की सुविधाओं का विकास, इन्दिरा गांधी नहर भूमि आंवटन से जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जैसे गंगानगर जिले में सिचाई व भू-आवंटन के कारण राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई ((1315.60 प्रतिशत) डूंगरपुर जिले में खनन व्यवसाय विकसित होने के कारण 583 प्रतिशत वृद्धि, चुरू व बीकानेर जिलों में कृषि व पशुपालन की सुविधाओं के साथ इन पर आधारित उद्योगों के विकसित होने के कारण 453.64 प्रतिशत व 446.70 प्रतिशत वृद्धि हुई.

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कृषि, खनिज, पशुधन, पर्याप्त है, सिंचाई की को निरन्तर विकसित किया जा रहा है अतः ऐसी है कि निकट भविष्य में राज्य का तीव्र गति से औद्योगीकरण होगा तथा राज्य भविष्य में भी जनसंख्या की अपनी वृद्धि की दर को बनाये रखेगा.

क्षेत्रफल व घनत्व—

राजस्थान भारत के 22 राज्यों में से है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुवा है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.84 प्रतिशत है. जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में नवां स्थान है. 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 3,42,61,862 है जो देश की कुल जनसंख्य का लगभग 4.6 प्रतिशत है.

राज्य के विभिन्न जिलों में जनसंख्या का घनत्व प्रतिवर्ग किलोमीटर भिन्न भिन्न है. राज्य का औसत घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह घनत्व देश के पन्द्रह राज्यों से कम कम तथा छः राज्यों से अधिक है. भारत में जनसंख्या का घनत्व 1981 की जनगणना के अनुसार 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है. राज्य में जनसंख्या का घनत्व देश की जनसंख्या के घनत्व की तुलना में कम ही रहा इसकी पुष्टि निम्न तालिका से होती है.

तालिका संख्या 3

जनसंख्या का घनत्व 1901-1981

वर्ष	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1071	1981
राजस्थान	30	32	30	34	41	47	59	75	100
भारत	77	82	81	90	103	127	142	177	216

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है राज्य में जनसंख्या का घनत्व 1901 से 1981 तक देश की तुलना में कम ही रहा है 1901 में राज्य की जनसंख्या का घनत्व केवल 30 व्यक्ति वर्ष किलोमीटर था जबकि देश की जनसंख्या का घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति तथा देश की जनसंख्या का घनत्व 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था. राजस्थान की

जनसंख्या का घनत्व भारत तथा अन्य कई राज्यों की की अपेक्षा कम होने के कई आर्थिक भौगोलिक राजनैतिक तथा एतिहासिक कारण है.

आर्थिक दृष्टि से देखा जाय तो हम यह कह सकते है कि राज्य में आर्थिक अस्थिरता के कारण न तो राज्य में कृषि का पूर्ण विकास हो सका और न ही औद्योगीकरण कृषि व औद्योगीकरण के विकास के लिये जल व शक्ति (विद्युत पूर्ति) आवश्यक होते है जबकि राज्य में इन दोनों का ही अभाव रहा है परिणामस्वरुप राज्य प्रगति न कर सका. और राज्य के लोगों को जीवन निर्वाह के लिये अन्य स्थानों पर जाना पड़ा.

भौगोलिक दृष्टि ने राज्य का आधे से अधिक भाग रेगिस्तान है. रेगिस्तान होने के कारण लोगों को जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध नहीं होते अतः राज्य के इस भाग में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है जो कि लगभग 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है. राज्य में जैसलमेर जिले में जनसंख्या का घनत्व केवल 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है.

राजनैतिक दृष्टि से देखा जाय तो कहा जा सकता है कि आधुनिक राजस्थान के निर्माण के पूर्व राज्य कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था. इन छोटी रियासतों की राजनैतिक आत्मनिर्भरता में बाधक बनी हुयी थी, इसी प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है रियासतों के राजाओं के आपसी झगड़ों के कारण राज्य में आर्थिक स्थिरता न रह सकी.

राज्य के विभिन्न जिलों का क्षेत्रफल व घनत्व निम्न तालिका से स्पष्ट है.

तालिका संख्या 4

राजस्थान के जिले, क्षेत्रफल जनसंख्या व घनत्व

क्र.सं.	जिला	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.	जनसंख्या	घनत्व
1.	गंगानगर	20,634	20,29,968	98
2.	बीकानेर	27,244	8,48,749	31
3.	चुरू	16,830	11,79,466	69
4.	झुन्झुनू	5,928	12,11,583	202
5.	अलवर	8,380	17,71,173	213
6.	भरतपुर	8,100	18,84,132	232
7.	सवाई माधोपुर	10,527	15,35,870	146
8.	जयपुर	14,068	34,20,574	244
9.	सीकर	7,732	13,77,245	174
10.	अजमेर	8,481	14,40,366	171
11.	टोंक	7,194	7,83,635	108
12.	जैसलमेर	38,401	2,43,082	6
13.	जोधपुर	22,850	16,67,791	73
14.	नागौर	17,718	16,28,669	92
15.	पाली	12,387	12,74,504	104
16.	बाड़मेर	28,387	11,18,892	39
17.	जालौर	10,640	9,03,073	85
18.	सिरोही	5,136	5,42,049	106
19.	भीलवाड़ा	10,455	13,10,379	126
20.	उदयपुर	17,279	23,56,959	193
21.	चित्तौड़गढ	10,856	12,32,494	114
22.	डूंगरपुर	3,770	6,82,845	185
23.	बांसवाड़ा	5,037	8,86,600	177
24.	बूंदी	5,550	5,86,982	107
25.	कोटा	12,436	15.59,784	126
29.	झालावाड़	6,219	7,84,998	127
	राजस्थान	3,42239	3,42,61862	100

Source : Census 1981 India

ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या—

1981 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जन संख्या में ग्रामीण जन संख्या 270.6 लाख तथा नगरीय जन संख्या 72.11 लाख है. प्रतिशत की दृष्टि से राज्य की कुल जन संख्या का लगभग 79 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शेष 21 भाग नगरों में निवास करता है. जबकि 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जन संख्या 82.37 प्रतिशत था तथा नगरीय जन संख्या

तालिका संख्या-- 5

राजस्थान में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या 1901–1981

वर्ष	(लाख में)	ग्रामीण जनसंख्या	(लाखों में)	नगरीय जनसंख्या	कुल जनसंख्या
1901	87	8743434	16	1550655	103
1911	95	9506680	15	1475829	110
1921	89	8817313	15	1475:35	104
1931	100	10018769	18	1729205	118
1941	117	11646759	22	2117101	139
1951	130	13015499	29	2955275	159
1961	168	16874124	34	3281478	201
1971	212	21222045	46	4544761	258
1981	270	27051354	72	7210508	342

17.63 प्रतिशत थी अतः इन दस वर्षों में 3.37 प्रतिशत जन संख्या ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आई. राज्य में कुछ 18 जिले ऐसे हैं जहां ग्रामीण जन संख्या का प्रतिशत राज्य के ग्रामीण जन संख्या के प्रतिशत से अधिक है.

राजस्थान मूल रूप से एक कृषि व ग्रामीण राज्य है. राज्य में औद्योगिक विकास इतना अधिक नहीं हुआ है और औद्योगिक विकास इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है कि यह ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जन संख्या के अनुपात को प्रभावी रूप से वदल सके. राज्य की ग्रामीण जन संख्या लगभग 33,305 गांवों में निवास करती है. राज्य के गांवों में लगभग 60 प्रतिशत गांव तो ऐसे है जिनकी जन संख्या 500 व्यक्तियों से भी कम है. ऐसे गांवों की जन संख्या राज्य के कुल ग्रामीण जन संख्या का 28.8 प्रतिशत है.

राज्य की ग्रामीण जन संख्या में पुरुषों का प्रतिशत 55.5 है और स्त्रियों का भाग 44.5 प्रतिशत है जबकि नगरीय जन संख्या में पुरुषों का भाग 53.25 प्रतिशत व स्त्रियों का भाग 46.75 प्रतिशत है. स्पष्ट है पुरुषों का प्रतिशत ग्रामीण जन संख्या में नगरीय जन संख्या की तुलना में अधिक है.

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पिघले 80 वर्षों में राज्य की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है. 1001 में राज्य की कुल जनसंख्या 103 लाख थी जिसमें 87 लाख ग्रामीण जनसंख्या व लगभग 16 लाख नगरीय जनसख्या थी- जवकि 1681 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या है जिसमें 270 लाख ग्रामीण तथा 72 साख नगरीय जनसंख्या है पिछले दो दशक में नगरीय जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

साक्षरता—

देश के अन्य राज्यों की तुनना में राज्य में साक्ष-साक्षरता बहुत कम है. 1981 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता का औसत 36.2 प्रतिशत है जवकि राजस्थान में साक्षरता का औसत 24.38 प्रतिशत ही है. निम्न तालिका में राज्य के साक्षरता के स्तर की तुलंना देश के साक्षरता के स्तर को की गई हैं

तालिका संख्या—6

जिलानुसार राज्य की ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का वितरण

जिला	कुल जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या			शहरी जनसंख्या		
		कुल	पुरुष	स्त्रियां	कुल	पुरुष	स्त्रियां
1. गंगानगर	2029068	1611669	858484	758185	418299	229650	188649
2. बीकानेर	1848749	513664	369473	244191	335085	179297	155806
3. चुरु	1179466	334807	426844	407963	344659	176915	167744
4. झुन्झुनू	211583	960316	487753	472563	251267	131560	119707
5. अलवर	1771173	1574972	828920	746052	196201	206973	89233
6. भरतपुर	1884132	1562432	854557	707875	321700	174192	147508
7. सवाइ माधोपुर	1535870	1329780	712172	617608	206090	110687	95403
8 जयपुर	3420574	2170042	1136080	1033962	1250532	670372	580160
9 सीकर	1377245	1098309	558890	539419	278936	142888	136048
10 अजमेर	1440366	823960	422904	401056	616406	326458	289948
11 टोंक	783635	639791	331028	308763	143844	75502	68342
12 जैसलमेर	243082	210155	155337	94818	32927	18867	14060
13. जोधपुर	1667791	1087946	564220	523726	579845	309311	270534
14. नागोर	1628669	1391592	708084	683508	237077	123901	113176
15. पाली	1274504	1039739	530323	509416	234765	124461	110304
16. बाड़मेर	1118892	1020668	583976	486687	98229	53672	44557
17. जालोर	903074	830283	426328	403955	72730	38739	34051
18. सिरोही	54249	445048	224609	220439	97901	51569	45432
19. भीलवाडा	1310379	1121816	575947	345569	188563	98976	89587
20. उदयपुर	2356959	2001840	1003572	998268	355119	188337	166782
21. चित्तौड़गढ़	1232494	1070073	545730	523343	162421	85969	76452
22. डूंगरपुर	682845	738719	310724	327905	44126	23227	20899
23. बांसवाडा	886600	831413	417567	413964	55187	29370	25817
24. बूंदी	586982	487153	258241	228912	99829	52781	47048
25. कोटा	1159784	1061690	557407	504283	498094	407522	229193
26. झालावाडा	784998	693482	359384	334098	91516	48138	43378
राजस्थान	34261862	27051354	14013454	13037900	7210508	3840700	3369808

Source : Census 1981 India.

तालिका संख्या 7

राजस्थान और भारत में साक्षरता का प्रतिशत

वर्ष	राजस्थान	भारत
1901	3.47	7.35
1911	3.41	5.92
1921	3.25	7.16
1931	3.96	9.50
1941	5.46	16.10
1951	8.02	16.67
1961	15.21	24.02
1971	19.07	29.45
1981	24.38	36.23

Source : Census 1981 India—Rajasthan Facts & Figures.

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य के साक्षरता का स्तर हमेशा ही देश की तुलना में कम ही रहा देश के साक्षरता के स्तर में वृद्धि विशेप रूप से स्वतन्त्रता के बाद ही हुई.

गत 80 वर्षों में राज्य के साक्षरता की प्रवृति से यह स्पष्ट होता हैं कि 1901 में राज्य में साक्षरता की दर केवल 3.43 प्रतिशत थी जो 1981 में बढ़कर 24.38 प्रतिशत हो गई. स्पष्ट है 20.92 प्रतिशत की वृद्धि केवल 4.55 प्रतिशत की रही थी. जबकि स्वतन्त्रता पश्चात् 1951 में साक्षरता की दर 8.04 प्रतिशत थी जो 30 वर्षों में बढ़कर 24.38 प्रतिशत हो गई अर्थात् 16.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

तालिका संख्या–8

राज्य में पुरुषों व स्त्रियों के बीच साक्षरता

राज्य		कुल जन संख्या की दर			ग्रामीण जन संख्या की दर			नगरीय जन संख्या की दर	
राजस्थान		पुरुष	स्त्रियां		पुरुष	स्त्रियां		पुरुष	स्त्रियां
	24.36	36.30	11.42	17.99	29.65	5.49	48.35	60.55	34.45

Source : Census 1981 India

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की साक्षरता दर 29.65 प्रतिशत तथा स्त्रियों की साक्षरता पर 5.46 प्रतिशत है जबकि नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की साक्षरता दर 60.55 प्रतिशत तथा स्त्रियों की साक्षरता दर 34.45 प्रतिशत है.

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की औसत साक्षरता दर 17.99 प्रतिशत है जबकि नगरीय क्षेत्रों की औसत साक्षरता दर 48.35 प्रतिशत है. निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता के स्तर में बहुत अधिक अन्तर है।

राज्य के विभिन्न जिलों में भी साक्षरता दर में भिन्नता है. इसका अध्ययन निम्न तालिका से किया जा सकता है.

तालिका संख्या–9

जिलानुसार राज्य में साक्षरता स्तर

जिला	साक्षरता 1971	दर 1981
1	2	3
1. गंगानगर	20.19	26.03
2. बीकानेर	25.82	28.20
3. चुरू	18.96	21.86
4. झुन्झुनू	23.25	28.61
5. अलवर	19.73	26.53
6. भरतपुर	19.01	26.05
7. सवाई माधोपुर	16.29	23.23
8. जयपुर	23.73	31.40

1	2	3
9. सीकर	19.61	25.43
10. अजमेर	30.30	35.30
11. टोंक	15.36	20.56
12. जैसलमेर	13.41	15.80
13. जोधपुर	21.38	26.64
14. नागौर	15.09	19.38
15. पाली	17.20	21.87
16. बाड़मेर	10.58	12.29
17. जालोर	10.13	13.70
18. सिरोही	16.73	20.07
19. भीलवाड़ा	15.10	19.79
20. उदयपुर	17.41	22.01
21. चित्तौड़गढ	17.52	21.94
22. डूंगरपुर	14.31	18.52
23. बांसवाड़ा	12.42	16.85
24. बूंदी	16.01	20.14
25. कोटा	25.28	32.33
26. झालावाड़	17.56	22.11
राजस्थान	19.07	24.38

Source : Census 1981 India

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य के प्रत्येक जिले में 1971 की तुलना में 1981 मे साक्षरता दर में वृद्धि ही हुई है. राज्य के दस जिलों की साक्षरता दर राज्य के औसत साक्षरता दर से अधिक है. राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर अजमेर जिले की रही जो 35.30 प्रतिशत है. द्वितीय स्थान कोटा जिले का है जहां साक्षरता दर 32.33 प्रतिशत है. सबसे कम साक्षरता दर बाड़मेर जिले की जो 12.29 प्रतिशत हैं जो राज्य की औसत साक्षरता से आधी है. तत्पश्चात् जालोर व जैसलमेर जिले है जहां साक्षरता दर 13.70 प्रतिशत व 15.80 प्रतिशत क्रमशः है.

स्त्री-पुरुष अनुपात—

राज्य की कुल जनसंख्या 34261862 है कुल जनसंख्या में 17,854,154 पुरुष व 16,407,708 स्त्रियां है.

इस दृष्टि से राज्य में एक हजार पुरुषों के पीछे 912 स्त्रियां है. यह अनुपात देश की जनसंख्या में स्त्री पुरुष अनुपात 934 से कम है. जहां तक राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात का पिछले 80 वर्षों का विश्लेषण करें तो हम कह सकते है कि इस अनुपात में कुछ सुधार हुवा है. जो निम्न तालिका मे स्पष्ट है

तालिका संख्या 10

भारत व राजस्थान में स्त्री पुरुष अनुपात 1901-1981

वर्ष	भारत का स्त्री पुरुष अनुपात	राजस्थान का पुरुष अनुपात
1901	972	905
1911	962	908
1921	956	896
1931	952	907
1941	947	906
1951	948	921
1961	943	908
1971	931	911
1981	934	919

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि देश के स्त्री पुरुष अनुपात मे राज्य का स्त्री पुरुष अनुपात कम ही रहा है. 1901 में यह अनुपात 905 था अर्थात राज्य में 1000 पुरुषों के पीछे 605 स्त्रियां थी. 1921 को छोड़ कर सभी जनगणनाओं में इस अनुपात में क्रमशः निरन्तर वृद्धि होती रही जो 1971 में 911 व 1981 में 919 हो गया.

राज्य के विभिन्न जिलों में पुरुष अनुपात में भी भिन्नता रही है. जिसका अध्ययन निम्न तालिका से किया जा सकता है.

तालिका संख्या–11

जिलानुसार राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1961 - 71 1971-81

प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या

जिला	1961-71	1971-81
1. गंगानगर	874	874
2 बीकानेर	901	891
3. चुरू	946	954
4. झुन्झुनू	928	956
5. अलवर	887	892
6. भरतपुर	840	831
7. सवाई माधोपुर	864	876
8. जयपुर	890	894
9. सीकर	961	963
10. अजमेर	910	922
11. टोंक	909	928
12. जैसलमेर	810	811
13. जोधपुर	900	909
14. नागौर	942	958
15. पाली	950	946
16. बाड़मेर	887	904
17. जालोर	932	942
18. सिरोही	958	963
19. भीलवाड़ा	910	942
20. उदयपुर	957	977
21. चित्तौड़गढ	930	951
22. डूंगरपुर	1015	1045
23. बांसवाड़ा	978	984
24. बूंदी	885	887
25. कोटा	884	888
26. झालावाड़	920	926
राजस्थान	911	919

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बीकानेर भरतपुर तथा पाली जिलों में 1971 की तुलना में 1981 में स्त्री पुरुष अनुपात कम हुवा है बाकी शेष जिलों में स्त्री पुरुष अनुपात में वृद्धि ही हुई है. बीकानेर, चुरू, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, जैसलमेर बूंदी और कोटा जिलों में 1000 पुरुषों के पीछे 900 से भी कम स्त्रियां है.

स्त्री पुरुष अनुपात में सबसे कम अनुपात राज्य में जैसलमेर जिले का है जहां प्रति हजार पुरुषों के पीछे 811 स्त्रियां ही हैं. 1971 की जनगणना में भी जैसलमेर को ही यह स्थान प्राप्त था.

राज्य में डूंगरपुर ही एक मात्र जिला ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है इस जिले में स्त्री पुरुष अनुपात 1971 में 1015 व 1981 में 1045 रहा अर्थात इस जिले में प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 1015 व 1045 क्रमश रही है.

राज्य में चुरू, झुन्झुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ व बांसवाड़ा जिलो में स्त्री पुरुष अनुपात देश के स्त्री पुरुष अनुपात की तुलना में अधिक है.

कार्यशील जन संख्या—

राज्य के कुल जन संख्या का लगभग 30 प्रतिशत से कुछ अधिक भाग ही कार्यशील जन संख्या है तथा कुल जन संख्या है तथा कुल जन संख्या का लगभग 63 प्रतिशत भाग अकार्यरत है. 1981 की जन संख्या के अनुसार राज्य की कुल जन संख्या 34261,862 जिसमें 17,854154 पुरुष है तथा 16,407,708 स्त्रियां है. राज्य की कुल जन संख्या में 10,442268 कार्यशील जन संख्या है जिसमें 8912491 पुरुष तथा 1,529777 स्त्रियां है.

राज्य मे कार्यशील जन संख्या में 61.59 प्रतिशत काश्तकार cultivators 7.32 प्रतिशत खेतीहर श्रमिक (Agricultural labour), 3.26 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग में (Household, Industry, manufacturing Processing Service and repair) तथा 27.82 प्रतिशत अन्य (other workers) क्षेत्र में कार्यरत है पुरुषों की कुल कार्यशील जन संख्या का 60.70 प्रतिशत

तालिका संख्या–12

जिलानुसार कार्यशील जनसंख्या दर व विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिशत

जिला	मुख्य कार्यशील जनसंख्या की दर	मुख्य श्रमिकों को प्रतिशत वितरण			
		काश्तकार	खेतीहर मजदूर	पारिवारिक उद्योग	अन्य
1 गंगानगर	29.58	57.69	14.73	2.01	25.77
2 बीकानेर	29.31	52.92	2.60	2.98	41:45
3 चुरू	29.50	73.17	3.16	2.26	21.41
4 झुन्झुनू	25.04	61.14	4.78	3.66	30.42
5 अलवर	26.73	66.85	5.29	2.99	24.87
6 भरतपुर	27.27	68.58	6.08	2.37	23.02
7 सवाई माधोपुर	28.86	69.76	5.30	2.90	22.04
8 जयपुर	29.37	48.99	3.92	5.03	42.06
9 सीकर	24.62	61.82	4.40	4.59	29.19
10 अजमेर	35.83	46.93	7.16	3.47	42.44
11 टोंक	33.87	62.19	7.69	4.21	25.91
12 जैसलमेर	32.09	58.49	3.34	2.57	35.60
13 जोधपुर	30.60	58.93	4.85	2.36	33.36
14 नागोर	33.11	71.36	5.63	3.55	15.56
15 पाली	32.07	51.65	15.90	5.34	27.11
16 बाड़मेर	31.85	78.28	2.83	2.75	13.16
17 जालोर	29.41	69.26	11.47	3.72	15.56
18 सिरोही	29.46	42.72	16.06	4.51	36.37
19 भीलवाड़ा	38.50	68.45	5.34	2.69	23.03
20 उदयपुर	30.13	65.18	5.84	2.57	20.61
21 चित्तौड़गढ	37.81	69.68	7.06	2.43	20.63
22 डूंगरपुर	27.19	71.81	8.07	2.38	17.74
23 बांसवाड़ा	27.97	75.29	6.43	2.14	16.14
24 बूंदी	33.93	59.43	9.83	2.83	28.11
25 कोटा	30.40	40.17	14.70	3.18	40.80
26 झालावाड़	35.96	65.28	14.80	2.99	16.93
राजस्थान	30.40	61.59	7.32	3.28	27.83

Source : census 1981 Indla

कृषि कार्य में 5.89 प्रतिशत खेतीहर श्रमिक तथा 3.33 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग तथा 33.08 प्रतिशत अन्य क्षेत्र में कार्यरत है. स्त्रियों की कुल कार्यशील जन संख्या का 66.75 प्रतिशत कृषि क्षेत्र, 15.67 प्रतिशत खेतिहर श्रमिक, 2.82 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग तथा 14.76 प्रतिशत अन्य क्षेत्र में कार्यरत है.

राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यशील जन संख्या की दर भी भिन्न भिन्न है. जिलों में कार्यशील जन संख्या की दर तथा उनका विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिशत का अध्ययन तालिका संख्या 12 से किया जा सकता है.

तालिका संख्या 12 से स्पष्ट है कि जिला स्तर पर भीलवाडा जिले में सबसे अधिक अनुपात लगभग 38.50 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या का है जबकि सबसे न्यूनतम 24.62 प्रतिशत सीकर जिले का है। राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि तथा अन्य आर्थिक कार्यों में संलग्न श्रमिकों के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या का 61.59 प्रतिशत कृषि कार्यों में तथा 7.32 प्रतिशत खेतीहर मजदूर के रूप में, घरेलू उद्योग में 3.28 प्रतिशत तथा 27.83 प्रतिशत अन्य उत्पादक और आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है.

आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि कार्यशील जनसंख्या का निम्नतम प्रतिशत 40.17 कोटा में तथा अधिकतम प्रतिशत 78.28 बाड़मेर जिले में काश्तकार के रूप में है। खेतीहर मजदूरों का निम्नतम प्रतिशत 2.60 व 2.83 क्रमशः बीकानेर व बाड़मेर में तथा अधिकतम प्रतिशत 16.06 व 15.90 सिरोही व पाली जिलों में हैं। घरेलू उद्योगों में काम करने वालों का निम्नतम प्रतिशत 2.01 गंगानगर तथा अधिकतम प्रतिशत 5.34 पाली जिलों में है. अन्य काम करने वालों में न्यूनतम प्रतिशत 13.16 बाडमेर व अधिकतम प्रतिशत 42.44 व 42.04 क्रमशः अजमेर व जयपुर जिलों में है.

आंकड़ों की सत्यता के सम्बन्ध में यह कह सकते हैं कि औद्योगिक दृष्टि से विकसित होने के कारण कोटा जिले में काश्तकारों का प्रतिशत कम है. बीकानेर व बाडमेर में कृषि कार्य परिवार तक सीमिति होने तथा पशुपालन बड़े पैमाने पर होने के कारण खेतीहर मजदूरों

तालिका संख्या 13

राज्य की नगरीय जनसंख्या, विषमता, प्रतिशत विषमता, कुल जनसंख्या का नगरीय प्रतिशत 1901-1981

वर्ष	नगरीय जनसंख्या हजारों में	विषमता हजारों में	विषमता का प्रतिशत	1901 से विषमता का प्रतिशत	कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत
1901	1551	—	—	—	15.06
1911	1476	—75	—4.83	—4.83	13.44
1921	1475	—1	—0.03	—4.86	14.33
1931	1729	+254	+17.21	+11.51	14.72
1941	2117	+388	+22.43	+36.53	15.27
1951	2955	+838	+39.59	+90.58	18.50
1961	3281	+326	+11.04	+111.62	16.28
1971	4544	+1263	+38.47	+193.02	17.63
1981	7140	+2596	+57.15	+360.48	20.93

का प्रतिशत कम पाया जाता है. जबकि सिरोही व पाली जिलो में इस कार्य में अधिक जनसंख्या संग्लन है. घरेलु उद्योग व अन्य कार्यों में अजमेर व जयपुर जिले प्रमुख हैं क्योंकि इन जिलों में औद्योगिक क्रियाएं अधिक विकसित हुई है जिसके कारण अन्य कर्मो के लिये बहुत अवसर उपलब्ध है.

नगरीय शहरी करण Urbanisation

देश के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी नगरीय जनसंख्या तेजी से बढ रही है. 1971 की जनगणना में राज्य की नगरीय जनसंख्या 17.63 थी जो 1981 में बढकर 20.93 प्रतिशत हो गई इस प्रकार 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई. देश में राजस्थान नगरीयकरण की दृष्टि से दसवें स्थान पर है.

पिछले 80 वर्षों में नगरीय जनसंख्या 16 लाख से बढकर 72 लाख हो गई. दूसरों शब्दों में राज्य में नगरीय जनसंख्या में साढे चार गुणा की वृद्धि हुई है. 1901 से 1951 तक नगरीय जनसंख्या में केवल 4 लाख की वृद्धि हुई थी जबकि 1951 से 1981 तक 30 वर्षों में वास्तविक वृद्धि 42 लाख की हुई जो कि प्रथम पचास वर्षों की वृद्धि की तुलना में तीन गुणी है 1971-81 के दस वर्षों में लगभग 26 लाख की वृद्धि हुई है.

निम्न तालिका में 1901 से राज्य में नगरीयकरण की प्रवृति को स्पष्ट किया गया है.

तालिकासंख्या 13 से स्पष्ट है कि पिछले 80वर्षों में राज्य की नगरीय जनसंख्या 16 लाख से बढ़कर 72 लाख हो गई जो लगभग साढ़े चार गुणा है.

राज्य के सभी बड़े शहर जिनकी जनसंख्या एक लाख से ऊपर है (Class I) उनकी जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है. इस श्रेणी के नगरों में वृद्धि की दर निम्न तालिका से स्पष्ट है

तालिका संख्या 14

राज्य के प्रमुख शहरों की वृद्धि की दर

शहर	वृद्धि की दर 1961-71	स्थान	वृद्धि की दर 1971-81	स्थान
1. जयपुर	55.17	2	57.78	2
2. जोधपुर	41.31	4	55.41	3
3. अजमेर	14.29	7	41.64	5
4. कोटा	76.98	1	62.88	1
5. बीकानेर	25.26	6	34.21	7
6. उदयपुर	45.11	3	42.46	4
7. अलवर	38.06	5	39.45	6

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कोटा शहर में 62.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि अन्य शहरों की वृद्धि दर से सर्वाधिक है. अतः नगरीयकरण की दृष्टि से इसका स्थान प्रथम है यही स्थान 1971 की जनगणना में कोटा का ही था. जयपुर में 57.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई नगरीयकरण की दृष्टि से जयपुर का स्थान दूसरा रहा. यही स्थान 1971 की जनगणना में जयपुर का था. दूसरे शब्दों में इन शहरों ने 1971 में नगरीयकरण के क्रम में अपने पूर्ववत स्थान को बनाये रखा. जबकि जोधपुर में 55.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई. 1971 में वृद्धि 41.31 प्रतिशत की थी. नगरीयकरण की दृष्टि से 1971 में जोधपुर का स्थान 4 था जो 1981 की जनगणना के अनुसार 3 हो गया.

अजमेर का नगरीयकरण की दृष्टि से 1971 से सांतवा स्थान जो 1981 की जनगणना के अनुसार पांचवा हो गया. उदयपुर नगरीयकरण की दृष्टि से 1971 मे तीसरे नम्बर पर था जो 1981 में चौथे स्थान पर आ गया. इसी प्रकार अलवर व बीकानेर के स्थानों में परिवर्तन हुवा है.

1981 की जनगणना के अनुसार राज्य में 201 नगरीय केन्द्र है. जबकि 1971 में इनकी संख्या 151 थी अर्थात 1971-81 के दस वर्षों में 44 नगरों की वास्तविक वृद्धि हुई. राज्य में नगरीयकरण की प्रवृति व नगरो की संख्या तथा नगरों में जनसंख्या प्रतिशत निम्न तालिका से स्पष्ट है

तालिका 15

राज्य में नगरों का विकास 1901-1981

राज्य में नगरों का विकास 1901-1981									
नगर की श्रेणी	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981
I (1,00,000 व अधिक)	1	1	2	2	4	4	6	7	11
II (50,000-99,999)	4	3	2	2	2	4	4	7	11
III (20,000-49,999)	8	9	7	9	13	20	23	31	52
IV (10,000-19,999)	26	24	20	26	28	37	52	64	98
V (5000-9999)	64	60	58	64	74	96	51	38	22
VI (5000 से कम)	32	41	58	47	36	66	9	4	1

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में प्रथम चार श्रेणी के नगरों में 1901 से 1981 तक निरन्तर वृद्धि होती जा रही है. जबकि पांचवी श्रेणी एवं छटी श्रेणी के नगरों की संख्या में कमी हुई है. इस होने वाली कमी के सम्बन्ध में यह तर्क उल्लेखनीय है कि जनसख्या में प्राकृतिक वृद्धि एवं औद्योगिक विकास होने के कारण इन श्रेणी के नगरों की जन संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण इन्हे उपर की श्रेणी के नगरों मे स्थान प्राप्त हो जाता है.

कुल जनसंख्या के संदर्भ मे जनसंख्या का अनुपात जो प्रथम श्रेणी के नगरो में निवास करता है 1081 में इसका 46.5 प्रतिशत रहा. केवल 10.1 प्रतिशत जनसंख्या द्वितीय श्रेणी के नगरो में निवास करती है. छटी श्रेणी के नगरो में केवल 0.1 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है.

नये जुडने वाले नगरों में से 26 नगर ऐसे हैं जिन्हें 1971 की जनगणना में नगर माना था लेकिन वाद में उन्हें अवर्गीकृत कर दिया गया. इन्हें 1981 की जनगणना में नगर का स्तर दे दिया गया.

राज्य में सभी प्रकार के 179 नगर और कस्बे है जिनका विस्तृत उल्लेख तालिका संख्या 16 में प्रस्तुत किया गया है.

I—100000 & above II—50,000 to 99,999
III 20,000 to 49,999

तालिका संख्या—16

राजस्थान के नगर व कस्बे एवम् उनकी जनसंख्या

क्र.सं.	नगर/कस्बा	जिला	जनसंख्या	नगर की श्रेणी
1.	गंगानगर		1,21,516	I
2.	हनुमानगढ़		59,534	II
3.	सूरतगढ		29,549	III
4.	रावतसर		25,914	III
5.	नोहर		22,680	III
6.	भादरा		22,568	III
7.	बीकानेर	बीकानेर	2,48,716	I
8.	गगाशहर		21,193	III
9.	नोखा		24,085	III
10.	राजगढ़		30,379	III
11.	सरदारशहर		56,481	II
12.	चुरू		6?,061	II
13.	डूगरगढ़		29,056	III
14.	रतनगढ़		43,366	III
15.	सुजानगढ़		55,546	II

क्र.सं.	नगर/कस्बा	जिला	जनसंख्या	नगर की श्रेणी
16.	झुन्झुनू		47,481	III
17.	चिड़ावा		20,878	III
18.	नवलगढ़		38,719	III
19.	खैरथल	अलवर	25,929	III
20.	अलवर		1,39,973	I
21.	डीग		28,085	III
22.	भरतपुर		1,05,239	I
23.	बयाना		20,672	III
24.	बारी	धौलपुर	27,398	III
25.	धौलपुर		43,771	III
26.	हिन्डौन		42,706	III
27.	गंगापुर	सवाई माधोपुर	46,025	III
28.	करौली		37,908	III
29.	सवाई माधोपुर		59,070	III
30.	मान टाउन		30,935	III
31.	कोटपुतली	जयपुर	21,715	III
32.	चौमू		28,805	III
33.	जयपुर		9,66,677	I
34.	सांगानेर		21,938	III
35.	दौसा		27,142	III
36.	फतेहपुर		51,082	II
37.	लछमनगढ़		29,215	III
38.	सीकर		1,02,946	I
39.	अजमेर		3,74,350	I
40.	नसीराबाद		27.001	III
41.	किशनगढ़	अजमेर	61,991	II
42.	ब्यावर		90,007	II
43.	केकड़ी		20,392	III
44.	टौंक		77,655	II
45.	जैसलमेर	जैसलमेर	20,355	III
46.	फलोदी	जोधपुर	28,534	III
47.	जोधपुर		4,93,609	I
48.	पीपाड़		21,242	III
49.	बिलाड़ा		24,006	III
50.	नागौर	नागौर	48,009	III
51.	लाडनू		36,009	III
52.	डीडवाना		22,994	III
53.	कुचामन		26,880	III
54.	मकराना		40,669	III
55.	मेड़ता		22,112	III
56.	सोजतसिटी		24,292	III
57.	पाली		90,711	II
58.	बाड़मेर	बाड़मेर	53,527	II
59.	बालोतरा		28,099	III
60.	जालोर	जालोर	24,099	III
61.	भीनमाल		24,333	III
62.	सिरोही		23,906	III
63.	आबूरोड़		31,268	III
64.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	1,22,338	I
65.	राजसमन्द		27,381	III
66.	नाथद्वारा		24,750	III
67.	उदयपुर		2,29,762	I
68.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	44,994	III
69.	नीम्बाहेड़ा		27,760	III
70.	प्रतापगढ़		22,911	III
71.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	27,551	III
72.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	48,065	III
73.	बून्दी		48,052	III
74.	लाखेरी		20,071	III
75.	बारा		42,014	III
76.	कोटा		3,46,928	I
77.	झालावाड़	झालावाड़	29,240	II

Source : Census India 1981, Rajasthan Facts & Figures.

राज्य में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि केवल औद्योगिक विकास के कारण ही नही हुई वरन वृद्धि अंशतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्म निर्भरता, अंशतः गांवों का बाजार के रूप में विकसित होना और अंशतः राज्य में व्यापार सन्देशवाहन व संचार तथा उद्योग के विकास के कारण रही है.

प्राचीन भू भाग

राजस्थान के इतिहास का क्रमवद्ध निरूपण करने के पहले हम यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि अंग्रेजों के आगमन पर ही इस क्षेत्र को इकाई के रूप में राजपूताना कह कर सम्वोधित किया जाने लगा था. कर्नल टॉड ने यत्र-तत्र इसके लिए राजस्थान (रायथान) शब्द का प्रयोग किया है. इसका कारण यह था कि उस समय भरतपुर को छोड़कर समस्त क्षेत्र राजपूत राजाओं के अधीन था. अतः अंग्रेजों ने इस प्रदेश का नाम राजपूताना रखा याने राजपूतों का देश. इसके पहले यह क्षेत्र किसी एक नाम से प्रसिद्ध हुआ हो ऐसा उदाहरण नहीं मिलता. इसके कितने ही भागों के, प्राचीन काल में तथा मध्ययुग में, समय-समय पर भिन्न-भिन्न नाम थे और कुछ विभाग अन्य प्रदेशों के अन्तर्गत थे. वर्तमान वीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश के अन्तर्गत थे. इसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर (वर्तमान नागौर) थी. वही देश चौहानों के राज्य काल में सपादलक्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ. कालान्तर में इसकी सीमा में वृद्धि हुई-पहले इसकी राजधानी सांभर (शाकंभरी) और फिर अजमेर वनी. प्राचीन काल में अलवर का उत्तरी भाग कुरु राज्य में, दक्षिणी-पश्चिमी भाग मत्स्य देश में और पूर्वी विभाग शूरसेन के अन्तर्गत थे. भरतपुर धौलपुर और करौली के क्षेत्र अधिकांश शूरसेन राज्य के भाग थे. राजपूत काल में जयपुर क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा गया. उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिवि देश था. इसकी राजधानी माध्यमिका नगरी (चित्तौड़ के निकट) थी. वाद में इस प्रदेश को मेदपाट (मेवाड़) व प्राग्वाट के नाम से सम्वोधित किया जाने लगा. डूंगरपुर और वांसवाड़ा राज्यों का प्राचीन नाम वागड़ (वागंट) रहा. जोधपुर क्षेत्र को मरु और फिर मरुवार और मारवाड़ कहा जाने लगा। जैसलमेर राज्य का पुराना नाम माड़ था. जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुर्जरत्रा कहते थे और सिरोही के हिस्से की गणना अर्वुद (आवू) देश में होती थी. प्रतिहारों के समय मालानी व वाड़मेर का क्षेत्र त्रवणी के नाम से प्रसिद्ध था. कोटा और वून्दी के क्षेत्र पहले सपादलक्ष के भाग थे. फिर इन्हें हाड़ोती के नाम से पुकारा जाने लगा. झालावाड़ राज्य और टोंक के छवडा, पिरावा तथा सिरोंज के प्रदेश मालवा देश में सम्मिलित थे.

प्रागैतिहासिक कालीन राजस्थान--पुरातत्वज्ञों का मत है कि भारत में मानव इतिहास का प्रारम्भ सम्भवतः पाँच लाख वर्ष पूर्व हो गया था. राजस्थान भारत का ही एक अंग रहा है. राजस्थान के दक्षिण पूर्व में वनास, वैड्च, गम्भीरी, वागान आदि नदियों का सर्वेक्षण किया गया. इन नदियों के क्षेत्र से प्राप्त अनगढ और भौंडे पत्थर के औजार यहाँ पुरापापाण युग की ओर संकेत करते हैं. इसी प्रकार के हथियार चम्बल घाटी, भानगढ़ (अलवर) क्षेत्र व वैराठ के निकट धींगरा गाँव में भी उपलब्ध हुए हैं. पुरातत्ववेताओं की धारणा है कि इन क्षेत्रों में लगभग एक लाख वर्ष पहिले मानव निवास करने लगा था। लूनी नदी की घाटी से प्राप्त प्राचीन उपकरणों के आधार पर वी. एन. मिश्रा ने निश्चित किया है कि यहाँ पापाण यूगीन सभ्यता का विकास हुआ.

कालान्तर में पूर्वी व पश्चमी राजस्थान में लघुनव-पापाण संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। इस संस्कृति का विकास सरस्वती नदी की घाटी में हुआ. इसके अतिरिक्त अजमेर, टौंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़, पाली और उदयपुर जिलों में भी लघुपापाण युगीन उपकरण प्रकाश में आये हैं।

उपर्युक्त प्रस्तर युगीन स्तर से मानव शनैः शनैः आगे वढ़ा. ऋग्वैदिक काल से कई सदियों पूर्व दृषद्वती और सरस्वती (गंगानगर जिले में) और आहड़ (उदयपुर) के निकट नदियों के क्षेत्रों में मानव संस्कृति सक्रिय थी जो कुछ अंशों में हड़प्पा तथा मोहनजोदडो सभ्यता

के समकक्ष तथा समकालीन थी. आज से पाँच-छः हजार वर्ष पहले इन नदी-घाटियाँ में बस कर मानव पशु-पालन व कृषि करने लगा था. भाण्ड बनाने, खिलौने तैयार करने, मकान निर्माण करने आदि कलाओं से यहाँ के निवासी को जानकारी थी. राजस्थान में इस प्रस्तर-धातु, सभ्यता के प्रमुख केन्द्र कालीबंगा और आघाटपुर या आहड़ रहे।

गंगानगर जिले में कालीबंगा के निकट की गई खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से प्रमाणित है कि यहाँ की सभ्यता बड़ी विकसित थी. इसकी तुलना विश्व की किसी भी प्राचीन सभ्यता से की जा सकती है । यह राजस्थान के लिए एक गौरव की घटना हो गई है. पुरातत्त्वज्ञों व इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिन्धु घाटी साम्राज्य के दो प्रान्तीय राजधानियें थी. सम्भवतः कालीबंगा किसी तीसरे प्रान्त की राजधानी रही हो. अभाग्यवश ऐसी समृद्ध सभ्यता के केन्द्र का ह्रास हो गया. सम्भवतः भूकम्प व किसी अन्य कारण से ऐसा हुआ होगा.

आहड़ की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से प्रमाणित है कि यह नगर दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान की सभ्यता का केन्द्र था. यहाँ के मकान पत्थर के बने थे. यहाँ के लोग कृषि करते थे. उन्हें बर्तन बनाने की कला से जानकारी थी. इनके आभूषण सीप, मूंगा, बीज तथा मूल्यवान पत्थरों के होते थे. इनके औजार पत्थर के बजाय तांबे के बनते थे. यह सभ्यता, ऐसा प्रतीत होता है कि आहड़ के उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व की ओर बढी जैसा कि गिलूंड (उदयपुर से 40 मील उत्तर-पूर्व) और भगवान-पुरा से मिलने वाली सामग्री से सिद्ध है. आगे-चलकर इन स्थानों की सभ्यता मालवा और सौराष्ट्र के सम्पर्क में आई. पुरातत्त्ववेत्ता इस बात से सहमत है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ों के समय के प्रागैतिहासिक अवशेष राजस्थान के अधिकांश भाग में उपलब्ध होते हैं।

राजस्थान में आर्यो की बस्तियां—विद्वानों की ऐसी धारणा है कि आर्य लोग दृषद्वती और सरस्वती नदियों के किनारों पर दीर्घ काल तक निवास करते रहे. इन्द्र और सोम की अर्चना सम्बन्धी मन्त्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता का भान और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यो को इन्हीं नदियों की घाटियों में रहते हुआ था. ऋग्वेदिक काल के प्रसिद्ध राजा भरत का राज्य सरस्वती नदी के किनारों पर स्थित था. उसके प्रतिद्वन्द्वी शासक भी इसी क्षेत्र के आस-पास निवास करते थे. कालान्तर में आर्यों का दोआब व पूर्व के अन्य क्षेत्रों में प्रसार हुआ. अतः यह मान्यता रही है कि प्रारम्भिक वैदिक काल में राजस्थान के उत्तरी भाग (अनूपगढ़ व भाद्रा आदि के क्षेत्र में) आर्यो का निवास था.

महाकाव्य कालीन राजस्थान—पुरातत्त्वज्ञों की मान्यता है कि राजस्थान में जहां अब रेगिस्तान है वहां पहले समुद्र लहराता था. परन्तु किन्हीं प्राकृतिक कारणों से यह क्षेत्र रेतीला और निर्जल बन गया जिसे पहले मरुकांतर के नाम से सम्बोधित करते थे. सीप, शंख. कौड़ी आदि का परिवर्तित पाषाणरूप (Forsils) यत्र-तत्र यहां आज भी मिलना इस कल्पना को पुष्ट करता है. रामायण में उल्लेख मिलता है कि रामचन्द्र ने अमोघ बाण इधर फेंका था जिससे समुद्र के स्थान पर मरुकांतर हो गया. इसके अतिरिक्त ऐसा कहा जाता है कि राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने चौदह वर्ष के वनवास के समय विंध्याचल में स्थित दंडकवन की यात्रा की तब उन्होंने वर्तमान जयपुर के दक्षिण पूर्व की ओर स्थित रामेश्वर तीर्थ पर एक रात्रि व्यतीत की थी।

महाभारत से ज्ञात होता है कि राजस्थान का जांगल देश (बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी क्षेत्र) कुरु व पांडवों के राज्य के अन्तर्गत था और मत्स्यदेश उनके अधीन या उनका मित्र राज्य था. मत्स्यराज्य में उस समय जयपुर, अलवर व भरतपुर के क्षेत्र सम्मिलित थे. इसकी राजधानी विराट (वर्तमान बैराठ) थी. पांडवों ने अपने वन प्रवास का तेरहवां वर्ष भेष बदल कर तथा कृत्रिम नाम धारण कर मत्स्यदेश के राजा विराट के यहां व्यतीत किया था. कीचक वध और उत्तरा-अभिमन्यु विवाह सम्बन्धी घटनाओं का इसी क्षेत्र से सम्बन्ध रहा. महाभारत व पौराणिक गाथाओं से ज्ञात होता है कि यादव नेता कृष्ण और बलराम जांगल और मरुकांतर आदि भागों से गुजरे थे. पुष्करारण्य

और अर्बुदाचल की महत्वपूर्ण तीर्थों में गणना होती थी.

मौर्य वंश—महाभारत के युद्ध के पश्चात् चन्द्रगुप्त द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना होने तक राजस्थान के प्राचीन इतिहास की जानकारी नहीं के बराबर ही है. मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य (321-297 ई. पू.) का साम्राज्य काठियावाड़ व सिंधु से गंगा के मुख तक और हिमाचल से विन्ध्यांचल के दक्षिण तक फैला हुआ था. सम्भवतः राजस्थान भी मौर्य साम्राज्य का एक अंग रहा. चन्द्रगुप्त के पौत्र अशोक (268-232 ई. पू) के काल के दो अभिलेख (भाब्रू लेख एक पाषाण-फलक पर उत्कीर्ण और भीम डूंगरी शिलालेख) वैराठ में प्राप्त हुए हैं. इससे यह निश्चित है कि अशोक का यहां आधिपत्य था. रेड में प्राप्त मुद्राओं से भी इसकी पुष्टि होती है. अशोक के एक उत्तराधिकारी संप्रति का नाम राजस्थान के कतिपय जैन मन्दिरों से जुड़ा हुआ है. यद्यपि संप्रति के वंश का राजस्थान से सम्बन्ध रखने वाला क्रमवद्ध इतिहास नहीं मिलता तथापि राजस्थान में विक्रम की आठवीं शताब्दी तक मौर्यों का कहीं-कहीं राज्य होना प्रमाणित है. ऐसा प्रसिद्ध है कि चित्तौड़ का किला मौर्य राजा चित्रांग (चित्रांगद) द्वारा निर्मित है. किले में चित्रांग तड़ाग स्थित है. कर्नल टॉड ने मौर्यवंशी राजा मान का उल्लेख किया है. गुहिल वंशी राजा वापा (कालभोज) ने मान मोरी से चित्तौड़गढ़ जीता था. कोटा के निकट कणसवा (कण्वाश्रम) के शिलालेख से (738 ई.) मौर्यवंशी राजा धवल का पता चलता है.

पूर्व गुप्तकालीन राजस्थान—मौर्योत्तर काल में भारत में यवनों के अनेक आक्रमण हुए. मिनान्डर और एँफेलोडॉटस का सम्बन्ध राजस्थान से रहा. पुष्यमित्र शुंग के समकालीन आचार्य पतञ्जली ने अपने महाभाष्य में लिखा है 'अरुणद यवनो माध्यमिकाम' याने यवनों ने माध्यमिका (नगरी) पर घेरा डाला. पुष्यमित्र ने यवनों को पराजित कर सिन्धु के किनारे तक उन्हें खदेड़ दिया था वहीं वाद में एक वार पुनः पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया. ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान के कुछ भाग पर यवनों का अधिकार हो गया था, परन्तु पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें परास्त कर वहां पुनः शुंग शासन की स्थापना की.

300 ई. पू के पश्चात राजस्थान में जनपदों का प्रादुर्भाव होने लगा था. सिकन्दर व अन्य विदेशी आक्रमणकारियों से उत्पीड़ित अपने स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने हेतु दक्षिण पंजाव की मालव, शिवि, आर्जुनायन, आभीर आदि अनेक जातियां राजस्थान में प्रवेश हुई और सुविधानुसार विभिन्न क्षेत्रों में वस गयीं. भरतपुर का राजन्य जनपद और मत्स्य जनपद नगरी का शिवि जनपद और अलवर का शाल्व जनपद विशेष उल्लेखनीय है. मालव, अजमेर, टोंक तथा मेवाड़ के क्षेत्र तक फैल गये. भरतपुर-अलवर प्रदेश के आर्जुनायन भी अपनी विजय श्री के लिए वड़े प्रसिद्ध हैं. इनकी मुद्राओं पर 'आर्जुनायना नां जय' अंकित मिलता है इन्होंने शक क्षत्रपों को परास्त करने में मालवों को सहयोग प्रदान किया था. मालवों की मुद्राओं पर भी 'मालवानां जय' लेख अंकित है. राजस्थान के उत्तरी भाग में यौधेय वलशाली गणतंत्रीय जाति थी. रूद्रदामन के 150 ई. के. लेख से स्पष्ट है कि यौधेयों ने कुषाण शक्ति को नष्ट करने में वड़ी भूमिका निभाई थी.

आभीर दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में निवास करते थे. इनका उल्लेख प्रतिहार शासक (मंडोर) कक्कूक के घटियाला अभिलेख में हुआ है. अतः यह प्रमाणित है कि पूर्व गुप्तकालीन राजस्थान शुंगों के पतन के वाद अनेक छोटे-छोटे गणतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था.

यवनों के पश्चात कुषाणों और शकों का देश में प्रसार होने लगा था. प्रथम शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में कुषाण शक्ति का विकास हुआ. सुई विहार के अभिलेख से प्रमाणित है कि कनिष्क के काल में कुषाण राज्य की सीमा भावलपुर (पाकिस्तान) और उसके आस पास के राजस्थानी क्षेत्र तक फैल चुकी थी. कुषाण शासकों के सिक्के सूरतगढ, हनुमानगढ, रंगमहल, साभरनालियासर, पिसनगांव आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं. ऐसा अनुमान है कि कुषाणों का प्रभाव लगभग 200 ई. तक राजस्थान के एक वड़े भूभाग पर रहा होगा. वाद में यौधेय आर्जुनायन, मालव आदि की सम्मिलित शक्ति ने कुषाणों का अन्त किया और गणराज्यों की शक्ति में वृद्धि हुई.

शकों का भारत में ई. पू. प्रथम शताब्दी मे प्रवेश हुआ था. शनैःशनैः शकों ने मथुरा, महाराष्ट्र, सिन्ध, सौराष्ट्र, उज्जयिनी आदि स्थानों पर अपने राज्य स्थापित कर लिए थे. महाराष्ट्र के क्षहरात राजवंश में नहपान (119–24 ई.) शक्तिशाली शासक हुआ. वह अपने समय की राजनीति में सक्रिय था. राजस्थान में उत्तमभद्र जब मालवों द्वारा घेर लिए गए थे तब उनको मुक्त करवाने के लिए नहपान ने अपने दामाद उपवदात को भेजा था. उपवदात ने मालवों पर विजय प्राप्त कर पुष्कर झील में स्नान किया. इस अवसर पर उसने 3000 गौएं और एक ग्राम दान में दिया. नहपान के काल में प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसका राज्य दक्षिणी राजस्थान और अजमेर के निकट पुष्कर तक फैला हुआ था.

उज्जैन के कार्दमक वंशी महाक्षत्रप रूद्रदामन ने अनेक युद्ध लड़े और अपने राज्य की सीमा में वृद्धि की. उसने राजस्थान के मरू प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया. उसने अभिमानी यौधेयों का मान मर्दन किया. इन घटनाओं की जानकारी उसके प्रसिद्ध जूनागढ अभिलेख (150 ई.) से प्राप्त होती है. नगरी और बांसवाड़ा क्षेत्र में शक शासकों के बड़ी संख्या में सिक्के उपलब्ध हुए हैं. अतः राजस्थान के बड़े भूभाग पर शकों का प्रभुत्व रहा. कालान्तर में जब शकों की शक्ति का ह्रास होने लगा तब मालव आर्जुनायन, यौधेय आदि गण राज्यों ने पुनः स्वतंत्रता प्राप्त कर ली. तीसरी व चौथी शताब्दी तक इनका बोलवाला बना रहा. अन्ततोगत्वा गुप्त काल में इनका अन्त हुआ. उन्होंने गुप्त सम्राटों की अधीनता स्वीकार कर ली.

राजस्थान के नागदा, नागौर, नागादरी, नागपल्ली, तक्षकगढ़ आदि स्थानों से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि राजस्थान के कतिपय हिस्सों में पद्मावती के भारा शिवानाग-वंशी राजाओं का शासन रहा होगा. कोटा क्षेत्र से प्राप्त बड़वा यूप अभिलेख (234 ई.) से विदित होता है कि इस क्षेत्र पर मौखरियों का भी आधिपत्य रहा.

गुप्तकाल से कन्नोज के प्रतिहारों के उदय तक—गुप्त-वंश का उदय चौथी शताब्दी के आरम्भ में हुआ. समुद्रगुप्त इस वंश का प्रतापी शासक था. आर्यावर्त और दक्षिण पथ में समुद्रगुप्त की विजयों से भयभीत होकर राजस्थान के मालव आर्जुनायन यौधेय आदि गण राज्यों ने बिना युद्ध किए उसकी अधीनता स्वीकार करली थी और वे कर, दान, आज्ञापालन, प्रणाम, आगमन आदि से उसे सन्तुष्ट रखने लगे. समुद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त के काल में गुप्त साम्राज्य कुछ समय के लिए क्षतिग्रस्त हो गया था. परन्तु चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुप्त वंश की प्रभुता को पुनः स्थापित की. उसने गणराज्यों तथा शकों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया. लगभग एक शताब्दी तक राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्तों का आधिपत्य रहा बयाना (भरतपुर क्षेत्र में), बुन्देवाली (जयपुर के निकट), अजमेर, नालियासर-सांभर तथा मेवाड़ के कतिपय स्थानों से गुप्त कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं. वे इस बात के द्योतक हैं कि यहां गुप्तों का शासन था.

कुमार गुप्त (414-455 ई.) के अन्तिम दिनों में बर्बर हूणों ने भारत पर आक्रमण किए जिससे गुप्तों की कुल लक्ष्मी विचलित हो गई. सौभाग्य से उसके साहसी और योग्य पुत्र स्कन्दगुप्त (455-67 ई.) ने हूणों को करारी चोट पहुँचाई जिससे वे एक दीर्घकाल तक गुप्त साम्राज्य की ओर दृष्टिपात नहीं कर सके. परन्तु गुप्तों के पतन के समय पांचवीं शताब्दी के अन्तिम समय में हूण पुनः सक्रिय हो गये. राजस्थान के अधिकांश हिस्से पर हूणों का अधिकार हो गया. राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से हूणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं. हूणों के प्रमुख नेता तोरमण और मिहिरकुल थे. हूणों की सत्ता अधिक समय तक नहीं टिक सकी. पहले तोरमण 510 ई. में भानुगुप्त बालादित्य से परास्त हुआ फिर उसके पुत्र मिहिर कुल को मालवा के यशोधर्मन ने लगभग 532 ई. में पराजित किया और राजस्थान के बड़े भूखण्ड पर उसका अधिकार हो गया. कतिपय हूण परिवार स्थायी रूप से राजस्थान में बस गये. उनकी गणना 36 राजपूत कुलों में की जाने लगी. मेवाड़ का गुहिल शासक अल्लट ने हरियादेवी नामक हूण राजकुमारी से विवाह किया था. हूणों के पतन के पश्चात राजस्थान पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया.

550 ई. के लगभग मेवाड़ के दक्षिण-पश्चिमी भाग पर गुहिलों ने अपना राज्य स्थापित किया. मेवाड़ सिरोही सीमा प्रदेश, नागदा-आहड, किष्किधा, वोइ वागड़ और चाटसू गुहिलों के प्रमुख केन्द्र थे

माघ के शिशुपाल वध और रजिला के वसन्तगढ़ अभिलेख (625 ई) से प्रमाणित है कि भीलमाल्ल (भीनमाल) और आवू क्षेत्र पर चावड़ा राजपूतों का शासन था. इनके पहिले भीनमाल और मारवाड़ के अधिकांश भाग पर गुर्जर जाति का आधिपत्य रहा था. चित्तौड़ और कोटा क्षेत्र मौर्यो द्वारा प्रशासित था. चीनी यात्री यूवान च्वांग (629-43 ई.) के अनुसार वैराठ क्षेत्र पर एक वैश्य शासक का आधिपत्य था. अलवर और ढूढाड़ (जयपुर) क्षेत्र पर वडगूजर वंश का राज्य रहा. राजगढ़ इनकी राजधानी थी. वड़गुजरों का अस्तित्त्व वहलोल लोदी के काल तक यहाँ वना रहा.

जब राजस्थान विभिन्न छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित था उस समय उत्तरी भारत में पुष्यभूति वंश (सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में) का उत्थान हुआ. इस वंश में हर्षवर्धन (606-47 ई.) बड़ा प्रतापी शासक हुआ. उसके काल में राजस्थान का वहुत वड़ा भाग उसके अधीन था.

छठी शताब्दी के आसपास मण्डोर में प्रतिहारों का राज्य स्थापित हुआ. इसी वंश के शासक नागभट्ट ने मेड़ता को अपनी राजधानी वनाई. इसी वंश के दसवें शासक शीलुक ने वल्ल देश तक अपनी सीमा का विस्तार किया. वाद में वाउक और कक्कुक के नेतृत्व में मण्डोर के प्रतिहार राज्य की सीमा में अत्यधिक वृद्धि हुई. वाउक का मंडोर अभिलेख (837 ई.) और कक्कुक का घटियाला (861 ई.) अभिलेख इसकी पुष्टि करते हैं. ऐसी सम्भावना है कि इस वंश के शासक सुल्तान इल्तुतमिस के काल तक मण्डोर में रहे. कुछ समय तक इस वंश के शासक जालोर और कन्नौज के प्रतिहारों के सामन्त के रूप में भी रहे थे.

गुर्जर प्रतिहार—सम्भवत: गुर्जर प्रतिहारों का सम्वन्ध मंडोर के प्रतिहारों से रहा हो. गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक नागभट्ट था. इसने आठवीं शताब्दी के तृतीय-दशक में सर्व प्रथम चावड़ों से भीनमाल राज्य छीना. तदनन्तर आवू, जालौर आदि स्थानों को हस्तगत किया. उसके समय में सिन्ध की ओर से विलोचों ने आक्रमण किये और अरवों ने अरव से नागभट्ट ने उन्हें अपनी सीमा में प्रवेश नहीं होने दिया जिससे उसकी ख्याति में वृद्धि हुई. उसे 'नारायण' की उपाधि से विभूपित किया गया. कालान्तर में साम्राज्य के प्रसार होने पर प्रतिहारों ने कन्नौज को अपनी राजधानी वनाई। वत्सराज, नागभट्ट II, रामभद्र, भोजदेव और महेन्द्रपाल इस वंश के प्रमुख शासक थे. उनके काल में लगभग समस्त राजस्थान प्रतिहार साम्राज्य का एक अंग रहा. प्रतिहार, जिनका राज्य जालोर और राजस्थान से प्रारम्भ हुआ, उत्तर भारत की एक प्रवल शक्ति के रूप में विकसित हुए. 1000 के प्रथम चरण मे कन्नौज के प्रतिहारों का पतन होने लगा. राजस्थान में भी उनके सामन्त स्वतन्त्र वनने के लिए प्रयत्न करने लगे थे. महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कर परिहारों का अन्त कर दिया. अव राजस्थान में परमारों, चालुक्यों और चौहानों का जोर रहा.

परमार—आवू में परमारों का राज्य था. इनका गुजरात के सोलंकियों (चालुक्यों) से संघर्प रहा. फिर कुछ समय तक वे सोलंकियों के सामन्त के रूप में रहे. इस वंश में धारावर्प वड़ा प्रतापी शासक हुआ. उसके समय के (1163 से 1219 ई.) कई शिलालेख उपलव्ध हैं जिससे निश्चित है कि उसने लगभग 57 वर्प तक राज्य किया था सोलंकियों के सहयोगी के रूप में 1196 ई. में उसने शाहवुद्दीन गोरी को आवू के पास पराजित किया. उसने नाडोल के चौहानों से मैत्री पूर्ण सम्वन्ध स्थापित किए. धारावर्प के पौत्र प्रतापसिंह ने जैत्रकर्ण (मेवाड़ के शासक) को परास्त कर चन्द्रावती पर अपना अधिकार स्थापित किया. कालान्तर में जालौर के चौहानों ने 1311 ई. के आसपास आवू और चन्द्रावती के परमारों का अन्त कर दिया.

जालौर और किराडू (वाड़मेर) के परमारों का आवू के परमारों से सम्वन्ध था. जालौर के परमार वंश का शासन लगभग 1000 ई. से 1178 ई. तक रहा. नाडौल

शाखा के चौहान कीर्तिपाल ने 1178 ई. में जालौर पर अधिकार कर यहां चौहानों का एक नया राज्य स्थापित किया. किराडू के परमारों ने चालुक्यों के सामन्त के रूप में अनेक युद्ध लड़े. 1161 ई. के एक लेख से ज्ञात होता है कि नाडौल शासक सोमेश्वर ने जज्जक को परास्त कर उससे तन्नोट (जैसलमेर राज्य में) और नौसर (जोधपुर राज्य में) के किले छीन लिये. मालवा और वागड़ के परमारों का भी राजस्थान से सम्बन्ध रहा. मुंज, सिन्धुराज, भोज, जयसिंह आदि मालवा के परमार वंश के बड़े प्रतापी शासक हुए. इनकी राजधानी मालवा में उज्जैन या धार नगरी रही परन्तु राजस्थान में कई भाग इनके अधिकार में थे—जैसे कोटा राज्य का दक्षिणी भाग, झालावाड़ चित्तौड़ का क्षेत्र, आहड़ (उदयपुर) वागड़, प्रतापगढ़ का पूर्वी भाग आदि. मुंज के काल में चित्तौड़-आहड़ क्षेत्र जीते गये थे. मालवा नरेश जयसिंह का वागड़ का राजा माण्डलीक था. वि. सं 1192 और 1195 के बीच गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह (सिद्धराज) ने मालवा के परमारों को परास्त कर दिया और उनके अधीन राजस्थान के क्षेत्र चित्तौड़ तथा उसके पास का मालवा से मिले प्रदेश पर भी सोलंकियों का अधिकार हो गया. वागड़ पर भी सिद्धराज का प्रभुत्व स्थापित हो गया.

शाकंभरी के चाहमान (चौहान)—प्रतिहारों के पतन के बाद राजस्थान में चाहमानों की शक्ति में वृद्धि हुई. बारहवीं शताब्दी के आरम्भ में अजयराज के समय चाहमान की स्थिति सुदृढ़ हो गई थी. उनमें राज्य विस्तार करने की क्षमता उत्पन्न हो गई थी. अजयराज ने 1113 ई. के लगभग अपने नाम पर अजयमेरु (अजमेर) की संस्थापना की. अर्णोराज (1133-55 ई.) ने तुर्कों को परास्त कर राज्य की सीमा को सिन्धु और सरस्वती नदी तक पहुंचा दी. विग्रहराज चतुर्थ (1158-65 ई.) के काल में चाहमान राज्य की सीमा दिल्ली तक पहुंच गई. जयपुर के और उदयपुर जिलों के कुछ भाग उसके राज्य के अन्तर्गत थे. पृथ्वीराज तृतीय के राज्यारोहण (1177 ई.) के समय चाहमान राज्य की सीमा अजमेर, शाकम्भरी, जहाजपुर, मेनाल (चित्तौड़), हांसी (पंजाब) आदि क्षेत्रों तक विस्तारित थी. पृथ्वीराज तृतीय का मुस्लिम सत्ता और चन्देलों से संघर्ष रहा. चालुक्य-चाहमान संघर्ष परम्परागत रूप से चलता रहा. कन्नौज के गहडवाल शासक जयचन्द से उसकी निरन्तर शत्रुता बनी रही. 1191 ई. में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मुहम्मद गौरी को परास्त किया था. परन्तु अगले वर्ष (1192 ई.) में इसी ऐतिहासिक युद्ध स्थल पर पृथ्वीराज हारा और मारा गया. अजमेर और दिल्ली पर तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया. शाकम्भरी के चाहमानों का अन्त हुआ. देश के इतिहास में एक नया मोड़ आया.

शाकम्भरी के चाहमानों से ही इनका इतिहास समाप्त नहीं होता. इनकी अन्य शाखाएं भी राजस्थान में यत्र-तत्र बिखरी हुई थी जिनका अपना स्वतन्त्र इतिहास था. इन विभिन्न शाखाओं के चाहमानों ने विदेशियों से संघर्ष किया और अपने इतिवृत को उज्ज्वल बनाया. ये शाखाएं रणथम्भौर, नाडौल, जालोर और सांचोर की थी.

इनके अतिरिक्त सिरोही में भी देवड़ा चौहानों का राज्य स्थापित हुआ. सिरोही के चौहान राजवंश का आदि पुरुष लुम्बा जालोर के चौहानों से सम्बंधित था. उसने 1311 ई. के लगभग आबू और चन्द्रावती परमारों से छीन ली और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की. इसी वंश के सहसमल ने बाद में 1425 ई. में सिरोही नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाई. पुरानी राजधानी चन्द्रावती कुतुबुद्दीन ऐवक तथा अलाउद्दीन खलजी के आक्रमणों से पूर्णतया विरान हो चुकी थी. सिरोही के शासकों को यदा कदा तुर्कों व मेवाड़ के शासकों से संघर्ष करना पड़ा था.

राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी कोने वाले भाग, जिनमें बून्दी और कोटा के क्षेत्र सम्मिलित हैं, हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध है. हाड़ा शाखा के चौहान वंशी देवीसिंह ने स्थानीय मीणों को पराजित कर 1241 ई. के लगभग बून्दी राज्य की स्थापना की थी. देवीसिंह के पुत्र समरसिंह ने कोटिया शाखा के भीलों को परास्त कर इस क्षेत्र को बून्दी राज्य में सम्मिलित कर लिया. इस नव विजित क्षेत्र पर व्यवस्थित रूप से शासन चलाने के लिए उसने अपने पुत्र जैत्रसिंह को 1274 ई. में कोटा में प्रशासक नियुक्त किया. तभी से कोटा एक राजधानी के रूप में

विकसित होने लगा. परंतु यह क्षेत्र अभी भी बून्दी राज्य के अंतर्गत था. बूंदी के राव भोज (1585-1607 ई.) ने अपने पुत्र हृदह नारायण को कोटा क्षेत्र का स्वतन्त्र शासक नियुक्त किया था. परन्तु वह अयोग्य सिद्ध हुआ. तब उसके भाई राव रतन (1607-21 ई.) ने अपने पुत्र माधोसिंह को कोटा राज्य का स्वतत्र शासक बनाया और इसकी स्वीकृति मुगल बादशाह से भी प्राप्त कर ली. तभी कोटा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित होने लगा.

भाटी—भाटी राजवंश की उत्पत्ति यदुवंश से मानी गई है. वि. सं. 800 के लगभग सुरक्षा के दृष्टिकोण से पंजाब की ओर से माडू (मरूस्थली) प्रदेश में प्रवेश कर भाटी यहां बस गये. उन्हें स्थानीय लंघा, जामड़ा, मोहिया आदि जातियों से संघर्ष करना पड़ा. धीरे-धीरे 8 वीं शताब्दी से 12 वीं शताब्दी तक उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार क्रमशः तनोट तन्नू द्वारा) लुद्रवा (देवराज द्वारा) और जैसलमेर (जसल द्वारा) राजधानिएं संस्थापित की. जैसलमेर गढ का निर्माण वि.सं. 1235 से वि सं 1244 के मध्य हुआ. भाटियों की मुठभेड़ बिलोचियों, मुल्तानियों आदि से होती रही. जैसलमेर में भाटियों का राज्य स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हो गया.

कछवाहा—कछवाहा के एक वंशज दुलहराय के लिए बताया जाता है कि उसने ग्वालियर से आकर दौसा में निवास किया और फिर बड़गूजरों को परास्त कर 1137 ई. में ढूढाड़ में नवीन राज्य की स्थापना की. इस प्रकार राज्य स्थापना में कछवाहों को मीणों से, जो इस प्रान्त के आदि निवासी थे दीर्घ काल तक संघर्ष करना पड़ा. इन्हें खोह, झोटवाड़ा, गैटौर आदि क्षेत्र मीणों से प्राप्त हुए. इसी वंश के काकिल देव को 1207 ई. में मीणों से आमेर लेने में सफलता मिली. आमेर इनकी राजधानी बनी. इसने यादवों से मेड व वैराट जीते. कछवाहा वंश के नरू से नरूका और शेखा से शेखावतों की शाखाएं पृथक हुई. जिस क्षेत्र में शेखा ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया वह शेखावाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ. कछवाहा कुछ समय चौहानों के तथा पीछे गुहिलों के राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र में रहे. कालान्तर में मुग़ल सत्ता से सम्बंध स्थापित करने से कछवाहों का राजस्थान में प्रभाव बढ गया.

मारवाड़ के राठौड़—राठौड़ों का सम्बन्ध दक्षिण के राष्ट्रकूटों से हो सकता है. राजस्थान में हस्तिकुण्ड (गोडवाड़) दसवीं शताब्दी में, धनोप ग्यारहवीं शताब्दी में तथा वागड़ में चौहदवीं शताब्दी में राठौड़ों के राज्य होना प्रमाणित है. राठौड़ों की मूल शाखा मारवाड़ में राव सीहा से आरम्भ होती है. राव सीहा कन्नौज की तरफ से आया था, और इसका राज्य पाली के आस पास रहा. इसकी मृत्यु 1273 ई. में हुई. उसके पुत्र आसथान ने गुहिलों से खेड छीन ली और इसे अपनी राजधानी बनाई. 13वीं और 14वीं शताब्दियों में राठौड़ों की शक्ति का शनैः शनैः विस्तार हुआ. ऐसा करने में राठौड़ों को पड़ोसी, राज्यों से तथा तुर्कों से मोर्चा लेना पड़ा. इसी वंश के एक प्रतापी शासक राव चूंडा ने परिहारों की सहायता से तुर्कों से मण्डोर छीन लिया. अब मण्डोर राठौड़ों की राजधानी बनी. राव चूंडा ने नागौर, खाटू, डीडवाना, सांभर, फलोधी, नाडौल आदि प्रदेश भी जीत लिए. 1423 ई. में राव चूंडा की मृत्यु हो गई.

राव चूंडा का उत्तराधिकारी पुत्र रणमल ने मेवाड़ में अपना प्रभाव स्थापित किया था. मेवाड़ी सामन्तों ने षड़यन्त्र कर 1438 ई. में उसकी हत्या कर दी और सिसोदियों ने मण्डोर तक के समस्त क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया. रणमल के पुत्र राव जोधा ने अपने पराक्रम से मण्डोर को पुनः हस्तगत किया और मारवाड़ के बहुत बड़े भाग पर राठौड़ों का आधिपत्य स्थापित कर दिया. उसने मण्डोर के स्थान पर जोधपुर में नयी राजधानी की स्थापना की और 1457 ई. जोधपुर में गढ की नींव डाली.

राव जोधा के एक पुत्र बीका ने अपने बाहूबल से बीकानेर राज्य की स्थापना कर 1488 ई. में बीकानेर नगर और गढ़ की नींव डाली. राजस्थान में राठौड़ों का यह दूसरा महत्त्वपूर्ण राज्य रहा.

मेवाड़ के गुहिल—गुहिल नाम के व्यक्ति से गुहिल वंश चला. गुहिलों की छोटी-छोटी अनेक शाखाएं थी, जिनका उल्लेख ऊपर कर दिया गया है. गुहिल के बाद मान्यता प्राप्त शासकों में बापा का नाम उल्लेखनीय

है. ऐसी मान्यता है कि वापा को हारीत ऋषि की कृपा से एकलिंगजी महादेव द्वारा मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ था. 754 ई. के लगभग वापा ने मौर्यों से चित्तौड़ का किला छीना था. इसकी तिथि के सम्बन्ध में इतिहासकारों में काफी मत भेद है. मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों ने सिन्ध की तरफ से आने वाले आक्रमणकारियों से लोहा लिया. फिर उन्होंने राष्ट्रकूटों, प्रतिहारों और परमारों के सहयोगी के रूप में अनेक युद्धों में भाग लिया. 997 से 1174 ई. का काल मेवाड़ के गुहिलों के लिए ह्रास का काल था. इस काल में परमारों ने और बाद में सोलंकियों ने चित्तौड़ पर अधिकार स्थापित कर लिया था. चौहान राजा वाकपतिराज ने भी गुहिलों को परास्त किया. 1174 ई. के बाद मथनसिंह के काल से मेवाड़ के गुहिलों ने पुनः शक्ति प्राप्त की. इस प्रकार गुहिलों ने 13वीं सदी के प्रारम्भिक काल तक, मेवाड़ में कई उथल-पुथल होने पर भी, अपने कुल परम्परागत राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा.

12वीं शताब्दी के आरम्भ में मेवाड़ गुहिल वंशी सामन्तसिंह ने वागड़ (डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र) में एक छोटे से राज्य की स्थापना की, परन्तु वह इसे स्थायी नहीं रख सका. उसके उत्तराधिकारी जयसिंह ने वागड़ पर पुनः अधिकार किया. उसके पुत्र सीहड़ ने राज्य का विस्तार किया. ख्यातों में डूंगरपुर राज्य का संस्थापक सीहड़ को ही माना है.

प्रतापगढ़ के स्वामी गुहिल वंशीय क्षत्रिय थे, जिनकी वंश परम्परा क्षेमसिंह से आरम्भ होती है. क्षेमसिंह महाराणा मोकल का द्वितीय पुत्र था. वह अपने भाई महाराणा कुम्भा से रुष्ट होकर उसके शत्रु मालवा के सुल्तान महमूद खलजी के पास चला गया. उसने व उसके उत्तराधिकारी सूरजमल के काल में प्रतापगढ़ राज्य की स्थापना हुई. यह कहना ठीक होगा कि प्रतापगढ़ राज्य की सम्पूर्ति क्षेमसिंह का महाराणा के प्रति रोष और मालवा के सुल्तान की अनुकम्पा के फल स्वरूप सम्भव हो सकी. वागड के राज्य व प्रतापगढ़ का राज्य कभी स्वतन्त्र, कभी मेवाड़ शासन के अधीन व अर्ध-स्वतन्त्र रहे.

दिल्ली सल्तनत और राजस्थान (1206-1526 ई.)—मुहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित करने में सफल हुआ. उसकी मृत्यु के पश्चात् उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ई. में उत्तरी भारत व दिल्ली का शासक हुआ. उसी के समय से दिल्ली सल्तनत काल का आरम्भ हुआ. दिल्ली के सुल्तान राजस्थान पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे. परन्तु वे स्थायी रूप से किसी भी भाग पर दीर्घ काल तक अपना आधिपत्य नहीं रख सके. फिर भी राजस्थान में नागौर, अजमेर और बयाना अब मुस्लिम शक्ति के केन्द्र माने जाने लगे थे.

कुतुबुद्दीन ने (1206-10 ई.) अनेक राजपूत शासकों को अपने अधीन कर लिया था. परन्तु कुछ तो उसके जीवन काल में और कुछ उसकी मृत्यु के तुरन्त बाद स्वतन्त्र हो गये. इल्तुतमिस ने (1211-36 ई.) में उन्हें पुनः अपने अधीन करने के लिए सैनिक अभियान किये. 1226 ई. में रणथम्भोर पर विजय प्राप्त की. 1228-29 ई. में वह चौहान राजा उदयसिंह के प्रबल प्रतिरोध के बाद जालौर को जीतने में सफल हुआ. इल्तुतमिस ने गुहिलों की राजधानी नागदा पर आक्रमण किया परन्तु गुहिल शासक जैत्रसिंह ने उसे पीछे खदेड़ दिया. नासिरुद्दीन महमूद शाह (1246-65 ई.) के समय उसके सेनापति बलबन ने (1253-54 ई.) में रणथम्भोर बून्दी और चित्तौड़ पर आक्रमण किये परन्तु उसे सफलता नहीं मिली. मेवाड़ के शासक तेजसिंह ने उसे पीछे धकेल दिया. बलबन (1265-87 ई.) ने अपने राज्यारोहण के प्रथम वर्ष में मेवातियों का दमन किया.

खलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोजशाह खलजी (1290-96 ई.) ने अपने राज्यरोहण के तुरन्त बाद मन्डोर पर आक्रमण किया तथा वहाँ उसका अधिकार हो गया. जलालुद्दीन ने रणथम्भोर पर आक्रमण किया था परन्तु वहाँ के शासक हम्मीर ने उसे पीछे खदेड़ दिया. खलजी वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक अलाउद्दीन था. उसने 1301 ई. में रणथम्भोर पर अधिकार कर लिया. वहाँ का शासक हम्मीर चौहान

युद्ध क्षेत्र में मारा गया. रणथम्भौर के चौहानों का अन्त हो गया. अलाउद्दीन ने चित्तौड़ हस्तगत करने हेतु 1303 ई. में आक्रमण किया. मेवाड़ का राणा रत्नसिंह परास्त हुआ और मारा गया. रत्नसिंह की रानी पद्मनी के जौहर की गाथा विश्व विख्यात है. चित्तौड़ के इस प्रथम शाका के समय राजपूतों का बलिदान और गोरा-बादल की वीरता तथा कूटनीति एक अमर कहानी बन गई है. अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के किले को अपने पुत्र खिज्राखां के सुपुर्द कर दिया और चित्तौड़ का नाम खिज्राबाद रखा गया.

1305 ई. में जालौर के चौहान शासक कान्हड़ देव ने खलजी सेना नायक को पराजित किया था. अलाउद्दीन ने 1308 ई. में सिवाना का किला हस्तगत कर लिया. बाद में 1311 ई. में जालौर पर आक्रमण किया गया. जालौर का शासक कान्हड़देव वीरगति को प्राप्त हुआ. जालौर को दिल्ली राज्य में मिला लिया गया. अलाउद्दीन ने जैसलमेर राज्य तक अपनी विजय पताका फहराई.

गयासुद्दीन तुगलक (1321-25 ई.) के काल में राजस्थान प्रदेश में चित्तौड़, नागौर और जालौर के दुर्ग यद्यपि दिल्ली सल्तनत के अधीन थे तथापि इन पर राजपूत सरदारों के आक्रमण होते रहते थे. मुहम्मद तुलगक के राजसिंहासन पर बैठने के समय 1326 ई. में सिसोदा शाखा के सरदार हम्मीर (1326-64 ई.) ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया. उसने मेवाड़ राज्य का पुनर्संगठन किया. उसके वंशज सिसोदिया कहलाने लगे. 1382 ई. से लगाकर 1433 ई. के बीच मेवाड़ के राणा लक्षसिंह (लाखा) तथा राणा मोकल और मण्डोर के राठौड़ राव चूंडा तथा राव रणमल ने जालौर, अजमेर, नागौर तथा सांभर तुर्कों से छीन लिए. महाराणा कुम्भा (1433-68 ई.) के काल में मेवाड़ राज्य का विस्तार चरम सीमा पर पहुँच गया. रणकपुर के 1439 ई. के शिला लेख से ज्ञात होता है कि महाराणा कुम्भा ने सारंगपुर, नागौर, गागरोन, नरायणा, अजमेर, मण्डोर, मांडलगढ़, बून्दी, खाटू, चाटसू आदि किलों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया. इनके अतिरिक्त आबू, वसन्तगढ़, और सिरोही राज्य के पूर्वी भाग पर भी उसका अधिकार था. बाद में 1456 ई. में मण्डोर पर राव जोधा का पुनः अधिकार हो गया राव जोधा ने जोधपुर बसाया (1459 ई.) जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है.

दिल्ली सल्तनत की कमजोरी के कारण गुजरात और मालवा के मुस्लिम शासकों ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया. कुम्भा ने मालवा व माण्डू के सुल्तान महमूद खलजी को 1437 ई. में परास्त किया. इस विजय के उपलक्ष में महाराणा कुम्भा ने अपने आराध्य देव विष्णु के निमित्त चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तम्भ का निर्माण करवाया था गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन भी कुम्भा से परास्त हुआ. 1459 ई. के लगभग मालवा और गुजरात की सम्मिलित सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया परन्तु उसे हताश होकर लौटना पड़ा था.

मेवाड़ का एक अन्य प्रतापी शासक संग्रामसिंह (सांगा) हुआ. 1509 ई. में वह मेवाड़ की गद्दी पर आसीन हुआ था. दिल्ली में उस समय इब्राहीम लोदी का शासन था. 1517 में उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया परन्तु वह खातोली के मैदान में राणा सांगा से पराजित हुवा. राणा सांगा ने गुजरात और मालवा के सुल्तानों को भी हराया था. मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय को कुछ समय तक चित्तौड़ में कैद कर रखा था. राणा सांगा ने बाबर के सेनापति को बयाना की लड़ाई में परास्त किया परन्तु वह खानवा के युद्ध में बाबर से पराजित हुआ. खानवा के युद्ध का भारत के इतिहास में बड़ा महत्त्व है. बाबर मुगल साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुवा. बाबर सांगा के लिए अपनी आत्म कथा में लिखता है कि उसका मुल्क 60 करोड़ की आमदनी का था, उसकी सेना में 1 लाख सवार थे, उसके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार रहा करते थे.

मुगल कालीन राजस्थानः—राणा सांगा के बाद मेवाड़ राज्य की क्षति हुई. गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1534 ई. में चित्तौड़ को आ घेरा. राजपूत योद्धा शत्रु से लड़ते हुए काम आये और राजमाता कर्मवती ने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर किया. यह घटना चित्तौड़

के दूसरे साका के नाम से प्रसिद्ध है. वैसे चित्तौड़ पर शीघ्र पुनः अधिकार हो गया था किन्तु मेवाड़ के आन्तरिक कलह के कारण राज्य की शक्ति क्षीण हो रही थी. इस समय मारवाड़ के राठौड़ों की सत्ता का उदय हो रहा था.

मालदेव (1532-62 ई.) मारवाड़ का बड़ा प्रतापी शासक हुआ. उसके काल में मारवाड़ राज्य का बड़ा विस्तार हुआ. गुजरात में राधनपुर से लेकर टोंक, टोडा-चाकसू और नारनौल तक उसका राज्य फैला हुआ था. बीकानेर, शेखावाटी, नागौर, अजमेर और मेवाड़ राज्य के कुछ प्रदेश भी उसके राज्य में सम्मिलित थे. उसकी साम्राज्यवादी नीति के कारण उसके अनेक शत्रु बन गये थे. शेरशाह अफगान ने मुगल बादशाह हुमायू को कन्नोज युद्ध में (1540 ई.) पराजित कर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था. हुमायू बिना घर बार सैनिक सहायता के लिए घूम रहा था. शेरशाह बंगाल के हाकिम के विरुद्ध सैनिक अभियान में दिल्ली से बहुत दूर था, उस समय मालदेव ने हुमायूं को शेरशाह के विरुद्ध सहयोग देने के लिए सन्देश भेजा था. हुमायूं ने लगभग एक वर्ष वैसे ही खो दिया. मई 1542 ई. में वह शेरशाह के विरुद्ध मालदेव से मदद प्राप्त करने के लिए जोधपुर के निकट पहुँचा. इस समय तक शेरशाह की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी थी. मालदेव अब हुमायूं को सहयोग देने के पक्ष में नहीं था. अतः हुमायूं को निराश होकर लौटना पड़ा. शेरशाह मालदेव का शक्तिशाली बना रहना पसन्द नहीं करता था. उसने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया. मेड़ता के पास गिर्री के युद्ध में राठोड़ पराजित हुए. अजमेर, मेड़ता और जोधपुर पर शेरशाह का अधिकार हो गया. लौटते समय शेरशाह ने चित्तौड़ जीतना चाहा. मेवाड़ के राणा उदयसिंह ने उससे सुलह कर ली. कुछ समय बाद शेरशाह की मृत्यु हो गई (1545 ई.). मालदेव ने पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लिया परन्तु अपनी खोई हुई शक्ति को वह पूर्ण रुप से प्राप्त नहीं कर सका. मेवाड़ पर भी सूर सत्ता का कोई प्रभाव नहीं रहा.

ईरान के शाह की मदद से हुमायूं पुनः दिल्ली पर अधिकार करने में सफल हुआ (1555 ई.). परन्तु कुछ महीनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर उसका तरह-वर्षीय पुत्र अकबर मुगल सिंहासन पर आरुढ हुआ. मुगल सेना नायकों ने 1558 में अजमेर और जेतारण पर मुगल सत्ता की स्थापना कर दी. अब राजस्थान के इतिहास में सर्वथा नए युग 'मुगल-विजय काल' का आरम्भ होता है.

आमेर के कछवाहा शासक भारमल ने 1562 ई. में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया. भारमल के पुत्र भगवानदास और पौत्र मानसिंह को मुगल दरबार में सम्मानित कर ऊँचे पद दिए गए.

1562 ई. में अकबर ने मेड़ता जीत लिया. इसी वर्ष मालदेव की मृत्यु हो गई. उसके लड़कों में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर संघर्ष आरम्भ हुआ. इसका लाभ उठाते हुए मुगल सेनापति हुसैन अली ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया और जनवरी 1564 ई. में जोधपुर पर मुगलों का अधिकार हो गया. 1583 ई. में उदयसिंह को मारवाड़ राज्य मिलने तक जोधपुर का किला तथा सारा परगना मुगलों के अधिकार में रहे. नागौर भी मुगलों के अधीन था.

1567 ई. में अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रस्थान किया. धोलपुर, शिवपुर और कोटा के किलों को अधिकार में करता हुआ अकबर चित्तौड़ के किले के पास जा पहुँचा. राणा उदयसिंह उदयपुर की ओर प्रयाण कर गया. जयमल और पत्ता के नेतृत्व में राजपूतों ने अकबर का मृत्युपर्यन्त सामना किया. चित्तौड़ में तीसरी तथा अन्तिम बार जौहर हुआ. फरवरी 24. 1568 को चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो गया. माण्डलगढ़ पहले ही जीता जा चुका था. 1569 ई में रणथम्भौर का ऐतिहासिक दुर्ग अकबर के हाथ लगा. राव सुर्जन हाडा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली. 1570 ई. में अकबर ने नागौर में अपना शिविर रखा. वहाँ बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और उन्होंने मुगलों के साथ शादी सम्बन्ध स्थापित किये. मारवाड़ का

राव चन्द्र सेन नागौर में उपस्थित तो हुआ परन्तु उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, वह मृत्यु-पर्यन्त शाही शक्ति का विरोध करता रहा. वह इस प्रकार से महाराणा प्रताप का अग्रगामी रहा.

मेवाड़ के राणा के अतिरिक्त राजस्थान के सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी. 1573 ई. में महाराणा उदयसिंह का देहान्त हो गया. उसका पुत्र प्रताप उजड़े मेवाड़ का शासक बना. उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की. अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए अपने विश्वासी व्यक्तियों को भेजा परन्तु वे उसे मुगल सेवा में लाने में असफल रहे. अन्ततोगत्वा 1576 ई. में अकबर ने मेवाड़ के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की. प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें राणा को अपार क्षति उठानी पड़ी थी. फिर भी वह अकबर के सामने झुका नहीं. वह अगले बीस वर्ष तक (मृत्यु-पर्यन्त) स्वाधीनता के लिये संघर्ष करता रहा और मेवाड़ का अधिकांश हिस्सा मुगलों से मुक्त करवाया. 1597 ई. में उसका देहान्त हो गया.

प्रताप का लड़का अमरसिंह ने भी मुगलों के विरुद्ध संघर्ष चालू रखा. 17 वर्ष के दीर्घकाल तक वह शाही फौज से लोहा लेता रहा. अन्ततोगत्वा 1614 ई. में उसने मुगलों के साथ सन्धि कर ली. इस प्रकार राजस्थान के सभी राज्य मुगल साम्राज्य के अंग बन गये और राजपूत शासकों ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए मुगल बादशाह की अपूर्व सेवा की. वे मुगल साम्रज्य के स्तम्भ थे. आमेर के मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई राजा जयसिंह, मारवाड़ के सूरसिंह, गजसिंह और जसवन्तसिंह तथा बीकानेर के रायसिंह और अनूपसिंह ने मुगल साम्राज्य को उल्लेखनीय सेवाएं अर्पित की.

औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था. उसने अपने व्यवहार से राजपूतों को नाराज कर दिया. मारवाड़ के शासक महाराजा जसवन्तसिंह के मरणोपरान्त उत्पन्न लड़के अजीतसिंह को औरंगजेब ने मारवाड़ का शासक नहीं बनाया. मारवाड़ खालसा घोषित कर दिया गया था. औरंगजेब की योजना थी कि अजीतसिंह इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले. दुर्गादास सोनिग आदि के नेतृत्व में राठौड़ों ने बालक अजीतसिंह को दिल्ली से मारवाड़ में सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया. राठौड़ों ने अब देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष आरम्भ किया यह संघर्ष लगभग 30 वर्ष तक चलता रहा. दुर्गादास ने मेवाड़ के शासक राजसिंह को अजीतसिंह का सहयोगी बनाया.

राठौड़-सिसोदिया गठबन्धन बादशाह औरंगजेब के लिए सिर दर्द बना. औरंगजेब ने मारवाड़ और मेवाड़ के विरुद्ध पूरी शाही शक्ति जुटा दी, परन्तु उसे सफलता नहीं मिली. इसी बीच शाहजादा अकबर ने राजपूतों के सहयोग से औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया. दुर्गादास ने शाहजादा अकबर को मराठा राजा सम्भाजी से सहायता दिलाने की योजना बनाई. वह उसे लेकर दक्षिण में सम्भाजी के पास पहुँचा. मराठा और राजपूतों के सहयोग से अकबर औरंगजेब के लिए दक्षिण में खतरा उत्पन्न कर सकता था. इस बीच मेवाड़ के राणा राजसिंह का स्वर्गवास हो गया था. उसके उत्तराधिकारी महाराणा जयसिंह ने जिसमें अपने पिता की योग्यता का अभाव था, औरंगजेब से सन्धि कर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली. औरंगजेब अब दक्षिण की ओर पलायन कर गया. वह दक्षिण में जीवन पर्यन्त उलझा रहा. मारवाड़ में राठौड़ों का मुगल विरोधी अभियान निरन्तर चलता रहा. 1687 ई. दुर्गादास दक्षिण से मारवाड़ पहुँचा. अब अजीतसिंह और दुर्गादास के योग्य नेतृत्व में मारवाड़ में मुगल विरोधी गतिविधियों में तीव्रता आई. न्यूनाधिक रूप से मुगल विरोधी अभियान औरंगजेब की मृत्यु 1707ई. होने तक चलता रहा. औरंगजेब की मृत्यु के समाचार जैसे ही मारवाड़ में पहुँचे अजीतसिंह ने जोधपुर नगर पर आक्रमण कर मुगल पदाधिकारियों को मार भगाया. जोधपुर पर अजीतसिंह का अधिकार हो गया. उसने तुरन्त मारवाड़ पर से शाही थानों को हटा कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया.

जब औरंगजेब का उत्तराधिकारी मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ तब अजीतसिंह ने उसकी उपेक्षा की. बादशाह ने नाराज हो कर जोधपुर के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की. बाद में

सन्धि हो गई जिसके अनुसार अजीतसिंह का मनसब और वेतन जागीर बहाल कर दी गई परन्तु जोधपुर का पट्टा उसे नहीं दिया गया. वहां शाही पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया. बहादुर शाह ने सवाई जयसिंह को भी आमेर का पट्टा प्रदान नही किया क्योंकि उससे उत्तराधिकार युद्ध में उसके प्रतिद्वन्द्वी भाई आजम का साथ दिया था. अन्त में दोनों नरेश जिनके साथ राठौड़ दुर्गादास भी था, मेवाड़ के राणा अमरसिंह के पास उदयपुर पहुँचे. फिर संयुक्त राजपूत शक्ति से अजीतसिंह ने जोधपुर और जयसिंह ने आमेर पर अधिकार कर लिया, 1708 ई. में सांभर के युद्ध में राजपूतों ने मुगलो फौज को करारी हार दी. अन्ततोगत्वा बहादुर शाह ने 1710 ई. में अजीतसिंह को जोधपुर का और सवाई जयसिंह को आमेर का शासक स्वीकार कर लिया. इस प्रकार राजपूतों के इस एकतीस वर्षीय विद्रोह की इति श्री हुई.

बादशाह फरूखसियर (1713-19 ई.) के काल में सैयद बन्धुओं के सहयोगी के रूप में अजीतसिंह ने मुगल दरबार में महत्व पूर्ण भूमिका निभाई. अजीतसिंह की मृत्यु (1724 ई.) के पश्चात मुगल दरबार में कछवाहा राजा सवाई जयसिंह की बड़ी मान्यता रही. राजस्थान में भी उसका वर्चस्व छाया हुआ रहा. 1727 ई. में जयपुर नगर की नींव डाली. सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर भव्य नगर जयपुर को राजधानी बनाई

राजस्थान में मराठा व पिंडारियों का आतंक—औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगलों के पराभव काल में मराठा शक्ति का अभ्युदय हुआ. पेशवाओं के योग्य नेतृत्व में मराठा राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार हुआ. 18वी शताब्दी के तृतीय दशक मे मराठों का गुजरात और मालवा पर प्रभाव स्थापित हो गया था. राजस्थान पर भी उनके आक्रमण आरम्भ हो गये थे. सवाई जयसिंह मालवा का सूबेदार था. 1733 ई. में वह मन्दसौर के स्थान पर मराठों से पराजित हुआ. बून्दी के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर माराठों का राजस्थान में प्रथम बार प्रवेश हुआ. मल्हारराव होल्कर और राणोजी सिन्धिया ने चढ़ाई कर अप्रेल 22, 1734 ई. को बून्दी पर अधिकार कर लिया और उसे बुद्धसिंह हाडा के सुपुर्द कर दी. मराठों की आक्रमणकारी गतिविधियों से भयभीत होकर सवाई जयसिंह और मेवाड़ के महाराणा के प्रयत्नों से मराठों के विरुद्ध कार्यवाही करने के अभिप्राय से हुरड़ा नामक स्थान पर 17 जुलाई, 1734 ई. को राजस्थान के नरेशों का सम्मेलन आयोजित किया गया. यहां मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था. परन्तु राजपूत नरेशों के पारस्परिक जातीय झगड़ों के कारण यह सम्मेलन असफल रहा. 1735 ई. में मराठे राजस्थान में प्रवेश हुए. उन्होंने सांभर के धनी शहर को लूटा. सन्धि के फल स्वरुप मराठों को शाही खजाने से 22 लाख रुपये देना तय हुआ. मराठे अब राजस्थान से राजाओं से भी चौथ वसूल करने लगे.

दिनों दिन राजस्थान की स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही थी. मुगल सता का ह्रास हो चुका था. रजवाडों में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर अनेक संघर्ष हुए. सवाई जयसिंह की मृत्यु (1743 ई.) के पश्चात उसके पुत्र ईश्वरीसिंह और माधोसिंह के बीच दीर्घ काल तक संघर्ष चला. मारवाड़ में रामसिंह और बख्तसिंह (1749-57 ई.) और पीछे विजयसिंह और रामसिंह के मध्य (1752-72 ई) संघर्ष रहा. इसी प्रकार मेवाड़ में अरिसिंह और रत्नसिंह (1765 ई.) के बीच सिंहासन के लिए युद्ध हुए. इन परिवारिक झगड़ों में मराठों को आमन्त्रित किया गया. अतः मराठों का राजस्थान में प्रभाव बढ़ा और लाखों करोड़ों रुपयों की सम्पति उनके हाथ लगी

जनवरी 14, 1761 ई. के दिन पानीपत के घमासान निर्णायक युद्ध में मराठों की पूर्ण पराज्य हुई. इससे मराठा शक्ति को आघात पहुँचा. सर्वत्र मराठा विरोधी वातावरण बनने लगा था. राजस्थान के राजाओं ने भी मराठों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए प्रयत्न किये. भटवाड़ा के स्थान पर जयपुर के राजा माधोसिंह ने कोटा के विरुद्ध युद्ध लड़ा (1761 नवम्बर). मराठा सरदार मल्हारराव होल्कर ने कोटा की सहायता की थी. इस युद्ध में जयपुर की सेना परास्त हुई. मल्हार

राव होल्कर ने राजस्थान राजाओं को चौथ देने के लिए विवश कर दिया.

18वीं शताब्दी के सातवें दशक में मराठा अपने पारिवारिक मामलों में उलझे रहे. फिर उन्हें ईस्ट इन्डिया कम्पनी के साथ भी युद्ध करना पड़ा. एक बार फिर राजस्थान के राजाओं ने राजस्थान से मराठा प्रभाव समाप्त करने हेतु संघर्ष किया. 1782 ई. में अंग्रेजों और मराठों के बीच सन्धि हो गई. इसके बाद महादाजी सिन्धिया की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई. वह मुगल बादशाह का संरक्षक बना. वह वकील-ए-मुतलक के पद पर आरूढ था. उसने जयपुर शासक सवाई प्रतापसिंह से मराठों के लिए चौथ और मुगल बादशाह को टांके की धन राशि लेने के लिए दबाव डाला प्रतापसिंह ने मारवाड़ के शासक विजयसिंह को अपना सहयोगी बनाया और मराठा विरोधी गुट का निर्माण किया. राजस्थान के अन्य शासकों को भी मराठा विरोधी गुट में सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया. सर्व प्रथम 28 जुलाई 1787 को राजपूतों और महादाजी के बीच तुंगा का रक्त पिपासु युद्ध हुआ. इसमें राजपूतों का पलड़ा भारी रहा. महादाजी ने 20 जून 1790 ई. को पाटण के स्थान पर राजपूतों को परास्त किया. इसके बाद विजयसिंह अप्रेल 16, 1791 को मेड़ता के युद्ध में परास्त हुआ. जयपुर और मारवाड़ के शासकों ने महादाजी की अधीनता स्वीकार की और युद्ध के खर्चे के रुप में उन्होंने उसे एक बहुत बड़ी धन राशि दी. मेवाड़ के राणा ने भी महादाजी की संरक्षता स्वीकार की. एक बार फिर राजस्थान पर मराठों की आधिपत्य स्थापित हो गया.

18वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में मराठों के सभी अनुभवी व योग्य सरदारों का अन्त हो चुका था. होल्कर सिन्धिया कशमकश पहले से ही चली आ रही थी. सिन्धिया परिवार में दो गुट बन गये थे और वे एक दूसरे को समाप्त करने में लगे हुए थे. विरोधी गुटों के सेना नायकों के बीच राजस्थान की भूमि पर लड़े गये युद्धों से देश को बड़ी क्षति पहुँची.

19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णकुमारी के सगाई के प्रश्न को लेकर पांच वर्ष तक राजस्थान में उत्पात मचा रहा. अन्ततोगत्वा पिंडारी सरदार अमीरखां के दबाव में आकर महाराणा भीमसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णकुमारी को विषपान करवाकर (1810 ई.) झगड़ा शान्त किया. अगले सात वर्षों तक अमीरखां समूचे राजस्थान को रौंदता रहा. मराठों के हाथों रही सही राजस्थान की बरबादी को अमीरखां के सैनिकों तथा उसके अन्य साथी पिण्डारियों (जमशेदखां मुहम्मदशाहखां आदि) के दलों ने पूरा किया. राजनीतिक हत्याएं व षडयन्त्रों के फल स्वरुप राजस्थान में सर्वत्र अशान्ति और अव्यवस्था व्याप्त थी. राज्यों में जागीरदार वर्ग उच्छृंखल व अनुशासन विहीन होता जा रहा था. उनके निरन्तर अत्याचारों से जन-जीवन त्रस्त व्यस्त था. इस विषाक्त वातावरण से मुक्त होने के लिए राजस्थान के राजा अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त करने के लिए लालायित थे. उधर ईस्ट इन्डिया कम्पनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड हेस्टिंग्ज ने पिंडारियों के दमन हेतु एक विस्तृत योजना तैयार की. इसकी सफलता के लिए राजस्थान के राजाओं का सहयोग प्राप्त करना तथा उन्हें अंग्रेजी संरक्षणता देना आवश्यक समझा गया. अतः 1817-18 ई. में राजस्थान के लगभग सभी राजाओं के साथ ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने सन्धियें कर ली. उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया. जुलाई 1818 में अंग्रेजों को सिन्धिया से अजमेर का परगना प्राप्त हो गया. तभी से अजमेर-मेरवाड़ा की स्थापना हुई. पिंडारियों का पूर्ण दमन हो चुका था. उनके सुप्रसिद्ध नेता अमीरखाँ को अंग्रेजों ने टोंक के स्वधीन राज्य का स्वतन्त्र शासक मान लिया था. इस प्रकार टोंक राज्य की स्थापना हुई.

कोटा राज्य के साथ सन्धि करते समय प्रधान सन्धि के साथ ही एक पृथक विशिष्ट धारा द्वारा अंग्रेजों ने यह निश्चित कर दिया था कि कोटा के महाराव उम्मेदसिंह और उसके उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र कोटा के शासक रहेंगे. राज्य की समस्त शासन-सत्ता कोटा के तत्कालीन सर्वे-सर्वा प्रधानमन्त्री राज राणा जालिमसिंह और उसके वंश-परम्परागत उत्तराधिकारियों के हाथ में रहेगी. इस धारा ने कोटा राज्य में एक भारी उलझन उत्पन्न कर दी जिसको सुलझाने में पूरे बीस वर्ष लगे.

उम्मेदसिंह के उत्तराधिकारी महाराव किशोरसिंह को बरसों तक मारा-मारा घूमना पड़ा, सैकड़ों हाड़ा राजपूतों का संहार हुआ. झाला राज राणा के विरुद्ध राज्य भर में सार्वजनिक विद्रोह होने की संभावना सुस्पष्ट देख पड़ने पर ही सन 1838 ई. में कोटा राज्य का बंटवारा हुआ तथा जालिमसिंह के पौत्र मदनसिंह को कोटा राज्य के सत्रह परगने देकर झालावाड़ नामक एक सर्वथा नवीन और स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की गई. तब जाकर कहीं कोटा का महाराव बाकी रहे कोटा राज्य का पूर्णाधिकार प्राप्त शासक बन पाया.

अंग्रेजों ने राजस्थान के प्रमुख राज्यों से ही अधीनस्थ सहयोग की सन्धियें करके संतोष नहीं किया. शाहपुरा के राज्य को भी उन्होंने राजस्थान के राज्यों की सूची में सम्मिलित किया. कुशलगढ़ और लावा जैसे अर्ध स्वतन्त्र ठिकानों से भी कम्पनी सरकार ने सीधा सम्बन्ध स्थापित किया.

राजस्थान के राज्यों के साथ की गई सभी संधियों में अंग्रेजों ने यह बात सुस्पष्ट रूपेण स्वीकार कर ली थी कि अपने आन्तरिक मामलों में उनके शासक सर्वथा स्वाधीन रहेंगे और उन राज्यों के आन्तरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा. परन्तु तत्कालीन राजनैतिक एवम् आर्थिक आवश्यकताओं के फल स्वरुप कम्पनी सरकार ने समय-समय पर इन राज्यों के आन्तरिक मामलों में खुलकर हस्तक्षेप किया. अंग्रेजों ने संधियों की धाराओं का मनमाना अर्थ लगा कर आन्तरिक हस्तक्षेप को न्यायोचित बताया. हस्तक्षेप के कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत किये जा रहे हैं. मेवाड़ में 1818 ई. में टॉड को प्रशासन सुपुर्द कर दिया था. जयपुर में महाराजा जगतसिंह के अन्तिम दिनों में अंग्रेज अधिकारी सर डेविड अक्टरलोनी ने अपने पसन्द के व्यक्ति को वहां का प्रधान-मन्त्री नियुक्त किया (1818 ई.) 1821 ई. में जयपुर में स्थायी अंग्रेज रेजीडेण्ट नियुक्त किया गया. 1839 ई. तक राजस्थान के सभी राज्यों में पोलिटिकल एजेंट की नियुक्तियां हो गई थी. धीरे-धीरे पोलिटिकल एजेंट इन देशी राज्यों में बहुत प्रभाव शाली हो गये थे. प्रशासन में उनकी राय उनके आदेश का कार्य करती थी. 1824 ई. में मारवाड़ के महाराजा मानसिंह पर दबाव डालकर जब्त की गई जगीरें पुनः जागीरदारों को दिलवाई गई. शासन के लिए सर्वथा अयोग्य बताकर डूंगरपुर के महारावल जसवन्तसिंह को 1825 ई. में सिंहासनाच्युत कर दिया गया था.

18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में बदनसिंह और सूरजमल के नेतृत्व में भरतपुर जाट राज्य की स्थापना की जा चुकी थी. भरतपुर का किला अभेद्य माना जाता था. जनवरी 1805 ई. में जनरल लेक इस किले को जीतने में असफल रहा था. 1826 ई. में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए आन्तरिक हस्तक्षेप का विरोध होने पर भरतपुर के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की गई और किला हस्तगत कर लिया गया. इससे ब्रिटिश सरकार की धाक सर्वत्र जम गई. 1836 ई. में अराजकता को मिटाने के लिए मारवाड़ राज्य का मालानी प्रदेश पर ब्रिटिश पदाधिकारी नियुक्त हुए. सितम्बर 1839 ई. में पांच महिनों के लिए जोधपुर किले को ब्रिटिश सरकार के अधीन रखा गया. जब भी किसी किसी राज्य में राजा अल्पवयस्क होता था तब तो ब्रिटिश सरकार वहां रीजेंसी कौंसिल की स्थापना कर मनमाने ढंग से शासन चलाती थी.

आर्थिक क्षेत्र में भी कम्पनी सरकार ने अपने हितों का ही ध्यान रखा. राजस्थान के व्यापार-वाणिज्य को बड़ी क्षति पहुँचाई गई. इस सम्बन्ध में नमक और अफीम के व्यापार का उदाहरण दिया जा सकता है.

राजस्थान प्रदेश में शान्ति व व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर ब्यावर में मेर रेजीमेन्ट, उदयपुर के निकट खैरवाड़ा में भील कोर, शेखावाटी में शेखावटी ब्रिग्रेड, देवली में कोटा रेजीमेन्ट और एरनपुरा में जोधपुर लीजन की स्थापना की गई थी. इनका खर्चा राज्य सरकारों को ही वहन करना पड़त था. इसके अतिरिक्त नसीराबाद, नीमच, देवली आदि स्थानों पर भी ब्रिटिश सैनिक छावनियें थी. इनके द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान पर नियंत्रण रखा जा सकता था.

ब्रिटिश सरकार ने राजस्थान के जागीरदारों के सभी विशेष अधिकारों की इतिश्री करवादी थी. राजस्थान में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के

लिए प्रयत्न किए गये. पाश्चातीय सभ्यता व संस्कृति का प्रभाव शनैः शनैः राजस्थान के जनजीवन पर भी पड़ने लगा था. ईस्ट इन्डिया की उपर्युक्त गतिविधियों से राजस्थान में अंग्रेजी विरोधी भावना का अंकुर प्रस्फुटित होने लगा था.

1857 ई. में उत्तरी भारत में व्यापक रुप से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया गया था. इसका प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा. नसीराबाद, देवली, नीमच, आबू, एरनपुरा आदि स्थानों पर सैनिकों ने विद्रोह किया. आउवा (मारवाड़), मेवाड़, कोटा, नीमच, टोंक, भरतपुर आदि स्थानों पर ब्रिटिश विरोधी हलचल रही. राजा लोग तो पूर्णतया ब्रिटिश शासन के पक्ष में रहे परन्तु जागीरदारों का एक बहुत बड़ा दल विप्लवकारियों का सहयोगी रहा. जनता का भी परोक्ष रूप से उन्हें सहयोग प्राप्त था. 1857 का विप्लव असफल रहा परन्तु इससे भावी स्वतन्त्रता संग्राम के लिए पृष्ठ भूमि तैयार हो गई.

1857 के बाद भारत में ईस्ट इण्डिणा कंपनी की सत्ता समाप्त कर अब इंगलैंड की साम्राज्ञी विक्टोरिया के नाम से वहां का मन्त्रि मण्डल भारत पर सीधा शासन करने लगा था. देशी राज्यों का सीधा सम्बन्ध इंगलैंड के ताज से रहा. इनके अस्तित्व को स्थायी रखने का आश्वासन दिया गया परन्तु धीरे धीरे बड़ी चतुराई के साथ इन अर्ध स्वतन्त्र राज्यों को पूर्णतया अंग्रेजी राज्य के अधिपत्य मे लेलिया. सम्पूर्ण भारत के एक इकाई के सिद्धांत के आधार पर राजस्थान के देशी राज्यों में रेल्वे, डाक, तार, राजपथ आदि की व्यवस्था की गई. इससे देशी नरेशों के अधिकारों को आघात पहुँचा. 1857 ई. के पहले भी यदा कदा इन राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप होता रहता था, परन्तु अब तो नगण्य मामलों में भी हस्तक्षेप होने लगा. राजनैतिक व्यवहार (पौलिटिकल प्रेक्टिस) के द्वारा इन राज्यों के साथ की गई संधियों में निहित अधिकारों पर निरन्तर प्रहार होते रहे. इन देशी राज्यों के लिए ब्रिटिश सरकार का पॉलिटिकल डिपार्टमेन्ट सर्वे सर्वा हो गया था. नरेशों की आन्तरिक सत्ता धीरे धीरे कम होती गई. वायसराय लार्ड कर्नल (1899-1905 ई.) के नजरों में तो देशी राज्यों के नरेश ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त मात्र प्रशासक के रूप में थे. 18 वीं शताब्दी के अन्त में व 19 वीं शताब्दी के आरम्भ में इन देशी राज्यों में भी न्यूनाधिक रूप से प्रशा-प्रशासन में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरम्भ हुई. जागीरदारों और राजाओं के बीच सम्बन्धों को नियमित कर दिया गया.

1905 ई. से बाद भारत में अंग्रेजी विरोधी भावना प्रबल होने लगी. देश को अंग्रेजों से मुक्त करवाने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आने लगी थी. उस समय लार्ड मिन्टो ने (1901–11 ई.) ने नरेशों के प्रति विश्वास व पारस्परिक सहयोग की नीति अपनाई. उनसे सलाह मसविरा किया जाने लगा. इनके सहयोग से क्रान्तिकारी व आतंककारी तथा स्वतन्त्र आन्दोलनों को कुचलने के लिए प्रयास किये गये.

राजस्थान में तिहरी गुलामी थी. जागीरदार, राजा और अंग्रेज. आर्थिक पिछड़ेपन व शिक्षा के अभाव में रियासती जनता में राजनीति चेतना जागृत नहीं थी, परन्तु ब्रिटिश शासित भारत में स्वतन्त्रता संग्राम सम्बन्धी जो भी गतिविधियें चल रही थी उनका प्रभाव राजस्थान के देशी रियासतों की जनता पर भी अनिवार्य रुप से पड़ा. राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द को श्रेय दिया जाता है. प्रेस व समाचार पत्रों ने भी राजस्थान की जनता को अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए सजग बनाया. उन्हें तिहरी गुलामी से मुक्त होने के लिए उत्प्रेरित किया. बंगाल विभाजन का समूचे देश में व्यापक रूप से विरोध हुआ. इससे देश में अंग्रेजी विरोधी वातावरण बना. एशियायी शक्ति जापान द्वारा रूस को पराजित करने की घटना से भारतीय के मन में आत्म विश्वास का संचार हुआ. अंग्रेजों को भारत से मार भगाने के लिए शस्त्र क्रान्ति की योजना बनाई जाने लगी. राजस्थान शस्त्र क्रांति का शंख नाद करने व शस्त्र एकत्र करने के लिए भूपतसिंह नामक व्यक्ति को भेजा गया. भूपतसिंह ही विजयसिंह पथिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ जिसने बिजोलिया (मेवाड़ी ठिकाना) किसान आन्दोलन का

वड़ी कुशलता के साथ संचालन किया था जिससे राजस्थान में जागृति आई.

राजस्थान के क्रांतिकारियों में अर्जुनलाल सेठी, केसरीसिंह वारहट, राव गोपालसिंह खरवा, दामोदर राठी (व्यावर), जोरावरसिंह (केसरीसिंह के अनुज, प्रतापसिंह के पुत्र) नाम उल्लेखनीय हैं. इनका सम्बन्ध भारत के प्रसिद्ध क्रान्तिकारियों से जुड़ा हुआ था. राजस्थान में क्रांति दल की स्थापना की गई. 1912 ई. में वायसराय हार्डिंगज पर दिल्ली में बम्ब फैंकने में केसरीसिंह के भाई जोरावरसिंह का हाथ था. वह भूमिगत रहा. जीवन पर्यन्त भेष वदले इधर उधर भ्रमण करता रहा. उसकी मृत्यु 1939 ई हुई. प्रदेश में अंग्रेजी विरोधी जनमत तैयार करने में क्रांतिकारियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही. उनकी वलिदान की भावना आगे चलकर अहिंसात्मक आन्दोलन की सफलता के लिए उत्तरदायी हुई.

राजस्थान में निवास करने वाले भील आदिवासियों को संगठित करने व उनमें नव चेतना जाग्रत करने में गोविन्द गुरु और मोतीलाल तेजावत का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा. गोविन्द गुरु ने भील क्षेत्र में पंचायतों को पुनर्जीवित कर स्वायत्त शासन आन्दोलन के लिए भूमिका तैयार की. राजस्थान में प्रथम सत्याग्रह विजयसिंह पथिक के नेतृत्त्व में उदयपुर के एक जागीर ठिकाने विजोलिया में सम्पन्न हुआ. गांधीजी ने इस सत्याग्रह की निष्ठा व संचालन की सराहना की थी.

1920 ई. के वाद देश में अंग्रेजी विरोधी जन आन्दोलनों का नेतृत्त्व गांधीजी के हाथों में रहा. उन्होंने देश की राजनीति को एक नया मोड़ दिया था. गांधीजी के जन आन्दोलनों ने रियासती जनता को भी प्रभावित किया. यहाँ जागीर उन्मूलन तथा रियासतों में उत्तरदायी शासन के लिए नारा बुलन्द हुआ. अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद (स्थापना 1927 ई. में) ने देशी राज्यों के लोक आन्दोलनों को स्फूर्ति व गति प्रदान की. राजस्थान की सभी रियासतों में प्रजा मंडल व लोक संस्थाओं की स्थापना हुई और न्यूनाधिक रूप से उत्तरदायी शासन व नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हुए. रियासतों ने जन आन्दोलनों को कुचलने हेतु हर सम्भव साधन जुटायें. आन्दोलनकारियों को जेल में डाला गया. राजनीतिक कैदियों को जेल में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयें व यातनाएं सहन करनी पड़ी, उनके नेताओं को राज्यों से निष्कासित किया गया. 1942 ई. के 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' आन्दोलन का राजस्थान की रियासती जनता पर भी व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा. यहाँ हजारों की संख्या में सत्याग्रही जेल में गये. सागरमल गोपा (जैसलमेर) और वालमुकन्द विस्सा (जोधपुर) जेल में शहीद हुए. राजस्थान के जन नेताओं में प्रमुखतः जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा के नाम लिए जा सकते हैं. इन जन आन्दोलनों के परिणाम स्वरुप राजस्थान के लगभग सभी राज्यों में भारत के आजाद (1947 ई.) होने तक व उसके तुरन्त वाद उत्तरदायी सरकारें वनी. कुछ रियासतों में तो विधान सभाओं का भी गठन हुआ.

1947 ई. में भारत के आजाद होने के साथ ही देशी राज्यों पर ब्रिटिश 'क्राउन' की सर्वोच्च सत्ता का अन्त हो गया. अब देशी राज्य स्वतन्त्र हो गये. राजस्थान के देशी राज्यों ने अनुभव किया कि उनका स्वतन्त्र अस्तित्त्व रहना सम्भव नहीं है. राजस्थान के सभी राज्यों ने भारत संघ में विलय होना स्वीकार कर लिया. इसके साथ ही राजस्थान की विभिन्न छोटी-वड़ी रियासतों को एक ही इकाई में संगठित करने की प्रक्रिया आरम्भ हुई जिसके परिणाम स्वरुप वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण सम्भव हो सका.

राजस्थान निर्माण प्रक्रिया—(1) 18 मार्च 1948 ई. को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य संग का निर्माण किया गया. इसका उद्घाटन केन्द्रीय मंत्री श्री एन. वी. गाडगिल द्वारा किया गया.

(2) 25 मार्च 1948 को कोटा, वून्दी, झालावाड़, वांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक और अन्य छोटी रियासतें मिलाकर राजस्थान का गठन किया गया. इस संघ का उद्घाटन भी गाडगिल ने ही किया था.

(3) 18 अप्रेल 1948 को संयुक्त राजस्थान वना. इसका उदघाटन पं. जवाहरलाल नेहरु द्वारा किया गया था. राजस्थान संघ में उदयपुर के मिल जाने से इस नये संघ का निर्माण किया गया था.

(4) अब केवल चार वड़ी रियासतें—जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और वीकानेर वची थी. वे भी संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित हो गई और वृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ. इस संघ का उद्घाटन सरदार पटेल ने 30 मार्च 1949 ई. को किया.

(5) 13 मई 1949 ई. को मत्स्य का वृहत्तर राजस्थान में विलय हो गया. वाद में 26 जनवरी 1950 ई. को सिरोही राज्य को राजस्थान संघ में रखा गया. और नवम्वर 1956 को अजमेर-मेरवाड़ा तथा आबू को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया. इस प्रकार राजस्थान को एक राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया गया. क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान देश में मध्यप्रदेश के वाद दूसरा सवसे वड़ा राज्य है.

□

राजस्थान अपने गौरवशाली परम्परागत स्वरूप को वर्तमान समय तक सुरक्षित रखने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है. रियासतों के विलिनीकरण तक यहां की टोंक व भरतपुर की रियासतों को छोड़ कर अन्य सभी रियासतें राजपूत नरेशों के आधीन थी. राजपूत राजे हिन्दू धर्म को मानते थे और वैदिक परम्पराओं को निभाने में गर्व अनुभव करते थे. ब्राह्मणों को यह लोग अपना गुरु मान कर उनमें से पुरोहित तथा राज ज्योतिषि रखते थे. प्रायः सभी शुभ-अशुभ कार्य वैदिक परम्पराओं से संपन्न होते थे साथ ही राजपूत नरेश अन्य धर्मो को भी इज्जत देते थे. अतः यहां बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई आदि सभी धर्मो को विकास के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता मिली. इस दृष्टि से राजपूतो के शासन काल में यहां धर्म-निरपेक्षता का वातावरण रहा. कालान्तर में यहां के निवासियों तथा नरेशों दोनों ही में विभिन्न धर्मो के पारस्परिक आदान-प्रदान से उनके रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा, रीति रिवाज सभी पर इसका प्रभाव पड़ा किन्तु इस प्रभाव के बावजूद भी हर धर्म का मूल रूप अपेक्षाकृत ज्यों का त्यों बना रहा. यहां हिन्दू संस्कृति एवं सभ्यता का प्रभुत्व रहा. अन्य सभ्यताओं, विशेष कर मुगलों तथा अंग्रेजों से प्रभावित होकर भी राजपूत राजे परम्परानुरागी रहे जिससे वैदिक परम्पराओं का अनुसरण बराबर किया जाता रहा और सामाजिक जीवन में इतिहास के स्वाभाविक परिवर्तनों के बावजूद भी यहां के अधिकांश निवासियों के रीति रिवाज वैदिक संस्कारों से प्रभावित रहे.

हिन्दू धर्म—भारत में रहने वाले अधिकांश लोग हिंदू के नाम से पहचाने जाते हैं यद्यपि उनके आचार-विचार रीति रिवाज क्रिया-काण्ड, नियम संहिता, पूजापाठ का तरीका भिन्न-भिन्न है. प्रारम्भ में, जब बौद्ध व जैन धर्म के प्रहारों के फलस्वरूप मृत-प्राय जिस प्राचीन धर्म का शंकराचार्य व अन्य आचार्यो द्वारा पुनरुद्धार किया गया उस समय उसने जो स्वरूप ग्रहण किया उसे बाद में हिन्दू धर्म की संज्ञा दी गयी. लेकिन मुस्लिम शासन काल में सभी इतर मुसलमान हिन्दुओं के नाम से पुकारे जाने लगे यहां तक कि जैन, जो कि एक अलग धर्म था वह भी हिन्दू धर्म का अंग बन कर रह गया. वर्तमान मुसलमानों व ईसाईयों को छोड़ कर अन्य सभी "धर्मावलम्बी" हिन्दू ही कहे जाते हैं. समाज शास्त्रियों द्वारा हिन्दू शब्द आजकल एक "जाति विशेष" के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है, जिसकी समाज रचना का आधार चतुर्वर्ण है; और इस जाति में प्रचलित सभी धर्म हिन्दू धर्म के अंग माने जाते हैं जिन्हें या तो सम्प्रदाय कहा जाता है या मत. हिन्दू धर्म में सैकड़ों मत-मतान्तर व सम्प्रदाय पाये जाते है, जिनमें कुछेक ही महत्वपूर्ण हैं, अन्य का महत्व केवल स्थानिक है और अनेक मतावलम्बी राजस्थान के बाहर नही पाये जाते हैं. एकेश्वरवादी बहुदेववादी, भक्ति-मार्गी, ज्ञान-मार्गी, पुष्टि-मार्गी, यहां तक कि नास्तिक भी हिन्दू ही कहा जायेगा. पुरातनवादी, सनातनवादी और एकदम आधुनिक, सभी इस शब्द के घेरे में बंधे हैं. हिन्दू धर्म का त्याग केवल "धर्म-परिवर्तन" से ही संभव है.

राजस्थान में जो प्रमुख मत व संप्रदाय प्रचलित हैं उनमें शाक्त, वैष्णव, रामोपासक, शैव आदि मुख्य हैं. राजपूत, चारण, भाट, कायस्थ कही जाने वाली जातियां, प्रधान रूप से आद्य-शक्ति की उपासना करती हैं जिसके विभिन्न रूप राजस्थान में प्रचलित हैं लेकिन इन लोगों में कुछ शैव, वैष्णव व रामोपासक भी मिलते हैं. इनका अपना कोई संगठित सम्प्रदाय या मत नहीं है और विभिन्न रियासतों में राजघरानों द्वारा पूजी जाने वाली प्रतिमा का उस क्षेत्र में प्रधान रूप से प्रचलन रहा है.

वैष्णव सम्प्रदाय में, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध धर्माचार्य वल्लभ सम्प्रदाय के उपासक मुख्य रूप से मिलते हैं. इस सम्प्रदाय की दो गद्दियां राजस्थान में प्रमुख हैं—एक नाथद्वारा में व दूसरी कोटा में. सम्भवत: देश भर में ये गद्दियां इस सम्प्रदाय की प्रमुख गद्दियां है. इस सम्प्रदाय के लोग भक्ति-मार्गी हैं और कृष्ण की बालरूप में "सेवा" करते है, पूजा इस मत में निषिद्ध है. जयपुर में गौरांग

महाप्रभु के अनुयायी मिलते हैं और इनका एक बड़ा मंदिर जयपुर में हैं. रामोपासकों में रामस्नेही सम्प्रदाय प्रमुख है जिसकी प्रधान शाहपुरा, बांसवाड़ा, खेड़ापा और राम चौकी में हैं. ये राम की पूजा करते हैं. कुछ रामानन्दी भी राजस्थान में पाये जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या नगण्य है. राजस्थान में शिव के अनेक मन्दिर है भारी संख्या में लोग शिव-लिंग की पूजा करते है लेकिन भारत के अन्य भागों में प्रचलित किसी भी संगठित शैव मत का यहां प्रचलन नहीं देखा जाता. केवल उदयपुर का राजघराना इसका अपवाद है जो शिव की एकलिंग रूप में पूजा करते हैं और अपने आपको लकुलीश या लकुटीश शिव का अनुयायी कहते हैं. इसके अलावा नाभाजी, जांभाजी, मल्लीनाथ जी, रामदेवजी आदि प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा स्थापित किये गये मतों के अनुयायी भी राजस्थान में काफी मिलते है. इनको स्थानिक मतों में महत्वपूर्ण गिना जा सकता है. इसी तरह दादू जी द्वारा संस्थापित दादू सम्प्रदाय के मानने वाले भी प्रधानरूप से राजस्थान में ही मिलते है. कुछ संख्या में कबीर पंथी भी पाये जाते है. प्रथम चार मतों के मानने वालों द्वारा संस्थापकों की पूजा की जाती है. कुछ अर्से पूर्व तक राजस्थान में, विशेषकर जोधपुर में, नाथ सम्प्रदाय का भी जोर रहा था इनकी एक गद्दी जोधपुर में महामन्दिर में है. जोधपुर के राजघराने का कुछ अर्से तक इसे समर्थन मिला था वाद में इसका प्रभाव कम हो गया. वैसे राजस्थान में धार्मिक मामलों में कट्टरपन कम पाया जाता है और पूजा अर्चना में उदारता से काम लिया जाता है.

जैन धर्म—राजस्थान में दूसरा महत्वपूर्ण धर्म जैन है जिसका कभी यहां बहुत जोर रहा था. जैन धर्म के अनुयायी किसी एक जाति विशेष तक सीमित नहीं है. कई जातियों में जैन धर्मावलम्वी पाये जाते है. एक धर्म के अनुयायी होने पर भी सामाजिक रूढ़ि रिवाजों में ये लोग अधिकांशतः हिन्दू प्रथाओं व रीति-रिवाजों का अनुकरण करते हैं और उन प्रथाओं का कट्टर रूप से पालन किया जाता है. राजस्थान में जैनों की काफी संख्या है. ये अनेक सम्प्रदायों में बंटे हुए है इस धर्म के मूल आचार्य पार्श्वनाथ व महावीर है. जैन धर्म, दिगम्बर व श्वेताम्बर दो प्रधान मतों में बंटा हुआ है. इनकी फिर कई शाखाएं प्रशाखाएं वनी हुई है. दिगम्वर मत में मूर्ति पूजा के साथ साथ साधुओं का नग्न रहना अनिवार्य है. ये लोग वहुत संगठित है. श्वेताम्वर मत के अनुयायियों में मूर्ति पूजक भी है और मूर्ति पूजा नहीं करने वाले भी है. प्रायः इस मत के सभी साधु श्वेत वस्त्र धारण करते है. इसमें स्त्रियों को भी दीक्षा देकर साधु वनाया जाता है

श्वेताम्वरों में सम्यग् या समेती मत के मानने वाले मूर्ति पूजा करते है, वाह्य आचरण में भी इस मत के साधु अन्य मतों के साधुओं से भिन्न नियमों का पालन करते है. इस मत में भी लगभग १४ या इससे भी अधिक प्रशाखाएं है और सभी शाखाओं के अलग अलग आचार्य है. मूर्ति पूजा नहीं करने वाले मतों में स्थानकवासी तथा तेरापंथी मुख्य है.

सिख धर्म—राजस्थान में भारत के विभाजन के बाद ही सिख धर्म के अनुयायियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है. इस धर्म के अनुयायी निराकार ईश्वर में विश्वास करते है और गुरु-ग्रंथ साहव की पूजा करते है. इस धर्म की स्थापना आदि गुरू नानक द्वारा की गयी थी. और गुरु गोविंदसिंह आखिरी गुरु थे. मुस्लिम शासन काल में, विशेषकर औरंगजेब के राज्य में इस धर्म के अनुयायियों पर वहुत अत्याचार किए गये तव इन्हे आत्म-रक्षा के लिए तलवार का सहारा लेना पड़ा. वाद में सिखों ने अनेक वड़े वड़े राज्यों की स्थापना की.

बौद्ध धर्म—ऐतिहासिक अनुसंधान से जो भी तथ्य प्राप्त हुए है उसके अनुसार जयपुर डिविजन व मेवाड़ में बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव था. कालान्तर में इसका लोप हो गया. इस समय राजस्थान में बौद्ध-धर्म के इने गिने अनुयायी मिलते है.

इस्लाम धर्म—राजस्थान में इस्लाम धर्म का आगमन मुसलमान वादशाहों को समय-समय पर राजस्थान के अनेक भागों पर हुई विजय के साथ हुआ और धीरे-धीरे काफी संख्या में हिन्दुओं के धर्म परिवर्तन से मुसलमानों की संख्या में वृद्धि हुई. वर्तमान मुसलमानों में अधिकांश धर्म-परिवर्तन से बने मुसलमानों की सन्तानें है. भारत के विभाजन के वाद राजस्थान से कुछ मुसलमान पाकिस्तान चले गये लेकिन पाकिस्तान जाने वालों की मात्रा अधिक

नहीं थी. अतः आज भी राजस्थान में मुसलमानों की संख्या कम नहीं है. भरतपुर व अलवर के मेव पहले सामूहिक रूप से पाकिस्तान चले गये थे लेकिन बाद में भारत सरकार द्वारा पुनः बसाने का आश्वासन दिये जाने पर भारी मात्रा में वापस लौट आये. इन लौट आने वाले मुसलमानों में लगभग सभी परिवारों को बसाया जा चुका है. इस धर्म के अनुयायी समस्त राजस्थान में फैले हुए है. भारत में मिलने वाले सभी बड़े फिरकों के अनुयायी यहां मिलते है.

ईसाई धर्म — मुसलमानों की ही तरह ईसाई धर्म भी यहां बाहर से आया हुआ धर्म है और अंग्रेज-शासनकाल में धर्म परिवर्तन के बाद में यहां ईसाई धर्म का प्रचार हुआ. राजस्थान में ईसाइयों की संख्या ज्यादा नहीं है. ये लोग राजस्थान में या तो बड़े-बड़े शहरों में विशेषकर अजमेर में बसे हुए है या फिर आदिवासी क्षेत्रों में जहां कि विदेशी मिशनरियों द्वारा आदिवासी हिन्दुओं को धर्म परिवर्तन के बाद ईसाई बनाया गया. यहां केथोलिक तथा प्रोटेसटेन्ट दोनों ही शाखाओं के लोग मिलते है जिनमें अधिक संख्या केथोलिकों की है

जातियां—७ वीं शताब्दी रखने में राजपूतों के आने के पूर्व यहां मेव, भील, मीणा, गुर्जर आदि जातियां रहती थी. वस्तुतः बहुत प्राचीन काल से ही यहां अनेक जातियां देश के उत्तर तथा पश्चिम से आती जाती रही जिससे यहां के मूल निवासियों का सही अनुमान लगाना असंभव प्रायः है. मूल मानव वंशों में यहां के निवासियों का उद्गम एल्पोडिनारिक, ओरिएन्टल, मैडिटेरेनियन एवं प्रोटो-नारडिक आदिम जातियों से माना जाता है. कालांतर में इन मूल मानव वंशों के निरंतर मेलजोल के कारण किसी भी मूल जाति का विशुद्ध रूप ज्यों का त्यों नहीं रह सका अतः वर्तमान निवासियों में भिन्न-भिन्न अनुपात में प्रायः एक से अधिक मूल जाति के लक्षण दृष्गिोचर होते है.

राजस्थान में अधिकांश संख्या हिन्दुओं की है जिनकी लगभग १५० जातियाँ, उपजातियां, खांपें, उपखांपें यहां मिलती है. मुसलमानों में भी शेख, पठान, मेव, मुगल, सैयद आदि जातियां यहां पाई जाती है. अनेक जातियां ऐसी है जिनमें मुसलमानों तथा हिन्दुओं दोनों ही को प्रथाएं विद्यमान हैं. इसमें खानजादा जाति के मुसलमान मुख्यतः अलवर व जयपुर जिले में, कायम खानी जोधपुर व जयपुर में और मेव जाति अलवर व भरतपुर में मिलती है.

वर्ण व्यवस्था के अनुसार हिन्दू जाति में विभिन्न उपजातियों का वर्गीककरण छूत-अछूत के आधार पर किया जाता है. ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्णों को 'उच्च' तथा अन्य सभो को 'शूद्र' की संज्ञा देकर तिरष्कृत रक्खा गया है. वस्तुतः किसी प्रकार के आपसी मेलजोल का जाति अथवा उपजाति विशेष में इतनी संकीर्णता से निषेध रखा गया है कि सभी जातियां 'हिन्दू' होने पर भी एक दूसरे से सर्वथा अलग-अलग रही, कुछ व्यावसायिक जातियां कालांतर में इतनी उपेक्षित रही कि उनमें किसी तरह का विकास संभव नहीं हुआ. अतः हिन्दू जातियों में दो सर्वथा पृथक स्वरुप दृष्टिगोचर होते हैं.

एक, जिनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत सुरक्षित रही. राजस्थान में इस वर्ग में राजपूत, ब्राह्मण, ओसवाल, कायस्थ, अन्य वैश्य और जाटों आदि को अनेक उपजातियां एवं खांपें विद्यमान हैं. दूसरे वर्ग में इतर अपेक्षित जातियां एवं उपजातियां ली जा सकती हैं जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर तथाकथित 'उच्च' जाति वर्गो की अपेक्षा निम्न एवं हीन कोटि का रहा. इनमें से 60 के लगभग अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जन जातियां में गिनी जाती हैं.

यहाँ मुख्य रूप से पाच आदिम जातियां मिलती है, मीणा, भील, गरासिया, सहरिया तथा डामोरा. इनमें मीणों की संख्या 50.08 प्रतिशत तथा भीलों की 39.26 प्रभिशत है. राज्य के जिलों में भील उदयपुर जिले में, डामोर डूंगरपुर जिले में, गरासिया सिरोही जिले में, मीणा जयपुर तथा सहरिया कोटा जिले में सर्वाधिक मिलते हैं.

इतर उपेक्षित जातियों में आदिधर्मो, अहेरी, भील, बदी, बागरी, बाजीगर, बांसफोड़, बनजारा, बलाई, चामटा, चांडाल, बावरी, थोरी, सांसी, सेरिया, नट, गांछा, मोची, घांची, सुथार, लुहार, कंजर, ढ़ेड, डोम, कालबेलिया, मीणा. माली, नाई, साद, जोगी, कुम्हार, तेली, भांभी, मेहतर, भंगी, जागरी, गिरासिया, डामोर,

जिलेवार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या

राज्य/जिला	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
राजस्थान राज्य	34,261,862	5,838,879	4,183,124
1. गंगानगर	2,029,968	589,661	5,095
2. बीकानेर	848,749	155,767	1,496
3. चूरू	1,179,466	230,534	5,619
4. झुनझुनू	1,211,583	180,681	23,077
5. अलवर	1,771,173	312,389	143,858
6. भरतपुर	1,884,132	401,225	56,716
7. सवाई माधोपुर	1,535,876	328,147	348,130
8. जयपुर	3,420,574	556,190	380,199
9. सीकर	1,377,245	189,434	36,552
10. अजमेर	1,440,366	264,801	32,183
11. टोंक	783,635	161,685	92,477
12. जैसलमेर	243,082	35,284	10,680
13. जोधपुर	1,667,791	258,743	40,088
14. नागौर	1,628,669	312,336	2,984
15. पाली	1,274,504	225,912	69,694
16. बाड़मेर	1,118,892	174,908	57,038
17. जालोर	903,073	153,624	72,361
18. सिरोही	542,049	101,581	125,245
19. भीलवाड़ा	1,310,379	222,842	121,664
20. उदयपुर	2,356 959	193,465	809,156
21. चित्तौड़गढ़	1,232,494	178,380	223,864
22. डूंगरपुर	682,845	30,828	440,026
23. बांसवाड़ा	886,600	41,811	643,966
24. बूंदी	586,982	110,977	118,030
25. कोटा	1,559,794	293,421	231,316
26. झालावाड़	784,998	134,253	91,610

Sorce : Census of India. 1981, series Final Population figures. Dholpur was carved out of Bharatpur.

पिंजारा, रावत, मेघवाल, मिरासिया, रेगर आदि मुख्य हैं. चमारों की जनसंख्या इनमें सर्वाधिक 43 प्रतिशत है.

आगे दी गई तालिका राजस्थान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों की जनसंख्या जिलावार बतलाती है.

रीतिरिवाज—भारत के अन्य प्रदेशों से आकर यहां

बसने वाले लोगों के अतिरिक्त यहां की सभी जातियों के रीति रिवाज मूलत: वैदिक परम्पराओं से संचालित होते आये हैं. यहां तक कि इस राज्य की भूतपूर्व रियासतों की मुसलमानों तथा भील, मीणा, डामोर, गरासिया, सहरिया, सांसी आदि आदिम जातियां भी हिन्दुओं के रूढ़िगत रीति रिवाजों से अप्रभावित नहीं हैं. कुछेक प्रथाएँ मुगलों से प्रभावित अवश्य हुई किन्तु उनमें भी वैदिक परम्पराओं का अश सर्वथा लुप्त नहीं हुआ. आर्थिक वर्गों तथा ग्रामीण नगरीय फर्क इन रीतिरिवाजों में निसन्देह दृष्टिगोचर होता है. देहातों में ये नगरों की अपेक्षाकृत सरल तथा धनवानों में गरीबों से अधिक वैभवशाली तरीकों से सम्पन्न किये जाते हैं.

पारिवारिक जीवन में संयुक्त परिवार, घर में सबसे बड़े पुरुष की आज्ञा का पालन, बड़ों का आदर, पति-पत्नि में तथा स्वयं के बच्चों के प्रति लाजपूर्ण व्यवहार औरतों में अपने सुसराल के सभी बुजुर्गों के घूंघट निकालना, घर का सारा कामकाज करना तथा पति और सास-ससुर की सेवा करना प्राय: सभी जातियों में मिलता है. इसी तरह जन्म से मरणोपरांत भी सभी अवसरों पर देवी देवताओं की पूजा, यज्ञ, सामुहिक गीतों का गायन, सगे-सम्बन्धियों तथा बन्धुजनों और दूर के रिश्तेदारों के साथ रूढिगत प्रीतिभोज आदि का भी प्रचलन प्राय: सभी वर्गों तथा जातियों में सामान्य रूप में विद्यमान है.

प्राय: सभी वर्गों एवं जातियों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को प्राथमिकता एवं प्रधानता दी जाती है. लड़कों का लालन-पालन भी लड़कियों की अपेक्षा अधिक लाड़-प्यार से किया जाता है. शादियां लड़के लड़की के मां बाप अथवा बुजुर्गों द्वारा तय की जाती है तथा कुछ जातियों में अपेक्षाकृत छोटी उम्र में ही ब्याह कर दिये जाते हैं. कुछेक निम्न जातियों के अतिरिक्त अन्य सभी में बहु-विवाह तथा विधवा विवाह निषेध है. कुछ जातियों में एक मुहुर्त विशेष पर शादियां एक साथ की जाती हैं दहेज की प्रथा भी ज्यों की त्यों विद्यमान हैं. यहाँ पर्दा-प्रथा का प्रचलन भी रहा है ।

राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा है. इसे 'मोसर' कहते हैं मरने वाले व्यक्ति के पीछे उनके निकटतम संबंधी उसके अन्य सम्बन्धियों व ब्राह्मणों को भोजन करवाता है. यह क्रम 12 दिन तक चालू रहता है. मृत्यु से ठीक बारहवें दिन अधिक खर्चा करना होता है. उस दिन अधिक ब्राह्मणों व सम्बन्धियों को भोजन करवाते हैं और मृत व्यक्ति के पीछे दान-पुन भी करते हैं. यह रिवाज राजस्थान में आवश्यक रिवाजों में माना जाता है. कहीं कही मोसर करने में लोगों को अपने घर बार तक बेचने पड़ते हैं. जिन व्यक्तियों के पीछे मोसर करने वाले नहीं होते हैं वे अपने जीतेजी अपना मोसर खुद कर देते हैं और लोगों को खिलाकर खुद के नाम पर दान भी कर देते है, इसे 'जीवत खर्च के नाम से जाना जाता' है.

मृत व्यक्ति के पीछे उसके निकटतम सम्बन्धी अपने "केश" (बाल) कटवाते हैं, इसके साथ साथ 12 महिनों तक वे ही सम्बन्धी अपने घरों में किसी प्रकार की खुशी नही मनाते हैं और न ही ऐसे किसी आयोजन में भाग लेते है. उत्तम भड़कीले वस्त्रों का प्रयोग नहीं करते. ओढ़नी, साफा व पगड़ी का रंग आसमानी तम्बाकू, काला या सफेद रखते हैं जो यहां 'सोग' (शोक) के रंग माने जाते है.

मृत व्यक्तियों के पीछे यहां आश्विन महीने में श्राद्ध पक्ष होता है. जिस दिन जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, उसी तिथि के दिन उसके रिश्तेदार उसके नाम पर ब्राह्मण-भोजन करवाते हैं यह रिवाज राजस्थान में सर्वत्र है.

राजस्थान में राजपूत जाति में शराब व अफीम का बहुत प्रचार है. इस जाति में होने वाले तमाम उत्सवों व अन्य खुशी के दिन तमाम व्यक्ति एक साथ बैठकर शराब या अफीम का प्रयोग करते हैं. गांवों में इस प्रकार अन्य जाति के लोग भी खुशी के समय अफीम का प्रयोग करते हैं राजा-महाराज और जागीरदारों में तो शराब गाने वाली जातियों के व्यक्तियों की संगीत की महफिल का प्रचलन है.

राजस्थान में कुछ वर्ष पूर्व सती प्रथा का चलन था. वीर और शौर्य से ओत-प्रोत इस प्रदेश की महिलाएँ सती होने मे अपने को सौभाग्यशाली समझती थीं. अब यह प्रथा समाप्त हो गई है.

राज. महाराजा व जागीरदारों में पहले लोग अपनी

लड़की की शादी में दहेज के साथ में कुछ कुंवरी कन्याएँ भी देते थे जिन्हें 'डावड़ी' कहा जाता था।

अन्य प्रदेशों की भाँति यहा भी गोद लेने की प्रथा है. जब किसी व्यक्ति, के पुत्र नहीं होता है तो वह अपने वंश के नाम को आगे चलाने के लिये अपने सम्बन्धियों में से किसी एक बच्चे को गोद ले लेता हैं.

राजस्थान की स्त्रियां प्राय: घर का तमाम कार्य स्वयं हाथों से करती हैं चाहे धनी हो या गरीब. पहले तो घरों में महिलाएँ चक्की पीसना आदि काम भी स्वयं ही करती थी. जिन परिवारों का जीवन निर्वाह पशुओं पर ही निर्भर रहता है वहां महिलाएँ स्वयं घर में काम करती हैं और गायों को दूहना, मक्खन निकालना, पशुओं की देखभाल करना आदि कार्य वे करती है.

देहातों में महिलाएँ पीने के लिये पानी स्वयं अपने सर पर घड़े रखकर तालावों से लेकर आती हैं. अच्छे व धनी परिवारों की महिलाएँ भी प्रात: काल अपने सर पर घड़े रखकर पानी के लिये निकल पड़ती हैं और झुंड के झुड तालाब की ओर से आते जाते दृष्टिगत होते हैं. पानी लाने के अवसर पर वे मिल-जुलकर उल्लासपूर्ण गीत गाती हुई जाती हैं, यहां महिलाएँ प्राय: अधिक से अधिक जेवर बनवाने को उत्सुक होती हैं और उन जेवरों को हर समय पहने हुई रहती हैं.

ब्राह्मण जाति में बच्चों के जनेऊ डालने की प्रथा है. जनेऊ सूत के तीन धागों की होती है जिसमें तीन गांठें लगी होती है. इस रिवाज के पीछे एक सांस्कृतिक घटना का संबंध है. बच्चे की आयु जब 10 वर्ष की हो जाती है तब उसके लिये जनेऊ का होना आवश्यक मान लिया जाता है. इसे 'यज्ञोपवीत' नाम से पुकारा जाता है, यह रिवाज भी बड़ी धूम-धाम से संपन्न किया जाता है और उस दिन अनेक धार्मिक रीति रिवाजों के साथ खान-पान का आयोजन होता है.

वेशभूषा--परम्परागत वेशभूषा में यहां के राजपूत नरेशों की शाही पोशाकें मुगल सम्राटों से प्रभावित रही. जामा, खिड़किया पाग, अंगरखी, चूड़ीदार पायजामा, कमरबन्द तथा कटार एवं तलवार यहां के नरेशों की राजकीय पोशाक थी. फिर अंग्रेजों के समय में 'ब्रीचेस' जिसे मारवाडी भाषा में 'बिरजस' कहा जाता है चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर काम में लिया जाने लगा. बिरजस के साथ में शेरवानी, अचकन अथवा बन्द गले का कोट पहना जाता रहा.

पगड़ी के साथ यहां के कतिपय उच्च परिवारों में अभी भी सेरवानी या अचकन पहनने की प्रथा रही है. यह अचकन विशेष प्रकार का बना होता है. इसकी लम्बाई घुटनों से भी नीची होती है, यहां तक की कुछ अचकनों की लम्बाई तो पैरों तक पहुंच जाती है.

सर पर पगड़ी के स्थान पर साफा अथवा फैंटा बांधा जाता था. जो भी परिवार तथा जातियां राजकीय सेवाओं में थी, उनमें भी चूड़ीदार पायजामा, अचकन तथा पगड़ी अथवा बिरजस, बन्द गले का कोट और साफा प्रचलित हो गया. यहां नंगे सर रहना अपमान जनक तथा अपशुकन गिना जाता रहा. रियासतों के किलों तथा महलों एवं जागीरों के रावलों में कोई भी व्यक्ति नंगे सर प्रवेश नहीं कर सकता था. गांवों में महाजन अथवा वैश्यों में पगड़ी तथा बाकी सभी जातियों एवं वर्गों में साफे का प्रचलन अभी तक भी ज्यों का त्यों है. ग्रामीणों में तथा शहरियों में साफे के रंगों तथा बांधने के तरीके में फर्क है पगड़ी एवं साफा दोनों के बांधने के तरीके भी भिन्न-भिन्न इलाकों में पृथक-पृथक हैं.

मेवाड़ में प्राय: सभी व्यक्ति केवल पगड़ी ही पहनते वहां साफे का रिवाज नहीं के बराबर है. ग्रामीण भी उसी उसी प्रकार की पगड़ी पहनते हैं. मारवाड़ में साफे अधिक प्रयोग में आते हैं, परन्तु साफों के साथ-साथ उच्च व्यापारी वर्ग के व्यक्ति तथा कुछ वयोवृद्ध पगड़ी का प्रयोग भी करते हैं. मारवाड़ में पहने जाने वाली पगड़ी मेवाड़ की पगड़ी से आकार में बड़ी और ऊँची होती है.

राजस्थान के पहनावे में एक प्रकार का और रिवाज हैं. प्राय: हर व्यक्ति अपने हाथ में एक लम्बा कपड़ा अवश्य रखता है. कई व्यक्ति तो इस कपड़े को कमर में बांध लेते हैं. इसके साथ में हाथ में 'गेडी' रखने का भी प्रचलन है. ग्रामीण प्राय: बड़ी लकड़ी अपने हाथों में रखते हैं.

प्राचीन समृद्ध परिवारों की वेशभूषा लगभग एक सी है. उनमें शासक और शासित का कम अन्तर है. परन्तु साधारण रूप से राजपूत लोग 'साफे' पहनते हैं, जो बहुधा अच्छी मलमल के सफेद अथवा रंगीन होते हैं. उनमें बन्धेज सम्मिलित होते हैं. यह साफे ग्रामीणों द्वारा पगड़ी के आकार में बांधे जाते हैं.

ग्रामीण जनता 'अंगरखी' पहनती है जो किसी भी रंग की हो सकती है परन्तु बहुधा श्वेत ही होती है. इसे ग्रामीण भाषा में 'बुगतरी' भी कहते है. गर्म अगरखों का बहुत कम रिवाज है परन्तु शीत से बचने के लिए कम्बल से या रेजी के कपड़ों का 'पछेवड़े' से काम लिया जाता है. ग्रामीण लोग इस कम्बल या पछेवड़े को खेतों में काम करते समय इस प्रकार से ओढ़ते हैं कि कम्बल हाथों का बन्धन न बन जाय. इस प्रकार से सर पर ओढे जाने वाली कम्बल घूघी' कहलाती है. गांवों में रंगीन सूती कपड़ों की सिली हुई घूघी बच्चों के लिए अत्यधिक प्रचलित है.

स्त्रियों में सामन्तों व अन्य साधारण नागरिकों की पोषाक में रंगों के इतने भेद नहीं है परन्तु कपड़ों की किस्म तथा पहनने के तरीकों में कुछ भेद है. सामन्ती परिवारों एवं समृद्ध परिवारों में ओढ़नी या लुगड़ी छपाई, बंधेज और रंगीन बारीक व अधिक कीमती वस्त्रों की होती है. उच्च वर्ग की महिलाओं का घाघरा या लंगा भी साधारण समाज की महिला की ओढ़नी से कदाचित महीन हो सकता है. ओढ़नियों के नाम चूनड़ी, पीला, फांगणियां पोमचा, बसंती, लेरिया, डबकियां आदि होते है. ये राजस्थान में सर्वत्र पहनी जाती है. उच्च वर्ग में घाघरा के स्थान पर आजकल लहंगे पहने जाते है. नगरों की स्त्रियों में साड़ी का भी काफी प्रचलन है.

शृंगार के क्षेत्र में यदि नख-सिख वर्णन किया जाय तो सर पर पहनने का गहना-बोर जो मांग के ठीक सामने हीरे और पन्नों से जड़ित स्वर्ण का चन्द्रकार गहना है, पहना जाता है. यह सुहाग का भी चिन्ह माना जाता है. अब "बोर" का स्थान टीका लेता जा रहा है जिसे हम राजस्थान की प्राचीन संस्कृति पर उत्तर प्रदेश से आया हुआ मुगल संस्कृति का प्रभाव कह सकते है. 'बोर' भी राजस्थान के विभिन्न गाँवों में भिन्न 2 प्रकार के पहने जाते हैं. बीकानेर, जैसलमेर व फलौदी के इलाकों में बहुत बड़ा आकार का 'बोर' पहना जाता है. जयपुर व मेवाड़ में छोटे छोटे बोर पहने जाते हैं जो चपटे आकार के होते हैं. मारवाड़ में छोटे बोर पहनते हैं जो आकार में गोल होते हैं.

बोर से कानों तक फीते के आकार की नगों से जड़ी हुई सोने की जंजीर आ जाती है, जो कानों के आगे के भाग को ढ़कती हुई कान के नीचे के कोमल भाग तक आ जाती है. यहां छिदे हुए कान में कर्णफूल शोभित होते हैं. कानों के इन आभूषणों का नाम वाले, फूल, झूमके व एरण इत्यादि हैं. नाक का भी बाई ओर छेदन होता है जिसमें बहुधा श्वेत चमकता नग पहना जाता है जो मुख की शोभा को बढ़ा देता है. नाक में 'नथ' पहने जाने का रिवाज लगभग खतम सा हो रहा है. महिलाओं के साथ राजस्थान के अनेक गांवों में पुरुष भी कानों में सोने के जेवर पहनते हैं जिन्हें राजस्थानी में 'मुरकिये' कहा जाता है. कई पुरुष भी मुकरिये के साथ-साथ कान के चारों ओर सोने की जंजीर रखते हैं.

इसी प्रकार गले में अनेक प्रकार के हार, बाजुओं पर बाजूबन्द जिसमें रगबिरंगी चीजों से गुंथे हुए "लूमझूम" झूमते रहते हैं. कलाई पर भी सोने व हीरों की चूड़ियां तथा अन्य सोने चांदी के गहने पहने जाते हैं. अंगुलियों में अंगूठियां रहती है. कमर पर सोने चांदी का कंदोरा और पैरों में साधारणतः चांदी के कड़े, छड़े, पायल घूंघरु वाले पायल जो चलने पर बज उठते हैं, पहने जाते हैं. इस प्रकार महिलाओं में अनेक प्रकार के जेवर पहनने का रिवाज है. कई स्थानों पर तो गले में बहुत बढ़ियां कीमती 'चंदन हार' पहना जाता हैं. पहले चंदन हार धनी लोग ही प्रयोग में लाते थे परन्तु आजकल चन्दन हार तो प्रायः साधारण चलने में शामिल हो गया है. चन्दन हार के अलावा गले में कंठी पहनने का भी रिवाज है. कई-कई महिलायें गले में एक अन्य प्रकार का आभूषण पहनती है जो कीमती नगों से जड़ा होता है जिसे "तिमणियां" कहते है. कलाई में एक विभिन्न प्रकार का कड़ा पहना जाता है जो "गोखरू" नाम

में प्रसिद्ध है. गोखरु के पास भी एक प्रकार का आभूषण पहना जाता है जिसे "पून्चि" कहते हैं.

राजस्थान में स्त्रियां अपने सुहाग की निशानी के लिए हाथों में हाथी दांत अथवा लाख का चूड़ा पहनती है. यह देश में अन्यत्र ही होता है. कलाई की शोभा वढ़ाने वाली चूड़ियां शृंगार के साथ साथ सुहाग चिन्ह मानी जाती है. परन्तु राजस्थान में कई स्त्रियां कुहनी के ऊपर वाजू पर चूड़ा पहनती है. इनका शृंगार केअलावा भी कुछ अर्थ है. यह अमर सुहाग की निशानी है. राज्य के कुछ भागों में पोपाक में रंगों का मेल वहुत आकर्षक होता है.

राजस्थान में ३० मार्च, १९४९ तक भारत के आजाद होने के वाद भी किसी स्त्री पुरुष को पैरों में सोना पहनने का अधिकार नहीं था, जव तक कि उसे राज कुल से यह अधिकार नहीं दिया गया हो. इतना ही नहीं, गांवों में कृषक परिवार की महिलाएं सिर पर सोना तक नहीं पहन सकती थी. यह रिवाज गरीवी के कारण नहीं था परन्तु अपने स्थानीय शासकों के डर से था.

भापा एवं वोलियां : राजस्थान के निवासियों की मूल भापा राजस्थानी है. यह ध्यान रखने योग्य है कि यहां के निवासियों का शिक्षित वर्ग भी दैनिक जीवन में राजस्थानी भापा का प्रयोग करता है यद्यपि यह संभव है कि जनगणना में इस वर्ग के कई लोगों ने अपनी भापा हिन्दी वतलाई हो. आगे दी गई तालिका 1961 की जन गणना के अनुसार राज्य से वोली जाने वाली भापाओं एवं वोलियों का व्योरा देती है:—

मातृभापा/वोलियां	वोलने वालों की संख्या
अफगानी, कावुली आदि	840
अहिरवाटी	21119
अजमेरी	575
अलवरी	18
अरवी	274
असामी	71
वागड़ी-राजस्थानी	309267
वलोची, वलुची	239
वन्जारी	1228
वाउरी	946
वंगाली	8807
भरतपुरी	239
भीली	74214
भोजपुरी	5
भूटानी	2
विहारी	397
विकानेरी	39
व्रज भापा	71659
वुन्देलखण्डी	900
छीकारी	8
चीनी	6
देसवाली-हरियाणी	2359
डंडेरी	13
ढांडी	327
ढूंढाड़ी	1591825
डिंगल	4
अंग्रेजी	1289
फ्रेंच	8
गाडिया लुहारी	33
गाडोली	43
घरवाड़ी	249
जर्मन	4
गोडवाड़ी	130
गुजराती	41833
हाड़ोती	561006
हिन्दी	650554
जैपुरी	81214
जोधपुरी	17
कालवेली	200
कंजारी	1109
कांकड़ी	42
कन्नड़	371
कश्मीरी	317
खैराड़ी	111046
खांचीवाड़ी	4422
खांडवी	22

मातृभाषा/बोलियां	बोलने वालों की संख्या
लमाणी-लम्बाड़ी	302
लशकरी	3
लोहारी-राजस्थानी	338
महाराजा शाही	3
मैथली	76
मलयालम	2213
मालवी	236668
मराठी	9183
मारवाड़ी	5781846
मेजवाड़ी	3974
मेवाड़ी	1819034
मेवाती	28663
मुल्तानी	190
नागरचाल	28560
नागौरी	28
नारनोली	36
नेपाली	1820
ओरिया	264
पालवी	264
फारसी	72
पिंगल	31
पुर्तगाली	2
पंजाबी	401115
राजस्थानी	713357
राजावाटी	73
राठी	2860
रेखाटी	19
रूसी	1
सांसी	351
संस्कृत	31
शेखावटी	22159
सिन्धी	233321
सिपारी	485
सोंडवाड़ी	58623
तामिल	3443
तेलगू	1181
थली	476
तिब्बती	73
उर्दू	509654
वागड़ी	75 709

राजस्थानी—अपभ्रंश के मुख्यत: तीन रूप माने गये हैं—नागर, वाचड और उप-नागर. इसमें से पश्चिमी भारत की 'नागर-अपभ्रंश' ही मुख्य मानी गई. श्री सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या के अनुसार इस 'नागर-अपभ्रंश को राजस्थानी भाषा-विकास के आधुनिक काल का प्रारंभ सन् 1850 ई. से माना जाना चाहिए. इस समय तक राजस्थान पर अंग्रेज शासकों का अधिकार स्थापित हो चुका था आधुनिक काल मे भी राजस्थानियों को अपने देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करना पड़ा है. राजस्थान की जनता के स्वाधीनता संग्राम में संगठन और प्रचार आदि के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए राजस्थान के जन-कवियों ने सरल-सरस राजस्थानी भाषा मे ही अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की. जनता में इस रचनाओं का बहुत प्रचार हुआ. राजस्थानी शौर्य के उद्घोषक चारण कवियों ने भी "डिंगल" को विविध प्रकार के बंधनों तथा स्थिरता से छुटकारा दिलवा कर जनता के निकट ला रखा. उदाहरण के लिए महाकवि सूर्यमल, केसरीसिंह बारहठ कोटा, और नाथूदान महियारिया आदि की रचनाएँ मध्यकालीन डिंगल की अपेक्षा अधिक सरल और सरस है.

राजस्थानी भाषा की लौकिक शैली जिसको मीरांबाई और अन्य संत कवियों ने प्रतिष्ठित किया था, आधुनिक काल में विकसित होती रही है. महाराज चतुरसिंह जैसे साहित्यकारों ने इसी शैली में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कर जनता में लोकप्रियता प्राप्त की है

राजस्थानी का वर्गीकरण—कर्नल टॉड ने अपने ग्रंथों में राजस्थानी भाषा के बोली के कुछ वाक्यांश दिये है जैसे आकरी झोंपड़ी, मोंठारी दाल, बाजरा री रोटी, देखी हे राजा थारी मारवाड़ ! आदि, इससे कई विदेशी व देशी विद्वानों का ध्यान इन बोलियों की ओर आकर्षित हुआ.

अंग्रेजों के साथ सम्पर्क होने से जो देन हमें यूरोप से मिली है, उसमें यान्त्रिक ज्ञान-विज्ञान और यांत्रिक साधनों का महत्व इतना नहीं है जितना महत्व यूरोप से प्राप्त वैज्ञानिक दृष्टि से भरी जिज्ञासा (ScientificCurios ity) या वैज्ञानिक कौतूहल का है. अंग्रेज सरकार का जब से भारत के भू-भागों पर अधिकार हुआ तब से ही अंग्रेज विद्वानों की दृष्टि भारतीय भाषाओं पर पड़ी. इनकी चर्चा में ये लोग अपनी यथाशक्ति तथा यथासंभव लग गये. कलकत्ते के निकट श्री रामपुर में बेपटिस्ट मिशन के केरी, मार्शमान और वार्ड नाम के तीन मिशनरी भारतीय भाषाओं के अच्छे विद्वान हुए. ये भारतीय भाषाओं में बाइबल के अनुवाद के काम में नियुक्त हुए. बंगला, हिन्दी, उर्दू इत्यादि के अलावा इनकी चेष्टा से बाइबल के द्वितीय खंड (ईसा के सम्बन्ध में लिखी : ई पुस्तक) "नये नियम" का मारवाड़ी, उदयपुरी या मेवाड़ी, बीकानेरी, जैपुरी, हाडौती बोलियों में अनुवाद हुआ. यह कार्य उन्नीसवीं सदी के प्रथम चरण में हुआ था. राजस्थानी भाषा के सम्बन्ध में यूरोप के पंडितों के कौतूहल का यह प्रथम फल है. भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक विवेचन के सम्बन्ध में सबसे पहिले ग्रंथ जान बीम्ज (John Beames) ने लिख कर तीन खंडों में सन् 1872, 1875 और 1879 में प्रकाशित किया था, परन्तु उनमें राजस्थानी का कहीं उल्लेख नहीं हुआ. उन्होंने राजस्थानी को हिन्दी के अन्तर्गत ही समझा, बीम्ज के बाद स्व. रामकृष्णगोपाल भंडारकर और रूडोल्फ हार्नले (Rudolf Hoernle) ने अपने भारतीय आर्यभाषाओं के इतिहास विषय के ग्रंथों में भी राजस्थानी पर खास बात नहीं लिखी. केलॉग (Kellog) ने अपनी हिन्दी व्याकरण में राजस्थानी बोलियों में से मारवाड़ी और मेवाड़ी और कहीं कहीं जैपुरी पर भी कुछ विचार किया है.

राजस्थानी बोलियों का प्रथम उल्लेख सन् 1907 और 1908 में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन (Sir George Abraham Grierson) ने अपने आधुनिक भारतीय भाषा-विषयक विश्वकोष (Linguistic Survey of India) के दो खंडों में किया था. इसकी खोज से राजस्थानी बोलियों के पारस्परिक संयोग व सम्बन्धों के विषय स्पष्ट रूप से पाठकों के सम्मुख आते हैं. पुरानी पश्चिमी राजस्थानी (अर्थात् गुजराती और मारवाड़ी के पूर्व रूप) के ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पर राजस्थान की अपनी भाषा मानी है. इसी 'नागर-अपभ्रंश' से 1000 ई. के आसपास राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई.

राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के विषय में यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि राजस्थान और गुजरात में प्रचलित जिस मूल भाषा से राजस्थानी की उत्पत्ति हुई है, उसका सम्बन्ध सिंध पंजाब से रहा है—न कि मध्य प्रदेश से. राजस्थान-गुजरात में आर्य भाषा का प्रवेश भी सिंध-पंजाब से ही हुआ है. अशोक के गिरनार लेखों की भाषा से यह स्पष्ट है कि अशोक के समय जो भाषा यहां प्रचलित थी वह शौरसोनी व मध्यदेशीय नहीं थी. इस प्रकार राजस्थानी मध्यदेशीय भाषा के अन्तर्गत नहीं मानी जा सकती.

राजस्थानी प्रारम्भ में बोलचाल की भाषा थी. 1000 ई. के बाद राजस्थानी में साहित्य सृजन हुआ. इस प्रकार प्राचीन राजस्थानी का काल सन् 1000 से 1500 तक माना जाता है.

सन् 1600 ई. तक पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात की भाषा एक ही थी. 'पुरानी पश्चिमी राजस्थानी' अर्थात् गुजराती और मारवाड़ी इन दोनों के पूर्व रूप का विवेचन ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पर सन् 1914 से 1916 तक इटली के विद्वान राजस्थानी विद् स्व. डा. एल. पी. तेस्सीतोरी ने 'Indian Antiquary' पत्रिका के अंकों में किया है. प्राचीन राजस्थानी का विस्तार-क्षेत्र आज की अपेक्षा अधिक था. वर्तमान राजस्थान-मालवा के अतिरिक्त समस्त गुजरात और सिंध, पंजाब तथा शूरसेन प्रदेश में मुख्यतः प्राचीन राजस्थानी, जिसको 'जूनी राजस्थानी' भी कहा गया है प्रतिष्ठित थी. 16 वीं शताब्दी में ही प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी से गुजराती का स्वतन्त्र रूप में विकास हुआ.

प्राचीन राजस्थानी के नाम के संबंध में यद्यपि बहुत से मतभेद आज भी विद्यमान हैं, परन्तु डा० तेस्सीतोरी

ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्राचीन राजस्थानी से और उसके पश्चिमी रूप से गुजराती भाषा की उत्पत्ति हुई है. प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी का प्रसार न केवल समस्त राजस्थान व गुजरात में था, वरन् सिंध, पंजाब और कबीर की रचनाओं से प्रमाणित है कि पूर्व में काशी तक भी था.

जैन आचार्यों एवम् साधु-साध्वियों और यतियों ने प्राचीन राजस्थानी का प्रचुर मात्रा में साहित्य निर्माण किया है. उन्होंने पद्य में भी अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं. चारण कवियों ने भी प्राचीन राजस्थानी में अपनी विशेष शैली "डिंगल" में बहुत से उत्कृष्ट गीत व दूहे आदि लिखे.

डिंगल जिसकी नींव प्राचीन राजस्थानी में ही पड़ चुकी थी, मध्यकाल में विकास की चरम सीमा पर पहुंच गई. डिंगल विकसित होती हुई, बोलचाल की राजस्थानी से कुछ दूर जा पड़ी. इसमें जान-बूझ कर द्वित्व वर्णों का प्रयोग किया जाने लगा और शब्दों की तोड़ मरोड़ भी बहुत बढ़ गई. मारवाड़ा के साहित्यिक रूप में 'डिंगल' स्थिर सी हो गई और समस्त राजस्थान के साहित्यकार, मुख्यतः चारण कवि इसमें साहित्य रचना करने लगे. डिंगल में गीत, दूहे और छंद पर्याप्त मात्रा में लिखे गये, जो आज भी अपनी उत्कृष्टता के कारण जनता में प्रचलित हैं.

मध्यकाल में मीरां ने सरल, सरस लौकिक राजस्थानी में अपने पद प्रस्तुत कर समस्त भारत में लोकप्रियता प्राप्त की. मध्यकालीन राजस्थानी रचनाओं में संत साहित्य का निर्माण भी इस युग में हुआ परन्तु जैन-साहित्य में प्राकृत व अपभ्रंश का प्रभाव रहा है.

राजनैतिक कारणों से इसी युग में राजस्थान का सम्बन्ध दिल्ली व आगरा से हुआ. मध्यप्रदेश से सम्बन्धित कवियों ने राजस्थानी से प्रभावित व्रज भाषा मे अपनी कविताएँ की. राजस्थानी की व्रज व शौरसेनी की यह शैली 'पिंगल' के नाम से प्रसिद्ध हुई. पिंगल का मुख्य क्षेत्र पूर्वी राजस्थान रहा.

सन् 1914 से सन् 1916 तक इटली के विद्वान (एल. पी. तेस्सीतोरी) ने 'इण्डियन ऐन्टीक्वेरी' पत्रिका के अंकों में जो मूल्यवान गवेषणापूर्ण सामग्री प्रस्तुत की थी उससे राजस्थानी की उत्पत्ति और विकास पर अभूतपूर्व प्रकाश पड़ा है.

भारत की अन्य भाषाओं के समान राजस्थानी की भी कुछ विशिष्टताएँ हैं. ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है :

(1) पश्चिमी राजस्थानी, इसमें ये बोलियां आती हैं : मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढ़ारकी, बीकानेरी, वागड़ी, शेखावाटी. खेराड़ी गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी आदि.
(2) उत्तरी-पूर्वी राजस्थानी : अहीरवाटी और मेवाती.
(3) मध्यपूर्वी राजस्थानी : ढूंढाड़ी, तोरावाटी, खड़ी, जैपुरी, का.ड़ी, राजावाटी, अजमेरी, किशनगढ़ी; (शाहपुरा) नागर चाल, हाड़ौती.
(4) दक्षिण पूर्वी राजस्थानी : रांगड़ी और सोंघवाड़ी आदि.
(5) दक्षिण राजस्थानी : इसमें निमाड़ी आदि आती है.

राजस्थानी नाम से, ग्रियर्सन ने भौगोलिक संयोग के कारण और कुछ स्थूल कारणों से जिन बोलियों को एकत्र गूंथ दिया था वे सचमुच दो पृथक शाखाओं की है. एक पूर्व की शाखा, जो पछांही हिन्दी से (व्रज भाषा आदि से) ज्यादा संबंध रखती है और दूसरी पश्चिम की शाखा से जो प्राचीन राजस्थानी कही जाती है.

राजस्थानी बोलियों का जन्म नागर, या शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है, पं. मोतीलालजी मेनारिया के मतानुसार राजस्थानी की निम्न नौ बोलियां हैं :

(1) मारवाड़ी
(2) मेवाड़ी
(3) वागड़ी
(4) ढूंढाड़ी
(5) हाड़ौती
(6) मेवाती
(7) व्रज
(8) मालवी
(9) रांगड़ी

मारवाड़ी—जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और शेखावाटी में बोली जाती है, इसे पश्चिमी राजस्थानी ही कहा जाना चाहिए. मारवाड़ी साहित्यिक दृष्टि से सम्पन्न बोली है और जहां व्यापार पटु मारवाड़ी गये हैं वहां यह

बोली जाती है. विस्तृत लोक-साहित्य के साथ-साथ इसी के आधार पर काव्य-भाषा का श्री-स्वरूप भी बना है.

मेवाड़ी—मेवाड़ के अधिकांश भाग में बोली जाती है. इसमें अधिक साहित्य रचना नहीं हुई है. मारवाड़ी और मेवाड़ी का मुख्य अन्तर क्रिया के व्यवहार का है. मेवाड़ी में 'ए' और 'ओ' की ध्वनि का विशेष उपयोग होता है जैसे—"ओ, नीला घोड़ा रा असवार" परन्तु मारवाड़ी आकार प्रिय भाषा है.

बागड़ी—डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा दक्षिण-पश्चिम मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश में बोली जाती है. गुजरात की सीमा पर होने से यह मिश्रित बोली है, जिसे हम मेवाड़ी-गुजराती कह सकते हैं. इसमें कारक, विभक्ति और क्रिया प्रायः गुजराती के ही व्यवहार में आती हैं और गुजराती के शब्द इसमें प्रचुर हैं. यह भीलों की बोली है.

ढूंढाड़ी जयपुर राज्य की भाषा रही.

हाडौती—बूंदी और शाहपुरा तथा मेवाड़ के पूर्व भाग में यह भाषा बोली जाती है.

मेवाती—अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के पूर्वी भाग में बोली जाती है. इनके अन्य भागों में बागड़ी के समान ही मिश्र ब्रज भाषा बोली जाती है.

मालवी—झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ की बोली है.

रांगड़ी—राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली है.

मेले एवं त्यौहार—मेले और त्यौहार राजस्थान के जन जीवन की परम्परागत विशेषता है जो अभी तक भी ज्यों कि त्यों विद्यमान है. त्यौहारों में यहां हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्मों के उत्सव मनाये जाते हैं. देहातों की परम्परा के अनुसार इन धार्मिक पर्वों पर छोटे-बड़े 'हाट' लगाये जाते हैं, विभिन्न स्थानों से लोग उस स्थान विशेष पर एकत्रित होते हैं. इन मेलों में कुछ का महत्व तो केवल स्थानिक है, किन्तु कुछ मेले देशव्यापी हैं. इन मेलों में कुछ का धार्मिक महत्व है और कुछ का आर्थिक.

मुख्य धार्मिक मेले—यहां के धार्मिक मेलों की भी यह विशेषता है कि तत्सम्बन्धी धर्म के अनुयायियों के अतिरिक्त अन्य जातियों, वर्गों तथा धर्मों के लोग भी इनमें भाग लेते हैं. यहां आयोजित मुख्य-मुख्य मेले इस प्रकार हैं :—

केशरियानाथजी का मेला—यह मेवाड़ में धुलेव गांव पर चैत्र वद अष्टमी को लगता है.

चारभुजा का मेला—मेवाड़ में चारभुजा गांव में यह मेला भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को लगता है.

माता कुंडालिनी का मेला—चित्तौड़गढ़ जिले में रश्मी गांव में यह मेला वैसाख सुदि पूनम को लगता है.

महावीरजी का मेला—यह मेला चैत्र मास में महावीरजी (जयपुर) में लगता है.

पुष्करजी का मेला—कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह मेला अजमेर जिले में हिन्दुओं के तीर्थ स्थान 'पुष्कर' में लगता है जिसमें दूर-दूर से लोग कार्तिक स्नान करने के लिये एकत्रित होते हैं.

कोलायतजी का मेला—बीकानेर के पास कोलायत गांव में यह मेला लगता है जहां राजस्थान तथा गुजरात के विभिन्न गांवों तथा शहरों से लोग आते हैं. यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आयोजित किया जाता है.

रामदेवजी का मेला—पोकरण के पास रामदेवरा नामक गांव में रामसा पीर का यह मेला जो भाद्रपद के महीने में नवमी के दिन लगता है. बहुत ही बड़ा मेला है, जिसमें भारत के अन्य राज्यों से लोग बहुतायत में 'बोलदा' के लिये आते हैं. राजस्थान के देहातों से अपार संख्या में लोग इस मेले में भाग लेने के लिये आते हैं. ऐसी मान्यता है कि रामदेव बाबा कोढ़ियों तथा अन्य कष्टदायक रोगों से भी मुक्ति दिलवा देते हैं.

ख्वाजापीर का मेला—इसी प्रकार का दूसरा मेला जिसमें सभी जातियों, वर्गों तथा धर्मों के लोग असंख्य तादाद में एकत्र होते हैं—वह है अजमेर में स्थित ख्वाजा मोहियूद्दीन चिश्ती की दरगाह पर होने वाला मेला. मुसलमानों के लिये यह मेला मक्के-मदीने की हज के बराबर का महत्व रखता है. भारत में मुसलमनों का सबसे बड़ा अपार समूह अन्यत्र कहीं भी जमा नहीं होता. इस अवसर पर यहां 'उर्स' होते हैं जिसमें भारत तथा पाकिस्तान के प्रसिद्ध कलाकार 'कव्वाल' भाग लेते हैं. और अन्य देशों के मुसलमान भी इस अवसर पर यहां आते हैं. यह प्रायः

नवम्बर-दिसम्बर के महीनों में आयोजित होता है.

उपर्युक्त मेलों के अतिरिक्त करणी मंदिर देशनोक (बीकानेर) में लगने वाला नवरात्रि का मेला कोटा में लगने वाला दशहरे का मेला एवं जोधपुर में लगने वाला शीतला माता का मेला का अपना विशिष्ट महत्व है.

पशु मेले—कुछ धार्मिक मेलों जैसे पुष्कर जी का मेला, धार्मिक के अतिरिक्त आर्थिक महत्व भी रखते हैं. इन मेलों के अवसर पर पशु मेलों का आयोजन होता है. राज्य के मुख्य पशु मेले नागौर, तिलवाड़ा, सांचौर तथा परवतसर में लगते हैं. इनमें परबतसर तथा नागौर के पशु मेले कार्तिक शुल्क पक्ष के महीने में तथा तिलवाड़ा और सांचौर के मेले चैत्र के महीने में आयोजित होते हैं.

त्यौहारों में बसन्त पंचमी, संक्रांति, होली, शिवरात्रि, शीतलाष्टमी, जन्माष्टमी, रक्षा बन्धन, रामनवमी, अक्षय-तृतीया, निर्जला-एकादमी, छोटी तीज, बड़ी तीज, घुड़ला, गणगौर, दशहरा और दिवाली मुख्य हैं.

होली में देश के अन्य भागों की तरह यहां भी होलिका दहन और दूसरे दिन फाग खेलने की प्रथा है. स्थान-स्थान पर प्रसन्न मुद्रा में स्त्री-पुरुषों के समूह राजस्थान की विभिन्न बोलियों में फाग के गीत एक विशेप वाद्ययन्त्र के साथ जिसे 'चंग' या 'डफ' कहते हैं, गाते हुए नजर आते हैं. गुलाल तथा रंगीन पानी से तरबतर स्त्री-पुरुष-बालक सब में इस त्यौहार के अवसर पर आनन्द की लहर दौड़ जाती है.

इस अवसर पर "डंडियों" का नाच होता है. यह होली के एक सप्ताह पहले से ही आरम्भ हो जाते हैं. इन नृत्यों में मनुष्य तरह-तरह के वेश बनाकर व श्रृंगार करके समूहों में हाथों में छोटी छोटी लकड़ियें अथवा बैंतें लेकर नृत्य करते हैं. नृत्य करने में वे ढोल व ढोलक की ताल पर कदम उठाते हैं और एक गोलाकार चक्कर में झूमते हुए लय तरंगित कर नाचते हैं. नृत्य करने वाले मनुष्यों के पैरों में घुंघरु भी होते हैं. राजस्थान की ग्रामीण जनता तो होली के पर्व पर इतनी निशंक होकर नाचती है कि उस समय अपनी सुध-बुध का भी ध्यान नहीं रहता. कई गांवों में औरतें भी ऐसे नृत्यों में भाग लेती हैं और तालियां बजा-बजा कर ताल देती हुई गाती हैं. स्त्रियों के नृत्य को 'लूर लेना' कहा जाता है।

व्रज के निकट होने के कारण भरतपुर और अलवर में होली का त्यौहार और भी अधिक विशेपता रखता है. इसी प्रकार दीपावली पर मकानों की सफेदी एवं सफाई करवाने तथा दीपमालिका एवं लक्ष्मी पूजन की प्रथा के साथ ही यहां आतिशबाजी का प्रचलन है.

दीपावली की रात्री को "हीड" देने की प्रथा राजस्थान में कई स्थानों पर प्रचलित है. गाय चराने वाले ग्वालों के लिए भी दीपावली विशेष महत्व का त्यौहार है. वे लोग गौ पूजन करते है. गायों के गले में घंटिया बांधते हैं और हींड का एक विशेष गीत गाते हैं. दीपावली के पश्चात भैया दूज और दवात पूजन आदि के त्यौहार मनाये जाते है.

राजपूत परम्परा का प्रदेश होने के कारण दशहरे का यहां बडा महत्व है. इस दिन राजस्थान की भू. पू. रियासतों मे लवाजमों के साथ सवारियां निकला करती थीं. आज भी कई रियासतों में राजा एवं जन साधारण शमी: (खेजड़े) का पूजन किया करते है. जोधपुर में इस दिन रामचन्द्रजी की रथ की सवारी निकाली जाती है तथा कागज व बारूद से बनाया हुआ रावण जलाया जाता है. दशहरे पर कोटा में बहुत बड़ा मेला लगता है जिनमें भारत के अन्य भागों से व्यापारी लोग बड़े-बड़े बाजार लगाते हैं.

राष्ट्रीय बड़े त्यौहारों के अतिरिक्त राजस्थान के अपने त्यौहारों में से एक विशेष महत्व का त्यौहार है 'गणगौर' जो होली से लगभग पन्द्रह दिन बाद मनाया जाता है. यह त्यौहार पार्वती के गौने का सूचक है. प्रतिदिन शाम के समय सौभाग्यवती स्त्रियां तथा कुमारिया वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो, सिर पर कलश रखकर इस अवसर पर गीत गाती हुई तालावों पर बगीचों में जाती हैं और वहां से कलश में जल भर उसे पुष्पों से सजा उसी प्रकार वापस आ जाती हैं. घरों में ईसर और गणगौर को काष्ठ की मूर्तियां सजाई जाती हैं और चैत्र सुदी तीज को इन मूर्तियों का जुलूस निकाला जाता है जिसमें हजारों नर-नारी भाग लेते हैं. उदयपुर और जयपुर की गणगौर की सवारी दर्शनीय होती है. उदयपुर में तालाब के बीच

नावों में होने वाले नृत्य व गायन के आयोजन बड़े ही सुन्दर लगते हैं. जयपुर के गुलाबी राजमार्ग उस दिन और भी खिल उठते हैं. गणगौर विवाहित स्त्रियों का सबसे प्रिय त्योहार है. इस पर्व पर बहुत से गीत गाये जाते है.

गणगौर तथा अन्य त्योहारों पर राजस्थान की स्त्रियां घूमर नृत्य करती हैं जिसमें अनेक स्त्रियां भाग लेती हैं.

शीतलाष्टमी एक दूसरा त्योहार है जिसका बड़ा धार्मिक महत्व है. यह त्योहार चैत्र सुदी ८ को मनाया जाता है. इस दिन शीतला देवी की पूजा होती है लोग इस दिन प्रायः सभी जगह एक दिन पूर्व बनाया हुआ ठण्डा (बासी) भोजन खाते हैं. ऐसी मान्यता है कि शीतला पूजन से इस देवी का प्रकोप नहीं होता है और किसी को चेचक नहीं निकलती,

मारवाड़ में इसी दिन घुड़ले का त्योहार भी मनाया जाता है. स्त्रियां एकत्र हो, कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रख कर अपने घर गाती हुई लौटती हैं. यह घड़ा बाद में तालाब में बहा दिया जाता है. इस त्योहार पर चैत्र सुदी तीज को मेला लगता है जिससे एक ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है. कहते हैं मारवाड़ के पीपाड़ नामक स्थान की कुछ महिलाएं एक बार तालाब पर गौरी पूजन के लिए गई थीं वहां से अजमेर का सूबेदार मल्लूखां उन्हें भगा ले गया. जोधपुर नरेश राव सातलजी को जब यह पता लगा तो उन्होंने उसका पीछा किया और भयंकर युद्ध हुआ जिसमें मल्लूखां के सेनापति घुड़लेखां का सिर तीरों से छेद दिया गया और राजा अपने गांव की स्त्रियों को बचा कर ले आया. उस (छिद्रित) सिर को लेकर स्त्रियां गांव में गयीं. इसी घटना के स्मरण में यह मेला लगता है. इस त्योहार पर बालिकाओं की मंडली जगमगाता घुड़ला(छिद्रित घड़ा प्रतीकात्मक छिद्रित सिर)सिर पर रखे प्रत्येक घर में जाती हैं.

अक्षय तृतीया यथा आखातीज भी यहां का मुख्य त्योहार है. राजस्थान में वर्षा की कमी रहती है. खेतिहर लोग उत्सुकता से वर्षा की राह देखते हैं और अक्षय तृतीया के दिन गेहूं, चना, तिल आदि सात खाद्यानों की पूजा कर शीघ्र वर्षा आने की कामना की जाती है. कहीं-कहीं घर के द्वार पर अनाज की बालों आदि के चित्र बनाये जाने की प्रथा है. स्त्रियां मंगलाचरण के गीत गाती हैं और मनोविनोद की दृष्टि से छोटे बच्चों के दूल्हा-दुलहन के स्वांग आदि रचाये जाते हैं. किसान इस दिन अपने बैलों तथा हल को सजाते संवारते हैं एवं सूखी धरती होने पर भी हल चलाने का शुभ मुहूर्त करते हैं.

मरू-भूमि में वर्षा ऋतु में श्रावण तथा भादों के महीनों में त्योहारों का अधिक महत्व होना स्वाभाविक ही है. इन महीनों में उद्यानों में मेले भरने के आयोजन राजस्थान के सब भागों में प्राचीन काल से चले आ रहे हैं. श्रावण मास के सोमवारों पर मेले विशेषतः होते हैं और इन्हें बन सोमवार या सुखिया सोमवार के नाम से पुकारा जाता है. परदेश में रहने वाले लोग भी इन दिनों अपने घरों पर लौट आते हैं.

छोटी और बड़ी तीज सब स्त्री पुरुषों के लिए बहुत ही आनन्द के त्योहार माने जाते हैं. जयपुर तथा बूंदी में तीज की सवारी दर्शनीय निकला करती थी और अब भी निकलती है जिसको देखने के लिए दूर-दूर के इलाकों से लोग आते हैं.

बड़ी तीज (भाद्रपद कृष्ण तीज) को स्त्रियां व्रत रखती हैं. चन्द्रोदय होने पर अर्घ देकर 'सातू' का भोजन करती हैं.

इन त्योहारों के अतिरिक्त भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का तथा एकादशी को झूलनी एकादशी के मेले सारे राजस्थान में होते हैं.

श्रावण में "हरियाली अमावस्या" मनाई जाती है. भाद्र में "गोगानम" का त्योहार मनाया जाता है. इस त्योहार के पीछे भी एक घटना विख्यात है.

इसी महीने में "बच्छबारस" का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन स्त्रियां अपने घरों में गायों को बुलाकर पूजती हैं और साथ ही इस दिन केवल बाजरी, मोठ व चनों का भोजन बनाकर खाया जाता है. श्रावण में कुंवारी कन्याओं के लिये "ऊब छठ' का त्योहार आता है. कुमारियां इस दिन खड़ी रहती है और सम्पूर्ण दिन कुछ नहीं

खाती. रात्रि को चन्द्रमा के दर्शन करने के बाद भोजन करती हैं. इस प्रकार का व्रत "करवाचौथ" के दिन विवाहित स्त्रियां भी करती हैं. ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के करने से उनके पति चिरायु होते हैं.

सर्वत्र राजस्थान में श्रावण के महीने में अधिक त्योहार मनाये जाते हैं. जिन स्थानों पर अधिक वर्षा हो पाती है वहां के लोग इन त्योहारों को अधिक उत्साह से मनाते हैं. झुंड के झुंड किसी बड़े तालाब के किनारे एकत्र होकर झूमते गाते आने वाले वर्ष के लिए मंगल कामना करते हुए अपने घरों को लौट पड़ते हैं.

इनके अतिरिक्त अन्य धर्मावलम्बियों में भी विशेष त्योहार एवं पर्व होते हैं.

यहां के जैन धर्मावलम्बियों का महत्वपूर्ण पर्व 'पर्युषण' है जो चौमासे में एक सप्ताह तक मनाया जाता है. जैनियों के अन्य त्योहारों में महावीर जयन्ती तथा गौतम जयन्ती प्रमुख है. डूंगरपुर में महावीरजी की सवारी 'रथ' का शानदार जुलूस निकाला जाता है. यहां का ईसाई वर्ग क्रिसमिस, गुड-फ्राइडे तथा न्यू इयर्स डे धूमधाम से मनाता है.

मुसलमानों से यहां इदुलजुहा, मोहर्रम तथा बारावफात के त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाये जाते हैं. मोहर्रम के अवसर पर 'ताजिये' निकाले जाते हैं.

राजस्थान में मनाये जाने वाले मुख्य त्योहार

त्योहार का नाम	तिथि/तारीख
संक्रान्ति	14 जनवरी
गणतंत्र दिवस	26 जनवरी
महाशिवरात्रि	फाल्गुन कृष्ण पक्ष 13
इदुल फितर	रमजान के बाद शव्वाल की पहली तारीख
होली	फाल्गुन शुक्ल 15
शीतलाष्टमी	चैत्र शुक्ल 8
रामनवमी	चैत्र शुक्ल 9
महावीर जयंती	चैत्र शुक्ल 13
इदुलजुहा	रमजान के दो माह दस दिन बाद जिलहिज की दस तारीख
मोहर्रम	मोहर्रम माह की 10 तारीख
बारावफात	मोहर्रम के दो माह बाद
रक्षा बन्धन	श्रावण शुक्ल 15
स्वतन्त्रता दिवस	15 अगस्त
तीज का मेला	श्रावण शुक्ल 3
गणगौर	फल्गुन शुक्ल 15 से चैत्र कृष्ण पक्ष 8 तक
जन्माष्टमी	भाद्र कृष्ण पक्ष 8
गणेश चतुर्थी	भाद्रपद शुक्ल 4
अनन्त चतुर्दशी	भाद्रपद शुक्ल 14
स्थापना नवरात्री	आश्विन शुक्ल 1/चैत्र शुक्ल 1
दशहरा	आसोज सुद 10
दीपावली	कार्तिक कृष्ण अमावस्या
गुरुनानक जयन्ती	कार्तिक शुक्ल 14
झूलना एकादशी	भाद्रपद शुक्ल 11
नाग पंचमी	भाद्रपद कृष्ण ५
बालदिवस-नेहरू जयन्ती	14 नवम्बर

आदिवासी जातियों के मेले एवं त्योहार—हिन्दुओं के बड़े-बड़े पर्व एवं त्योहार जैसे होली, दिवाली, मकर-संक्रान्ति, सांवली अमावस, रक्षा बन्धन, दशहरा आदि त्योहार ये लोग भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, इन त्योहारों को प्रत्येक जाति अपने निराले ढंग से मनाती हैं. यथा—सहरिया जाति के लोग दिवाली के दिन अपने पशुओं को, विशेष कर गाय को पूजते हैं, मेंहदी तथा रंगों से इनके शरीरों को चित्रित करके फूलों के हार आदि से सजाते हैं. इसी प्रकार भील जाति के लोग नवरात्र स्थापना के दिन दो नेजे, एक सफेद तथा दूसरा लाल, रोपते हैं. नौ दिन तक भजन मडलियां कीर्तन करती हैं तथा दशहरे के दिन इन नेजों को जुलूस में किसी नजदीक के तालाब अथवा नदी पर ले जा कर स्त्री पुरुष यहां इन नेजों को बहाकर स्नान आदि करते हैं.

इसी तरह मेले भी आदिवासी जातियों के जीवन में एक सर्वथा पृथक महत्त्व रखते हैं. सहरिया जाति के लोग मेलों में अपना जीवन साथी चुनते हैं. जो युवक-युवतियां एक दूसरे को पसन्द करते हैं वे इन मेलों में जीवन साथियों के साथ भाग जाते हैं तथा बाद में विवाह कर लेते हैं.

आदिम जाति क्षेत्रों में दो प्रकार के मेले पाये जाते हैं. एक वे जो अन्य जातियों के पर्व अथवा त्यौहार हैं जिन्हें देखने के लिये आदिवासी हजारों की संख्या में एकत्रित होते हैं तथा दूसरे वे मेले जो उनके स्वयं की मान्यताओं से संस्थापित हुए हैं.

आदिवासियों के मुख्य मेले

मेलों के नाम	तिथि
रथ	भादवा वदि 2
कालाजी	चैत्र वदि 8
बड़ा दीतवार	—
गोकल आठम	कृष्ण जन्माष्टमी
बेणेश्वरजी	मई पूनम
पांचम	चैत्र वदि 5
आंवली ग्यारस	फागुन सुदि 11
बार बीज	दिवाली के 1 माह बाद
कपिलधार	कार्तिक 15
सीतावाड़ी	वैशाखी 30
धूबरे	पोष माह
तेजाजी	आसोज वदि 10

शकुन आदि परम्परागत मान्यताएं—अन्य लोगों की तरह यहां के निवासियों में भी शुभ-अशुभ एवं अच्छे-बुरे से सम्बन्धित कई मान्यताएँ तथा अन्धविश्वास प्रचलित हैं. देवी-देवताओं, भूत-प्रेतों, ग्रह-नक्षत्रों सिद्ध-पुरुषों तथा अदृश्य रहस्यमयी शक्ति में आस्था एवं भय देहातों में नगरों की अपेक्षा तथा अशिक्षितों की अपेक्षा अधिक बलवान है. स्थान विशेष एवं पशु, वृक्ष आदि का पूजन एवं उनके प्रकोप से भय भिन्न-भिन्न वर्गों, जातियों तथा क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होते हुए भी सामान्य रूप से यहां के निवासियों के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान अब भी रखते हैं. 'बोलवा' की प्रथा प्रायः सभी वर्गों एवं जातियों में दृष्टिगोचर होती है. यह आश्चर्यजनक है कि रेगिस्तान का सबसे उपयोगी पशु 'ऊँट' राक्षस योनि का माना जाकर अपशकुनी गिना जाता है. बिल्ली का रास्ता काटना, नंगे सर, अपंग अथवा विधवा स्त्री का घर से बाहर निकलते हुए किसी के सामने आ जाना अथवा किसी शुभकार्य के आरम्भ एवं शुभेच्छा करने के समय छींक आदि का होना रूढ़िगत अपशकुन माने जाते हैं. मासिक-धर्म के समय तथा प्रसूतावस्था में स्त्रियां अछूती रहती हैं. विभिन्न पशु-पक्षियों के दांये एवं बांये बोलने को तो देहातों में कई अच्छी-बुरी भविष्य में होने वाली घटनाओं का सूचक माना जाता है. इसी तरह हवा का रुख, बादल, बिजली, गर्जन आदि अन्य प्राकृतिक स्थितियों पर कई मान्यताएं आश्रित हैं. 'बुरी नजर', एतदर्थ जादू-टोना भी प्रचलित है. 'पदारों' विशेषकर माताजी, भैरुजी, बाबाजी के पर्चे एवं भूत-प्रेतों को निकालने के भी उदाहरण यत्र-तत्र मिलते हैं.

इसी प्रकार की प्रायः सभी मान्यताओं धार्मिक, परम्परागत रूढ़ियों तथा स्थानिक दुर्घटनाओं से प्रभावित हैं, जो शिक्षितों की अपेक्षा अशिक्षितों में, आयु वर्गों के अनुसार जवानों की अपेक्षा वृद्धों में, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में, नगरवासियों की अपेक्षा ग्रामीणों में तथा नास्तिकों की अपेक्षा आस्तिकों में अधिक दृष्टिगोचर होती हैं.

□□

राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा अत्यन्त प्राचीन, समृद्ध एवं वैभवशाली है, सौंदर्यानुभूति को व्यक्त करने के अनन्य माध्यमों का यहां पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयोग होता रहा है. यहां के जन-जीवन में कलात्मक अभिव्यक्ति का विशेष महत्व रहा है. साहित्य, संगीत, नृत्य, ललितकलाओं एवं प्राय: सभी हस्तकलाओं के यहां उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं.

भित्ति चित्र—यहां भरतपुर जिले में 'दर' नामक स्थान में एक चट्टान पर रामरज से बनी हुई जो मानव आकृतियां अंकित मिली हैं वे इस बात को प्रमाणित करती हैं कि इस माध्यम की परम्परा ठेठ प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान समय तक चली आ रही है. 12 वीं शताब्दी में कागज की उपलब्धि से इस माध्यम को अवश्य धक्का लगा जिससे 8 वीं से 15 वीं शताब्दी के समय के भित्ति चित्र मुश्किल से प्राप्त होते हैं. 15 वीं शताब्दी के सांस्कृतिक पुनरुत्थान से इस माध्यम का पुन: प्रचलन हुआ. राजपूत राजाओं ने फिर से अपने महलों तथा किलों की दीवारों पर चित्र अंकित करवाने आरम्भ किये. जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, कोटा तथा बून्दी में इस कला के सृजनकर्ताओं को राज्याश्रय मिला. ग्रामों तथा नगरों में इस माध्यम का परम्परागत स्वरूप ज्यों का त्यों बना रहा. आदिवासी तथा सर्व साधारण सामान्य रूप से इसका प्रयोग आज भी रुचि से करते हैं.

राजस्थान में भित्ति चित्रकला कई पद्धतियों में देखने को मिलती है. फ्रेस्को व म्यूरल दोनों ही रीतियों के चित्रण विभिन्न प्रणालियों में मिलते हैं, जैसे—पत्थर की सतह पर बने हुए चित्र, दीवार पर साधारण चूने की परत पर बने हुए चित्र, आरायस या जयपुर पद्धति से बने चित्र, रंगों के साथ बनाये गये चित्र जिनमें कांच के टुकड़े काट कर जड़े जाते हैं, तथा देहातों के कच्चे मकानों के लोक कला शैली के चित्र प्राय: सभी प्रकार के चित्र क्षेत्रीय विशेषताएं रखते हैं. यह क्षेत्रीय विशेषता कारीगरी, विषय चयन, रंगों आदि का चयन, स्त्रियों, पुरुषों, वृक्षों तथा विविध प्रतीकों के स्वरूपों, सभी में दृष्टिगोचर होती है.

चित्तौड़ में राणा कुम्भा के महलों में बने भित्ति चित्र 15 वीं शताब्दी के हैं, जो सबसे प्राचीन हैं, उदयपुर क्षेत्र में शिकार, सवारी, दरबार, गणगौर, आदि विषयों के चित्रों का बाहुल्य है, उदयपुर में नगर सेठ की हवेली, पिछोला झील पर स्थित जग निवास महल तथा उदयपुर की कई प्राचीन हवेलियां जिनमें मुख्य बाराइतजी की हवेली, दौलतरामजी की हवेली, बाफणाजी की हवेली, तथा गणेशलालजी भट्ट की हवेली है, इस काल के सुन्दर नमूने मिलते हैं.

जयपुर क्षेत्र में मुगलकालीन प्रभाव युक्त कृष्ण-लीला सम्बन्धी चित्र तथा रागरागनियों के चित्र अधिक मिलते हैं. वैराठ, आमेर, तथा जयपुर में गलताजी, पोथीखाना, सिसोदिया रानी का महल, ब्रह्मपुरी, जगजीत महादेव का मन्दिर, तथा जयपुर से कुछ दूर सांगोद के महलों एवं भानपुरा ग्राम में 17 वीं तथा 18 वीं शताब्दियों के बेश-कीमती नमूने मिलते हैं. शेखावाटी क्षेत्र में लोक कला से प्रभावित चित्रों का बाहुल्य है. रींगस के पास बगरियावास में बिहारी जी के मन्दिर में, चुरू में गंगाजी के मन्दिर में, नवलगढ़ में रामनाथ जी पोद्दार की हवेली में तथा मंडावा, रामगढ़, फतहपुर और लक्ष्मणगढ़ में ढ़ोला मारू, झूला आदि के चित्र मिलते हैं.

अलवर क्षेत्र में अलवर के राजमहलों तथा राजाओं द्वारा अन्य निर्मित भवनों में 19 वीं शताब्दी के राधाकृष्ण एवं रागरागनियों के भित्ति चित्र मिलते हैं. अलवर से बीस मील दूर राजगढ़ के किले में नायक-नायिकाओं तथा रामायण आदि के भित्ति चित्र मिलते हैं.

जोधपुर के किले में रनवास भित्ति चित्रों से भरा पड़ा है जिनमें सावलिंग-सदाव्रत की कथा, मधुमालती के चित्र, फूलमती, पन्ना वीरमदे की कथा, नायिका-भेद पर 17 वीं शताब्दी के जोधपुर शैली के भित्ति चित्र बने हुए हैं. नागौर के किले में जनाना महल में फ्रेस्को तथा म्यूरल पद्धति से बने भित्ति चित्र मिलते हैं.

बीकानेर में तेल व जल के माध्यम से बने चित्र मिलते हैं. जूनागढ़ (लालगढ़) के किले में कृष्ण-लीला तथा नायिकाओं के भेद आदि के भित्ति चित्र बहुत ही सुन्दर हैं.

जैसलमेर के राज प्रासादों में जैसलमेरी शैली के चित्र मूमल आदि राजस्थान के परम्परागत कलात्मक प्रतीकों के श्रेष्ठ उदाहरण हैं.

कोटा तथा बून्दी में भी भित्ति चित्रों के असाधारण

नमूने मिलते हैं. कोटा में झालाजी की हवेली में घरेलू जीवन सम्बन्धी महिलाओं के चित्र, रसिक-शिरोमणि जी के मन्दिर में कामशास्त्र सम्बन्धी चित्र, श्रीधर देवलाजी की हवेली में शिकार, नायिकाओं तथा हाथी आदि के 18 वीं शताब्दी के भित्ति चित्र मिलते हैं. कोटा के महाराजा मानसिंहजी के महल में तथा दीवान जालिमसिंहजी की हवेली में 22 फीट लम्बे भित्ति चित्रों के पेनल देखने को मिलते हैं.

बून्दी के राव महलों में नायिकाओं के स्नान आदि विभिन्न शृंगारिक पक्षों के चित्र एवं रासलीला के चित्र मिलते हैं.

आधुनिक समय में इस माध्यम का पुनः विकास होता दृष्टिगोचर होता है. वनस्थली विद्यापीठ (जयपुर) इस दिशा में काफी सक्रिय संस्था है. राजस्थान ललितकला अकादमी ने भी इस दिशा में कुछ प्रेरणाजनक कदम उठाये हैं और जयपुर स्टेशन पर वहां के कलाकारों—श्री कृपालसिंह शेखावत, श्री देवकीनन्दन शर्मा, श्री गोवर्धनलाल जोशी द्वारा 'गणगौर' 'ढोलामारू' और 'उदयपुर का बोट क्लब' से जयपुर पद्धति के चित्र बनवाये हैं.

चित्रकला—राजस्थान की चित्रकला को भारतीय दर्शन एवं इतिहास के क्रमिक विकास की पृष्ठभूमि में ही समझा जा सकता है, 'राजपूत शैली' भारतीय चित्रकला की ही एक बहुमूल्य शैली है.

राजस्थान भारत की स्वतन्त्रता के पूर्व अलग-अलग रजवाड़ों में विभक्त था. अतः इन रजवाड़ों के चित्रकारों ने भिन्न-भिन्न तौर तरीकों से चित्र बनाये, स्थानानुसार वे ही वहां की चित्र शैली हो गई. यहां लगभग बारह प्रकार की चित्र शैलियां हैं, यथा—जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, अलवर शैली, जयपुर शैली, कोटा शैली, नाथद्वारा शैली, इत्यादि. यों तो 'राजपूत शैली' के अन्तर्गत ये सभी शैलियां ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं पर इनमें भी पांच या छः प्रमुख हैं. इन शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, बोर्डर, पशु-पक्षियों और चित्र में अंकित पुरुष-स्त्रियों की पोशाकों, आभूषण तथा आकृति, विशेषकर आंखों की बनावट इत्यादि की दृष्टि से अलग-अलग जांचा जा सकता है.

रंग की दृष्टि से जयपुर और अलवर के चित्रों में हरे रंग का ज्यादा प्रयोग हुआ है तो जोधपुर और बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का, उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का कोटा के चित्रों में नीले रंग का, किशनगढ़ के चित्रों में सफेद अथवा गुलाबी रंग का और बून्दी के चित्रों में सुनहरे रंग का विशेष प्रयोग हुआ है. चित्रों की पृष्ठभूमि के हिसाब से उदयपुर में कदम्ब वृक्ष, किशनगढ़ शैली के चित्रों में केले के वृक्ष, कोटा व बून्दी की शैली में लम्बे-लम्बे खजूर के वृक्ष, जयपुर व अलवर में पीपल अथवा वट के वृक्ष और बीकानेर व जोधपुर में आम के वृक्ष ज्यादा मिलते हैं. बोर्डर्स अथवा संपूर्ण चित्र की बाह्य पट्टी के रंग भी भिन्न-भिन्न हैं, जैसे जयपुर के चित्रों की बोर्डर काले ग्राउन्ड (भूमि) में चंदेरी व लाल, उदयपुर में पीली, किशनगढ़ में गुलाबी और हरे रंग की व बून्दी के चित्रों को सुनहरी व लाल होती है.

इसी तरह विभिन्न शैलियों में पशु-पक्षी भी अलग-अलग हैं. जोधपुर और बीकानेर में कौवा, चील, ऊंट और घोड़े ज्यादा हैं तो उदयपुर में हाथी और चकोर पक्षी, नाथद्वारा में गाय, जयपुर और अलवर के चित्रों में मोर व घोड़ा तथा बतख, हरिण, शेर आदि कोटा व बूंदी के चित्रों में अधिक मिलते हैं.

विभिन्न शैलियों में पुरुष व स्त्रियों की आकृति भी भिन्न-भिन्न है. आंखों की बनावट की दृष्टि से बीकानेर शैली के चित्रों में आंखें खंजन के समान, नाथद्वारा शैली में हरिण के समान, बूंदी शैली में आम के पत्तों के समान, जयपुर शैली के चित्रों में मछली के समान, किशनगढ़ में कमान की तरह व जोधपुर शैली के चित्रों में प्रायः बादाम के समान आंखों की आकृति मिलती है. इसी तरह कद, गठीलेपन, नाक, होंठ, ठोडी, हाथ-पैरों की अंगुलियां, भौंहें इत्यादि के अनुसार भी विभिन्न शैलियां अलग-अलग हैं. पोशाक व आभूषण के द्वारा तो इन शैलियों के जन्म-स्थान का ही नहीं वरन् काल-क्रम का भी बोध सम्भव है.

राजस्थान की भिन्न-भिन्न चित्र शैलियों में सौन्दर्यानुभूति के अलग-अलग प्रतीक इन शैलियों के स्थान विशेष, एवं सामयिक सामाजिक व्यवस्था के बोधक हैं. इन विभिन्न शैलियों के चित्रों की पृष्ठभूमि, अमुक रंग

का बाहुल्य प्रयोग, पेड़-पौधों और पशु-पक्षियों का विशिष्ट चयन, चित्रकारों की स्वच्छन्द रुचि मात्र ही नहीं अपितु उस स्थान विशेष के भौगोलिक प्रमाण है. इन विभिन्न स्थानों के चित्र ही नहीं, लोक गीत, लोक साहित्य एवं लोक संगीत तथा शिल्प भी निजी भौगोलिक वातावरण से प्रभावित है. अतः जहां शेर व हरिण ज्यादा थे, वहां के चित्रकारों व अन्य कलाकारों के पशु-प्रतीक शेर, हरिण, मोर इत्यादि हो गये. अथवा जहां हरियाली अधिक थी, बाग-बगीचे थे यहां चकोर पक्षी, कोयल आदि वहां की कलाकृतियों के सौन्दर्य-प्रतीक बन गये, अतः जहां जो पशु ज्यादा मिलते थे अथवा जो सवारियां प्रचलित थी वे वहां की शैलियों के चित्रों में अंकित होने लगी. यही कारण है कि बूंदी-कोटा के चित्रों में शेर, हरिण; बीकानेर-जोधपुर के चित्रों में ऊंट, घोड़े, कौवे, चील इत्यादि का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है. इसी कारण इन शैलियों के भिन्न-भिन्न रंग रुचि और पेड़ों के प्रतीकों के अनुसार है. यही नहीं वरन् अमुक भौगोलिक व सामाजिक वातावरण में इन शैलियो में अंकित स्त्री-पुरुषों की पोशाकें एवं आभूषणों की शृंगार-पद्धति को भी इतना प्रभावित किया है कि वस्तुतः इन शैलियों के चित्रों द्वारा यह भी सही अनुमान लगाया जा सकता है कि कब किस मात्रा में इन स्थानों में मुगल सभ्यता का मिश्रण हुआ. यथासम्भव यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन से इलाके के सृजनकर्ता कैसे साहित्य व धर्म शास्त्र से प्रभावित थे. साहित्य में अंगों की जो उपमाएं दी गई है वे चित्रों में अंकित पुरुष-स्त्रियों की आकृति, विशेषकर आंख की बनावट में ज्यों की त्यों चित्रित हुई हैं. ये उपमाएं इन इलाकों के जनसमूह के शारीरिक अंगों की सुन्दरता की भी प्रतीक है.

'उपमा' यथार्थ एवं आकांक्षा दोनों का मिश्रण है. सृजनकर्ता की सौन्दर्यानुभूति के प्रतीक वस्तुपरक अनुभव से भी प्रभावित होते हैं और विचारपरक अनुभव से भी जो वह देखता है और जो वह चाहता है वह दोनों ही 'उपमा' के चयन को प्रभावित करते हैं. बीकानेर शैली के चित्रों में आंखें खंजन के समान होने के दो प्रमुख कारण ये हो सकते हैं कि प्रथम तो रेगिस्तान में रहने वालों की आंखें अधिकतर होती ही सुन्दर हैं, और द्वितीय साहित्यिक परम्परा की छाप अचेतन मस्तिष्क में सामाजिक वातावरणानुकूल जो बचपन में ही लग जाती है, व्यक्त हुई प्रतीत होती है. परन्तु नाथद्वारा शैली में हरिण के समान आंखें, बूंदी में फैले आम के पत्तों के समान, किशनगढ़ में कमान के समान और जयपुर शैली में मछली के समान आंखें अधिक चित्रित होने का कारण यह नहीं है कि वहां के स्त्री-पुरूषों की आंखें इस तरह की होती हैं, बल्कि कारण यह है कि प्रथम तो साहित्य में नयनों की उपमाएं यही प्रचलित है, दूसरा यह कि पशु-प्रतीकों के चयन ने अंगों के प्रतीकों को भी प्रभावित किया है.

'प्रतीक' कलाकार की भावना के द्योतक हैं. शारीरिक अंगों का चित्रण मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से स्त्री-पुरुष के पारस्परिक आकर्षण तदर्थ योनेन्द्रिय सम्बंधी मूल प्रवृत्ति के सामाजिक मान्यताओं द्वारा नियंत्रित संवेदना की अभिव्यक्ति है. राजस्थान की विभिन्न शैलियों मे चित्रित नायक नायिका भेद के चित्रों मे यह बिल्कुल स्पष्ट है.

लज्जा, भारतीय सभ्यता की पृष्ठभूमि में नारी की योनेन्द्रिक मूल प्रवृत्ति का वह व्यावहारिक रूप है जो सामायिक मान्यताओं द्वारा नियंत्रित होता रहा है. वास्तव में राजस्थानी 'नारी' की अंतः संवेदना का शृंगारात्मक चित्रण हमारी सामाजिक रूढ़ियों को भी प्रदर्शित करता है. प्रेमी की प्रतीक्षा, याद, अकेलेपन की उदासीनता एवं आशा, मिलन, सहेलियों के मध्य चिर मौन इत्यादि स्थितियों का चित्रण स्वयं राजस्थान के लोगों के रहन-सहन एवं रस्मोरिवाज का भावात्मक चित्रण है. रति-क्रीड़ा साधारण पशु-स्तर से किस सूक्ष्म सभ्य स्तर पर पहुंच चुकी थी, अर्थात् स्त्री-पुरुष-आकर्षण की सहज प्रवृत्ति कितनी प्रौढ़ हो चुकी थी इसका उदाहरण राजस्थानी चित्रकला की हर शैली मे प्रचुर मात्रा में मिलता है. राजस्थानी चित्रों का नारी-यौवन दर्शक को कामातुर नहीं करता बल्कि जीवन में नारी की आवश्यकता का महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है. पाश्चात्य देशों की कलाकृतियों से भिन्न राजस्थानी कलाकृतियों में 'नारी' एक भौतिक वस्तु नहीं समझी गई है जो देह के रूप में प्राप्त की जाय, बल्कि 'चिर यौवना' एक 'रागात्मक' प्रतीक है जिसके

लिये जीवन-संघर्ष की हर कठिनता का सामना किया जाय. नारी प्रेरक है, जीवन-साथी है, मां है, बहन है, भाभी है, दादी है, सास है—देह नहीं जिसका भोग किया जाय, बल्कि मोह एवं ममता की रूपक अभिव्यक्ति है जिसका आदर किया जाय, जिसका संरक्षण किया जाय. यही कारण है कि राजस्थानी चित्रों में नारी को सामाजिक पृष्ठभूमि में ही ज्यादातर चित्रित किया गया है. पारिवारिक जीवन में नारी का महत्व पनघट, विलौना, शिशु-पालन आदि दैनिक क्रियाओं के 'स्थिति' चयन से स्पष्ट है. शयनावस्था के चित्र भी गृहस्थी जीवन में 'पत्नी' का क्या आदर्श है, इसका सांकेतिक चित्रण मुद्रा विशेष द्वारा चित्रित करते हैं. वस्तुतः 'प्रेयसी' के चित्र भी राजस्थानी नारी की सामाजिक भूमिका से ओतप्रोत है. कहीं-कहीं यौवन की मादकता सामाजिक रूढ़ियों से दबी हुई प्रतीत होती है, फिर भी अधिकतर चित्रों में सृजनकर्ता की सहज भावनाओं का सामाजिक दमन अथवा इससे उत्पादित मानसिक द्वन्द्व दृष्टिगोचर नहीं होता.

राजस्थान की सामाजिक व्यवस्था अन्य भारतीय प्रदेशों की तरह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नियंत्रित रही है. यहां का पारिवारिक जीवन पौराणिक सभ्यता से संचालित होता आया है जिसके अनुसार काम-वासना परम्परागत सामाजिक दृष्टि से निम्न कोटि की मानी गई है. अर्थात् 'स्त्री' को 'पत्नी' की भूमिका में ही 'प्रेयसी' माना जाता है. ढ़ोला-मारू, मूमल, सोरठ-जेठवा, जलाल-बूबना इत्यादि व्यक्ति और सामाजिक मान्यताओं के पारस्परिक द्वन्द्व के सांकेतिक उदाहरण हैं.

ढ़ोला-मारू व मूमल के चित्र सम्बन्धित दोहों और गीतों के ही चित्रण नहीं हैं बल्कि यहां के चित्रकारों के मानसिक अन्तर्द्वन्द्व को व्यक्त करने के भी माध्यम हैं। 'मारू' और 'मूमल' स्त्री के चिर-सौन्दर्य के संवेदनात्मक प्रतीक हैं. ये 'प्रेयसी' के सर्वमान्य प्रतीक राजस्थान के नव-जवानों की परंम्परागत जीवन-संगिनी के अमर आदर्शों की अभिव्यक्ति है. इन चित्रों में अंकित स्त्री-सौन्दर्य 'मारू' और 'मूमल' के बहाने निजी 'प्रेयसी' को देखने के लिये दर्शक की आंखों में एक प्रकार का सौन्दर्य उँड़ेल देता है जिसकी मादक दृष्टि में उसे अपनी 'प्रेयसी' 'मूमल' और 'मारू' नजर आने लगती हैं. बात यह है कि चित्रकारों ने, साहित्यकारों की तरह, चित्रों में उस सर्व-मान्यता का चित्रण किया है जो हर दर्शक की भावनाओं को स्वतः सजग करने की क्षमता रखती है. चित्र में अंकित 'मूमल' और 'मारू' की आकृति किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि दर्शक के काल्पनिक सौन्दर्य को सजग करने का ऐसा अनुपम माध्यम है जिसके द्वारा वह अपने अन्तर की प्रेयसी का रूप स्वयं चित्र में देख सके. चित्र, चित्रकार और दर्शक के पारस्परिक सम्बन्ध की घनिष्टता के सरल उदाहरण 'ढ़ोला-मारू' और मूमल' के चित्र हैं. स्त्री-पुरुष में पारस्परिक आकर्षण स्वाभाविक है. जिस सरलता से यह स्वाभाविक आकर्षण चित्रकारों ने चित्रित किया हैं वह सरलता ही इन चित्रों का जीवन है. सहज भावना को चित्रांकित करना सहज नहीं होता. अतएव इन चित्रों की सरलता सृजनकर्ताओं की प्रौढ़ता का सबूत है.

राजस्थानी चित्रकारों की सूक्ष्म दृष्टि व सृजन-क्रिया की प्रौढ़ता तो 'रागमाला' के चित्रों से और भी स्पष्ट है. 'रागमाला' के चित्रों में रेखाएँ, रंग, अंकित आकृतियां, व मुद्राएँ संगीत की 'लय'–ताल और माधुर्य दोनों के संवेदनात्मक भावों को व्यक्त करने के साधन है.

राजस्थान की चित्रकला के 'बारहमासा', 'कृष्ण-लीला' 'रामायण', 'भागवत पुराण' एवं दिगम्बर जैन ग्रन्थों के सचित्र उदाहरण 'सार्वलौकिक रागात्मकता' की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. इन चित्रों में मूलतः धार्मिक आदर्शों का चित्रण है.

इन चित्रों के विषय-चयन, स्थिति का विशेष वर्ण, आकृतियों के भाव, मुद्राएँ एवं क्रिया-पद्धति आदि सृजन-कर्त्ताओं ने सामाजिक मूल्यों के अनुसार निजी मूल प्रवृत्तियों का कितना संयम कर लिया था, इसको सुस्पष्ट व्यक्त करते हैं.

रामयाण, भागवत पुराण, कृष्ण लीला, बारहमासा, गीत-गोविन्द आदि के चित्र सृजनकर्त्ताओं की अतृप्त काम-वासनाओं से प्रेरित न होकर यौनेन्द्रिक आकर्षण के सामाजिक 'तृप्ति' के रूपों को व्यक्त करने के माध्यम हैं. इनमें सामाजिक मान्यताओं से उत्पन्न हुए मानसिक द्वन्द्व की अभिव्यक्ति नहीं अपितु मूल प्रवृतियों को नियंत्रित

करने के सामाजिक आदर्शों तथा जीवन-मूल्यों का 'रागात्मक अनुभव' संकेतों द्वारा व्यक्त किया गया है.

मीरांबाई के पद, ढोला मारू के दोहे, मूमल के गीत, कालीदास की अमर कृतियों के चरित्र, रायकृष्णदास की नायिकाएँ, राधाकृष्ण की क्रीड़ाएँ, राज-दरबारों एवं शिकारों के चित्र तथा भागवतपुराण, रामायण आदि के चित्र सृजनकर्त्ताओं के सूक्ष्म चिंतन, सामाजिक ज्ञान एवं जीवन के प्रति अटल विश्वास व मोह के सांकेतिक 'प्रतिरूप' हैं.

विषय के अनुसार जयपुर शैली में राधा-कृष्ण क्रीड़ाएँ राग रागनियों के अर्थ व्यंजना के प्रधान चित्र एवं बारह मासे के चित्र प्रसिद्ध हैं.

प्रसिद्ध लोक काव्य ढोला मारू के १८६ चित्र जोधपुर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं. जोधपुर शैली में महाभारत एवं रामायण को भी चित्रित किया गया है.

पंचतंत्र, रामायण और भागवत का चित्रण उदयपुर शैली में हुआ है. कृष्ण की अनेकानेक क्रीड़ाओं का गहरे रंगों से चित्रण नाथद्वारा शैली में हुआ है.

शिकार एवं बड़े-बड़े जुलूसों के चित्र कोटा शैली की विशेषता है.

किशनगढ शैली के चित्रों में मुख्यतया राधा-कृष्ण की कथाएँ हैं.

बीकानेर शैली में शिकार के सुन्दर चित्र मिलते हैं.

अलवर शैली के चित्र दरबारों का वर्णन करने में प्रसिद्ध माने जाते हैं.

इन्हीं सब स्थानों के चित्रों में एक समान धारा तो बहती ही है, किन्तु सूक्ष्म प्रेम (विषयगत एव रूपगत) अवश्य है. चित्र को देखते ही पारखी बता देते हैं कि यह किस शैली का चित्र है. इनके अलावा राजस्थान की हाड़ौती शैली भी उल्लेखनीय है.

नाथद्वारा, उदयपुर एवं जोधपुर में कालीदास के काव्यों से प्रेरित अनेक सुन्दर चित्र भी मिलते हैं.

समय की दृष्टि से राजस्थानी चित्रकला को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है. पहिला समय तो १६ वीं से १७वीं शती तक और दूसरा काल १७०७ से १८२५ तक.

भारतीय चित्रकला की मुगल शैली, काँगड़ा शैली और राजपूत शैली परस्पर एक दूसरी से मिलती है. सबका एक दूसरे पर काफी प्रभाव भी है. सुन्दर सूक्ष्म रेखाएँ एवं एकदम हल्के रंग के वस्त्रों की बनावट और ड्रेपरी बनाने के लिये मुगल शैली से और विषयों के चुनाव में, वातावरण को प्रभावकारी ढंग से व्यक्त करने के लिये कांगड़ा शैली ने राजपूत शैली को काफी कुछ दिया है. उधर राजपूत शैली ने ओजपूर्ण गहरे रंग निश्चित एवं दृढ़ रेखाओं को बनाने के तरीके अन्य चित्रकलाओं को प्रदान किये हैं. गुजरात शैली राजपूत शैली का ही एक अंग माना जा सकता है.

यह उल्लेखनीय है कि यहां के चित्रकार स्वयं अपने ब्रुश बनाते हैं. रंग भी स्वयं हरियाली एवं पत्थरों से बनाते हैं. रंगों को प्रभावपूर्ण, चमकदार एवं टिकाऊ बनाने के लिये कितनी ही रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं. रंग बनाने में पशु-पक्षियों के मल मूत्र से भी सहायता लेते हैं. यहां पहिले चित्रकार हाथ के बने रंग से कागज पर पतले ब्रुश से लाल रंग में स्केच बनाता है और फिर उस पर एक सफेद, पतला, हल्का व चिकना अस्तर लगा देते हैं. उस पर भूरे या काले रंग में फिर से स्केच बना देते हैं. सबसे पहिले पृष्ठभूमि में आकाश, वृक्ष, बादल या भवन आदि बना लेते हैं और उसमें मानव की कृतियां सफेद रख देते हैं. सबसे बाद में इन्हीं चित्रों को विभिन्न वर्णों से अलंकृत किया जाता है.

राजस्थान शैली के चित्र इस समय राजस्थान में विभिन्न अजायबघरों में, राजाओं के व्यक्तिगत संग्रहों में, यहां के विभिन्न शोध संस्थानों में, कुछ जागीरदारों के पास, कबाड़ियों के पास, मन्दिरों में एवं कुछ स्वयं चित्रकारी का काम करने वाले परिवारों के पास मिलते हैं. व्यक्तियों में श्री मोतीचन्दजी खजान्ची, (बीकानेर), श्री रामगोपाल विजयवर्गीय (जयपुर), श्री सुन्दरलाल ठोलिया (जयपुर), श्री संग्रामसिंह (जयपुर) एवं श्री बुधसिंह बाफना (कोटा) हैं. प्राचीन चित्रों की खोज, संरक्षण, प्रदर्शन एवं यहां के आधुनिक कलाकारों को प्रोत्साहन आदि देने का काम वर्तमान में राजस्थान ललितकला अकादमी, जयपुर कर रही है. यहां के आधुनिक चित्रकारों में रामगोपाल विजयवर्गीय, कृपालसिंह शेखावत, देवकीनन्दन शर्मा गोवरधनलाल जोशी, पारस भंसाली, प्रेमचन्द गोस्वामी,

ज्योति स्वरूप कछवाह, हरीदत्त गुप्ता, मनमोहन गौतम, रंजन गौतम, दीपाली राय आदि के नाम उल्लेखनीय हैं जिनमें प्राचीन एवं अर्वाचीन शैलियों का समन्वय प्रतीत होता है.

भवन निर्माण एवं मूर्ति कला—इन दोनों कलाओं के अनुपम उदाहरण राजस्थान के विभिन्न भागों में बहुतायत में मिलते हैं जो ई. पू. की तीसरी शताब्दी से लगाकर बीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक के हैं.

प्रागैतिहासिक काल के आरम्भ के भी कुछ अवशेष इस राज्य में मिले हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि लगभग एक लाख वर्ष पूर्व यहां वास्तुकला का आरम्भ हो चुका था.

यहां के भवनों एवं मूर्तियों दोनों ही में विभिन्न सभ्यताओं एवं धर्मों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है जिनमें वैदिक, जैन, बौद्ध, उत्तरकालीन हिन्दू धर्म एवं सभ्यता का तथा यूनानियों, गुप्तों, मौर्यों, शुंगों, शकों, कुषाणों, राजपूतों एवं मुगलों का प्रभाव मुख्य है.

बीसवीं शताब्दी में निर्मित राजप्रासादों, अस्पतालों, शिक्षालयों एवं अन्य राजकीय भवनों तथा यहां के निवासियों के मकानों में अंग्रेजों का भी प्रभाव देखा जाता है.

प्राचीन मन्दिर, राजप्रासाद एवं प्राचीन हवेलियां यहां की परम्परागत विशेषताएँ प्रदर्शित करती हैं. किलों में हिन्दू सभ्यता का प्रभाव और राजप्रासादों एवं हवेलियों में हिन्दुओं तथा मुगलों का मिश्रित प्रभाव प्रमुख है. कुछ कला-समीक्षकों के अनुसार यहां के शिल्प में तथा भवन-कला मे यूनानियों का प्रभाव माना जाता है.

यहां हिन्दुओं तथा जैनियों दोनों ही के मन्दिर हैं. दोनों ही सभ्यताओं के शुद्ध एवं मिश्रित उदाहरण यहां मिलते हैं किन्तु जैन प्रमुख हैं. कुछ मन्दिर ऐसे भी हैं जिनमें जैन-हिन्दू-मुगल तीनों ही के प्रभाव मिश्रित हैं. मुसलमानों की मस्जिदें अथवा दरगाहें हिन्दू-मुगल मिश्रित प्रभाव की हैं. अंग्रेजों के सम्पर्क के बाद के निर्मित मन्दिरों में उनका प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है. विभिन्न सभ्यताओं के मिश्रण से यहां के भवनों में एक अद्भुत विचित्रता का जन्म हो गया गया प्रतीत होता है, जिसे पद्धति के वर्गीकरण के अनुसार "इन्टिग्रेटेड डिजाइन" की संज्ञा दी जा सकती है.

भवन-निर्माण की दृष्टि से यहां के निवासियों के मकान सामान्य रूप से एक-से हैं. उनमें रहने वालों की सभ्यताओं एवम् धार्मिक मान्यताओं की भिन्नता का प्रदर्शन इतना स्पष्ट रूप से नहीं होता, जितना कि उनके मन्दिरों आदि में होता है. यहां के मकानों की छतें नीची होती हैं एवं प्रवेश-द्वार भी छोटे होते हैं. मुख्य द्वारों के ऊपर, दोनों तरफ, दीप रखने के स्थान बने होते हैं. छोटे प्रवेश-द्वार वैदिक परम्परा के अनुसार सिर झुकाकर नमस्कार करने के अभिप्राय से बनाये जाते हैं, क्योंकि द्वार को भी 'देव' माना गया है.

प्रायः सभी रहने के मकानों में खुले आंगन (चौक), रसोई, पानी रखने का निश्चित स्थान तथा पूजा करने का (सेवा का) एक कक्ष विशेष रखा जाता है. जैनियों के घरों में शौचालय नहीं बनाया जाता था, किन्तु वर्तमान समय में ऐसा नहीं है.

मुगलों के समय में उनकी सभ्यता से प्रभावित होकर तथा उनसे अपने पारिवारिक जीवन को सुरक्षित रखने के अभिप्राय से राजपूत राजाओं ने भी चिलमनों अर्थात् जालियों का प्रयोग आरम्भ कर दिया था. पत्थरों की बारीक जालियां स्वयं में एक कारीगरी का उत्कृष्ट उदाहरण है. राजाओं से प्रभावित होकर उनके सम्पर्क में आने वाले लोगों ने भी इनका प्रयोग शुरू कर दिया. जालियों के अतिरिक्त भी प्रायः सभी के मकानों में अन्य खुदाई का काम भी दृष्टिगोचर होता है. यहां की भूतपूर्व रियासतों की राजधानियों एवं बड़े-बड़े 'ठिकाने' कारीगरी से भरपूर हैं. जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़-गढ़, भरतपुर, अलवर, कोटा, बीकानेर आदि प्रायः सभी स्थान के किले, राज-प्रासाद, देवल एवं हवेलियां इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं. सभी पत्थर की खुदाई के विविध डिजाइनों से सुसज्जित हैं. बीसवीं शताब्दी में निर्मित जोधपुर का छीतर पैलेस (उम्मेद भवन), इमारतों में यदि नेक नजर से देखा जाय तो, भारत का एक अत्यन्त मनमोहक राजमहल है. जिसमें वर्तमान समय की सभी सुविधाओं के साथ प्राचीन परम्परागत कारीगरी का गौरव

भी विद्यमान है. छीतर के पत्थर से बनी यह इमारत ताजमहल की याद दिलाती है, लेकिन दर्शक को एक क्षण के लिए भी संगमरमर का अभाव नही खलता. पाश्चात्य पद्धति से प्रभावित होते हुए भी इस भवन की सादगी, इसकी अनुपम विशेपता है. इसी तरह जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय भवन, जयपुरी शैली का महत्वपूर्ण उदाहरण है.

पत्थर की खुदाई के काम के लिए राजस्थान के कारीगर प्राचीन समय से प्रसिद्ध है राज्य में संगमरमर की उपलब्धि ने इसमें संपूर्ण योग दिया है. पत्थर की कारीगरी के यहां तीन रूप मुख्यत. मिलते है—हिन्दू, जैन तथा मुगल, जिनमें जैन तथा हिन्दू मन्दिर सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक है. ई पू. की तीसरी शताब्दी के भी अनेकों मन्दिर यहां अवशेषों के रूप में मिले हैं. सातवीं से लगा कर 18 वीं शताब्दी के तो अनेक मन्दिर राज्य के हर जिले में मिलते हैं. हिन्दू तथा जैन दोनों ही मन्दिरों की दीवारें छतें, स्तम्भ एवं प्रवेश-द्वार सभी पत्थर की कलात्मक खुदाई एवं मूर्तियों से भरपूर हैं.

मूर्तिकला के प्रसिद्ध स्थलों में जयपुर, आबानेरी, आमेर, आबू, चन्द्रावती, अटरू, वाड़ौली, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, किराड़ू, किशनगढ़, किशनविलास, कोटा, नागदा, ओसियां, अलवर, तथा तारानगर, रामगढ, राणकपुर, सीकर, पुष्कर, कांकरोली, धुलेव, सांगानेर, भैंसरोडगढ़, झालरापाटन, लुडराय पाटन कालुजरा, जोधपुर तथा मंडोर मुख्य हैं.

इन स्थानों की विभिन्न मूर्तियों में संगीत, नृत्य, प्रकृति, शृंगार आदि विषय अंकित है. धर्मो में जहां जैन तथा हिन्दू दोनों ही साथ-साथ विकसित हुए. गुप्त काल के बाद राजस्थान के पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में जैन धर्म अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली रहा. हिन्दू धर्म में शैंवों के मन्दिर वैष्णवों की अपेक्षा अधिक मिलते हैं. ओसियां में बौद्ध मूर्तियां भी मिलती हैं.

भवन-निर्माण कला अथवा मूर्ति कला की दृष्टि से निम्न दिये गये मन्दिरों, दुर्गो, मस्जिदों एवं मीनारों के नाम उल्लेखनीय हैं—

प्रसिद्ध मंदिर

नाम	स्थान
मीरांबाई का मन्दिर	चित्तौड़, मेडता
नौ ग्रहों का मन्दिर	किशनगढ़
ब्रह्माजी तथा रंगनाथजी	पुष्कर
कपिलदेव जी का मन्दिर	कोलायत
सास-बहू मन्दिर	नागदा
श्रीनाथ जी का मन्दिर	नाथद्वारा
एकलिंग जी का मन्दिर	उदयपुर
द्वारकाधीश का मन्दिर	कांकरोली
शिव मन्दिर	बाड़ौली
उदयेश्वर का मन्दिर	उदयपुर
वशिष्ठ जी का मन्दिर	सिरोही
देलवाड़ा जैन मन्दिर	आबू
प्राचीन जैन मन्दिर	जैसलमेर
जगदीश जी का मन्दिर	उदयपुर
ऋषभदेवजी का मन्दिर	धुलेव
जगत शिरोमणी, शिलादेवी का मन्दिर	आमेर
वाड़ौली मन्दिर	उदयपुर
सुनानी देवी का मन्दिर	बीकानेर
करणी जी का मन्दिर	देशनोक
कल्याणराय जी का मन्दिर	आमेर
लक्ष्मीनारायण का मन्दिर	आमेर
सूर्य मन्दिर	आमेर
सूर्य मन्दिर	तलवाड़ा
सूर्य मन्दिर	झालावाड़
केसरियानाथ जी	उदयपुर
कुंजबिहारी जी	जोधपुर
भैरूबाग जैन मन्दिर	जोधपुर
उषा मन्दिर	डीग
गोविन्द जी का मन्दिर	जयपुर
रानी सती मन्दिर	झुंझुनूं
ताड़केश्वर मन्दिर	जयपुर
गढ़ गणेश मन्दिर	जयपुर

रानी सती मन्दिर	कोटड़ी
शाकंभरी देवी मन्दिर	शाकंभरी (सीकर)
शिव मन्दिर	जावर (उदयपुर)
हर्षनाथ का मन्दिर	सीकर
हर्षनाथ का मन्दिर	आवानेरी
बाडोली मन्दिर	भैंसरोडगढ़
किशन विलास मन्दिर	कोटा
ओसियां के मन्दिर	ओसियां
नीलकंठ महादेव का मन्दिर	अलवर
लक्ष्मण जी का मन्दिर	भरतपुर
संघी जन्ताराम का मन्दिर	आमेर
जैन नसियां	अजमेर
महावीर जी का मन्दिर	महावीरजी
जैन मन्दिर	सिरोही, मीरपुर, खानपुर, राणकपुर, कालुजरा, झालरापाटन, कापरड़ा, नाकोडा आदि.

प्रसिद्ध दुर्ग

नाम	स्थान
चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
कुम्भलगढ़	उदयपुर जिला
मंडोर दुर्ग	जोधपुर
जालौर दुर्ग	जालोर
नागौर दुर्ग	नागौर
मेहरानगढ़ दुर्ग	जोधपुर
सिवाणा दुर्ग	सिवाणा (बाड़मेर)
शेरगढ़	कोटा
गगराणा दुर्ग	कोटा
तोहनगढ़	कांकरोली
बयाना दुर्ग	भरतपुर
अहनलपुर दुर्ग	भरतपुर
रणथम्भौर	सवाई माधोपुर
भातनेर दुर्ग	हनुमानगढ़
बीकानेर दुर्ग	बीकानेर
गंगानगर दुर्ग	गंगानगर
सूरतगढ़	सूरतगढ
मांडलगढ़	मांडलगढ़
भीकमपुर दुर्ग	जैसलमेर
तारागढ	अजमेर
बून्दी दुर्ग	बून्दी
इन्दरगढ़	कोटा
तवनगढ़	करौली
डीगगढ़	भरतपुर
नाहरगढ़	जयपुर
फतहपुर दुर्ग	फतहपुर (सीकर)
लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
गढ़बीटली	अजमेर
अकबर का किला	अजमेर
सोजत का किला	सोजत
भरतपुर का किला	भरतपुर
मंडावा का किला	मंडावा

मुख्य मस्जिदें, मकबरें, मीनारें आदि

नाम	स्थान
ख्वाजा मोहियूद्दीन चिश्ती की दरगाह	अजमेर
अल्लाउद्दीन की मस्जिद	जालौर
इकमीनार मस्जिद	जोधपुर
उपा मस्जिद	बयाना
ईदगाह	जयपुर
नालीसर मस्जिद	सांभर
अकबर की मस्जिद	आमेर
मेड़ता की मस्जिद	मेड़ता
गुलाब खां का मकबरा	जोधपुर
सफदरजंग मीनार	अलवर
नेहरखां की मीनार	कोटा
गमनागाजी	जोधपुर
गुलाम कलन्दर	जोधपुर
ढाई दिन का झोपड़ा	अजमेर

वर्तमान समय में मूर्तिकला का मुख्य केन्द्र जयपुर है. जहां व्यावसायिक स्तर पर छोटी-वडी सभी प्रकार की संगमरमर आदि की मूर्तियां वनाई जाती है तथा विदेशों में उनका निर्यात किया जाता है.

राजस्थान में मूर्तिकला के हिन्दू कलाकारों को मुगलों तथा उनके पश्चात् अंग्रेजों के समय में विकास का अवसर नहीं मिला. मुसलमानों को मुगलों के समय अवश्य प्रोत्साहन मिला था, जिनमें पत्थर के काम को व्यावसायिक तौर पर करने वालों की एक विशेष जाति 'सिलावट' कालान्तर में वन गई, जो वर्तमान में भी पत्थर का काम करती है. पत्थर की घड़ाई तथा खुदाई का काम, जहां-जहां भी पत्थर मिलते है. वहां राज्य में प्रायः सभी जगह किया जाता हैं, जिसमें भवनों तथा मूर्तियों के अतिरिक्त अन्य जीवनोपयोगी छोटी-वड़ी वस्तुएँ, जैसे खरल, घट्टियां आदि वनती हैं. मकराने में ये वहुत वनाई जाती हैं.

नृत्य नाट्य एवं संगीत कला—राजस्थान के प्राचीन भित्ति चित्रों, मूर्तियों एवं विभिन्न शैलियों के चित्रों में अंकित मुद्राओं एवं विषयों से यह सहज ही मे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां की नृत्य, नाट्य एवं संगीत कलाओं की परम्पराएँ भी पुष्ट एवं गौरवपूर्ण रही हैं. इन सभी कलाओं के दोनों रूप मिलते हैं, शास्त्रीय एवं लौकिक. शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत को यहां राजपूत राजाओं का आश्रय एवं प्रोत्साहन मिला. जन-साधारण में भी इनका प्रचलन रहता रहा है, किन्तु वह लोक कलाओं की अपेक्षा इतना प्रभावशाली नहीं रहा. नृत्य तथा संगीत की शास्त्रीय प्रणालियों का अध्ययन, प्रयोग अथवा रसास्वादन केवल राजघरानों, इने गिने गुणीजनों तथा विशिष्ट परिवारों तक ही सीमित रहा. यह उल्लेखनीय है कि शास्त्रीय प्रणालियों को जीवित रखने में हिन्दुओं तथा मुसलमानों दोनों ने ही समान रूप से योगदान दिया. इनके प्रयोग में न तो कभी किसी मुसलमान कलाकार ने गीतों के भक्ति-भरे, व्रज भाषा के शब्दों को उर्दू से प्रभावित होने दिया और न ही किसी हिन्दू कलाकार ने मुसलमान को 'सरस्वती' वंदना करने अथवा 'राधा की वहियां मोड़ने' से टोका, फिर भी हिन्दू तथा मुसलमानों की कलाकारी में कुछ जातीय विशेषताएं अवश्य दृष्टिगत होती हैं. दोनों कलाकार शास्त्रीय विशुद्धता रखते हुए भी भिन्न-भिन्न शैलियों में विभक्त हो गये, और इस भिन्नता ने इतना स्पष्ट रूप धारण कर लिया कि गुणीजन इस पृथक्ता का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं. कालान्तर में तो नृत्य तथा संगीत की शास्त्रीय प्रणालियां अनन्य शैलियों, उप-शैलियों अर्थात् 'घरानों' में विशृंखलित होती गई.

लोक नृत्यों तथा लोक संगीत में भी जातीय तथा क्षेत्रीय विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं. एक ही प्रकार के नृत्य अथवा गीत को यहां की विभिन्न भू. पू. रियासतों की भिन्न-भिन्न जातियां, भिन्न-भिन्न तरीकों से प्रदर्शित करती हैं. किन्तु इस वैविध्य के बावजूद भी सभी मे एक मूल अंश ऐसा है, जिसमें यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह राजस्थान की अपनी विशेषता है.

लोक नृत्य—गुणीजनों के लिए शास्त्रीय नृत्य, जहां उच्च कलात्मक सौन्दर्यानुभूति की अभिव्यक्ति है, वहां प्रतिदिन की मेहनत-मजदूरी करके, जो अपनी छोटी-सी आजीविका चलाते हैं, उनके लिए नृत्य केवल मनोरंजन अथवा कला ही नहीं, वल्कि जीवन का विश्वास और अपने अस्तित्व की आवश्यक शर्त है.

आदिवासियो के नृत्य केवल हर्ष या आल्हाद को ही व्यक्त नहीं करते. ये लोग नृत्य द्वारा अपने श्रम की आरा-

धना करते हैं या अपने माननीय देवी-देवताओं की पूजा करते हैं. हमारे लिये जो महज अन्ध विश्वास या पिछड़ी हुई मौलिक मान्यताएँ हैं वे उन लोगों के लिये जीवन दर्शन है. यहां के लोक नृत्यों के द्वारा भीलों, कालवेलियों सांसियों, बंजारों आदि जातियों के कितने ही रीति-रिवाजों और मान्यताओं का ज्ञान हो सकता है.

इसके अतिरिक्त हमारे जन-साधारण की नृत्य परम्पराओं का बोध भी इन्हीं से सम्भव होता है, जिसके अभाव में इस कला के क्षेत्र में विकास असंभव है.

राजस्थान की नृत्य परम्पराओं को सुरक्षित रखने में यहां के शिक्षित वर्ग की अपेक्षा अशिक्षितों तथा इतर 'पिछड़े' कहे जाने वाले लोगों का अधिक योग रहा है यद्यपि जन-साधारण अपने परम्परागत नृत्यों को यथा सम्भव जीवित रखते रहे, किन्तु पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर निकट पूर्व में राजाओं तथा शिक्षित मध्य वर्गों की उदासीन नीति से इनका विकास अवरुद्ध रहा.

राजस्थान के लोक नृत्यों में भीलों के नृत्य गेर, घूमर, नेजा और गौरी हैं. 'गेर' होली का नृत्य है. होली का समय खेती को काटने का समय होता है. फसल को घर लाने के साथ जो हर्ष का भाव है, वही इस नृत्य का प्राण भी है. होली के साथ भीलों या किसानों की जो धार्मिक मान्यताएँ हैं, वे भी प्रमुख हो जाती हैं. इसी प्रकार 'गौरी'

इनका पार्वती-पूजा सम्बन्धी नृत्य है. पार्वती-पूजा का इनमें प्रचलन एक महत्वपूर्ण खोज का विषय है. 'गौरी' का खेल-खेत को बोने व काटने के बीच में खेला जाता है. खेत की रखवाली के साथ ही यह सामूहिक नृत्य एवं नाटक मिलकर खेला जाता है.

भीलों की घूमर, जिसमें उनके गेर नृत्य के अंश भी मिश्रित हैं, एक अत्यन्त ओजपूर्ण नृत्य है. इस जाति में उत्सवों तथा संग्रामों दोनों ही के नृत्य प्रचलित हैं.

इसी प्रकार सरगरों के नृत्य में वालर, गौरी, गेर और घूमर नृत्य होते हैं.

राजस्थान के पश्चिमी भाग में घूमर, झूमा, साधारण गेर और डंडिया गेर खेली जाती है.

स्त्रियां गणगौर, होली, दिवाली आदि उत्सवों एवं त्यौहारों पर घूमर नृत्य करती हैं. इस नृत्य की भिन्न-भिन्न क्षेत्रगत विशेषताएँ हैं. यह राजस्थान का अत्यन्त जनप्रिय कलात्मक नृत्य है. भूतपूर्व ठिकानों में इसका बहुत प्रचलन था और राजपूत स्त्रियां महलों में बड़े पैमाने पर यह नृत्य आत्मलीन होकर किया करती थीं.

घूमर में लड़कियां एक घेरे में विशेष पद-संचालन और गीत के साथ नाचती हैं.

शेखावाटी क्षेत्र के मुख्य नृत्य हैं गींदड़ तथा डंडिया गेर, यहां के गींदड़ नृत्य और डंडियां गेर में विशेष फर्क नहीं

होता. गींदड़ नृत्य में भाग लेनेवालों की संख्या बहुत होती है. इसमें कई जातियों के लोग भाग लेते हैं. यह होली के पन्द्रह दिन पहले आरम्भ होता है.

गणेश चतुर्थी पर शेखावाटी में लड़के-लड़कियां टोलियां बनाकर तरह-तरह के स्वांग रचकर नाचते हुए गली, बाजारों में जुलूस निकालते हैं.

मध्य युग में राजाओं की उदासीनता से लोग नृत्यों को किंचित हेय दृष्टि से देखे जाने की वजह से सामूहिक नाच करने वालों की एक जाति विशेष बन गई. ऐसी मान्यता है कि 400 वर्ष पूर्व नागोजी जाट ने इनमें भवाई जाति की स्थापना की, जो वर्तमान तक नृत्य-नाट्य पेशे के रूप लोक नृत्यों तथा लोक संगीत में जातीय तथा क्षेत्रीय विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं. एक ही प्रकार के नृत्य में करती चली आती है. ये वर्षा के बाद आठ महीनों तक अपने यजमानों के गांवों में घूम-घूमकर लोगों का मनोरंजन करती रहती हैं.

मेवाड़ के भवाई जाति के नाचने वाले सिर पर पांच-पांच सात-सात घड़े रखकर नाचते हैं.

शेखावाटी के कच्छी घोड़ी-नृत्य ने भी काफी ख्याति पाई हैं. कच्छी घोड़ी-नृत्य में 'पेटर्न' बनाने की कला अद्भुत है चार व्यक्तियों की आमने-सामने खड़ी पंक्तियां पीछे हटने, आगे बढ़ने की क्रियाएँ द्रुतगति से करती हुई इस प्रकार मिल जाती हैं कि आठों व्यक्ति एक ही लाइन से आ जाते हैं. यह पंक्ति का बार-बार बनना व बिगड़ना ठीक उसी कली से फूल की तरह होता है, जो पखुड़ियाँ होकर खुलती है.

अरावली पर्वत-माला के अन्य आदि निवासियों में भी नृत्य का प्रचलन है. होली और गणगौर के अवसरों पर इनका नृत्य-उत्साह देखने योग्य होता है, स्त्री-पुरुषों की टोलियाँ आनन्द-मग्न होकर साथ-साथ नाचती हैं.

गनगौर के अवसर पर गिरासिया युवतियां घूमर नृत्य करती हैं. सुन्दर गोलाकार समूह में जौ के हरे-भरे पौधों को सिर पर रखकर नृत्य होता है और युवक ढोल तथा बांसुरी की धुन पर उनके चारों ओर आनन्द-विभोर होकर नाचते रहते हैं. अन्य विशेष उत्सवों पर भी गिरासिया स्त्री और पुरुष साथ-साथ ही नाचते हैं.

लोक नृत्यों का प्रचलन विशेषकर जन-जातियों में बहुतायत से पाया जाता है. बनजारों के नृत्य उनके नाम के पीछे ही मशहूर हैं. संगीत के साथ-साथ नृत्य भी इनके जीवन का एक प्रमुख अंग है. राजस्थानी देहातों और विशेषकर जन-जातियों में उत्सव एवं त्यौहारों में नृत्य का भी एक प्रमुख कार्यक्रम रहता है.

इनके अलावा राजस्थान में कुछ पेशेवर जातियाँ भी हैं, जिनका कार्य नाचना-गाना है. ढोली, मिरासी आदि के अतिरिक्त यहां के कालवेलियों के शंकरिया एवं पनिहारी नृत्य, जसनाथी सिद्धों का अग्नि नृत्य तथा बागड़ियों के अनेक नृत्य बहुत ही प्रभावशाली हैं.

भूतपूर्व जोधपुर रियासत में लोक नृत्यों का प्रचलन पिछड़ी कही जाने वाली जातियों तथा ग्रामीणों के अतिरिक्त नगरवासियों तथा उच्च जाति वर्गों में भी किंचित् उसी उत्साह से वर्तमान समय तक विद्यमान है. गेर, डंडियों तथा जोर जी चांपावत आदि पुरुषों के नृत्य यहां नगरों में भी होली तथा गणगौर के समय बड़े चाव से आयोजित किये जाते हैं.

यहां की स्त्रियों के नृत्यों में घुड़ला महत्वपूर्ण नृत्य है, छिद्रित मटके, जिनमें दीपक जलते रहते हैं. उनको सरों पर उठाकर सुन्दर श्रृंगार कर स्त्रियों की टोलियां पनिहारी तथा घूमर के प्रकार से गोलाकार चक्कर बनाती हुई नाचती है, साथ में गीत गाया जाता है.

इस नृत्य में मन्द-मन्द मादक चाल तथा सिर पर रखे हुए घुडले को जिस नाजुकता से सम्हाला जाता है, वह बहुत ही दर्शनीय है

इन लोक नृत्यों में प्रयोग में आने वाले वाद्यों में ढोल, थाली, बांसुरी, चंग, ढोलक, नौपत आदि मुख्य हैं. होली पर तो अधिकांशतः चंग का ही प्रयोग होता है.

राजस्थान के नृत्यों के वस्त्र व आभूषण भी सुन्दर होते हैं. रंगों का उपयोग ऋतु के अनुसार होता है. वर्तमान में लोक नृत्य कला को शिक्षित वर्गों तथा नगरों में पुनः जनप्रिय बनाने में जयपुर के मणि गांगुली तथा उदयपुर के देवीलाल सामर का मुख्य हाथ रहा. यहां राजस्थान संगीत अकादमी की स्थापना के बाद, अकादमी के भू. पू. मन्त्री जोधपुर के कोमल कोठारी ने लोक कलाओं के पुनः

विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये तथा राजस्थान के इतर उपेक्षित लोक कला के कलाकारों को भारतीय स्तर पर आधुनिक रंगमंच प्रदान किया.

सामर ने उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की, जिनके वेलेट ने सम्पूर्ण भारत तथा विदेशों में राजस्थानी लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया.

लोक संगीत—राजस्थान में लोक संगीत के तीन रूप मिलते हैं. एक आदिवासियों का संगीत, दूसरा यहां की विभिन्न जातियों में प्रचलित मांगलिक अवसरों पर गाये जाने वाला संगीत और तीसरा वह संगीत जो यहां की अन्य पेशेवर विशिष्ट जातियों का है.

आदिवासियों के लोक संगीत में संगीत की धुन तो परम्परा से चली आती है किन्तु उसका पद-पक्ष या काव्य-रूप हमेशा नया होता है. अर्थात् गायक समुदाय धुन विशेष में नई-नई कल्पनाओं का सृजन करता है. इनमें धुन निश्चित किन्तु पद अनिश्चित रहते हैं. गीतों की सहज लय-वृत्ति को मादल नामक अवनद्ध वाद्य पर व्यक्त किया जाता है. सामूहिक गीतों में तत् एवं सुषिर वाद्य आदि प्रयोग नहीं किये जाते. अवश्य इन आदिवासियों का पुजारी वर्ग, जिसने संगीत को आराधना-विधि का अंग बनाया, तत् वाद्यों का उपयोग करता है. उनकी गायन शैली में पांच से अधिक स्वरों का प्रयोग भी होता है. इस वर्ग का सगीत विकसित संगीत सामूहिक गीतों में स्वरों की सहजता रहती है और केवल तीन या पांच स्वरों के ही उतार-चढ़ाव में होने के कारण सम्पूर्ण समुदाय सुविधा से गा सकता है.

सामाजिक जीवन के मांगलिक गीतों में भी सभी स्वरों का प्रयोग किया जाता है. इनमें कोमल एवं शुद्ध स्वर-रूपों का उपयोग भी होता है. ये सामूहिक गीत हैं, जो अधिकतम स्त्रियां गाती हैं. होली जैसे त्यौहार पर पुरुष भी ऐसे गीत गाते हैं.

हमारी सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति के 16 संस्कार मुख्य हैं. इन संस्कारों के अवसर पर गाये जानेवाले गीतों का स्वरमय एवं काव्यमय स्वरूप परम्परा से चला आता है. इनकी धुन भी निश्चित होती है और पद भी. इन गीतों में लय के लिये केवल अवनद्ध अथवा घन वाद्य उपयोग होते हैं.

लोक संगीत का तीसरा रूप सबसे महत्वपूर्ण है, जो पेशेवर गायकों या विशिष्ट जातियों की ही मुख्य संपत्ति है. गायन वादन दोनों ही दृष्टियों से यह सम्पन्न संगीत है, जो संगीत शास्त्रीयता के काफी निकट पहुंच जाता है.

राजस्थान में ढोली, मिरासी, लंगा, ढाढ़ी मांगणियार, कामड़, भोपे, भाट, जोगी, कालवेलिया एवं मेव आदि जातियों ने वंश-परम्परा से अपने-अपने वाद्यों को विरासत के रूप में प्राप्त किया है.

ढोली, ढाढी, मिरासी और लंगे सारंगी का प्रयोग करते हैं. लय के लिये ये जातियां मुख्यतया ढोलक काम में लेती हैं.

लंगा एक अत्यन्त अल्पसंख्यक जाति है, जो मुख्यतः राजस्थान के जैसलमेर एवं बाड़मेर इलाके में रहती है. इस गायक जाति ने अनेक वाद्यों को ग्रहण किया है. ये लोग सुरिंदा, सुरनाई, मुरला, सतारा, मोरचंग आदि वाद्यों का उपयोग करते हैं. इनकी गायन-शैली भी विकसित है मींड़ गमक, मुर्की, छोटी-छोटी बोल-तानें एवं लय के अनेक प्रयोग इनमें मिलते हैं.

ढाढी और जोगी धानी सारंगी नाम से एक वाद्य बजाते हैं. मांगणियार जाति कामाइचा वाद्य बजाती है. कामड़ जाति के लोग मुख्यतया निसाण अथवा तंदूरे और मंजीरों का उपयोग करते हैं.

राजस्थान के लोक संगीत में तंदूरा, एकतारा व दोतारा ही ऐसे वाद्य हैं, जो श्रुति-वाद्य की श्रेणी में आते हैं और जिनकी शास्त्रीय संगीत के तानपुरे से तुलना की जा सकती है. इन दोनों में यह अन्तर है कि जहां शास्त्रीय संगीत के तानपुरे का उपयोग केवल श्रुति देने के लिए ही

किया जाता है. वहां तंदूरे से श्रुति एवं लय दोनों का काम किया जाता है. तानपुरे से विपरीत तंदूरे को दायें से बायें की ओर आघात करके बजाया जाता है. दादरा; चाचर और कहरवे आदि के लिए आघात भिन्न-भिन्न ढंग से किया जाता है. तंदूरा मुख्यतया भजन, वाणी और भक्ति-संगीत के काम आता है.

कामड़ जाति रामदेव जी नामक एक लोक देवता के गीत व वाणी गाती है साथ ही कामड़ स्त्रियां अपने शरीर पर चौदह या सोलह मंजीरे बांधकर लय के अनुसार उसका वादन करती है. वह वादन-क्रिया बैठकर की जाती है. गायन के साथ-साथ पारिवारिक एवं कृषि कार्यो की विविध मुद्रायें प्रतीक स्वरूप नृत्य रूप में प्रस्तुत की जाती है. एवं इस नृत्य को 'तेराताली-नृत्य' कहा जाता है.

जोगी घानी सारंगी का उपयोग करते है. एक अन्य जोगी सम्प्रदाय कालवेलियों की भांति ही पूंगी, खंजरी, ढोल, डेरू या ढाक आदि का प्रयोग भी करता है. कालवेलिया अपने गीतों को घोरालयो नामक वाद्य पर भी बजाते हैं. राजस्थान में दो जातियों के भोपे भी महत्वपूर्ण हैं. एक भीलों के भोंपे. जो पाबूजी की पड़ को वांचते समय रावणहत्थे का प्रयोग करते हैं और दूसरे गूजरों के भोपे, जो बगड़ावतों की पड़ बांचते समय जंतर नामक वीणा जैसे वाद्य का उपयोग करते हैं. रावणहत्थे में लय का काम गज पर बंधे हुए घुंघरू करते हैं. जंतर में इसी कार्य को चिकारी के तार पर अंगूठे से आघात करके प्रकट किया जाता हैं.

अलवर इलाके के मेव चिकारे और अलगोझे का प्रयोग करते हैं. चिकारा रावणहत्थे से काफी मिलता हैं, किन्तु इसकी वादन-विधि रावणहत्थे से बिल्कुल भिन्न है.

लोक संगीत में वादन की प्रक्रिया के लिए अनेक वाद्य हैं. ये सभी वाद्य प्राय: गायन की संगत के रूप में काम आते हैं. किन्तु कुछ वाद्य स्वतन्त्र रूप से भी विकसित हुए हैं. राजस्थान में करणा भील 'नड़' नामक वाद्य का प्रयोग करता है.

राजस्थान में डंडिया, घंटा, घंटी, घड़ियाल, थाली, तासली, टिकोरा, मंजीरा, थाला, झांझ, चीपिया, चूड़ियां, करताल, रमझोल, लेजिम, मोरचंग, घोरालियों, झालर, श्रीमंडल, मैरू रा घुंघरू, घुंघरू चंम, डफ, खंजरी, ढ़ोलक, घेरा मादल, नटों की थोलक, ढ़ोल, नग्गारा निशान, डेरू या ढाक-टमरू, घूसा, डमामा, कुण्डी तासा, कमात, नग्गारा मटकी, पाबूजी रा माटा, अलगोजा, पेली, तूतू, नड़, सतारा सुरनाई, पूंगी, मुरला, मशक, संख, सींगी, वरगू, तुरही, भूंगल, करणा, बांकिया, नागफणी, एकतारा, दुतारा, चौतारा अथवा वीण, निसांण, तंदूरा, जन्तर' रवाव, रावणहत्था मेवों का चिकारा, गिरासियों का चिकारा, जोगिया सारंगी गुजरातन सारंगी, डेड पासली री सारंगी, कमायछा, सुरिन्दा, अपंग, ढूचकों, मांगणियां सारंगी आदि लगभग 73 प्रकार के लोक संगीत वाक मिलते हैं.

गायन में यहां का संगीत समावेद गायन के निकट माना जाता है, यहां की गायन शैली विकास के पथ पर अग्रसर होती हुई शास्त्रीयता के स्तर पर पहुंचती दृष्टिगोचर होती है, 'मॉड' जिसके कितने ही जातीय एवं क्षेत्रीय रूप यहां मिलते है, राजस्थान की भारतीय संगीत को अनुपम देन हैं.

लोक गीत : राजस्थान का लोक संगीत लोक गीतों से अविच्छिन्न सम्बन्ध रखता है यहां के लोक गीतों में पद अथवा कवित्त, कथा, स्वर, लय एवं ताल सभी का उत्तम समन्वय मिलता है. गीतों के शब्दों में अभिव्यक्त अनुभूतियां संगीत की धुनों से अत्यन्त प्रभावशाली वन जाती है और गायक स्वर और ताल की सहायता से गीतों के शाब्दिक चित्रण को तथा कथा तत्व को बहुत ही संवेदनाजनक तरीके से श्रोताओं तक पहुंचाने में सफल हो जाता है. वस्तुत: 'वोल' और 'संगींत' का जितना प्रभावयुक्त एवं सन्तुलित समन्वय राजस्थान के लोक गीतों में मिलता है उतना शास्त्रीय प्रणालियों में दृष्टि गोचर नही होता.

राजस्थान के लोक गीत साहित्य की दृष्टि से भी इतने ही महत्वपूर्ण है, जितने कि संगीत की दृष्टि से जीवन के विभिन्न प्रसंगों का हृदयस्पर्शी चित्रण इनमें मिलता है, शृंगार, शौर्य, प्रेम, विरह, भक्ति, स्नेह, वात्सल्य कई विषयों पर अनन्त गीत यहां प्रचलित है, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न जातियों द्वारा अपनी-अपनी निजी विशेषता से गाये जाते हैं.

लोक देवी देवताओं के गीतों में भैरूंजी, माताजी, गोगाजी के गीत अधिक मिलते है.

संस्कारों के गीतों में गर्भाधान, अजमो, सन्तानोत्सव लोरी, गाडूलो, बधावा, पीलो, जनेऊ, आरती, बरात के गीत, बाने, जंवाई, कलेवों, तम्बाकू, भात, भांगड़ली आदि के नाम उल्लेखनीय है.

उत्सव, त्यौहारों पर गाये जाने वाले गीतों में मूमल; मारवणी, सोडा-राणा, सांवण, बिजली, कुरजां, कसूम्बों, काग, पीपल, बारह मासा, पनिहारी, निहालदे, हिचकी, नागजी, सोरठो, केसरिया बालम, भूंटणियों, मेहूड़ो, दाख, गोगवन्ध, ईढ़ांणी, चिरमटियो सूवी, रेणां दे, सिकरो, ओलूं, बिछूड़ो आदि महत्त्वपूर्ण हैं.

लोक नाट्य : नृत्य, संगीत, गीत एवं कथा का मिश्रित प्रयोग स्वयं में एक कला-माध्यम है, जो 'ख्याल' के रूप में राजस्थान में बहुत प्राचीन समय में विकसित हुआ और वर्तमान समय तक देहातों में जन साधारण का रुचि-प्रिय मनोरंजन का साधन बना रहा.

राजस्थान में लगभग सात विभिन्न शैलियों के 'ख्याल' मिलते हैं, तथा-कुचामणी, शेखावाटी, नाटकी, रम्मत, रसधारी, भवाई तथा तुर्रा-किलंगी, प्रायः सभी 'ख्याल' पद्य मय होते हैं जिनमें गीत, नृत्य, वाद्य संगीत, कुछ नाट्य के हाव-भावों द्वारा रंगमंच अथवा आम मैदान में खेला जा सकता है.

विषयों के अनुसार राजस्थान में प्रचलित 'ख्यालों' के दस प्रकार मिलते हैं—संत योद्धाओं के, शहीदों के, अवतारों के, प्रेम के, भक्तों के, पारिवारिक मामलों के, आदर्श पुरुषों के, त्याग करने वालों के आदि.

संत - योद्धाओं से सम्बन्धित 'ख्यालों' में गोगा चौहान का ख्याल, पाबूजी, तेजाजी एवं रामदेवजी के 'ख्याल' मुख्य हैं. इसी प्रकार शहीदों में जैमल पत्ता का ख्याल, वीरों में पृथ्वीराज, चंद्रसेन, अमर सिंह राठौड़, जगदेव कंकाली, डूंगजी-जंवार जी, धुला ढ़ाढ़ी आदि के ख्याल महत्वपूर्ण हैं. अवतारों के 'ख्यालों' में 'रामलीला,' कृष्णलीला,' शुभद्रा हरण,' 'सीता स्वयंवर', 'रुकमणी मंगल' आदि प्रसिद्ध हैं भक्तों एवं आदर्श चरित्रों में गोपीचन्द, भर्तृहरि, प्रह्लाद, ध्रुव, नरसी मेहता, मीरा मंगल आदि और प्रेम के ख्यालों में ढोला - मरवण, निहालदे, हीर - रांझा, जेठवा-ऊजली, नागसेन - सुगना आदि लोकप्रिय हैं. पारिवारिक प्रसंगों के 'ख्यालों' में नणद - भौजाई, देवर - भौजाई, देराणी-जेठानी, सास - बहु, काकी - जेठूत आदि उल्लेखनीय हैं. अन्य लोक नाट्यों में 'रामलीला' बहुत प्रचलित है. कठपुतली आदि अन्य लोक कला माध्यम : कपड़े आदि से बनाई गई स्त्री - पुरुष की अनेकों प्रतिमाएँ संगीत और नृत्य के सहारे सहजता से विभिन्न क्रियाओं एवं मुद्राओं द्वारा बा - कायदा एक गंभीर से गंभीर कथा को प्रदर्शित करने में सबल हो जाती हैं ये सब उन अंगुलियों की कला एवं कारीगरी है, जो धागों से इन प्रतिमाओं को सजीव बना देती हैं. राजस्थान में 'कठपुतली' कला की दक्षता प्राचीन समय से चली आती है. किन्तु विकास की सम्भावनाओं से वंचित रहकर इस अनुपम कला - माध्यम का प्रचलन भी नगण्य प्रायः हो गया. कुछ पिछड़ी हुई व्यावसायिक जातियों में ही इसका प्रयोग शेष रह गया. वर्तमान में उदयपुर के श्री देवीलाल सामर ने राजस्थान की इस परम्परागत विशेषता को पुनः विदेशों में प्रसिद्ध करने के सफल प्रयास किये हैं. इन कला माध्यमो के अतिरिक्त राजस्थान में 'स्वांग' अथवा 'बहुरुपिये' आदि भी देहातों तथा छोटे - बड़े शहरों में कभी - कभी देखने को मिलते हैं. 'स्वांग' अथवा बहुरूप (विविध रूप) धारण करने वालों में कभी - कभी इतनी स्वाभाविकता दृष्टिगोचर होती है कि 'स्वांग' करने वाले व्यक्ति से यदि भली भांति पूर्व परिचय न हो तो धोखा खाना सम्भव हो जाता है. ये लोग कभी मनीआर्डर लाने वाला डाकिया, कभी पुलिस का कर्मचारी तो कभी कोई अन्य रूप धारण करके पैसा मांगते फिरते हैं. पश्चिमी राजस्थान में रावलों की रम्मत विशिष्ट लोक नाट्य के रूप में प्रसिद्ध रही है.

शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत : नृत्य तथा संगीत के शास्त्रीय पक्ष में भी राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है. 'कत्थक' नृत्य की एक शैली को जयपुर के भानू जी नामक व्यक्ति ने लगभग दो सौ वर्ष पूर्व यहां जन्म दिया, जो बाद मे 'जयपुर घराने' के नाम से प्रसिद्ध हुई. जयपुर दरबार के 'गुणीजन खाने' में कत्थक के जयपुर घराने के दो विख्यात

नृत्यकार हनुमान प्रसाद जी तथा हरिप्रसाद जी नियुक्त थे. जयपुर घराने की पांच शाखाएं हैं. जिनके प्रवर्तक नायक नत्यूलाला गिरधारीलाल, शंकरलाल. पूर्णराम तथा भानू जी थे. कत्यक के बनारस घराने का उद्भव - केन्द्र भी राजस्थान ही माना जाता है. जयपुर घराने से भी पूर्व 'श्यामलदास घराना' के नाम से एक अलग घराना विख्यात था, जो बाद में दो भागों में विभिक्त हो गया. एक घराना जिसका विकास राजस्थान में जयपुर में हुआ और दूसरा 'जानकी प्रसाद घराना जो बनारस में पल्लवित हुआ. जयपुर घराने के कलाकारों में नारायणराम, रमनलाल, अनोखेलाल आदि चिरस्मरणीय हैं.

शास्त्रीय संगीत की परम्परा भी यहां काफी प्राचीन है. महाराणा कुम्भा द्वारा रचित 'संगीत राज' तथा जयपुर महाराजा प्रतापसिंह द्वारा रचित 'संगीत सार' ग्रन्थ इसकी पुष्टि करते हैं कि यहां के राजाओं को संगीत का शौक था और संगीत शास्त्र का ज्ञान भी यहां की भूतपूर्व रियासतों में वर्तमान समय तक शास्त्रीय संगीत के कलाकारों को राज्यश्रय मिला. विश्व - विख्यात सरोदवादक उस्ताद अली अकबर खां जोधपुर राजघराने से संबंधित थे. यहां के अन्य शास्त्रीय संगीत के कलाकारों में, स्व. चतुरलाल भारत के प्रसिद्ध वादक, उनके भाई रामनारायण, भारत के विख्यात सारंगी वादक, भारतीय चित्रपट के ख्याति प्राप्त संगीत निर्देशक स्व. खेमचन्द प्रकाश, तथा जमालसेन, भारतीय स्तर के सरोद वादक दामोदर लाल कावरा, स्व. पन्नालाल घोष के शिष्य बांसुरीवादक नवयुवक सूरज प्रकाश पुरोहित सितार वादक शशि मोहन भट्ट, पखावद वादक पुरुषोत्तम-लाल तथा गायकों में ब्रह्मानन्द, करीम खां, माधुरी मट्टू, श्री हर्ष आदि के नाम उल्लेखनीय है, प्रसिद्ध सारंगी वादक रामनारायण के गुरु भीष्मदेव वेदी जोधपुर में बहुत समय तक रहे. उन्होंने 'सुरदर्पण' नामक यंत्र की रचना की है जिसमें तार वाद्य एवं हारमोनियम का मिश्रण है.

साहित्यःअन्य कलात्मक अभिव्यक्तियों की तरह राज-स्थान के साहित्य के भी दो स्वरूप हैं, लोक साहित्य तथा अन्य भाषाओं में लिपि बद्ध साहित्य, अंग्रेजों के आगमन के पूर्व तक दोनों ही साहित्यिक परम्पराएं विकासशील रही. लोक साहित्य लिपि बद्ध साहित्य से अपेक्षाकृत जन-साधारण के जीवन के अधिक निकट एवं प्रभावशाली रहा. जहां एक ओर संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पिंगल, गिंगल, हिन्दी, खड़ी बोली, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषाओं में लिपिबद्ध साहित्य की रचना होती रही वहां दूसरी ओर यहां का जनसाधारण मौखिक परम्पराओं से अपनी-अपनी बोलियों में लोक साहित्य का सृजन तथा प्रयोग पीढ़ी-दर-पीढ़ी करता रहा. लिपिबद्ध साहित्य का निर्माण एवं उप-योग विद्वानों तथा शिक्षित वर्गों में सीमित रहा किन्तु लोक साहित्य साक्षरता के बन्धन से मुक्त रह कर यहां के असीम जन समुदाय की निधि रहा. लिपि-बन्धन से मुक्त रहने के कारण यहां के लोक साहित्य में गत्यात्मकता भी अपेक्षाकृत अधिक रही.

लोक साहित्य : यहां की विभिन्न बोलियों का परम्प-रागत मौखिक साहित्य यहां की अन्य भाषाओं के लिपिबद्ध साहित्य से अवश्य ही अधिक है. जन साधारण के जीवन से अत्यन्त निकट रहने के कारण उनमें विषय प्रसगों का वैविध्य भी अधिक है तथा स्वाभाविकता, सरसता, सहजता आदि अन्य साहित्यिक और कलात्मक गुणों से भी यह भरपूर है. जीवनोपयोगी शिक्षा जितनी लोक साहित्य में अन्तर्निहित है. उतनी लिपिबद्ध साहित्य में नहीं है. जीवन के हर क्षेत्र में किंकर्तव्य कर देने वाली प्रत्येक छोटी-बड़ी समस्या के लिए कुछ न कुछ समाधान लोक साहित्य में विद्यमान है. परम्परागत जीवन-मूल्यों तथा आदर्शों का जितना प्रभावशाली चित्रण मौखिक साहित्य में मिलता है उतना अन्यत्र नही मिलता. मां, दादी अथवा नानी द्वारा गीतों, वातों, लोकोक्तियों एवं मुहावरों के माध्यम से प्रति-पादित यह साहित्य हमारी परम्पराओं का संरक्षण भी है और हमारे विकास का संचालक भी. यह साहित्य पद्य एवं गद्य दोनों में मिलता है. पद्य में लोक गीतों के रूप में तथा गद्य में वातों कथाओं, ख्यालों के रूप में यह जन साधारण की वाणी में विद्यमान है.

उधर कुछ वर्षों से इस 'मौखिक' साहित्य को लिपि बद्ध रूप देने के प्रयास किये जा रहे हैं. राज्य के विभिन्न

भागों से तथा यहां की अनन्य जातियों से इसे संग्रहित करने, लिपिबद्ध करने तथा प्रकाशित करने का कार्य यहां की कई शोध संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है. जिनमें रूपायन संस्थान [बोरुन्दा] एवं भारतीय लोक कला मंडल [उदयपुर] का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है.

संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य : राजस्थान का संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश में प्रणीत साहित्य यहां के राजाओं उनके दरबारी कवियों एवं विद्वानों, धर्मोपदेशकों एवं जैन मुनियों आदि द्वारा लिखा गया.

संस्कृत साहित्य में 'शिशुपाल वधः' के रचयिता कवि माघ राजस्थान के भीनमाल गांव के निवासी थे जिनका समय ई. स. 700 के लगभग का माना जाता है. यहां के राजाओं में विग्रहराज, प्रहलाद देव तथा महाराणा कुम्भा का नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने संस्कृत के विद्वानों को केवल राज्याश्रय ही नहीं दिया गया बल्कि स्वयं ने संस्कृत में साहित्य रचना की, विग्रहराज ने 'हरकेली' की रचना की तथा महाराणा कुम्भा ने संगीत शास्त्र का वृहत् ग्रंथ 'संगीतराज' लिखा. कुम्भा ने जयदेव रचित 'गीत गोविन्द' की व्याख्या लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई.

अधिकांश जैन विद्वानों ने यद्यपि प्राकृत अथवा अपभ्रंश में रचनाएं की किन्तु संस्कृत में भी उनकी कई रचनाएं मिलती है. सिद्धर्षि सूरि का 'उपमितिभव प्रपंच' जयनक का 'ललित विग्रह राज' नाटक, जयसिम्भ सूरि का 'कुमार पाल चरित', न्याय चन्द्र का 'हमीर महाकाव्य', उद्योतन सूरि की 'कुवलयमाला कथा', मधुसूदन की वेदों की अनेक व्याख्याएं तथा हरिभद्र सूरि के धर्म, दर्शन एवं साहित्य से संबंधित लगभग 1444 रचनाएं उल्लेखनीय हैं.

जैन मुनियों ने धार्मिक विषयों पर प्राकृत तथा अपभ्रंश में अनेक ग्रंथ लिखे. उन्होंने रसाऊ चौपाई, फाग संवाद, दूहा आदि कई साहित्यिक शैलियों तथा अंगों का उपयोग किया. जैनियों के खरतरगच्छ समूह का इसमें विशेष योग रहा. जिनदत्त सूरि, जिनभद्र सूरि, मेघ विजय द्वारा रचित 'सप्त संधान महाकाव्य', 'शांतिनाथ चरित'. 'वर्ष प्रबोध', 'चन्द्र प्रभा' आदि उल्लेखनीय है.

कालांतर में प्राकृत तथा अपभ्रंश की परम्पराओं का 'डिंगल' के प्रयोग से लोप हो गया किन्तु संस्कृत की परम्पराएं ठेठ वर्तमान समय तक विद्यमान है. वैदिक सभ्यता के अनुसरण से संस्कृत का प्रयोग भी सुरक्षित रह गया. आज भी राजस्थान में निवास करने वाले ब्राह्मण समुदाय में कई लोग संस्कृत में साहित्य रचना करते हैं. संस्कृत साहित्य के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज एवं सुरक्षा के लिए भूतपूर्व रियासतों के नरेशों में बीकानेर के महाराजा अनूपसिंह, जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिंह तथा जयपुर के महाराजा सवाईसिंह ने महत्वपूर्ण योग दिया. पिछले कुछ वर्षों से यहां के विभिन्न शोध संस्थान भी इस दिशा में क्रियाशील है. राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर ने राजस्थान के विभिन्न भागों से संस्कृत साहित्य के ग्रन्थ एकत्र किये हैं तथा कुछ को प्रकाशित किया हैं.

राजस्थानी साहित्य : राजस्थानी का प्राचीन नाम मरु भाषा था. आईने-अकबरी में अब्दुल-फजल ने तत्कालीन प्रमुख भारतीय भाषाओं में तथा 8-9 वीं शताब्दी में लिखित 'कुवलयमाला कथा' में 'मारवाड़ी' अथवा 'मरु भाषा' का नाम उल्लिखित है. राजस्थानी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है.

राजस्थानी में साहित्य सृजन 9वीं शताब्दी से आरंभ हुआ माना जाता है. 13 वीं शताब्दी तक राजस्थानी के लिए बद्ध साहित्य पर अपभ्रंश का प्रभुत्व रहा. उसके बाद से 16 वीं शताब्दी तक आते-आते राजस्थानी का शुद्ध रूप, जिसे डा. टैसीटोरी 'पुरानी पश्चिमी राजस्थानी' कहते हैं, काफी विकसित हो गया, इस समय का साहित्य भी बहुत समृद्ध है. 17 वीं शताब्दी में राजस्थानी साहित्य को विस्तार मिला. 18. वीं व 19वीं शताब्दियों में इसमें असंख्य ग्रन्थ रचे गये. अंग्रेजों के समय में इसकी विकासशील गति में अवरोध हुआ जो स्वतंत्रता के पश्चात वर्तमान में पुनर्जीवित हो रहा है.

भाषा शैली की दृष्टि से राजस्थानी साहित्य के पांच प्रमुख स्वरूप मिलते हैं, तथा चारण साहित्य, जैन साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, सन्त साहित्य, तथा लोक साहित्य. इनमें ब्राह्मण साहित्य में भागवत आदि पुराणों तथा अन्य धर्म-ग्रन्थों के अनुवाद प्रचुर मात्रा में मिलते हैं. संत साहित्य में सैकड़ों महापुरुषों तथा पंथ-प्रचारकों की वाणियां मिलती

हैं. चारणों तथा जैनों के साहित्य में असंख्य रचनाएं विविध विषयों में उपलब्ध हैं जिनमें आदिकालीन तथा मध्यकालीन साहित्य जैन तथा चारण दोनों के साहित्य में विषय प्रसंग, भाषा तथा अन्य साहित्यिक गुणो में प्रर्याप्त भिन्नता है.

जैन साहित्य : राजस्थानी साहित्य का बहुत बड़ा भाग जैनों द्वारा लिखा गया. यह साहित्य अधिकांशत: धर्म-प्रधान है. राजस्थानी के कथा-साहित्य एवं गद्य को इनकी बहुत बड़ी देन है. नीति, शृंगार तथा सामायिक जीवन की व्याख्या इनके साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ हैं.

जैन कवियों ने विभिन्न शैलियों में साहित्य रचा. जिनमें मुख्य रूप से प्रबंध, कथा, रास, चौपाई, फाग, बारहमासा, चौमासा, संवाद, गीत, दोहा एवं मातृ के रूपों को लिया जा सकता है प्रबंधों एवं कथाओं का आकार प्रकार अपेक्षा-कृत लम्बा होता था. बारहमास या चौमासा संज्ञक ग्रंथ ऋतु वर्णन के लिये प्रसिद्ध माध्यम रहे है. दोहे के छोटे से रूपमें गंभीर हृदय पर गहरा प्रभाव डालने की शक्ति होती है. 'फाग' वसंत ऋतु एवं होली के समय की आत्ममुक्त भावना के गीत रूप में मुखरित होता रहा है.

राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ जो उपलब्ध हुआ है वह वज्रसेन सूरि का 'भरतेश्वर बाहुबली घोर' है जो संवत् 1225 के लगभग का लिखा माना जाता है. इसके पूर्व के भी असंख्य जैन ग्रंथ राजस्थान से मिले हैं किन्तु उनकी मुख्य भाषा अपभ्रंश है. राजस्थानी भाषा के जैन ग्रन्थों में सम्वतोल्लेख वाली सर्व प्रथम रचना सालि-भद्र सूरि की 'भरतेश्वर बाहुबली रास' है जो संवत् 1241 की है. उसके पश्चात मध्यकाल के अन्त तक की राजस्थानी की अनेक जैन रचनाएं उपलब्ध हैं जिनमें विनय भद्र की 'नेमीनाथ चौपाई बारह मासी, जिन पदम की शालिभद्र फाग,' सोम सुन्दर की 'नेमीनाथ नवरस फाग,' 15 वीं शती की 'वसन्त विलास' 16 वीं शती में कुशल लाभ रचित 'ढ़ोला मारू चोपाई, 'माधवानल कामकुन्दना चौपाई, 'पिंगल शिरोमणी,' समयसुन्दर की 'सीताराम चौपाई,' जिनहर्ष जसराज दूहा उल्लेखनीय हैं.

चारण साहित्य : राजस्थानी का वीर काव्य अधि-कांशत: चारण कवियों द्वारा रचित है. इस साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति है राजा या वीर की वीरता के कार्यों का काव्यात्मक विवरण उपस्थित करना. यह साहित्य मुख्य-तया शौर्य पूर्ण एवं ऐतिहासिक है. इनकी भाषा शैली 'डिंगल' के नाम से प्रसिद्ध हुई.

चारण साहित्य में एक ओर वीरता, बलिदान, त्याग लक्ष्य प्राप्ति के लिए कष्ट, विजय की अविजेय भावना, आत्मविश्वास,आत्मगौरव एवं मनुष्योचित दंभ व आन-बान का प्रधान्य है तो दूसरी ओर शृंगार की मधुर एवं कोमल भावना का भी चित्रण है. समान्ती रजवाड़ों में विभक्त सारे राजस्थान के अलग-अलग राजा थे और उनके अपने राज दरबारी कवि थे. प्रतिशयोक्ति अलंकार की मनोहारी द्वारा चारण काव्य में देखने को मिलती है. भावी पीढ़ी में वीरत्व का संचार करने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह आवश्यक था कि उनके पूर्वजों का अत्यधिक गौरव-शाली परम्परा उनके सम्मुख प्रस्तुत की जाती. प्रातः वर्त-मान एवं भावी पीढ़ी को शौर्य की शिक्षा देने के उद्देश्य से इन कवियों ने पूर्ववर्ती वीरों के प्रतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किये

चारण साहित्य में ओज पूर्ण छन्दों का अधिक प्रयोग हुआ है. इस साहित्य की परंपरा भी 'मौखिक' रही है जिससे कालान्तर में इसकी निधि का क्षय होता गया. इस शैली में वीर तथा भक्ति साहित्य मिलता है. चारण लोग एक विशिष्ट ढंग से अपने छन्दों का पाठन करने के लिये प्रसिद्ध थे और रणभूमि में वीरों को प्रेरणा देने के लिये वे स्वयं युद्ध करते एवं इन वीर गीतों का सोत्साह उच्चारण करते.

चारण साहित्य में शृंगार, प्रेम, भक्ति, आदि कई विषयों पर रचनाएं हुई. चारण-शैली के प्रख्यात साहित्य सेवियो में शिवदान गाडण, सूजा बीठू,ईसरदास, करणीदान कविया, सूर्यमल्ल मिश्रण, महादान महडू, के नामे उल्लेख हैं. इनके अतिरिक्त वीरभान, कृपादान, कविया रामनाथ सांया जी भूला, आढ़ा दुरसा, आढ़ा किसना, खिड़िया जग्गा आदि की रचनाएँ अति प्रसिद्ध हुई.

राजस्थानी साहित्य के विषय-प्रसंग : प्रारंभ काल से वर्तमान समय तक आते-आते राजस्थानी साहित्य में भाषा

की सरलता, अधिकाधिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग, तथा विषय-प्रसंगों का वैविध्य दृष्टि गोचर होता है. मध्य-कालीन साहित्य में अनेक प्रकार की श्रेष्ठ साहित्य-धाराएं प्रवाहित हुई दीखती हैं. रीति, शृंगार, प्रेम, भक्ति शौर्य आदि सभी विषय-प्रसंग एक ही रचना में मिले-जुले अथवा किसी एक प्रसंग की प्रधानता के दर्शन होते है.

भक्ति साहित्य में सगुण,निर्गुण दोनों ही धाराएं तथा राम, कृष्ण,देवी आदि के प्रसंगों पर रचित साहित्य राज-स्थान में प्रचुर मात्रा में मिलता है. अन्य पंथों एवं सम्प्रदायों के संतो द्वारा रचित साहित्य भी काफी मात्रा में उपलब्ध है. इन पंथों तथा संप्रदायों में मुख्य नाथ पंथ, जांभोजी का विश्नोई संप्रदाय, जसनाथा संप्रदाय, दादूपंथ, लालदासी पंथ, निरंजनी संप्रदाय, रामसनेही तथा चरणदासी संप्रदाय है. इन पंथों तथा संप्रदायों के साहित्य में जांभोजी, जस-नाथजी, दादूदयालजी, हरिदासजी निरंजनी, रामचरणजी रामसनेही, रूपांदे धारू मेघवाल, जोधपुर के महाराजा मानसिंह आदि के नाम उल्लेखनीय है.

सगुण भक्ति में महाकवि ईसरदास, पीरदास, चूंडोजी दधवाड़िया, केसोदास गाडण, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह, ओपाजी आढ़ा, समय सुन्दर, धर्म विजय, किसनाजी आढा, हमीरदान रतनू, जोगीदास, पृथ्वीराज राठौड़, रघु-नाथ, वारहट नांदण, अलूजी कविया, वांकीदास, मीरा आदि के नाम विख्यात हैं.

राजस्थानी के भक्ति साहित्य में शृंगार, प्रेम आदि प्रसंगोंका भी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है. असंख्य गीतों एवं दोहों में 'प्रेम' तथा शृंगार के रसभीने वर्णन मिलते है जिनमें सौन्दर्य मिलन, विरह, प्रकृति वर्णन, रीति एवं सामाजिक वन्धनों के चित्रण किये गये हैं. विरह-मिलन का मार्मिक चित्रण राजस्थानी साहित्य की विशेषता रही है. मुख्यप्रेमाख्यानों में ढ़ोला-मारू, सोरठ-बींझा, उमा सांखली-अचलदास, सुहा, आभल खींवजी, उमा रूठी राणी सैंणी वींजाणंद, जमाल-सुन्दर, जलाल-बूवना, काछवो, सांमेरी, नागजी, जेठवा-ऊजली, बाघो-भारमली वहुत प्रसिद्ध है.

भाषा विज्ञान अथवा शास्त्र के ग्रन्थ भी राजस्थानी में लिखे गये. वस्तुतः प्रौढता के साथ-साथ राजस्थानी साहित्य में शास्त्रीय गतिविधियों का भी समागम दृष्टि गोचर होता है. इस भाषा के विद्वानों में संस्कृत साहित्य से प्रभा-वित उसी प्रकार की चेष्टाएँ दृष्टिगत होती है. अतः छंद शास्त्र, शब्दकोष आदि की ओर महत्वपूर्ण प्रयास किये गये. राजस्थानी की शास्त्रीय भाषा 'डिंगल' में 'छन्दों' पर अधिक जोर दिया गया प्रतीत होता है. काव्यों के आधिक्य से 'छन्दों' को महत्वपूर्ण स्थान देना तथा 'छन्दों' के अनेक प्रयोग स्वाभाविक रूप से नजर आते हैं. यहां के प्राचीन शब्दकोष भी संस्कृत की परम्परा के अनुसार छन्दोबद्ध मिलते हैं. इनमें हरराज द्वारा रचित 'डिंगल नाम-माला', सबसे प्राचीन हैं. अन्य शब्दकोषों में 'नागराज डिंगलकोष', हमीरदान रतनू का 'हमीर नाम माला', वारहट उदयराज का 'कविकुल वोध', मुरारिदान का 'डिंगल कोष', वीर-भाण रतनू का 'एकाक्षरी नाम माला' महत्वपूर्ण हैं.

राजस्थानी के छंद शास्त्रों, में हमीरदान रतनू का 'पिंगल प्रकास' एवं 'लखपत प्रकास', जोगीदास चारण का 'हरि पिंगल', मंछाराम सेवग का रघुनाथरूपक', किसनाजी आढ़ा का 'रघुवर जस प्रकास', तथा जैसलमेर के कुंवर हरराज द्वारा रचित 'पिंगल सिरोमणी' महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं.

राजस्थानी में शास्त्रीयता के साथ भाषागत क्लिष्टता का आना स्वाभाविक प्रायः था. लेकिन ज्यों-ज्यों भाषा क्लिष्ट होती गई त्यों-त्यों वह जन साधारण के लिए किंचित वर्जित-सी हो गई. इस समय राजस्थानी ने नया मोड़ लिया और विद्वानों ने अन्य भाषाओं के ग्रथों का अनुवाद करना आरम्भ किया. अनुवाद की परम्परा राज-स्थानी में 14 वीं शताव्दी से आरम्भ हुई. जैनों का इसमें भी प्रमुख योग रहा. वैद्यक. व्याकरण, राजनीति, गणित, ज्योतिष, चरित्र आदि के अनुवाद होने लगे. साथ ही विवेचना, टिप्पणी. टब्बे, वालाववोध, का भी शुभारम्भ हुआ.

राजस्थानी का गद्य साहित्य : इन अनुवादों से राज-स्थानी गद्य साहित्य की श्री वृद्धि हुई. राजस्थानी का गद्य साहित्य 13 वीं शताब्दी में 'पद्य' के सहायक रूप में व्याख्या अथवा टिप्पणी, वात एवं ख्यात से आरम्भ होकर

वर्णनात्मक—खीची गंगेव नींबावत री दोपहरी, लूण-साह री वात रौ वखांण आदि.

विचारात्मक—माघ पिंडत, राजा भोज नै डोकरी री वात, जसनाथ जाट री वात.

उद्देश्य की दृष्टि से :

व्यक्ति चित्रण—हरराज रै नैणां री वात, हरदास ऊहड़ री वात, ऊर्द उगणावत री वात, महाराजा पदम-सिंह री वात.

समूह दर्शन—भांयलां री वात, वूंदेलां री वात, साचौर रै चहुवांणां री वात, गढ़ वांघव रै वणिया री वात.

समय व स्थान विशेष का वर्णन—राव वीके विकानेर वसायौ तै समै री वात, रांणै उदैसिंघ उदयपुर वसायौ तै समै री वात, अणहलवाड़ा पाटण री वात आदि.

राजस्थानी की कवयित्रियां : राजस्थानी साहित्य की एक उल्लेखनीय परम्परा यह भी है कि यहां के नारी वर्ग ने भी साहित्य सृजन में भाग लिया. मध्यकालीन राज-स्थानी की प्रमुख कवयित्री मीरां तो विश्व विख्यात है ही किन्तु इस काल में मीरां के अतिरिक्त कितनी ही कव-यित्रियां मिलती है जिन्होंने उच्चकोटि का पद्य लिखा. झीमा चारणी, चांपादे, पद्मा, काकरे चोजी, विरजूवाई, राव जोधा की सांखली रानी, चावड़ी, रानी राड़धरीजी, प्रताप कुंवरी, तुलछराय वाघेली, विष्णुप्रसाद कुंवरी, रत्नकुंवरी, रूपदेवी, जाडेची प्रतापवाला, चन्द्रकला वाई, सोढी नाथी, वीरां रानी वांकावती, गिरिराज कुंवरी, व्रजमान किशोरी, सौभाग्य कुंवरी, वाघेली रणछोड़ कुंवरी सम्मान वाई, रसिक विहारी वनीठनी, गवरी वाई, सहजो-वाई, दयावाई, वाई खुशाला, उमा, रूपादे, तीजाजी, रसिक प्रवीन, प्रिया सका आदि का नाम मध्ययुगीन राजस्थानी पद्य साहित्य में उल्लेखनीय है.

जन जागृति युग का राजस्थानी साहित्य : भक्ति, प्रेम, शौर्य, श्रृंगार आदि के अतिरिक्त राजस्थानी साहित्य की अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं गौरवमय परम्परा जो अंग्रेजों के समय में प्रस्फुटित हुई वह थी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक शोषण के विरुद्ध ओजस्वी हुंकार, फिरंगी शासकों को चुनौती, जन साधारण में देश-प्रेम तथा स्वा-धीनता की भावनाओं को जागृत कर देने वाली स्फूर्ति-दायक वाणी जो असंख्य लोकगीतों, गीतों, कविताओं, प्रवन्धों, पत्रों आदि के द्वारा राजस्थान के प्रत्येक गांव व नगर में पहुंचाई गई. इसमें तत्कालीन राजाओं, जागीर-दारों एवं जन कवियों ने सामान्य रूप से योग दिया. पद्य एवं गद्य दोनों का प्रयोग किया गया.

आउवा के ठाकुर खुशाल सिंह, कोठारिया के रावत जोधसिंह, नृसिंहगढ़ के महाराजकुमार चैनसिंह, डूंगरपुर के महारावल जसवंतसिंह, वूंदी के हाडा वलवंतसिंह, सलूं-वर के रावत केसरीसिंह, खोंखरी के वलूओत चांपावत अमरसिंह एवं चिमनसिंह, शेखावाटी के वठोठ गांव के डूंगरसिंह तथा जवाहरसिंह कोटा के वारहट केसरीसिंह, भटाणे के ठाकुर नाथूसिंह देवड़ा, उमरकोट के सोढ़ा रतन-राणा आदि ने अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार तथा कलम दोनों का उपयोग किया.

इस समय के साहित्यकारों में वूंदी के सूर्यमल मिश्रण, जोधपुर के वांकीदास, उनके भाई आसिया वुधजी तथा उनके दत्तक पुत्र भारतदानजी, जोधपुर के पांचेटिया गांव के आढ़ा जादूरामजी, आढ़ा चिमनजी जोधपुर के पारलाऊ गांव के चैन जी वंसूर, वाली तहसील के सांदू राघोदासजी लोलावास गांव के वारहट दुर्गादत्तजी एवं तिलोकदानजी, वासणी के कविया गिरवरदानजी, मोगड़ा के सिंढायच वुधसिंहजी, शिव के गंगादानजी सांदू, जोधपुर के लिखमी-दानजी ऊजल तथा, मेवाड़ के खेमपुर गांव के गोपालदान जी दधवाड़िया उल्लेखनीय हैं.

वर्तमान राजस्थानी साहित्य : बीसवीं शताब्दी के राजस्थानी साहित्य में फिरंगियों, राजाओं, जागीरदारों तथा अन्य शोषण करने वाले वर्गों का प्रतिकार, प्राचीन परम्पराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न तथा सामयिक सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं की अभिव्यक्ति मिलती है. स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व तक के साहित्य में राजनैतिक संघर्ष तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात के साहित्य में समाजवादी, साम्यवादी, आदर्शवादी, पुरातनवादी आदि विचारधाराओं का प्रभाव स्पष्ट दृष्टि-

गोचर होता है. पाश्चात्य साहित्य एवं भारत के अन्य प्रान्तीय साहित्यों से प्रभावित होकर राजस्थानी के वर्तमान साहित्यकार विविध साहित्यिक विधाओं में नये-नये प्रयोग करते दृष्टिगोचर होते है. सभी प्रयोगों में एक बात अवश्य सामान्य रूप से विद्यमान है: राजस्थानी भाषा के साहित्य का विकास. इस दृष्टि से सभी प्रयत्न सराहनीय हैं. अतः उनका निम्न ढंग से उल्लेखन अधिक उपयोगी होगा:—

अ—अगर चन्द नाहटा. अग्यात. अक्षय सिंह रतनू. अक्षय चन्द्र शर्मा. अजय दान बारहट. अर्जुनलाल सेठी. अर्जुन सिंह शेखावत. अश्विनी कुमार चित्तौड़ा. अमर देपावत. अम्बू शर्मा अविकेश, अन्नजी, अन्नाराम 'सुदामा'. अद्भुत शास्त्री. अचलसिंह भाटी. अम्बालाल भावमर. अरुण दाधीच. अनाम. अमोलकचन्द जांगिड़ डा. अर्जुनदेव चारण.

आ—आग्याचन्द भण्डारी. आपजी डावरी. आयुवानसिंह आशा विद्यालंकार.

इ—इन्दुबाला पुरी. इन्द्र (पण्डित).इन्द्रेश आऊआं.
ई—ईश्वरदान. ईश्वरी प्रसाद.

उ—उमानी राम शर्मा. उदैराज ऊजल. उषा मल्होत्रा. उमा शशि. उदयवीर शर्मा.

ओ—ओमदत्त दूबे. ओंकार पारीक. डा. ओमानन्द रु. सारस्वत.

क—डा. कन्हैयालाल सहल.कन्हैयालाल सेठिया.कन्हैयालाल शर्मा. कल्याण सिंह. कमलाकर. करणसिंह. करणी सिंह (महाराजा). करणीदान बारहट. कल्याणदान. कमरुद्दीन खां, कमला वर्मा. कमलसिंह वैद्य कान्ह महर्षि. कान्हीदान. कालू राम. कालाबादल. किशोरसिंह. किशोरदान. किशोर कल्पना कान्त, किसनसिंह बिजोलिया. किशनसिंह बिसाऊ. किशनदान. किशनलाल पारीक 'मस्त'. किशन प्रवासी. कुवेरचन्द काला. कुशलसिंह. कुन्दनसिंह. कुम्भाराम आर्य. कुंवरकृष्ण कल्ला. कुंवरलाल. कृपालसिंह शेखावत. कृष्णगोपाल शर्मा. कृष्णकान्त शर्मा. कृष्णविहारी सहल. केशरीसिंह बिजोलिया.केशरीसिंह मूंधिवाड़. केशव-पथिक, कोमलकोठारी,

ख—खुमाण सिंह. खूबीलाल.

ग—गजानन वर्मा. गजानन्द चोटिया. गणपति स्वामी. गणपतलाल डांगी. गणपतचन्द्र. गणपतचन्द्र भण्डारी. गणेशमल जैन. गणेशदान. स्व. गणेशीलाल 'उस्ताद'. गिरीराज भंवर. गिरीश. गिरीश राठी, गिरधारीसिंह परिहार. गिरधरलाल शास्त्री. गिरवरसिंह 'भंवर'. गिरिराजप्रसाद माहेश्वरी. गिरिजा प्रसाद शर्मा. गींडाराम वर्मा. गुलाब कुमारी शेखावत. गुलाबचन्द नागोरी. गोविन्दलाल माथुर. गोविन्द शर्मा. गोविन्ददान. गोविन्द अग्रवाल. गोपालसिंह. गोपालकृष्ण सर्राफ. गोपीदान. गोपीवल्लभ गोस्वामी. गोरधनसिंह. गोवर्द्धन शर्मा. गोवर्द्धन हेड़ाऊ (मस्त गोड़वाड़ी). गंगादास सेवग, गंगाराम 'पथिक'. गंगासिंह. ज्ञानभारती. ज्ञानदत्त.

घ—घनश्याम आचार्य.

च—चतुरसिंह. चमनदान. चन्द्रसिंह. चन्द्रवीरसिंह.'.चंद्रकुमार सुकुमार. चन्द्रदान चारण. चंडीदान सांदू. चांदसिंह.

छ—छगनलाल गायपाल्.

ज—जयशंकर दे. शर्मा. जगदीश माथुर 'कमल'. जगदीश प्रसाद. जगमोहनदास मूंधड़ा. जसकरण. जसवंतदान. जयसिंह चौहान 'जोहरी'. जयकृष्ण व्यास 'निर्मोही'. स्व. जयनारायण व्यास. जयनारायण आसोपा. जगदीशचन्द्र शर्मा. जगदीशप्रसाद 'दीपक', जमनालाल पचेरिया,जगदीश चतुर्वेदी. जगदीश गौड़. जगन्नाथ 'विश्व' जयशिव व्यास 'श्रीमाली'. जगमालसिंह गहलोत. जानकीलाल दवे. जुगराज संस्कर्ता. जुगलकिशोर पारीक. जुगलसिंह खींची. जुहारदान पांचेटिया. जेठाराम डूडी. जहूरखां मेहर. जवरनाथ पुरोहित.

झ—झावरमल झूमरलाल वर्मा.

ड— डेडराज.

त—तनसिंह. ताड़केशवर. तारादत्त 'निर्विरोध', तुलसी. तेजाराम स्वामी. त्रिलोक गोयल. त्रिलोक शर्मा. त्रिलोक सिंह. ताराप्रकाश जोशी.

द—डा. दशरथ शर्मा. दाऊदयाल जोशी. दाऊदयाल शर्मा. दामोदर प्रसाद. दिनेश मित्र (वैद्य). दीनानाथ खत्री. दीनदयाल ओझा. दीनदयाल 'कुन्दन'. दुर्गादत्त. दुर्गादान. देवीदान. देवनारायण. देवीलाल सांमर. देवीदान आंगदोप. दौलतसिंह लोढ़ा.

घ—धनपतमल सिंघवी. धनाधीश गोस्वामी. धनंजय वर्मा. धोकलसिंह.

न—नरोत्तमदास स्वामी. 'नवलकिशोर. नगेन्द्रवाला. नथमल शर्मा 'किशोर'- नरेन्द्रसिंह. नानूराम संस्कर्ता. नारायणसिंह भाटी. नाथूदान महियारिया. नाथूदान मालाणी. नाहरसिंह आहुआ. नारायणदास घूत. डा. नारायण दत्त श्रीमाली. नाथूराम खड़गावत. नागराज शर्मा. निर्मयसिंह. निर्मला मिश्र. नृसिंह राजपुरोहित. डा. नेमनारायण जोशी. नंदलाल अपूर्ण. नन्दकिशोर कावरा. नंदकिशोर पारीक. नंदकुमार शास्त्री. नंदिनी. नंदूबाई ओसवाल. नारायणसिंह सांदू

प—पताराम गौड़. परमेश्वर द्विरेफ. पारस अरोड़ा. पाबूदान. पी. आर. व्यास. पुरुषोत्तम राठी. पुष्पेन्द्र. पूनमचंद. पूर्णानंद मिश्र. पृथ्वीसिंह तंवर. प्रेमसिंह बिश्नोई. कु. प्रताप नारायण. प्रकाश परिमल. प्रभा पारीक. प्रभुदान. प्रमोद त्रिवेदी. प्रहलादराय व्यास. प्रेमचंद निरंकुश. डा. पुरुषोत्तमलाल मेनारिय.

फ—फतसिंह आसोपा. फकीरचंद व्यास. फूलचंद

ब—बटोहू बनफूल. बदरीदान गाडण. बद्रीप्रसाद साकरिया. बद्रीप्रसाद पुरोहित. बलवंतसिंह. बल्लमेश दिवाकर. बलदेवदान. बजरंगलाल पारीक. बजरंग शर्मा. बसंत ओझा. बालाराम. बालदान. बालसिंह. बाघसिंह. बालकृष्ण. बालवत्स. बाबूलाल वरुवा. बिसनदान सांदू, बुद्धिप्रकाश पारीक. बैजनाथ पंवार. बंशीलाल पारस. बंशीलाल बेकारी, बन्शीलाल कानन. ब्रजरतन ओझा. ब्रजमोहन जावलिया.

भ—भगवानसहाय त्रिवेदी. भगवतीसिंह. भगवानदत्त. गोस्वामी. भारत व्यास, भवानीदान. भवानीशंकर अरुणेश. भंवरसी हाडा. भंवरसिंह. भंवरमल सिंघी. भंवरलाल सोनी. भंवर व्यास. भंवरलाल नाहटा. भारतदान. भगीरथदान. भालचंद्र. भानसिंह शेखावत. भीमपांडिया. भीमसिंह. भीमराव चौधरी. भुवनमोहन मिश्र. भूपतिराम साकरिया. भूरसिंह. भैरूलाल व्यास. भैरव वशिष्ठ. भैरवसिंह. भोमराज मंगल. भंवरसिंह सामोर.

म—डा. मनोहर शर्मा. मनोहर प्रभाकर. मदनगोपाल शर्मा. डा. महेन्द्र भानावत. मधुकर शर्मा. मदनलाल. मदनलाल वियाणी. मदनसिंह. बिजोलिया. मदनजी सिद्ध. मदनमोहन. मदनमोहन परिहार. मदनलाल राज. मरुधर मृदुल. महेश कुमार ढांचोलिया. मधुकर साधना सजन. मणि मधुकर. मतवाला. महतावचंद. मंगल प्रसाद. मंगल सक्सेना. माणिक लाल वर्मा. माधव शर्मा. मानक तिवारी बन्धु. मान दान दीतपुरा. मान दान मनुज. मातादीन भगेरिया. मातादीन गुप्त. मांगीलाल चतुर्वेदी. मांगीलाल शर्मा. मांगीलाल व्यास. मिश्रीलाल जैन. मुन्नीलाल पुरोहित, मुरलीधर व्यास. मुरारी दान. मुकुन्द दान. मुकुन्दसिंह. मुकुन्दान विरमी. मुरली शेखावत. मुरलीधर बजाज. मुरलीधर नाटयकार. मेघराज मुकुल. मूलचंद प्राणेश. मूल दान. डा. मोतीलाल मेनारिया. मोतीसिंघ राठोड़. मोतीलाल. मोड सिंघ. मोहनलाल गुप्त. मोहनलाल जिग्यासु. मोहनलाल पुरोहित. मोहनलाल सोनी. मोहनलाल वलदेवा. मोहन कुंवर मेहता. मोहन सिंघ. डा. मदन डी. मेहता. मनुज देलावत य—यमुनालाल. यशोधरा. यज्ञ दत्त. यादवेंद्र शर्मा. युगल.

र—रघुराज सिंह हाडा. रघुनाथसिंह. रतनलाल दाधीच. रतनलाल मेहता. रणवीरसिंह. रक्षपाल. रमेश ओझा. रतनलाल जोशी. रमेश गुप्त. रतन शाह. रमेशचंद्र शर्मा. रमेश सांकृत्य. डा. राजकुमारी शिवपुरी. राजेश. राजेंद्र मिश्र. राज्य श्री साधना. राम किसन प्रजापति. रामनिवास मंयक. डा. राम निवास महर्षि. राम नरेश सुधारक. रामनरेश मिश्र. राम नाथ स्वामी रामनाथ सिंघ. राम नारानारायण माथुर. रामदेव आचार्य, रामदत्त सांकृत्य. रामेश्वर दयाल. रामप्यारी देवी. राम वल्लभ सोमाणी. राम किशन प्रदीप. रावत सारस्वत. रूपचंद भाटी. रूप सिंघ. रूडदान. रेवत दान कल्पित. रेवतीलाल साह. रेवती. रेवती सिंह. राम प्रसाद हरित. राम निवास स्वामी.

ल—लक्ष्मण सिंह चांपावत. लक्ष्मणसिंह रसवंत. लक्ष्मी कुमारी चूंडावत. लक्ष्मीलाल जोशी. लक्ष्मीदान. लक्ष्मी निवास बिड़ला. लक्ष्मी शर्मा. ललित कुमार आजाद. लाल चंद वर्मा. लाल कवि लीला सर्राफ. लेखराज भानावत.

व—विश्वनाथ विमलेश. विश्वम्भर प्रसाद. विसन सिंह. विश्वनाथ विद्यार्थी. विश्वेश्वर प्रसाद तिवाड़ी विरक्त.

विद्याधर शास्त्री. विद्यावती शर्मा. विजयदान देथा. विजय दान सरवड़ी. वीरेंद्र कुमार धूत. वेद व्यास.

श–शक्तिदान कविया, शक्तिदान सिढायच. शम्भु लाल, डा. शंकर दयाल. शंकरलाल सारस्वत. शार्दूल सिंह. शांतावाई मूंधड़ा. शांति देव शर्मा. शांतिलाल भारद्वाज राकेश. शिव वक्स. शिव लाल टेलर. शिवदत्त कल्ला. शिव चंन्द्र भरतिगा. शिव उपाध्याय. शिवसिंह मल्लाराम जी चोंयल. शिव दयाल. शिवराज छगाणी. डा. शिव स्वरूप अचल. शुभकरण देवल. शुभकरण. शुभकरण मंडावा. श्रीकृष्णदास जाजू. श्रीकृष्ण शर्मा. श्री गोपाल गोस्वामी. श्री गोपाल निर्लिप्त. श्रीचन्द राय माथुर. श्रीमन्त कुमार व्यास. श्रीलाल नथमलजी जोशी. श्रीलाल मिश्र. श्रीसत्य. श्याम परमार. श्याम वात्स्यायन.

स–संगत सिंघ. सत्य प्रकाश जोशी. सत्यनारायण उपाध्याय. सत्य नारायण स्वामी. सत्य नारायण अमन. सरदार सिंघ. सत्येन जोशी. सरसन् सवाई सिंघ धमोरा. सम्पत कुमार दूगड़, सतोष पारीक. साधना. सांवलदान आशिया. सांवरलाल तंवर. सिखर चन्द्र कोचर. सीताराम लालस. डा. सुनीति कुमार चटर्जी. सुमनेश जोशी. सुमेर सिंह शेखावत. सुमेरदान. सुबोध कुमार सुभाष चन्द शर्मा. सुल्तान सिंघ. सुरेश व्यास. सुशीला गुप्ता. सुन्दरलाल बोहरा. सूर्यशंकर पारीक. सोमदेव शर्मा. सौभाग्य सिंह शेखावत. डा. सोहनदान. सुशील पुरोहित.

ह–हजारीमल बांठिया. हणूतसिंह देवड़ा. हनुमान सहाय, हनुमान शर्मा. हवीब जोधपुरी. हरमन चौहान. हरि कृष्ण मूंधड़ा. हरि वल्लभ. डा. हरीश. हरीश निगम. हरीश भादाणी. हरीन्द्र चौधरी. हीरालाल शास्त्री.

इनके अतिरिक्त निम्न नाम भी उल्लेखनीय है. कालिन्दीचरण विदेह. गणपतराय पुरोहित. घनश्याम लाडला, जयचन्द्र शर्मा. जेठमल. जीवराज शर्मा. द्विरेफ. नरेन्द्र भानावत. नन्दकिशोर पन्डेऊवी. नथमल टोबडेवाल. पुरुषोत्तम छंगाणी. पृथ्वीराज खाबिया नवनीत. प्रभातकुमार स्वामी. प्रेमसुख शर्मा. वनवारीलाल मिश्र. सुमन. व्रजमोहन सपूत. मधुकर राजस्थानी. मथुरा प्रसाद अग्रवाल युसुफ हुसैन हकीम. रणधीर सिंह निर्वाण. राजेन्द्रकुमार चारण. रामावतार अनिल. लक्ष्मीशंकर दाधीच. विश्वेश्वर शर्मा. शिवलाल पाण्डे. डा. श्रवण लाल पुरोहित. सत्यदेव राव. सज्जन कविरत्न. हीरालाल माहेश्वरी.

हिन्दी साहित्य : राजस्थान ने हिन्दी जगत को मीरां जैसी विश्वविख्यात कवियित्री तथा चन्द्रवरदाई जैसा कवि प्रदान किया. विहारी को भी राज्याश्रय दिया गया. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने सन् 1867 में जव 'कवि वचन सुधा' के प्रकाशन से हिन्दी खड़ी बोली का प्रथम 'पत्र' निकाला उसी के लगभग, वल्कि कुछ समय पूर्व 1866 में जोधपुर के बावू हीरालाल के सम्पादन में 'मारवाड़ गजट' का प्रकाशन आरम्भ हुआ. आधुनिक हिन्दी की साहित्यिक परम्परा का राजस्थान में तब से श्री गणेश माना जा सकता है. उस समय से अव तक तो राजस्थान ने आधुनिक हिन्दी साहित्य को कितने ही साहित्य रत्न दे दिये. विश्वविख्यात कहानी 'उसने कहा था' के रचियिता स्व. श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी जयपुर के थे.

इनके अतिरिक्त डा. रांघेयराघव, रामकृष्ण गिलीमुख डा. सरनाम सिंह, डा. देवराज उपाध्याय, हरिभाऊ, जनार्दनराय नागर, निरंजन नाथ आचार्य, मातादीन भगेरिया, चन्द्रदेव शर्मा, किशोरी रमण टंडन, तेजनारायण काक. नारायणसिंह मसूदा, मोहनसिंह सेंगर, रामनारायण चौधरी यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र', ओंकारनाथ दिनकर, शम्भूदयाल सक्सेना, सोमदेव शर्मा, जगदीशप्रसाद दीपक, नन्द चतुर्वेदी, त्रिभुवन चतुर्वेदी, भंवरमल सिंघी, सुमेरसिंह दइया, जगदीश माथुर 'कमल', परदेसी चिरंजीलाल माथुर मन्नू भंडारी, कृष्णवल्लभ, किशन शर्मा, दुर्गादत्त, रामगोपाल विजय वर्गीय, प्रेमचन्द गोस्वामी, डा. मोहनलाल जिज्ञासु, डा. सोमनाथ गुप्त आदि कई ख्याति प्राप्त साहित्यकार राजस्थान ने हिन्दी जगत को दिये है जिन सभी का नामोल्लेखन असंभव प्रायः है. श्री गणपतचन्द्र भंडारी, मरूधर मृदुल, सत्य प्रकाश जोशी, प्रकाश आतुर, डा. रामप्रसाद दाधीच 'प्रसाद', सुमनेश जोशी, डा. राजकुमारी कौल, जवरनाथ पुरोहित, स्व. हरीश जोशी, गणेशचन्द्र जोशी, मेघराज मुकुल, पथिक, डा. मदनराज जी मेहता डा. सोहनदान चारण, भरत व्यास, स्व. पं. इन्द्र, फिल्म अभिनेता महिपाल एवं सज्जन आदि राजस्थान के उन लोकप्रिय साहित्यकारों के कुछ उदाहरण जो राजस्थानी

के अतिरिक्त हिन्दीं पर भी अधिकार रखते है.

उर्दू साहित्य : अरबी, फारसी तथा उर्दू का प्रचलन राजस्थान में मुगलों के समय से आरम्भ होकर वर्तमान समय तक चलता आया है. अंग्रेजों के समय में भी यहाँ उर्दू राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होती रही. अबुल फजल जिन्होंने 'आईन-ए-अकबरी' की रचना की यहाँ के नागौर के निवासी शेख मुबारक के पुत्र थे. वर्तमान समय तक टोंक 'उर्दू' का मुख्य केन्द्र रहा. हिन्दुओं में भी अरबी, फारसी तथा उर्दू का शिक्षण होता रहा. जोधपुर के श्याम सुन्दर लाल 'सरखोश, द्वारा उर्दू का रिसाला 'सुहावे सुखन' सन् 1889 में प्रकाशित किया जाता था जिसमें 'दाग' और 'अमीर' जैसे प्रसिद्ध शायरों के कलाम छपते थे. स्वर्गीय 'बेदिल' जोधपुरी उर्दू के लब्धप्रतिष्ठ शायर थे. उर्दू के सुप्रसिद्ध कहानीकार अजीम बेग चुग्ताई जोधपुर में वकालात करते थे. उनकी छोटी बहन अस्मत चुग्ताई का नाम वर्तमान कहानीकारों में प्रमुख है. उर्दू के मशहूर शायर अख्तर शिरानी टोंक के हैं. इनके अतिरिक्त फिल्म क्षेत्र के गीतकार हसरत जैपुरी, पारसा, इफ्तखार हुसैन 'शमीम' स्व. अहमद अली 'अजमद' जोधपुरी, दीन मोहम्मद 'मस्तान' बीकानेरी मुहम्मद अब्दुला 'बेदिल' बीकानेरी, जहूर अहमद 'रम्जीह' जोधपुरी ऐहतरामुद्दीन 'शागिल', मुफ्तू कोटवी, अर्शी अजमेरी स्व. जाग टोंकी, सौलत टोंकी, सागर अजमेरी, मोहनलाल कौल राजस्थान के जाने-माने साहित्यकार हैं.

इधर कुछ वर्षों से देवनागरी लिपी में उर्दू की पुस्तकों के प्रकाशन से अन्य स्थानों की तरह राजस्थान में भी उर्दू काफी लोकप्रिय हो रही हैं और नौजवानों में साहित्य सृजन की प्रेरणा पुरजोर दृष्टिगोचर होती है. जिनमें कई ऐसे भी है जो देवनागरी लिपि में लिखते है. नई पीढ़ी के अधिकांश शायर परम्परागत नाजुक ख्याली की अपेक्षा यथार्थवादी दृष्टिकोण से अधिक प्रभावित नजर आते है. प्रसंगों में भी इश्को हुस्न की अपेक्षा सियासी रंग प्रमुख है. □

विधान सभा

दुहरी गुलामी से त्रस्त राजस्थान की सामन्ती रियासतों में लोकतंत्री शासन की कल्पना करना ही सम्भव नही था. निरंकुश शासन में जन प्रतिनिधियों का कोई स्थान नही हो सकता है. देश के स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना एक प्रमुख मांग रही और समय-समय पर इसके लिए आंदोलन चलाये गये परन्तु ऐसे आंदोलन सख्ती से दवा दिये गये.

राजस्थान के निर्माण और लोकप्रिय सरकार के गठन के पूर्व राजस्थान की कुछ रियासतों में सीमित अधिकार प्राप्त विधान मंडल बने हुवे थे. बीकानेर में 1943 में राज्य प्रतिनिधि सभा का गठन हुवा. बीकानेर में राज्य परिषद वनी. मेवाड़ में राज्य परिषद् का गठन हुवा. 1941 में टोंक में मजलिस-ए-आम कायम हुई. भरतपुर में ही 1943 मे वृज प्रतिनिधि समिति वनाई गई तथा 1945 में दो सदनों वाले विधान मंडल का गठन किया गया. जोधपुर में 1945 रिप्रेजेन्टेटिव एसेम्वली तथा बून्दी में धारा सभा की स्थापना की गई थी. इन सदनों का चुनाव ही सीमित मतधिकार के अनुसार हुवे थे तथा उसके वावजूद नामजद सदस्यों की संख्या भी काफी थी. इस प्रकार वे संस्थाएं उत्तरदायी शासन की आकांक्षाओं को पूरा नही कर सकी थी. कई स्थानों पर प्रजा मंडलों ने इन चुनावों का बहिस्कार भी किया था. इस दृष्टि से ये संस्थाएं प्रतिनिधि स्वरूप धारण नहीं कर सकी थी. भारत की आजादी के बाद कुछ रियासतों में तथा विभिन्न संघों में लोकप्रिय सरकारों की स्थापना के बाद इन संस्थाओं का महत्व ही समाप्त हो गया. संविधान सभा में भी रियासतों के प्रतिनिधित्व के लिए स्थानीय स्वायत सस्थाओं को महत्व दिया गया.

राजस्थान के निर्माण के पश्चात भी हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया परन्तु विधान सभा का अस्तित्व 1952 के प्रथम आम चुनाव के बाद ही संभव हो सका.

7 अप्रेल 1949 को राजस्थान निर्माण के पश्चात प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया पं. हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में वने इस मंत्रिमंडल में सर्व श्री प्रेमनारायण माथुर, सिद्धराज ढढ्ढा, भूरेलाल वया, फूलचंद वाफना, वेदपाल त्यागी, रावराजा हनूतसिह व नृसिंह कछवाह सम्मलित किये गये. 15 मई, 1949 को मत्स्य संघ के राजस्थान में विलय होने पर श्री शोभाराम को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया. कांग्रेस के आंतरिक तीव्र विवाद के कारण शास्त्री सरकार का पतन हो गया. पांच जनवरी 1951 श्री हीरालाल शास्त्री ने त्याग पत्र दे दिया और आई. ए. एस. अधिकारी एस. वैंकटाचार्य के नेतृत्व में दो सदस्य अतकालीन मंत्रिमंडल का गठन किया गया. दूसरे सदस्य भी आई. ए. एस. अधिकारी वी. एन. झा. थे. वाद में उनके स्थान पर श्री हरिशर्मा को लिया गया.

26 अप्रेल, 1951 में श्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व में नये लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया. इस मंत्रिमंडल में श्री टीकाराम पालीवाल उपमुख्य मंत्री तथा युगल किशोर चतुर्वेदी, वलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखड़िया, मथुरादास माथुर, वृज सुन्दर शर्मा, कुम्भाराम आर्य, नरोत्तम जोशी मंत्री तथा श्री अमृतलाल यादव उपमत्री वने. यह मंत्रीमंडल प्रथम आम चुनाव तक कार्य करता रहा.

प्रथम आम चुनाव--4 फरवरी, 1952 को राज्य में प्रथम आम चुनाव हुआ. उस समय राज्य में 76, 39, 145 कुल मतदाता थे जिनमें से 33, 36, 850 व्यक्तियों ने अपने मत का प्रयोग किया. इस प्रकार राज्य में 44 प्रतिशत मतदान हुआ. राज्य विधान सभा की 160 सीटों के लिये 626 उम्मीदवारों ने तथा लोकसभा की 20 सीटों के लिये 74 उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें कांग्रेस का वहुमत रहा.

प्रथम आम चुनाव में मुख्य मंत्री श्री जय नारायण व्यास चुनाव में पराजित हो गये थे. कांग्रेस विधान सभा

दल ने इसके बावजूद दल का नेता श्री जय नारायण व्यास को ही चुना परन्तु श्री व्यास ने चुनाव न जीतने तक मुख्य मंत्री बनना स्वीकार नही किया इस कारण श्री टीकाराम पालीवाल ने मुख्य मंत्री का भार व्यासजी के चुने जाने तक सम्भाला.

श्री टीकाराम पालीवाल के नेतृत्व में 3 मार्च, 1952 को मंत्रीमंडल का गठन हुआ जिसमें सर्व श्री मोहन लाल सुखाडिया, मास्टर भोलानाथ, भोगीलाल पंड्या, रामकिशोर व्यास, नाथूराम मिर्धा तथा अमृतलाल यादव मंत्री के रूप में सम्मलित किये गये. यह मंत्रिमंडल 10 अक्टूम्बर, 1952 तक बना रहा. इसी दिन टीकाराम पालीवाल ने अपना त्याग पत्र दे दिया. इस बीच श्री जयनारायण व्यास किशनगढ से उप चुनाव में विजयी हुए.

1 नवम्बर, 1952 को श्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल बना जिसमें सर्व श्री टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पंड्या, मास्टर भोलानाथ, रामकिशोर व्यास, रामकरण जोशी, नाथूराम मिर्धा एवं अमृतलाल यादव मंत्री रहे. 15 अप्रेल, 1953 को सर्व श्री टीकाराम पालीवाल, रामकिशोर व्यास व नाथूराम मिर्धा ने त्याग पत्र दिये इस समय श्री कुम्भाराम आर्य को मंत्रिमंडल में लिया गया. 22 अप्रेल, 1953 को श्री चंदनमल वैद व नरसिंह कछवाह उपमंत्री बनाये गये. 8 जनवरी 1954 को पुनः पालीवाल मंत्रीमंडल में सम्मलित हुए.

कांग्रेस में पुनः आपसी मतभेद उभरे. मुख्य मंत्री श्री व्यास को विधान सभा दल में विश्वास प्राप्त करने का निर्देश दिया गया. श्री व्यास विधायक दल म विश्वास प्राप्त नही कर सके.

6 नवम्बर, 1954 को श्री सुखाड़िया कांग्रेस दल नेता निर्वाचित हुए तथा 13 नवम्बर, 1954 को इनके नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ. इस मंत्रीमंडल में सर्व श्री रामकिशोर व्यास, भोगीलाल पंड्या, बृजसुन्दर शर्मा, अमृतलाल यादव, रामनिवास मिर्धा, दामोदर लाल व्यास, बद्रीप्रसाद गुप्ता, कुम्भाराम आर्य तथा रामकरण जोशी को मंत्री तथा सर्व श्री सम्पतराम, शाह अलीमुद्दीन खां तथा श्रीमती कमला बेनीवाल को उपमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई. फरवरी 1956 में श्री कुम्भाराम आर्य ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया. तत्पश्चात श्री रामचन्द्रसिंह चौधरी तथा श्री खेतसिंह राठौड़ उपमंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किये गये. राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ और 1 नवम्बर को श्री बृजमोहन लाल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया. अजमेर विधान सभा के 30 सदस्यों को भी राजस्थान विधानसभा के सदस्यों में शामिल कर लिया गया. इस प्रकार राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 190 हो गई जिसमें 117 कांग्रेस, 35 संयुक्त दल, एक साम्यवादी, एक प्रजा समाजवादी, 1 समाजवादी, 1 कृषि मजदूर वर्ग तथा 12 निर्दलीय सदस्य थे.

राज्य पुनर्गठन के पूर्व जहां राजस्थान को पार्ट 'बी' राज्य का दर्जा प्राप्त था वहीं अजमेर को पार्ट 'सी' राज्य का दर्जा प्राप्त था। अजमेर की 30 सदस्यीय विधानसभा थी तथा वहाँ हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में अलग से मंत्रिमंडल था. उसमें बालकृष्ण कौल व बृजमोहनलाल मंत्री थे. अजमेर के विलय के पूर्व राजस्थान में राज्यपाल के स्थान पर राजप्रमुख का पद रहा. अजमेर के विलय के साथ ही राज्य को पूर्ण दर्जा मिल गया और राज प्रमुख का पद समाप्त कर 1 नवम्वर 1956 को राज्यपाल की नियुक्ति की गई.

द्वितीय आम चुनाव

1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ जिसमें विधान सभा की 176 सीटे बना दी गई. इस समय कुल मतदाताओं की संख्या 87, 44, 616 थी. इस निर्वाचन में 41.2 मतदान हुआ. कांग्रेस को इस बार भी पूर्ण बहुमत मिला. विभिन्न दलों का प्रतिशत मत इस प्रकार रहा : कांग्रेस 45.2, रामराज्य परिषद 9.9, जनसंघ 5.5, साम्यवादी 3.0, प्रजासमाज वादी 2.4 तथा निर्दलीय 34.9 प्रतिशत मत मिले. राज्य विधानसभा में कांग्रेस को 119, जनसंघ 6, रामराज्य परिषद 17, प्रजासमाजवादी एक, साम्यवादी एक व निर्दलीय को 32 स्थान मिले.

11 अप्रेल 1957 को श्री मोहनलाल सुखाडिया के नेतृत्व में नये मंत्रिमण्डल का गठन हुआ सर्व श्री हरिभाऊ उपाध्याय, राम किशोर व्यास, दामोदर लाल व्यास, बद्री प्रसाद गुप्ता एवं नाथूराम मिर्घा मंत्री तथा सर्व श्री सम्पत राम, पूनमचन्द विश्नोई, भीखाभाई, रिखबचंद धारीवाल एवं दौलतराम सारण उपमंत्री बने 1960 में मंत्रिमंडल का परिवर्धन किया गया महाराजा हरिचन्द्र व रामचन्द्र सिंह नये मंत्री के रूप में तथा बरकतुल्ला खां को उपमंत्री के रूप में शामिल किया गया. रिखबचन्द धारीवाल व भीखा भाई को उपमंत्री से मंत्री का दर्जा दिया गया

प्रथम और द्वितीय महानिर्वाचन की एक विशेषता यह रही कि उस समय सभी निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय नही थे. अनुसूचित जाति व जनजाति के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र सामान्य के साथ जोड़कर द्विसदस्यीय क्षेत्र निर्धारित थे. 1952 के महानिर्वाचन के समय राजस्थान में 20 निर्वाचन क्षेत्र द्वि सदस्यीय थे. जिनमें एक सुरक्षित स्थान थे. अजमेर में ऐसे 6 निर्वाचन क्षेत्र थे. 1957 में अजमेर का राजस्थान में विलय के पश्चात ऐसे द्वि सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 हो गई. 1962 के निर्वाचन के समय यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई और सुरक्षित स्थान भी एक सदस्यीय बना दिये गये.

तृतीय आम चुनाव

फरवरी 1962 में राज्य में तीसरा आम चुनाव हुआ. इस समय राज्य विधान सभा की 176 व लोकसभा की 22 सीटे थी तथा करीब एक करोड़ मतदाता थे. विधान सभा के लिए एक सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुआ. 175 स्थानों के लिए 53,79,978 मतदाताओं ने मतदान किया। कुल मतदान 52.4 प्रतिशत रहा. लोकसभा के लिए 54,12,520 मतदाताओं ने मत दिये तथा 54.4 प्रतिशत मतदान रहा. विधानसभा की 175 सीटों के लिए 889 तथा लोकसभा की 22 सीटों के लिए 111 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा.

इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी कों 88 स्थान मिले जब कि स्वतंत्र पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर कर आई और उसे 36 स्थान मिले. अन्य दलों जन संघ को 15, साम्यवादी 5, समाजवादी 5, रामराज्य परिषद 3, प्रजासमाजवादी 2, तथा 22 निर्दलीय चुने गये।

2 जून 1962 को पुनः श्री मोहनलाल सुखाडिया के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल बना. सर्व श्री हरिभाऊ उपाध्याय, मथुरादास माथुर, नाथुराम मिर्धा, महाराजा हरिशचन्द्र, बालाकृष्ण कौल, भीखाभाई मंत्री तथा सर्व श्री दौलतराम सारण, परसराम मदेरणा, भंवानी शंकर नन्दवाना, राम प्रसाद लड्ढा, चन्दनमल वैद, दिनेशराय डांगी, श्रीमती प्रभा मिश्र एवं श्रीमती कमला बेनीवाल को उपमन्त्री बनाया गया. 14 जून को मंत्रिमंडल का पुनः विस्तार किया गया तथा सर्व श्री निरंजन नाथ आचार्य और भीम सिंह मंडावा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, 14 नवम्बर 1964 को कुम्भाराम आर्य को मन्त्री पद की शपथ दिलाई गई। 25 फरवरी 1965 को श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने अपनी अस्वस्थता के कारण मन्त्रि पद से त्याग पत्र दे दिया. 2 जून 1965 को पुनः मन्त्रिमण्डल का विस्तार किया गया जिसके अनुसार चार अन्य मन्त्रियों सर्व श्री दामोदरलाल व्यास, बृजसुन्दर शर्मा, हरिदेव जोशी, अमृतलाल यादव को मन्त्रिमण्डल में शामिल किया गया. नवम्बर, 1966 में मन्त्रिमण्डल में फिर परिवर्तन किया गया. उपमन्त्री सर्व श्री निरंजननाथ आचार्य, चन्दनमल वैद, राम प्रसाद व परसराम मदेरणा को मन्त्री पद दिया तथा तीन नये सदस्य सर्व श्री मनफूलसिंह, रामदेव सिंह व घासीराम यादव उपमन्त्री बनाये गये.

कांग्रेस दल में आपसी मतभेद के कारण सर्व श्री कुंभाराम आर्य, दौलतराम सारण, महाराजा हरिशचन्द्र, भीमसिंह मण्डावा व श्रीमती कमला बेनीवाल ने मन्त्रिमण्डल से त्याग पत्र दे दिया।

चतुर्थ आम चुनाव :

1967 की 15, 18, व 20 फरवरी को राजस्थान में चतुर्थ आम चुनाव सम्पन्न हुवे. इस समय राजस्थान में 1. 2205, 561 मतदाता थे इस चुनाव में विधान सभा के 10 स्थानों और लोक सभा के एक स्थान में वृद्धि हुई और विधान सभा की 184 तथा लोक सभा की 23 सीटे हो गई. परि सीमन आयोग ने इस वृद्धि के कारण

विधान सभा में 4 जनरल तथा 4 सुरक्षित सीटें बढ़ीं. इस प्रकार विधान सभा में जनरल 132, अनुसूचित जाति की 31 तथा अनुसूचित जन जाति की 21 सीटें थी. लोक सभा के लिये जनरल 15, अनुसूचित जाति की 4 तथा अनुसूचित जन जाति की 3 सीटें थी. 1962 के मुकाबले इस बार 18 प्रतिशत मतदान अधिक रहा.

निर्वाचित सदस्यों द्वारा मत प्राप्ति का प्रतिशत निम्न प्रकार से रहा—

चौथे आम चुनावों के परिणामों से यह स्पष्ट था कि राजस्थान विधान सभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. राज्य विधान सभा की 184 सीटों में से कांग्रेस 89 (एक सदस्य दो स्थानों से विजयी हुआ) स्वतंत्र 49, जनसंघ 22, संसोपा 8, साम्यवादी 1 तथा निर्दलीय 15 थे. कांग्रेस सबसे बड़ा दल होने के नाते तत्कालीन राज्यपाल श्री सम्पूर्णानन्द ने 4 मार्च को कांग्रेस विधान सभा दल के नेता श्री सुखाड़िया को मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण दिया, संयुक्त विपक्ष ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के समक्ष अपना बहुमत सिद्ध करने का दावा किया. राज्यपाल के इस निमंत्रण पर विरोधी दलों ने प्रान्तव्यापी आन्दोलन प्रारम्भ किया. विभिन्न नगरों में राज्यपाल के इस निर्णय के विरोध में हड़तालें हुई तथा 7 मार्च को जयपुर में गोली चली, जिसमें कई जानें गई. श्री सुखाड़िया ने ऐसी स्थिति में मन्त्रिमंडल बनाना अस्वीकार कर दिया.

राजस्थान में अस्थिर और अशांत वातावरण को देखते हुए राष्ट्रपति ने 13 मार्च 1967 को राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी तथा राजस्थान विधान सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया. केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ आई. सी. एस. अधिकारी श्री सदानन्द वामन तथा आर. प्रसाद, राज्यपाल के सलाहकार नियुक्त किये गये.

15 अप्रेल'67 को डा. सम्पूर्णानन्द का कार्य काल समाप्त हो गया तथा राजस्थान के मनोनीत राज्यपाल सरदार हुक्मसिंह ने 16 अप्रेल को शपथ ग्रहण की. नये राज्यपाल ने राज्य में शांत वातावरण होने पर श्री सुखाड़िया को मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण दिया इस बीच दल बदल का दौर चला और अनेक विधायक कांग्रेस में शामिल कर दिये गये. श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने 26 अप्रेल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और राज्य में 44 दिन तक चला आ रहा राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ. 28 अप्रेल को नया मंत्रिमंडल बना जिसमें 9 मंत्री तथा 3 उप मंत्री थे.

5 सितम्बर'67 को मुख्यमंत्री श्री सुखाड़िया ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया जिसमें मंत्रियों की संख्या 31 पहुंच गई. इसके अतिरिक्त 5 संसदीय सचिवों की राज्य में प्रथम बार नियुक्ति की गई. उस समय में विधान सभा में कांग्रेस दल की सदस्यता 110 तक पहुंच गई थी. विधान सभा के अध्यक्ष श्री निरंजननाथ आचार्य तथा उपाध्यक्ष श्री पूनमचंद विश्नोई चुने गये. विरोधी दल के नेता श्री महारावल लक्ष्मणसिंह चुने गये. विधान सभा में विभिन्न दलों की स्थिति इस प्रकार हो गई.

कांग्रेस-110, स्वतंत्र-31, जनसंघ-18, संसोपा-7, जनता पार्टी-12, साम्यवादी-1, निर्दलीय-3, रिक्त-2.

1972 में नये विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र—

क्षेत्र	जिला
1. टीबी	गंगानगर
2. पीली बंगा	गंगानगर
3. तारा नगर	चूरू
4. घोड	सीकर
5. जयपुर ग्रामीण	जयपुर
6. सांगानेर	जयपुर
7. लछमनगढ़	अलवर
8. नगर	भरतपुर
9. रूपावास	भरतपुर
10. नैनला	बूंदी
11. लाडपुरा	कोटा
12. दानपुर	बांसवाड़ा
13. उदयपुर ग्रामीण	उदयपुर
14. रायपुर	पाली
15. सूरसागर	जोधपुर
16. मूंडवा	नागौर

श्री मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में बने मंत्रिमंडल में सर्वश्री मथुरादास माथुर, दामोदरलाल व्यास, हरिदेव जोशी, बरकतुल्ला खां, बृजसुन्दर शर्मा, परसराम मदेरणा, अमीनुद्दीन अहमद, नारायणसिंह मसूदा, शोभाराम, भीखाभाई, राम प्रसाद लड्ढा, रामकिशोर व्यास, अमृतलाल यादव, शिवचरण माथुर मंत्री, हीरालाल देवपुरा, श्रीमती सुमित्रासिंह, जयकृष्ण शर्मा, बी. एन. जोशी, राज्यमंत्री तथा सर्व श्री नेतसिंह, रामदेव सिंह, श्रीमती प्रभा मिश्रा, भीमसेन, हरिसिंह, माधोसिंह, प्रद्युम्नसिंह, कन्हैयालाल, शिवचरणसिंह, रामचरणसिंह, समर्थलाल, बृजप्रकाश गोयल, जसराज, मुलकराज सिंह व गुरुदीपसिंह उपमंत्री बनाये गये. यह मंत्रिमंडल 8 जुलाई 1971 तक चला 9 जुलाई को श्री बरकतुल्ला खां के नेतृत्व में नया मंत्रिमण्डल का गठन किया गया. इस नये मंत्रिमण्डल में सर्व श्री हरिदेव जोशी रामकिशोर व्यास, शोभाराम, परसराम मदेरणा शिवचरण माथुर, नारायणसिंह मसूदा, भीखाभाई व ओंकार लाल शामिल किये गये.

1972 के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस ने 51.4 प्रतिशत मत हासिल कर 145 स्थानों पर कब्जा किया जबकि स्वतन्त्र पार्टी ने 13.32 प्रतिशत मत प्राप्त कर 11 स्थान, जन संघ ने 12 20 प्रतिशत मत प्राप्त कर 8 स्थान प्राप्त किये, समाजवादी दल व साम्यवादी दल ने 4 स्थान प्राप्त किए. 11 निर्दलीय चुने गये व एक स्थान संगठन कांग्रेस को मिला. इसके पूर्व 1971 में हुए लोक सभा चुनाव में कांग्रेस को 14 स्थान, जनसंघ को चार स्थान, स्वतन्त्र पार्टी को 3 तथा निर्दलीय को 2 स्थान मिले.

16 मार्च 1972 को बरकतुल्ला खां के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना उस मंत्रिमंडल में सर्व श्री हरिदेव जोशी, परसराम मदेरणा, चंदनमल बैद, रामचन्द्र चौधरी, नारायणसिंह मसूदा, ओंकारलाल मंत्री तथा जुझार सिंह, मूलचन्द व श्रीमती कमला राज्य मंत्री नियुक्त किये गये.

1973 में बरकतुल्ला खां के निधन के पश्चात श्री हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने. उनके मंत्रिमंडल मे सर्वश्री परसराम मदेरणा, चन्दनमल बैद, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा, नेतसिंह राठौड़, मोहन छंगाणी, राम नारायण चौधरी, मंत्री तथा सर्व श्री जुझार सिंह, मूलचंद मीणा, फारुख हसन, गुंजीलाल माहवर, गुलाबसिंह शक्तावत व श्रीमती कमला राज्यमंत्री लिये गये।

मार्च 1977 के लोकसभा चुनाव में देश व्यापी परिवर्तन हुआ. लोकसभा के चुनाव में नवगठित जनता पार्टी ने राजस्थान में 65.21 प्रतिशत मत प्राप्त कर 24 स्थानों पर कब्जा किया. कांग्रेस को 30.56 प्रतिशत मत मिले परन्तु एक ही स्थान पर संतोष करना पड़ा. आपातकाल के बाद के हुवे विभाजन के पश्चात तो यह स्थान भी इंका के पक्ष में नही रहा. जून 1977 में राज्य विधान सभा के चुनाव हुवे.

विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी को भारी सफलता मिली परन्तु लोकसभा के समान मत प्रतिशत नहीं रहा. जहां लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को 65.21 प्रतिशत मत मिले वहीं विधान सभा चुनावों में जनता पार्टी 50.41 मत प्राप्त ही कर सकी. 199 स्थानों पर हुवे चुनावों में जनता पार्टी 150 स्थान, कांग्रेस 31.51 प्रतिशत मत प्राप्त कर 41 स्थान प्राप्त कर सकी. एक-एक स्थान साम्यवादी व मार्क्सवादी दल को मिला. जबकि 6 निर्दलीय सदस्य चुने गये. इन चुनावों में हरिदेव जोशी व परसराम मदेरणा को छोड़कर जोशी मंत्रिमंडल के सभी सदस्य पराजित हुवे। बाद में फलोदी विधान सभा चुनाव भी जनता पार्टी के पक्ष में गया. जनता पार्टी विधायक दल के नेता श्री भैरोंसिंह शेखावत चुने गये. उन्होंने छबड़ा क्षेत्र से उप चुनाव जीत कर विधान सभा में प्रवेश किया.

श्री भैरोंसिंह के नेतृत्व में प्रथम बार गैर इंका मंत्रिमण्डल का गठन किया गया. जिसमें सर्व श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येन्द्र, पुरुषोत्तम मंत्री, प्रो. केदार, त्रिलोक चंद जैन मंत्री तथा सर्वश्री महबूब अली, विज्ञान मोदी, कैलाश मेघवाल व श्रीमती विद्या पाठक को राज्य मंत्री नियुक्त किया गया. मंत्रिमण्डल के विस्तार में माणक सुराणा, भंवरलाल शर्मा, ललनंद को मंत्रिमण्डल में शामिल किया गया.

/

1979 में जनता पार्टी के देश व्यापी विघटन से राजस्थान की सरकार पर तो असर नहीं पड़ा परन्तु विधान सभा में जनता पार्टी की सदस्य संख्या 151 से घटकर 110 ही रह गई. इसके अलावा लोकदल 34, कांग्रेस ई 22, कांग्रेस (श) 16, कम्यूनिस्ट पार्टी एक व निर्दलीय व अन्य 6 सदस्य रह गये. केन्द्र में सत्ता परिवर्तन के साथ राजस्थान विधानसभा मंगकर दी गई. इसके पूर्व लोक सभा चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता मिली जहां उसके 1977 के चुनाव के पश्चात लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं था वहाँ 18 स्थानों पर विजय हासिल की. जनता पार्टी को चार ही स्थान मिले. लोकदल को दो तथा एक स्थान कांग्रेस (श) को मिला.

1980 के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस (इ) पुनः सत्ता में आ गई. उसने 42.96 प्रतिशत मत प्राप्त कर 133 स्थान जीत लिए जबकि भारतीय जनता पार्टी को 18.60 मत प्राप्त कर 32 स्थान, जनता पार्टी को 8 स्थान, लोकदल को 7 स्थान, कांग्रेस (यू) को 6, मार्क्सवादी दल को एक तथा 12 स्थान निर्दलीय सदस्यों को मिले.

कांग्रेस (इ) की विजय के बाद श्री जगन्नाथ पहाड़िया के नेतृत्व में नये मंत्रिमंडल का गठन किया गया. इस मंत्रिमंडल में सर्वश्री हनुमान प्रभाकर,बद्रीप्रसाद व श्रीमती कमला मंत्री, सर्व श्री रामपाल उपाध्याय, अब्दुल रहमान चौधरी, नरेन्द्रसिंह भाटी, मांगीलाल आर्य व श्रीमती भगवती देवी राज्य मंत्री नियुक्त किये गये. श्री पहाड़िया मुख्यमंत्री बनने के समय विधान सभा के सदस्य नहीं थे और बाद में एक उपचुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया.

कांग्रेस के आंतरिक विवाद के फलस्वरूप श्री पहाड़िया को त्याग पत्र देना पड़ा और राज्य में 22 जुलाई 1981 को श्री शिवचरण माथुर के नेतृत्व में नये मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की. श्री माथुर के मंत्रिमंडल में सर्वश्री परसराम मदेरणा, चंदनमल वैद, बृजसुन्दर शर्मा, छोगालाल कवरिया व श्रीमती कमला मंत्री और सर्व श्री जयकृष्ण शर्मा, नरेन्द्रसिंह भाटी, प्रद्युमनसिंह, शीशराम ओला, श्रीराम गोटेवाला, दिनेशराय डांगी, घासीराम यादव, रामपाल उपाध्याय, चेतराम मीणा व गोविन्दसिंह राज्यमंत्री तथा बुलाकी दास कल्ला, गोविन्द आमलिया व कमला भील उपमंत्री नियुक्त किये गये.

17 अक्टूबर 1982 को मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया. इस मंत्रिमंडल में सर्व श्री हीरालाल देवपुरा, खेतसिंह राठोड़, अहमद बक्स सिन्धी, हनुमान प्रभाकर, दुलाराम को नये मंत्री, रामकृष्ण वर्मा, देवेन्द्रसिंह, सुरेन्द्र व्यास और बुलाकी दास कल्ला को राज्यमंत्री तथा जगतारसिंह व छोगालाल बाकोलिया को उपमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई. पहले जहां मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 20 थी वहां नये विस्तार से मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या 29 हो गई.

यह मंत्रिमंडल 1985 के विधान सभा चुनाव तक कार्य करता रहा. फरवरी 1985 में चुनाव प्रचार के दौरान डीग के निर्दलीय प्रत्याशी मानसिंह हत्या के प्रकरण को लेकर श्री शिवचरण माथुर ने त्याग पत्र दे दिया है और कुछ समय के लिए श्री हीरालाल देवपुरा ने मुख्य मंत्री का पद सम्भाला.

1984 में हुए मध्यावधि लोक सभा चुनाव में कांग्रेस ई को आशातीत सफलता मिली. इंका ने राजस्थान की सभी 25 स्थानों पर कब्जा कर लिया. इन चुनावों में इंका को 52.72 मत मिले जबकि प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को 23.69 प्रतिशत तथा लोकदल को 11.23 प्रतिशत मिले. इस बार के चुनाव की एक विशेषता यह रही है कि लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ व केन्द्रीय मंत्री बूंटासिंह ने क्रमशः सीकर व जालोर से चुनाव लड़ा और भारी मतों से विजयी रहे.

लोक सभा सदस्यों की सूची

1. गंगानगर	बीरबल राम
2. बीकानेर	मनफूलसिह
3. चुरु	मोहरसिंह
	उपचुनाव नरेन्द्रसिंह बुढानिया
4. झुंझुनू	मोहम्मद अय्यूब खां
5. सीकर	बलराम जाखड़

6. जयपुर	नवल किशोर शर्मा
7. दौसा	राजेश पायलेट
8. अलवर	रामसिंह यादव
9. भरतपुर	कु. नटवरसिंह
10. बयाना	लालाराम केन
11. सवाई माधोपुर	राम कुमार
12. अजमेर	विष्णु मोदी
13. टोंक	बनवारी लाल
14. कोटा	शांतिकुमार धारीवाल
15. झालावाड़	जुंझारसिंह
16. बांसवाड़ा	प्रभुलाल रावत
17. सलूम्बर	अलकाराम
18. उदयपुर	श्रीमती इन्दुबाला सुखाडिया
19. चित्तौड़	निर्मला कुमारी शक्तावत
20. भीलवाड़ा	गिरधारी लाल व्यास
21. पाली	मूलचंद डागा
22. जालोर	बूटासिंह
23. बाड़मेर	वृद्धिचन्द जैन
24. जोधपुर	अशोक गहलोत
25. नागौर	रामनिवास मिर्धा

1985 के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस (ई) ने 46.79 प्रतिशत मत प्राप्त कर 113 स्थानों पर कब्जा किया जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 21.16 प्रतिशत मत प्राप्त कर 38 स्थानों पर लोक दल ने 11.98 प्रतिशत मत प्राप्त कर 27 स्थानों पर तथा जनता पार्टी ने 5.94 प्रतिशत 10 स्थानों पर कब्जा किया. एक स्थान मार्क्सवादी दल को तथा 9 स्थान निर्दलीयों को मिले. डीग व किशनगढ़ में बाद में उपचुनाव हुवे. राज्य में कांग्रेस शासन की बागडोर एक बार पुनः श्री हरिदेव जोशी को सौंपी गई. जोशी को अपने मंत्रिमंडल में अनेक परिवर्तन करने पड़े. वर्तमान में श्री जोशी के अलावा सर्व श्री हीरालाल देवपुरा, गुलाबसिंह शक्तावत, रामदेवसिंह, श्रीमती कमला, शीशराम ओला, रामपाल उपाध्याय, छोगालाल बाकोलिया, दामोदर आचार्य, रामकिशन वर्मा, हीरालाल इंदोरा, सुजानसिंह यादव, महेन्द्र कुमार, मूलचंद मीणा, श्रीमती जकिया इनाम व श्रीमती बीना काक सदस्य है।

सातवीं विधानसभा 1985

क्षेत्र	विधायक का नाम	दल
श्री गंगानगर		
1. भादरा	लालचन्द	लोकदल
2. नोहर	लक्ष्मीनारायण	इंका
3. टी बी (सु)	डूंगरराम	लोकदल
4. हनुमानगढ	श्योपतसिंह	मार्क्सवादी
5. संगरिया	कृष्णाचन्द्र	इंका
6. गंगानगर	प्रो. केदार	ज. पा.
7. केसरीसिंहपुर (सु)	हीरालाल इंदोरा	इंका
8. श्री करणपुर	इकबाल कौर	इंका
9. रायसिंहनगर (सु)	मनफूलराम	इंका
10. पीलीबंगा	जीवराज सिंह	इंका
11. सूरतगढ	हंसराज	जनता
बीकानेर		
12. लूणकरणसर	माणक सुराणा	जनता
13. बीकानेर	बुलाकी दासकल्ला	इंका
14. कोलायत	दवीसिंह भाटी	जनता
15. नोखा	चुन्नीलाल इंदालिया	लोकदल
चुरु		
16. डूंगरगढ	रावतराम	इंका
17. सुजानगढ	चुन्नीलाल	भाजपा
18. रतनगढ	हरिशंकर भाभड़ा	भाजपा
19. सरदार शहर	भंवरलाल	लोकदल
20. चुरु	हमीदा बेगम	इंका
21. तारा नगर	जयनारायण	जनता
22. सादुलपुर	इंदर सिंह	इंका
झुंझुनु		
23. पिलानी	सुमित्रा सिंह	लोकदल
24. सूरजगढ	सुन्दरलाल	इंका
25. खेतड़ी	मालाराम	भाजपा
26. गुढा	भोलाराम	इंका

निर्वाचन क्षेत्र	विजयी उम्मीदवार	दल
27. नवलगढ	नवरंग सिंह	लोकदल
28. झुन्झुनु	शीशराम ओला	इंका
29. मंडावा	सुधा	इंका
सीकर		
30. फतहपुर	अश्क अली	इंका
31. लछमनगढ	केशरदान	लोकदल
32. सीकर	घनश्याम तिवाड़ी	भाजपा
33. घोद	रामदेव सिंह	इंका
34 दांतारामगढ	नारायण सिंह	इंका
35. श्री माधोपुर	हरलाल सिंह	भाजपा
36. खंडेला	महादेव सिंह	इंका
37. नीम का थाना	फूलचन्द	भाजपा
जयपुर		
38. चोमू	रामेश्वर यादव	लोकदल
39. आमेर	रामप्रताप कटारिया (भेरुसिंह)	इंका
40. जयपुर ग्रामीण	उजला अरोड़ा	भाजपा
41. हवामहल	भंवरलाल शर्मा	भाजपा
42. जोहरी बाजार	कालीचरण सर्राफ	भाजपा
43. किशनपोल	गिरधरलाल भार्गव	भाजपा
44. वनीपार्क	शिवलाल शर्मा	इंका
45. फुलेरा	लक्ष्मीनारायण	लोकदल
46. दुदु	जयकिशन	इंका
47. सांगानेर	विद्या पाठक	भाजपा
48. फागी	जयनारायण वैरवा	इंका
49. लालसोट	परसादीलाल	इंका
50. सिकराय (सु)	प्रभुदयाल	इंका
51. बांदीकुई	चंद्रशेखर शर्मा	इंका
52. दौसा	बुदरमल	इंका
53. बस्सी	जगदीश प्रसाद	इंका
54. जमवारामगढ	भैरोंलाल भारद्वाज	इंका
55. वैराठ	कमला	इंका
56. कोट पूतली	मुक्तिलाल	निर्दलीय
अलवर		
57. वाणसूर	जगतसिंह	लोकदल
58. वेहरोड़	सुजानसिंह	इंका
59. मंडावर	महेन्द्र शास्त्री	लोकदल
60. खेरथल	चंद्रशेखर	इंका
61. तिजारा	जगमालसिंह	लोकदल
62. रामगढ़	रघुवरदयाल	भाजपा
63. अलवर	पुष्पादेवी	इंका
64. थानागाजी	राजेश	इंका
65. राजगढ	रामधन	इंका
66. लक्ष्मण	ईश्वरलाल सैनी	इंका
67. कठुमर	बाबूलाल वैरवा	इंका
भरतपुर		
68. कामा	शमशुल हसन	इंका
69. नगर	सम्पतसिंह	लोकदल
70. डीग	कृष्नेन्द्र कौर	निर्दलीय
71. कुम्हेर	नत्थीसिंह	लोकदल
72. भरतपुर	गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी	इंका
73. रुपावास	विजयसिंह	इंका
74. नदवई	यदुनाथसिंह	लोकदल
75. वेयर (सु)	जगन्नाथ पहाड़िया	इंका
76. बयाना	बृजेन्द्रसिंह	इंका
धोलपुर		
77. राजाखेड़ा	मोहनप्रकाश	लोकदल
78. धोलपुर	वसुन्धरा राजे	भाजपा
79. बाड़ी	दलजीत	इंका
सवाई माधोपुर		
80. करौली	शिवचरणसिंह	भाजपा
81. सपोटरा	ऋषिकेश	इंका
82. खंडार	रामगोपाल सिसोदिया	इंका
83. सवाई माधोपुर	मोतीलाल	निर्दलीय
84. वामनवास	भरतलाल	इंका
85. गंगापुर	हरीशचन्द्र पालीवाल	इंका
86. हिन्डोन	उमेदीलाल	इंका
87. महुवा	किरोड़ीलाल	भाजपा
88. टोडाभीम	मूलचंद	इंका
89. निवई	प्यारसीलाल	भाजपा
90. टोंक	जकिया इनाम	इंका

91. उयणिारा	दिगविजयसिंह	जनता
92. टोडारायसिंह	नाथूसिंह	भाजपा
93. मालपुरा	नारायणसिंह	जनता

अजमेर

94. किशनगढ	जगजीतसिंह	भाजपा
95. अजमेर पूर्व (सु)	डा. राजकुमार जयपाल	इंका
96. अजमेर पश्चिम	किशन मोटवानी	इंका
97. पुष्कर	रमजान खां	भाजपा
98. नसीराबाद	गोविन्दसिंह गुर्जर	इंका
99. ब्यावर	मानकचंद दानी	इंका
100. मसूदा	सोहनसिंह	इंका
101. भिनाय	नीलिमा	इंका
102. केकड़ी (सु)	दलितभाटी	इंका

बूंदी

103. हिन्डोली	गणेशलाल	भाजपा
104. नेनवा	प्रभुलाल	भाजपा
105. केशोराय पाटन	मांगीलाल	भाजपा
106. बूंदी	हरिमोहन	इंका

कोटा

107. कोटा	ललित किशोर चतुर्वेदी	भाजपा
108. लाडपुरा	रामकिशन	इंका
109. दीगोद	दाउदयाल जोशी	भाजपा
110. पीपलदा	हीरालाल आर्य	भाजपा
111. बांरा	शिवनारायण	इंका
112. किशनगंज	हीरालाल	निर्दलीय
113. अटरु	मदन महाराज	इंका
114. छबड़ा	प्रतापसिंह	भाजपा
115. रामगंज मण्डी	हरिकुमार	भाजपा

झालावाड़

116. खानपुर	हरीश	भाजपा
117. मनोहर थाना	जगन्नाथ	भाजपा
118. झालरापाटन	ज्वाला प्रसाद	इंका
119. पिड़ावा	इकबाल अहमद	इंका
120. डग	दीपचन्द	इंका

चित्तौड़गढ़

121. बेगूं	पकंज पंचोली	इंका
122. गगरार	अमीरचंद	इंका
123. कपासन	दीनबंधु वर्मा	इंका
124. चित्तोड़गढ़	लक्ष्मणसिंह	इंका
125. निम्बाहेड़ा	भैरोंसिंह शेखावत	भाजपा
126. बड़ी सादड़ी	उदयराम धाकड़	इंका
127. प्रतापगढ (सु)	धनराज मीणा	इंका

बांसवाड़ा

128. कुशलगढ़ (सु)	वरसिंह	इंका
129. दानपुर (सु)	बहादुरसिंह	लोकदल
130. घाटोल (सु)	नवन्तीलाल निनामा	भाजपा
131. बांसवाड़ा	हरिदेव जोशी	इंका
132. बागीडोर (सु)	पन्नालाल	इंका

डूंगरपुर

133. सागवाड़ा	कमलादेवी	इंका
134. चौरासी	शंकरलाल	इंका
135. डूंगरपुर	नाथूराम	इंका
136. आसपुर	महेन्द्र कुमार	इंका

उदयपुर

137. लसाडिया	कमला	इंका
138. वल्लभनगर	गुलाबसिंह शक्तावत	इंका
139. मावली	हनुमान प्रसाद	इंका
140. राजसमन्द	मदनलाल	इंका
141. नाथद्वारा	सी. पी. जोशी	इंका
142. उदयपुर	गिरिजा व्यास	इंका
143. उदयपुर ग्रामीण	खेमराज कटारिया	इंका
144. सलूम्बर	थानसिंह	इंका
145. सराड़ा	भेरुलाल मीणा	इंका
116. खेरवाड़ा (सु)	दयाराम परमार	निर्दलीय
147. फलासिया	कुबेरसिंह	इंका
148. गोगूंदा	देवेन्द्र मीणा	इंका
149. कुम्भलगढ़	हीरालाल देवपुरा	इंका
150. भीम	लक्ष्मणसिंह	इंका

भीलवाड़ा

151. मांडल	विहारीलाल पारीक	इंका
152. सहाड़ा	रामपाल उपाध्याय	इंका
153. भीलवाड़ा	प्राणवीर	इंका
154. मांडलगढ़	शिवचरण माथुर	इंका
155. जहाजपुर	रतनलाल ताम्बी	इंका
156. शाहपुरा (सु)	देवीलाल	इंका
157. बनेड़ा	रामचन्द्र जाट	जनता
158. आसीन्द	विजेन्द्र पाल सिंह	निर्दलीय

पाली

159. जैतारण	प्रतापसिंह	इंका
160. रायपुर	हीरासिंह	भाजपा
161. सोजत	माधोसिंह दीवान	इंका
162. खारची	खंगारसिंह	भाजपा
163. देसूरी	पोकरलाल परिहार	इंका
164. पाली	पुष्पा जैन	भाजपा
165. सुमेरपुर	बीना काक	इंका
166. वाली	रघुनाथसिंह	इंका

सिरोही

167. सिरोही	रामलाल	इंका
168. पिंडवाड़ा आबू	सूरमाराम	इंका
169. रेवदर	छोगाराम वाकोलिया	इंका

जालोर

170. सांचोर	रघुनाथ	इंका
171. रानीवाड़ा	अर्जुनसिंह खेड़ा	निर्दलीय
172. भीनमाल	सूरजपाल सिंह	इंका
173. जालोर	मांगीलाल आर्य	इंका
174. आहोर	भगराज चौधरी	लोकदल

बाड़मेर

175. सिवाना	मोटाराम	इंका
176. पचपदरा	चंपालाल बांठिया	भाजपा
177. बाड़मेर	गंगाराम चौधरी	लोकदल
178. गुडामालानी	हेमाराम चौधरी	इंका
179. चौहटन	अब्दुलहादी	लोकदल
180. शिव	उम्मेदसिंह	जनता

जैसलमेर

181. जैसलमेर	मुल्तानाराम	निर्दलीय

जोधपुर

182. शेरगढ	रतनकुंवर	भाजपा
183. जोधपुर	विरदमल सिंघवी	भाजपा
184. सरदारपुरा	मानसिंह देवड़ा	इंका
185. सूरसागर	नरपतराम वरवड़	इंका
186. लूणी	रामसिंह विश्नोई	इंका
187. बिलाड़ा	राजेन्द्र चौधरी	इंका
188. भोपालगढ़	नारायणराम वेड़ा	लोकदल
189. ओसियां	नरेन्द्रसिंह भाटी	इंका
190. फलोदी	मोहन छंगाणी	निर्दलीय

नागौर

191. नागौर	दामोदर आचार्य	इंका
192. जायल (सु)	मोहनलाल	लोकदल
193. लाडनू	हरजीराम बुरड़क	लोकदल
194. डीडवाना	भंवराराम	इंका
195. नावा	हरीशचंद	भाजपा
196. मकराना	अब्दुल अजीज	लोकदल
197. परवतसर (सु)	मोहनलाल	लोकदल
198. डेगाना	कल्याणसिंह	जनता
199. मेड़ता	नाथूराम मिर्धा	लोकदल
200. मूंडवा	रामदेव	लोकदल

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष

1952 नरोत्तम जोशी, 1957-67 रामनिवास मिर्धा 1967-72 निरंजनवाथ आचार्य, 1972-77 रामकिशोर व्यास, 1977-78 महारावल लक्ष्मणसिंह, 1979 गोपाल सिंह आद्राजून, 1980 पूनमचन्द विश्नोई, 1985 हीरा-लाल देवपुरा, 1986 गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी।

राजस्थान में राज्यसभा के सदस्य

1. भीमराज	इंका
2. भुवनेश चतुर्वेदी	इंका
3. धुलेश्वरलाल मीणा	इंका
4. नत्थासिंह	इंका
5. श्रीमती शांती पहाड़िया	इंका
6. भंवरलाल पंवार	इंका
7. संतोष कुमार बागोड़िया	इंका
8. हरिप्रसाद शर्मा	इंका
9. जसवन्तसिंह	भाजपा
10. के. के. बिड़ला	निर्दलीय

□

प्रशासन

ग्राज का राजस्थान 19 रियासतों ग्रौर ब्रिटिश नियंत्रित ग्रजमेर मेवाड़ा की चीफ कमिश्नरी को मिला कर बना है. इन रियासतों का सम्मिलित रूप राजपुताना था जिनके ग्राकार, जन संख्या, सामाजिक-आर्थिक विकास में भारी ग्रन्तर था. स्वतन्त्रता के बाद एकीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई. एकीकरण के पश्चात् के राजस्थान में वर्तमान प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार है :

प्रशासनिक जिले-27, उप-खण्ड-87, जिला परिषद 27, तहसील 203, शहर-कस्बे- 201, नगर पालिकाएँ 192, पंचायत समितियां 236, गांव पंचायतें 7,292, कुल गांव सदस्य 37,124, विधान सभा-संख्या 200, लोकसभा प्रतिनिधि 25.

एकीकरण के चरण

प्रथम चरण में ग्रलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली से मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को की गई. मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान संघ को 15 मई, 1949 को सौंप दिया गया. ग्रलवर. भरतपुर, धौलपुर, करौली का क्षेत्रफल क्रमशः 8179, 5123, 3038 व 3178 वर्ग कि. मी. था.

द्वितीय चरण में बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा तथा टौंक इस संघ में सम्मिलित हो गये. इनका क्षेत्र फल क्रमशः 5040, 5711, 3781, 2134, 14799, 2168, 2261, 1049, 6638 वर्ग कि. मी. था.

तृतीय चरण में 18 ग्रप्रेल 1948 को उदयपुर के इस संघ में सम्मिलित हो जाने पर संयुक्त राजस्थान की स्थापना की गई, उदयपुर का क्षेत्रफल 34110 वर्ग कि. मी. था.

चतुर्थ चरण : में संयुक्त वृहत् राजस्थान की स्थापना की गई. 30 मार्च 1949 को चार रियासतें बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर–क्षेत्रफल क्रकशः 60,039 40, 430, 41, 388 व 93, 551, वर्ग कि. मी. संघ में सम्मिलित हुई.

अंतिम रूप : में ग्रजमेर को राजस्थान में सम्मिलित किया गया. ग्राबू रोड व देलवाड़ा गुजरात से राजस्थान में हस्तान्तरित किये गये. मध्य प्रदेश से सुनेल टप्पा राजस्थान में हस्तान्तरित किया गया. सिरोज उप-खण्ड मध्य प्रदेश को दे दिया गया. 26 जनवरी 1950 को सिरोही-4204 व. कि. मी. सम्मिलित हुवा. 1 नवम्बर 1956 को ग्रजमेर-6260, ग्राबू-787 सुनेल 407 कि. मी. को सम्मिलित कर राजस्थान का पुनर्गठन पूर्ण किया गया. इस प्रकार भारत का दूसरा बड़ा राज्य राजस्थान बन गया. इसका पाकिस्तान के साथ स्पर्श है जो पंजाव, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात की सीमा को भी स्पर्श करता है पूर्वी राजस्थान में प्रमुखतया सवाई माधोपुर, ग्रजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, धौलपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, जयपुर, सीकर, टौंक, झालावाड, ग्राबू, कोटा ग्राते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में बाडमेर, बीकानेर, चुरु, गंगानगर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, फलौदी.

विभिन्न प्रकार के संघ बनने तथा प्रथम ग्राम चुनाव होने की ग्रवधि में मुख्यमंत्रियों की ग्रधीनता में जनप्रिय सरकारें कायम हो गयी पर वे विधायक दल के प्रति उत्तरदायी नहीं थी. जनतंन्त्रीय सरकार का प्रथम संस्थापन 1952 के प्रथम चुनाव के बाद ही सम्भव हो सका.

राजस्थान प्रशासन का संचालन राजस्थान सचिवालय से होता है. प्रत्येक विभाग के संचालन के लिए सचिव होते है. जिनके कार्यों में सहायता के लिए उप सचित्र, विशेष सचिव ग्रादि सहायक सचिव ग्रादि होते है. सभी विभागों के कार्य संचालन के लिए एक मुख्य सचिव है. सभी विभागों का संचालन भारतीय प्रशासनिक सेवाग्रों के ग्रधिकारियों द्वारा किया जाता है. प्रमुख विभागों तथा जिला कलक्टरों तक का पद भार भारतीय प्रशासनिक सेवा के ग्रधिकारियों के पास है. जिले में पुलिस का कार्यभार भारतीय पुलिस सेवा के ग्रधिकारियों के पास है.

राजस्थान प्रशासनिक कार्यों के लिए मुख्य सेवाएं विद्यमान है जिन पर उक्त केडर की नियुक्तियाँ की जाती है—

1. भारतीय प्रशासनिक सेवाशं (आई. ए. एस.)
2. भारतीय पुलिस सेवा (आई. पी. एस.)
3. राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर. ए. एस.)
4. राजस्थान पुलिस सेवा (आर. पी. एस.)
5. राजस्थान एकाउन्ट सर्विस
6. राजस्थान ज्यूडिशियल सर्विस

प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के 70 के लगभग सभी विभाग जयपुर में ही अवस्थित है कुछ विभाग राज्य के अन्य भागों में स्थापित किये गये है.

जोधपुर : प्राविधिक शिक्षामंडल, राजस्थान भू-जल मंडल.

उदयपुर : आबकारी आयुक्त राजस्थान, आयुक्त देवस्थान, निदेशक खनिज एवं भू गर्भ (विभाग) महानिरीक्षक पंजीयन एवं स्टाम्पस, राजस्थान साहित्य अकादमी.

अजमेर : लोकसेवा आयोग, राजस्व मंडल, आयुर्वेद विभाग, माध्यमिक शिक्षा मंडल.

कोटा : मुख्य अभियन्ता राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बाँध, चम्बल परियोजना, निदेशक परियोजना (वन)

बीकानेर : निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, निदेशक राज्य अभिलेखागार, उपनिवेशन आयुक्त.

महत्वपूर्ण विभाग

गृह विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नियुक्ति विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, योजना विभाग, उद्योग एवं खनिज विभाग, वन विभाग, श्रम विभाग, न्याय विभाग, पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग, आयोजना विभाग, सिंचाई विभाग, सहायता व पुनर्वास विभाग, मन्त्रिमंडल सचिवालय ।चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग, चुनाव विभाग, शक्ति विभाग, स्वायत्त शासन विभाग इन सभी विभागों में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों का क्रम निम्न प्रकार होता है:—

विभागीय सचिव, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, उप सचिव व सहायक सचिव, अवर सचिव अनुभागाधिकारी लेखाकार, लेखाधिकारी, लिपिक वर्ग व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी.

उपरोक्त अधिकारी राज्य की मन्त्रि परिषद् को प्रशासन में सहायता प्रदान करते. नीति निर्माण से नीति कार्यान्वयन तक की यात्रा इन्हीं के माध्यम से पूर्ण की जाती है. समय-समय पर सचिवालय की कार्य विधि को सुधारने हेतु समितियां गठित की गई जो निम्न है:—

1. प्रशासनिक सुधार समितियां (1969) श्री हरिशचन्द्र माथुर समिति जिनकी अध्यक्षता में यह गठित की गई.
2. सचिवालय पुनर्गठन समिति (1969)
3. सचिवालय प्रक्रिया समिति (1971)

इन समितियों ने जो सुझाव दिये हैं उनके आधार पर विभिन्न विभागों के कार्य निर्धारित किये गये हैं. यह निर्धारण निम्न प्रकार है—

गृह विभाग : राज्य में शांति व्यवस्था व न्याय हेतु उत्तरदायी होता है. इस विभाग के अन्तर्गत पुलिस-प्रशासन, यातायात, जेल, पासपोर्ट, सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, आदि आते हैं. मन्त्रियों के अलावा गृह आयुक्त, उप सचिव, पुलिस व परिवहन गृह विभाग के प्रमुख प्रशासक होते हैं. जेल के प्रशासन हेतु इन्सपेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स व पुलिस विभाग में महानिदेशक होता है.

वित्त विभाग : का प्रमुख कार्य बजट का निर्माण करना, राज्य के व्यय का निर्धारण, आय के स्त्रोत जुटाना कर-निर्धारण, सरकारी कोषागारों का प्रशासन, आर्थिक अधिकारों का निर्धारण आदि. करारोपण, व्यय, भण्डारक्रय, राजस्व तथा आर्थिक विषय, नियम, व्यय तथा बजट निर्माण का कार्य वित्त मन्त्रालय या विभाग का होता है.

सामान्य प्रशासन विभाग : सरकार के विभिन्न कार्यालय में कार्य की रूपरेखा निर्धारित करना इसका प्रमुख कार्य है. सरकार के कर्मचारियों के निवास का प्रबन्ध तथा जनगणना में सहायता करना भी इसी का कार्य है.

नियुक्ति व कार्मिक प्रबन्ध : सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति-पद हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा भर्ती-पूर्व परीक्षा का आयोजन तथा नियम निर्धारण. राजस्थान लोक सेवा आयोग इस विभाग के अधीन कार्य करता है.

शिक्षा विभाग : प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च स्तरीय शिक्षण संस्था, विश्व विद्यालय, सैनिक शिक्षा, यान्त्रिक शिक्षा आदि का संचालन व समन्वय इस विभाग द्वारा होता है.

राजस्व विभाग : भु-प्रबन्ध, भूमि-अधिकार, भूमि-पति व किरायेदार संबंध, कृषि भूमि का क्रय विक्रय, कृषि ऋण, भूमि पर लगान व उसकी वसूली, बाढ़ व अकाल सहायता आदि का प्रबन्ध इसका कार्यक्षेत्र है. राजस्व बोर्ड इस विभाग के अधीन कार्य करता है.

कृषि विभाग : कृषि तथा कृषि विकास से सम्वन्धित सभी मसलों का नियन्त्रण इस विभाग के तहत होता है. यह विभाग सात प्रकोष्ठों में विभाजित है. कृषि विभाग के तहत कृषि निदेशालय, एक निदेशक व दो संयुक्त निदेशक कार्य करते है. कई उप निदेशक भी कार्यरत होते हैं.

योजना विभाग : अर्थ व्यवस्था का संचालन आर्थिक नियोजन माध्यम से होता है। योजना विभाग राज्य की योजना निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है. योजना के संसाधनों तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में धन का आंवटन तथा भारतीय योजना आयोग से समन्वय इसके प्रमुख कार्य हैं.

उद्योग एवं खनिज विभाग : औद्योगिक प्रगति से ही राज्य का द्रुत विकास हो सकता है. औद्योगिक सम्भावनाओं व खनिज विकास, व्यापार नियन्त्रण, लघु-उद्योगों, कुटीर व ग्रामीण उद्योगों का विकास, राजकीय उद्योगों, खानों का प्रशासन, भूगर्भ अन्वेषण आदि के कार्य इसके तहत आते हैं.

विधि एवं न्याय विभाग : राज्य में उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के समन्वय कार्य करता है विभिन्न कानून-निर्माण, विधेयक, विधान सभा की व्यवस्था, कानून संशोधन व गजट में प्रकाशन कार्य यह विभाग करता है. इसका सचिव जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायाधिकारी होता हैं तथा कई अन्य सेशन्स न्यायाधीश इस विभाग में डेप्यूटेशन पर कार्य करते हैं.

श्रम विभाग : औद्योगिकरण के साथ श्रम-विवाद आवश्यक कड़ी हैं, राजकीय, निजी उद्योगों में श्रम विवाद श्रम कल्याण, बीमा योजना, श्रम की भविष्य निधि, कार्य की दशाएं, कार्य के समय आदि प्रावधान श्रम विभाग द्वारा देखे जाते हैं.

चिकित्सा विभाग : इसके साथ जन स्वास्थ्य भी सम्मिलित है जिसके अन्तर्गत भोजन, दूध, दूध-निर्मित पदार्थ में मिलावट की रोकथाम आता हैं. चिकित्सा विभाग का मुख्य कार्य राज्य में विभिन्न अस्पतालों, औषधालयों, पागलखानों, चिकित्सा विज्ञान से सम्वन्धि आयुंविज्ञान यहाँ विद्यालयों का प्रबन्ध भी सम्मिलित है.

स्वायत्त शासन विभाग : सभी नगर परिषदों, नगरपालिका नगर सुधार न्यास, जिला बोर्ड आदि का नियन्त्रण व प्रशासन यह विभाग करता है।

निर्वाचन विभाग : राज्य में विभिन्न विधान सभा सीटों के चुनावों का प्रबन्ध करना है.

क्षेत्र व जिले : प्रशासनिक कार्यकुशलता की दृष्टि से 27 जिलों को तीन क्षेत्रों में रखा गया हैं :

अजमेर-जयपुर क्षेत्र : अजमेर. जयपुर, सीकर, भरतपुर, झुन्झुनु, सवाई माधोपुर, टोंक, धौलपुर, अलवर.

जोधपुर-बीकानेर क्षेत्र : जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर चूरू, पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, जालौर.

उदयपुर-कोटा क्षेत्र : उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़.

जिलाधीश जिन कार्यों का एक जिले में प्रशासन करता है वे हैं—कानून व व्यवस्था, भू-राजस्व व भूमि सुधार, विकास, फौजदारी व सामान्य प्रशासन, निर्वाचन आदि. इसके अलावा वह पंचायत राज्य व जिला परिषदों का भी अभिन्न अंग है.

खण्ड विकास अधिकारी या बी. डी. ग्रो. जिले के एक खण्ड का प्रशासन करता है. एक खण्ड व उसमें ग्रावंटित गांवों के पूर्ण व समग्र विकास के लिए वह जिम्मेदार होती है.

जिला स्तर पर अन्य अधिकारी इस प्रकार हैं : प्रसार अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, समाज शिक्षा अधिकारी, पंचायती राज का चयनित जिला प्रमुख, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला पशुपालन अधिकारी, जिला उद्योग अधिकारी, जिला जन संपर्क अधिकारी तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी.

उपखण्ड व तहसील स्तर पर जो अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं वे हैं—उपखण्ड अधिकारी (एस. डी. ग्रो.), तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, कानूनगो, पटवारी व ग्रामसेवक.

अन्य प्रशासनिक मण्डल/आयोग

राजस्व मण्डल की स्थापना 1949 में की गई जिसका 1956 में पुनर्गठन किया गया. यह राजस्व संबंधी सभी मामलों के लिए अपील हेतु एक अन्तिम राजस्व न्यायालय है. यह अजमेर में स्थित हैं जिसका एक चैयरमेन व छः सदस्य होते हैं. यह मण्डल राजस्व व भूमि रिकार्ड प्रशासन पर भी नियन्त्रण रखता है. इसके अलावा यह भू-राजस्व, तकावी ऋण, सिंचाई, फसल कटाई के प्रयोगों आदि पर भी ध्यान रखता हैं.

विद्युत मण्डल : की स्थापना 1957 में की गई. यह राज्य सरकार का ही एक प्रतिष्ठान हैं जिसका प्रमुख कार्य विद्युत की उत्पत्ति व पूर्ति है। मण्डल का सचिवालय जयपुर में स्थित है. इसका सचिव आई. ए. एस. अधिकारी होता है. जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है. इसके अलावा सतर्कता विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वाणिज्य कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता, तकनीकी संगठन की चार शाखाओं में मुख्य अभियन्ता या अतिरिक्त मुख्य अभियंता होते है. इन शाखाओं में प्रमुख हैं—परिचालन व संवारण शाखा, ग्रामीण विद्युतीकरण शाखा, प्रसारण, निर्माण व उत्पादन शाखा, परियोजना व योजना, लेखा एवं अंकेक्षण आदि. सचिव की सहायतार्थ संयुक्त सचिव

(प्रशासन) व संयुक्त सचिव (विधि) भी नियुक्त किये जाते है. जिनके नीचे सहायक सचिव, उप-सचिव व विभिन्न क्षेत्रों के लिए सलाहकार नियुक्त किये जाते है.

राजस्थान लोक सेवा आयोग : राज्य में विभिन्न सरकारी पदों पर योग्य व्यक्तियों के चयन हेतु लोक सेवा आयोग की स्थापना अजमेर में की गई. इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है. आयोग का मुख्य कार्य नियुक्ति पूर्व परीक्षा व साक्षात्कार आयोजित करना, असैनिक सेवाओं-पदों पर भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण आदि पर राज्य सरकार को परामर्श देना हैं. इसके अलावा अनुशासन सम्बन्धी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श व आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल को भी परामर्श देना है.

प्रशासनिक प्रशिक्षण : अधिकारी प्रशिक्षण शाला (ओ. टी. एस.) में राज्य की विभिन्न सेवाओं में चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है. प्रायः आठ माह तक यहां प्रशिक्षण दिया जाता है. वाद के प्रशिक्षण कार्य को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

सर्वेक्षण एवं पुनर्वास (2 माह), क्षेत्र एवं तहसील शिक्षा (2 माह), खण्ड प्रशिक्षण (1 माह), राजकोषीय प्रशिक्षण (1 माह), अन्य विविध प्रशिक्षण (6 माह)

नवम्बर 1957 में अधिकारी प्रशिक्षण शाला की स्थापना जोधपुर में की गई थी जिसे 1963 में जयपुर ले जाया गया. 1969 में इसका नाम हरिशचन्द्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान रख दिया गया. पहले लेखा प्रशिक्षण शाला व वाद में वाणिज्य कर प्रशिक्षण शाला को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया. इस संस्था में आधारभूत, विशेषीकृत संस्थागत पाठ्यक्रम, नवीनीकृत पाठ्यक्रम प्रवन्ध कार्यक्रम आदि आयोजित किये जाते हैं. इसके अलावा राज्य में कई अन्य प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो निम्न हैं—

आल परपज रेवेन्यू ट्रेनिंग स्कूल, टोंक

पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़

ट्राइवल ओरिऐन्टेशन एन्ड ट्रेनिंग सेन्टर, उदयपुर

केन्द्रीय विभाग : दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में भी अनेक केन्द्रीय विभाग स्थित हैं जिनके द्वारा केन्द्र की विभिन्न योजनायें क्रियान्वित की जाती है. अधिकांश विभाग जयपुर में स्थित हैं. विभागों के नाम निम्नलिखित है.

अन्तः राज्य पुलिस वेतार केन्द्र, अखिल भारतीय हस्तकला मंडल, आकाशवाणी, आयकर आयुक्त, आयकर अपीलीय न्याय अधिकरण, उत्पादनकर एवं सीमा शुल्क, एम. आई. यूनिट, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, परियोजना मूल्यांकन अधिकारी, खादी ग्रामोद्योग आयोग, गुप्तचर विभाग केन्द्रीय, चल प्रसार इकाई, जनगणना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक अनुसंधान, क्षेत्रीय वैज्ञानिक प्रभारी, जन संशोधन सर्वेक्षण उपखण्ड, जहाजरानी और परिवहन, प्रवन्धक जयपुर टेलिफोन, महाध्यक्ष राजस्थान परिमण्डल, महाप्रवन्धक दूर संचार, दूर दर्शन, नागरिक उड्डयन, निर्यात निरीक्षण एजेन्सी, पर्यटन विभाग, केन्द्रीय परिवार नियोजन क्षेत्र इकाई, प्रादेशिक प्रचार निदेशालय, केन्द्रीय फिल्म डिवीजन, सेन्ट्रल व्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पश्चिमी वृत भू-जल मण्डल, भेड़ व ऊन अनुसंधान, महानिदेशक संभरण उत्तर भारत परिमण्डल, महालेखाकर कार्यालय, मिलीटरी प्रतिष्ठान, सिगनल ऑफीसर, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण साख्यिकी विभाग, राष्ट्रीय वचत संगठन, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान, राष्ट्रीय सेवादल निदेशालय, निदेशक एयर कोमोडोर, रेल मण्डल अधीक्षक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, आयुक्त लवण विभाग, केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीमा शुल्क, विदेशी डाक सेवायें, क्षेत्रीय श्रम नियोजन, इन्डियन ऑइल कॉरपोरेशन, इन्डियन आइल हाउस, कृषि पुनर्वित्त निगम, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन, भारतीय पर्यटन विकास निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन, तेल व प्राकृतिक गैस, केन्द्रीय कक्ष अनुसंधान शाला.

कॉरपोरेशन : राजस्थान फाइनेन्सीयल कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग वोर्ड, राजस्थान कृषि अभियांत्रिक मण्डल, राजस्थान कृषि विपणन मंडल, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, राजस्थान राज्य सरकारी क्रय-विक्रय संघ, राजस्थान राज्य भूमि विकास निगम, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास वैंक, राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, राजस्थान स्टेट स्माल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन निगम, राजस्थान होटल निगम, राजस्थान हाउसिंग वोर्ड, हिन्दुस्तान साल्ट्स. □

विधि एवं न्याय व्यवस्था

ऐतिहासिक : प्रजातन्त्र कानून व न्याय व्यवस्था के थ सुदृढ होता है. देश में कानून का शासन होना चाहिए. तएवं कानून व न्याय व्यवस्था से प्रजातन्त्र-प्रणाली और जबूत होती हैं. नारगिकों के अधिकारों की रक्षा का पूर्ण त्तरदायित्व न्याय व्यवस्था पर होता है अतः राजस्थान में जातान्त्रिक व्यवस्था के साथ ही रियासतों के सम्पूर्ण यायालयों को सुसंगठित किया गया. कालांतर रियासतों के मुकदमों की अपीलें संघीय न्यायलय तथा प्रिवी कौंसिल तक जाने लगी थी फिर भी अधिकतर मामलों का निपटारा रियासत में ही हो जाता था. रियासतों के अपने-अपने चीफ कोर्ट भी होते थे तथा परगने में न्याय व्यवस्था का संचालन हाकिमों द्वारा किया जाता था. कुछ बड़ी रियासतों में तो न्याय विभाग का व्यवस्थित काम चलता था किन्तु छोटी रियासतों में योग्य व्यक्ति को न्यायधीश बनने की शक्ति नहीं थी। अतः जैसे-तैसे काम चला करता था. इस प्रकार यहां की भूतपूर्व रियासतों में कुल 28 सेसन्स कोर्ट्स, 6 सिविल एन्ड एडिशनल सेसन्स कोर्ट्स, 28 सिविल कोर्टस् तथा 106 मुन्सिफ कोर्टस् बाद में रियासतों के विलीनीकरण के साथ ही न्याय की नवीन व्यवस्था के विषय में परिवर्तन आने प्रारम्भ हुए. राजस्थान राज्य के निर्माण के तुरन्त पश्चात् यहां की भूतपूर्व रियासतों के मुख्य न्यायलयों की जगह स्वतन्त्र भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन किया गया.

सन् 1949 मे उच्च न्यायालय का संगठन किया गया. 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में इसका उद्घाटन तात्कालिक राजस्थान के राजप्रमुख ने किया जहां इसकी प्रमुख बेंच रखी गई. जोधपुर के अतिरिक्त उस समय उदयपुर, जयपुर, कोटा व बीकानेर में भी उच्च न्यायालय की बेंच रखी गई जिससे कि कार्य शीघ्रता से पूरा किया जा सके. इस शेष कार्य के सम्पूर्ण होते ही जोधपुर के अतिरिक्त केवल जयपुर में बेंच रखी गई जिसे भी अगस्त 1958 में समाप्त कर दी गई. श्री कमलाकान्त वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय प्रथम न्यायाधीश नियुक्त हुए.

इसके पश्चात् सिविल अदालतों के एकीकरण की योजना तैयार की गई और इस योजना को जुलाई 1950 से लागू किया गया. 1962 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथकीकरण कर दिया गया. प्रशासनिक आदेशों द्वारा 48 स्थानों पर मुंसिफों को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों के अधिकार दिये गये. इसके अतिरिक्त 33 मजिस्ट्रेटों को मुंसिफों के, 17 सिविल जजों को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों के अधिकार दिये गये तथा जोधपुर, जयपुर और कोटा रेलवे मजिस्ट्रेटों को स्पेशल ज्यूडिशियल रेल्वे मजिस्ट्रेट नामजद कर दिया गया. यह कार्य 83 सब डिविजनों में चालू किया. लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत न्याय पंचायतों का संगठन किया गया जिन्हें कुछ आवश्यक न्यायिक अधिकार दे दिये गये तथा राजस्व सम्बन्धी मामलों के लिए रेवेन्यूबोर्ड का गठन किया गया.

वर्तमान : 1951 में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 12 थी जबकि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में आज अधिकृत संख्या 25 कर दी गई है. यह जोधपुर व जयपुर बेंच की कुल संख्या है. जयपुर बेंच की स्थापना वर्ष 1976-77 में कर दी गई थी. 13.7.85 तक 22 न्यायाधीश नियुक्त हो चुके हैं 1986 को (19). राज्य में अपर जिला न्यायाधीशों के 12 नये न्यायालय स्थापित किये गये हैं तथा मुंसिफ मजिस्ट्रेटों के चोपन न्यायलयों को क्रमोन्नत करके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में परिवर्तित किया गया है. न्याय के क्षेत्र में राज्य सरकार ने नये परीक्षण किये हैं. हरिजन पर अत्याचार व उनसे सम्बन्धित अपराधों पर विचार करने हेतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के तीन न्यायालय राज्य में कार्य कर रहे हैं. परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के उपबन्धों के द्वारा आवृत मामलों का विचार करने के लिए प्रथम परिवार न्यायालय की स्थापना जयपुर में की गई है. राज्य में लोक अदालतों ने कार्य प्रारम्भ करके नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं.

वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन कार्यरत विभिन्न न्यायिक अधिकारी संख्या निम्न हैं—

- ☐ मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीश की वर्तमान संख्या (1.9.86 तक)—19
- ☐ जिला एवं सेसन्स न्यायाधीश—27
- ☐ जिला एवं सेसन्स न्यायाधीश-डेप्यूटेशन पर—49
- ☐ अतिरिक्त अपर जिला एवं सेसन्स—40
- ☐ व्यवहार न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट—28
- ☐ अपर व्यवहार न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट—54
  उपरोक्त के अलावा डेप्यूरेशन पर—8
- ☐ मुन्सिफ मजिस्ट्रेट/अपर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट—241

मुकदमों की स्थिति : देश के अन्य भागों की तरह ही राजस्थान में जितने मुकदमों का वर्ष भर में निपटारा होता है उससे अधिक संख्या में नये मुकदमें दायर हो जाते हैं. अतः विचाराधीन मुकदमों की संख्या निरन्तर बढती जा रही हैं. जोधपुर (मुख्यालय) तथा जयपुर (बेंच) में कुल मुकदमे (31.5.85 तक) 48,439 विचाराधीन थे. जोधपुर (मुख्यालय) में 31.5.85 तक विचाराधीन रिटयाचिकाएं 6276, दीवानी मामले 4,883, फौजदारी मामले 5051 व विविध 7,364 थे जबकि जयपुर बेंच में यही संख्या 7557, 4747 व 4913 थे. अतः जोधपुर में कुल विचाराधीन मुकदमें 23,574 तथा जयपुर में 24,865 मुकदमें विचाराधीन थे. एक अनुमान के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय में पिछले तीन दशक में मुकदमों में 16 गुना वृद्धि हुई है जबकि न्यायाधीशों की संख्या में केवल तीन गुना वृद्धि हुई है. अभी 6 न्यायाधीशों के स्थान भी रिक्त है.

इसी प्रकार से विभिन्न न्यायालयों में 1951 में 131 दीवानी न्यायालयों में 55461 दीवानी मामले बकाया थे जो 1984 में बढ़कर 419 न्यायालयों में मुकदमें दीवानी 1,98,596 तथा फौजदारी 4,94,039 हो गयें. अर्थात् 1984 तक बकाया मुकमर्में 6,92,635 हो गये हैं. विभिन्न न्यायालयों में मुकदमों की तुलना में न्यायिक अधिकारी की संख्या उसी अवधि में 131 से बढ़कर 385 हो पाई है. वाद संख्या तालिका में दी गई है 2

राजस्थान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व अन्य अधिकारी निम्न हैं—

मुख्य न्यायाधीश

स्थापना से	कार्यकाल
श्री कमलाकान्त वर्मा	29.4.49 से 24.1.50
श्री नवल किशोर	25.1.50 से 1.1.51
श्री कैलाशनाथ वांचू	2.1.51 से 10.8.58
श्री कंवरलाल बाफना	11.8.58 से 27.2.59
श्री सरजू प्रसाद	28.2.59 से 10.10,61
श्री जसवन्तसिंह राणावत	11.10.61 से 31.5.63
श्री दुर्गाशंकर दवे	1.6.63 से 17.12.68
श्री दौलतमल भण्डारी	18.12.68 से 15.12.69
श्री जगत नारायण	16.12.69 से 13.2.73
श्री भगवती प्रसाद बेरी	14.2.73 से 16.2.75
श्री प्रकाशनारायण सिंघल	17.2.75 से 5.11.75
श्री वेदपाल त्यागी	6.11.75 से 27.12.77
श्री क्लोजपैढ होन्नेया	27.4.78 से 22.9.78
श्री चान्दमल लोढ़ा	12.12.79 से 9.7.80
श्री के. डी. शर्मा	7.1.81 से 23.10.83
श्री पी. के. बनर्जी	23.10.83 से 30.9.85
श्री द्वारकाप्रसाद गुप्ता	12.4.86 से 31.7.86
श्री जे. एस. वर्मा	1.9.86

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्तमान–1986

	(नियुक्ति की तिथि)
श्री जे. एस. वर्मा मुख्य न्यायाधीश	1.9.86
श्री गुमानमल लोढ़ा	1.5.78
श्री एन. एम. कासलीवाल	15.6.78
श्री एम. सी. जैन	15.6.78
श्री एस. सी. अग्रवाल	15.6.78
श्री सुश्री कांता भटनागर	26.9.78
श्री एस. एन. भार्गव	29.10.82
श्री डी. एल. मेहता	29.10.82

श्री एस. के. एम. लोढ़ा	4.4.83
श्री जी. के. शर्मा	4.4.83
श्री एस. एस. व्यास	9.5.83
श्री वी. एस. दवे	12.6 84
श्री एम. वी. शर्मा	13.7.85
श्री जसराज चौपडा	13.7.85
श्री पानाचंद जैन	13 7 85
श्री सौभागमल जैन	13.7 85
श्री आई. एस. इसरानी	13.7.85
श्री फारुख हसन	13.7.85
श्रीमती मोहिनी कपूर	13.7.85
श्री ए. के. माथुर	13.7.85

उच्च न्यायालय में वाद

	1978	1979	1980	1983
दायर मुकद्दमें	13831	16288	21093	25532
निर्णीत मुकद्दमे	12339	13534	17261	19746
लम्बित वाद	22050	24804	28636	42986
कार्यरत न्यायाधीश	10.5	14	13.5	–
कार्य दिवस	229	212	215	–

उच्च न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारी

(1) जोधपुर

रजिस्ट्रार	एस. राय
एडिशनल रजिस्ट्रार	उमाशंकर भार्गव
रजिस्ट्रार (सतर्कता)	निरंजन सिंह
राज्य सरकार में विधि सचिव	एस. आर. भंसाली
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (सतर्कता)	बहादुर सिंह चन्द्रावत
आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी (मत्स)	के. एल. चण्डाक
निजी सचिव मुख्य न्यायाधिपति	मगनलाल व्यास
डिप्टी रजिस्ट्रार (ज्युडिशियल)	के. सी. जैन
डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रशासन I)	एस. सी. मेहता
डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रशासन II)	मोहम्मद स्वालेह
डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रशासन III)	शांतिमल तातेड़

(2) जयपुर

एडिशनल रजिस्ट्रार	सुनील कुमार गर्ग
डिप्टी रजिस्ट्रार (ज्युडिशियल)	लालचन्द्र भादू

विधि विभाग : कानून का प्रारूप अर्थात् मस्विदा बनाने व उनमें संशोधन करने के लिए और राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों को प्रशासन सम्बन्धी कानूनी सलाह देने के लिए राज्य में सरकार का एक विधि विभाग है.

राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता भी हैं जिनकी नियुक्ति विधि विभाग से होती है. इनकी सूची इस प्रकार हैं—

उच्च न्यायालय के राजकीय अधिवक्ता

महाअधिवक्ता — श्री नाथूलाल जैन

अतिरिक्त महाअधिवक्ता जयपुर — श्री एम. आई. खान

जोधपुर — श्री जे. पी. जोशी

राजकीय अधिवक्ता

जयपुर — श्री शिवराज बिहारी माथुर

जोधपुर — श्री रमेश चन्द महेश्वरी

अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता

जयपुर — श्री नाथूलाल पारिख वीरेन्द्र डांगी, ओम शर्मा

जोधपुर — डा. सम्पतसिंह भाण्डावत, नियाजुद्दीन खान, लक्ष्मणसिंह उदावत, आर. पी. दवे, गौतम मल भण्डारी

जयपुर — लोकेश शर्मा तथा सुरेश शर्मा

उप राजकीय अधिवक्ता — विमल माथुर, यू. सी. एस. सिंघवी, बसन्त राज मेहता, बस्तीचन्द भंसाली, राजेन्द्र व्यास, राजकमल स्पेनी, मूलचन्द भाटी, सुशील माथुर

सह-राजकीय अधिवक्ता — जोधपुर — गोपाल व्यास

जयपुर — मोहम्मद रफीक

लोक अदालतें : के माध्यम ने दो पक्षों के बीच समझौते करवा कर विवादों की संख्या को हटाया गया है.

राजस्थान में 1975-76 में कोटा नगर में 'लोक-अदालत' का प्रारम्भ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अय्यर व भगवति ने किया था. 1985 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री गुमानमल लोढा ने विधिक सहायता समिति के समापति न्यायाधिपति श्री दिनकर लाल मेहता के सहयोग से लोक अदालतों की एक विस्तृत योजना नवम्बर में प्रारम्भ की थी जो बांसवाड़ा, अजमेर पाली, (देवली), जयपुर व जोधपुर में सफलता पूर्वक लागू की थी. इसके माध्यम से राजस्थान में करीब 7000 मुकदमें निपटाये जा चुके हैं. 5 सितम्बर 1986 को केवल जोधपुर में ही 2156 मामले अन्तिम निर्णय के लिए रखे जिनमें से 1407 मामलों में दोनों पक्षों में समझौता हो गया.

विधिक सहायता : इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने गरीबों, अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का कार्यक्रम चालू किया है. गरीब न्याय से वांचित न हो अतः उन व्यक्तियों को मुफ्त कानूगी सहायता प्रदान की गई जिनकी आय प्रतिवर्ष 6000/- रु. से अधिक न हो (अनुसूचित जाति को इस सीमा से मुक्त रखा गया). उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति वकील की सेवाएं उपलब्ध करवानी है जहां फीस मुगतान करना अनिवार्य हो वहां यह समिति अलग-अलग न्यायायलों हेतु योजना के अन्तर्गत 12 अप्रेल 1984 को प्रकाशित नियमावली के आधार पर भुगतान करेगी. वर्ष 1984-85 में इस सन्दर्भ में 2,61,49/रु. व्यय किये गये.

शिक्षा

राजस्थान के रियासती राज्यों में शिक्षा सदैव से ही उपेक्षित रही है. जन समूह में शिक्षा प्रसार की सुविधाएं उपलब्ध कराना सामन्ती शासकों ने कभी अपना कर्तव्य नहीं समझा क्योंकि शिक्षा के प्रति जन समूह को उदासीन रखना सरकारी नीति थी. किन्तु 1930-40 के मध्य बड़ी रियासतों के राज्य को प्रशासन चलाने के लिए शिक्षित लिपिकों एवं देशी अधिकारियों की आवश्यकता महसूस होने लगी. फलस्वरूप जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा तथा उदयपुर जैसे प्रमुख राज्यों में शिक्षापर बल दिया जाने लगा और रियासतों की राजधानियों में शिक्षण संस्थाएं खोली जाने लगी. स्वतन्त्रता के पूर्व तक राजस्थान में प्रारम्भिक शिक्षा का कोई स्तर नहीं था और न ही उच्च शिक्षा के लिये कोई विश्वविद्यालय उपलब्ध था. 1951 में राज्य में साक्षरता का प्रतिशत केवल 8.95 था जबकि सम्पूर्ण भारत का साक्षरता प्रतिशत 23.70 था इस काल में पुरुष साक्षरता 14.44 प्रतिशत और महिला साक्षरता का प्रतिशत 3.00 था. किन्तु इसके पश्चात् शिक्षा प्रसार में काफी अभिवृद्धि हुई.

सन् 1971 की जनगणनानुसार कुल जनसंख्या का 19.07 प्रतिशत भाग साक्षरता श्रेणी में आता था जबकि इसकी तुलना में सम्पूर्ण भारत का साक्षरता प्रतिशत 29.46 था. नगरीय जनसंख्या का 43.47 प्रतिशत भाग लिखना पढ़ना जानता था. दूसरी ओर ग्रामीण जनसंख्या का 13.85 प्रतिशत भाग ही साक्षर था. पिछले दशक में साक्षरता के प्रतिशत में काफी वृद्धि हुई है. सन् 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता का प्रतिशत 24.38 है. इसमें 36.30 प्रतिशत पुरुष तथा 11.42 प्रतिशत महिला साक्षर हैं. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 17.99 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्रों में 48.35 प्रतिक्षत साक्षरता पाई जाती है. निम्नांकित सारणी राज्य में सन् 1921 से विभिन्न दशकों में साक्षरता के प्रतिशत में वृद्धि को दर्शाती है.

निम्नांकित आंकड़े राज्य में साक्षरता में वृद्धि को दर्शाते हैं किन्तु महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत अत्यन्त सोचनीय है. यद्यपि महिला साक्षरता में वृद्धि अवश्य हुई है किन्तु इनमें नगरीय साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है. ग्रामीण क्षेत्र अभी साक्षरता के क्षेत्र में पिछड़ा है.

राजस्थान : विभिन्न दशकों में साक्षरता का प्रतिशत

वर्ष	पुरुष	महिला	कुल
1921	7.33	0.59	4.22
1931	8.15	0.72	4.65
1941	9.36	1.14	5.51
1951	14.44	3.00	8.95
1961	23.71	5.84	15.21
1971	28.74	8.46	19.07
1981	36.30	11.42	24.38

इसीलिए राज्य में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार में तीव्र गति से वृद्धि के प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष राज्य का स्तर प्राप्त हो सके. निम्नांकित सूची 1980 के अन्त तक शिक्षण संस्थाओं की संख्यात्मक उपलब्धि दर्शाती है.

		शिक्षण संस्थाएँ (संख्या में)
1.	शिक्षण संस्थाएँ:—	
	(i) प्रारम्भिक विद्यालय	21,313
	(ii) उच्च प्राथमिक विद्यालय	5,175
	(iii) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक	2,168
	(iv) सामान्य शिक्षा के कॉलेज	117
	(v) विश्वविद्यालय	4*
2.	विद्यार्थियों का प्रतिशत:—	
	(i) I — V	62.35
	(ii) VI — VIII	29.31
	(iii) IX — XI	16.76

*विज्ञान तथा तकनीक शिक्षा संस्थान, पिलानी.

शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य ने अपने वजट में भी पर्याप्त वृद्धि की है. सन् 1983-84 सत्र में प्राथमिक शिक्षा पर 13467.82 लाख, माध्यमिक शिक्षा पर 874.64 लाख तथा विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा पर 2509.23 लाख रुपयों की राशि का प्रावधान रखा गया है जबकि तकनीकी शिक्षा पर 290.39 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान है. प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक व्यय के प्रावधान के पीछे ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता में वृद्धि करने का लक्ष्य है नीचे अंकित आंकड़े राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष शिक्षा पर अधिक व्यय दर्शाते हैं.

संविधान के नीति निर्देशकों के अन्तर्गत शिक्षा के प्रसार एवं विकास को प्राथमिकता दी जा रही है. फलस्वरूप 14 वर्ष की आयु तक के लड़कों को मुफ्त एवं आवश्यक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य किया गया है. इसीलिए प्रारम्भिक शिक्षा को निम्नांकित आवश्यकता पूर्ति के अन्तर्गत रखा गया है ताति 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को साक्षर बनाया जा सके. आर्थिक स्थिति, रीति-रिवाज आदि लड़कियों की एवं सर्व शिक्षा में बाधक रहे हैं.

प्रारम्भिक शिक्षा : छठी पंचवर्षीय योजना काल (1980-85) में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में छात्र संख्या तथा विद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि पर विशेष बल दिया गया है. 1980 में 21,313 प्राथमिक विद्यालय और 5175 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे. जिनमें क्रमशः 27.22 और 7.14 लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे. इसी प्रकार 1980 तक 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के 50.65 प्रतिशत, 6-11 वर्ष की आयु वर्ग के 62.35 प्रतिशत और 11-14 वर्ष की आयु वर्ग के 29.31 प्रतिशत विद्यार्थी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की विद्या-अध्ययन कर रहे थे.

तालिका से स्पष्ट है कि लड़कियों में शिक्षा का प्रतिशत अपेक्षाकृत बहुत कम पाया जाता है. समाज के पिछड़े वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति में शिक्षा का प्रसार कोई उत्साहवर्द्धक नहीं है जबकि समाज के इस वर्ग को सरकार की ओर से कई सुविधाएं प्राप्त हैं. 1980 में इन जातियों के निम्नांकित छात्र शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे.

साक्षरता में समानता लाने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के बच्चों की शिक्षा पर अधिक बल दिया जाएगा. इस ध्येय की पूर्ति हेतु पिछड़े वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में अध्ययन हेतु आकर्षित किया जाएगा.

6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की विद्यालय में नामांकन दर सामान्यतः 1.58 लाख प्रति वर्ष रहती है. शत प्रतिशत नामांकन की पूर्ति हेतु छठी पंचवर्षीय योजना काल में 39.13 लाख बच्चों को विद्यालयों में भर्ती करवाया जायगा जिससे वर्तमान दर 7.83 लाख प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगी.

शिक्षा पर राजस्व व्यय

(लाख रुपयों में)

विवरण	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
प्राथमिक शिक्षा	6966.39	7786.37	9337.17	11823.30	13467.82
माध्यमिक शिक्षा	3663.63	4460.66	5442.48	7327.49	8744.64
विशेष शिक्षा	302.05	218.11	264.55	351.96	415.21
विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा	1413.75	1573.10	1860.21	2286.43	2509.23
तकनीकी शिक्षा	128.57	143.92	167.49	215.79	290.39
खेलकूद	133.35	148.66	161.97	209.05	226.33
सामान्य शिक्षा	107.17	114.28	116.90	162.19	176.80
	12614.91	14445.10	17350.77	223376.21	25830.38

इसके लिए योजना में ठोस आधार बनाए गए है. राज्य सरकार शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा पर 791497 लाख रुपयों की राशि व्यय करेगी. दो सौ तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों में विद्यालय सुविधा प्रसार के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना काल में ग्रामीण क्षेत्रों में 3200 नवीन विद्यालय और खोले जायेंगे. पांच प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रावधान के अन्तर्गत 600 उच्च प्राथमिक विद्यालय भी खोले जायेंगे. इसके अतिरिक्त 21000 पार्ट-टाइम विद्यालय केन्द्र भी स्थापित किए जायेंगे.

6-14 वर्ष के आयु वर्ग में शिक्षा प्रसार के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 25000 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्तियां भी की जा सकेगी. वर्तमान मे केवल 1 मात्र शिक्षक वाले विद्यालय को भी विकसित किया जावेगा. ग्रामीण अंचलों में महिला शिक्षकों को सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयत्न किए जायेंगे. 1980-85 योजना काल में 3481.46 लाख रुपयों की राशि प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं पर तथा 656.34 लाख की राशि पार्ट-टाइम प्राथमिक विद्यालयों पर खर्च किए जाएंगे. कुटुम्ब के बच्चों की देख-रेख के कारण लड़कियों के विद्यालय न जाने की समस्या के हल के लिए तीन हजार अतिरिक्त खेल केन्द्रों के निर्माण का भी प्रावधान हैं, जहाँ बच्चों की देख-भाल उस समय तक की जा सकेगी जबकि लड़कियां विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही हो. अनुसूचित जाति एवं जन जाति के बच्चों को मुफ्त स्कूल यूनिफार्म, पुस्तकें एवं कापियां तथा दोपहर के मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने पर 907.70 लाख रुपये व्यय किए जायेंगे.

माध्यमिक शिक्षा : 1975-76 में राज्य में 1456 हायर सैकेण्डरी विद्यालय थे जो 1979-80 में बढ़कर 2168 हो गए और 84-85 में यह संख्या बढ़कर 2052 माध्यमिक तथा 892 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रुप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं. इन विद्यालयों में 6.26 लाख लड़कों एवं 1.71 लाख लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जा रही थी. राज्य के इन विद्यालयों में 30332 पुरुष शिक्षक तथा 6890 महिला शिक्षक कार्यरत थे.

छठी पंचवर्षीय योजना काल में माध्यमिक शिक्षा प्रसार पर 3500 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया है, इस राशि में 12 लाख रुपये पब्लिक स्कूलों को अनुदान के रुप में वितरित किए जाएंगे इसके अतिरिक्त 150 लाख 10+2 स्कीम के क्रियान्वयन पर, 201 लाख भवन निर्माण एवं प्रयोग शालाओं पर 90 लाख उपकरणों और 50 लाख रुपये विद्यालयों के पुस्तकालयों पर व्यय किए जाएंगे. शिक्षा के वृहत विस्तार के अन्तर्गत 400 नए विद्यालय खोलने का प्रावधान भी रखा गया.

वर्तमान विद्यालयों में 440 नए विषय प्रारम्भ किए जायेंगे जिनके लिए 5000 नए अध्यापकों को नियुक्त किए जाने की व्यवस्था है. सम्पूर्ण राष्ट्र में समान शिक्षा की राष्ट्रीय नीति को राज्य सरकार ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है अतः प्रथम स्वरूप के लिए राज्य सरकार ने 150 लाख की राशि की व्यवस्था की हैं. 500 क्लास रूम और 170 पुस्तकालय निर्मित किए जायेंगे. 900 विद्यालयों को उपकरण तथा 1000 विद्यालयों को पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

वर्तमान विद्यालय परिसरों में भी 7000 कक्षा कमरे और राजस्थान नहर क्षेत्र में 297 नवीन विद्यालय भवन निर्मित किए जायेंगे जिस पर 855.02 लाख रुपये व्यय होने की सम्भावना है. महिला शिक्षकों के आवासीय सुविधा के लिए 3000 नए क्वार्टर बनाए जायेंगे जिस पर 752.35 लाख खर्च होंगे.

शिक्षा प्रसार : पंचवर्षीय योजना के माध्यम से राज्य में शिक्षा प्रसार का बहु आयामी कार्यक्रम हाथ में लिया गया. 1950-51 में राज्य मे जहां कुल 4 हजार 494 प्राथमिक विद्यालय थे वहां अब 27 हजार 500 से अधिक प्राथमिक विद्यालय है. तब के 834 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या अब 7 हजार 950 से अधिक हो गई है. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 209 से बढ़कर अब करीब 2 हजार 944 हो गई है. महाविद्यालयों की संख्या 51 से 179 और

विश्वविद्यालय तीन से बढ़कर पांच हो गये हैं। पिलानी का विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान तथा वनस्थली विद्यापीठ भी विश्वविद्यालय का दर्जा पा चुके हैं.

शिक्षा के विस्तार से प्रदेश में साक्षरता का जो प्रतिशत 1951 में 8.95 था, वह बढ़कर 24.38 तक जा पहुंचा है.

राज्य की वे सभी बस्तियां जिनकी आबादी 300 से अधिक है, वे प्राथमिक पाठशालाओं के अन्तर्गत आ जायेंगी. पिछले वर्ष अनेक प्राथमिक पाठशालाओं को उच्च प्राथमिक पाठशालाओं में क्रमोन्नत किया गया है और नयी पाठशालाएं खोलने के मामले में बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है. जयपुर में महिलाओं के लिए एक पोलीटेकनीक शुरु किया गया है. जिसमें विभिन्न दस्तकारियों तथा सचिवालय सम्बन्धी कार्यों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है. ग्रामीण पाठशालाओं में अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए अध्यापक नियुक्त किये जा रहे हैं. राज्य सरकार उन बालकों के लिए जो आर्थिक अथवा सामाजिक कारणों से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं. उनको अनोपचारिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से शिक्षा दिलाने की समुचित व्यवस्था है.

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड : राज्य में माध्यमिक शिक्षा पद्धति को आधुनिक, वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील रूप में विकसित करने के उद्देश्य से अजमेर में 1 अगस्त 1957 में इसकी स्थापना की गई। परीक्षा प्रणाली में सुधार, परीक्षार्थियों को छात्रवृत्तियां एवं पदक तथा विद्यालयों को विजयोपहार, अध्यापक कल्याण कोष का संचालन, पत्राचार पाठ्क्रम, पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन एवं राष्ट्रीयकरण आदि इसकी प्रमुख गतिविधियां है.

वर्ष 85 में विभिन्न परीक्षाओं हेतु 396659 छात्रों का पंजीकरण हुआ. वर्ष 84-85 में विभिन्न परीक्षाओं में योग्यता सूची के आधार पर वरीयता क्रम में 392 छात्र/छात्राओं को कुल 315250 रु. की छात्रवृत्तियां प्रदान की गयीं. अध्यापक कल्याण कोष से 31-3-84 तक एवं एक वर्ष में 1,09,300/-रुपये की राशि सेवारत/सेवानिवृत/दिवंगत अध्यापकों के लिए सहायता के रूप में स्वीकृत की गई. वर्ष 84-85 के दौरान सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा 1986 हेतु नौ विषयों एवं हायर सैकण्डरी परीक्षा 1985 हेतु आठ विषयों में पाठ्यक्रम में परिवर्तन व सुधार किये गये.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 सैकण्डरी स्तर पर पाठ्यक्रम में एक नवीन विषय 'समाजोपयोगी' उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया गया.

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल : राजस्थान में अविभक्त इकाई से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए सस्ती, सुन्दर तथा अद्यतन ज्ञान-विज्ञान की समग्र सामग्री से युक्त पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं एवं अध्यापक संदर्शिकाओं के लेखन, संशोधन, मुद्रण एवं वितरण व्यवस्था में संलग्न स्वायत्तशासी प्रतिष्ठान है. यह गत 29 वर्षों (1956) से अपने दायित्व निर्वहन एवं उद्देश्य पूर्तिकरण में सतत् सन्नद्ध है। यह मण्डल प्रदेश के सभी *विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अभ्यास पुस्तिकाओं* के वितरण का कार्य करता है.

वर्ष 84-85 में मण्डल ने कुल 70 पुस्तकों के मुद्रण का कार्य अपने हाथ में लिया. मण्डल के दायित्व, निर्वहन एवं कार्य संचालन हेतु शासी परिषद एवं निष्पादक परिषद का गठन किया है। मण्डल के दैनिक एवं नियमित कार्य संचालन हेतु निष्पादक परिषद के सभापति व सचिव उत्तरदायी हैं।

वर्ष 84-85 में (माह फरवरी 85 तक) 9440834 पुस्तकें 26953295 96 रुपये की राशि की मण्डल द्वारा बेची गई। इसी प्रकार वर्ष 84-85 में मण्डल ने अपने विभिन्न वितरण केन्द्रों के माध्यम से 14004445.15 रुपये की राशि की अभ्यास पुस्तिकाओं का विक्रय किया।

भाषा विभाग : राज भाषा हिन्दी के राजकाज में प्रयोग, विकास और संवर्धन हेतु भाषा विभाग योजनाबद्ध रूप से कार्यरत है. वर्ष 85-85 में राज्य सरकार ने पेंशन संबंधी समस्त कर्य अनिवार्यतः हिन्दी में किये जाने का निर्णय लेकर इस आशय के आदेश जारी किये. आलोच्य वर्ष में भाषा विभाग एवं सिंघ राजस्थान राष्ट्र

भापा प्रचार समिति, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन द्वि-दिवसीय कार्यक्रम के रूप में किया गया। इस विभाग के शोध-संदर्भ पुस्तकालय में 8500 पुस्तकें हैं. वर्ष 84-85 में 100 नई पुस्तकें खरीदी गई. आलोच्य वर्ष में 70 कर्मचारियों हेतु शीघ्रलिपि प्रशिक्षण के दो सत्र संचालित किये गये. इस वर्ष विभिन्न राजकीय विभागों को 60 टंकण यंत्र दिये गये.

उच्च शिक्षा : स्वतंत्रता के समय राज्य में एक मात्र राजपुताना विश्वविद्यालय था. राजस्थान निर्माण के समय राज्य भर में सामान्य शिक्षा के लिए 27 महाविद्यालय (7 लड़कियों के 8 व्यावसायिक शिक्षा के लिए और 5 विशिष्ट शिक्षा के लिए) थे. 1980 में इन महाविद्यालयों की संख्या 120 तक पहुंच गई तथा व्यावसायिक एव विशिष्ट शिक्षा के लिए कालेजों की संख्या 140 हो गई।

राजस्थान में इन समय 5 विश्वविद्यालय है. जयपुर जोधपुर एवं उदयपुर के अतिरिक्त पिलानी में स्थित विज्ञान तथा तकनीकी संस्थान भी विश्वविद्यालय स्तर का ही हैं. वनस्थली शिक्षण संस्थान को भी विश्वविद्यालय स्तर घोषित कर दिया गया है. 1980 में इन विश्वविद्यालयों में 20,951 छात्र एवं 5,419 छात्रा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे इसी प्रकार 1.176 पुरुष व्याख्याता एवं 261 महिला व्याख्याता कार्यरत थे.

राजस्थान विश्वविद्यालय : राजस्थान विश्वविद्यालय राज्य में स्थापित होने वाला प्रथम विश्वविद्यालय है जो 1947 में राजस्थान निर्माण के दो वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था. 1962 में जोधपुर विश्वविद्यालय एवं उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम लागू होने तक राजस्थान विश्वविद्यालय का सम्पूर्ण राज्य पर क्षेत्राधिकारी था. अब राजस्थान विश्वविद्यालय स्थानिक एवं अध्यापन एफलिएटिंग विश्वविद्यालय है.

वर्तमान में इस विश्वविद्यालय से 120 कालेज एफलिएटेड हैं तथा व्यावहारिक भूगर्भ विज्ञान के अतिरिक्त यहां सभी विषयों के विभाग स्थित हैं. केन्द्रीय पुस्तकालय में पुस्तकों के लगभग 1,00,000 संस्करण उपलब्ध हैं. माउन्ट आबू संकलन के 15,000 संस्करण भी शोध सामग्री की अमूल्य निधि गिनी जाती है. छठी पंचवर्षीय योजना काल में विश्वविद्यालय को 182.63 लाख रुपयों का अनुदान दिया गया है जिसका व्यय अतिरिक्त प्रशासनिक भवन, साईकल स्टेण्ड, केन्टीन, बिजली के सब-स्टेशन आदि पर किया जाएगा. इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से शोध पुस्तकों, प्रयोगशाला उपकरणों आदि के लिए भी राशि प्राप्त होगी.

जोधपुर विश्वविद्यालय : जोधपुर विश्वविद्यालय ने 1962-63 के शैक्षणिक सत्र से अपना कार्य प्रारम्भ किया था. इस विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के 24 विभाग हैं. जिनमें लगभग 13,000 छात्र-छात्राएं अध्ययन करते है. विश्वविद्यालय का नवीन परिसर भगत की कोठी में निर्मित किया जा रहा है जहां वर्तमान में विज्ञान संकाय तथा कला संकाय के कुछ विषयों के स्नातकोत्तर विषय पढ़ाये जाते हैं.

छठी पंचवर्षीय योजना काल में विभिन्न मुद्दों पर व्यय व विकास हेतु 150 लाख रुपयों का अनुदान दिया गया हैं. इस राशि में से 74.58 लाख पूंजीगत राशि और 24.50 लाख रुपये उपकरण, किताबें, फर्नीचर, पीरियोडिकल्स आदि पर व्यय किए जायेंगे. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 9 76 लाख रुपयों का अतिरिक्त अनुदान भी स्वीकृत किया है.

उदयपुर विश्वविद्यालय : 6 जून 1962 में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को उदयपुर विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तित कर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई. अब इस विश्वविद्यालय का नाम स्वर्गीय मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया के नाम पर 'मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय' रखा गया है. विश्वविद्यालय में लगभग सभी विभाग है जिनमें 1980 तक 3,109 छात्र और 1,141 छात्राएँ शिक्षा ग्रहण कर रही थीं.

छठी पंचवर्षीय योजना में इस विश्वविद्यालय को 70 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए गए है जिनमें से 28 लाख पूंजीगत तथा 12 लाख रुपये की पुस्तकें एवं उपकरणों की खरीद पर व्यय किए जाएंगे. विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग ने भी अनुदान रूप में सहायता प्रदान की है.

विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा का बिड़ला संस्थान : विद्या विहार, पिलानी को राष्ट्रीय संस्थान करके विश्वविद्यालय का दर्जा स्वीकृत किया गया है. यह संस्थान बिड़ला शैक्षणिक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है. इस संस्थान में कला, विज्ञान व वाणिज्य संकायों के अतिरिक्त सिविल, इलेक्ट्रीकल, यान्त्रिक, टेलिकोम्नीकेशन, रासायनिक एन्जीनियरिंग आदि विषयों में शोध शिक्षा प्रदान की जाती हैं.

तकनीकी शिक्षा : राजस्थान अपेक्षाकृत अन्य राज्यों से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा था. किन्तु 1957 में तकनीकी शिक्षा के लिए पृथक निदेशालय की स्थापना की गई तभी से इस क्षेत्र में भी शिक्षा का प्रसार तीव्र गति से होने लगा. अब राज्य में 13 पोलीटेकनीक कालेज स्थापित किए जा चुके हैं जिनमें लगभग 1500 विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त जोधपुर में स्थित एम. बी. एम. इंजीनियरिंग कालेज, मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर तथा कोटा इंजीनियरिंग कालेज राज्य में तकनीकी शिक्षा के विशिष्ट केन्द्र है. उनके अतिरिक्त 1980 तक राज्य में 23 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा चुके थे जिनमें वेल्डिंग, वायरिंग, मोल्डिंग, विद्युत तथा ढलाई के कार्य सिखाए जाते हैं, 1980 में इन संस्थानों में 4000 छात्र प्रशिक्षण ले रहे थे. छठी पंचवर्षीय योजना काल में संस्थानों के विकास तथा उपकारणों आदि के आधुनिकीकरण के लिए निम्नांकित राशि स्वीकृति की गई है.

एम. बी. एम. इंजीनीयरिंग कालेज, जोधपुर	30 लाख
मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, जयपुर	12 लाख
उदयपुर कृषि इन्जीनियरिंग कालेज	12 लाल
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	25 लाख

आधुनिक चिकित्सा : राज्य में 5 मेडिकल कालेज जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर तथा अजमेर नगरों में स्थित है, स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम जयपुर, जोधपुर तथा बीकानेर में ही उपलब्ध है, मेडिकल मे उच्च अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को बाहर भेजा जाता है, छठी पंचवर्षीय योजना काल में राज्य में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के अन्तर्गत एक डेन्टल कॉलेज खोला जाएगा, जयपुर स्थित नर्सिंग कॉलेज का विस्तार किया गया ।

आयुर्वेद शिक्षा : वर्तमान में राज्य में जयपुर तथा उदयपुर में दो आयुर्वेद महाविद्यालय एवं छः अन्य आयुर्वेद कालेज स्थित है जिनमें लगभग 2500 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. उदयपुर आयुर्विज्ञान शोध संस्थान में नारू तथा लकवा बीमारी पर और जयपुर में चर्मरोग, मधुमेह, कैंसर तथा दिल की बीमारी पर शोध कार्य किए जा रहे हैं. पिछले दशक से आयुर्वेद-शिक्षण को सुव्यवस्थित किया गया है. आयुर्वेद परीक्षाएं आयुर्वेद-शिक्षण बोर्ड द्वारा ली जाती है, इस बोर्ड के द्वारा निम्न परीक्षाएं ली जाती है-

1. भिषगाचार्य का पांच वर्षीय डिग्री कोर्स
2. भिषग्वार का तीन वर्षीय डिग्री कोर्स
3. वैद्यों के प्रशिक्षण हेतु रिफ्रेशर कोर्स
4. नर्सो तथा कम्पाउण्डरों का एक वर्षीय ट्रेनिंग कोर्स

कृषि महाविद्यालय : राजस्थान में तीन कृषि महाविद्यालय उदयपुर, जोवनेर तथा सॉंगरिया (गंगानगर) में स्थित हैं. इसके अतिरिक्त स्वामी दयानन्द कॉलेज, अजमेर में भी कृषि अध्ययन की कक्षाएं चलाई जाती हैं। छठी पंचवर्षीय योजना काल में इन कालेजों में शिक्षण की सुविधा हेतु उपकरण एव पुस्तकालय पर व्यय किये जायेंगे.

पशु चिकित्सालय : 1954 में राज्य में पशु-चिकित्सा विधान और पशुपालन कालेज बीकानेर में स्थापित किया गया था. इसी प्रकार भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना भी 1957 में की गई. कम्पाउण्डर ट्रेनिंग संस्थान भी पृथक से आरम्भ किया गया है. ये संस्थान राज्य में पशु चिकित्सक एवं कम्पाउण्डरों की पूर्ति करतें हैं. भारत में अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में पशु चिकित्सा सेवा सर्वाधिक व्यवस्थित रूप में उपलब्ध है.

संस्कृत शिक्षा : राजस्थान संस्कृत अध्ययन का सदियों से प्रमुख केन्द्र रहा है. भारत में वाराणसी के बाद जयपुर का संस्कृत अध्ययन की दृष्टि से उल्लेखनीय स्थान है. लगभग 80 प्रतिशत संस्कृत संस्थान जयपुर संभाग में

स्थित है, राज्य में संस्कृत शिक्षा का पृथक निदेशालय भी है जो संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था की देखरेख करता है. वर्तमान में राज्य में 250 संस्कृत संस्थान है जिनमें 55000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे है. राज्य में निमांकित संस्कृत पाठ्यक्रम उपलब्ध है :

संस्थान	संख्या
आचार्य महाविद्यालय (स्नातकोत्तर स्तर)	32
शास्त्री महा विद्यालय (स्नातक स्तर)	28
उपाध्याय महाविद्यालय (इन्टर स्तर)	46
प्रवेशिका पाठ 92 (माध्यमिक स्तर)	
पूर्व प्रवेशिका पाठ	41
विशेष हिन्दी-संस्कृत सस्थान 17	17
	250

राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना काल में संस्कृत शिक्षा संस्थानों में (i) कर्मचारियों की पूर्ति (ii) सस्कृत पाठशाला में छात्रावास, स्पोर्ट्स तथा टूर्नामेन्ट एवं पुस्तकालय सुविधा पर व्यय किए जायेगे-

प्रौढ़ शिक्षा : देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में जन निरक्षरता गम्भीर बाधक रही है. स्वतन्त्रता प्राप्ति से ही योजना निर्माताओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है कि निरक्षरता में कमी की जाय। इसी उद्देश्य से 1980-85 योजनाकाल में प्रौढ़ शिला कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया जा रहा है. प्रौढ़ शिक्षा प्रसार हेतु जन संस्थाओं से भी सहयोग लिया जा रहा है. इस कार्य क्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता में निश्चय ही कमी आएगी. छठी पंचवर्षीय योजना काल में प्रौढ़ शिक्षा प्रसार हेतु 1000 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है. इसमें से 671.75 लाख साहिण्य तथा अन्य सामग्री उपलब्ध कराने, 32.28 लाख स्वयं सेवी संस्थाओं को और 53.77 लाख विज्ञापन तथा व्यवस्था पर व्यय किए जाड़ेंगे. 1980 मे विश्वविद्यालय के अधीभूत 6194 प्रौढ़ शिक्षा संस्थान थे तथा 3816 अनौपचारिका प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे थे जिनमें 1.64 लाख प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे.

बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 19 वें में सम्मिलित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के दो मुख्य आयाम निर्धारित किये गये :–(1) साक्षरता (2) सामाजिक चेतना। वर्ष 84-85 में ग्रामीण क्रियात्मक साक्षरता योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत आर्थिक सहायता के आधार पर स्वीकृत 8100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये जिनमें से 2648 केन्द्र केवल महिलाओं के लिए थे। कुल 2,36497 प्रौढ़ इनसे लाभान्वित हुए जिनमें से महिलाओं की संख्या 92636 थी। कुल प्रौढ लाभान्वितों में अनुसूचित जाति के 52998 तथा अनुसूचित जन जाति के 37561 के सदस्य थे।

इसी वर्ष राजस्थान सरकार के व्यय पर 14 जिलों में 3400 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये जिसमे 64004 पुरुष एवं 39031 महिलाऐं लाभान्वित हुई है. इनमें अनुसूचित जनजाति के 23241 सदस्य थे.

राज्य की स्वयं-सेवी संस्थाओं एवं नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा क्रमश: 490 एवं 40 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी संचालित किये गये जिनसे कुल 15512 प्रौढ़ लाभान्वित हुए।

राज्य में भारत सरकार के शत-प्रतिशत व्यय पर एवं राज्य सरकार के व्यय पर क्रमश: 725 एव 455 उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर साक्षरता केन्द्र संचालित किये गये जिनके माध्यम से 26533 पुरुष एवं 9196 महिलाएं लाभान्वित हुए। इनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रौढ़-प्रौढ़ाओं की संख्या 7840 एवं 4172 रही।

वर्ष 83-84 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला साक्षरता वृद्धि हेतु संचालित 'पुरस्कार योजनान्तर्गत राज्य सरकार को दो पुरस्कार वर्ष 1982-83 एवं 83-84 के लिए क्रमश: 9.25 लाख व 9.75 लाख रु. प्राप्त हुए.

अनौपचारिक शिक्षा

9 से 14 आयु वर्ग के ऐसे छात्र-छात्रायें जो अपने पारिवारिक कारणों से विद्यालय में जाकर औपचारिक

शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते, उनकी शिक्षा के लिए अनौपचारिक शिक्षा का सहारा लिया गया। इसे 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16 के अन्तर्गत लेकर गति प्रदान की गई.

वर्ष 1984-85 में कुल 10600 अनौपचारिक केन्द्रों के माध्यम से फरवरी 85 तक 337 लाख बालक-बालिकाओं को इस योजना से लाभान्वित किया गया। इनमें अनुसूचित जाति के 39, 666 बालक तथा 35,699 बालिकाएं अनु० जनजाति के 41439 बालक तथा 30, 371,बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं।

वर्ष 83-84 में अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि पर राजस्थान को भारत सरकार द्वारा तृतीय पुरस्कार के रूप में 30 रु. की राशि प्रदान की गयी। जबकि वर्ष 84-85 में बालिका नामांकन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य हेतु राज्य सरकार को 25 लाख रु. की पुरस्कार राशि पुनः प्राप्त हुई।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए वर्ष 84-85 में पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गयी तथा राज्य में 8 लाख पुस्तकें निःशुल्क वितरित की गयी। अनौपचारिक शिक्षण एवं परीवीक्षण के लिए परीवीक्षण अधिकारी एवं अनुदेशकों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 84-85 में 110 परीवीक्षण अधिकारी एवं 3,000 अनुदेशक इस क्षेत्र में कार्यरत रहे। छात्र-छात्राओं को रोजगारों के बारे में जानकारी देने हेतु 6 जिला स्तरीय समारोह आयोजित किये गये एवं 450 अध्यापकों को इस कार्य हेतु विशेष प्रशिक्षण किया गया।

मूक, बहरे तथा नेत्रविहीनों को शिक्षा : राज्य में बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर तथा उदयपुर में असहाय बच्चों के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित हैं. जहां शिक्षा एवं खेलकूद प्रशिक्षण दिया जाता है. वर्ष 84-85 में इन्हें शिक्षित करने के उद्देश्य से एक फिल्म का निर्माण किया गया तथा 38 अध्यापकों को प्रशिक्षत किया गया.

शरीरिक शिक्षा : राज्य की शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों के लिए खेलकूद की व्यवस्था शिक्षण क्रम का पुरक मानी गई है. अतः अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु जोधपुर में एक शरीरिक प्रशिक्षण कालेज चल रहा है. इसके अतिरिक्त राज्य में खेलकूद सलाहकार मण्डल भी स्थापित किया गया है जो खेलकूद का आयोजन कर विद्यार्थियों की शरीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है. राज्य में एक खेलकूद परिषद भी स्थापित है. शरीरिक प्रशिक्षण कालेज के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 103 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है जिससे प्रशिक्षण के विकास हेतु सुविधाओं को विकसित किया जायेगा. खेलकूद प्रसार हेतु राजस्थान खेलकूद परिषद को 75 लाख रुपये अनुदान दिए जायेगे. छठी पंचवर्षीय योजना काल में 110 लाख रुपये इन्डौर स्टेडियमों के निर्माण पर भी खर्च किए जायेगे. खेलकूद के प्रसार हेतु वर्ष 84-85 में चार प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर 185 शिक्षकों के प्रशिक्षित किया गया.

सैनिक शिक्षा तथा एन.सी.सी. : राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में प्रवेश हेतु चितौड़गढ़ तथा धौलपुर में स्थित दो सैनिक स्कूलों में राज्य के बालकों को प्रशिशित किया जाता है. राज्य में 'नेशनल केडिट कोर' तथा एन.सी.सी. का भी महत्वपूर्ण स्थान है. राज्य के सभी महाविद्यालयों में एन. सी. सी. वैकल्पिक है. जोधपुर तथा पिलानी में दो इन्जीनियरिंग प्लाटून है. जयपुर में एक मेडिकल कम्पनी तथा उदयपुर एवं अजमेर में दो सैनिक तथा एक हवाई दस्ता है. छठी पंचवर्षीय योजना में एन. सी. सी. पर 30 लाख रुपया व्यय करने की योजना है. राज्य में स्काउटस एवं गाइड प्रशिक्षअ पर 38.2 लाख व्यय किए जाने का प्रावधान है. राजस्थान में इस समय 6 डिवीजन एसोशिएशन तथा 178 स्थानीय एसोशिएशनों के तत्वावधान में स्काउट विभाग में 165079 एवं गाइड विभाग में 33623 सदस्य हैं।

समाज शिक्षा : राज्य में समाज शिक्षा के अन्तर्गत साक्षरता कार्य,संस्कृतिक गतिविधियां, त्यौहारों के समारोह एवं मेले किए जाते हैं, योजना उपनिदेशक सम्पूर्ण योजना की देख रेख करता है. प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता के लिए गांवों एवं शहर की मजदूर वस्तियों में, पंचायतों एवं विकास खण्डों में रात्रिकालीन शालाएं चलाई जाती है. (1) अजमेर में एक ओडियो-विजुअल प्रशिक्षण केन्द्र, स्थापित है वहां ट्रेनिंग दी जाती हैं. इसके अतिरिक्त एक

1958 में राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना उदयपुर में की गई. इस अकादमी से राजस्थान की साहित्य सेवी संस्थाओं एवं संगठनों को जोड़ा गया. सम्पूर्ण राजस्थान में ऐसी 25 संस्थाएं इससे सम्बन्धित है. साहित्यक प्रतिभा के प्रसार हेतु पुरस्कार, प्रकाशन, साहित्यक, समितियां, केन्द्रीय पुस्तकालय, पुस्तक सूची आयोग आदि समितियों का गठन किया गया है. उच्च स्तर से साहित्यकारों का सम्मान भी यह संस्था करती हैं. छठी पंचवर्षीय योजना में शैक्षणिक क्रिया-कलापों के विकास के लिए 30 लाख रुपयों का अनुदान दिया गया है. इस अकादमी से निम्न संस्थाएं सम्बद्ध है.

भारतेन्दु समिति,कोटा,हिन्दी साहित्य समिति,भरतपुर, हिन्दी विश्व भारती, बीकानेर, साहित्य संस्थान, उदयपुर; राजस्थान साहित्य समिति, बिसाऊ, वागड़ प्रदेश साहित्य परिषद डूंगरपुर, अन्तरप्रांतीय कुमार साहित्य परिषद, जोधपुर; राजस्थानी शोध संस्थान, जोधपुर, साहित्य कला संगम, टोंक; राजस्थान भाषा प्रचार सभा, जयपुर, अन्तर भारती कला एवं साहित्य परिषद, अजमेर, भारतीय विद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान, बीकानेर.

अन्य प्रमुख साहित्य संस्थाएं : साहित्य सदा व्रत, जयपुर, रंगशाला, मोतीसिंह भोमियों का रास्ता जयपुर; ऋतुभरा, नारनोली भवन, सांगानेरी गेट, जयपुर; संहिता पुरानी बर्फ फैक्ट्री के पास, रानी बाजार. बीकानेर, शार्दुल राजस्थानी भाषा समिति, सोनगिरी कुंवा, बीकानेर; सर्वोदय साहित्य संस्थान, श्री जयकृष्ण व्यास निर्मोही, कृष्णा कुटीर, सूरसागर तालाब के पास, बीकानेर. राजस्थानी भाषा प्रचार, 5/600 कोट गेट, बीकानेर वातायन प्रकाशन-5-डागा बिल्डिंग, बीकानेर; एस. डी. एम. रिसर्च इंस्टीट्यूट, सरदारपुरा जोधपुर लोक साहित्य केन्द्र, सरदारपुरा, जोधपुर, रूपायन संस्थान, पो. बोरूंदा वाया पीपाड़, वैचारिकी, 1684 बी. माल रोड़, जी. ए. ओ. रेल्वे कालोनी. अजमेर, नूतन साहित्य संगम, सूरजपोल, उदयपुर भारतीय लोक कला मण्डल, उदयपुर, संस्कृत समिति, नेछवा, साहित्य परिषद. बांसवाड़ा, हिन्दी साहित्य समिति, बूंदी, साहित्य संगम, जोधपुर; हिन्दी समिति, ब्यावर, हिन्दी साहित्य समिति, पिलानी, अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू उदयपुर, बज्मे अदब, झुनझुनू, राजस्थान संस्कृत संसद, द्वारकाधीश का मन्दिर चोड़ा रास्ता, जयपुर; सुधारक साहित्य परिषद, हाडा सदन, झालावाड़, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, जयपुर. करणी साहित्य संस्थान, नागोरी द्वार, जोधपुर.

ललित कला अकादमी : राजस्थान में ललित कला एवं साहित्य के क्षेत्र में सृजनात्मक कलाकृतियां उपलब्ध है. वे निश्चय ही भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के लिए अनुपम धरोहर है. भारतीय चित्रकला के इतिहास में राजपूत चित्रकला का एक महत्वपूर्ण स्थान है. युगान्तर से इस धरती के सृजनहारों ने यहां की प्रकृति तथा आकृतियों को विभिन्न रंगों से सजाया है. मानवीय संवेदना को यहां के सिद्धहस्त कलाकारों ने मूर्त रूप प्रदान किया है सामंती शासन काल में चित्रकार राजघरानों पर आश्रित थे. किन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात इस कला को जीवित रखने के उद्देश्य से 'राजस्थान ललित कला अकादमी' की स्थापना 1957 में उदयपुर में की गई. इसने पिछले कई वर्षों से राज्य की प्रतिभाओं को विकसित करने, पुरानी कला को कायम रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हैं. छठी पंचवर्षीय योजना काल में इस अकादमी को 20 लाख रुपयों का अनुदान दिया गया है. अकादमी समय समय पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शनियों का आयोजन करती है. अकादमी का अपना व्यवस्थित पुस्तकालय है जिसमें राज्य के कलाकारों के हितार्थ उपयोगी पुस्तकें व साहित्य उपलब्ध है. जो कलाकार विभिन्न आर्ट गैलेरियों में अपनी कलाकृति का प्रदर्शन करता है उसे आर्थिक सहायता भी दी जाती है.

राजस्थान संस्कृत अकादमी : राज्य में संस्कृत भाषा का प्रचार-प्रसार इसका प्रमुख उद्देश्य है। वेद विद्या के संवर्द्धन के लिए वैदिक विद्वानों को मधुसुदन ओझा पुरस्कार की योजना प्रारम्भ की गयी। वर्ष 84-85 में यह पुरस्कार जयपुर के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान पं. शिवप्रताप शर्मा को प्रदान किया गया. अकादमी की संस्कृत पत्रिका 'स्वरमंगला' में प्रकाशित सर्वोतम रचना पर 501 रुपये की अम्बिका दत्त व्यास पुरस्कार राशि दी जाती है. वेद संहिता पाठ प्रतियोगिता, वेद विद्यालयों का संचालन,

संस्कृत विद्वानों का सम्मान करना आदि इसकी प्रमुख गतिविधियां है. वर्ष 84-85 से माघ पुरस्कार की राशि 3000/- से बढ़ाकर 5000/- रुपये कर दी गई.

राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी : लेखकों से स्तरीय पाठ्य पुस्तकों का लेखन कराकर उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना, पुस्तकों का प्रकाशन करवाना, इनका विक्रय करना पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करना, आदि इसकी प्रमुख गतिविधियां है. वर्ष 84-85 में लगभग 461000 रुपये की पुस्तकों को अकादमी द्वारा विक्रय किया गया.

राजस्थान उर्दू अकादमी : इसकी गतिविधियां राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी के अनुरूप हैं. वर्ष 84-85 में अकादमी द्वारा पाँच बीमार साहित्यकारों को चिकित्सा हेतु 1500/ रु. की आर्थिक सहायता दी गई. अकादमी द्वारा त्रैमासिक पत्रिका नखलिस्तान का प्रकाशन अप्रेल1981 से प्रारम्भ किया गया. अकादमी के पुस्तकालय में 1975 पुस्तकें संग्रहीत हैं. प्रथम कक्षा से पांचवी कक्षा तक के निर्धन छात्रों को अकादमी द्वारा उर्दू की पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क वितरित की जाती है ।

राजस्थान सिंधी अकादमी : वर्ष 1979 में इसका गठन किया गया. सिंधी समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विद्वानों का सम्मान करना, विभिन्न उपाधियों से विभूषित करना, समाज सुधारात्मक प्रवृतियों का आयोजन करना, पुस्तकें प्रकाशित करना, रचनाकारों को अपनी अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने में आर्थिक सहयोग करना साहित्यकारों को आर्थिक मदद देना आदि इसकी प्रमुख प्रवृतियां है. वर्ष 84-85 में तीन जरुरतमन्द साहित्यकारों को 600/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से आर्थिक सहायता अकादमी द्वारा प्रदान की गई.

राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर : राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु इसकी स्थापना की गई. वर्ष 84-85 में अकादमी ने राजस्थानी की सर्वश्रेष्ठ कृति पर 'महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण' पुरस्कार योजना के अन्तर्गत 11000/- रुपये का पुरस्कार रखा इसी सत्र से भाषा, साहित्य, संस्कृति पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ठ कार्य करने वाले साहित्यकारों की सेवाओं के सम्मानार्थ 5 हजार रुपये प्रदान करने की योजना रखी गई.

गुरु नानक भवन संस्थान, जयपुर : 1969 में मनाये गये गुरु नानक देवजी के 500 वें जन्म उत्सव के उपलक्ष में राज्य सरकार द्वारा इस छात्र सेवा संस्थान का निर्माण कराया गया. वर्ष 1984-85 में संस्थान की विभिन्न गतिविधियों से 1100 छात्र छात्राएं नये सदस्य बनकर लाभान्वित हुए तथा 10,000 से अधिक विना सदस्य बने लाभान्वित हुए । संस्थान में प्रातः 7 वजे से सांय 7 वजे तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित होती रहती है, यथा खेलकूद, गृहसज्जा, कला, पत्र संरक्षण सर्फ तथा साबुन बनाना, फोटोग्राफी आदि ।

देश के स्वतंत्र होने के बाद यह अधिक गम्भीरता से महसूस किया जाने लगा कि देशवासियों को एकता के सूत्र में आबद्ध करने एवं उनमें राष्ट्रीय भावना का विकास करने के लिए हिन्दी का राज-भाषा के पद पर आसीन होना अतीव आवश्यक है.

हजारों वर्षों से इस देश में सम्पर्क की एक भाषा नहीं रही. फलस्वरूप देशवासियों में भावनात्मक एकता का विकास नहीं हो पाया. यही नहीं अपितु इस सम्पर्क सूत्र के अभाव में भौगोलिक दृष्टि से पास-पास रहने वाले लोग भी भाषागत विभिन्नता के कारण एक-दूसरे से भिन्न बने रहे. यह स्थिति उस समय और भी विकट हो गई जब कुछ लोग अपने अंग्रेजी मोह के कारण एक विदेशी भाषा में अपना काम-काज करने लगे.

स्वतंत्र के बाद हिन्दी को राज-भाषा के रूप में स्वीकार किया गया तथा सरकारी तंत्र में हिन्दी के प्रवेश का कार्य धीरे-धीरे आगे बढाया जाने जाने लगा. हिन्दी भाषा भाषी प्रान्तों में ये प्रयत्न तीव्र गति से प्रारम्भ हुये.

शत प्रतिशत हिन्दीकरण : राजस्थान में हिन्दीकरण के कार्य में अच्छी प्रगति हुई है. राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर राज्य में अक्टूबर 1976 से पूर्ण हिन्दीकरण की नीति अपना ली है. सितम्बर 1976 के बाद किसी भी अधिकारी को छूट नहीं कि वह सरकार का कार्य अंग्रेजी में करे, सिवाय उनके जिन्होंने 1967 में अपने लिए स्थाई रूप से छूट प्राप्त कर ली थी. यह छूट उन लोगों के लिए थी जो अहिन्दीभाषी थे तथा 26 जनवरी 76 को 53 वर्ष अथवा अधिक आयु के थे.

राज्य में सारा-काज हिन्दी में करवे के कार्य में कोई बाधा नहीं है. केन्द्रीय सरकार ने भी हिन्दी भाषी राज्य स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में पूर्णत हिन्दी के प्रयोग की नीति अपनाई है तथा केन्द्रीय मत्रालय भी हिन्दी भाषी राज्यों से हिन्दी में पत्र व्यवहार करते है.

राज्य में हिन्दी के कार्य को बढ़ावा देने के लिए भाषा विभाग का गठन 26 जनवरी 1965 को किया गया था, तभी से भाषा विभाग प्रशासन में पूर्णरूपेण हिन्दी को प्रतिष्ठित करने व राज्य-भाषा के विकास व संवर्द्धन की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्यरत हैं.

निरन्तर प्रयासों के कारण लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी आगामी परीक्षाओं में हिन्दी को अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित करने का निर्णय किया गया है. अभी तक अंग्रेजी आदि ही प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्य विषय थे. अन्य कार्यालयों में भी हिन्दी के प्रयोग की नीति को दृढता से लागू किया गया.

इसी समय उच्च न्यायलय ने अपने फैसले हिन्दी में देने का निर्णय किया तथा अपने अधीनस्थ कोर्टों को भी आदेश दिया कि वे अपने फैसले हिन्दी में ही करें. यह प्रक्रिया आरम्भ हो गई है.

हिन्दीकरण की इस प्रक्रिया को जनप्रिय बनाने एवं प्रशिक्षण की सुविधा जुटाने के लिए गोष्ठियों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन किया गया तथा देश के ख्यातिप्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्वानों के भाषण आयोजित किये गये हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग तथा प्रशासन में हिन्दीकरण को अधिक गति देने के लिए हिन्दी टंकण व शीघ्र-लिपि प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है. इस दृष्टि से विभाग प्रारम्भ से ही हिन्दी टंकण तथा शीघ्र लिपि प्रशिक्षण कक्षायें चला रहा है. अब तक लगभग 1600 टंकण और 1800 शीघ्र लिपिक प्रशिक्षित किये जा चुके है. पिछले साल से हिन्दी शीघ्र लिपि प्रशिक्षण की 2 कक्षायें निदेशालय में चलाई गई तथा कुछ कक्षायें अन्य स्थानों में चल रही है.

हिन्दी टंकण यंत्र वितरण : विभाग द्वारा हिन्दी टंकण यंत्र आवंटित एवं वितरित किये जाते है. विभाग के अंग्रेजी टंकण यंत्रों के बदले में हिन्दी टंकण यंत्रों के उत्पादन में कमी रही है फिर भी यह प्रयत्न किया जा रहा है कि इस कमी का प्रतिकूल असर हिन्दीकरण की नीति पर नहीं पड़े.

अनुदान : हिन्दी के प्रचार-प्रसार, हिन्दी-शिक्षण, हिन्दी टंकण और शीघ्र लिपि का प्रशिक्षण देने वाली हिन्दीसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान देने की व्यवस्था भी की गई है.

राज्य सरकार ने 11 हिन्दी प्रचारक संस्थाओं की परीक्षाओं को विभिन्न विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं के हिन्दी स्तर तक समकक्ष स्थायी मान्यता प्रदान की है. हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अंग्रेजी सहित पांच विषयों में उत्तीर्ण विशारद परीक्षा को हायर सैकेण्डरी के समकक्ष पूर्ण मान्यता प्रदान करदी है.

भाषायी अल्पसंख्यकों को सुविधा : राजस्थान में उर्दू सिंधी, पंजाबी, तथा गुजराती भाषा अल्पसंख्यकों की प्रमुख भाषायें हैं. सन् 1971 की जनगणनानुसार राजस्थान में इन भाषाओं को बोलने वालों की संख्या निम्नलिखित है :

उर्दू भाषी	650926
सिंधी भाषी	240321
पंजाबी भाषा	466828

इस सम्बन्ध में राज्य स्तर पर सलाहकार मण्डल की स्थापना की गई है. राज्य में भाषायी अल्पसंख्यक मन्त्री का अलग पद है. शिक्षा आयुक्त भाषा सचिव के रूप में भाषायी अल्पसंख्यकों से सम्बन्ध सचिव है. इस कार्य के लिये निरीक्षक भाषायी अल्पसंख्यक का पद अलग से सुरक्षित किया हुआ है. जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारी इन समस्याओं को निपटाते है.

भाषायी अल्पसंख्यकों को शिक्षा सम्बन्धी कई सुविधायें प्रदान की गई है. इस समय इन भाषाओं का अध्ययन तथा प्राथमिक स्तर पर शिक्षण निम्नलिखित चार स्तरों पर किया जाता है.

प्राथमिक स्तर-उर्दू : उदयपुर, गंगानगर, झुंझुनू, करोली, जोधपुर, चुरु, टॉंक, नागौर, कोटा, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर व सवाई माधोपुर इन 16 जिलों में पढाने की व्यवस्था है.

सिन्धी : अजमेर, जयपुर, उदयपुर, ब्यावर, जोधपुर, टॉंक, कोटा, भीलवाड़ा एवं पाली—इन 9 जिलों में सिंधी भाषा के अध्ययन की सुविधा प्राप्त हैं.

पंजाबी : गंगानगर, उदयपुर, अलवर, अजमेर, जयपुर—इन 5 जिलों में पंजाबी भाषा के अध्ययन की सुविधा है.

गुजराती : जयपुर अजमेर और कोटा—इन तीन जिलों में अध्ययन की व्यवस्था है.

अल्प भाषायी शिक्षकों के 500 पदों के आवंटन के बाद निम्न जिलों में इस सुविधा का अधिक विस्तार हो सकेगा.

उर्दू : चित्तौड़गढ भरतपुर तथा अलवर.

सिन्धी : बीकानेर, झालावाड़, चित्तौड़गढ, सिरोही, भरतपुर तथा अलवर.

पंजाबी : भरतपुर तथा बीकानेर.

माध्यमिक स्तर ! उर्दू तृतीय भाषा के रूप में 12 जिलों में पढाई जाती है. सिन्धी 5 जिलों में, पंजाबी 3 जिलों में तथा गुजराती 4 जिलों में पढ़ाई जाती है.

विभिन्न स्तर	उर्दू	सिंधी	पंजाबी	गुजराती
प्राथमिक				
विद्यालय	60	57	54	4
छात्र	6806	11761	2208	298
अध्यापक	136	336	70	5
माध्यमिक				
विद्यालय	66	13	11	5
छात्र	4029	2662	1424	362
अध्यापक	77	46	11	7

□

विकेन्द्रीकरण : पंचायत राज

राजस्थान में पंचायती राज का इतिहास बहुत पुराना है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में पंचायती राज संस्थान एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी महत्ता के बारे में पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि "हमारा देश तभी ऊंचा उठ सकता है, जब राजस्थाब में ही नहीं बल्कि, सारे देश में इसकी शुरुआत हो।" प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएँ किसी न किसी रूप में कार्यशील रही हैं। ब्रिटिश शासन काल में प्रशासनिक व्यवस्था के केन्द्रीयकरण के कारण ग्राम पंचायत व्यवस्था को धक्का लगा और ये संस्थाएं नष्ट प्राय: हो गई. लार्ड रिपन के वायसराय काल में स्वायत्त शासन की दिशा में कदम उठाए गए. और गांवों में पंचायतों के गठन के लिए प्रयत्न किए गये. ब्रिटिश भारत में कई राज्यों और देशी रियासतों द्वारा पंचायतें स्थापित करने के लिए कानून बनाए गए और उनको लागू किए गए.

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 1947 में राजस्थान के विभिन्न राज्यों एवम् रियासतों के विलय द्वारा संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। उस समय कुछ राज्यों में तो ग्राम पचायतें पहले से ही कार्यशील थीं किन्तु कुछ रियासतें ऐसी भी थी, जहां ऐसी संस्थाएं स्थापित नही थी, जहाँ पंचायत काम कर रही थी, वहाँ भी उनका कार्यक्षेत्र तथा विस्तार दोनों ही अति सीमित थे।

पंचायतों के संगठन की दिशा में पहला कदम संयुक्त राजस्थान द्वारा पंचायत राज अध्यादेश 1948 लागू करना. 1949 में राजस्थान निर्माण के बाद मुख्य पंचायत अधिकारी के अधीन एक पृथक पंचायत विभाग स्थापित किया गया। उस समय पचायते विभिन्न सात कानूनों के अन्तर्गत कार्य कर रही थी. अतएव राज्य भर के लिए एक समान कानून की आवश्यकता थी. इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 पारित हुआ और उसे 1 जनवरी 1954 से लागू किया गया. इस अधिनियम के अधीन पंचायतें पुन: गठित की गई तथा जहां पहले से पंचायतें नहीं थी वहाँ स्थापित की गई।

पंचायत राज की दिशा में प्रगति के लिए सामुदायिक विकास खंड तथा राष्ट्रीय विस्तार खंड स्थापित किए गए 1952-53 में 8 सामुदायिक विकास खंड थे। इन सामुदायिक विकास खंडों के अलावा 1953-54 में 13 राष्ट्रीय विस्तार खंड स्थापित किये गये। 1953-56 में राजस्थान में 3275 पचायतें थी, 1958-59 में राजस्थान में राष्ट्रीय प्रसार सेवा के अन्तर्गत 59 विकास खंड स्थापित हो चुके थे. इस प्रकार 1958-59 में 59 राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड, 12 पूर्व प्रसार खंड, 31 सामुदायिक विकास खड और 20 प्रथम चरण खंड थे।

किन्तु सामुदायिक विकास के प्रति जो उत्साह ग्रामीण जनता मे था वह धीरे-धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि जो भी योजनाएं बनी थी वे ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध मानवीय, प्राकृतिक एवम् आर्थिक साधनों के अनुरूप नहीं थी. अत: विकास कार्यक्रमों में जनता को निर्णायक अधिकार देने हेतु 1957 में बलवन्तराय मेहता की नियुक्ति की गई जिनकी सिफारिशों के अनुसार लोकतांत्रिक करण हेतु ग्राम खड और जिला स्तर पर प्रतिनिधि संस्थाएं स्थापित कर स्थानीय प्रशासन एवम् विकास हेतु उन्हें अधिकार हस्तान्तरित करना था.

इस बीच 1958 के अन्त में राजस्थान सरकार ने, राज्य भर में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया, और 2 अक्टूबर 1959 को, स्वर्गीय प्रधान मंत्री पडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में "पंचायती राज" का उद्घाटन किया। राजस्थान में पंचायती राज के शुभारम्भ से सम्बन्धित निर्णय की दो विशेषताएं थी. एक तो राज्य सरकार ने प्रारम्भ से ही यह निश्चय करलिया था कि पंचायती राज्य का सूत्रपात प्रयोग के रूप मे नहीं बल्कि स्वीकृत नीति के रूप में किया जायेगा. तथा दूसरी विशेषता यह थी कि पंचायती राज्य व्यवस्था

राज्य के कतिपय भागों में विकास खंडों तक ही सीमित नहीं रखी जायेगी अपितु सारे राज्य में एक साथ लागू की जायेगी.

आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कर-पूज्य बापू की ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार किया गया था. तब से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लगातार चली आ रही है.

वास्तव में 'पंचायती राज' का श्रीगणेश भारत की ग्रामीण जनता के जन जीवन हेतु एक महत्वपूर्ण घटना थी. जिसमें राजस्थान ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत की जनता की आशा, विश्वास एवम् कल्याण निहित थी. 1959-60 तक राजस्थान में 139 विकास खंड थे जिनके अन्तर्गत 20884 गांव थे. 1959 में राजस्थान विधान सभा ने राजस्थान पंचायत समिति एवम् जिला परिषद् अधिनियम सितम्बर 1959 में पारित कर दिया जिसके फमस्वरूप 232 पंचायत समितियों एवम् 26 जिला परिषदों की स्थापना माह सितम्बर-अक्टूबर 1959 में सम्पूर्ण राजस्थान में हुई.

पंचायती राज के प्रारम्भ तक राजस्थान में 120 विकास खंड खुल चुके थे जिनके अन्तर्गत 17960 गांव तथा लगभग 56 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या आती थी. अक्टूबर 1959 में 3 पूर्व प्रसार खंडों को प्रथम स्थिति विकास खंडों में परिवर्तित किया गया. पूर्व प्रसार खंडों और छाया खंडों में भी पंचायत व्यवस्था एक साथ लागू कर दी गई. इस प्रकार सारे राज्य में 232 पंचायत समितियां बनाई गई जिनमें 93 छाया खंड, 16 पूर्व प्रसार खंड, 85 प्रथम स्थिति खंड और 39 द्वितीय स्थिति खंड बनाए गए.

इस प्रकार ग्राम स्तर पर पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला परिषदों ने त्रिसूत्रीय व्यवस्था के परस्पर सम्बद्ध अंगों के रूप में काम करना शुरु किया और मानव का सम्बन्ध ग्राम सभा से लोक सभा तक जुड़ गया.

पंचायती राज संस्थाओं की अवधि अधिनियम के अनुसार तीन वर्ष निर्धारित है किन्तु पहले से विद्यमान पंचायतों और बाद में निर्मित पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनावों की अवधि को एक साथ करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1959 में निर्मित पंचायती राज संस्थाओं की पहली अवधि 31 जनवरी 1961 तक सीमित कर दी थी. 1960 में पंचायतों की सीमा का पुन: निर्धारण कर राज्य में 7394 पंचायतें स्थापित की गई.

160 के अन्त में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए गए जिसके फलस्वरूप जनवरी 1961 में पंचायती राज संस्थाओं ने अपना द्वितीय कार्यकाल प्रारम्भ किया. यद्यपि पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव 1959 में हुए थे पर चूंकि वह चुनाव केवल पंचायत समिति तथा जिला परिषद तक ही सीमित थे. पंचायतें पहले से ही विद्यमान थी, अत: 1960 के अन्त में हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को संज्ञा दी जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी.

राज्य सरकार ने इस व्यापक योजना की सफलता के लिए विभिन्न कदम उठाए. प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम था, राज्य सरकार ने व्यवस्था के सन्दर्भ में जिलाधीश तथा अन्य स्तरीय अधिकाकारियों के कर्तव्य एवम् दायित्वों के सम्बन्ध में तथा संस्थागत कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए.

प्रादेशिक आयुक्तों को कार्यक्रम परामर्श का कर्तव्य सौंपा गया. लेकिन बाद में इस पद को समाप्त कर दिया और जिलाधीश एवम् जिला विकास अधिकारी के दायित्वों का पुनर्विश्लेषण करते हुए निर्देश जारी कर दिए गए.

पंचायती राज अध्ययनदल की सिफारिशें : राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज के सभी पहलुओं पर विस्तृत अध्ययन करके उसमें सुधार तथा उसे अधिक सशक्त बनाने के लिए सुझाव देने हेतु मई 1962 में पंचायती राज अध्ययन दल का गठन किया गया. किन्तु चीनी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय संकटकालीन घोषणा हो जाने से अध्ययन दल शीघ्र अपना कार्य प्रारम्भ नहीं कर सका. अध्ययन दल ने अपना कार्य मई 1963 में आरम्भ किया

और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को जुलाई 1964 में सौंप दी. दल की मुख्य सिफारिशें निम्नांकित थी—

1. पंचायती राज व्यवस्था का मूल आधार ग्राम सभा होनी चाहिए जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क निवासी सम्मिलित हों. ग्राम सभा को वैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए तथा उसे सक्रिय संस्था के रूप में विकसित किया जाना चाहिए.

2. ग्राम पंचायत का वर्तमान आकार अपरिवर्तित रहना चाहिए, यह न तो बहुत बड़ा हो और न बहुत छोटा हो, ग्राम पंचायत क्षेत्र के सरपंच का चुनाव अभी की तरह पंचायत क्षेत्र मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए.

3. पंचायत, पंचायत समिति एवम् जिला परिषद में महिलाओं, अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जन जाति के सहवरण के लिए प्रावधान रहने चाहिए किन्तु पंचायत समिति एवम् जिला परिषद में प्रशासनिक अनुभव वाले दो सदस्यों के सहवरण का सिद्धान्त समाप्त कर दिया जाना चाहिए. पंचायत समिति मे कृषि निपुण की सदस्यता रखना भी आवश्यक नहीं है.

4. पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद में इन्हीं क्षेत्रों की सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सह-सदस्य के रूप में लिया जाना चाहिए किन्तु उन्हें पदाधिकारियों के चुनाव में भाग लेने तथा पद ग्रहण करने का अधिकार न हो.

5. पंचायत समिति के प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव व्यापक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना चाहिए. प्रधान के निर्वाचन मंडल में पंचायत समिति तथा पंचायत के सभी सदस्य और प्रमुख के निर्वाचन मंडल में जिला परिषद तथा पंचायत समिति के सभी सदस्य सम्मिलित होने चाहिए.

6. जो पंचायत समितियां तहसीलों के सम-सीमान्त नहीं है उनका पुनर्गठन कर उन्हें एक या एक से अधिक तहसीलों के सम-सीमान्त बनाया जाना चाहिए.

7. राज्य स्तर पर एक पंचायती राज सलाहकार परिषद का गठन किया जाना चाहिए जो पंचायत राज के सम्बन्ध में विभिन्न विचारधाराओं एवम् सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम हो.

8. पंचायत राज संस्थानों को सक्रिय दलबन्दी एवं राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए.

9. यदि चुनाव सर्व सम्मति से होते है तो स्वागत योग्य है. किन्तु इसको किसी प्रकार का वित्तीय प्रोत्साहन आवश्यक नहीं है.

10. पंचायतों को प्राणवान बनाने के लिए अधिकाधिक समस्याओं को पंचायत के अधिकार क्षेत्र में लाया जाय. साथ ही पंचायतों को कर्तव्य व दायित्व निर्वाह के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन तथा कानूनी अधिकार भी दिये जाने चाहिए.

11. पंचायतों के सफलतापूर्वक कार्य करते रहने के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए ग्राम सेवक की सचिव के रूप में नियुक्ति की जानी चाहिए.

12. न्याय पंचायतों को फौजदारी मुकदमों में 100 रुपये तक जुर्माना करने का अधिकार होना चाहिए तथा दीवानी मामलों में यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो 500 रु. तक के मामले सुनने का अधिकार होना चाहिए.

13. जिला परिषदों को प्राणवान बनाने के लिए उन्हें कुछ मूल अधिकारयुक्त दायित्व भी सौंपे जाने चाहिए जैसे बीज उत्पादन कार्य, कुंजी ग्राम केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, सांड प्रजनन केन्द्र माध्यमिक पाठशालाएं तथा 1 लाख रुपये की लागत तक के सिंचाई कार्य तथा राजकीय राजमार्गों एवम् बड़ी जिला सड़कों को छोड़कर अन्य सड़कें आदि के निर्माण कार्य.

14. पंचायत तथा पंचायत समिति के कर्मचारियों के चयन के लिए प्रत्येक जिले में एक चयन समिति होनी चाहिए. कर्मचारियों के चयन तथा सेवा आदि का नियन्त्रण जिला स्तर से होना चाहिए.

15 कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियन्त्रण में एकरूपता होनी चाहिए.

16. संस्थाओं एवं निर्वाचित सदस्यों के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए.

17. पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद तीनों संस्थाओं को कर लगाने के अधिकार होने चाहिए. कुछ कर जैसे वाहन कर, मनोरंजन कर तथा व्यवसाय कर अनिवार्य होने चाहिए. पंचायत समिति एवं जिला परिषद द्वारा लगाए गए करों से होने वाली आय निर्धारित अनुपात में होनी चाहिए. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ऐच्छिक करों से प्राप्त आय पर 25 प्रतिशत अनुदान (मैंचिग ग्रांट) राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए. पंचायती राज संस्थाओं को सामान्य विकास अनुदान एवम् सामान्य विकास ऋण दिये जाने चाहिए जिनके आधार पर वे निर्धारित सीमाओं के अन्दर रहकर अपना कार्यक्रम बना सके.

18. बजट एवम् लेखा प्रणाली को सरल बनाया जाना चाहिए.

राज्य सरकार ने इन सिफारिशों के प्रकाश में नियम आदि में आवश्यक संशोधन किए और 1964 के अन्त में पचायती राज चुनाव इन संशोधन प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न हुए.

1961 में गठित पंचायती राज संस्थाओ का कार्य-काल जनवरी 1964 में समाप्त होता था. राज्य सरकार ने इनकी कार्य की अवधि को दो बार छः-छः महिने के लिए बढाया था, अन्त में राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1964 द्वारा मार्च 1965 तक अवधि बढ़ाये जा सकने का प्रावधान कर दिया गया.

द्वितीय पंचायत चुनाव 31 दिसम्बर 1964 से प्रारम्भ होकर 26 फरवरी 1965 तक सम्पन्न हुए. पिछली बार पंचायतों के चुनाव पंचायत विभाग द्वारा कराये गए थे. 1963 में राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव का कार्य भी चुनाव विभाग को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया. अतएव द्वितीय पंचायती राज चुनाव (1964) विभाग द्वारा सम्पन्न कराए गए. पंचायत चुनावों की कल्पना इससे की जा सकती है कि इन चुनावों में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 96 लाख थी. चुनाव के लिए 11,368 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए. पंचों एवं सरपंचों के चुनाव में औसतन मतदान 80 से 90 प्रतिशत के बीच रहा. कई मतदान केन्दों में 90 प्रतिशत से भी ऊपर मतदान हुआ.

राज्य की कुल 7388 पंचायतें 232 पंचायत समितियां और 26 जिला परिषदों का गठन हुआ. इनमें से 11 पंचायतों के मतदाता सरपंच निर्वाचित नहीं कर सके. अतएव वहां सरपंच अस्थायी रूप से राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए गए. तीन महिलाएं सरपंच निर्वाचित हुई और दो महिलायें प्रधान निर्वाचित हुई.

राज्य की 232 पंचायत समितियों में प्रभावी सामुदायिक विकास योजना के लिए 74-75 में 384.80 लाख रुपये 75-76 में 520.22 लाख रुपये वर्ष 76-77 के लिए 680.16 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया.

राज्य के 3 जिलों उदयपुर, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में जन जाति विकास हेतु जन-जाति विकास खंड चल रहे हैं. प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उदयपुर विश्वविद्यालय एवम् पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर में विभिन्न प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जाते है. इन केन्द्रों पर अध्यापकों, ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण के अतिरिक्त ड्राइवरों, पम्पिग सेट मरम्मत करने वालों को प्रशिक्षित किया जाता है. वर्तमान में ग्राम सेवक एवम् ग्राम सेविकाओं को प्रशिक्षित करने के लिए बारू में एक राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत है.

यद्यपि राजस्थान भारत का प्रथम प्राप्त है जिसने पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रपात किया किन्तु विभिन्न परिस्थितियों एवम् कारणोंवश इसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव विभाग द्वारा 7292 पंचायतों के चुनाव फरवरी 1978 में कराए गये जो तृतीय चुनाव था. परन्तु कुछ पंचायत समितियां और पूरी जिला परिषदों के चुनाव नहीं हो सके। पर 1981-82 में इनके पूरे चुनाव कराये गये.

मेहता समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने विचार किया है लेकिन मेहता समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार न किये जाने पर भी राजस्थान में लागू होने वाली सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है. पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं ताकि वे आत्म निर्भर

बनने के साथ ही लोकतंत्र की आधारभूत इकाइयों के रूप में कारगर सिद्ध हो सके.

पंचायती राज संस्थाओं के चतुर्थ आम चुनाव राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर ने दिसम्बर 1981 से जनवरी 1982 तक आयोजित कर राज्य में पुनः जनता की आस्था लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हेतु जगाई इसके साथ ही राज्य में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की त्रिपक्षीय व्यवस्था पुनर्जीवित हो गई. पंचायती राज में पुनःप्राण-प्रतिष्ठा करने के संकल्प के साथ 1981-82 में राज्य की 7292 पंचायतों 236 पंचायत समितियों तथा सभी जिला परिषदों के चुनाव सम्पन्न कराए गए. वर्तमान में 7292 ग्राम पंचायतें 236 पंचायतें तथा 27 जिला परिषदे कार्यरत है.

इतने लम्बे अन्तराल के बाद जिन संस्थाओं में पुनः प्राण-प्रतिष्ठा की गई. वे साधन विपन्न हो चुकी थी और ग्राम्य जीवन में उनकी जड़ें उखड़ने लगी थी. यह अत्यंत शोचनीय स्थिति थी. ये सस्थाएं साधन सम्पन्न होकर प्रभावी ढ़ंग से कार्य कर सके, इससे लिए पचायतों पंचायत समितियों एवम् जिला परिषदों का कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया.

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मूल मार्गदर्शन तत्वों के अनुसार 'ग्रामीण विकास' की अधिकतर योजनाओं की क्रियान्विति हेतु पंचायत समितियां ही उपयुक्त संस्थाएं हैं अतः 30 जनवरी 1982 को बीकानेर में द्वितीय पंचायती राज सम्मेलन आयोजित किया गया. बीकानेर सम्मेलन अपने आप में एक ऐतिहासिक पर्व था. जिस प्रकार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राष्ट्र निर्माता स्व. पं. जवाहरलाल नेहरु ने पंचायती राज का दीप प्रज्जवलित किया था, ठीक उसके 22 वर्ष बाद महात्मा गांधी के निर्माण दिवस पर पंचायती राज को पुनः प्रतिष्ठित किया गया. सम्मेलन में राजस्थान के समस्त नव निर्वाचित पंचों, सरपंचों, पंचायत समितियों के प्रधानों एवम् जिला परिषदों के प्रमुखों ने भाग लिया. इस सम्मेलन का उद्घाटन युवा नेता संसद सदस्य श्री राजीव गांधी ने किया. इस सम्मेलन में ही पंचायती राज को नवजीवन देने की घोपणा की गई। इसके पश्चात 19-20 जुलाई 1983 को भीलवाड़ा में प्रमुखों एवम् प्रधानों का सम्मेलन पंचायती राज के सम्बन्ध में आयोजित किया गया. इस सम्मेलन में पंचायती राज से सम्बन्वित कई सुझाव आए एवम् राज्य सरकार की ओर से घोषणाएं की गई।

सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने पंचायतों को ग्रामीण पुनर्निर्माण, कृषि, सिंचाई, सड़कें, चिकित्सा तथा शिक्षा सम्बन्धी व्यापक अधिकार देने की घोषणा की. 1983-84 में प्रत्येक पंचायत समिति को एक लाख रुपये देने का प्रावधान है. इस प्रकार 1983-85 के लिए 236 लाख रुपये पंचायतों के लिए रखे गए है.

राजस्थान में पंचायती राज की कड़ी में पंचायत समिति सबसे महत्वपूर्ण संस्था है. एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, ट्राइसम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण हाटों का निर्माण, कृषि आदानों पर राजकीय अनुदान, ग्रामीण पशु औषधालय, चारा विकास योजनाएं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, हैल्थ गाइड एवम् दाइयों की प्रशिक्षण योजनाएं, पंचायत समितियों को स्थानांतरित कर दी गई है. वन-विभाग की विभिन्न योजनाएं दो लाख रुपये की लागत तक के सभी निर्माण कार्य, 50 एकड़ से कम सिंचाई वाले तालाबों एवम् एनीकट्स की मरम्मत, ग्रामीण दस्तकार एवम् लघु उद्योगों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रम तथा विभिन्न समाज कल्याण कार्यक्रम भी इन संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दिए गए. है. ग्रामीण विकास से सम्बन्धित बुनियादी संरचना अथवा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने का अधिकार भी पंचायत समितियों को दिया गया. है उन्हें यह देखने का अधिकार है कि प्रस्तावित कार्यक्रम योजनानुकूल है और भौतिक और वित्तीय लक्ष्य व्यवहारिक, यथेष्ठ तथा उचित हैं. क्रियान्वयन में भी कमियां दृष्टिगत होती हों तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार पंचायत समितियों को है.

पंचायत समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए पशुपालन प्रसार अधिकारियों, सहकारिता प्रसार अधिकारियों प्रगति प्रसार अधिकारियों कनिष्ठ अभियंता कृषि प्रसार अधिकाधिकारियों, उद्योग प्रसार अधिकारियो खादी पर्यवेक्षकों एवम् पंचायत प्रसार अधिकारियों की नियुक्तियां पंचायत

समितियों में की गई है अथवा की जा रही है. सभी श्रेणी के कर्मचारियों एवम् जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कर दी गई है.

पंचायतों को भी ग्रामीण हाट व्यवस्था, स्वास्थ्य मार्ग दर्शकों का प्रारम्भिक चयन, ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने, हैण्ड पम्पों व परम्परागत पेयजल साधनों का संधारण एवम् परिचालन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के अधिकार दिए गए हैं. ये अधिकार पंचायतीराज की तीनों संस्थाओं को इस प्रकार दिए गए है कि विकास कार्यक्रम में जन-जन भागीदारी अनुभव कर सके.

राज्य सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि विभिन्न पंचायत समितियों को हस्तान्तरित योजनाओं की जो राशि अलग-अलग स्थानांतरित की जाती है उसके स्थान पर सभी योजनाओं के लिए एक मुश्त राशि स्थानांतरित कर दी जाय जिससे कि पंचायत समिति को इन योजनाओं के चयन एवम् क्रियान्वयन में अधिक स्वायत्तता मिल सके.

जिला परिषदों की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए उन्हें जो कार्य सौंपे गए है वे हैं :

अ. प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय एवम् पर्यवेक्षण

ब. स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रौढ शिक्षा सम्बन्धी भेजे प्रस्तावों का परीक्षण.

स. कृषि विस्तार कार्यक्रमों की क्रियान्विति में समन्वय व उसकी समीक्षा.

इन योजनाओं व कार्यक्रमों को जिला परिषदों को सौंप देने के प्रस्तावों के अलग-अलग पहलुओं का परीक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है. तथा जिला स्तरीय पशु पालन योजनाओं, उच्च प्राथमिक शिक्षा तथा जल-प्रदाय योजनाओं का संचालन व गहन ट्यूब वैल योजनाओं का संचालन व जन अभियांत्रिक विभाग की संधारण व यांत्रिकी शाखाओं के बीच का समन्वय का कार्य भी जिला परिषदों द्वारा किया जायेगा.

जिला परिषदों को बीस हजार रुपयों की राशि फर्नीचर आदि हेतु दी जा रही है, प्रत्येक जिला परिषद को एक कार के लिए धन राशि आंवटित की जा रही है. चालक के पद सृजन करने की भी कार्यवाही की जा रही है. जिला परिषदों के दफ्तर हेतु भवनों की व्यवस्था भी की जा रही है.

ग्रामीण विकास की अधिकतर योजनायें पंचायत समितियां ही क्रियांवित करती हैं. अतः आवश्यक स्टाफ व धन राशि आवंटित करने की व्यवस्था की जा रही है. जैसे 118 पंचायत समितियों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के विकास अधिकारी लगाए जा रहे हैं.

राज्य सरकार ने 1982-83 के बजट में सामुदायिक विकास के लिए 88.64 लाख रु., प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 17.86 लाख, जिला परिषदों की सहायतार्थ 21.83 लाख, पंचायत समितियों की सहायतार्थ 645.14 लाख, पोषहार कार्यक्रम हेतु 7.64 लाख, पंचायतों को अनुदान हेतु 4.77 लाख, पेयजल कूप निर्माण के लिए 201.85 लाख, ग्रामीण आवास योजना हेतु 75.86 लाख, दूरदर्शन हेतु 10.63 लाख, लघु सिंचाई हेतु 1.50 लाख, शिक्षा 3750.53 लाख तथा अन्य योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा 14.40 लाख, कृषि हेतु 29.00 लाख, क्षेत्र विकास हेतु 14.16 लाख, पशुपालन हेतु 44.78 लाख का प्रावधान किया है.

ग्राम पंचायतों को अधिक मजबूत बनाने के लिए नये कार्यक्रम बनाए गए हैं जैसे ग्रामीण हाट व्यवस्था, हैण्ड पम्पों का संधारण, परम्परागत पेयजल साधनों का संधारण एवम् परिचालन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का क्रियान्वयन आदि. प्रत्येक ग्राम पंचायत में उन्नत नस्ल का एक सांड रहेगा जिस हेतु सांड के क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा तीन हजार रुपये का प्रति सांड जो भी कम हो, अनुदान देय होगा. ग्रामीण दस्तकारों को दो हजार रुपये तक ऋण पंचायत समिति द्वारा दिया जायगा. यह धनराशि उद्योग विभाग द्वारा पंचायत समितियों को दी जायगी. इसी प्रकार राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए पांच हजार रुपये तक के ऋण व अनुदान स्वीकृत करने के अधिकार पंचायत समितियों को दिये जा चुके है. लघु उद्योग धन्धों को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए प्रति इकाई एक हजार रुपये तक अनुदान देने का अधिकार पंचायत समितियों को दिया जा चुका है.

सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के अलावा पंचायत समितियों की निजी आय के स्रोत भी हैं जैसे हड्डियों के ठेके से आय, मेलों का आयोजन शिक्षा कर मनोरंजनकर गृहकर आदि है.

जैसा कि बताया जा चुका है पंचायत राज सस्थाओं का गठन तीन स्तरों पर हुआ है.

1. ग्राम पंचायतें-ग्राम स्तर पर
2. पंचायत समितियां-विकास खण्ड पर
3. जिला परिषद-जिला स्तर पर

ग्राम पंचायतें : राज्य में इस समय 7292 ग्राम पंचायतें है. एक ग्राम पंचायत 2 हजार तक की आबादी पर बढ़ती है. कम आबादी के दो तीन गांवों को मिलाकर भी एक पंचायत बनाई जाती है. एक गांव के पंचों की संख्या आबादी के हिसाब से होती है. उनमें एक पिछड़ी जाति के और एक महिला पंच को सहवृत किया जाता है. सरपंच का चुनाव अब सीधे ही होता है.

ग्राम पंचायतों को गांव की प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध करना पड़ता है वही सार्वजनिक स्थानों की सफाई, रोशनी व पेयजल की भी व्यवस्था करनी पड़ती है. गांवों में पशु मेलों का आयोजन भी पंचायत ही करनी है प्रौढ शिक्षा, कुओं की मरम्मत, पशुधन की देखभाल आदि के कार्य भी पंचायत ही करती है.

पिछले वर्षों में पंचायतों ने जो सर्वाधिक महत्व कार्य किये वे काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत गांवों में पंचायत घर, अस्पताल स्कूल भवनों का निर्माण सड़कें बनाना तालाब खोदना आदि थे.

न्याय पंचायतें : ग्राम पंचायत की तरह ही न्याय पंचायतों का गठन गांवों के छोटे विवाद निपटाने के लिए किया गया था. राज्य में करीब डेढ हजार न्याय पंचायतें है' ये न्याय पंचायतें, पंचायत स्तर पर दीवानी, फौजदारी और राजस्व सम्बन्धी छोटे मोटे मामलों की सुनवाई करती थी.

न्याय पंचायतें 50 रुपये तक की माल की चोरी, जानवरों की हत्या, शराब पी कर दुराचरण करना तालाबों को गन्दा करना आदि मामलों की सुनवाई कर सकती थी. ये 50 रुपये तक का जुर्माना कर सकती थी. इनमें वकील पैरवी नहीं कर सकते थे और इनके निर्णयों की अपील ऊँची अदालत में की जा सकती थी. एक सौ रु. तक के दीवानी मामलों की भी न्याय पंचायत सुनवाई कर सकती है. अब 1981 से ग्राम पंचायतों के अधीन ही न्याय-उप समिति की व्यवस्था की गई है जो सामान्य रूप से वही कार्य करती है जो पूर्व में न्याय पंचायत के थे.

पंचायत समितियां : राज्य में खण्ड स्तर पंचायती राज की संस्था पंचायत समिति है. इस समय राज्य में 236 पंचायत समितियां है. खण्ड में आने वाली सभी पंचायतों के सरपंच इसके सदस्य होते है. सरपंचों के अलावा दो महिलाएं दो अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य लिए जाते है. एक कृषि विशेषज्ञ एक सहकारी समिति का सदस्य तथा दो विकास कार्य के लिए जिम्मेदार सदस्य सहवृत किये जाते है. ये सब मिलकर पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव करते है. खण्ड के विधायक और उप जिलाधीश भी पंचायत समिति के सदस्य होते है.

पचायत समिति क्षेत्र के विकास की योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित करती है. कृषि पशुपालन शिक्षा स्वास्थ्य ग्रामीण आवास के कार्यक्रमों को वह क्रियान्वित करती है. समिति अपने क्षेत्र में रोजगार वृद्धि का भी काम करती है. समिति में सरकार का प्रतिनिधि खण्ड विकास अधिकारी (बी. डी. ओ.) होता है.

जिला परिषद : राज्य में जिला स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं के कार्य की देख रेख के लिए जिला परिषदों का गठन किया जाता है. जिला परिषद के सदस्य सभी पंचायत समितियों के प्रधान, विधायक, सांसद तथा विकास अधिकारी होते है. पिछड़ी जातियों के सदस्यों व महिला सदस्यों को सहवृत किया जाता है. जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख कहलाता है. जिला परिषद के सचिव अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी या अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) होते हैं। वर्तमान में जिला परिषदों का भी नया गठन हो गया हैं.

पंचायत चुनावों की घोषणा राज्य सरकार की दिसम्बर 1986 में करवाने की थी. और इसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई थी. लेकिन

राजस्थान राज्य कर्मचारियों के अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले जाने से पूर्व घोषित कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हो गई.

बीकानेर सम्मेलन तथा भीलवाड़ा सम्मेलन की गई घोषणाओं की क्रियान्विति में लिए गये निर्णयों की अनुपालना मे पंचायती राज की महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्न है :

1. जिला परिषदों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा तथा कृषि विस्तार कार्यक्रम का समन्वय पर्यवेक्षण एवम् समीक्षा का कार्य जिला परिषदों को सौंपा गया है.

2. प्रत्येक जिला परिषद को 20 हजार रुपये की राशि फर्नीचर इत्यादि खरीदने हेतु आवंटित की गई है,

3. प्रत्येक जिला परिषद को एक कार उपलब्ध कराई गई है.

4. वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी तथा सहायक अभियन्ता (सामुदायिक विकास) को जिला परिषद के अधीन किया गया है.

5. ग्रामीण विकास की अधिकतर योजनाओं की क्रियान्विति के लिए पंचायन समितियों को ही उपयुक्त माना गया है. अतः इसके आधार पर ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभागों की कुछ महत्वपूर्ण योजनायें. कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु पंचायत समितियों को हस्तांतरित किये गये है. इनमें एकीकृत ग्रामीण विकास ट्राईसम, गोबर गैस, ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण पशु औषधालय स्वास्थ्य मार्गदर्शक योजना, पौध उगाने की योजना, कृषि, सामाजिक वानिकी, 2 लाख रुपये तक के निर्माण कार्य, छात्रवृति एवम् प्रोत्साहन राशि का वितरण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित छात्रावास, आश्रम स्कूल और निराश्रित बालगृह आदि योजनायें मुख्य है.

6. विभिन्न विभागों की कई योजनायें जिनकी क्रियान्विति तकनीकी दृष्टि से पंचायत समितियों को दिया जाना सम्भव नहीं था; उनकी समीक्षा की जायगी.

7. पंचायत समितियों को ग्रामीण विकास की कई योजनाओं को सौंपने के साथ उनके अधिकारियों कर्मचारियों के पदों में भी वृद्धि की गई है.

8. पंचायत समितियों के प्रशासन को सुदृढ करने हेतु आर. ए. एस. के समकक्ष वेतनमान पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों का विशेष चयन पद्धति द्वारा चयन करके विकास अधिकारियों के पद पर लगाया गया है.

9. जिन पंचायत समितियों की जीपें बहुत पुरानी हो चुकी थी उनकी मरम्मत तथा नई जीपों की खरीद भी की गई.

10. प्रमुखों एवम् प्रधानों के भत्तों को 400 एवम् 300 रुपयों से बढाकर क्रमशः 600 एवम् 400 रुपये कर दिया गया.

11. 50 एकड़ से कम सिंचाई की क्षमता वाले अथवा सिंचाई करने वाले तालाब एवम् एनीकट्स की मरम्मत का कार्य एन. आर. ई. पी. (NREP) एवम् सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए.

12. ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक दृष्टि से मजबूत बनाने की दिशा में जैसलमेर जिले की प्रत्येक पंचायत के लिए एक ग्राम सेवक एवम् सचिव 4 हजार से अधिक आबादी वाले प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम सेवक एवम् सचिव तथा शेष ग्राम पंचायतों में प्रत्येक के लिए एक ग्राम सेवक तथा सचिव के पद सृजित किए गए.

जुलाई 1984 में (14-21) के बीच जयपुर में एक संगोष्ठी आयोजित की गई. राज्य स्तरीय संगोष्ठी में पंचायती राज के प्रतिनिधि अधिकारियों कर्मचारियों तथा लाभान्वित व्यक्तियों के पारस्परिक विचार विमर्श के पश्चात् निम्न तथ्य सामने आये हैं—

1. पंचायती राज चुनावों तथा इसके पश्चात् पंचायती राज नवजीवन से सम्बन्धित निर्णय को क्रियान्विति के फलस्वरुप पंचायती राज संस्थाओं में नव चेतना जागृत हुई है और विकास कार्यक्रमों के कुशलता पूर्वक क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है.

2. ग्राम स्तर पर जनता एवम् पंचायती राज प्रतिनिधि (पंच-सरपंच) विकास कार्यक्रम में अपनी भागीदारी महसूस कर रहे है.

3. स्वास्थ्य दर्शक योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है. इसे अधिक व्यापक रुप से संगठित कर क्रियान्वित किया जाना चाहिए.

4. अनुदान एवम् ऋण से चलाई जा रही ग्रामीण आवासान योजना से गरीबों के परिवारों मकान बनाने में मूल्यवान सहायता प्राप्त हुई है.

5. पंचायत समिति के माध्यम से हैण्ड पम्प की योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में स्वागत किया गया है.

ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज कार्यक्रम के सफल सम्पादन हेतु निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवम् राज्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है. पूर्व में इसके लिए दो प्रशिक्षण केन्द्र विभाग के अधीन कार्यरत थे लेकिन अब ग्रामीण विकास से सम्बद्ध पंचायत समिति स्तरीय तथा जिला स्तरीय जन प्रतिनिधियों तथा राज्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा की जाती है. इस कार्य के लिए राज्य सामुदायिक विकास एवम् पंचायती राज संस्थान उदयपुर का प्रशासनिक नियन्त्रण भी उन्हें सौप दिया गया है. पंचायत एवम् ग्राम स्तरीय जन प्रतिनिधियों तथा राज्यकर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सात भ्रमणशील प्रशिक्षण दलों द्वारा ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र मण्डोर (जोधपुर) के माध्यम से की जाती है. 1985-86 में 1659 न्याय उप समितियों के अध्यक्षों को भी प्रशिक्षित किया गया है.

पंचायती राज स्थापना को 2 अक्टूबर 1984 को 25 वर्ष पूरे हो चुके है. अतः वर्ष 1984 पंचायती राज का रजत जयन्ती वर्ष था और इस ऐतिहासिक अवसर पर 7 अक्टूबर 1984 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में रजत जयन्ती समारोह आयोजित किया गया. राज्य सरकार द्वारा रजत जयन्ती के अवसर पर निम्न घोषणाएं की—

1. उच्च प्राथमिक शिक्षा का कार्य जिला परिषदों को हस्तान्तरित कर दिया जाये.

2. प्रौढ़ शिक्षा का कार्य पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दिया जावे जो जिला परिषद की देखरेख में निष्पादित करेगी.

3. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के शेष कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु सांतवीं पंचवर्षीय योजना में 50 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 50 प्रतिशत पंचायत समिति या जिला परिषद वहन करेगी.

4. जिन जिला परिषदों पंचायत समितियों के कार्यालय राजकीय भवनों में चल रहे है उन्हें उसी दिन से हस्तान्तरित मान लिया जाय.

5. जो पंचायतें चूंगी के अलावा कोई नया कर लगाती है या कर की दर बढ़ाती है तो इस प्रकार के अतिरिक्त कर आय का 50 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जावे.

6. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 हजार से अधिक 50 हजार रुपये तक लागत के कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार जिला प्ररिषद को दिये जावे.

पंचायती राज के रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर राज्य सरकार ने पंचायती रांज और ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में प्रशिक्षण अभिनवीकरण एवम् शोध कार्य हेतु एक पंचायत राज संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया. इस निर्णय के फलस्वरुप संस्थान की नींव 7 अक्टूबर 1984 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा डाली गई तथा उन्हीं के नाम से इस संस्थान का नाम भी इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान रखा गया है. इसके अलावा पंचायती राज संस्थानों से सम्बन्धित व्यक्तियों के जयपुर में ठहरने आदि की व्यवस्था हेतु एक पंचायत भवन के निर्माण करवाने का भी निर्णय लिया जा कर उसकी नींव 22.10.84 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर द्वारा रखी गई. दोनों भवनों की लागत की 50 प्रतिशत राशि पंचायत समितियों द्वारा वहन की जायेगी.

ग्रामीण विकास एवम् पंचायत राज विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1984-85 में 1934.57 लाख रुपये व्यय किए गए थे जबकि प्रावधान 2411.62 लाख रुपयों का किया गया गया था. इसी प्रकार इसी वर्ष 1984-85 में ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग को विभिन्न हस्तान्तरित योजनाओं के अन्तर्गत वास्तविक व्यय 5428.26 लाख रुपये हुआ. इनके लिए प्रावधान 6410.10 लाख का किया गया था. □

स्वायत्त शासन : नगरपालिकाएँ

1949 में रिसायतों के विलय के बाद राज्य का एकीकरण हुआ. राजस्थान राज्य के निर्माण के पूर्व तत्कालीन देशी रियासतों एवम् रजवाड़ों द्वारा राज्य शासित होता था. लेकिन स्थानीय संस्थाएँ किसी न किसी रूप में प्राचीन भारत में भी विद्यमान थी. राजस्थान में भी नगरपालिका राज्य का प्रचलन बहुत पुराना है। वास्ताव में प्राचीन समय से ही किसी न किसी रूप में नगरपालिका संस्थाएँ राजस्थान की विभिन्न रियासतों एवम् रजवाड़ों में प्रचलन में थी. प्राचीन काल में राज्य राजनीति बहुत अंशों तक प्रजातांत्रिक थी और उस समय की मुख्य स्थानीय संस्थाएँ कस्बा समितियां (टाउन कमेटी) थी जो कि गोष्ठी और महाजन समिति के नाम से जानी जाती. इन समितियों को धार्मिक, आर्थिक और आय सम्बन्धी मामलों में बहुत अधिकार प्राप्त थे.

महाजन समितियां सिर्फ प्रशासनिक कार्यों को ही नहीं देखती थी बल्कि उनके कार्य में नए करों को लगाना तथा सहायता देना भी था. इन समितियों को तो इतने अधिकार थे कि राजा महाराज भी कई करों की वसूली इनकी सहमति से ही कर सकते थे. इन समितियों का प्रतिनिधित्व गौरव माना जाता था.

इन समितियों ने अपने संगठनात्मक दृष्टिकोण में सुधार लाने की दृष्टि से मुगलकाल में पंचकुल (पांच सदस्यों का परिवार) का रुप लिया. इनका चुनाव प्रजातांत्रिक तरीके से विभिन्न सवर्ण जातियों में ही होता था. इसकी कार्य पद्धति वर्तमान नगरपालिका व्यवस्था के समान ही थी. पाली मारवाड़ के निकट ढालोप गांव के इतिहास में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है जिसमें पूरे गांव को 8 वार्डो में विभक्त किया गया था. इनका आदेश पूरे गांव में आदर के साथ माना जाता था. महाजन समितियां (जिनके सदस्यों की संख्या 16 होती थी) सामान्यतया तभी मिलती थी जब नए कर लगाने होते थे. अन्यथा पंचकुल ही सामान्य कार्य करते थे. पंचकुल के अतिरिक्त नागरिक सुरक्षा कार्यों की पूर्ति के लिए नगर-रक्षक या कोतवाल पर थी. मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजाओं एवम् रियासतों की स्थिति भी दयनीय हो गई थी और स्थानीय संस्थाएँ जो पहले थोड़ी बहुत अस्तित्व में थी वह समाप्त हो गई.

ब्रिटिश भारत में राजस्थान में नागरिक संस्थाओं की स्थापना का कार्य पृथक-पृथक राज्यों में राजाओं के जिम्मे था. अतः कोई भी एक जैसी स्थिति नहीं बताई जा सकती है. 19वीं शताब्दी के मध्य तक राजस्थान में कोई भी नगरपालिका नहीं थी. राज्यों में बढती हुई गन्दगी को देखते हुए राज्यों के राजनैतिक प्रतिनिधियों ने कम से कम राजधानियों में नगरपालिकाओं के स्थापना का सुझाव दिया.

राजस्थान में सबसे पहले 1864 में आबू में नगरपालिका बनी जिसमें सिविल सर्जन एवम् अन्य पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त यह कार्य भी देखना पड़ता था. इसके बाद जिन नगरपालिकाओं का निर्माण हुआ उनमें अजमेर (1866) एवम् ब्यावर (1867) का स्थान आता है. 1869 में जयपुर में नगरपालिका बनी. 1872 तथा 1877 में क्रमशः अलवर और झालरापाटन में नगरपालिकाओं की स्थापना की गई.

18 मई, 1882 में भारत सरकार ने लार्ड रिपन का स्थानीय स्वयं शासन प्रस्ताव स्वीकार किया एवम् म्युनिसीपल सुधारों को लागू किया. नगरपालिकाओं का विकास अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग था फिर भी इनमें दो बातें मुख्य रूप से एक जैसी थी (i) शक्ति राज्य के पास निहित थी एवम् (ii) ये सभी संस्थाएँ नामजद थी. इनको जो कार्य सौंपे गए थे उनमें शहर की सफाई एवम् रोशनी व्यवस्था प्रमुख थी. नामजद सदस्यों की सदस्यता राज्य की खुशी पर निर्भर रहती थी.

मोन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन तथा भारत सरकार 1918 प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं को अधिक शक्तियां

देने तथा अच्छी वित्तीय मदद देने की सिफारिश की. इसके अतिरिक्त भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन अब राज्यों का विषय बन गया. कई नगरपालिका अधिनियम बनाए गए तथा नगरपालिका संगठन को वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने के प्रयास किए गए. इन सब प्रयासों के फलस्वरूप कई नई नगरपालिकाएँ 1920 से 1947 के बीच में बनी. अतः इस काल को नगरीय स्थानीय सरकार के काल में द्रुत गति से विकास का काल कहा जाता है.

1925 में बीकानेर में पहली बार कुछ सदस्य चुनाव द्वारा लिए गए. फिर भी बहुमत नामजद सदस्यों का ही रहा. चुनिन्दा सदस्यों की संख्या बढ़ाने के उपरान्त भी इन बोर्डों के अध्यक्ष की नामजदगी ही हुआ करती थी. इस प्रकार की नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित थे ये स्वायत्त शासन का दिखावा मात्र था. नगरपालिकाओं के लिए इस प्रकार के चुनाव जातियों के आधार पर कहीं-कहीं किए गए जिसमें केवल प्रमुख जातियाँ ही भाग ले सकती थी. नगर की प्रमुख जातियों के लिए सदस्य संख्या निर्धारित कर दी जाती थी और उन्हीं जाति विशेष के उम्मीदवार उसके लिए चुनाव लड़ सकते थे. परन्तु शनैः शनैः यह परिपाटी समाप्त हो गई और चुनाव सीमित आधार पर किये जाने लगे. इस प्रकार नगरपालिकाओं में चुनिन्दा प्रतिनिधियों का जाना स्वायत्त शासन की ओर प्रथम कदम था. जातिवार मतदान से साधारण सीमित आधार पर चुनाव इस ओर दूसरा कदम था. इन सबका श्रेय प्रजा मण्डल तथा मारवाड़ लोक परिषद को जाता है.

चुनिन्दा प्रतिनिधियों के बहुमत तथा नामजद सभापति के स्थान पर चुनाव द्वारा सभापति होने से इन प्रतिनिधियों ने अधिक से अधिक नागरिक सुविधायें प्राप्त करनी चाही. राज्य सरकारें अधिकारों को सीमित रखना चाहती थी इसलिए समय समय पर गतिरोध उत्पन्न हो जाया करता था और प्रशासन, बोर्ड भंग कर देता था. नगरपालिकाओं की उस समय सारी अर्थ व्यवस्था सरकारी सहायता पर ही आधारित थी और नगरपालिकाओं की स्वयं की आमदनी नगण्य ही थी. इन गतिरोधों के फलस्वरूप आवश्यक नागरिक अधिकारों के प्रति चेतना को बल ही मिला. इन सब स्थितियों का सामना राजस्थान के कुछ बड़े शहरों जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर आदि को ही करना पड़ा. अन्य स्थानों पर ऐसा करना सम्भव नहीं था.

द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक शहरों का विकास भी काफी हो गया था और उनकी सुव्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक हो गया था. देशी रजवाड़ों में प्रजा मंडल तथा मारवाड़ लोक परिषद के तत्वावधान में आंदोलन और इसके उपरान्त सम्पूर्ण भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरीपुर अधिवेशन (1938) के (अपने कार्यकर्ताओं को रजवाड़ों की राजनीति में हस्तक्षेप करने देने की छूट के बाद) फलस्वरूप नागरिक अधिकारों के प्रति सजगता बढ़ गई. इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप नगरपालिकाओं की संख्या तो बढ़ गई लेकिन प्रजातंत्रीय चुनिन्दा संस्थाएँ स्थापित नहीं हो सकी. गवर्नर जनरल के राजनैतिक प्रतिनिधि ने इस संदर्भ में लिखा था कि नगरपालिकाएँ भी अन्य राज्य विभागों की तरह ही कार्य कर रहीं थी जिनके स्वयं के कोई भी आय के स्रोत नहीं हैं. अतः स्वतंत्रता के पूर्व रजवाड़ों में नगरपालिका अधिनियम लागू हो गए थे फिर भी इनका संगठन अव्यवस्थित ही रहा.

स्वतंत्रता प्राप्ति से नगरपालिका सरकार की एक नयी शताब्दी प्रारम्भ होती है. राजस्थान का निर्माण 22 तत्कालीन रजवाड़ों के विलय से हुआ. इन रजवाड़ों के अपने स्वयं के नगरपालिका अधिनियम एवम् संगठन थे. अतः इनमें आपस में सामंजस्य नहीं था. राजनैतिक स्वतंत्रता तथा समन्वय से सबसे बड़ी आवश्यकता इन सब नगरपालिकाओं, संगठनों तथा अधिनियमों में एक-रूपता लाने की थी. इसलिए 1949 में राजस्थान में उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 को एक अध्यादेश द्वारा लागू किया गया. 1951 में राजस्थान नगरपालिका एक्ट चलन में आया. इसका कार्यक्षेत्र राज्य की सभी नगरपालिकाएँ थीं.

राजस्थान राज्य के निर्माण से पूर्व तत्कालीन देशी रियासतों, राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में नगरपालिकाओं

के नियंत्रण व पर्यवेक्षण हेतु राज्य स्तर पर पृथक-पृथक विभाग थे, जो इन स्वायत्तशासी इकाईयों का तत्समय प्रभावशील नगरपालिकाओं के अधिनियमों के अन्तर्गत नियंत्रण एवम् पर्यवेक्षण करते थे. वर्ष 1949 में राजस्थान राज्य के निर्माण के बाद सर्वप्रथम वर्ष 1950 में जिला बोर्डों व नगरपालिकाओं के नियंत्रण एवम् पर्यवेक्षण हेतु राज्य स्तर पर सचिवालय में स्वायत्त शासन विभाग के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के रूप में भी मुख्य निरीक्षक जिला बोर्ड व नगरपालिकायें, राजस्थान के नाम से एक एकीकृत विभाग की स्थापना की गई. एक ही वर्ष बाद 1951 में इस विभाग का नाम बदलकर निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग कर दिया.

एकीकरण के बावजूद नगरपालिका कानून विविध थे क्योंकि इनके अंतर्गत शहरी नगरपालिकाएँ नहीं आती थीं. शहरी नगरपालिकाएँ एक अलग ही एक्ट से शासित हो रही थी. इस प्रकार 1950 के प्रारम्भ मे एक नगर निगम उदयपुर में, 4 शहरी नगरपालिकाएँ अलवर, जयपुर, जोधपुर एवम् बीकानेर में तथा 135 नगर-पालिका बोर्ड थे.

1954 में दूसरा राजस्थान नगरपालिका बिल पेश किया गया और पारित किया गया लेकिन राष्ट्रपति से स्वीकृत मिलने से पूर्व ही राजस्थान का आखिरी एकीकरण हो गया. फलस्वरूप 1957 में एक अन्य राजस्थान म्युनिसीपल बिल पेश किया गया जो कि 17 अक्टूबर 1959 को राजस्थान म्युनिसीपल एक्ट के रूप में आया. इसके अंतर्गत पहले के सभी एक्ट सम्मिलित हो जाते हैं.

राजस्थान निर्माण के समय नगरपालिकाओं की संख्या 107 हो गयी थी. 1950 में 144 नगरपालिकाएँ थीं. 1958 में इनकी संख्या बढ़कर 158 हो गयी थी. 1959 में "लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण" योजना के अंतर्गत 21 नगरपालिकाओं को उन द्वारा दिये गए विकल्प के अनुसार ग्राम पंचायतों में परिवर्तित कर दिये जाने के कारण नगरपालिकाओं की संख्या घटकर मात्र 137 रह गई तथा जिला बोर्ड समाप्त हो गए. 1970 में इनकी संख्या 145 तथा 1971 में 142 हो गई. राजस्थान की नगरपालिकाओं का पुनः वर्गीकरण 1973 में किया गया था. उस समय इनकी संख्या 147 थी. गत वर्षों में कुछ नगरपालिकाओं की जनसंख्या एवम् आय में भारी परिवर्तन होने से 22-12-1977 को पुनः वर्गीकरण किया गया. 1977 में इनकी संख्या 187 थी तालिका संख्या 1 में श्रेणी के अनुसार नगरपालिकाओं की संख्या तथा उनमें हुए परिवर्तन को दिखाया है. 1980 में नगरपालि-

तालिका संख्या 1

राजस्थान में श्रेणी अनुसार नगरपालिकाएँ

श्रेणी	वर्ष								
	1961	1965	1970	1973	1977	1978	1980	1982	मार्च 1983
I	10	10	10	10	14	15	15	15	15
II	15	15	15	15	32	31	31	31	31
III	22	22	22	22	60	60	60	60	60
IV	42	42	42	42	81	84	86	85	86
V	52	50	50	50	—	—			
VI	—	3	6	8	—	—	—	1*	1*
	141	142	145	147	187	190	192	192	193

*नोटिफाइड एरिया

काम्रों की संख्या तो 192 थी और 1985-86 में नगरपालिकाओं की संख्या तो 192 ही है लेकिन, नोटीफाईड क्षेत्र के सम्मिलित हो जाने से इनकी संख्या 193 हो जाती है. 1981 की जनगणना के अनुसार नगरों की संख्या 201 है अतः राज्य सरकार अन्य कस्बों को भी नगरपालिका क्षेत्र में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है। इस अध्याय के परिशिष्ट में नगरपालिकाओं की सूची. उनकी श्रेणी एवम् स्थापना वर्ष बताया गया है। नगरपालिका क्षेत्रों को सीमित करने तथा श्रेणी निर्धारित के लिए अभी हाल ही में एक समिति की स्थापना की गई है जो बड़ी नगरपालिकाओं के क्षेत्रों को सीमित करने तथा श्रेणी पर विचार करेगी. समिति की सिफारिशों का इंतजार है. तालिका संख्या-1 राजस्थान में श्रेणी अनुसार नगरपालिकाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है.

वर्गीकरण की प्रणाली—नगरपालिकाओं का वर्गीकरण अन्तिम रूप से दिनांक 20-12-77 को किया गया था. वर्गीकरण का निम्न आधार है—

1. शहरी नगरपालिकाएं—50 हजार अथवा ऊपर वाले शहर, शहरी नगरपालिकाओं में वर्गीकृत हैं.
2. द्वितीय श्रेणी की नगरपालिकाएं—(i) सम्पूर्ण जिला मुख्यालयों की नगरपालिकाएं, नगरपरिषदों को छोड़ कर. (ii) 25000 से ऊपर की जनसंख्या वाली समस्त नगरपालिकाएँ. (iii) नगरपालिकाएँ जिनकी जनसंख्या 15 हजार से 25 हजार के बीच में हो एवम् जिनकी प्रति व्यक्ति आय 15 रु. हो.
3. तृतीय श्रेणी की नगरपालिकाएं—(i) वे नगरपालिकाएँ जिनकी जनसंख्या 15 हजार से 25 हजार के बीच में है, जो ऊपर शामिल नहीं है. (ii) ऐसी नगरपालिकाएँ जिनकी जनसंख्या 15 हजार से कम हो परन्तु प्रति व्यक्ति आय 20 रु. से ऊपर हो.
4. चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिकाएं—शेष सम्पूर्ण नगरपालिकाएँ जिनकी जनसंख्या 15'000 से नीचे हो व ऊपर शामिल नहीं हो.

राजस्थान में वर्तमान में 15 नगर परिषदें या श्रेणी I की नगरपालिकाएँ हैं. द्वितीय श्रेणी की 31, तृतीय श्रेणी की 60 तथा चतुर्थ श्रेणी को 87 हैं जिसमें एक नोटीफाइड ऐरिया भी शामिल है.

1982 में 193 नगरपालिकाओं में से एक नगर परिषद् एवम् 142 नगरपालिकाओं के चुनाव कराये गए. जैसा कि बताया गया था कुछ छोटी नगरपालिकाएँ विशेष रुप से जैसलमेर, पुष्कर तथा नाथ द्वारा को नोटिफाइड एरिया घोषित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है. निर्णय अभी भी लम्बित है. अब सभी नगरपालिकाएँ के दुबारा चुनाव का समय हो गया है और अधिकांश नगरपालिकाएँ का बोर्ड भंग कर दिया गया है. इन सबमें प्रशासक नियुक्त हैं या अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रशासक का कार्य भी देख रहे है. यह वास्तव में स्वायत्त शासन के विचार के विरुद्ध है. कुछ नगरपरिषदों को नगर निगम में परिवर्तित किया जाना है. अतः इनके चुनाव अभी करवाए जाने में विलम्ब हो सकता है. कुछ नगरपालिकाओं के सीमा सम्बन्धी विवाद न्यायालय में विचाराधीन है. अतः इनके चुनाव भी अभी नहीं करवाए जा सकते है. लेकिन जिन नगरपालिकाओं में इस प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है या प्रश्न नहीं है राज्य सरकार को चाहे कि उनके यथाशीघ्र चुनाव कर स्वायत्त शासन के विचार को मूर्त रूप प्रदान करें.

नगरपालिका क्षेत्र में नगर की सफाई, पानी तथा बिजली का सार्वजनिक उपयोगों के लिए वितरण अर्थात् रोड लाइट्स का प्रबंध, सार्वजनिक स्थानों की सफाई मरम्मत एवम् सुधार, सड़कों का निर्माण एवम् सुधार, अग्नि शमन, बाजारों की सफाई, पुराने या खतरनाक मकानों को हटवाने की व्यवस्था करना, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए अभियान चलाना, क्षेत्र में स्थित भवनों के निर्माण, परिवर्तन एवम् परिवर्द्धन आदि की अनुमति देना तथा इसके लिए निर्धारित शुल्क की वसूली करना, सड़कों पर पेड़ लगाना, पेड़ काटने पर नियंत्रण, जंगली जानवरों से रक्षा करना, मृत जानवरों को हटाना, सार्वजनिक स्थानों, मनोरंजन, खेलकूद, पार्क, वाचनालय, पुस्तकालय, आदि का निर्माण एवम् रख रखाव, जन्म, मृत्यु के आंकड़े एकत्र करना तथा ऐसे ही सामान्य सार्व-

जनिक कार्य जो नागरिक हित में हो, उन्हें नियंत्रित करना है.

नगरपालिकाओं को जो कार्य सौंपे गए हैं उन्हें पूरा करने लिए वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है. अधिकांश नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही अतः उनको राजकीय सहायता पर ही निर्भर रहना पड़ा नगरपालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से यह प्रथम प्रयास किया गया कि नगरपालिकाओं को मनोरंजन कर, गृह कर एवम् चुंगी कर आदि वसूल कर अपने उपयोग में लेने की इजाजत दे दी जिससे कि वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके. इनके अतिरिक्त सहायता एवम् ऋण भी राज्य सरकार समय-समय पर देती रही है. वर्तमान में मनोरंजन कर को राज्य सरकार ने अपने अधीन कर लिया है और नगरपालिकाओं को 3 वर्षों का औसत दिया जाता है. इससे दो तरह से नगरपालिकाओं को हानि हुई है (i) यह स्थैतिक कर ही गया है और (ii) अन्य नगरपालिकाएँ जो बाद में अस्तित्व में आई हैं इस आय से वंचित रह गई है. अतः समय-समय पर इनमें सुधार की आवश्यकता है जिससे नगरपालिकाओं की आय बढे.

नगरपालिकाओं के सम्मुख उस समय एक बार फिर गतिरोध उत्पन्न हो गया जबकि राज्य सरकार नगरपालिकाओं को और अधिक सहायता न देकर अधिक धन पंचवर्षीय योजना के उत्पादन क्षेत्र में लगाना चाहती थी. इस बीच नगरपालिकाओं की आवश्यकताएँ और भी बढ गई थी. राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं को चुंगी कर द्वारा अपनी आय बढ़ाने की सलाह दी. परन्तु नगरपालिका के सदस्यों तथा नागरिकों ने इसका विरोध किया. जयपुर, जोधपुर आदि में तो इसके विरोध में तो प्रदर्शन व हड़तालें भी हुई. राज्य सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किए तथा नगरपालिकाओं को आवश्यक कर अति शीघ्र लगाने की सलाह दी और कहा कि यदि इन करों को नहीं लगाया जायगा तो अनुदान बन्द कर दिए जायेंगे. नगरपालिकाओं को स्वावलम्बी बनाये बिना काम नहीं चल सकता था. जहां-जहां नगरपालिकाएँ इन करों को न लगा सकी वहां निर्वाचित बोर्ड भंग कर दिए गए तथा प्रशासक नियुक्त किए गए. इन प्रशासकों की देख-रेख में नगरपालिकाओं ने धीरे-धीरे चुंगी कर व अन्य कर लगाए लेकिन इन सबके बावजूद भी नगरपालिकाओं की आय के साधनों में चुंगी कर ही महत्व पूर्ण है. चुंकी कर का हिस्सा कुल आय में बहुत ज्यादा हैं और करों से प्राप्त आय में 90 प्रतिशत के लगभग है. चुंगी कर में चोरी की सम्भावना तथा समय की बरबादी बहुत होती है अतः जनता सरकार ने 1977 में चुंगी कर समाप्ति तथा इसके बदले नए कर के प्रस्ताव को स्वीकार करने के उद्देश्य से एक समिति नियुक्त की. इस समिति के अध्यक्ष श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री थे. समिति की राय थी कि यदि चुंगी कर समाप्त ही करना है तो इसके बदले वैकल्पिक आय का स्रोत नगरपालिकाओं को देना होगा, नहीं तो नगरपालिकाएँ पंगु बन जायगी. इस सम्बन्ध में टर्न ओवर टेक्स तथा एन्ट्री टेक्स का सुझाव दिया गया. लेकिन समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जा सका.

नगरपालिकाओं की करों से आय के स्रोतों में दूसरा स्थान गृह कर का आता है. लेकिन अभी तक मजबूत राजनैतिक इच्छा के अभाव में यह सिर्फ नाम मात्र का कर है. तालिका संख्या 2 में नगरपालिकाओं की आय का विवरण दिया गया है.

नगरपालिकाओं की आय में यदि पिछले कुछ सालों को देखते हैं तो स्थिति इस प्रकार रहती है. 1977-78 में नगरपालिकाओं की कुल आय 2535.89 लाख रु. हुई, जिसमें से 61-48 प्रतिशत करों से आय प्राप्त हुई. करों से कुल आय में चुंगी कर से 94.15 प्रतिशत आय हुई जो कि कुल आय का 57.89 प्रतिशत रही. इस प्रकार 1976-77 के मुकाबले 1977-78 में चुंगीकर से प्राप्त आय में 3.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

राज्य सरकार द्वारा कुल आय का 13.04 प्रतिशत अनुदान के रूप में मिला जिसमें सड़कों व नालियों का निर्माण शामिल है. अन्य स्रोतों से 24.19 प्रतिशत

तालिका संख्या 2

नगरपालिकाओं की आय के स्रोत

(लाख रु. में)

वर्ष	गृह कर	चुंगी कर	अन्य	कुल आय (आवर्तक तथा अनावर्तक)
1977-78	65.33	1467.91	1002.66	2535.90
1978-79	80.73	1648.36	1008.84	2737.93
1979-80	73.89	1776.95	1183.42	3034.36
1980-81	104.59	1842.48	1167 85	3114.62
1981-82	116.47	2259.88	1812.57	4188.92
1982-83	119.45	2773.87	1926.65	4700.52*
1985-86 (Dec. 1985 तक)	128.36	3822.22	2932.32	6882.90

*165 नगरपालिकाओं की आय का विवरण.

एवम् 14.33 प्रतिशत अचल सम्पत्ति की विक्री व अन्य प्राप्तियों से प्राप्त हुई.

1979-80 में नगरपालिकाओं की कुल आय 3034.26 लाख रु. हुई. जिसमें से 61 प्रतिशत करों से आय प्राप्त हुई. कुल आय में चूंगी कर का हिस्सा 59.56 है तथा भूमि एवम् भवन कर का प्रतिशत 2.44 है. आय के अन्य साधनों में जिसमें अनुदान तथा ऋण एवम् भूमि की विक्री से प्राप्त आय भी शामिल है, मिलाकर 39 प्रतिशत होते हैं.

1985-86 से सम्बन्धित आंकड़े दिसम्बर तक के ही है. अतः उस समय तक नगरपालिकाओं की कुल आय 6882-90 लाख रुपये में चुंगीकर का हिस्सा 3822.22 लाख रुपये है जो कि लगभग 55 आता है. अतः यह उसी प्रकार की स्थिति को बताता है जैसी कि पहले के वर्षों में दिखाई देती है. याने आय के सभी स्रोतों में चूंगी कर का हिस्सा महत्वपूर्ण है. सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद भी भूमि एवम् भवन कर अभी भी स्थायी रुप से आय का हिस्सा नहीं बन सका है. अब अधिकांश स्थानों पर प्रशासक नियुक्त है जो सरकारी इच्छाओं का कड़ाई से पालन कर सकते है. देखना यह है कि वे भी सरकारी भावनाओं की कद्र करते है या नहीं. और कुल आय में भूमि एवम् भवन कर का हिस्सा बढ़ाते हैं या नहीं. आशा यह की जाती है कि आने वाले समय

तालिका संख्या 3

नगरपालिकाओं का कुल व्यय

विकास एवम् गैर विकास कार्यों पर

वर्ष	कुल व्यय (लाख रुपयों में)
1977-78	2355.85
78-79	2664.39
79-80	3002.39
80-81	3137.57
81-82	3996.22
82-83	4126.35
85-86 (दिसम्बर 1985 तक)	6235.46*

*165 नगरपालिकाओं का व्यय का विवरण

में यह स्थायी आय का स्रोत बन जायगा एवम् नगर-पालिकाओं की चूंगी पर निर्भरता कम हो जायगी.

नगरपालिकाओं की व्यय की महत्वपूर्ण मदे. सामान्य प्रशासन, करों की वसूली, स्वच्छता व सफाई, विकास कार्य, रोशनी व अन्य है. तालिका संख्या 3 में इनका विवरण दिया गया है.

वर्ष 1977-78 में नगरपालिकाओं का कुल व्यय 2355.85 लाख रु. था. इसमें से 32.16 प्रतिशत सफाई. 6.02 प्रतिशत रोशनी व जल पूर्ति पर, 19.41 प्रतिशत विकास कार्यों पर याने सड़क निर्माण, उद्यान आदि का निर्माण एवम् रख रखाव आदि, 9.90 प्र.श. सामान्य प्रशासन तथा 14.81 प्रतिशत करों की वसूली पर व्यय हुआ. इसी प्रकार 1979-80 को देखें तो पता चला है कि सामान्य प्रशासन पर 10.24 प्रतिशत, करों की वसूली पर 10.82 प्रतिशत, सफाई पर 32.55 प्रतिशत, रोशनी पर 5.75, विकास कार्यों पर 20.26 तथा अन्य कार्यों पर 21.38 प्रतिशत व्यय हुआ.

1985-86 के आंकड़े दिसम्बर 1985 तक के हैं. उस समय का कुल व्यय 6235.46 लाख रुपये था. यह आंकड़े 165 नगरपालिकाओं से सम्बन्धित है. इसमें से 33.46 प्रतिशत सफाई, 6.42 प्रतिशत रोशनी व जल पूर्ति पर, 21.46 प्रतिशत विकास कार्यों पर याने सडक निर्माण, उद्यान आदि का निर्माण एवम् रख रखाव आदि. 12.32 प्रतिशत सामान्य प्रशासन तथा 16.23 प्रतिशत करों की वसूली पर व्यय हुआ.

इन सालों के खर्चों को देखते हुए कह सकते हैं कि नगरपालिकाओ को सामान्य प्रशासन एवम् कर वसूली पर खर्च में कमी करनी चाहिए तथा नागरिक सेवाओं और सुविधाओं वाले कार्यों में बढ़ोतरी करनी चाहिए.

नगरपालिका द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिए विभिन्न स्तर पर विभिन्न अधिकारी जिम्मेवार हैं. नगर-पालिका द्वारा किए कार्यों एवम् अनुचित रूप से वसूल किये गये करों अथवा नगरपालिका के दायित्व के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में अनियमितता आदि के लिए नगरपालिका के राजस्व अधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है. नगरपालिका में कर्मचारियों की नियुक्ति नगरपालिका अध्यक्ष अथवा उसकी सलाह पर राज्य के स्वायत्त विभाग द्वारा होती है. लेकिन स्थायी होने के लिए राजस्थान म्युनीसिपल सर्विसेज से साक्षात्कार अथवा अन्य प्रक्रिया जो भी समय-समय पर है, से गुजरना अनिवार्य है. नगरपालिका में नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए परिषद् की जाती है जिसे नगरपालिका/नगर परिषद में प्रस्तुत होने वाले निर्णयकारी मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है.

राजस्थान राज्य के निर्माण से पूर्व नगरपालिका सेवाओं में विभिन्न राज्यों के नगरपालिका अधिकारी सम्मिलित थे तथा विभिन्न सेवा नियमों से शासित होते थे. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959, दिनांक 17-10-59 से प्रभावशील हुआ. इस अधिनियम की धारा 302 में सम्पूर्ण नगरपालिकाओ के लिए एक एकीकृत सेवा के गठन का प्रावधान रखा गया है एवम् धारा 303,3,5 एवम् 306 में अधिकारियों की एकीकरण की प्रक्रिया निश्चित की गई है, जिसके लिए नियम भी बनाये हुए हैं. अधिनियम के उक्त प्रावधानों व नियमों के अन्तर्गत दिनांक 1-4-60 से इन अधिकारियों का एकीकरण किया जाकर राजस्थान नगरपालिका सेवा का गठन किया जा चुका है. एकीकरण की यह प्रक्रिया वर्ष 1969 में पूरी हुई थी. वर्ष 1966 के पश्चात् इस सेवा के अधिकारियों को समय-समय पह तदर्थ पदोन्नतियां दी जाती रही हैं.

राज्य की नगरपालिकाओं के जिए विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 1955 में राजस्थान लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्स्टीट्यूट बीकानेर में स्थापित किया गया था. यह स्वायत्त शासन में डिप्लोमा तथा 1960 से सेनेट्री इन्सपेक्टर्स का प्रशिक्षण देता था. वर्तमान में राजस्थान स्वायत्त शासन संस्थान जयपुर में कार्यरत हैं जो कि इन कोर्सों के अतिरिक्त समय पर विभिन्न सेमिनार तथा अधिकारियों के लिये रिफ्रेशर कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है. राजस्थान में इस संस्थान

का महत्व एवम् कार्य उल्लेखनीय हैं. प्रतिवर्ष परीक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर आजीविका प्राप्त करते है एवम् नगर-पालिकाओं की मेवा करते हैं.

परिशिष्ट—1

जिला (1)	नगरपालिका (2)	श्रेणी (3)	स्थापना (4)
1. अजमेर	अजमेर	I	1866
	ब्यावर	I	1867
	किशनगढ़	II	1892
	केकड़ी	III	1879
	पुष्कर	"	1950
	सरवाड़	"	1911
	विजयनगर	"	1974
2. अलवर	अलवर	I	1934
	खेरली	III	1944
	राजगढ़	"	1934
	खैरथल	"	1969
	तिजारा	IV	1972
	वहरोड़	"	NA
3. बाड़मेर	बाड़मेर	II	1932
	वालोतरा	"	1924
	सिवाना	IV	1975
4. बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	II	1904
	कुशलगढ़	III	1938
5. बीकानेर	बीकानेर	I	1925
	देशनोक	IV	1957
	नोखा	"	1943
6. भीलवाड़ा	भीलवाड़	I	1938
	शाहपुरा	III	1938
	गंगापुर	IV	1957
	जहाजपुर	"	1970
	मांडल	"	1974
	आसीन्द	"	1976
	मांडलगढ़	"	1982
	गुलाबपुरा	"	NA
7. भरतपुर	भरतपुर	I	1901
	बयाना	III	1907
	डीग	"	1904
	कामा	"	1907
	नदवई	"	1936
	वैर	IV	1907
	कुम्हेर	"	1974
	भूसावर	"	1975
	नगर	"	1975
8. बून्दी	बून्दी	II	1928
	लाखेरी	III	1937
	केशवरायपाटन	"	1934
	नेनवा	IV	1033
	कापेन	"	NA
9. चित्तौड़गढ़	चित्तौडगढ़	II	1934
	प्रतापगढ़	"	1901
	निम्बाहेड़ा	III	1906
	छोटी सादड़ी	IV	1952
	बड़ीसादड़ी	"	1958
	कपासन	"	1945
10. चूरू	चूरू	I	1923
	रतनगढ़	II	1917
	सुजानगढ़	"	1911
	सरदारशहर	"	1896
	डूंगरगढ़	III	1917
	राजगढ़	"	1927
	छापर	IV	1938
	बीदासर	"	1946
	तारानगर	"	1917
	रतननगर	"	1970
	राजलदेसर	"	1922
11. धौलपुर	धौलपुर	II	1904
	बाड़ी	III	1910
	राजाखेड़ा	IV	1958

1	2	3	4
12. डूंगरपुर	डूंगरपुर	II	1901
	सागवाड़ा	IV	1901
13. श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	I	1930
	हनुमानगढ़	II	1917
	रायसिंहनगर	"	1930
	गजसिंहपुर	III	1942
	नोहर	"	1917
	नांगरिया	"	1917
	श्री करनपुर	"	1931
	अनूपगढ़	"	1942
	भादरा	"	1911
	सादुलशहर	"	1970
	सूरतगढ़	"	1917
	पदमपुर	"	1973
	केसरीसिंहपुर	"	1973
	श्री विजयनगर	"	1973
	पीलीबंगा	"	1974
	रावतसर	IV	1967
14 जयपुर	जयपुर	I	1869
	जोमू	III	1944
	सांभर	"	1925
	दौसा	"	1945
	आमेर	"	1945
	बांदीकुई	"	1952
	चाकसू	"	1954
	कोटपुतली	IV	1892
	फुलेरा	"	1947
	जोबनेर	"	1948
	सांगानेर	"	1974
	नरायना	"	1974
	लालसोट	"	1976
	शाहपुरा	"	1978
	मनोहरपुर	"	1978
	विराटनगर	"	1978
	वसवा	"	1978
	वस्सी	"	1978
	बगरु	"	NA
	रेनवाल	"	NA
15. जैसलमेर	जैसलमेर	II	1941
	पोकरण	IV	1634
16. जालोर	जालोर	II	1932
	भीनमाल	III	1920
	सांचोर	IV	1975
	आहोर	"	1976
17. झालावाड	झालावाड़ा	II	1883
	भवानीमंडी	III	1960
	झालरापाटन	"	1892
	सुनेल	"	1918
	पीडावा	IV	1974
	अकलेरा	"	1978
19. झुंझुनु	झुंझुनूं	II	1931
	नवलगढ़	"	1945
	चीड़ावा	III	1925
	बिसाऊ	IV	1960
	बगड़	"	1945
	खेतडी	"	1925
	मंडावा	"	1945
	मुकन्दगढ़	"	1949
	पिलानी	"	1944
	सूरजगढ़	"	1944
	उदयपुरवाटी	"	1954
	विद्याविहार	"	1959
19. जोधपुर	जोधपुर	I	1884
	फलोदी	III	1915
	पीपाड़	"	1961
	बिलाड़ा	"	1914
20. कोटा	कोटा	I	1884
	बारां	II	1916

1	2	3	4
	रामगंजमंडी	III	1934
	छबड़ा	IV	1907
	इन्द्रगढ़	,,	1926
	मांगरोल	,,	1974
	सागोद	"	1675
	छीपाबड़ोद	IV	1976
	अन्ता	,,	1978
	कैथून	,,	1978
21. नागौर	नागौर	II	1917
	लाडनूं	,,	1933
	मेड़ता सिटी	,,	1946
	डीडवाना	III	1920
	कुचामन सिटी	,,	1955
	मकराना	,,	1954
	परवतसर	,,	1955
	नावाँ	IV	1946
	कुचेरा	,,	1976
	मून्डवा	,,	1977
22. पाली	पाली	I	1908
	सोजत	III	1951
	सादड़ी	IV	1961
	बाली	,,	1940
	तखतगढ़	,,	1975
	सुमेरपुर	,,	1975
	निमाज	,,	1975
	जैतारण	,,	1975
	रायपुर	,,	1979
	मारवाड़ जंक्शन	,,	1982
23. सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	II	1945
	हिण्डोन	,,	1933
	करोली	,,	1884
	गंगापुर सीटी	,,	1944
	टोडाभीम	IV	1945
24. सीकर	सीकर	I	1944
	फतेहपुर	II	1944
	लक्षमणगढ़	III	1944
	रामगढ़	,,	1944
	श्री माधोपुर	,,	1944
	नीम का थाना	IV	1945
	खण्डेला	,,	1946
	रींगस	,,	1974
	लोसल	,,	1974
25. सिरोही	सिरोही	II	1921
	माउण्ट आबू	,,	1864
	आबू रोड़	,,	1923
	शिवगंज	IV	1953
	पिण्डवाड़ा	"	1941
26. टोंक	टोंक	I	1885
	निवाई	III	1944
	मालपुरा	IV	1944
	देवली	III	1933
	टोडा रायसिंह	IV	1961
	उनियारा	,,	1944
27. उदयपुर	उदयपुर	I	1945
	नाथद्वारा	III	1951
	राजसमन्द	,,	1946
	आमेट	,,	1973
	फतेहनगर	,,	1971
	भींण्डर	IV	1960
	देवगढ़	,,	1952
	कानोड़	,,	1975
	सलूम्बर	,,	1955

राजस्थान राज्य यद्यपि खनिजों में धनी है लेकिन अविकसित संसाधन राज्य की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रुप को परिवर्तित करने मे असमर्थ रहे हैं. अभी भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही है. राजस्थान को यदि कृषि प्रधान प्रात कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. यहां की कुल जनसख्या का 70 प्र.श. से अधिक कृषि पर आश्रित हैं. जबकि ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 82 प्रतिशत है. राज्य की कुल आय का 39 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है. यदि कृषि से संबंधित क्षेत्रों को इसके साथ मिला दें तो यह राज्य की सम्पूर्ण आय का 52 प्रतिशत हो जाता है. कृषि न केवल ग्रामीण जनसंख्या के व्यवसाय एवम् आय का आधार है बल्कि औद्योगिक कच्चे माल का स्रोत और राज्य की अर्थव्यवस्था की आधारशिला भी है.

राजस्थान देश के उन राज्यों में से एक है जो अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न उपजाता है. खाद्यान्नों में वार्षिक वृद्धि की दर राजस्थान में 2.5 प्र.श. है जबकि समूचे भारत के लिए यह दर 2 6 प्रतिशत हैं. कृषि क्षेत्र का सिर्फ हिस्सा ही राज्य आय में अधिक नहीं है बल्कि रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है. वर्तमान मूल्यों के आधार पर राज्य की कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों से लगभग 1400 करोड़ की आय हुई जो राज्य की सम्पूर्ण आय का 52 प्रतिशत है.

राजस्थान में कृषि, तापमान, वर्षा का वितरण, उच्चावचन तथा मिट्टी की दशाओं से प्रभावित होती है. जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा जिलों में ये दशाएं अनुकूल है . इसलिए कृषि का विकास अधिक हुआ है. राज्य के पश्चिमी रेतीले मैदान में वर्षा का अभाव कृषि कार्यों को अधिक प्रभावित करता है. दक्षिणी-पूर्वी एवम् पूर्वी भाग में मिट्टी का प्रभाव कृषि उपज पर प्रभाव डालता है. अरावली क्षेत्र में उच्चावचन कृषि कार्यों को शासित करता है.

राजस्थान में वर्षा का अभाव है अतः सिंचाई के साधनों का अधिकतम उपयोग ही कृषि विकास को सम्भावित कर सकता है. राजस्थान में 1951 में वास्तविक बोया गया क्षेत्र 93.13 लाख हैक्टेयर था जो 1984-85 में बढ़कर 152.67 लाख हैक्टेयर हो गया है. इस प्रकार वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल 1951 में भूमि का 27.16 प्र.श.था जो 1983-84 में बढ़कर44.6 प्रतिशत हो गया.

भूमि के उपयोग से यह स्पष्ट होता है कि उच्चावचन एवम शुष्कता के द्वारा निर्धारित सीमाओं के कारण राज्य के अधिकांश भाग का उपयोग कृषि कार्यों के लिए नहीं हो सकता. क्योंकि भूमि उपयोग के कुल क्षेत्रफल का लगभग 8.5 प्रतिशत बंजर तथा अकृषित है, 18.7 प्र.श, कृषि योग्य खाली भूमि है: लगभग 6.10 प्रतिशत चालू परती एवम इतना ही चालू परती के अतिरिक्त है. इस प्रकार लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है.

पिछले कुछ वर्षों में तिलहन तथा व्यवसायिक फसलों में राज्य की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाने लगी है. राज्य की कृषि में नया परिवर्तन आने लगा है. जहां स्वतन्त्रता से पूर्व किसान पुराने तरीके से खेती किया करते थे वहां वर्तमान में किसान उन्नत कृषि विधियां अपनाने लगे हैं. रासायनिक खाद व सुधरे बीजों की खपत बढ़ने लगी है. किसानों में अपनी भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में एक नया उत्साह पैदा हुआ है.

सामन्ती युग में किसान जागीरदारों का गुलाम था. किसानों से बेगार ली जाती थी तथा उसे भूमि से किसी भी क्षण बेदखल किया जा सकता था. फलत: किसान अपनी भूमि को सुधारने का प्रयत्न नहीं करता था. स्वतंत्रता के बाद किसानों को भूमि का मालिकाना अधिकार दिया गया. भूमि मिलने के पश्चात जमीन

तालिका संख्या–1

राजस्थान में भूमि उपयोग (1984–85)

भूसि उपयोग का वर्गीकरण	क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयरों में)	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत
कुल क्षेत्र (राजस्थान का)	342.27	100.00
(1) वन	20.88	6.10
(2) कृषि के लिए अनुपलब्ध	44.24	12.92
(a) गैर कृषि कार्यों में प्रदत्त भूमि	15.07	4.40
(b) बंजर तथा अकृपित भूमि	29.17	8.52
(3) अन्य अकृपित भूमि (परती भूमि को छोड़कर)	82.73	24.17
(a) स्थायी चारागाह भूमि	18.34	5.36
(b) वृक्ष एवम उपवनो के अन्तर्गत	0.24	0.07
(c) कृपि योग्य खाली भूमि	64.15	18.74
(4) परती भूमि	41.74	12.20
(a) चालू परती के अतिरिक्त अन्य परती	20.89	6.10
(b) चालू परती	20.85	6,10
(5) शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	152.68	44.61
(6) एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	20.82	6.10
(7) कुल फसली क्षेत्रफल	173.50	50.71

सुधारने तथा अधिक उत्पादन करने के लिए सरकार की ओर से सुविधाएं प्रदान की गई. कृपि की आधुनिक विधियों से उन्हें प्रशिक्षित कराने के प्रयास किये गये. गांव-गांव में कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को भेजा गया ताकि वे किसानों को पुराने ढर्रे से किये जाने वाले कृषि कार्यों के स्थान पर नई नई विधियों के बारे में उन्हें जानकारी दें. किसानों की ज्ञान वृद्धि हेतु कृषि प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया. उन्नत किस्म के बीज, रसायन उर्वरक, सुधरे कृषि औजारों के प्रयोग से कृषि उत्पादन किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, की जानकारी उन्हें दी गई. उन्हें सिंचाई की नइ विधियां बताई गई. खेत जोंतने धोने, निकाई, खाद, कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग के विषय में प्रायोगिक रूप में समझाया गया. शनैः शनैः किसानों ने आधुनिक विधियों के लाभ को पहचाना तथा वर्तमान में राज्य के किसानों में कृपि कार्यो में उत्साह पैदा हुआ है, जहां रियासती जमाने में कृषि कार्य को जीवन का एक बोझ समझा जाता था वहीं कृषि के प्रति रुचि पैदा हुई है. कृषि भूमि के बढ़ते मूल्य स्वयं इस रुचि का परिचायक है.

योजनाकाल में कृषि विकास–राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं में कृपि सामुदायिक विकास और सिंचाई को सर्वाधिक स्थान दिया गया है. प्रथम योजना में कृषि एवम सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत 16.99 करोड़ रुपये. द्वितीय योजना के अन्तर्गत 25.49 करोड़ रुपये, तीसरी योजना में 40,65 करोड़ रुपये चोथी योजना में 25.10 करोड़ रु. पांचवीं योजना में 50.83 करोड़ रुपये तथा छठी योजना में 98.32 करोड़ रुपये (छोटी सिंचाई योजनाओं सहित) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

प्रथम योजनाकाल से ही कृषि उत्पादन में वृद्धि करना राज्य की आधारभूत नीति रही है. इसके परिणाम-स्वरुप दूसरी योजना काल में 11.17 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन हुआ. तीसरी योजना के दौरान सघन कृषि नीति अपनाई गई. इस योजनाकाल में नये बीजों की खोज की गई तथा उन्नत कृषि विधियां अपनाई गई. अधिक पैदावार देने वाली फसलों का कार्यक्रम 1966-67 में प्रारम्भ किया गया. प्रथम दौर में 0.17 लाख हैक्टेयर भूमि में कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था जो 1983-84 के अन्त में बढकर 28.91 लाख हैक्टेयर हो गया लेकिन 1984-85 के अनुमान 26.84 लाख हैक्टेयर ही है. इस कमी का मूल कारण वर्षा का अभाव नजर आता है. अतः 1985-86 के अनुमान इससे भी कम होंगे.

राज्य की प्रथम तीन पंचवर्षीय योजना काल में राज्य में 50 बीज विकास फार्म स्थापित किए गए. नये औजारों और यांत्रिकरण को प्रोत्साहन देने हेतु, कृषि मंत्रालय की स्थापना और रूस की सहायता से 1956 में सूरतगढ़ में कृषि फार्म तथा जेतसर में दूसरा कृषि फार्म योजनाओं की विशेष उपलब्धियां रही.

कृषि, राज्य के अधिकांश भागों में वर्षा की स्वेच्छा-चारिता पर मुख्य रूप से निर्भर करती है. खरीफ फसलों के लिए केवल वर्षा की मात्रा ही महत्वपूर्ण नहीं है अपितु उसका विस्तार और वितरण भी फसलों का भविष्य निर्धारित करने में समान रूप से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. 1982-83 वर्ष के दौरान वर्षा कुछ भागों में लगातार चौथी बार कमजोर रही तथा समग्ररूप से उसका वितरण भी असामान्य रहा. परिणामस्वरुप समय से पूर्व की गई बुवाई की अपरिपक्वता के कारण खरीफ का क्षेत्रफल इस वर्ष (1982-83) के लक्ष्य 122.50 लाख हैक्टेयर के मुकाबले गिरकर 113.33 लाख हैक्टेयर रह गया. इस कारण खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन, जिसमें कि अनाज व दालें सम्मिलित हैं, गिरावट आई है. 1981-82 में यह उत्पादन 23.52 लाख टन था वह गिरकर 1982-83 में 21.84 लाख हो जाने का अनुमान है.

वर्ष 1982-83 के दौरान गन्ने के उत्पादन में मामूली गिरावट आई है. यह वर्ष 1981.82 के 14.13 लाख टन से कम हुई है. उन क्षेत्रों में जहां सिचाई की सुविधाएं उपलब्ध है, वाणिज्यिक फसलों की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने खरीफ तिलहनों एवम कपास के उत्पादन की वृद्धि में मदद की है. फलस्वरूप इन फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल जो 1981-82 में क्रमशः 5.95 लाख हैक्टेयर व 3.80 लाख हैक्टेयर था वह 1982-83 में बढ़कर 7.08 लाख हैक्टेयर व 4 45 लाख हैक्टेयर हो गया. साथ ही तिलहनों का उत्पादन 1981-82 में 1.58 लाख टन से बढकर 1982-83 में 1.61 लाख टन तथा कपास का 4.26 लाख गांठें (प्रत्येक170 किलोग्राम) से बढ़कर 5 36 लाख गांठें हो गया.

वर्ष 1984में औसत वर्षा 58.46 सेन्टीमीटर के विपरीत 44.26 से. मी. अंकित की गई. अधिकतर जिलों में वर्षा सामान्य से कम रही एवम् रबी तथा खरीफ फसलों की व्यापक क्षति हुई. इसके परिणामस्वरूप अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 1984-85 में मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र, वर्ष 1983-84 की तुलना में 8.9 प्रतिशत कम रहा. 1983-84 में क्षेत्र 151.43 लाख हैक्टेयर था जो 1984-85 में घटकर 137.91 लाख हैक्टेयर रह गया.यह गिरावट खरीफ व रबी खाद्यान्न एवम् कपास तथा गन्ना क्षेत्र में कमी होने के कारण हुई. तिलहनों के क्षेत्र में कुछ वृद्धि अंकित की गई. अतः 1984-85 में समस्त खाद्यान्न उत्पादन 1983-84 की तुलना में कम रहा है. कुल खाद्यान्न उत्पादन 1983-84 में 100.57 लाख टन था जो 1984-85 में गिरकर 81.07 लाख टन रह गया.

कृषि आदानों के प्रयोग की मात्रा में वृद्धि तथा कृषि आदानों की स्वीकार्यता निम्न तालिका संख्या—2 से स्पष्ट होती है

नवम्बर1982में हुई अच्छी वर्षा,कृषि आदानों की स्वीकार्यता व प्रयोग में वृद्धि के सांमजस्य से रबी फसलों के लिए उज्जवल सम्भावनाएं बनी है, रबी फसलों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र जो 1981-82 में 50.87 लाख

तालिका संख्या-2

मद	इकाई	1982-83	1983-84	1984-85 पूर्वानुमानित
1. अधिक उपज एवम् उन्नत किस्म के बीजों का वितरण	लाख क्वि.	1.44	1.50	1.62
2. अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	लाख हैक्टेयर	23.62	28.91	26.84
3. उर्वरकों वितरण	हजार मैट्रिकटन	172.10	221.42	206.24
4. पौध संरक्षण के अन्तर्गत क्षेत्रफल	लाख हैक्टेयर	61.00	65.42	62.83
5. तकनीकी वर्ग सामग्री का वितरण	मैट्रिक टन	3030	2062	2150

तालिका संख्या-3

खरीफ एवम् रबी का उत्पादन तथा क्षेत्रफल

फसलों के वर्ग	क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर)			उत्पादन लाख टन		
	1982-83 अनुमानित	1983-84 अन्तिम	1984-85 प्रावधानिक	1982-83 अनुमानित	1983-84 अन्तिम	1984-85 प्रावधानिक
1. खरीफ खाद्यान्न	77.15	89.02	79.71	21.84	50.61	36.94
2. रबी खाद्यान्न	36.63	42.88	35.61	51.62	49.96	44.13
3. कुल खाद्यान्न(1+2)	113.78	131.90	115.32	73.46	100.57	81.07
4. खरीफ तिलहन	7.08	5.93	7.12	1.61	2 57	2.75
5. रबी तिलहन	7.07	9.10	11.81	5.66	6 94	8.60
6. कुल तिलहन(4+5)	14.15	15.03	18.93	7.27	9.51	11.35
7. गन्ना	0.41	0.34	0.31	13.98	14.85	13.69
8. कपास(लाख गांठों में)	4.45	4.16	3.35	5.36	5.79	4.41

हैक्टेयर था 1982-83 में 46.00 लाख हैक्टेयर हो गया. इस मामूली गिरावट के बावजूद प्रति हैक्टेयर अधिक उत्पादकता के अनुमान के कारण खरीफ की कमी पूरी हो जायगी. उपज में अधिक वृद्धि की सम्भावना में जिन तथ्यों का मुख्य रूप से अंशदान है उनमें अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि होना है. अधिक उपज एवम् उन्नत किस्म के बीजों का वितरण जो 1982-83 में 1.44 लाख क्विटल था 1984-85 में बढ़कर 1.62 लाख क्विटल हो जाने का अनुमान है. इसी प्रकार अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र में 1982-83 की तुलना में तो 1983-84 तथा 1984-85 में वृद्धि हुई है लेकिन 1984-85 में वर्ष 1983-84 की तुलना में गिरावट आई है. और यही कारण है कि 1984-85 में उर्वरकों के वितरण में गिरावट आई हैं. चूंकि पौध संरक्षण कार्यक्रम भी इसका ही हिस्सा है अतः इसमें 1983-84 की तुलना में कमी आई है.

तालिका संख्या 3 में खरीफ व रबी दोनों फसलों के प्रमुख वर्गों के अनुसार1982-83 वर्ष के क्षेत्रफल एवम् उत्पादन के अनुमानित अंक तथा 1983-84 के अन्तिम लक्ष्य और 1984-85 के प्रावधानिक लक्ष्य दिए गए है.

कृषि उत्पादन का सूचकांक (1969-70 = 100 1970-71 में जो 188.86 था वह 1978-79 में बढ़कर 208.98 हो गया लेकिन 1984-85 पुनः घटकर 203.96 हो गया. यह वर्ष 1983-84 के स्तर से 12.06 प्रतिशत कम था. तथापि वर्ष 1983-84 को छोड़कर जो कि अच्छी व सामयिक वर्षा के कारण असाधारण वर्ष था तथा प्रतिनिधि वर्ष नहीं था, वर्ष 1967-67 से अवतक 1984-85 में कृषि सूचकांक अधिक रहा. खाद्यान्नों का उत्पादन सूचकांक 1970-71 में 177.07 था जो 1979-80 में 167.38 हो गया जो पुनः बढ़कर 1983-84 में 213.45 हो गया लेकिन 1984-85 के प्रावाधानिक अनुमान 188.92 के है, जो कि 1983-84 के स्तर से वहुत नीचा है। अखाद्य फसलों का सूचकांक 229.26 था वह बढ़कर 351.65 हो गया जो कि पुनः बढ़कर 1983-84 में 361.65 हो गया लेकिन 1984-85 के अनुमान 309.44 ही है. खाद्यान्नों के सूचकांक में कमी का मुख्य कारण सूखे की स्थिति तथा सिंचित क्षेत्रों में कृषकों का झुकाव व्यापारिक फसलों की तरफ होना है. इसके कारण उसमें कमी आई है.

कृषि की दृष्टि से राज्य को सूखे और आर्द्र दो प्रकार के क्षेत्रों में बांटा जा सकता है. राज्य के कृषि क्षेत्र का करीव 47 प्रतिशत सूखे भाग में आता है और केवल 6 प्रतिशत मात्र में ही सिंचाई सुविधाएं है. आद्र भाग जो 53 प्रतिशत आता है इसके 27 प्रतिशत भाग में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है.

वर्ष 1952-53 में कृषि के अन्तर्गत 109.39 लाख हैक्टेयर क्षेत्र था जो 1979-80 में बढ़कर157.00 लाख हैक्टेयर हो गया तथा 1984-85 के लक्ष्य 176.50 लाख हैक्टेयर है. 2952-53 में राजस्थान का कुल सिंचित क्षेत्र पैदाबार क्षेत्र का 11 प्रतिशत आंका गया है जबकि सम्पूर्ण भारत का उस समय 17 प्रतिशत था. 1942-53 में कुल सिंचित क्षेत्र 15.41 लाख हैक्टेयर था जो 1978-79 में बढ़कर 30.40 लाख हैक्टेयर हो गया. इस प्रकार यह प्रतिशत कुल कृषि क्षेत्र का 17.4 हो जाता है जबकि इसी समय सम्पूर्ण भारत के लिए यह प्रतिशत 31 है. कुल सिंचित क्षेत्र में से 982 हजार हैक्टेयर क्षेत्र नहरों से, 214 हजार हैक्टेयर तालाबों से; 2050 हजार कुओं से खींचा जाता है. छठी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिए 39.50 करोड़ रु. का प्रावधान (राजस्थान नहर क्षेत्र को छोड़कर) किया गया है. वर्ष 1984-85 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, तथा सिंचाई विभाग द्वारा संचालित अन्य परियोजनाओं से 62.74 हजार हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ. भू-जल को प्राप्त करने हेतु नाबार्ड की पुनर्वित्त सुविधाओं के माध्यम से लघु सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है.

पंचवर्षीय योजनाएं तथा कृषिविकास—राजस्थान में कृषि की महत्ता को देखते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही कृषि तथा इससे सम्बन्धित कार्यो के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. प्रथम तथा द्वितीय योजनाकाल में कृषि विकास पर कुल व्यय का 24.77 प्रतिशत खर्च किया गया. तीसरी योजना में यह राशि प्रथम दो योजनाओं से ज्यादा था लेकिन कुल का 19.11 प्रतिशत थी. वार्षिक योजनाओं में यह प्रतिशत 25 के लगभग था. चौथी पंचवर्षीय योजना से यह प्रतिशत घटा है और घटकर चौथी पंचवर्षीय योजना में यह 10.1 प्रतिशत रह गया. पांचवी योजना में भी लगभग स्थिति यही मिलती है 11.14 प्रतिशत. छठी योजना में कृषि का हिस्सा 13.66 के आसपास था. सातवीं योजना के प्रथम वर्ष में कृषि तथा सम्वन्धित क्रियाएं एवम् ग्रामीण विकास के लिए कुल व्यय का 11.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है. इस प्रकार योजनाकाल में कृषि के साथ यदि सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण को यदि मिला दे तो यह प्रतिशत सवसे अधिक हो जाता है.

पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान ने कृषि के विकास से सम्बन्धित बहुत सी उपलब्धियां की है जिनका विवरण निम्न है–

१. कृषि उत्पादन–योजनाओं से पूर्व राज्य अपनी आवश्यकता से भी कम खाद्यान्न करता था. अतःउसे कमी की पूर्ति आयात द्वारा करनी पड़ती थी. लेकिन अब यह आधिक्य उत्पादन करता है और उसका निर्यात भी करता हैं. 1951 में खाद्यान्न का उत्पान का उत्पादन 29.4 लाख टन था. जो 1983-84 में बढ़कर 100.76 लाख टन हो गया और 1984-85 पुनः घटा है और घटकर 87 लाख टन हुआ.

खाद्यान्नों के साथ साथ कृषि विकास कार्यक्रमों के कारण राज्य में तिलहन, कपास, गन्ना, मूंगफली आदि के उत्पादन में भी चार गुना से अधिक हुई है. इस प्रकार खाद्यान्नों में तीन गुना तथा अखाद्यान्न में पांच गुना वृद्धि हुई.

२. कृषि क्षेत्र का विस्तार–1951 में कुल बोया गया क्षेत्रफल 93 लाख हैक्टेयर था जो 1984-85 में बढ़कर 173.50 लाख हैक्टेयर हो गया है जो लगभग दुगना है.

३. सिचाई सुविधाओं में वृद्धि–योजनाओं में सिचाई को प्राथमिकता दी गई है. फलस्वरूप बहुद्देशीय नहीं घाटी योजनाएं बन सकी है. विभिन्न सिचाई कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप 1951 में कुल सिंचित क्षेत्र 11.74 लाख हैक्टेयर था जो 1983-84 में बढ़कर 40.14 लाख हैक्टेयर हो गया और 1985-86 के लिए अनुमान 40.07 लाख हैक्टेयर था और 1986-87 के लए लक्ष्य 44.25 लाख हैक्टेयर है.

४. उर्वरक के प्रयोग में वृद्धि–राजस्थान में कृषि से उत्पादन अधिक लेने के लिए उर्वरकों के प्रयोग में तेजी से वृद्धि हो रही है. 1985-86 के लिए लक्ष्य 2 लाख टन से अधिक के रखे गए है.

५. उन्नत बीजों का प्रयोग–राज्य में उन्नत बीजों को प्राप्त करने के लिए 60 बीज गुणक फार्म स्थापित किए जा चुके है. राजस्थान निर्माण के समय तक अधिक उपज प्रदान करने वाले उपजों के अन्तर्गत क्षेत्र बिल्कुल नहीं था, जबकि 1985-86 के अन्त में 26.84 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ.

पूर्व में कृषि विभाग ज्वार, बाजरा व मक्का की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों की कुल आवश्यकता के 80 प्रतिशत भाग की व्यवस्था करता रहा है. परन्तु 1974 से बीजों के वितरण का कार्य राज्य कृषि निगम को सौंप दिया गया है. राज्य कृषि निगम पंचायत समितियों व पंचायतों तथा ग्राम सेवा समितियों तथा कृषि सेवा केन्द्र के माध्यम से बीज वितरित करता है. राज्य में बीज उत्पादन कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया है. इसके फलस्वरूप 1984-85में खाद्यान्नों के बीजों के उत्पादन लक्ष्य 34,150 टन, तिलहन के बीजों का लक्ष्य 240 टन तथा कपास के बीजों के उत्पादन के लक्ष्य 646 टन रखे है.

पौध संरक्षण–राज्य में कृषि को बढ़ावा देने हेतु पौध संरक्षण को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है.1975-76 में 23 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में पौध संरक्षण कार्य चल रहा था जो 1978-79 में बढ़कर 54 लाख हैक्टेयर में हो गया तथा छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 70 लाख हैक्टेयर हो जाने का लक्ष्य है, तथा प्रति हैक्टेयर 0.59 किलोग्राम दवाई का छिड़काव हो जायेगा. पौधों को लगने वाली बीमारियों से रक्षा हेतु दवाइयों का छिड़काव किया जाता है. समय-समय पर हवाई छिड़काव द्वारा भी पौधों को बीमारियों से बचाया जाता है. 1985-86 में 62.83 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में पौर संरक्षण कार्य इस बात की पुष्टि करते है कि यह कार्यक्रम फसल को आवश्यकता बन गया है.

कृषि शिक्षा प्रसार–विश्व बैंक की सहायता से इस कार्यक्रम को अक्टूबर 1977 में 23.90 करोड़ रुपये से चालू किया गया था. यह कार्यक्रम राज्य के 17 जिलों में क्रियान्वित है और इससे 29 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होगे. यह कार्यक्रम (T.V. approach) प्रशिक्षण तथा निरीक्षण पर आधारित है. छठी योजना के लिए

इस कार्यक्रम पर 19.95 करोड़ रु. खर्च करने का लक्ष्य है. 1979-80 तक 6.10 करोड़ रु. व्यय किये जा चुके है. 1983-84 के लिए इस कार्यक्रम के लिए 4.96 रुपये रखे गए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को फसल उत्पादन की नवीन तकनीक प्रदान करने के प्रयास किए जाते है. 1984-85 के प्रारम्भ में यह कार्यक्रम 18 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा था. 1985-86 में राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रोजेक्ट में भाग लेने का निर्णय लिया और 6 अन्य जिलों में इस कार्यक्रम को लागू किया गया.

फल एवम् सब्जी विकास–राज्य योजना के अधीन छठी पंचवर्षीय योजना में फल एवम् सब्जी के अन्तर्गत मौजूदा क्षेत्र 30 हजार हैक्टेयर को बढ़ाकर 1986-87 मे 54 हजार हैक्टेयर करने का लक्ष्य है.प्याज की पैदावार बढ़ाने के लिए विशिष्ठ प्रयास किये जायेंगे. प्याज की खेती 1979-80 में 9 हजार हैक्टेयर में होती थी और प्याज का उत्पादन 36 हजार टन होता था. इस खेती को 1986-87 मे 17 हजार हैक्टेयर में बढ़ाने का लक्ष्य है तथा उत्पादन का लक्ष्य 76 हजार टन है.

सब्जी के लिए प्रशिक्षण एवम प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत जयपुर तथा कोटा में दो प्रयोजनाएं चल रही है. छठी पंचवर्षीय योजना में 6 नये प्रोजेक्टस का लक्ष्य है. इस योजनाकाल में 31.80 लाख फलों के पौधे वितरित किये जायेंगे.

कपास विकास कार्यक्रम—राज्य सरकार द्वारा कपास सघन विकास भीलवाड़ा जिले में चालू है. इसके अलावा कपास विकास योजना मेवाड़ क्षेत्र, गंगानगर,बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जिलों में चल रही है. इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता द्वारा गंगानगर व राजस्थान नहर क्षेत्रों में कपास का सघन कार्यक्रम 1.20 लाख हैक्टेयर में चालू है.

चुकन्दर विकास योजना—चुकन्दर विकास हेतु केन्द्रीय सहायता से यह योजना 1200 हैक्टेयर में चलाने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना के अन्तर्गत 120हैक्टर में प्रदर्शन भी लगाए गए.

गन्ना विकास कार्यक्रम—राज्य सरकार की सहायता से यह योजना गंगानगर, केशोरायपाटन क्षेत्र में 43,000 हैक्टर में चलाई जा रही है. भोपालसागर में 11,000 हैक्टर क्षेत्र में सघन विकास योजना चालू है.

दाल एवम् तिलहन विकास योजना— राज्य सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम का दूसरा सूत्र दलहन दुगनी तिलहन तिगुनी है, इसके लिए मार्च 1986 के लिए लक्ष्य 17.30 लाख टन (दलहन) का रखा गया. 1984-85 में इनका उत्पादन 12.52 लाख टन किया गया. प्रदेश में दलहनी फसलों की खेती लगभग 35 से 40 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में की जाती है. राज्य के पांच प्रमुख दलहन जिलों जयपुर, भरतपुर, कोटा व श्री गंगानगर में 1974-75 से केन्द्र प्रवर्तित दलहन विकास योजना कार्यशील है. इस योजना के अन्तर्गत किसानों को प्रदर्शनों, प्रमारित बीज, पौध संरक्षण उपायों व संयंत्रों के लिए अनुदान दिया जाता है.

1984-85 से राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के माध्यम से सरसों, सोयाबीन, तिल व मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. इससे पूर्व राज्य में सघन तिलहन विकास योजना लागू थी. सोयाबीन की खेती विस्तार योजना कोटा, बून्दी, झालावाड़, चितौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व भरतपुर में चलाई जा रही मूंगफली व तिल विकास कार्यक्रम अजमेर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, नागौर, टौंक, भीलवाड़ा, भरतपुर,जयपुर, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, श्री गंगानगर व बीकानेर में चलाया जा रहा है. राई व सरसों की शुद्ध फसल के विस्तार की विशेष परियोजना समस्त राज्य में लागू है. राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से चलाई जा रही है. परियोजना के तहत प्रमाणित बीज, खाद, पौध संरक्षण उपाय व यंत्र आदि के लिए किसानों को ऋण दिया जाता है. 1985-86 में कुल 16.7 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में तिलहनों की बुवाई का लक्ष्य था.

कृषि प्रशिक्षण एवम् प्रसार—कृषि विज्ञान के आधुनिक ज्ञान को कृषकों तक पहुंचाने के लिए केन्द्रीय

सहायता से कृषि 'विभाग द्वारा दो कृषक प्रशिक्षण केन्द्र दुर्गापुरा (जयपुर) छतरपुरा (कोटा) में चलाए जा रहे है. उदयपुर विश्वविद्यालय द्वारा भी दो प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर व भरतपुर में चलाए जा रहे है. इन प्रशिक्षण केन्द्रों में कृषि सम्वन्धी सामयिक जानकारी देने हेतु कृषक चर्चा मण्डलों का गठन किया जाता है. इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर कृषकों की समस्या का समाधान किया जाता है. छठी पंचवर्षीय योजना में एक नए कृषि विश्वविद्यालय को खोलने का प्रस्ताव है. इसके अतिरिक्त जोधपुर में स्थित केन्द्रीय मरु शोध संस्थान (CAZRI) विभिन्न फसलों तथा मरुस्थल को रोकने का प्रयास कर रही है.

सूचना शाखा—यह शाखा कृषक वर्ग को कृषि तकनीकी ज्ञान तथा कृषि विस्तार संगठन के अन्तर्गत कार्य कर रहे कृषि कार्यकर्ताओं को कृषि की उन्नत विधियों से सम्बन्धित व्यावहारिक जानकारी एवम् प्रशिक्षण देने के उद्देश्यों से कार्य कर रही है. कृषि अनुसंधान के नवीन परिणामों के आधार पर अधिक उपज देने वाली नई किस्मों की उपयुक्त विधियों के सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न साधनों से ज्ञान उपलब्ध कराती है.

आकाशवाणी जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर एवम् अजमेर के द्वारा कृषि सम्वन्धित वार्तायें, कृषकों की भेंट वार्तायें तथा कृषि तकनीकी सूचनायें प्रसारित की जाती है.

भूसंरक्षण—राज्य में भू-संरक्षण का कार्य कृषि योग्य भूमि में विभिन्न जिलों से स्थापित 12भू-संरक्षण का इकाइयों द्वारा देखा भाला जाता है. भू-संरक्षण कार्यों हेतु सरकार द्वारा10 से 15 प्रतिशत तक अनुदान देने की व्यवस्था है. इसके अलावा होने वाले व्यय को कृषक स्वयं वहन करता है अथवा बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकता है.

भूमि सुधार—भूमि सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना में दो प्रकार के कार्यक्रम अपनाए गए (i) भूमि सम्वन्धी दस्तावेजों को आज की तारीख तक पूरा करना (up-dating) तथा (2) सीलिंग कानून के अन्तर्गत प्राप्त हुई भूमि को भूमिहीनों में बांटना. इन कार्यों के लिए केन्द्र तथा राज्य की सहभागिता बराबर रहेगी. ये कार्यक्रम पैसे की कमी के कारण पूरे नहीं किए जा सके.

सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम—राज्य के मुख्यत: पश्चिमी जिलो में सूखे की स्थिति बनी रहती है, जिसका प्रभाव वहां के किसानों व पशुओं पर पड़ता है. किसान अपनी व पशुओं की रक्षा के लिए अन्य भागों में जाते हैं. उन्हें काफी कष्ट होता है अत: राज्य में सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम अपनाया गया है. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दो जिलों जोधपुर व नागौर में विश्व बैंक के सहयोग से व अन्य आठ जिलों (पाली, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चुरू) व 6 तहसीलों व्यावर, चिड़ावा, झुनझुनू, देवगढ़, भीम तथा खेरवाड़ा) में भारत सरकार के सहयोग से वह कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भिक व विस्तृत भू-सर्वेक्षण व टोपोग्राफीकल सर्वे का कार्य किया जा रहा है. इस सर्वे कार्यक्रम को क्षेत्र की विकास योजनाओं के लिए प्रयोग में लाया जायगा.

बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के तहत राज्य में 1984-85 में सूखी खेती वाले क्षेत्रों में उन्नत तकनीक से खेती किये जाने का कार्य 22 लाख हैक्टेयर में किये जाने का लक्ष्य निर्धारित था। इस कार्य को सुचारुता से पूरा करने हेतु 1306 प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से 83,388 कृपकों को शुष्क खेती की आधुनिकतम तकनीक का ज्ञान दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत भू-संरक्षण कार्यक्रमों को भी लागू किया जा रहा है। 1986-87 के दौरान 1000 शिविरों के आयोजन का लक्ष्य है।

कृषि अनुसंधान—वनस्पति शाखा—

बाजरा—बाजरे की संकर किस्मों में ग्रीन ईयर बीमारी का अधिक प्रकोप देखकर इस शाखा द्वारा एक आर. 411 किस्म का विकास किया गया है, जो इस बीमारी की अच्छी रोधक है. इसके अलावा प्रयोग प्रदर्शनों में पंजाब की दो किस्में वितरण के लिए उपयुक्त मानी गई है. ये किस्में पी. एच. बी 10 व पी. एच. बी 14 है

जो तुलासिता नामक बीमारी की अवरोधक है. बाजरे के अगले प्रजनन कार्यक्रम के लिए तीन स्त्रीलिंग किस्में चयनित की गई है.

ग्वार—दुर्गापुरा अजय किस्म की ग्वार किसानों को वितरित करने के लिए उपयुक्त पाई गई है. यह सूखा-रोधक तथा अच्छी उपज देने वाली किस्म है. इसमें गोंद की मात्रा भी अधिक होती है. यह किस्म चारे की दृष्टि से भी काफी अच्छी है.

खरबूजा—दुर्गापुरा मधु किस्म में 14% अधिक शक्कर की मात्रा होती है अतः किसानों में वितरण हेतु स्वीकृत की गई है. दूसरी किस्म सलेक्शन-1 भी वितरण के लिए उपयुक्त पाई गई है.

तरबूज—तरबूज की किस्म दुर्गापुरा मीठा किसानों में वितरण हेतु स्वीकृत की गई है. इसमें शक्कर की मात्रा अधिक होती है तथा यह लम्बे यातायात के लिए उपयुक्त है.

धनिया—धनिये की एक छोटे दानों वाली किस्म मसाले व सब्जी दोनों कार्यों के लिए उपयुक्त पाई गई है, यह अधिक सुगन्धित भी है.

गेहूं—गेहूं की उन्नत किस्मों की क्षेत्रानुसार सिफारिश करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में राजकीय कृषि फार्मो व कृषकों के खेतों पर प्रयोग प्रदर्शन किये जाते हैं. राज. 911 काठिया गेहूं की रोली रोधक बौनी किस्म है. यह विकसित कर किसानों को वितरण के लिए स्वीकार की गई है. यह किस्म विशेष रूप से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग के लिए उपयुक्त है. इस किस्म की उपज कल्याण सोना के बराबर होती है. गेहूं की अन्य किस्में राज. 1029 व राज. 1052 अधिक उर्वरक देने पर सिंचित क्षेत्र में ज्यादा पैदावार देती है.

जौ—आ. डी. 31 किस्म ने अखिल भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाके के बरानी खेती वाले क्षेत्र में अधिक उपज दी है. इसी क्षेत्र में पिछली बुवाई के लिए जौ की उन्नत किस्म आर. डी. 118 उपयुक्त है. यह पीली रोली से बचाव की क्षमता रखती है. आ. डी. 57 सिंचित क्षेत्र के उपयुक्त है.

किस्म आर. ई. बी. 343, डी. एल. 69, आर. सी. बी. 72 तथा 63 को अगली पंक्तियों में भी रोली रोधक पाया गया है.

किस्म आर. डी. 102,103, 135,147, 150, 152, 176 व 176 पी. जौ की बौनी किस्में है जो दुर्गापुरा अनुसंधान केन्द्र पर पैदा की गई है. खारे पानी व मिट्टी की समस्या जो कि राजस्थान में बढ़ती जा रही है, इन क्षेत्रों के लिए बी. एल. 2 किस्म को अधिक उपयुक्त पाया गया है. छिलके रहित जौ की किस्में भी विकसित की गई है.

कृषि रसायन शाला—कृषि रसायन शाखा के अन्तर्गत भूमि व पानी का सर्वेक्षण एवम् परीक्षण, पोषक तत्वों की मात्रा का निर्धारण, उर्वरकों का विभिन्न मिट्टियों व फसलों पर प्रभाव, क्षारीय व लवणीय मिट्टी तथा पानी में विभिन्न फसलों की उपज बढ़ाना, क्षारीय व लवणीय क्षेत्रों के लिए किस्मों का चयन आदि कार्य किये जाते है.

कृषि विस्तार की नवीन प्रणाली (बैनोर प्रणाली)—इस प्रणाली को राज्य सरकार के कृषि विभाग ने 1974 में कोटा जिले के चम्बल क्षेत्र तथा राजस्थान नहर सिंचित क्षेत्र में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया. यह प्रोजेक्ट विश्व बैंक की सहायता से संचालित होता है तथा राजस्थान राज्य को देश में सर्व प्रथम इस प्रणाली को कार्यान्वित करने का गौरव प्राप्त है. इस प्रणाली का सार, "उपलब्ध साधनों से प्राविधिक ज्ञान के आधार पर अधिक उपज प्राप्त करें" है.

चम्बल तथा राजस्थान नहर सिंचित क्षेत्र में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में इस प्रणाली के सफल प्रयोगों को देखते हुए राज्य सरकार ने 1977 में राज्य के 17 जिलों में विश्व बैंक के सहयोग से लागू करने का निर्णय लिया.

इस प्रणाली के अन्तर्गत 17 जिलों में कुल 29 लाख कृषक परिवार सम्मिलित है. एक कृषि पर्यवेक्षक (ग्राम विस्तार कार्यकर्ता V. L. W.) औसतन 720 कृषक परिवारों को समय पर समुचित ज्ञान व उत्पादन बढ़ाने हेतु उन्नत क्रियाओं के विषय में मार्ग दर्शन देता

है. उक्त परिवारों को 8 चकों या भागों में बांट दिया जाता है और प्रति सप्ताह सोमवार से गुरु तक एक निश्चित समय पर अपने क्षेत्र के किसानों से सम्पर्क कर अगले 15 दिनों में कृषि सम्बन्धित कौन कौन सी क्रियाएँ किस प्रकार करनी होंगी इसके बारे में चर्चा कर मार्ग-दर्शन देता है.

एक चक में लगभग 80 से 100 किसान परिवार हो सकते हैं और कृषि पर्यवेक्षक के लिए एक ही दिन में सभी कृषक परिवारों तक कृषि क्रियाओं की जानकारी को पहुंचा देना सम्भव नहीं हो सकता है। अत: अपने क्षेत्र या चक में कृषि पर्यवेक्षक 8 से 10 ऐसे कृषि परि-वार के कृषकों का चयन करता है जिनके द्वारा जो भी कृषि क्रियाएँ कथित पखवाड़े में करवाई जानी हैं उनकी फसल में उनका प्रयोग करती है। इस प्रकार चुने हुए सम्पर्क कृषक अपने साथी कृषकों को जिन्हें कि अनुयायी कृषक भी कहा जाता है अपनी फसल में प्राप्त लाभ की जानकारी देते हैं क्योकि इन कृषकों के खेत सफल प्रदर्शन का कार्य करते हैं.

प्रत्येक पखवाड़े में एक शुक्रवार तथा शनिवार को पाक्षिक प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। जिसमें सम्बन्धित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ प्रशिक्षण देते हैं। कृषि पर्यवेक्षक इनमें उपस्थित होकर कृषि क्रियाओं के बारे में विस्तार से चर्चा कर ज्ञान अर्जित करते हैं।

8 कृषि पर्यवेक्षकों के कार्य को गति देने हेतु एक सहायक कृषि अधिकारी, जिनका मुख्यालय उपरोक्त 8 कृषि पर्यवेक्षकों के क्षेत्र के पास ही रखा गया है, रहता है जो फसलों के लिए कृषि क्रियाएं कृषकों को दी जाती हैं, उनका प्रशिक्षण देते हैं.

3 अथवा 4 पंचायत समितियों को मिलाकर एक कृषि उप-जिला बनाया गया है. इसमें पौध, प्रशिक्षण तथा पौध संरक्षण आदि के विशेषज्ञ होते हैं जो स्थानीय परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए सुझाव देते हैं.

ऐसे 2 या 3 उप-जिलों से एक कृषि जिला बनाया गया है. जिला स्तर पर विशेष विशेषज्ञों के अति-रिक्त जिला कृषि अधिकारी होता है. जिला कृषि अधिकारी का मुख्य कार्य जिले के कृषि उपादानों की आवश्यकताओं को आंकना तथा उनसे सम्बन्ध स्थापित कर वितरण की व्यवस्था करवाना है.

इन कृषि विशेषज्ञों को प्रत्येक मास में एक प्रशि-क्षण प्राप्त करना होता है जिसमें उदयपुर विश्वविद्यालय उदयपुर, के विशेषज्ञ, विभाग के अधिकारीगण तथा अन्य कृषि विशेषज्ञ यह चर्चा करते हैं कि आगामी मास में दोनों पखवाड़ों में फसलों के लिए तत्कालीन परिस्थितियों में कौन-कौन से कार्य अपनाये जाना लाभदायक होगा. उक्त चर्चा के आधार पर ही क्षेत्र विशेष के लिए कृषि उत्पादन का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है. इस प्रकार 'वैनोर प्रणाली' के दो मुख्य अंग है प्रथम प्रशिक्षण तथा द्वितीय प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारी को समय पर निय-मित भ्रमण द्वारा कृषकों तक पहुंचाना.

इस प्रशिक्षण में इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि प्रत्येक वर्ग के किसान प्रावैधिक क्रियाओं को अपना सकें, कुछ साधनों के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है परन्तु अधिकाधिक कृषक वर्ग वित्तीय साधन बढ़ाने में इतने सक्षम नहीं हो पाते. अतएव ऐसी प्रावैधिक क्रियायें अपनाने पर जोर दिया जाता है जिनमें वित्तीय साधनों की अधिक आवश्यकता नहीं होती है तथा जिन्हें अपनाकर वह अपने उत्पादन में 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त कर सकता है.

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड—भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने किसान को व्यापारियों की लूट से बचाने, कृषि उत्पादन के व्यापार को नियन्त्रित करने तथा किसान को उचित भाव दिलाने के दृष्टिकोण से नियन्त्रित मण्डियों का एक व्यापक कार्यक्रम पूरे देश में प्रारम्भ किया. राजस्थान ने भी यह कार्यक्रम अपनाया और राज्य सरकार ने उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 पास किया. इसके अन्तर्गत 1963 में नियम बनाए गए और 1964 में सबसे पहले नौ कृषि उपज मण्डी समितियों की स्थापना हुई. मण्डी समिति में 15 में से 7 सदस्य किसान होते है तथा दो व्यापारी. ये मण्डियाँ चुनी हुई होती है तथा प्रजातान्त्रिक स्वरुप से ही कार्य करती है.

मण्डी नियमन के कार्य को अधिक सुचारु रुप से चलाने के लिए राज्य सरकार ने मण्डियो की एक शीर्षस्थ स्वायत्तशासी संस्था, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का 6 जून 1974 को गठन किया. राज्य मे मण्डी नियमन व्यवस्था में प्रशासन को विभागीय स्तर पर सुदृढ़ करने को दृष्टि से 1980 में कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना की गई. निदेशालय मण्डियों की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करता हैं तथा बोर्ड मण्डी निर्माण, ग्रामीण हाट एवम् गोदाम निर्माण के अतिरिक्त ग्रामीण सम्पर्क सडकों का भी निर्माण करा कर मण्डी विकास कार्य कराता है. इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से कमजोर मण्डियों को ऋण एवम् अनुदान सहायता देता है एवम् मण्डी समितियों तथा राज्य सरकार को कृषि विपणन के सम्बन्ध में सलाह देता है. मण्डी कर्मचारियों तथा किसानों का प्रशिक्षण एवम् मण्डी नियमन और विकास का प्रचार भी बोर्ड करता है

नियन्त्रित मण्डी कार्यक्रम के तहत शहर, कस्बे, एवम् गांव के समीप खुले स्थानों पर नई मण्डियों का निर्माण प्रारम्भ हुआ जिनमें बड़े आकार की दूकानें, गोदाम, किसानों के लिए विश्राम गृह, पशुओं के लिए छाया, प्याऊ, बिजली, दवाखाने, नीलामी चबूतरे आदि लाखों रुपयों की लागत से बने और बन रहे है.

मण्डियों का जो पहला लाभ पहुंचा है वह है किसानों की बिचौलियों के शोषण से मुक्ति. व्यापारी कई प्रकार के अनधिकृत खर्चे किसान से लेते थे तथा किसान की उपज भी प्रतिस्पर्द्धात्मक भावों के बिना ही खरीद लेते थे. यह सब बुराइयाँ मण्डियों के नियमन के साथ समाप्त होती जा रही हैं. अब किसान का माल मण्डी अधिकारी की देखरेख में खुली निलामी की बिक्री पद्धति से बिकता है. किसान से मण्डी में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता और किसान का शोषण नहीं होता.

राज्य सरकार ने भविष्य में मण्डी समितियों का तीन श्रेणियों में विभाजित करने का निर्णय लिया है. इसके अनुसार "अ" श्रेणी की मण्डी समिति की आय 10 लाख से ऊपर "ब" श्रेणी की मण्डी समिति की आय 5 लाख से 10लाख के बीच में तथा "स" श्रेणी की मण्डी समिति की आय 3 से 5 लाख तक रखी गई हैं. इससे नीचे की आय (30 हजार तक) की मण्डियों को गोण यार्ड के रूप में विकसित किया जायेगा. अभी राज्य में पूर्व निर्धारित माप दण्ड के अनुसार 45 मण्डियां "अ' श्रेणी की है तथा शेष 8 मण्डियाँ "स" श्रेणी की है. गौण मण्डियों की संख्या 210 है. इनके अतिरिक्त 7 मण्डी यार्डो की स्वीकृति के मामले अभी कृषि पुनर्वित्त विकास निगम के पास विचाराधीन है तथा 9 मण्डी परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं.

कृषि विपणन की अन्य भावी योजनाओं में सारे राज्य को मण्डी नियमन की परिधि में लेना, सम्पूर्ण प्रदेश मे ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का जाल बिछाना. किसान के स्तर पर कृषि उपज का वर्गीकरण तथा उसके लिए वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग, उपज के यातायात हेतु सस्ते एव द्रुतगामी साधन जुटाने. विधायन (प्रासेसिंग) कार्यों को बढ़ावा देना, शीतागारों (कोल्ड स्टोरेज) के निर्माण मे सहयोग देना तथा फसलों में लगी बिमारियों की रोकथाम में सहायता देना आदि सम्मिलित है.

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम—राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगर लिमिटेड की स्थापना अगस्त 1969 में हुई. निगम की अधिकृत पूंजी 5 करोड रुपये थी. इस पूंजी का अनुपात राज्य सरकार एवम् केन्द्र सरकार में 51 : 49 है. निगम की इस समय चुकता पूंजी 4,01,22,400 रु. है.

इस निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि उद्योग धन्धों की स्थापना, उनका विकास एवम् उनमे सहयोग प्रदान करना, कृषि के यन्त्रीकरण, तकनीकी सहायता, कृषि के नये-नये उपकरणों का उत्पादन करना एवम् कृषि से सम्बन्धित उत्तम किस्म के खाद, बीज, कीटनाशक औषधि आदि का वितरण करना है जिससे कृषकों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो.

निगम ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदेश भर मे विभिन्न स्थानों जैसे जयपुर, कोटा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर, अलवर, भरतपुर उदयपुर, सीकर, अजमेर, टौंक, सवाई माधोपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर,

पाली, फलौदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालौर आदि पर शाखाएं स्थापित्त की है. इसके अतिरिक्त निगम ने जयपुर तथा चित्तौड़गढ़ में शो-रूम भी स्थापित किये हैं. निगम ने प्रदेश के बाहर होडल, यमुनानगर (हरियाणा) तथा विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश) में भी अपनी शाखाएं स्थापित की हैं.

निगम की गतिविधियां एवम् उपलब्धियां—निगम किसानों की सेवाओं के लिए निम्नलिखित कार्य करता है:

(1) कृषि उपकरणों का उत्पादन—निगम के कृषि उपकरण यंत्रालय (एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्टस् फैक्ट्री) जो कि भोटवाड़ा में स्थित है, में टैक्टर के कलपुर्जे, टावर मेम्बर्स, फेन्सिग सामान, गोवर गैस संयंत्रों, अनाज की कोठियों, टैक्टर चालित सभी प्रकार के कृषि उपकरणों, कचरा ढोने की ढेलियां, मैला ढोने की टंकियां तथा कचरा पात्र आदि का निर्माण होता है. इस फैक्ट्री में मार्च 1981 तक 1150 डिस्क हैरो, 400 डिस्क प्लाऊ, 1890 कल्टीवेटर्स, 1105 लैवलर्स, 1500 ट्रैक्टर ट्रेलर एवम् 320 टैंकरो का निर्माण किया. इसके अतिरिक्त 4000 फ़न्ट एक्सल. 11000 टेलर कपलिंग. 12000 स्विंगिग ड्रो बार एवम् 3500 थ्री पाइन्ट लीकेज एसेम्बलीज का निर्माण किया. इस फैक्टरी द्वारा मार्च 1981 तक कृषि उपकरणों का कुल उत्पादन 498.00 लाख रुपये का किया गया.

कम्पोस्ट खाद का उत्पादन—नगर परिषद जयपुर के कूड़े करकट को लाभप्रद दिशा में काम दिलाने के लिए निगम द्वारा राज्य में प्रथम बार जयपुर के निकट वृजलालपुरा में एक कम्पोस्ट संयंत्र स्थापित किया गया. यह संयंत्र 1979 जुलाई से प्रारम्भ हो चुका है.

किराये पर मशीनें देने की सेवाएं—निगम भूमि विकास एवम् समतल, कार्य अपने मशीनों के वेड़े के द्वारा प्रदेश के वाहर विभिन्न परियोजनाओं में कर रहा है.

(a) बुल्डोजर्स—निगम के पास 35 बुल्डोजर्स का वेड़ा उपलब्ध हैं जिसे किराये पर उपलब्ध कराता है.

(b) ट्रैक्टर्स—निगम के पास 51 ट्रैक्टर उपलब्ध है. लघु व सीमान्त कृषकों को उचित मूल्य पर उनकी भूमि की जुताई एवम् बुवाई के लिये ये ट्रैक्टर किराये पर दिये जाते हैं.

(c) कम्बाईन हारवैस्टर्स—निगम के पास 22 कम्बाईन हारवेस्टर का वेड़ा उपलब्ध है जिनका प्रयोग गेहूं एवं चावल की फसल काटने एवं उनका गायटा करने में किया जाता है.

व्यापार—निगम रासायनिक खादों, कृषि उपकरणों, ट्रैक्टर्स, लोहा एवम् इस्पात, अतिरिक्त कल-पुर्जे, पौध संरक्षण उपकरण, कीटनाशक औषधियां, पम्प सैट्स, टायर ट्यूब्स, कांटेदार तार तथा पम्प हाऊस आदि का व्यापार कर रहा है. इसके अतिरिक्त निगम एच. एम. टी. जीटर' हिन्दुस्तान एवम् इन्टरनेशनल ट्रैक्टर्स का अधिकृत विक्रेता भी है.

कृषि फार्मस—कृषि विभाग द्वारा अगस्त 1975 में 19 फार्मस निगम को हस्तान्तरित किये गये. परन्तु 1979-80में अधिक उपज देने वाले फार्म उम्मेदगंज फार्म (कोटा) को उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर तथा श्री करणपुर (श्रीगंगानगर) व सेवर फार्म (भरतपुर), कृषि विभाग को हस्तान्तरित कर दिये गये, अब निगम के पास केवल 15 फार्म है. जिनमें केवल 809.90 हैक्टर कृषि क्षेत्र रह गया है इसमें से कृषि योग्य क्षेत्र केवल 494.40 हैक्टेयर ही है. इन फार्मों में विशेप रूप से उन्नत किस्म के बीच उत्पादित किये जाते है. इन समस्त फार्मों से 98.96 लाख रुपये की आय पैदा हुई.

कृषि सेवा केन्द्र—भारत सरकार द्वारा संचालित 'हाफ ऐ मिलियन जॉब' कार्यक्रम के अन्तर्गत निगम ने 564बेरोजगारों कृषि स्नातक एवम् इंजीनियरिंग स्नातक, डिप्लोमा होल्डर्स को प्रशिक्षित कर 365 स्वनियोजन कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किए.

भावी योजनाएं—निगम निम्नलिखित परियोजनाओं द्वारा अपने कार्यकलापों का विस्तार कर रह है—

(i) कम्पोस्ट संयंत्र जोधपुर—इस संयंत्र का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और इसकी क्षमता 125 मैट्रिक टन प्रतिदिन दो पारी के आधार पर है.

(ii) मिल्क कैन संयंत्र—निगम द्वारा एक दूध ढोने के ढोल बनाने का 25000 ढोल प्रति वर्ष की क्षमता का संयंत्रण 49 लाख की लागत से स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है.

(iii) आयल एक्सट्रेक्शन प्लान्ट—निगम द्वारा चावल की भूसी एवं अन्य तिलहनों के खल से तेल निकालने का संयंत्र कोटा में क्रमशः 40 मैट्रिक टन एवं 60 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का स्थापित किया जा रहा है.

राजस्थान राज्य बीज निगम—उन्नत किस्में अधिक उत्पादन का आधार तो होती ही है,साथ ही उनमें अन्य वांछित गुण जैसे कीट एवं रोग रोधकता, सूखे के प्रति सहनशीलता, शीघ्र प्रकाव आदि भी आवश्यकतानुसार पाये जाते है. यह तो एक मानी हुई बात है कि स्वस्थ बीज से स्वस्थ फसल प्राप्त होती. यदि बीज स्वस्थ एवं उन्नत किस्म का है तो अन्य उन्नत वैज्ञानिक कृषि विधियां भी अपनी सार्थकता दिखाने में समर्थ हो सकती.

इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1975-76 में एक राष्ट्रीय बीज परियोजना पर विचार किया गया. इसी योजना के अन्तर्गत 1978-79 में राजस्थान राज्य में एक बीज निगम की स्थापना की गई. यह निगम कृषि विभाग एवम् कृषकों के बीच सम्पर्क की एक मुख्य कड़ी है. निगम पिछले सालों से सम्पूर्ण राजस्थान राज्य की बीज व्यवस्था एवम् उचित समय पर आवश्यक मात्रा में वांछित उन्नत किस्मों के बीजों की उपलब्धि, उत्पादन एवम् वितरण का प्रबन्ध करता आ रहा है. इस संस्था का नाम ही अपने आप में बीज की उन्नत किस्म एवम् अनुवांशिक शुद्धता की गारन्टी है.

किसानों की सुविधा के लिए बीज निगम के बीजों के वितरण का कार्य सभी क्रय विक्रय सहकारी समितियों एवम् राज्य में फैले अनुमानतः 350 पंजीकृत बीज विक्रेताओं के द्वारा किया जा रहा है और ऐसी आशा की जाती है कि भविष्य में बीज वितरण व्यवस्था और भी सुदृढ़ बनाई जा सकेगी.

राजस्थान में कृषि की विशेषताएँ—

1. राज्य की कृषि में शुष्कता और उच्चावचन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है. 50 सेन्टीमीटर की वर्षा रेखा राज्य को दो भागों में बांटती है—

(a) पश्चिमी शुष्क एवम् अर्द्ध शुष्क रेतीले मैदान.

(b) पूर्वी अरावली पहाड़ी मैदान, बनास बेसिन और पठारी क्षेत्र.

2. राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 50 प्र.श. क्षेत्र के अन्तर्गत है.

3. राजस्थान में कृषि उपजों में खाद्य फसलों की अधिक महत्ता है. पूर्वी भाग में जहां गेहूं, मक्का, कपास, गन्ना, तिलहन व चना अधिक बोया जाता है, वहीं पश्चिमी भाग में बाजरा, ज्वार, मोंठ, मूंग आदि बोए जाते हैं. राज्य में खाद्य फसलों के अन्तर्गत कुल फसली क्षेत्रफल का 61 प्रतिशत है.

4. राजस्थान के कृषकों के पास भारत के अन्य कृषकों की अपेक्षा अधिक भूमि है.

5. राज्य में कोई भी फसल विशेष रुप से चारे के लिए नहीं बोई जाती है.

6. राज्य में प्रति हैक्टेयर उपज कम है और अधिकतर फसलों की औसत उपज भारत की अपेक्षा बहुत ही कम है.

7. राज्य में सामान्यतया एक ही फसल बोई जाती है. बोयी गई भूमि के 6.08 प्रतिशत भाग पर ही एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है.

8. कृषि में खाद व उर्वरकों का प्रयोग कम किया जाता है. गोबर जो खाद के काम आ सकती है, ईंधन के काम आती है.

9. राज्य में व्यावसायिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल बहुत ही कम है.

10. राज्य की कृषि प्रकृति पर आधारित है क्योंकि सिंचाई के साधनों की कमी है. इसलिए बहुत सी भूमि व्यर्थ पड़ी रहती है.

11. राज्य में पशुपालन एक प्रमुख व्यवसाय है. इसलिए राज्य की कृषि भूमि पर इसका दवाव अधिक है.

राजस्थान में कृषि विकास की समस्याएं—

मुख्य समस्याएं निम्न है—

(1) पश्चिमी राजस्थान की जलवायु शुष्क है. इसके अधिकांश भाग पर मरुभूमि का विस्तार है. अतः इस क्षेत्र में अकाल की पुनरावृत्ति 6-8 वर्ष में तथा सूखे की हर तीन वर्ष में होती रहती हैं. साथ ही ओला वृष्टि, कभी आंधी-तूफान तथा कभी टिड्डी दल का आक्रमण फसल को नष्ट कर देता है. राजस्थान के लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र पर तेज हवाओं से भूमि कटाव तथा अरावली के पूर्वी भाग में जल अपरदन की विशेष समस्या है.

(2) राजस्थान में अभी भी 80 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर करती है और वर्षा अनिश्चित है

(3) राज्य की भूमि व्यवस्था दोषपूर्ण है. भूमिहीन किसानों का वाहुल्य है.

(4) राज्य के किसान गरीब तथा ऋण ग्रस्त है। फलस्वरुप भूमि पर स्थायी निवेश करने में असमर्थ हैं और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग सीमित मात्रा में ही कर सकते है.

(5) मंडियों के विकास के वावजूद कृषि बिक्री व्यवस्था दोषपूर्ण है.

राजस्थान में कृषि विकास की समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाव—

(1) प्राकृतिक विपदाओं के फलस्वरुप जो हानि होती है तथा विकास मार्ग में जो वाधाएं उत्पन्न होती हैं उनसे निपटने के लिए भू-संरक्षण, वृक्षारोपण व कीटनाशक दवाओं का प्रयोग बढ़ाना चाहिए.

(2) कृषि की वर्षा पर निर्भरता कम करनी होगी और इसके लिए सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना होगा. सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए लघु-योजनाओं को क्रियान्वित करना होगा और एनीकट्स बांधों पर जोर देना होगा.

(3) भूमि की दोषपूर्ण व्यवस्था को सुधारने के लिए भूमि सुधारो को कारगर ढंग से लागू करना होगा.

(4) वित्तीय स्रोत संस्थागत होने चाहिए अतः व्यापारिक वैंक को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है लेकिन अवधि पार ऋणों की समस्या को ठीक ढंग से हल करना होगा.

(5) शिक्षा तथा प्रशिक्षण कृषि के अन्तर्गत ही शामिल किए जाने चाहिए और मौजूदा व्यवस्था में सुधार करके कृपक के दरवाजे पर शिक्षा प्रशिक्षण उपलब्धि की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए.

(6) कृषि मूल्य नीति को प्रभावी तरीके से अपना कर कृपकों को उत्पादन का उचित मूल्य दिलाना चाहिए.

(7) कृपकों के उत्पादों के भंडारण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए

(8) भू-परीक्षण सेवाओं का विस्तार करके किसानों को फसलों की उपयुक्तता के वारे में बताना होगा.

(9) राज्य में उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि करनी होगी.

निष्कर्ष के रुप में कहा जा सकता है कि कृषि विकास के लिए अभी हमें कई सोपानों को पार करना है.

भू-जल सम्पद एवम् सिंचाई

राजस्थान एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है. राज्य की लगभग 70 से 75प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से कृषि एवम् पशुपालन से ही अपना जीविकोपार्जन करती है. राज्य में भूमि मानव अनुपात भी बहुत अनुकूल है लेकिन इसका विकास जल की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण सीमित है. अत सिंचाई देश में कृषि के विकास के लिए अपरिहार्य है. मिट्टी में उपलब्ध आर्द्रता पर सफल कृषि निर्भर करती है जो पौधों के अंकुरित होने तथा विकसित हाने में सहायक होती हैं. यहां तक की शुष्क भूमियों को भी सुधार कर कृषि कार्यों के योग्य बनाया जा सकता है बशर्ते कि उन्हें सिंचाई की पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें. सिंचाई न केवल उत्पादन में वृद्धि करती है बल्कि एक वर्ष में दो या दो से भी अधिक फसलों को प्राप्त करने में भी सहायक होती है. दूसरे, कृषि को स्थायित्व प्रदान करती है.

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है. इसका क्षेत्रफल 34227 लाख हैक्टेयर है. राज्य में लगभग 285.5 लाख हैक्टेयर भूमि कृषि योग्य है. यह भारत के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का लगभग 23.75 प्रतिशत है. राजस्थान में लगभग 173.5 लाख हैक्टेयर पर कृषि हो रही है जो राज्य के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का लगभग 64 प्रतिशत है. शेष 36 प्रतिशत भाग में वर्षा कम होने और सिंचाई के साधनों के अभाव में कृषि नहीं हो पा रही है.

राज्य का उत्तरी एवम् उत्तरी-पश्चिमी भाग, जो सम्पूर्ण राज्य के क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत है, इसमें वर्षा का औसत 10 से.मी. से 40 से.मी. है. नदियां छोटी-छोटी है जो वर्ष भर नहीं बहती. कुछ वर्षा का पानी इन नदियों में आता है, वह वह वर्षाकाल के समाप्त होते ही सूख जाता है. दूसरी तरफ दक्षिणी-पूर्वी एवम् पूर्वी भाग जहां वर्षा ठीक होती है वहां बाढ़ का विकराल रूप धारण कर धन एवम् जन की हानि करता है.

राजस्थान राज्य में चिर-प्रवाही नदियों के अभाव से मरुस्थलीय अंचल की चिरकाल से प्यासी धरती को सिंचित करना निश्चय ही प्रदेश सरकार के सामने एक कठिन कार्य था. राज्य में साहसपूर्वक इस चुनोती का सामना किया और राजस्थान नहर, चम्बल जैसी बहु-उद्देशीय एवम् बड़ी सिंचाई परियोजनाओं तथा जवाई, पार्वती माही जैसी मध्यम श्रेणी की परियोजना द्वारा प्रदेश की कृषि को समुन्नत बनाने के लिए प्रयास किए.

कृषि कृत क्षेत्रफल के लगभग 18 प्रतिशत भाग को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हैं. जबकि राष्ट्रीय स्तर 31 प्रतिशत का हैं. अतः राष्ट्रीय स्तर से राज्य का स्तर बहुत कम हैं. राज्य में कोई चिरप्रवाही नदी नहीं हैं और सारा भूजल केवल मानसून पर ही निर्भर रहता है. भारत में गिरने वाली सम्पूर्ण वर्षा के भूजल का केवल एक प्रतिशत पानी इस राज्य में गिरता हैं. जबकि राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.44 प्रतिशत हैं. राज्य में वर्षा अस्थाई हैं. लगभग हर तीसरे साल अकाल की छाया बन जाती है. राजस्थान में सतह-प्रवाही जल क्षमता का 55.5 प्रतिशत प्रयोग होता है. शेष क्षमता का प्राकृतिक अवरोधों के कारण उपयोग नहीं किया जा सकता. राज्य में सतह पर उपलब्ध जल की मात्रा 6900,000 घन फीट हैं. इसमे से 41,20,000 घन फीट जल क्षमता का प्रयोग सिंचाई साधनों के लिए किया जा सकता हैं. शेष 27,80,000 घन फीट जल क्षमता का प्रयोग प्राकृतिक अवरोधों के कारण सम्भव नहीं है तथा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है. राजस्थान की कुल उपलब्ध जल-क्षमता का सम्पूर्ण उपयोग भी लिया जाय तब भी राजस्थान अपने सिंचाई सुविधा के क्षेत्र को बढ़ाकर राष्ट्रीय औसत तक नहीं ले जा सकता. इसी विडम्बना के कारण अन्तर्राज्यीय परियोजना से सिंचाई के लिए जल प्राप्त करने के अधिकाधिक प्रयास विगत अल्प अवधि में किये गये हैं.

जल स्रोत के दृष्टिकोण से राजस्थान को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे शुष्क क्षेत्र—इसके अन्तर्गत गंगानगर, चुरू, बीकानेर, जैसलमेर,बाड़मेर एवम् जोधपुर जिले आते हैं. दूसरा अर्द्ध शुष्क क्षेत्र—इसके अन्तर्गत सिरोही, पाली, सीकर एवम् झुनझुनू जिले आते है. तृतीय भाग में पहाड़ी क्षेत्र आते हैं जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बून्दी और झालावाड़ जिले आते है. चतुर्थ भाग में केन्द्रीय क्षेत्र हैं जिसके अन्तर्गत जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवम् टौंक जिले आते हैं. क्षेत्र 1 में पानी नहीं के बराबर बहता है जबकि क्षेत्र 2 में कुछ पानी बहता है. क्षेत्र 3 एवम् 4 में जरूर पानी बहता है.

कृषि के राष्ट्रीय आयोग के अनुसार राजस्थान सन् 2000 तक कृषि क्षेत्र के 29 प्रतिशत भाग पर ही सिंचाई के साधन उपलब्ध करा पायेगा और 2025 तक यह 31 प्रतिशत तक बढ़ सकेगा. प्रदेश कृषि क्षेत्र से ज्यादा से ज्यादा 34 प्रतिशत भाग पर ही सिंचाई के साधन जुटा पायेगा. उस समय राष्ट्रीय औसत और भी बढ़ जायेगा. अतः अन्य राज्यों से समझौता आधार पर भू-जल का प्रयोग ही सिंचाई समस्या का स्थायी हल है.

मरुस्थल में मौसम की दशाओं के कारण इस क्षेत्र में न केवल भूमि के उपर स्थित पानी के स्रोतों में कमी रहती है, वरन भूमि के अन्दर स्थित भू-जल स्रोतों की वार्षिक वृद्धि भी काफी कम होती है. मरुभूमि के अधिकांश क्षेत्र में भूमि की सतह के ऊपर स्थित स्रोतों जैसे नदी, तालाब आदि की कमी के कारण इस क्षेत्र में पेयजल कृषि, उद्योग आदि में पानी की आवश्यकताओं के लिए भू-जल स्रोत पर ही मुख्यतया निर्भर रहना पड़ता है.

योजना गत विकास—राजस्थान में बारहमासी नदियां नहीं के बराबर हैं. भू-जल अत्यन्त गहरा और क्षारीय है. इस प्रकार अनिश्चित वर्षा ही सिंचाई का एक मात्र साधन रह जाता है. केवल वर्षा पर निर्भरता कृषि के लिए अभिशाप होती है. अतः सिंचाई के साधनों के विकास से मरुभूमि के अभिशाप को वरदान में बदलने का कार्य स्वतन्त्रता के बाद से किया गया. योजनागत विकास से पूर्व राजस्थान में विभिन्न परियोजनाओं से कुल 4.55 लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी. पांचवी योजना के अन्त तक यह क्षेत्र बढ़कर 39.20 लाख हैक्टेयर हो गया. छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में 5.68 लाख हैक्टेयर की वृद्धि का लक्ष्य था। सातवीं पंचवर्षीय में राज्य में 64.500 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की क्षमता सृजित हो सकेगी. योजनाकाल में इस मद पर (1985-90) 681.07 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान है जो कुल योजना व्यय का 22.7 प्रतिशत है. 1986-87 के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष (1986-87) की कुल योजना का 23.81 प्रतिशत है.

विकास की इस दिशा में राज्य सरकार के भू-जल विभाग और सिंचाई विभाग दोनों समान रूप से सक्रिय है. भू-जल सम्पदा के विकास हेतु सर्वप्रथम भू-जल के स्रोतों का व्यापक सर्वेक्षण आवश्यक है. राजस्थान में भू-जल सर्वेक्षण का कार्य 1967 में भू-जल विभाग द्वारा आरम्भ किया गया था. 1971 तक पूरे राज्य में प्राथमिक सर्वेक्षण समाप्त कर लिया गया. इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में भू-जल स्तर की गहराई, भू-जल की रसायनिक जांच तथा पीने एवम् सिंचाई हेतु उपयुक्तता, वर्तमान कुओं तथा नलकूपों की गहराई तथा उनकी जल-क्षमता आदि से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित किये गये. इसके बाद राज्य की विभिन्न पंचायत समितियों में अर्ध-विस्तृत सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया जो कि वर्ष 1976-77 तक राज्य की समस्त पंचायत समितियों में पूरा कर लिया गया है. इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत पूर्व में वर्णित आंकड़ों के अतिरिक्त पंचायत समिति में भू-जल की वार्षिक वृद्धि यानी पुनर्भरण तथा वार्षिक विकास तथा उपयोग की मात्रा के आंकड़े इकट्ठे किये गये जिसके अनुसार उस क्षेत्र में उपलब्ध भू-जल की अतिरिक्त वार्षिक मात्रा का अनुमान लगाया गया.

1976-77 से राज्य के मरु भाग में स्थित चुरू, पाली, जालोर तथा बाड़मेर जिलों में सूखा संभावित क्षेत्र

कार्यक्रम के अन्तर्गत भू.जल के विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य भू-जल विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया 1977-78 से लूनी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में तथा 1978-79 से जैसलमेर जिले में एवम् सीकर, झुन्झुनु जिलों में कातली नदी के जल-ग्रहण क्षेत्र में भू-जल का विस्तृत सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया. चुरू जिले का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है. बाकी अन्य जिलों का कार्य अभी भी प्रगति पर है. जैसलमेर लूनी नदी बेसिन तथा कांतली नदी बेसिन में विस्तृत सर्वेक्षण शीघ्र पूरा होने का अनुमान है. विस्तृत सर्वेक्षण के अन्तर्गत भू-जलीय तथा भू-भौतिकीय सर्वेक्षण एवम् प्रायोगिक जल कूपो का निर्माण इलेक्ट्रो-लॉगिंग तथा पम्पिग टेस्ट आदि किये जाते है. इस सर्वेक्षण के आधार पर किसी भी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध भू-जल के स्रोत से सम्बन्धित समस्त जानकारी जैसे भू-जल के भावी उपयोग की सम्भावना, नलकूपों की गहराई, उनकी जल क्षमता तथा उपयुक्त स्थान और पेयजल एवम् कृषि हेतु भू-जल की उपयोगिता आदि की जानकारी उपलब्ध होती है. मरुस्थल मे जैसलमेर जिले के राठी, जोधपुर के बोरूंदा, डोली, भंवर, पाल, जालोर जिले के सायला तथा सीकर, चुरू, बीकानेर एवम् नागोर जिले के कुछ क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा पूर्व में यू-एन. डी-पी. परियोजना के अन्तर्गत किया गया है.

मरुस्थल के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर यह जानकारी उपलब्ध हुई कि भू-जल स्तर भूमि की सतह से नीचे लगभग 50 से 100 मीटर की गहराई पर हैं.इस क्षेत्र के अधिकांश भाग जहां पर भू-जल स्तर की गहराई भूमि सतह से अपेक्षाकृत कम हैं ऐसे क्षेत्र लगभग 27 से 40 मीटर गहराई के साधारण प्रकार के खुले कुए बनाने के उपयुक्त हैं. जिनकी जल क्षमता 25 हजार से 80 हजार लीटर प्रतिदिन होने की संभावना हैं. पाली जिले में स्थित आग्नेय एवं परिवर्तित चट्टानों वाले क्षेत्र, लघु क्षमता के लगभग 50 से 60 मीटर गहरे नलकूप बनाने के उपयुक्त हैं. जिनकी जल क्षमता 50 हजार से 1 लाख लीटर प्रतिदिन होने की संभावना हैं. जैसलमेर जिले में स्थित लाठी बेसिन में भू-जल स्तर भूमि की सतह से लगभग 50 से 130 मीटर की गहराई के मध्यम क्षमता के नलकूप बनाने के उपयुक्त हैं, जिनकी जलक्षमता लगभग 75 हजार से 150 हजार लीटर प्रति घन्टा होने की संभावना हैं. मरुस्थल के शेष भाग में अधिकांश क्षेत्र 100 से 200 मीटर गहराई के मध्यम क्षमता के नलकूप बनाने के उपयुक्त हैं जिनकी जलक्षमता 10 हजार से 60 हजार लीटर प्रति घन्टा होने की सम्भावना हैं.

राजस्थान के पश्चिमी भागों में प्राचीन काल की सरस्वती और हाकरा नदियों का लुप्त हुआ जल भूमि के नीचे पाये जाने का अनुमान हैं. लूनी नदी के बेसिन में इस जल स्रोत मिलते है. जैसलमेर से 5 किलोमीटर पश्चिम में 312 मीटर की गहराई पर खोदे गये नलकूप से प्रति घन्टा 3,18,220 लीटर और जैसलमेर के पूर्व में 48 किलोमीटर दूर चान्दन नलकूप से 287 मीटर की गहराई से प्रति घन्टा 2,27,300 लीटर जल प्राप्त हो रहा हैं. इसी प्रकार डाबला के निकट 13 किलोमीटर पूर्व की ओर के क्षेत्र में खोदे गये नलकूप से 1,04,558लीटर जल प्रति घन्टा मिल रहा हैं. भू-गर्भ के नीचे जल के इतने बड़े परिणाम में मिलने से विशेषज्ञों का अनुमान हैं कि जैसलमेर और पोकरन नगरों के बीच 112 किलोमीटर लम्बे क्षेत्र मे मीठे जल के गहरे भण्डार मौजूद हैं.

नल कूपों का निर्माण उन क्षेत्रों में सम्भव हैं जहां जल 150 मीटर से अधिक गहराई पर पाया जाता है. नलकूपों का प्रयोग सामान्यतया वहां किया जाता हैं जहां नहर का जल नही पहुंच पाता. नलकूपों के निर्माण के लिए निम्न दशायें आवश्यक हैं—

(1) भूमि तल के नीचे जल की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए जिससे वह धरातल की मांग को स्थायी रूप से पूरा कर सके.

(2) जल का तल धरातल से 150 मीटर की गहराई से अधिक न हो तथा उसका तल साधारण जल तल से नीचा हो.

(3) सिंचाई की मांग औसत रूप से एक वर्ष में 3200 घंटे हो.

(4) सस्ती विद्युत शक्ति की उस क्षेत्र में सुविधा हो.

मरुस्थल के अधिकांश भाग में भू-जल सामान्यतया खारा है. खारे पानी वाले क्षेत्र के मध्य में भी रासायनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त पानी के क्षेत्र स्थित है जिनकी जानकारी सर्वेक्षण तथा प्रायोगिक नलकूपों के निर्माण द्वारा प्राप्त की जाती है. ऐसे क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त होने पर इन क्षेत्रों में नलकूपों के निर्माण द्वारा भू-जल का भावी विकास किया जाता है.

भू-जल विभाग द्वारा राज्य में किये गये अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण में जो आंकड़े एकत्र किये गये हैं उनके अनुसार मरुस्थल के विभिन्न जिलों में भू-जल स्रोत के वर्तमान वार्षिक पुनर्भरण तथा विकास के आधार पर अनुमानित अतिरिक्त भू-जल मात्रा की जानकारी निम्न तालिका-1 में दी गई है.

तालिका संख्या 1

(मिलियन क्यूबिक मीटर्स में)

जिला	वार्षिक पुनर्भरण	वार्षिक निकास	वार्षिक उपलब्ध अतिरिक्त स्रोत
1. गंगानगर	155	94	61
2. चूरू	210	13	197
3. झुनझूनू	309	102	207
4. सीकर	452	161	291
5. नागौर	545	135	410
6. बीकानेर	91	8	83
7. जोधपुर	445	145	300
8. बाड़मेर	193	64	129
9. पाली	437	182	255
10. जालौर	445	121	324

जैसलमेर जिले के लाठी बेसिन क्षेत्र में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा किये गये विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस क्षेत्र में भू-जल स्रोत की वार्षिक खनन क्षमता लगभग 143 मिलियन क्यूबिक मीटर्स है. इस प्रकार पूरे मरुस्थल क्षेत्र के 11 जिलों में भू-जल स्रोत के वार्षिक पुनर्भरण तथा वर्तमान में वार्षिक खनन् क्षमता की कुल मात्रा लगभग 3425 मिलियन क्यूबिक मीटर्स है तथा वार्षिक निकासी यानी उपयोग की मात्रा लगभग 1,025 मिलियन क्यूबिक मीटर्स है. इस प्रकार मरुस्थल क्षेत्र में उपलब्ध भू-जल के अतिरिक्त स्रोत की वार्षिक मात्रा लगभग 2400 मिलियन क्यूबिक मीटर्स है.

1949 से 1956 की अवधि के दौरान केवल 12 नलकूप ही स्थापित किये गये लेकिन नलकूपों से सम्बन्धित वास्तविक कार्य 1956 से प्रारम्भ हुआ. द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में नलकूपों की दशा में काफी विकास किया गया. 1956-57 में केवल 3 नलकूप लगाये गये. 1963-64 के अन्त तक राज्य में 163 नलकूप लगाये जा चुके थे. 1971 तक नलकूपों की संख्या 525 हो गई थी जिसमें से अधिकतर नलकूप धनी कृषकों एवम् भूतपूर्व जागीदारों द्वारा लगवाये गये थे.

चौथी पंचवर्षीय योजना से सरकार ने कृषकों को नलकूप लगाने के लिए सरल शर्तों पर ऋण देने की व्यवस्था प्रारम्भ करवा दी जिससे नलकूपों की संख्या में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो गई। योजना के अन्त तक नलकूपों की संख्या 876 हो गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में राज्य के पश्चिमी मरुभूमि में 110 नये नलकूपों की खुदाई के साथ साथ किसानों को बिजली उपलब्ध करवाने के लिए कई विद्युत योजनायें भी लागू की गई जिससे नलकूपों का सदुपयोग हो सके।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 1983 तक 81 लाख रुपयों की लागत से 52 नलकूपों की खुदाई का कार्य करवाया जा चुका है. मरुस्थलीय क्षेत्रों के अभाव ग्रस्त गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु

दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में 22 नलकूपों की खुदाई कराई गई है.

नवगठित जल निगम से अनुसार राज्य के पूर्वी भाग में सीकर व झुनझुनु जैसे मरुस्थलीय जिलों सहित जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर धोलपुर जिला में लगभग 1140 मिलियन घन मीटर अतिरिक्त भू-जल उपलब्ध है. अतः इन स्थानों पर 2500 नलकूप सिंचाई के लिए बनाए जा सकते है। निगम ने भू-जल के सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है और स्थानों का चुनाव भी कर लिया है. 1985 में 25 नलकूप तैयार किए गए.

सिंचाई—सिंचाई विभाग का दायित्व सतही जल क्षमता के उपयोग का है. योजनाकाल में सिंचित क्षेत्र का विकास हुआ है लेकिन अभी भी राष्ट्रीय स्तर से बहुत जम है. इसके अतिरिक्त पड़ोसी राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की तुलना में यह औसत और भी कम है. इस अवधि में चम्बल नहर जैसी बहुउद्देशीय परियोजना एवम् अनेक मध्यम परियोजनायें पूर्ण की गई हैं. पांचवी योजना के अन्त तक विभिन्न सिंचाई योजनाओं की कुल सिंचाई क्षमता 18.54 लाख हैक्टेयर थी. भाखड़ा नांगल तथा गंगानगर से अतिरिक्त सिंचाई साधन उपलब्ध हुए हैं. राजस्थान नहर, माही एवम् जाखम परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है.

राज्य में सिंचाई के लिए उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोग तथा काश्तकारों को भविष्य में अधिकतम लाभ दिलाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रभावशाली कदम उठाये गये हैं.

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति—राजस्थान के निर्माण से पूर्व सिंचाई की ओर किसी भी रियासत ने ध्यान नहीं दिया. एक तो रियासतें छोटी थी तथा साथ ही आर्थिक साधन भी सीमित थे. दूसरे नदियां कई रियासतों में से होकर प्रवाहित होती थी, इसलिए किसी एक रियासत का उन पर आधित्य नहीं था. अतः कोई भी बड़ी सिंचाई योजना को हाथ में लेना उनके लिए सम्भव नहीं था.

1949 में राजस्थान के गठन से पूर्व कुल 3.30 लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी. बीकानेर राज्य की गंगानहर से केवल 2 लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती थी. राज्य की महत्वपूर्ण नदियों जैसे चम्बल, बनास एवम् माही आदि के पानी का भी उपयोग सिंचाई के लिये नहीं होता था.

प्रथम पंचवर्षीय योजना—इस योजना के अन्तर्गत सिंचाई एवम् शक्ति के विकास पर राज्य एवम् केन्द्रीय सरकार ने 31.48 करोड़ रुपये व्यय किये. इस योजनाकाल में दो बहुउद्देशीय योजनायें—भाखड़ा नांगल व चम्बल, 111 बड़ी व मझली योजनायें, 21 अभाव ग्रस्त क्षेत्र योजनाएं तथा 225 लघु योजनाओं का श्रीगणेश किया गया. इसके परिणाम स्वरुप सिंचित क्षेत्र 1950-51 के 11.74 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 1955-56 में 13.6 लाख हैक्टेयर हो गया.

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—इस योजनाकाल में सिंचाई तथा ऊर्जा के विकास पर 36.33 करोड़ रुपये खर्च किये गये. फलस्वरुप प्रथम योजना की अधूरी योजनायें तथा 19 बड़ी व मंझली योजनाएं एवम् 110 लघु योजनाएं हाथ में ली गई थी.

इन्दिरा नहर (राजस्थान नहर) का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया. चम्बल नदी से सिंचाई के लिए पानी मिलना प्रारम्भ हो गया. प्रथम योजना के सिंचित क्षेत्र में 4 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र की वृद्धि हुई।

तृतीय पंचवर्षीय योजना—इस योजना काल में सिंचित व शक्ति पर 115.58 करोड़ रुपये व्यय किये गये इस अवधि में पोंग बांध, इन्दिरा नहर चम्बल परियोजना आदि पर कार्य किये गये जिससे सिंचाई क्षमता 22.16 लाख हैक्टेयर हो गई. इस प्रकार राज्य की सिंचाई क्षमता में 4.66 हैक्टेयर की वृद्धि हुई.

वार्षिक योजनाए (तीन)—तीन वार्षिक योजनाओं (1966-69) में राज्य सरकार ने 86.75 करोड़ का व्यय सिंचाई व विद्युत विकास योजनाओं पर किया. सिंचित क्षेत्र 22.16 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 1968-69 के अन्त में 23.5 लाख हैक्टेयर हो गया.

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना—योजनाकाल में किए गए विकास व्यय 189 करोड़ रुपये (सिंचाई व विद्युत विकास) के कारण सिंचित क्षेत्र 26.4 लाख हैक्टेयर हो गया. इस प्रकार योजनाकाल में 3 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचित क्षमता में वृद्धि हुई.

पांचवी पंचवर्षीय योजना—इस योजना में भी सिंचाई एवम् विद्युत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई. योजनाकाल में 490.68 करोड़ रुपये व्यय किए गए. इनके परिणाम स्वरुप 1977-78 तक सिंचित क्षेत्र 30 लाख हैक्टेयर हो गया.

छठी योजना—सिंचाई एवम् विद्युत कार्यों के विकास पर लगभग 950 करोड़ रुपये व्यय का लक्ष्य था. योजना की समाप्ति तक 1984-85 में सिंचित क्षेत्र 45 लाख हैक्टेयर करने का लक्ष्य था.

सातवी पंचवर्षीय योजना—इस योजना में अकेले सिंचाई पर 681.07 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान है और सिंचाई क्षमता 64.500 हैक्टेयर में बढ़ाने का लक्ष्य है.

वर्ष 1981-82 में राज्य में नहरों से 28 हजार हैक्टर के लक्ष्य के मुकाबले 29,970 हैक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया गया है.इसके अतिरिक्त वर्ष 1982-83 के अन्त तक राजस्थान नहर परियोजना के माध्यम से 46 हजार हैंक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा जुटाई गई.

छठी पचवर्षीय योजना में राज्य की बहुद्देशीय बड़ी एवम् मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 393 करोड़ 37 लाख रु. आवंटित किया गया है. इसमें से योजना के प्रथम तीन वर्षों में (80-81, 81-82 तथा 82-83 तक) 194 करोड़ 70 लाख रु. व्यय किये जा चुके है. 81-82 में इन कार्यो पर 64 करोड़ 41 लाख रु. व्यय किये गये है.

राज्य में वर्ष1981-82के अन्त तक दो बहुद्देशीय, 50 मध्यम तथा 614 लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है एवम् उनसे वांछित सिंचाई क्षमता प्राप्त की गई.

वर्ष 1982-83 में राजस्थान नहर परियोजना, माही बजाज सागर तथा व्यास परियोजना के अन्तर्गत चल रहें कार्यों के अतिरिक्त 1981-82 के चालू चम्बल बहुद्देशीय योजना के बकाया कार्य, चम्बल लिफ्ट योजना, 5 बड़ी, 14 मध्यम तथा 20 आधुनिकीकरण परियोजना पर कार्य किया गया.

राज्य योजना के अन्तर्गत86लघु सिंचाई योजनाएं कार्यरत हैं. इसके अतिरिक्त विशिष्ट योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत 60 परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी चल रहा है. इसमें से 29 सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास, 29 मरु विकास कार्यक्रम तथा 2 जनजाति विकास कार्यक्रम विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत निर्माणाधीन है.

वर्ष 1982-83 में 146 लघु सिंचाई योजनाओं से 12 हजार 500 हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया जबकि 1981-82 में यह 8 हजार हैक्टर था. 1983-84 के लिए राज्य योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया जिसमें से 1 करोड़ रुपये जनजाति क्षेत्र उपयोजनाओं के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के लिए आरक्षित किया है.

इन्दिरा नहर परियोजना पिछले 28 वर्षों से निमार्णाधीन है. प्रारम्भ में यह 1958 में 66करोड़ रुपये की लागत की बनी थी. इस योजना पर मार्च 1984 तक 405 करोड़ रुपये के लगभग व्यय किया जा चुका है फिर भी इस परियोजना के द्वितीय चरण का निर्माणाधीन कार्य काफी शेष है. अब इस पर कुल 1500 करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है इन्दिरा नहर परियोजना को पूर्व में 1985-86 तक पूरा करने का प्रस्ताव था, किन्तु धन, सीमेन्ट एवम् कोयले की उपलब्धता में कमी से कुछ कहा नहीं जा सकता यह कब पूरी होगी .

1955 के अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार रावी, व्यास व सतलज नदियो के उपलब्ध 23 लाख हैक्टेयर मीटर पानी राजस्थान को आवंटित किया गया. राजस्थान के हिस्से का यह पानी पंजाब के हरिके बेराज से एक लम्बी नहर द्वारा राजस्थान की मरुभूमि में लाना तय किया गया. पंजाब में हरिके बैराज से बाड़मेर जिले में

गडरारोड तक जाने वाली 9,425 किलोमीटर लम्बी इस नहर परियोजना द्वारा राजस्थान को आवंटित पानी में 1.25 लाख हैक्टेयर मीटर पानी का उपयोग गंगनहर, भाखड़ा नहर व सिद्धमुख फीडर में किया जाना है.

इस नहर के दो भाग है—पहला राजस्थान फीडर तथा दूसरा मुख्य नहर. राजस्थान फीडर की लम्बाई204 किलोमीटर है. यह 169 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा राज्यों में बहने के पश्चात 35 किलोमीटर राजस्थान में गंगानगर जिले के मसीतावाली हैड तक जाती है. राजस्थान फीडर का सितम्बर 1961 को ही पूरा कर लिका गया. इससे लगभग 50 हजार हैक्टेयर भूमि सींची जा सकती है.

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर तथा 5830 किलोमीटर लम्बी वितरण प्रणाली के निर्माण कार्य प्रस्तावित है. इसमें से मुख्य नहर के 187 किलोमीटर तथा वितरण प्रणाली के 252 किलोमीटर लम्बाई में निर्माण कार्य पूरे कर लिये गए है.

राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस परियोजना हेतु 162.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. परिवर्तित कार्यक्रम के अनुसार कार्य किए जाने के लिए राजस्थान सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप तथा परियोजना के महत्व को देखते हुए केन्द्र सककार ने छठी पंचवर्षीय योजना के आखिरी तीन वर्षों में 40 करोड़ रुपये की धन राशि विशेष योजना सहायता के रूप में देने की स्वीकृति प्रदान की है. इससे आशा व्यक्त की गई है कि योजनाकाल में 9.12 लाख हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उपलब्ध हो जायेगी.

माही वजाज सागर परियोजना—

राजस्थान के युगों से पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्र बांसवाडा में एक नये युग का सूत्रपात माही बजाजसागर परियोजना के द्वारा किया जा रहा है. वाँगड़ और कांठल क्षेत्र की गंगा माही नदी जिसका उद्गम मध्यप्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से है. उत्तर-पश्चिमी दिशा में बहती हुई 169 किलोमीटर के पश्चात बांसवाड़ा के समीप राग्रस्थान में प्रवेश करती है. राजस्थान में यह लगभग 171 किलोमीटर तक बहती है.

इसका कार्य 1959-60 में प्रारम्भ किया गया. इस परियोजना में 104 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर है और यह 31 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगी. परियोजना के प्रारम्भ में इसकी इसकी लागत 29 करोड़ रुपये आंकी गई थी लेकिन 1984-85 में इसकी कुल लागत का अनुमान लगभग 182 करोड़ रुपये किया गया जिसमें से 120 करोड़ के लगभग व्यय कर दिया गया. इस क्षेत्र की जनता माही परियोजना की उपोदयता से सुपरिचित है. सबकी नजरें आशामयी भविष्य के उस सुनहरे समय की ओर लगी है जब यह क्षेत्र भरपूर जल से सिंचित होगा और विद्युत शक्ति के उत्पन्न होने से औद्योगिक प्रगति हो सकेगी.

जाखम परियोजना—जाखम परियोजना भी, जो बड़ी परियोजनाओं की श्रेणी में आती है, जन जाति उपयोजना क्षेत्र में स्थित है. राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के जोत भले ही छोटे हैं परन्तु वहां की प्यासी धरती को पानी मिल जाय तो सोना उगल सकती है. पुरातन काल से सघन वनों स आच्छादित रहे धरियावाद और प्रतापगढ़ के एक सौ सात गांवों की ऐसी ही 52,354 एकड़ कृषि भूकि का कायाकल्प करने वाली जाखम सिंचाई परियोजना वहां के आदिवासी कृषकों के लिए वरदान सिद्ध हो सकेगी.

लगभग 43 करोड़ रु. की लागत की इस सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य वर्स 1985-86 में पूर्ण हो जाने को सम्भावना थी लेकिन पूरा नहीं हो सका. इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले 13,451 कृषकों में से 1443 अनुसूचित जाति एवम् 8,153 अनुसूचित जन जाति के परिवार हैं जो इस क्षेत्र के कुल काश्तकारों का 72 प्रतिशत है. इस परियोजना को, शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराभे जाने का प्रयास किया जा रहा है और वर्ष 1983-84 के लिए 6 करोड़ रुपये व्यय किए गए.

इस परियोजना का जब प्रारुप तैयार किया गया तब इसकी अनुमानित लागत 11 करोड़ 60 लाख रुपये

आंकी गई थी लेकिन 1984 में इसका अनुमान 43 करोड़ हो गया जिसमें से 31.65 करोड़ रुपये उस समय तक खर्च हो चुके थे.

पिक-अप वियर को सुदृढ़ करने तथा सुरक्षित बनाने की दृष्टि से केन्द्रीय जल आयोग ने रूपरेखा तैयार की है. नहरों की निकासी के लिए हैडवर्क्स भी तैयार हो चुका है. इस लघु बांध के दोनों किनारों से 63 किलोमीटर लम्बी दो प्रमुख नहरें निकाली गई है. शाखा नहरों तथा माइनरों की लम्बाई 225 किलोमीटर होगी. जल धोरों का निर्माण सातवीं योजना में पूरा करने का प्रस्ताव है.

इस परियोजना से रबी में 60 प्रतिशत और खरीफ में 20 प्रतिशत सिंचाई का प्रस्ताव है. धारियावद के कुल 104 गांव और प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) तहसील के 3 गांवों को इससे सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी.

राज्य में वर्तमान में 14 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है. इनमें से कुछ पूरी हो चुकी है और कुछ प्रगति पर है. इनमें से 9 परियोजनाएं अमरीकी सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है. इनमें से हरिश्चन्द्र सागर एवम् वागन परियोजना तथा मेजा फीडर, सोमकागदर और कोठारी पूरी चुकी है.

राजस्थान में सिंचाई के लिए जल स्रोत समिति होने के कारण लम्बे अर्से से अन्तर्राज्जीय समझौतों के अन्तर्गत सीमावर्ती राज्यों की नदियों से पानी प्राप्त होता रहा है. परन्तु इन नद्रियों से सिंचाई के लिए राजस्थान को मिलने वाले पानी की उपलब्धि स्थिर एवम् सुनिश्चित नहीं रही. इस दिशा में वर्तमान सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरुप दिसम्बर 1981 में रावी-व्यास नदियों के पानी के बढ़वाने के लिए एक ऐतिहासिक अन्तर्राज्यीय समझौता किया जिसके अनुसार राज्य को 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी अधिक मिला और रावी नदी के पानी का नियंत्रण भाखड़ा प्रबन्ध मण्डल के पास रखा गया. इस समझोते से राजस्थान को अब कुल 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा.

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गं विभिन्न बड़ी मध्यम व लघु सिंचाई योजनाओं से 5.68 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध प्रथम तीन वर्षों में 1.50 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उत्पन्न की गई. लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए प्रयास किये गए यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य में उपलब्ध विभिन्न सिंचाई स्रोतों के उपयोग किये जाने के बावजूद भी राज्य में औसत सिंचाई वर्तमान में राष्ट्रीय औसत से कम ही रहेगी.

सातवीं पंचवर्षीय योजना में बीसलपुर परियोजना हाथ में ली जायगी जिसकी अनुमानित लागत 150 करोड़ रुपये है. यह बनास नदी के किनारे बिसलपुर-बांध बनाकर क्रियान्वित की जायेगी. इससे टोंक, बून्दी तथा सवाई माधोपुर जिलों के 571 गांवों की 80 हजार हैक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई सुविडाएं उपलब्ध हो सकेगी.

अन्य प्रस्तावित योजनाएं जैसे पीपलेट, ओलवाड़ा, कोली, हम्मीर सागर, नारायणपुरा पंमारा आदि है. इनके पूरी होने से राजस्थान राज्य की कृषि भूमि को सिंचाई की ओर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी.

इन्दिरा गांधी नहर

(राजस्थान नहर)

राजस्थान के विशाल रेतीले भू-भाग में जहां कभी सरस्वती नदी बहती थी अब हिमालय के जल को प्रवाहित करने की महती योजना मूर्त रूप ले रही है. विश्व में कहीं भी इसके समक्षक परियोजना का निर्माण करने का प्रयास नहीं किया गया है. थार रेगिस्तान में हिमालय का पानी लाने का सर्व प्रथम प्रयास बीकानेर रियासत में किया गया. तथा तत्कालीन महाराजा गंगासिह ने किया और गंगा नहर से श्रीगंगानगर जिले को सरसब्ज किया गया.

राजस्थान नहर की परिकल्पना रियासत के तत्कालीन इंजिनियर श्री कंवर सेन ने सन् 1948 में की और अपने प्रारम्भिक अध्ययन की रिपोर्ट "बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता" के रूप में भारत सरकार को प्रस्तुत की तथा इसका कार्य नांगल बांध के साथ ही शुरू किये जाने की पेशकश की. विभाजन की राजनैतिक कठिनाइयां और वित्तीय कारण से उक्त कार्य को उस समय हाथ में नहीं लिया जा सका. 1955 में सिन्धु नदी जल बटवारे के सम्बन्ध में नेहरु-लियाकत समझौते के उपरान्त इसका मार्ग प्रशस्त हुआ.

राजस्थान नहर का निर्माण भौगोलिक परिस्थितियों से संघर्ष करके रेगिस्तान में जलधारा लाने का एक साहसिक मानवीय प्रयास है. एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित यह नहर इस पिछड़े क्षेत्र में नवजीवन के सूर्योदय के रूप में सिद्ध हो रही है. राजस्थान के कुल 3.40 करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र में से 37 प्रतिशत क्षेत्र तो मरुस्थल ही है जो कि अरावली के पश्चिम में स्थित थार के रेगिस्तान का एक हिस्सा है. इस भाग में 8 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चुरू, नागौर व पाली अवस्थित हैं. दुर्भाग्य से यह क्षेत्र कृषि योग्य होते हुए भी थोड़े से सिंचित क्षेत्र को छोड़कर शेष सारा बंजर हैं. इस मरुधरा के पश्चिम में पाक सीमा से लगने वाले अंचल को जलधारा लाकर नवजीवन प्रदान करने के लिए ही राजस्थान नहर का निर्माण किया जा रहा है.

राजस्थान दिवस की नवीं वर्षगांठ के अवसर पर दिनांक 30 मार्च 1958 को भारत सरकार के तत्कालीन गृहमंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पंत ने राजस्थान नहर का शिलान्यास किया. अक्टूबर 1961 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति डा. राधकृष्णन ने इस नहर में जल प्रवाह करके उद्घाटन किया. पंजाब राज्य में सतलुज एवम् व्यास नदियों के संगम पर बने हरिके बैराज से राजस्थान फीडर नहर' प्रारम्भ होती है जो की पंजाब एवम् हरियाणा राज्य के क्षेत्र में 177 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होने के पश्चात् श्रीगंगानगर जिले की टीबीं तहसील के ग्राम खारा के निकट राजस्थान में प्रवेश करती हैं. राजस्थान नहर के मसीतावाली हैड से रावतसर शाखा एवम् नौरंगदेसर शाखा निकलती है. इस हैड के पश्चात् यह नहर गंगानहर जिले की तहसील नोहर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ एवम् अनूपगढ़ के क्षेत्रों को सिंचित करती हुई बीकानेर जिले में प्रवेश करती है.

राजस्थान नहर परियोजना के प्रमुख निर्माण कार्यों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(1) राजस्थान फीडर का निर्माण

(2) राजस्थान मुख्य नहर का निर्माण

(3) राजस्थान नहर की 9 शाखाओं, 21 उप शाखाओं तथा वितरक नहरों का निर्माण

(4) लिफ्ट नहरों के निर्माण की व्यवस्था.

सिन्धु जल सिन्ध के अनुकरण में सिन्धु नदी की सहायक नदियों-रावी और व्यास के पानी को तीसरी सहायक नदी सतलुज में लाकर व्यास व सतलुज के संगम पर 'हरिके बैराज' बनाकर इन नदियों के लगभग80लाख

एकड़ फुट जल के हिस्से के उपयोग के लिए 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर तथा 445 किलोमीटर लम्बी राजस्थान मुख्य नहर (कुल 649 किलोमीटर) का निर्माण कार्य मार्च 1958 में प्रारम्भ किया गया. कुल सम्भावित कमाण्ड क्षेत्र लगभग 28 लाख हैक्टर में से वर्तमान आकार एवम् अनुमानों के अनुसार कृषि योग्य क्षेत्र 11.42लाख हैक्टेयर हैं जिस पर वर्तमान आकार में सिंचाई सघनता 110 प्रतिशत के अनुसार 12.60 लाख हैक्टेयर सिंचाई करके लगभग 30 लाख टन खाद्यान्न उत्पन्न करने का अनुमान है.

प्रथम चरण—निर्माण की सुविधा के लिए इस योजना का दो भागों में विभाजित किया गया है. प्रथम चरण में 204 किलोमीटर की लम्बाई में राजस्थान फीडर जून, 1964 में बनकर तैयार हो गई. इसी प्रकार राजस्थान मुख्य नहर 189 किलोमीटर की लम्बाई में जून, 1975 में बनकर तैयार हो गई. प्रथम चरण के अन्तर्गत लगभग 29000 किलोमीटर की लम्बाई में वितरण प्रणाली निर्मित किये जाने का लक्ष्य था. मुख्य नहर किलोमीटर 0 से 74 के हिस्से में 1850 किलोमीटर की लम्बाई में वितरिकाओं का जाल विछाया जाना था, जिसके विरूद्ध अब तक 1793 किलोमीटर की लम्बाई में कार्य सम्पादित किया जा चुका है. इसके अन्तर्गत मुख्य नहर के किलोमीटर 74 से किलोमीटर 189 तक निकलने वाली वितरक प्रणाली जिसकी लम्बाई 820 किलोमीटर है, का कार्य वर्ष 1981-82 में पूर्ण करलिया गया है.

सूरतगढ़ शाखा, अनुपगढ़ शाखा व पूंगल शाखा इन्दिरा नहर के प्रथम चरण में से निकलने वाली प्रमुख शाखा हैं। प्रथम चरण का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा बीकानेर लूणकरणसर जलोत्थान नहर 1976 में बनकर तैयार हो गया है तथा चौथे पम्पिग स्टेशन तक वितरक प्रणाली 1980 में पूरी कर ली गई थी. शेप कार्य मार्च 1984 तक पूरा किये जाने का कार्यक्रम है. इसी प्रणाली में 1342 किलोमीटर लम्बी पक्की जलधाराओं में से अब तक 1151 किलोमीटर पक्की जलधारायें निर्मित की जा चुकी है.

नौरंगदेसर, रावतसर, खेतावली, जाखपुरा वितरक नहरों का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है. प्रथम चरण का कार्य लगभग पूरा हो गया है. प्रथम चरण में 5.34 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र को सिंचित करने का कार्यक्रम है. इस क्षेत्र में 110 प्रतिशत सघनता के अनुसार वार्षिक सिंचाई 5.86 लाख हैक्टेयर में होगी. प्रथम चरण का कार्य लगभग पूरा हो गया है. इस चरण में वर्ष 1961-62 में सिंचाई प्रारम्भ हो गई थी.वर्ष 1981-82 में गंगानगर व बीकानेर जिलों में 4.02 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हुई जिससे लगभग 100 करोड़ रुपये का अधिक वार्षिक उत्पादन हुआ. प्रथम चरण में 214 करोड़ रु. खर्च किया जाना था जिसमें से 209 करोड़ रुपया (1981-82) तक खर्च किया जा चुका है' 1985 मार्च तक 225.90 करोड़ रुपये व्यय हो चुके है.

द्वितीय चरण—परियोजना के द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर व 5830 किलोमीटर लम्बी वितरक प्रणाली का कार्य सम्मिलित है.द्वितीय चरण के प्रारम्भिक निर्माण कार्य के लिए सड़क,जल व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था हेतु लाइनें बिछाना एवम् सर्वेक्षण आदि 1971-72 में प्रारम्भ कर दिये थे, जनवरी 1983 तक 148 किलोमीटर राजस्थान मुख्य नहर तथा 190 किलोमीटर लम्बाई में वितरक प्रणाली जिसमें दातौर, भुट्टेवाली, बिसलपुर और चारणवाली प्रणालियां शामिल है का कार्य पूरा किया गया है.

मुख्य नहर का 187 किलोमीटर लम्बा भाग पूरा कर जैसलमेर जिले में पानी पहुँचा दिया गया है. इसके साथ ही 252 किलोमीटर लम्बी वितरक प्रणाली भी पक्की बनाई जा चुकी है. शेष कार्य भी शीघ्र पूरा हो इसलिए द्रुतगति में निर्माण कार्य कराए जा रहे है.पोलिथन लाईनिंग (पक्का करना) वाली इस जलप्रदाय नहर द्वारा पानी जैसलमेर जिले में नहर के अन्तिम छोर तक पहुंचाया गया है. उपलब्ध पानी का उपयोग शीघ्रातिशीघ्र करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से

विचार विमर्श करके द्वितीय चरण के लिए एक नई कार्यशैली का विकास किया है जिसके फलस्वरूप 17 अक्टूबर 1983 को पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ से लगभग 18 किलोमीटर आगे इन्दिरा नहर का पानी पहुंचाया गया है. मुख्य नहर के अन्तिम छोर की बुर्जी 1460 को पार करते हुए नहर का पानी सागरमल गोपा शाखा (लीलवा-डिग्गा)की बनाई गई जल आपूर्ति चैनल की बुर्जी47 तक पहुंच चुका है. मोहनगढ़ क्षेत्र के निवासियों एवम् पशु-पक्षियों को अब पहली बार मीठा पेयजल सुलभ होने लगा है.27 जनवरी 1985 को बुर्जी12.02 से 1257 5 तक जैसलमेर जिले के आगे के मरुक्षेत्र के लिए सिंचाई व पेयजल हेतु इस नदर में जल प्रवाह करवाया गया है.

राजस्थान नहर के दूसरे चरण में 6लाख 9हजार हैक्टेयर में सिंचाई होगी जिसमे से अधिकांश क्षेत्र राजस्थान नहर के अन्तिम छोर पर है. इसमें से 3.50 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई लीलवा-डिग्गा शाखाओं के निर्माण का कार्य भी मुख्य नहर के साथ ही शुरू करवा दिया है. मुख्य नहर के किलोमीटर 366 से 445 तक पानी की चैनल बिछाने का काम हो गया है. इससे जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी ऐसा विश्वास है.

दूसरे चरण में सिंचाई के लिए पानी का पूरा उपयोग करने के लिए शाखाएं तथा उपशाखाओं के निर्माण में भी तेजी लाने का प्रयास किया है. सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी का 110 प्रतिशत सघनता से उपयोग करने पर 46 हजार हैक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी. अब सरकार ने 1983-84 में 172 किलोमीटर लम्बी वितरिकाओं के पक्के निर्माण का कार्य हाथ में लिया है. जिससे 74 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.

दूसरे चरण में वितरिकाओं के निर्माण की गति मुख्य नहर के निर्माण की गति को देखते हुए बहुत ही धीमी है. इसका मुख्य कारण कोयले व सीमेन्ट की उपलब्धि मे कमी होना था जिसकी वजह से रावी-व्यास में राजस्थान के हिस्से के पूरे पानी का उपयोग बहुत जल्दी नहीं हो सकता था. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दिसम्बर 1982 में राजस्थान सरकार ने वितरिकाओं के निर्माण की नई संशोधित नीति अपनाई जिसके तहत मुख्य नहर के निर्माण को मार्च 1985 तक पूरा करने के साथ ही सिंचित क्षेत्र में कच्ची वितरिकाओं के निर्माण का काम भी पूरा करने का निर्णय किया गया जिससे कि उपलब्ध पानी का सिंचाई के लिए पूरा उपयोग किया जा सके. इन छोटी नहरों के मुख्य सिरे और महत्वपूर्ण स्थानों को पक्का कर दिया जायेगा जिससे पानी के उपयोग के समक कोई दिक्कत नहीं आ सके. बाद में सातवीं पंचवर्षीय योजना में धनराशि, सीमेन्ट. कोयले आदि की उपलब्धि के अनुसार कच्ची नहरों को पक्का करने का काम भी हाथ में लिया गया पिछले वर्षों में कोयला खानों से परियोजना स्थल तक कोयला लाने के लिए पर्याप्त वैगन उपलब्ध नहीं थे. फरवरी 1981 में भारत सरकार द्वारा राजस्थान के लिए हर माह तीन रेल्वे रैक और सिंचित क्षेत्र के विकास के लिए तीन रैक आवंटित करने का निर्णय किया गया. नवम्बर 1981 तक इस निर्माण का क्रियान्मयन ठीक ढग से होता रहा. लेकिन इसके बाद सिंगरौली की कोयला खानों से जो कोयला मिला वह घटिया किस्म का था अतः अधिक की आवश्यकता पड़ेगी. कोयले की कमी से पूर्व में सीमेंट की कमी महसूस नहीं की गई पर अब बिजली की कमी से चित्तोड़गढ़, उदयपुर व निम्बाहेड़ा से सीमेन्ट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. इन सब कठिनाइयों के बावजूद राज्य सरकार के द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों के फलस्वरूप छठी योजना के अन्त तक पूर्व नियोजित सिंचाई क्षमता में 2.62 लाख हैक्टेयर की तुलना में 3.72 लाख हैक्टेयर की अभिवृद्धि सम्भव हुई वर्तमान आकार के अनुसार दूसरे चरण के पूरा हो जाने के उपरान्त 6.09 लाख हैक्टेयर सिंचित योग्य क्षेत्र हो सकेगा.

इस नहर परियोजना के अन्तर्गत 9 शाखाओं, 21 उपशाखाओं तथा कई वितरक नहरों का निर्माण कार्य सम्मिलित है. इस परियोजना की कुल लम्बाई

65.00 किलोमीटर तथा छोटी वड़ी सभी नहरों, नालियों आदि को मिलाकर कुल लम्बाई 54 हजार किलोमीटर होने की आशा है.

ऊंचे एवम् सुदूर भू-भागों में नहर का पानी पहुंचाने के लिए लिफ्ट व्यवस्था इस परियोजना का प्रमुख अंग है. जिसमें 6 लिफ्ट सिंचाई नहरों का निर्माण कार्य शामिल है प्रथम चरण मे बीकानेर-लूनकरणसर लिफ्ट व्यवस्था तथा शेष पांच लिफ्ट व्यवस्थाएं नोहर-सहावा, बीकानेर-गजनेर, कोलायत लिफ्ट सिस्टम, फलौदी लिफ्ट सिस्टम, पोकरण लिफ्ट सिस्टम द्वितीय चरण में हाथ में ली गई है. इन योजनाओं के अन्तर्गत 60 मीटर लिफ्ट 2.90 लाख हैक्टेयर सिंचाई योग्य क्षेत्र को शामिल करने की योजना है. इसके अतिरिक्त सागरमल गोपा शाखा (लीलवा) के सिंचित क्षेत्र में एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र और जोड़ा जाकर इसे बाड़मेर जिले में गडरा रोड़ तक बढाने का भी निर्णय लिया गया है.

पांच लिफ्ट योजनाओं व गडरा रोड तक नहर के विस्तार के प्रारम्भिक कार्यों के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष 50 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं, जिन्हें इस वर्ष के अन्तिम चरण में तखमीनों की स्वीकृति के बाद प्रारम्भ करने का कार्यक्रम है.

पांच लिफ्ट योजनाओं व गडरारोड तक नहर के विस्तार के प्रारम्भिक कार्यो के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष 50 लाख रुपये स्वीकृत किये है, जिन्हें इस वर्ष के अन्तिम चरण में तखमीनों की स्वीकृति के बाद प्रारम्भ का कार्यक्रम हैं.

अनुमानित लागत—परियोजना के प्रारम्भ से लेकर वर्षो तक इसके लिए बहुत कम धनराशि आवंटित की गई. 1972-73 तक प्रतिवर्ष 5 से 11 करोड़ रुपये तक खर्च किए गए. इसके बाद हर वर्ष धीरे-धीरे 15 से 25 करोड़ रुपये की रकम आवंटित की गई. नहर का निर्माण प्रारम्भ होने के 19 वर्ष बाद 1978-79 में पहली बार 30 करोड़ रुपये की राशि दो सालों के लिए रखी गई. 1979-80 तथा 1980-81 में कोयले ढ़ोने की रेक की उपलब्धि में कमी होने से नहर निर्माण के लिए आवंटित राशि में से 8 से 10 करोड़ रुपये की कमी की गई. 1979-80 में नहर निर्माण के लिए 32.75 करोड़ रुपये और 198-81 में 31करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. द्वितीय चरण की अनुमानित लागत 1984 की कीमतों पर 846.26 करोड़ रुपये होगी जिस पर मार्च 1985 तक 226.90 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं. सातवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 350 करोड़ रुपये व्यय की योजना बनाई गई हैं.

योजना के दोनों चरणों पर 1981-82 के अन्त तक 304.73 करोड़ रुपये व्यय हो चुके है. छठी योजना के अन्तिम तीन वर्षों में नहर निर्माण के लिए विशेष सहायता योजना के रूप में मन्जूर की गई. जिसमें से 1982-83 के लिए 15 करोड़ रुपये, 1983-84 के लिए भी 15 करोड़ रुपये तथा 1984-85 के लिए 10 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मिली. इस प्रकार 1982-83 में 15 करोड़ रुपये विशेष योजना सहायता के रूप में तथा 34.8 करोड़ रुपये वार्षिक योजना के रूप में मिले लेकिन खर्च 42.50 करोड़ रुपये ही किए जा सके. 1983-84 में प्रावधान 50 करोड़ रुपये का था लेकिन वास्तविक व्यय 60 करोड़ रुपये हुआ.

परियोजना के विशाल होने की कल्पना निम्न तथ्यों से की जा सकती है. नहरों के निर्माण पर 39 करोड़ घन मीटर मिट्टी का कार्य होगा जो 350 मीटर आधार के एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई के पिरमिड के आयतन के बराबर है. 340 करोड़ टाइलों का उपयोग नहर को पक्का करने के लिए किया जावेगा जो पृथ्वी की सम्पूर्ण परिधि पर 8 मीटर चौड़ी पट्टी बनाने के लिए पर्याप्त हैं. 30 करोड़ मानव दिवस की शक्ति की कुल आवश्यकता है. निर्माण कार्यो पर लगभग 40 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिला है तथा कृषि कार्यों पर 2.5 लाख परिवारों को बसाया जाना है. परियोजना की पूर्ण क्रियान्विति पर भूमि के मूल्य में लगभग 5 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि, अतिरिक्त वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन 37 लाख टन, व नहरों व सड़कों पर 10 हजार किलोमीटर लम्बाई में वृक्षारोपण होगा. मरुक्षेत्र के सभी जिलों में पेयजल व उद्योगों के लिए 1200 क्यूसेक पानी का

आरक्षण किया गया है. परियोजना के कार्य को गति देने के उद्देश्य से औसतन दैनिक 14,500 श्रमिक, 800 गधे तथा 2100 ऊँट गाड़ियां कार्यरत है इनकी संख्या में बढोतरी के लक्ष्य रखे गए हैं और प्रयास किए जा रहे जिससे कि कार्य में तेजी आ सकें.

उपनिवेशन—नहर प्रणाली द्वारा सिंचित सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ भूमि आवंटन व कमाण्ड क्षेत्र के विकास की योजनाबद्ध प्रक्रिया प्रगति पर है. प्रथम चरण में असिंचित भूमि को मिला कर कुल 23 लाख एकड़ भूमि में से केवल 2 लाख एकड़ भूमि ही पूर्व में खातेदारों और गैर-खातेदारों के पास थी. शेष खाली पड़ी भूमि को राजस्थान सरकार ने भूमिहीन किसानों, कृषि मजदूरों आदि की आवंटन करने के लिए नियम बनाकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए. इसके फलस्वरुप 74,783 व्यक्तियों को कुल 13.78 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि का आवंटन किया जा चुका है. आवंटित भूमि में से 7.74 लाख एकड़ भूमि सिंचित तथा 6.04 लाख एकड़ भूमि असिंचित है. कुल आवंटियों में से 23,713 व्यक्ति अनुसूचित जाति एवम् जन जाति के हैं जिन्हें 3.36 लाख एकड़ भूमि आवंटित की गई है. सरकार का यह प्रयास गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन परने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

द्वितीय चरण के 6 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में से 1 लाख हैक्टेयर की चक योजना मुख्य अभियन्ता द्वारा उपनिवेशन विभाग को सौंपी गई है. शेष 5 लाख हैक्टेयर की चक योजना 1983 को अभिलेखों की पूर्ति, मुरब्बा नदी एवम् अन्य आवंटन से पूर्व की प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया जा सका है फिर भी उपनिवेशन विभाग इन सभी औपचारिक प्रक्रियाओं में कम से कम समय लगायेगी. प्रयास यह है कि द्वितीव चरण में कच्ची छोटी नहरें बनाने व उनमें पानी आने के साथ ही आवंटियों को बसाया जा सके. द्वितीय चरण में यह भी निर्णय लिया गया है कि 50 प्रतिशत भूआवंटन विशेष आवंटन नियमों के अन्तर्गत बाजार दर पर किया जा सके.

काश्तकारों को समुचित लाभ उपलब्ध कराने की दृष्टि से 1974 से सिंचित क्षेत्र विकास का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है. परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत क्षेत्र के विकास को दो भागों में बांटा गया है. विश्व बैंक की सहायता से प्रथम चरण के प्रथम भाग के लिए 139.20 करोड़ रुपये की लागत से 2 लाख हैक्टेयर में क्षेत्रीय विकास का कार्य 1974 में प्रारम्भ किया गया. यह 1983 तक पूरा हो गया. इस योजना के तहत 860 किलोमीटर की लम्बाई में नहरों को पक्का करने का कार्य, 1.60 लाख हैक्टेयर में पक्की खालों, 100 पेयजल डिग्गियों 419 किलोमीटर लम्बी सड़क का निर्माण तथा 8067 हैक्टेयर में वन लग चुके है. इन सम्पन्न हुए कार्यों पर 132 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई. इसी प्रकार प्रथम चरण के द्वितीय भाग के लिए विश्व बैंक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के माध्यम से 2.46 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के विकास का कार्यक्रम बनाया गया.

इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए 92.93 रुपये की योजना तैयार की जाकर 1980 से कार्य प्रारम्भ किया गया है. इस कार्यक्रम के तहत 2.46 हैक्टेयर क्षेत्र में खालों को पक्का करने का, 450 किलोमीटर की लम्बाई में सड़क निर्माण करने 80 पेयजल डिग्गियों के निर्माण व 78 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वन के लक्ष्य हैं जो लगभग पूरे हो चुके है. और इन सब कार्यक्रमों पर 17 करोड़ रुपये व्यय हुए है.

इन सब सुविधाओं के अतिरिक्त परिवारों को बसाने के लिए कुछ आधारभूत सुविधाएं जुटाना भी आवश्यक है. इसके लिए 265.13 लाख रु. लागत की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत 7 प्राथमिक शालाएं,2 माध्यमिक शालाएं,30 व 10 बिस्तरों वाले 2 अस्पताल व डिस्पेन्सरी, 2 पशु चिकित्सालय, 20 पशुओं के पीने के पानी के लिए खेलिया, चार श्रमिक विश्राम-गृह, चार विपणन केन्द्र, 5 बालोद्यान के अतिरिक्त एक चल सिनेमा वाहन की व्यवस्था की जा रही है, श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने के लिए सात भ्रमणशील चिकित्सा इकाइयां भी कार्यरत हैं.

राजस्थान नहर से न केवल सिंचित क्षेत्र व्यापक स्तर पर लाभान्वित होगा बल्कि इससे आसपास के असिंचित क्षेत्र का भी विकास होगा, कृषि एवम् वाणिज्य पर आधारित अर्थव्यवस्था के नवीन स्रोत खुलेंगे. तथा साथ ही पशु पालन, भेड़-ऊन विकास, मत्स्य पालन तथा ग्रामीण उद्योगों का भी विकास एवम् विस्तार होगा. इन सबसे बढ़कर रोजगार के वृहद् अवसर उपलब्ध होंगे जिससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ तो मिलेगा ही साथ ही राजस्थान प्रदेश की समृद्धि को भी बल मिलेगा.

नहर क्षेत्र के विकास से सम्बद्ध विभिन्न विभागों के कार्यकलापों के समन्वय के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निर्देश समिति का गठन किया गया है. समिति मे सचिव राजस्व एव रूप निवेशन विभाग, सचिव विकास क्षेत्र, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, सचिव कृषि व सचिव वन विभाग को सदस्य बनाया गया है, जबकि विशिष्ठ सचिव आयोजना विभाग समिति के सदस्य सचिव होंगे.

समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह आवश्यकता होने पर सचिव पशुपालन, आयुक्त सिंचित विकास क्षेत्र, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (बीकानेर), मुख्य अभियन्ता इन्दिरा गांधी नहर परियोजना(बीकानेर) मुख्य अभियन्ता सिंचित विकास क्षेत्र इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (बीकानेर), मुख्य वन संरक्षक निदेशक कृषि विभाग, आयुक्त उपनिवेशन, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर तथा निदेशक पशुपालन विभाग को भी आमंत्रित कर सकेंगे.

नहर योजना के प्रारम्भ से लेकर सम्पूर्ण होने तक यह अनुमान है कि लागत लगभग 16 गुने से भी अधिक हो जायेगी. 1984 के तख्मीनों के अनुसार परियोजना की लागत 944 करोड़ आंकी गई है. इसके निम्न कारण है—

(1) लागत वृद्धि का मुख्य कारण योजना का समय पर पूरा न होना है.

(2) योजना का मौलिक स्वरूप बदल गया है.

(3) योजना में नहर से जलोत्थान योजनाओं की संख्या को बढ़ा दिया गया है.

(4) नहर को बाड़मेर जिले के गडरारोड तक बढ़ा दिया गया है

(5) नहर से पानी शीघ्र उपलब्ध करवाने के लिए पोलीथिन लाईनिंग पद्धति को अपनाया गया है.

इस सबके कारण लागतों में वृद्धि हुई है और अब भी यदि समय पर कार्य पूरा नहीं होगा तो लागतें और बढ़ जायगी.

वर्तमान सरकार मरूस्थल की इस जीवन-रेखा राजस्थान नहर निर्माण के हर पहलू पर निगरानी रख कर चल रही है. केन्द्रीय सरकार भी इसमें अब रूचि ले रही है. सरकार इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना चाहती है, ताकि राज्य के एक बहुत बड़े भू-भाग में अकाल और अभाव से सदैव छुटकारा मिल सकें. इस सम्बन्ध में विश्व बैंक ने सहायता लेने का प्रयास किया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा 800 करोड़ रुपये की सहायता के प्रस्ताव भेजे हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने अनुमोदन कर विश्व बैंक को भेजे है. आशा है सरकारी प्रयत्नों ने राजस्थान के प्यासे कंठो से लेकर प्यासे खेतों तक तृष्णा को शांत करने मे निश्चित सफलता प्राप्त होगी और हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे जो हमने निर्धारित किये है. राजस्थान नहर को पर्याप्त पानी मिलने के सम्बन्ध में अभी तक पंजाब जल बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाना है.

पशु पालन

भारत में दुनियां के सबसे अधिक पशु पाले जाते हैं और राजस्थान में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक पशु मिलते हैं. भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गौ संस्कृति रही है, पशुओं का बड़ा महत्व रहा है वहां राजस्थान में तो पशुओं का वहां के मनुष्यों की जीविका से सीधा सम्बन्ध रहा है. पशुओं को पालतू तथा जंगली इन दो वर्गों में रखा जा सकता है. यहां हम पालतू पशुओं का ही वर्णन कर रहे हैं.

मनुष्य जहां अपनी बुद्धि एवम् वाहुवल से परिस्थितियो को अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करता है वहीं वह अपनी शक्ति की सीमा के कारण परिस्थितियों तथा प्राकृतिक वातावरण से भी प्रभावित होता है. जहां विषम परिस्थितियां होती है वहां वह अपने आपको परिस्थितियों के अनुसार ढालने का प्रयत्न करता है. राजस्थान प्राकृतिक परिस्थितियों को बहुत लम्बे समय तक बदलने में असमर्थ रहा है, थार के विस्तृत मरूस्थली भाग में वह खेती बाड़ी या अन्य कारोबार करने के लिए अनुकुल परिस्थितियां नहीं उत्पन्न कर सका. वह वर्षवाही नदियों के स्रोत नहीं उत्पन्न कर सका. अत: राजस्थान में पशुपालन ही एक बहुत प्राचीन व्यवसाय रहा है. ऊंट, भेड़, बकरी यहां के मुख्य पशु रहे हैं.

राजस्थान राज्य के 342 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लगभग दो तिहाई भाग मरूस्थलीय है. यद्यपि राज्य के देहातों में रहने माले करीब 80 प्रतिशत नागरिकों का मूल धन्धा कृषि एवम् पशु पालन है परन्तु मरुस्थलीय क्षेत्र के जन-साधारण की आजीविका कृषि के बजाय पशु पालन पर ज्यादा निर्भर है- पशु पालन जिससे एक बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है. राज्य की अर्थ व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है. राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी हटाने के लिए ग्रामीण जन संख्या को पशु पालत जैसी मिश्रित खेती पर जोर दिया. राजस्थान की इस क्षेत्र में विकास की विशेष सम्भावना है. पशु सम्प्रदा द्वारा राज्य के घरेलू उत्पादन में 12 प्रतिशत के लगभग योगदान दिया जा रहा है.

पशु सम्पदा से अनुमानत: 33 लाख मैट्रिक टन दूध, 1400 लाख अण्डे, 14 हजार मेट्रिन टन मांस, 13 हजार टन मछली तथा 27 लाख किलोग्राम ऊन का वार्षिक उत्पादन होता है. इसके साथ साथ विभिन्न उद्योगों को चलाने के लिए चमड़ा, हड्डी, ऊन, सींग, बाल आदि भी उपलब्ध होते हैं. राजस्थान में पशु सम्पदा से जो दूध का उत्पादन होता है, वह सम्पूर्ण भारत के दूध उत्पादन का 11 प्रतिशत है जबकि दूध देने वाले पशु 7 प्रतिशत है. इसी प्रकार ऊन का उत्पादन सम्पूर्ण भारत के ऊन उत्पादन का 42 प्रतिशत है जबकि भेड़ों का प्रतिशत 25 ही है. इस प्रकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था में में पशु-पालन का महत्वपूर्ण योगदान है. राज्य की पशु सम्पदा के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा उसके विकास की दृष्टि से राज्य विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के माध्यम से सतत प्रयत्नशील है ताकि पशु-जन्य उत्पादनों में वृद्धि के साथ-साथ प्रदेश के ग्रामीण विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाया जा सके.

पशु धन के मामले में राजस्थान भारत के अनेक राज्यों से बहुत आगे है. राज्य के इन इलाकों में जहां प्रकृति ने शुरु से ही अपनी नाराजगी रखी है या जहां मात्र कहने भर को खेती होती है, वहां जन सामान्य का जीवन निर्वाह पशुओं पर टिका है. यहां के पशु धन की विशेषता उनकी संख्या में नहीं बल्कि उनके गुणों पर टिकी यहां विभिन्न जाति के पशु पाए जाते हैं जिनमे प्रमुख रूप से गाय, बैल, भैंस, ऊंट, भेड़, बकरी व घोड़ों का नाम लिया जा सकता है.

गाय व बैलों की कुछ सर्वोत्तम नस्लें राजस्थान में उपलब्ध हैं, जिसमें मुख्य रूप से है थारपारकर, कांकरेज राठी, हरियाणा, नागोरी, मांलवी आदि, इनमें से कुछ

गायें तो केवल राजस्थान में ही पायी जाती है जैसे राठी, इस नस्ल के पशु धौलपुर, अलवर और भरतपुर में है. इन गायों की खुराक कम होती है और ये दूध भी अवेक्षाकृत अधिक देती है. नागौरी बैल भी यहीं पाये जाते हैं. तेज चलने और मारवाड़ी पशुओं में इस जाति के बैल सर्वोत्तम है. पाकिस्तान बनने के बाद थारपारकर नस्ल भी यहीं तक सीमित है, यही नहीं ऊंटों पर तो राज्य ने एकाधिकार सा स्थापित कर रखा है. भारत के 70 प्रतिशत ऊँट केवल हमारे राज्य में ही मिलते हैं. अलवर व भरतपुर जिले में पाई जाने वाली मुर्रा नस्ल की भैंस अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है. वहीं हरियाणा व कांकरेज नस्ल के गौ पशु दूध देने व मेहनत के कार्य के लिए अच्छी मानी जाती है. इन पशु धनों में विलक्षण गुण होने के कारण अन्य निकटतम राज्यों में उनकी मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है. जिसके कारण यह राज्य सदैव से गर्वित रहा है.

राजस्थान में पशुसंख्या जनसंख्या से अधिक है। 1981 की जणगणना के अनुसार राज्य में 1000 मनुष्यों के पीछे 1,212 पशुधन है. यह मुख्यता इस तथ्य के फलस्वरुप है कि अरावली के पश्चिम में स्थित भाग शुष्क मरुस्थल है जिसका कृषि की दृष्टि से महत्व कम है तथा साथ ही जनसंख्या का घनत्व भी कम है.

शुष्क जलवायु में जहां पशुओं की चराई के लिए प्राकृतिक सुविधाएं मिलती है, वहीं पशु अधिक संख्या में पाले जाते है. राजस्थान में प्रमुख पशु क्षेत्र मरूभूमि में है जहां वर्षा की मात्रा कम है और भू मार्ग विस्तृत हैं। राजस्थान में पशुपालन इस घास के मैदान में होता है जो या तो मरुस्थल की बाहरी सीमा पर स्थित है अथवा उन शुष्क भागों में जहा प्रतिकूल प्राकृतिक रचना के कारण कृषि करना कठिन है. राजस्थान के शुष्क एवम् अर्द्ध शुष्क भागों में वर्षा की मात्रा इतनी नहीं होती कि उत्तम घास पैदा की जा सके. राजस्थान के जिन भागों में वर्षा पर्याप्त होती है, या जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध है, वहां पशुपालन अधिक नहीं किया जाता, क्योंकि आर्द्र भागों में शुष्क भागों की अपेक्षा उतना ही अधिक दूध प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक पशु पालने पड़ते हैं.

राजस्थान में गाय, बैल प्राय सभी भागों में पाये जाते है. भारत की समस्त गायों का लगभग 8 प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है. संख्या के अतिरिक्त श्रेष्ठता की दृष्टि से भी राजस्थान की गायें खासकर मरुस्थलीय भाग की गायें जो 5 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक दूध देती है, ऊंचा स्थान रखती है. जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में पूंगल तहसील की गायें और कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में मालवीय गायें प्रसिद्ध है. गायों की नस्लों में निम्न जातियां मुख्य हैं—

1. नागौरी—नागौरी वंश की उत्पत्ति का क्षेत्र नागौर जिले का 'सोहालाक' ग्राम है. नागौरी बैल देश का अत्यन्त प्रसिद्ध दौड़ने वाला तथा हल में चलने वाला पशु है.

2. कांकरेज—यह नस्ल राज्य के बाड़मेर, सिरोही, पाली तथा जालोर जिलों में पाई जाती है. इस नस्ल के बैल तेज चलने और बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध हैं. यह द्वि-प्रयोजनीय नस्ल है जो भारवाहक के अतिरिक्त सफल दुग्धदायिनी भी है. इस नस्ल की गायें 5 से 9 किलोग्राम तक दूध प्रतिदिन देती है.

3. थारपारकर—यह नस्ल राजस्थान के पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है और चारे की कमी के कारण पत्तियों और ज्वार-बाजरे के डंठलों पर निर्भर रहती है. इसका स्थानीय नाम मालाणी है और जैसलमेर के गांवों में मिलती है. यह अधिक दूध देती है. थारपारकर के शुद्ध गोवंश के पशु बाड़मेर, सांचौर, पूर्वी जैसलमेर तथा जोधपुर जिले में मिलते है.

4. राठी—यह नस्ल लाल सिंधी एवम् साहीवाल नस्लों की मिश्रित जाति है. इसका क्षेत्र गंगानगर जिले के दक्षिणी पश्चिमी, बीकानेर के पश्चिमी तथा जैलसमेर के उत्तरी पूर्वी है. इस नस्ल की गायें काफी देती है और बैलों की भारवाहन क्षमता कम होती है.

5. हरियाणवी—इस नस्ल के गाय-बैल गंगानगर चुरू, पूर्वी बीकानेर, टौंक, सीकर व जयपुर जिलों में पाये जाते है. इस नस्ल की गायें औसतन 5.50 से 8 किलो ग्राम तक दूध देती है. बैल भार वाहन, कुओं से पानी खींचने तथा खेती करने के काम आते हैं.

6. मालवी—यह नस्ल कोटा,झालावाड़,डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा चित्तोड़गढ़ जिलों में पाई जाती है.ये उबड़-खाबड़ भूमि पर आसानी से चल सकते है. इस नस्ल की गायें कम दूध देती है.

7. गिर—गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में स्थित 'गिरवन' में रहने वाले पशु गिर जाति के नाम से जाने जाते हैं. इन्हें राजस्थान में रैण्डा तथा अजमेर में अजमेरा के नाम से पुकारा जाता है. ये भी द्वि-प्रयोजनीय जाति के हैं. इस नस्ल की गाये अधिक दूध देती है जो 5.50 से 9 किलोग्राम तक होता हैं और बैल बोझा ढोने मे मजबूत होते हैं.

8. सांचौरी—यह कम दूध देने वाली नस्ल है और सांचोर, सिरोही व उदयपुर में मिलती है.

भैंसे—भैंसों की दृष्टि से राजस्थान का भारत के राज्यों में छठा स्थान है. इनका दूध पौष्टिक भारी व चिकना होता है. भैंसे कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं. राजस्थान में केवल एक ही नस्ल की भैंसे प्रसिद्ध है जो मुर्राह के नाम से जानी जाती है.यह नस्ल अलवर,भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बून्दी व जयपुर में पाई जाती है. ये भैंसें एक समय में 10 से 12 किलोग्राम तक दूध देती हे.

पशु गणना—अन्तिम पशु गणना 1983 के आंकड़े अउलब्ध है. चूंकि धौलपुर जिला हाल ही में अलग हुआ है अतः 26 जिलों का ही विवरण है. 1951 की पशु गणना में जहाँ पशुओं की संख्या 253.43 लाख थी वह 1977 में बढ़कर 413.59 लाख हो गई और 1983 में 495 लाख हो गई. 1988 तक यह बढ़कर 560.20 लाख हो जायेगी. इसी अवधि में ढोरों (Cattle) की संख्या 107.82 लाख से बढ़कर 1977 में 128.96 लाख हो गई और 1983 में 134.66 लाख लेकिन 1988 में यही 139 00 लाख हो जायेगी. भैंसों की संख्या 1951 में 30.45 लाख थी जो 1977 में बढ़कर 50.72 लाख हो गई और 1983 में 60.35 लाख तथा 1988 में इसके 63.40 लाख हो जाने के अनुमान है.

भेड़ों की संख्या 1951 में 53.87 लाख थी वह 1977 में बढ़कर 99.38 लाख हो गई और 1983 में यही 134 06 लाख लेकिन 1988 में इसके घटकर 119.38 लाख हो जाने की आंशंका है. कारण या तो सूखे के कारण अन्य राज्यों में पशुओं का स्थानान्तरण या भेड़ों में विशेष प्रकार की बिमारी का लगना है. इसी प्रकार बकरियों की सख्या 1951 में 55.62 लाख थी जो 1977 में बढ़कर 123.07 लाख हो गई और 1983 154.10 लाख लेकिन 1988 में यह 224.81 लाख हो जायेगी. ऊंटों की संख्या 1951 में 3.41 लाख थी जो 1977 मे बढ़कर 7.52 लाख हो गई और 1983 में इसमें मामूली सी वृद्धि हुई और यह संख्या 7.53 लाख हुई लेकिन 1988 में यह बढ़कर 13.75 लाख हो जायेगी. लेकिन बकरी तथा ऊँट की संख्या के बारे में जो अनुमान राजस्थान की दीर्घकालीन योजना के भविष्य के बारे में लगाए गए हैं वह सत्य प्रतीत नहीं होते है.तालिका संख्या—1 में राज्य के विभिन्न जिलों में पशुओं की संख्या बताई गई है.

गौ संवर्धन शाखाएं—गाय बैलों की उन्नत नस्ल के लिए प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हरियाणा, व नागोरी नस्ल के लिए अलवर, बस्सी व नागौर में शाखाएं खोली गई. कुम्हेर संवर्धन फार्म में हरियाणा नस्ल की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है. राज्य सरकार ने थारपारकर नस्ल के सांड तैयार करने के लिए चांदन गांव (जैसलमेर) में बुलभदर फार्म सन् 1964 में कायम किया गया जिसे अब मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदपुर को स्थानान्तरित किया गया हैं ताकि इस नस्ल का और अधिक विकास हो सके. रामसर व चन्दनवेल (जैसलमेर) में भी शाखायें स्थापित की गई हैं. नोहर में गोवत्स परिपालन केन्द्र स्थापित किया गया है जहां सांड

तालिका संख्या–1

राजस्थान में जिलावार पशु संख्या 1977 तथा 1983

लाखों में

नाम जिला	ढोर		भैंस		भेड़		बकरी		अन्य		कुल	
	Cattle		Buffalo		Sheep		Goat		Other		Total	
	1977	1983	1977	1983	1977	1973	1977	1983	1977	1983	1977	1983
1. अजमेर	5.47	5.89	1.78	2.18	5.32	6.56	3.69	4.60	0.19	0.21	16.44	19.44
2. अलवर	4.28	4.12	3.55	3.61	0.92	0.90	4.71	5.02	0.46	0.52	13.92	15.17
3. बांसवाड़ा	4 78	4.80	1.33	1.34	0.21	0.17	2.87	3.36	0.12	0.14	9.31	9.81
4. बाड़मेर	3:88	4.96	0.29	0.58	8.47	8.50	11.09	14.61	1.59	1.72	25.32	30.37
5. भरतपुर	4.06	4.04	4.32	4.65	0.54	0.40	2.11	2.42	0 40	0.44	11.43	11.95
6. भीलवाड़ा	8.15	8.27	2.55	2.71	7.21	9.74	5.33	5.93	0.28	0.29	23.53	26.94
7. बीकानेर	2.84	3.62	0.42	0.63	7.97	8.00	3.43	4.93	0.67	0.70	15.35	17.88
8. बून्दी	3.41	3.65	0.97	1.06	9.95	1.21	2.57	3.07	0.10	0.09	7.99	9.08
9. चित्तौड़गढ़	8.18	8.32	2.22	2.51	1.89	2.47	4 48	5.62	0-20	0.21	16.97	19.13
10. चुरु	2.73	2.70	1.40	1.41	4.56	6.11	6.03	6.93	1.01	1.06	15.75	18.21
11. डुंगरपुर	3 51	3.50	1.22	1.20	1.45	2.00	2.67	3.17	0.08	0.09	8.93	9.96
12. गंगानगर	4.83	4.96	3.10	3.96	3.30	2.99	4.95	4.95	1.17	1.19	16.45	18.05
13. जयपुर	8.72	8.01	5.07	5.69	3.07	3.95	7.26	8.32	0.57	0.62	24.69	26.59
14. जैसलमेर	1.24	2.28	.007	0.01	6.77	8.77	4.37	5.42	0.61	0.51	13.00	16.99
15. जालोर	3.51	5.02	1.05	2.45	4.80	5.06	3.59	4.72	0.27	0.19	13.22	17.44
16. झालावाड़	4.87	4.88	1.51	2.08	0.25	0.29	2.14	2.84	0.14	0.13	8.91	10 22
17. झुनझुनु	1.73	1.62	1.71	2.05	1.79	2.06	3.98	5.12	0.47	0.48	9.69	11.33
18. जोधपुर	5.31	6.42	0.75	1.46	10.14	10.42	7.52	10 84	0.69	0.70	24.42	29.84
19. कोटा	7.36	7.44	1.80	1.92	0.46	0.39	2.80	3.46	0.27	0.28	12.70	13.49
20. नागौर	5 84	5.92	1.69	2.52	8.47	16.16	7.24	9.82	0.47	0.63	23.72	35.05
21. पाली	5.67	6.02	1.54	1.99	7 52	8.36	4.82	5.96	0.28	0.37	19.83	22.70
22. सवाई माधोपुर	5.58	5.48	3.26	3.66	0.86	0.76	4.59	5.16	0 38	0.40	14.68	15.46
23. सीकर	2.76	2.06	1.84	2.26	2.94	5.38	5.60	6 36	0.47	0.36	13.61	16.42
24. सिरोही	2.40	2.75	0 63	0,70	1.89	2.12	2.63	3 66	0.09	0.09	7.65	9.32
25. टोंक	4 57	4.50	1.73	2.31	2.63	4.94	2.53	3.03	0.13	0.13	11.59	14.91
26. उदयपुर	13.27	13.43	4.98	5.41	4.45	6.35	10.93	14.78	0.32	0.34	34.45	40.31

तैयार किये जाते है और फिर इन्हे पंचायतो मे वितरित कर दिया जाता है.

राज्य में 155 गौ शालाए एवम् 4 गो-सदन है. ये गौ शालाएं धार्मिक भावना से स्थापित होने के कारण उत्पादक व अनुत्पादक दोनों प्रकार के पशु यहां रखे जाते हैं. दूसरी एवम् तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में कुल 44 गौ शालाओं को सम्मिलित किया गया है इन 44 गौ शालाओं को 9.26 लाख रु. की राशि अनुदान एवम् सहायता के रूप में दी गई. वर्ष 70-71 मे राज्य की सभी गौ शालाओं का राजस्थान गो-शाला अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है. कृषि पर शाही आयोग की सिफारिशों के आधार पर छठी पंचवर्षीय योजनाकाल में निजी संस्थाओ द्वारा संचालित गौ शालाओं से लाभ उठाने का कार्यक्रम अपनाया गया और इसके लिए 20 गौ शालाओं को योजनाकाल में चुना गया और उनके विकास के लिए 8.65 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए गए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए डेयरी विकास कार्यक्रम अपनाया गया है जिसमे प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से चारे आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है तथा दूध का उचित मूल्य प्रदार कर दुग्ध उत्पादन को वढ़ावा देने का प्रयास किया गया है.

राजस्थान में दुग्ध उत्पादन का विकास अभी तक आधुनिक पद्धतियों से नहीं हुआ है. राजस्थान में प्रति गाय के पीछे लगभग 160 किलोग्राम और भैंस के पीछे 386 किलोग्राम दूध मिलता है जबकि भारत में यह मात्रा क्रमशः 210 एवम् 554 किलोग्राम है. राज्य में प्रति 100 व्यक्ति के लिए 27 गायें व 10 भैंसों का औसत आता है जबकि समग्र भारत में यह औसत 5 गायें और 3 भैंसे है.

राजस्थान में दूध का उत्पादन 1956 में 15 लाख टन, 1966 में 187 लाख टन 1977 में यह 27.8 लाख टन तथा 1984 मे 36 लाख टन हुआ. प्रतिवर्ष दूध और दूध में बने जो पदार्थ काम मे लाये जाते हैं उनका 40 प्रतिशत भाग दूध के रूप में. 8.7 प्रतिशत दही के रूप में 4.13 प्रतिशत घी के रूप में. 5.8 प्रतिशत मक्खन के रूप में, 3.4 प्रतिशत खोचे के रूप में तथा 0 8 प्रतिशत अन्य पदार्थों के रूप में उपयोग में लाया जाता है.

राजस्थान में जितना दूध होता है उसका 48 प्रतिशत गाय का, 40 प्रतिशत भैंस का और 12 प्रतिशत बकरी व भेड़ का होता है. राजस्थान में सबसे अधिक दूध उत्पादन जयपुर, गंगानगर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर बीकानेर, भरतपुर, धोलपुर, भीलवाड़ा, अजमेर व कोटा में होता है.

राज्य में दूध की अत्यधिक सामान्यताओं को देखते हुए 1985 के अन्त तक लगभग 10 लाख लीटर दूध को प्रतिदिन आवश्यक प्रक्रियाओं से गुजारने के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु पांचवी योजना में प्रारम्भ किए गए कार्य पूरे किए गए तथा नए संयंत्र भी स्थापित किए गए.

अच्छी नस्ल और पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनकी उचित उचित देखभाल और चिकित्सा आवश्यक हो जाती है. पशु पालकों को उनके पशुओं के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा तथा विभिन्न संक्रामक रोगों के बचाव की दृष्टि से विभाग के अधीन वर्तमान में (फरवरी 1986 तक) प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 1083 पशु चिकित्सा संस्थाएं कार्यरत है. 1964-65 में जहां 295 पशु चिकित्सालय एवम् औषधालय पशु चिकित्सा हेतु तैनात थे इनकी संख्या 1975-76 में यह 360 तथा 1982-83 में यह संख्या 687 हो गई. इन संस्थाओं में 6 पोली क्लिनिक तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से स्थापित 120 पशु स्वास्थ्य केन्द्र सम्मिलित हैं. पोली क्लिनिकों पर रोगी पशुओं को एक ही जगह सभी प्रकार के विशेषज्ञों की चिकित्सा सेवाओं के अतिरिक्त एक्सरे. खून, मल, मूत्र आदि के जाच की भी व्यवस्था हैं. रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए 11 चल पशु स्वास्थ्य रोग निदान केन्द्र स्थापित हैं तथा राज्य के विभिन्न भागों में 55 चल पशु चिकित्सा इकाईयां भी गांव-गांव घूम-घूम कर पशु चिकित्सा सेवायें सुलभ करवा रही हैं.

पशु स्वास्थ्य सेवाओं में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए राज्य में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम पशु माता उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इस योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य के प्राय: समस्त जिलों में इस रोग पर नियंत्रण कर लिया गया है पुन: प्रकोप न हो सके इसकी योजना क्रियान्वित की जा रही है.

पशुओं में मुंह एवम् खुर पका रोग की रोकथाम के लिए भारत सरकार के सहयोग से राज्य में खुर एवम् मुंह पका रोग का अन्वेषण तथा टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है. ऊंटों में होने वाले सर्रा रोग की रोकथाम हेतु प्रदेश में ऊंट बहुल क्षेत्रों में सर्रा नियन्त्रण योजना विशेष रुप से चलाई जा रही है. राज्य में भ्रमणशील इकाइयां अब लोकप्रिय हो रही हैं और ग्रामीण जनता इनसे लाभान्वित हो रही है.

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पशुओं में बीमारी की रोकथाम तथा उपचार के लिए 90 राजकीय पशु चिकित्सालय तथा औषधालय खोले गये और 80 औषधालयों को चिकित्सालय में बदला गया. योजना काल में पशु पालन पर लगभग 610 लाख रुपये खर्च किए गए. 1985-86 के लिए और 1986-87 के यह राशि 330 तथा 375 लाख रुपये रखी गई थी.

पशु संवर्धन—पशु संवर्धन कार्यक्रम में ग्राम आधार योजना का महत्वपूर्ण योगदान है. इसके अन्तर्गत उन्नत नस्ल के सांडों से प्रजनन कराने की व्यवस्था तथा उच्च गुण सम्पन्न प्रमाणित विदेशी सांडों से संकर प्रजनन व्यवस्था के साथ-साथ संतुलित आहार, रोग निरोधक टीकाकरण, विपणन तथा शिक्षा और प्रशिक्षण की कार्य की व्यवस्था है.

राजस्थान सरकार ने 1957 में पशुपालन विभाग को एक पृथक विभाग स्थापित कर उसके संचालन के लिए प्रावधिक निदेशक नियुक्त किया. इस विभाग ने सभी प्रकार के पशुओं की जातिगत विशेषताओं तथा उनके क्षेत्रीय वितरण का सर्वेक्षण करवाया जिससे उनके अनुरूप सुधार कार्य सम्पन्न करवाये जा सके.

सरकार ने पशुओं के लिए उत्तम चारे तथा खाद्य हेतु योजनायें चालू की क्योंकि बिना पौष्टिक खुराक के उत्तम नस्ल भी गिर जाती है. राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में अनार्थिक एवम् अनुत्पादक पशु हैं जिसके लिए ग्राम आधार योजना की नींव डाली गई जिससे पशुओं को अधिक से अधिक उत्पादक बनाया जा सके.

पशु सम्पदा के संवर्धन हेतु विभाग के अधीन 1977-78 के प्रारम्भ में 15 ग्राम आधार खण्ड. 3 जिला वीर्य संकलन केन्द्र व कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कार्य कर रहे थे. 1979-80 में केन्द्रीय सहायता से सलूम्बर (उदयपुर) एवम् राज्य योजना के अन्तर्गत प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में जन जाति क्षेत्रों में विकास हेतु एक-एक ग्राम आधार खंड स्थापित किये गये. इस प्रकार दिसम्बर 1985 तक 23 ग्राम खंड हो गए और इनसे लगभग 1 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान किया गया. और फ्रोजन सीमन तकनीक के आधार पर 69 केन्द्रों के माध्यम से लगभग 40 हजार पशुओं के संकर प्रजनन कार्य सम्पादित किए गए. इसके अतिरिक्त 120 पशु स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 90 पशु चिकित्सालयों पर भी शुष्क वीर्य प्रणाली से कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है. पशु विकास हेतु सांड उत्पादन के लिए 4 पशु संवर्धन शाला कार्यरत हैं,जहां से प्रदेश के सुकेर क्षेत्र में पंचायत स्तर पर नि:शुल्क सांड वितरित किये जाते है.

प्रदेश में सूखे की स्थिति एवम् अकाल की निरंतर स्थिति के कारण पशुओं के लिये पीने के पानी व चारे की कमी के कारण पशुओं का निष्क्रमण होता रहता है, जिनके कारण पशु-विकास में बाधा उत्पन्न होती है, इस समस्या के स्थायी हल हेतु भी राज्य सरकार प्रयत्नशील है पिछले दो वर्षो मे पश्चिमी राजस्थान में पशु पेयजल योजनाओं पर 142 लाख रुपये स्वीकृत किये गये है तथा चारागाह विकास हेतु वृहद कार्यक्रम तैयार किये जा रहे है. चारागाह विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में दो प्रकार के कार्य हाथ में लिए गए हैं. (1) राजस्थान नहर परियोजना के क्षेत्र सुरक्षित करना जिससे कि चारे की कमी दूर की जा सके तथा (2) आधे-आधे एकड़ के 1 हजार से 1500 चारागाह प्रदर्शन क्षेत्र लगाना जिससे चारागाह

खेती विकसित हो सके. इन कार्यों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 23 लाख रुपये व्यय किए गए. इसके अतिरिक्त पशु खाद्य एवम् चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु पालन विभाग द्वारा 5 बीज गुणन केन्द्र चलाये जा रहे है जो बिना किसी लाभ हानि के पशुपालकों को उन्नत किस्म के चारा बीच उपलब्ध करा रहे हैं.

प्रदेश में उपलब्ध गौशालाओं को नियोजित प्रजनन इकाई के रूप में विकसित किये जाने हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना 1983-84 से प्रारम्भ की जा रही है. जन-जाति क्षेत्र एवम् प्रदेश के दक्षिणी भाग में गो संवर्धन कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु एक शुष्कवीर्य प्रणाली से प्रजनन व्यवस्था हेतु एक वृहत कार्यक्रम भी 1983-84में आरम्भ किया जा रहा है.

संक्रामक रोगों से पशुओं को बचाने के लिए जैविक उत्पादन प्रयोगशाला में सीरम तथा वैक्सीन का उत्पादन प्रमुख है. यह संस्था राज्य के समस्त पशु चिकित्सा केन्द्रों एवम् इकाइयों को अपने उत्पादन के वितरण की व्यवस्था भी करती है. इस इकाई के कार्य को दो भागों में बांटा गया है (i) उत्पादन कक्ष, (ii) प्रमाणीकरण कक्ष/पशु-माता उन्मूलन योजना के अन्तर्गत इस प्रयोगशाला में एफ. डी. जी. टी. वी. वैक्सीन का उत्पादन किया जा रहा है. जैविक उत्पादन प्रयोगशाला में टी. सी. आर. पी. और एण्टीरेबीज नामक महत्वपूर्ण टीकों का उत्पादन प्रारम्भ किया गया हैं और प्रयोगशाला के विस्तार से इसने वैक्सीन उत्पादन की क्षमता बढ़ गई है.

पशु मेले और प्रदर्शनियां - राजस्थान विभिन्न प्रकार के उच्च नस्ल के पशुओं का घर है जैसे नागौरी बैल, राठी तथा थारपारकर गायें, मालानी घोड़ें,बीकानेरी ऊंट चोकला,मगरा और अन्य नस्ल की भेड़ें तथा जकराना सिरोही और मारवाड़ी नस्ल की बकरियें आदि. पशु विपणन की बढ़ती हुई महत्ता तथा पशु मेलों में होने वाली खरीद बिक्री को देखते हुए पंचवर्षीय योजना में लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया है जिससे कि पशु विक्रेता तथा खरीददारों को अत्यधिक सुविधाएं मिल सके. इस कार्य के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 13.06 रुपये व्यय किए गए.

विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर कुल 12 मेले आयोजित किये जाते है. इसका उद्देश्य मुख्य रूप से पशु-पालकों को विपणन की सुविधाएँ प्रदान करना है. पशु मेलों से सरकार को8-10लाख रु. की आय होती है और लगभग 10 करोड़ रु. के पशु विक्रय होते हैं, इन मेलों में विभाग द्वारा पशुपालकों के ज्ञान वर्द्धन हेतु प्रदर्शनिया आयोजित की जाती है तथा आवास एवम् चिकित्सा व्यवस्था जुटाई जाती हैं. तालिका संख्या-2 में राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर होने वाले पशु मेलों को दिखाया गया है. पशु मेलों पर पशु बिमारियां तथा उनके उपचार तथा संवर्धन के बारे में भी जानकारियां दी जाती है.

तालिका से स्पष्ट है कि सामान्यतया पशु मेले उस स्थान पर या उस स्थान के आसपास आयोजित किये जाते हैं जहां कि पशुओं का संकेन्द्रण ज्यादा हैं. उदयपुर इस संदर्भ में सबसे अलग लगता है. हांलाकि वहां पशुओं का सकेन्द्रण सबसे ज्यादा है फिर भी राज्य स्तर का कोई पशु-मेला नहीं लगता है. इन राज्य स्तरीय मेलों के अतिरिक्त कई मेले स्थानीय स्तर पर तथा पंचायत स्तर पर लगाये जाते हैं और उनका महत्व भी इतना ही है जितना कि राज्य स्तर के मेलों का. सिर्फ अन्तर इनकी गहनता का है बाकी प्रयास सभी वही किये जाते हैं.

भेड़ें—प्रदेश में लगभग 1.34 करोड़ भेड़े हैं जिनसे वर्ष भर में 1 करोड़ 56 लाख किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है. यह अनुमान है कि प्रतिवर्ष लगभग 25 से 30 लाख भेड़ें मांस के लिए उपयोग में ली जाती है. राज्य में लगभग 2 लाख परिवार भेड़ पालन से अपना गुजर बसर करते हैं. इससे शहरों व कस्बों तथा गांवों के 15 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है.

राज्य सरकार भेड़ उन विकास की दिशा में सतत् प्रयत्नशील है. भेड़ पालकों के आर्थिक उत्थान के कई कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं. भेड़ों को संक्रामक रोगों से बचाने के सघन कार्यक्रम, सामान्य उपचार, नस्ल सुधार, प्रशिक्षण एवम् चारागाह विकास के विविध

तालिका संख्या–2
राजस्थान में पशु मेले

	पशु मेले का नाम	स्थान	जिला	नस्ल का नाम
1.	मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा	तिलवाड़ा	बाड़मेर	थारपारकार एवम् कांकरेज
2.	गोमती सागर पशु मेला	झालारापाटन	झालावाड़	हरियानवी
3.	श्री बलदेव पशु मेला	मेड़ता सीटी	नागौर	नागौरी
4.	चित्तौड़गढ़ पशु मेला	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	N A.
5.	श्री तेजाजी पशु मेला	परबतसर	नागौर	नागौरी
6.	जसवन्त पशु मेला	भरतपुर	भरतपुर	हरियानवी
7.	पुष्कर पशु मेला	पुष्कर	अजमेर	गीर
8.	चन्द्र भागा पशु मेला	झालरापाटन	झालावाड़	मालवी
9.	रामदेव पशु मेला	नागौर	नागौरी	नागौरी
10.	शिवरात्रि	करौली	सवाई माधोपुर	हरियाणवी
11.	बहरोड़	बहरोड़	अलवर	मुर्रा
12.	गोगा मेड़ी	गोगा मेड़ी	गंगानगर	हरियाणवी

कार्यक्रमों के साथ लघु एवम् सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों की आय के साधन बढाने व रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ऋण एवम् अनुदान की वित्तीय सहायता दिलाकर भेड़ इकाईयों की स्थापना कराई जा रही है।

राज्य के 14 जिलों में 135 भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र तथा 28 गर्भाधान प्रसार केन्द्र कार्यरत है। इसके अलाव. एक प्रशिक्षण संस्थान, एक ऊन विश्लेषण प्रयोग शाला, 5 भेड़ प्रजनन फार्म तथा तीन भेड़ रोग अनुसंधान शालाएँ, भेड़ पालन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्य कर रही है।

छठी योजना में भेड़ व ऊन विकास कार्यक्रम पर 378.32 लाख रुपये तथा सूखा सम्भावित क्षेत्रीय विकास तथा मरु विकास योजना के तहत 328.83 लाख रुपये व्यय हुए. सातवीं योजना में 1023.50 लाख रुपये प्रस्तावित है.

बकरियां—बकरी गरीब की गाय समझी जाती है. इससे दूध, चमड़ा मांस और बाल मिलते है. राज्य में 1977 की पशुगणना के आधार पर 1.23 करोड़ बकरे तथा बकरियां है. 1983 में इनकी संख्या 1.54 करोड़ हो गई। राज्य में बकरियों की 5 किस्में पाई जाती है. जैसे लोही, मारवाड़ी, जमनापुरी, बरबटी, अलवरी और सिरोही. सबसे अधिक बकरे बकरियां बाड़मेर में मिलती है. राजस्थान के मांसाहारी लोग अधिकतर बकरे का मांस ही काम में लेते हैं. राजस्थान से बड़े नगरों में बकरों का मांस निर्यात किया जाता है.

ऊंट—ऊंटों की दृष्टि से राजस्थान भारत में एकाधिपत्य रखता है. यह मरुस्थलीय और अर्द्ध मरुस्थलीय पशु है. राजस्थान में ऊंटों की संख्या 1983 में 7.52 लाख थी. इसमें कई गुण पाये जाते है. इसके कूबड़ में चर्बी का भंडार होता है. अतः यह शुष्क क्षेत्रों में बिना

खाये भी रह जाता है. इसकी चमड़ी मोटी होती है अतः वाष्पीकरण द्वारा इसके शरीर से जल कम निकल पाता है. इसके शरीर पर बाल होते है अतः गर्मी का सामना सरलता से कर लेता है. इसके पांव चौड़े होते है अतः बालू मिट्टी में धसते नहीं है. मरुभूमि में बोझा ढोने, पानी खींचने खेत जोतने तथा गाड़ी खींचने के काम आता हैं. राजस्थान में ऊँट की अलवटी, बीकानेरी, कच्छी, जैसलमेरी नस्ले सर्वोत्तम मानी जाती है. बाड़मेर मे ऊंटों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है.

मत्स्य विकास— राजस्थान प्रदेश मत्स्य उत्पादन के विभिन्न स्रोतों को दृष्टि से काफी सम्पन्न है. राज्य में उपलब्ध अनेक जलाशय नदियां और तालाब प्रोटिन युक्त मछलियां के उत्पादन स्रोत हैं. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में जलाशय व तालावों के रूप मे 3 लाख हैक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है. नहरों में भी मत्स्य उत्पादन का विस्तृत क्षेत्र है. 1984-85 में 16000 मैट्रिक टन मछलियों का उत्पादन हुआ है, 1981-82 के लिए फ्राई व फिंगरलिंग के बीज उत्पादन लिए 3 करोड़ का अनुमान लगाया गया था जबकि वर्ष 1980-81 मे यह 4.5 करोड़ था. वर्ष 1984-85 के लिए फ्राई व फिंगरलिंग के उत्पादन का लक्ष्य 5.8 करोड़ निर्धारित किया गया. राज्य में मत्स्य विकास हेतु विश्व बैंक की सहायता मे इस वर्ष (1983-84) एक पाइलेट प्रोजेक्ट 'रिजरवायर फिशरीज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया है,

राज्य में जलाशय व तालाबों के रूप में जो 3 लाख हैक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध है उनमें से 1.2लाख हैक्टेयर जलाशय के रूप में है और 1.8 लाख हैक्टेयर तालाब और पोखरों के रुप है. इस 1.8 लाख हैक्टेयर मे से 0.30 लाख हैक्टेयर में मत्स्य पालन के लिए क्षेत्र अभी भी उपलब्ध है और 0.70 लाख को मछली पालन के उपयुक्त बनाना होगा.

छठी पंचवर्षीय योजना में मछली विकास की नीति के अन्तर्गत मछली उत्पादन को बढ़ाने के विभिन्न कार्यक्रम अपनाए गए जैसे छोटे तालाबों का निर्माण, नये मछली बीज उत्पादन केन्द्रों का निर्माण आदि. इसके लिए 250 करोंड़ रुपये खर्च किए गए. कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो योजनाकाल में सम्पन्न किए गए उनमें (1)मत्स्य पालकों की सामाजिक एवम् आर्थिक स्थिति में सुधार करना (2) मध्यम एवम् निम्न जल स्रोतों में सघन मत्स्य पालन, (3) बहते हुए पानी (नहरों) में मत्स्य विकास (4) मत्स्य बीज धर्म का निर्माण तथा (5) विदेशी मत्स्य के उत्पादन में वृद्धि करना.

कुक्कुट विकास—वर्तमान समय में मुर्गी पालन कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 राज्य स्तर कुक्कट शालाएं, जयपुर तथा अजमेर में, तीन प्रादेशिक स्तर शालाएं, जोधपुर, अलवर एवम् टौंक में तथा 10 सघन कुक्कुट विकास खंड जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर तथा जोधपुर जिलों में कार्यरत है. कुक्कुट पालन अभी हाल ही के वर्षों में प्रारम्भ किया गया है. मुर्गियों की संख्या 1966 में 86.5 लाख थी 1972 में बढ़कर 123.5 लाख हो गई और 1977 में यह बढ़कर 159.0 लाख हो गई. 1985 के अन्त तक यह संख्या 220 लाख थी. समाज के पिछड़े एवम् कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का आर्थिक स्तर ऊँचा उठाने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर व्यावसायोन्मुख करने के उद्देश्य से अजमेर भीलवाड़ा, टौंक, जयपुर एवम् उदयपुर जिलों में कुक्कुट उत्पादन की विशिष्ट योजनाएं चलाई जा रही है. 1982-83 के दौरान राज्य के तीन जिले टौंक, जयपुर व भीलवाडा में कुक्कुट विकास कार्यक्रम में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से एक पाइलेट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है. राज्य में अब तक इस योजना के अन्तर्गत 138 कुक्कुट इकाइयां स्थापित हो चुकी है. राज्य में कोटा तथा जयपुर स्टेट पोल्ट्री एस्टेट स्थापित करने की कार्यवाही प्रगति पर हैं.

हाफ ए मिलियन जॉब योजना के अन्तर्गत बेरोजगार स्नातकों को मुर्गी पालन का प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे कि वे कुक्कुट शालायें स्थापित कर आय प्राप्त कर सके. विभाग ने मुर्गी पालकों को देश में ही अच्छी नस्ल के चूजे तैयार कर वितरण हेतु एक 'प्रजनन कार्य'

हाथ में लिया है. इन चूजों की उत्पादन क्षमता हाई ब्रीड मुर्गियों के बराबर है तथा इनके दाने की खपत भी कम होगी. ये चूजे कम आयु में ही मुर्गी के रूप में तैयार हो जाते हैं एवम् जल्दी ही अण्डे देने योग्य हो जाते है. राज्य सरकार कुक्कुट सम्पदा में पुलोरम नामक बीमारी की रोकथाम के लिए भी प्रयास कर रही है. अंडों की बिक्री के लिए राज्य में पोल्ट्री मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना पर राज्य सरकार विचार कर रही है. राज्य की छटी पंचवर्षीय योजना में मुर्गी पालन पर 12.01 लाख रुपये व्यय किए गए.

मुर्गीपालन व्यवसाय को भी सहकारिता के माध्यम से बढ़ाने में सरकार की रुचि है अतः सरकार मुर्गीपालक सहकारी समितियां बना रही है. इनके जरिये मुर्गीपालकों को मुर्गियों का दाना सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है और विस्तार कार्यक्रम के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं. चूंकि यह व्यवसाय कम खर्च में और कम स्थान से प्रारम्भ हो सकता है. स्वनियोजन या अल्प रोजगार वाले या समाज के कम आय वाले वर्गों के लिए अधिक लाभदायक है.

राजस्थान में पशुओं की हीन दशा के कारण–

(1) जन संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण पशुओं का भार भूमि पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है. अतः जनसंख्या के भार से बची निकृष्ट भूमि से पशुओं के लिए आवश्यक चारा उपलब्ध नहीं हो पाता.

(2) राजस्थान में चारागाहों की विशेष कमी के कारण उत्तम एवम् निकृष्ट सभी प्रकार के पशुओं को एक ही चारागाह में या जंगल में चराया जाता हैं जिससे नस्ल बिगड़ती है.

(3) सभी प्रकार के पशुओं को एक साथ चराये जाने, गन्दा जल पीने, सड़ी गली वस्तुओं को खाने और गन्दे तथा अंधेरे बाड़ों में रहने से ये अनेक रोगों से पीड़ित हो जाते है. ये रोग संक्रामक होते है और इनसे पशुओं की मृत्यु हो जाती है.

इस प्रकार पशुओं की मुख्य समस्या उत्तम चारे, प्रजनन तथा चिकित्सा की है. अगर इनका निराकरण कर दिया जाय तो पशु स्वस्थ्य दुधारु तथा शक्तिशाली होंगे.

पशुओं को दों वर्गों में रखा जा सकता है। जंगली और पालतू। अब राजस्थान में जंगली पशु बहुत कम रह गये है, क्योंकि अनेक भागों में जगल साफ कर दिए गये हैं और अनेक का अनियंत्रित शिकार किया गया है। ज्यों ज्यों जनसंख्या और उद्योग धन्धों, आदि का विकास होता जा रहा है, मनुष्य वनों को कुछ हद तक साफ करता जा रहा है, जंगलों में रहने वाले जीव जन्तुओं को वनों के अभाव में उचित शरण नहीं मिलती मनुष्य आर्थिक स्वार्थवश छिपे छिपे भी जंगली जीवों को मारा करते हैं, परिणामतः जंगली पशुओं की संख्या में कमी आ रही है. वर्षा की कमी के कारण यहां घने जंगलों की कमी है फिर भी वन्य प्राणी सम्पदा के मामले में आसाम को छोड़कर देश के किसी भी राज्य से राजस्थान पीछे नहीं है।

स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों को शिकारियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता था। देश विदेश के लाखों पर्यटक केवल शिकार के लिए आते थे। पिछले वर्षों में हमारी वन्य सम्पदा के अनियन्त्रित एवम् निष्प्रयोजित शिकार के फलस्वरुप काफी हानि हुई है, कई प्रमुख जाति के पशु पक्षी जैसे पिंक हेडेड डक, लिंक्स, चीता, गोडावन, आदि या तो पूर्णरूप से लुप्त हो गए हैं या इतने कम रह गए हैं कि अब उनके दर्शन दुर्लभ हो गए है, फिर भी राजस्थान में कई प्रकार के पशु पाये जाते हैं.

(1) शेर—राजस्थान में पर्वतीय भागों, वन प्रदेशों में कुछ जगहों पर शेर पाये जाते हैं, ये मुख्ययत डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा, बून्दी, उदयपुर, चितोड़गढ़, करोली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और अलवर के जंगलों में पाये जाते हैं।

(2) चीते-चीते अरावली पहाड़ियों पर विशेषतया दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में पाये जातें हैं, ये सवाई माधोपुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, किशनगढ़, चित्तोड़गढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, आदि जिलों में पाये जाते है।

(3) रीछ—इनकी संख्या अब बहुत ही कम रह गई है. जोधपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, बुन्दी, अलवर व धोलपुर में पाये जाते है.

(4) जंगली गधे ये राजस्थान में रन आफ कच्छ की तरफ पाये जाते हैं.

(5) तेंदुआ—ये मुख्यतः भरतपुर, अलवर, जालोर उदयपुर तथा चित्तोड़गढ़ जिलों में मिलते हैं.

शाकाहारी पशुओं मे काला हिरण, चिंकारा, सांभर, नीलगाय, चींतल, चौसींघा, भालू, जंगली सूअर, खरगोश बन्दर और लंगूर आदि उपलब्ध हैं. काला हिरण भरतपुर, जयपुर, बाडमेर, अजमेर और कोटा में मिलता है. चिंकारा भरतपुर, सवाई माधोपुर, जालोर, सिरोही, जयपुर व जोधपुर में मिलते हैं. सांभर भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तोड़गढ़, कोटा, झालावाड़, जयपुर, बाड़मेर, अजमेर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में मिलते हैं. नीलगाय मुख्यतः किशनगढ़, करोली, भरतपुर, झालावाड़, जोधपुर व कोटा में मिलती हैं. चीतल अधिकतर भरतपुर, सवाई माधोपुर, सिरोही, बाड़मेर, भीलवाड़ा तथा उदयपुर में, चौसींघा हिरण विशेष रूप से भरतपुर व सिरोही में तथा खरगोश उल्लेखनीय रूप से भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, करोली, अजमेर सिरोही और भीलवाड़ा आदि में पाये जाते हैं.

रेंगने वाले जीवों में प्रमुख हैं मगरमच्छ, घडियाल पाटागोह. अजगर, सांड, नाग तथा अन्य जातियों के सांप. राजस्थान के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में सांप विभिन्न जातियों के पाये जाते हैं लेकिके जहरीले सांप जैसे कोबरा किरेट, व वाईपर कभी कभी देखे जाते है. कोबरा मुख्य रूप से बीकानेर, जालौर, जैसलमेर और जोधपुर बाड़मेर में मिलते है. गंगानगर में वाईपर की स्थानीय जाति बण्डी बहुत मिलती है.

पक्षियों में इस देश का सबसे दुर्लभ पक्षी गोडावन जो राजस्थान का राज्य पक्षी भी हैं राजस्थान के

बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में अधिक संख्या में मिलता है. आजकल उनकी संख्या घट रही है. इसके अतिरिक्त तीतर, मोर, भट तीतर, काला तीतर, तिलोड़, खरमोर लवा, बटेर, जंगली मुर्ग, सारस, पीलक, बुलबुल, नीलकंठ बाज, खाती चिड़ा, बया, किलकिला, मैना, तोता, कोआ, कबूतर, कमेड़ी उपलब्ध है. मुख्यतः भरतपुर नागौर, सिरोही, टौंक, अजमेर, गंगानगर, भीलवाड़ा व बांसवाडा में, बटेर साधारणतया जालोर, सिरोही जोधपुर व डूंगरपुर में तथा बुलबुल विशेषकर जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर व जैसलमेर में पाई जाती है.

राजस्थान के प्रमुख वन्य पशु अभयारण्य तथा पक्षी विहार—

राजस्थान में अनेक पशु व पक्षी पाये जाते है. अतः यहां वन्य पशु अभयारण तथा पक्षी विहार भी पाये जाते है. इन स्थानों पर यहां के राजा महाराजा शिकार व विहार के लिए आते थे. अब यहां पर प्रति वर्ष अनेकों पर्यटक आते है. इन अभ्यारण्यों में शेर, चीता, भालू, जंगली सुअर, हिरण, तेदुआ, वन मानुष आदि देखने को मिल जाते है. पक्षी विहार में विश्व की अनेक प्रकार की चिड़ियाएं दिखाई देती है. मुख्य पशु अभयारण्य तथा पक्षी विहार निम्न है—

(1) केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य भरतपुर—

भरतपुर नगर से कोई 3 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 2872 हैक्टेयर क्षेत्र में फैला केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य देश में अपने प्रकार का बड़ा पक्षी विहार स्थल हैं. जहां 300 से भी अधिक प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी पाये जाते है. सर्दियां प्रारम्भ होते ही विश्व के विभिन्न भागों से नाना प्रकार के पक्षी समुदाय अपने शीतकालीन प्रवास के लिए अभयारण्य में आने लगते है और ग्रीष्य ऋतु प्रारम्भ होते ही उनकी वापसी शुरु हो जाती है. दूर-दराज के देशों से आने वाले इन प्रवासी पक्षियों में कूट, पौचर्ड, पिनटेल, मलार्ड, टील, मेडवेल व नाना प्रकार की मुर्गावियां प्रमुख है. ये प्रवासी पक्षी अभयारण्य में प्रजनन नहीं करते.

रणथम्भोर बाघ संरक्षण स्थल सवाई माधोपुर—

सवाई माधोपुर रेल्वे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूर लगभग 39200 हैक्टेयर के सघन वन क्षेत्र में यह बाघ संरक्षण स्थल स्थित है. यह बाघ संरक्षण क्षेत्र प्रोजेक्ट टाईगर योजना के अन्तर्गत 1973-74 में चुना गया. संरक्षण स्थल के विकास हेतु भारत सरकार एवम् वन्य प्राणी कोष द्वारा यथेष्ट योगदान किया जा रहा है. इस सघन वन में बहुतायत में पाये जाने वाले चीतल सांभर, नीलगाय, रीछ, आदि कंचीदा घाटी, पदम तालाव राजबाग व मिलाई सागर क्षेत्र में देखे जा सकते है. अभ्यारण्य क्षेत्र में शेर, बघेरे भी पाये जाते है. पर्यटकों की सुविधा हेतु सवाई माधोपुर वन विश्राम गृह एवम् रणथम्भोर दुर्ग की छाया में जोगी महल में प्रवास की सुविधा उपलब्ध है. हाल ही में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के इस क्षेत्र में छुट्टियां मनाने के बाद से इस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है.

सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण—यह अलवर से 35 मील दूर व जयपुर से 110 किलोमीटर दूर सरिस्का बाघ संरक्षण स्थल अपने आप में अनूठा स्थान है. यहां पशु व पक्षी दोनों पाये जाते है. यहां के मुख्य पशु सांभर, हिरन, बारहसिंगा, सूअर, सांड, चीता, लकड़बग्घा और शेर के अतिरिक्त बघेरा आदि बहुतायत से पाये जाते है. चौसिंगा रेटल व स्याहगोश जो राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में बहुत कम पाये जाते है, यहां सहजता से देखे जा सकते है. पक्षियों में मुख्य पक्षी मोर, हरे कबूतर आदि है. यहां जीप व मिनी बस द्वारा अथवा सर्वथा सुरक्षित आदियों में बैठकर शेर देखे जा सकते है. इस अभ्यारण्य को भी प्रोजेक्ट टाईगर योजना से जोड़ने से बाघों की संख्या में वृद्धि होने लगी है.

दर्रा संरक्षण स्थल या दर्रा वन्य जीव अभ्यारण—

दर्रा अभ्यारण कोटा नगर से 48 किलोमीटर दूर, विन्ध्य पर्वतीय श्रंखला की मनोरम घाटियों में स्थित है. अभ्यारण्य क्षेत्र में पशु व पक्षी दोनों पाये जाते है. चीते, बाघ, सूअर, हिरण व सांड आदि यहां के मुख्य

पशु हैं. पक्षियों में तीतर मर्ग, रंग-बिरंगी चिड़ियां आदि पक्षी दर्शनीय है. बघेरा व शेर जीप द्वारा घूमते हुए अथवा ओदी पर से देखे जा सकते हैं. यहां एक लकड़ी से बना वन आवास गृह भी है.

जय समन्द वन्य जीव अभ्यारण्य—झीलों की नगरी उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर मनोरम पहाड़ियों व घाटियों में स्थापित जयसमन्द वन्य जीव संरक्षण स्थल में चीतल, नीलगाय, रीछ, जंगली सूअर आदि व अनेक पक्षी पाये जाते है. संरक्षण स्थल के समीप विशाल जय-समन्द झील के किनारे से लानियों के लिए वन आवास गृहहै.

धौलपुर वन्य विहार अभ्यारण्य या राम सागर वन्य विहार तथा अभ्यारण्य—यह वन्य जीव संरक्षण स्थल धौलपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर व आगरा से 72 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय मार्ग (आगरा-बम्बई) पर स्थित है. यहां अनेकों वन्य जीव है, और झील के किनारे अनेकों पक्षी पाये जाते है. यहां धोलपुर के शासक आखेट के लिए आते थे. वन विहार आवास गृह झील के किनारे स्थित है. जहां से चीतल, नीलगाय, सांभर तथा मोर इत्यादि विचरण करते देखे जा सकते है.

ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य—बीकानेर जयपुर मार्ग पर सुजानगढ से 12 किलोमीटर दूर 820 हैक्टेयर क्षेत्र में काले हिरणों की सेंचुरी है. यहां अनेक काले हिरण पाये जाते हैं. यहां पहले बीकानेर के शासक आखेट के लिए आते थे. यहां 500 काले हिरण झुण्ड में देखे जा सकते है.

रणकपुर कुम्भलगढ अभयारण्य—उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर कुम्भलगढ़ के समीप अरा-वली पर्वतीय श्रृंखला में व इसके मैदानी भाग में यह संरक्षण स्थल स्थित है. इस संरक्षण के समीप रणकपुर के मन्दिर व ऐतिहासिक कुम्भलगढ़ का किला पर्यटकों के अन्य आकर्षक केन्द्र है. इस संरक्षण स्थल मे रीछ, सांभर, चीतल, सूअर, जंगली मुर्गा इत्यादि को संरक्षण प्राप्त है. इस क्षेत्र में बघेरा भी पाया जाता है.

आबू पर्वत अभयारण्य—यह अभयारण्य माउन्ट आबू की उच्च पर्वतीय श्रृंखला में स्थित एक मनोरम स्थल है. यह आबू रोड रेल्वे स्टेशन से 29 किलोमीटर दूर स्थित है. यहां जंगली मुर्गा, सूअर. रीछ, सांभर तीतर व नाना प्रकार के सुन्दर पक्षी देखे जा सकते है.

वन्य जीव संरक्षण भारतीय समाज के लिए कोई नई बात नहीं है. 'अहिंसा परमोधर्म' की महान परम्परा वन पशु पक्षियों की रक्षा से सम्बन्धित है. बात कुछ वर्षो से भारत तथा राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है और इस दिशा में समुचित कदम उठाये गये है. राज्य की योजना में भी वन्य प्राणियों के सरक्षण को एक आवश्यक अंग मान लिया है. भारतीय वन्य जीव कानून 1972 देश के सारे राज्यों में लागू है. इस कानून के बनने से अब कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के वन्य जीव का शिकार नहीं कर सकता. सींग, खाल तथा परों का निर्यात भी प्रतिबन्धित है. इसका ही परिणाम है कि अब वन्य जीवों के अन्य देशों में निर्यात किये जाने पर काफी सख्त नियन्त्रण है.

□

GRAM : Agarwal

Trin..Trin : Day 22632,21037*
Night 22405

AGARWAL TEXTILE INDUSTRIES

POST BOX No. 80,
SUMERPUR ROAD,
PALI-MARWAR-Pin. 306 401
(Rajasthan.)

श्वेत क्रांति-डेयरी विकास

राजस्थान सदा से अपने पशुधन और उनकी अच्छी नस्ल के लिए तो विख्यात रहा किन्तु पहले उत्पादित दूध के विपणन की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थों के उत्पादन की दृष्टि से अगुवा राज्यों की श्रेणी में नहीं आ सका. डेयरी विकास की दिशा में किए गए ठोस एवम् कारगर प्रयासों के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है.

राज्य में डेयरी विकास का एकीकृत कार्यक्रम केवल डेयरी संयंत्रों की स्थापना, एवम् दुग्ध वितरण व्यवसाय तक ही सीमित नहीं है. इस कार्यक्रम के तहत जहां आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से दुधारु पशुओं के दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करने और इसके विपणन की सुनियोजित व्यवस्था की गई है वहां दुग्ध पाउडर, मक्खन घी, पनीर, ट्रेटापैक दूध और अधिक आय देने वाले अन्य पदार्थों का उत्पादन भी किया जाने लगा है। इसके अतिरिक्त पशु नस्ल सुधार, सन्तुलित पशु आहार, तथा पशुओं की बिमारियों की रोकथाम व उपचार के लिए पशु चिकित्सालयों चल एवम् तात्कालिक चिकित्सा इकाइयों की सेवाएं भी सुलभ की गई हैं.

राजस्थान में कृषकों का प्रतिशत लगभग 80 है लेकिन अधिकांश लघु एवम् सीमांत कृषक की श्रेणी में आते हैं अतः कृषि से उनको जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती है. सरकार ने कृषि के साथ-साथ पूरक व्यवसाय के रूप में पशुपालन को बढ़ावा देने का निश्चय किया जिससे कि कृषि भिन्न आय में वृद्धि हो और अकाल जैसी स्थिति में किसानों के सामने रोजी रोटी का प्रश्न उत्पन्न नहीं हो.इसके अतिरिक्त सिंचाई के साधनों के अभाव में साल के बाकी महीनों में आय प्राप्त होती रहे इस आशय से डेयरी विकास कार्यक्रम अपनाया गया.

राज्य में हरित क्रांति के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का एक और सुदृढ़ आधार तैयार किया जा रहा है. राज्य के किसानों को खेती से होने वाली आय के अलावा दूध के विक्रय से पूरक आय का एक और स्रोत सुलभ कराना ही यह आधार होगा जिससे राज्य में श्वेत क्रांति लाई जा सकेगी.

कम वर्षा के उपरान्त भी राज्य का पशु धन बहुत बड़े पैमाने पर दूध प्रदान करता है. अच्छी किस्म की सीवन तथा धामन घास के कारण यहां के दूध में पौष्टिक तत्वों की मात्रा भी एक विशेष सन्तुलन लिए हुए है.

अन्तिम पशुगणना (1983) के अनुसार राज्य में 4.95 करोड़ पशुधन है. इनमें से 134.66 लाख गोधन एवम् 60.35 लाख भैंसे हैं. 1978 की पशु गणना के अनुसार राज्य में लगभग 4.14 करोड़ पशु थे. इनमें से 129 लाख गोधन एवम् 51 लाख भैंसे थीं. पशुधन की संख्या की दृष्टि से देश में राज्य का तीसरा स्थान है जबकि दुग्ध उत्पादक पशुओं की दृष्टि से छटा. समग्र देश के दुधारू पशुओं की 7 प्रतिशत संख्या राजस्थान में है जो देश में कुल दुग्ध उत्पादन का दसवां भाग उत्पन्न करते हैं. देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धि 108 ग्राम है जबकि राज्य में यह मात्रा प्रति व्यक्ति 270 ग्राम है. इससे स्पष्ट है कि राज्य में दुग्ध उत्पादन के विकास की पर्याप्त संभावनायें है. किन्तु दुग्ध उत्पादन को यहां के पशुपालकों द्वारा कभी व्यापक आधार पर नहीं अपनाया जा सका.

राजस्थान में प्रति गाय के पीछे लगभग 160 किलोग्राम दूध मिलता है जबकि भारत में यह औसत मात्रा क्रमशः 210एवम् 554 किलोग्राम है. राज्य में प्रति 100 व्यक्तियों के लिए 27 गायें व 10 भैंसों का औसत आता है जबकि समग्र भारत में यह औसत 5 गायें व 3 भैंसे है. इस प्रकार प्रति 100 व्यक्तियों के पीछे राजस्थान में पशुधन अधिक है लेकिन समुचित सुविधाओं के अभाव मे इनका प्रयोग नहीं किया जा सका है. दूर दराज के गांवों में रहने वाले पशुपालकों के लिए पहले

यातायात व बाजार की सुविधायें नहीं थी. उससे ये लोग प्राय: घर पर ही उत्पादित दूध को घी में बदल लेते थे जिससे उन्हें प्रति एक लीटर दूध से मात्र 80 पैसे की आय होती थी. इतनी कम आय के कारण किसी दुग्ध उत्पादक को यह भान तक नहीं हो पाता था कि दुग्ध उत्पादन उनकी आय का एक प्रभावी साधन बन सकता है.

श्वेत क्रांति के सूत्रपात से राज्य के लघु एवम् सीमान्त किसान तथा पशुपालकों में यह विश्वास पनपा है कि दुग्ध उत्पादन को व्यावसायिक स्तर पर अपनाना चाहिए. उन्हें प्रेरणा मिली है अपने पशुओं की नस्ल सुधारने, उनको सन्तुलित आहार खिलाने और उन्हें रोग मुक्त रखकर दूध की मात्रा में वृद्धि करने की, इस साधन से आय में वृद्धि हो सके.

राजस्थान में डेयरी विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास 1967 में जयपुर में किया गया. नगर में अच्छे किस्म का दूध उपलब्ध कराने की दृष्टि से *1967* में जयपुर में 6000 लीटर की क्षमता वाला एक डेयरी संयंत्र स्थापित किया गया. 1969 इसकी क्षमता बढ़ाकर 20,000 लीटर कर दी गई. उन दिनों दुग्ध उत्पादकों और डेयरी संयंत्र के बीच कोई सीधा सम्पर्क नहीं था. संयंत्र द्वारा निजी विक्रेताओं से ही दूध क्रय किया जाता था.

राज्य में डेयरी विकास का कार्यक्रम 1973 में प्रारम्भ किया गया. राजस्थान राज्य आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत आ जाने से डेयरी विकास का एक वृहत कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है. प्रदेश में डेयरी विकास की योजना बनाने, योजनाओं की क्रियान्विति, समन्वय, तकनीकी मार्गदर्शन व दुग्ध उत्पादन-वर्धन कार्यक्रमों के लिए नवम्बर 1973 से डेयरी विभाग पृथक से स्थापित किया गया है. आपरेशन फ्लड योजना, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राज्य योजना, लघु व सीमान्त कृषक योजनायें, सूखा संभाव्य क्षेत्र परियोजना एवम् विश्व बैंक से वित्तिय साधन डेयरी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त किए गए हैं.

डेयरी विकास कार्यक्रम की नई संरचना के तहत चौथी पंचवर्षीय योजना में यद्यपि प्रारम्भ में केवल 75 लाख रुपये का ही प्रावधान किया गया था किन्तु बाद में इस कार्यक्रम के "आपरेशल फ्लड-1" तथा विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत आ जाने से डेयरी विकास का एक व्यापक एवम् वृहद् कार्यक्रम तैयार किया गया.

इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में डेयरी संयंत्रों व अवशीतन केन्द्रों की स्थापना तथा डेयरी विकास सम्बन्धी अन्य गतिविधियों लागू करने का व्यापक कार्य हाथ में लिया गया. 1979-80 तक इन कार्यों पर लगभग 38 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी थी. छठी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य को और आगे बढ़ाया गया और- योजनाकाल में इसके लिए 42.23 करोड़ रुपये कुल के रुप में व्यय करने का प्रावधान रखा गया.

राज्य में राजस्थान डेयरी सहकारी संघ, डेयरी विकास तथा दुग्ध वितरण के लिए शीर्ष संस्थान है. डेयरी विकास के इस बहुआयामी कार्यक्रम की सम्पूर्ण संरचना का मुख्य आधार सहकारिता है.इसके पीछे मुख्य अवधारणा यह है कि लोगों को इसमें भागीदार बनाए. यही कारण है कि ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का गठन कर पशुपालकों को प्रत्यक्ष रुप से समितियों का सदस्य बनाया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में गठित इन समितियों को पशुपालकों से दुग्ध संकलन के साथ साथ पशु नस्ल सुधार का दायित्व भी सौंपा गया है.

राजस्थान डेयरी सहकारी संघ ने अब तक जिन स्थानों पर विद्यमान संयंत्र की क्षमता को बढ़ाया तथा नए संयंत्र लगाए और अवशीतन केन्द्रों की स्थापना की उसका विवरण निम्न तालिका संख्या—1 में दिया गया है.

डेयरी विकास कार्यक्रम को और व्यापक एवम् साधन बनाने के लिए प्रास्तवित "आपरेशन फ्लड-2" योजना के लागू होने 83.36 करोड़ लागत के विभिन्न कार्यक्रम हाथ मे लिये जा सकेगें. इस योजना के तहत दुग्ध संकलन की मात्रा बढाकर 11.96 लाख लीटर-प्रतिदिन तक पहुंचने का लक्ष्य है. इस अवधि- में वर्तमात डेयरी

तालिका संख्या—1

	स्थान का नाम	क्षमता प्रतिदिन (लाख लीटर में)	मौजूदा स्थिति	अवशीतन केन्द्र
1.	डेयरी सयंत्र जयपुर (घी, मक्खन, दूध, एस.एम.पी)	1.5	स्थापित	मालपुरा, गंगापुर सीटी
2.	डेयरी संयंत्र अलवर (घी, मक्खन, पनीर,एस.एम.पी.)	1.0	,,	तिजारा
3.	डेयरी संयंत्र अजमेर (घी, मक्खन, एवम् एस.एम.पी.)	1.0	,,	विजय नगर—ब्यावर
4.	डेयरी संयंत्र भीलवाड़ा (सिर्फ दूध)	1.00	,,	
5.	डेयरी संयंत्र जोधपुर (घी, मक्खन, दूध, तथा एस.एम.पी.)	1.5	,,	नागौर, मेड़ता सीटी, पाली, पोकरण, बाड़मेर बालोतरा, फालना एवम् फलौदी
6.	डेयरी संयंत्र, उदयपुर (डेयरी मुख्यतया शहर की दूध की आवश्यकता पूरी करता है)	0.25	,,	डुंगरपुर, बांसवाड़ा
7.	डेयरी संयंत्र, बीकानेर घी, मक्खन, दूध, बच्चों का दूध एवम् एस.एम.पी.)	1.5	,,	लूनकरणसर, सरदार शहर, बज्जू छतरगढ़
8.	डेयरी संयंत्र कोटा (मूलतः शहर की दूध आवश्यकता पूरी करता है)	0.25	,,	
9.	डेयरी संयंत्र, हनुमानगढ़ (दूध, मक्खन, एस.पी.एम.)	1.00	,,	नोहर, सूरतगढ़ एवम् एवम् गंगानगर

संयंत्रों की क्षमता बढाने के साथ साथ लूणकरणसर, सरदारशहर, पाली और भरतपुर में नये डेयरी संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रावधान रखा गया हैं. इसी प्रकार संकलित दुग्ध को ठंडा करने के लिए जैसलमेर टोंक, सीकर, धौलपुर और चित्तोड़गढ़ में अवशीतन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे.

जून 1981 तक राज्य में बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, अलवर व जयपुर दुग्ध वितरण योजना में 5 डेयरी प्लांट कार्यशील थे. इसके बाद जयपुर में डेढ़ लाख लीटर की क्षमता के एक नये प्लांट की स्थापना की गई. इस वर्ष में इस संयंत्र को राष्ट्रपति ने राष्ट्र के दुग्ध उत्पादको एवं उपभोक्ताओं को समर्पित किया है. बीकानेर

जोधपुर व अजमेर के संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई गई है. भीलवाड़ा में एक लाख लीटर प्रतिदिन तथा उदयपुर में 25 हजार लीटर क्षमता के संयंत्रों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त हनुमानगढ़ में एक लाख लीटर प्रतिदिन तथा कोटा में भी 25 हजार लीटर क्षमता में संयंत्र स्थापित किए गए.

राज्य में हाल ही में नये दूध अवशीतन संयंत्र की स्थापना की गई. नागौर, बाड़मेर, गंगापुर सिटी, ब्यावर, विजयनगर, बांसवाड़ा डूंगरपुर में नए अवशीतन केन्द्र बनाए गए. इस प्रकार 32 अवशीतन केन्द्र हो जायेंगें. तालिका संख्या-में इन्ही का वर्णन किया गया हैं और बताया गया है कि डेयरी में दूध के अतिरिक्त अन्य कौनसी वस्तुओं का उत्पादन होगा.

राज्य में जून 1982 तक 12 जिला दुग्ध उत्पादक सं कार्य कर रहे थे जबकि वर्तमान में (मार्च 1985 तक) राज्य में 14 जिला दुग्ध उत्पादक संघ कार्यरत हैं. इसके अतिरिक्त सीकर, झुन्झुनु, गंगानगर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में स्पेयर हैड टीम द्वारा डेयरी कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा हैं.

तालिका संख्या 2

दुग्ध विकास कार्यक्रम की प्रगति

मद	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85 जुलाई84-मार्च1985
1. जिला दुग्ध उत्पादन संघ(सं)	11	12	12	12	13	14
2. दुग्ध सहकारी समितियां एवं संगहण केन्द्र(संख्या)	2168	2559	2883	3036	3472	3934
3. सदस्य संख्या	104939	120505	134801	160405	166924	191595
4. दूग्ध संग्रहण(लाख	810.12	628.87	749.34	1051.89	1129.07	1477.00
5. दुग्ध उत्पादकों को भुगतान की गई राशि(लाख रु.)	1283.75	1073.94	1487.72	2267.15	2502.40	3509.80
6. औसत दैनिक दुग्ध संग्रहण(लाख लीटर)	2.20	1.74	2.06	2.88	3.09	4.97
7. वितरित किया गया पशु आहार(मै.टन)	6380	15931	22956	28461	13742	16354
8. भ्रमणशील एवं आपातकालीन कार्यरत इकाइयां (संख्या)	47	47	43	57	57	57
9. भ्रमणशील इकाइयों द्वारा चिकित्सा किए गए पशुओं की संख्या (लाख)	5.35	5.43	5.17	5.54	3.15	4.23
10. कृतिम गर्भाधान किए गये (संख्या)	51575	64287	80586	61349	74470	51711

अकाल व सूखे के बावजूद चारे के व्यापक प्रबन्ध के फलस्वरुप कुल 1477 लाख लीटर दूध मार्च 1985 तक इकट्ठा किया गया। इस प्रकार प्रतिदिन 4.97 लाख लीटर दूध प्रतिदिन एकत्रित किया गया.

राज्य में हुए दुग्ध विकास कार्यक्रमों की प्रगति का विवरण तालिका संख्या–2 में दिया गया है.

जून 1981 तक राज्य में उत्पादित दूध का द्रव अवस्था में ही विक्रय किया जाता था थोड़े बहुत अंशों में घी निकाला जाता था, परन्तु दिसम्बर 1981 से दूध के अन्य उत्पादनों के प्रयत्न तेज किए गए. मक्खन, पनीर, पाउडर आदि का निर्माण शुरु किया गया. 'सरस' नाम के दुग्ध उत्पादन राजस्थान ही नहीं दिल्ली व अन्य क्षेत्रों में भी अब लोकप्रिय होने लगे है. दूध, दुग्ध पाउडर, पनीर, व सरस घी के अतिरिक्त डेयरी फेडरेशन ने आधुनिक तकनीकों से ट्रेटापैक में उपभोक्ताओं के लिए ऐसा दूध सुलभ किया है जो फ्रिज के साधारण ताप क्रम में एक पखवाड़े तक सुरक्षित रह सकता है. अपनी विशेषताओं के कारण टेट्रापैक दूध की मांग बढ़ती जा रही है. आज जयपुर, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ आदि में इसकी बहुत मांग है.

दुग्ध संग्रह के साथ साथ संकर प्रजनन कार्यक्रम ग्राम दुग्ध उत्पादक समितियों के माध्यम से चलाया जाता है. जुलाई 1982 से दिसम्बर 1982 तक 60472 कृत्रिम गर्भाधान कराये गये तथा प्रथम बार 340 दुग्ध उत्पादक समितियों पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएँ एवम् राज्य में फ्रोजन सीमन की तकनीक प्रारम्भ की गई. जुलाई 1984 से मार्च 1985 तक किए गए कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या 51711 है.

यह निसन्देह उत्साहजनक नहीं है. लेकिन कारण कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. संकर प्रजनन के माध्यम से पशुओं के जिनेटिक विकास हेतु जयपुर जिले के बस्सी नामक स्थान पर एक फार्म स्थापित किया गया है जहां पर जर्सी सांडों के प्रजनन हेतु आस्ट्रेलिया, डेनमार्क व हालैण्ड से बछड़े आयातित किये गये हैं. इसी फार्म पर जमे हुए वीर्य (फ्रोजन सीमन) का एक बैंक भी कार्यरत हैं. इस संयंत्र पर 5 लीटर प्रति घंटे की क्षमता से द्रव नत्रजन का उत्पादन किया जा रहा है जबकि क्षमता को बढ़ाकर 25 लीटर करने का है. इससे जमे हुए वीर्य (फ्रोजन सीमन) विधि के लिए आवश्यक द्रव नत्रजन की आवश्यकता पूरी हो सके. इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकों को कृत्रिम गर्भाधान द्वारा संकर प्रजनन की सुविधा देने हेतु जोधपुर में सूखा सम्भावित क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत, बीकानेर मे 'आपरेशन फ्लड' परियोंजना के अन्तर्गत अजमेर, अलवर, व जयपुर में विश्व बैंक सहायता से व कोटा-भीलवाड़ा में राज्य योजना मे वीर्य-संकलन 75-76 के वर्ष में स्वीकृत कर दिये गये है तथा कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार पाली, बालोतरा एवं सरदार शहर में उप केन्द्र खोले गये हैं. पशुओं की समुचित देखभाल के लिए सभी अवशीतन केन्द्रों पर स्पीयर हैड टीम की सेवाएं दी जाती हैं पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत जोधपुर के समीप पाल गांव में वीर्य बैंक स्थापित करके दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों के पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की गई है.

पशुओं को सन्तुलित आहार उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 संयत्र राज्य में कार्यशील हैं. वर्तमान में राज्य में इन संयंत्रों से 460 मैट्रिक टन प्रति दिन आहार का उत्पादन किया जा रहा है. इन संयंत्रों से 15354 मैट्रिक टन पशु आहार का वितरण जुलाई 1984 से मार्च 1985 तक किया गया। राज्य में चार पशु आहार संयंत्र नदबई, अजमेर, बीकानेर तथा जोधपुर में हैं. इनमें प्रत्येक की क्षमता 100 मैट्रिक टन है. इनके अतिरिक्त एक पशु आहार संयंत्र 40 मैट्रिक टन क्षमता वाला जयपुर में चल रहा है जिनको क्रय विक्रय संघ से लीज पर लिया गया है. वरमूल के तहत जोधपुर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिदिन 100 मैट्रिक टन पशु आहार तैयार करने वाला संयंत्र चल रहा है, अन्य योजनाओं में राज्य में उन्नत चारा प्रदर्शन क्षेत्र लगाने की व्यवस्था, तथा हरे चारे की साइलेज बनाने की व्यवस्था की गयी है. इन केन्द्रों पर तैयार किया गया सन्तुलित

ग्राहार-पशुपालकों को सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य पर सुलभ किया जाता है.

इन सभी डेयरी संयंत्र के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के दो संयंत्र एक भरतपूर में डालमिया डेयरी इन्डस्ट्रीज तथा दूसरा जालोर जिले के रानीवाड़ा ग्राम में इन्डियन डेयरी एग्रीकल्चर एन्ट्रीप्रीनीयर लिमिटेड (IDEAL) द्वारा चलाया जा रहा है.

राजस्थान में डेयरी कार्यक्रम ग्रमूल पेटर्न पर कार्य कर रहा है ग्रतः ग्राम स्तर पर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां है जो जिला स्तर पर सहकारी दुग्ध समिति की सदस्य होती है ग्रौर जिला स्तर की समितियां राज्य स्तर के राजस्थान डेयरी सहकारी संघ की सदस्य है. इस प्रकार डेयरी विकास का सहकारिता का ढांचा राष्ट्रीय स्तर के सहकारिता के ढांचे के अनुरूप है. ग्राम स्तर की प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां का कार्य गांव गांव से दूध इकट्ठा करना तथा दुग्ध उत्पादन बढ सके इसके लिए चारे तथा पशुग्रों की देखभाल के कार्यक्रम को वढ़ावा देना है. दुग्ध के उत्पादन को वढ़ाने वाले कार्यक्रमों में कृत्रिम गर्भाधान, सन्तुलित ग्राहार की पूर्ति तथा पशुग्रों की देखभाल के सभी कार्यक्रम ग्राते है.

राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम को भिन्न भिन्न स्रोतों से वित्तीय सहायता मिलती रही है जिसमें I.D.A. के अन्तर्गत 6 पूर्वी जिलों को, D.P.A.P. तथा D.D.P. के ग्रन्तर्गत सूखे जिलों को तथा T.A.D.A. के ग्रन्तर्गत जनजाति जिलों को सहायता मिल रही है. इसके ग्रतिरिक्त राज्य योजना के ग्रन्तर्गत भी छठी योजना में डेयरी विकास के लिए सहायता मिली थी. सातवीं योजना में भी इस वादे को दोहराया गया है. चूंकि ग्रापरेशन फ्लड 2 प्रारम्भ हो चुका है ग्रौर इसके लिए 83.36 करोड़ रुपये रखे गए है ग्रतः दुग्ध विकास कार्यक्रम को राज्य के लगभग सभी जिलों में सहकारिता के ग्रन्तर्गत लाया जा सकेगा. राजस्थान में डेयरी विकास का भविष्य सुनहरा है लेकिन राज्य सरकार द्वारा वार-वार दुग्ध की कीमतें वढ़ाने से ग्राम जनता में ग्रसंतोष है. डेयरी विकास के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम से राज्य की ग्रामीण ग्रर्थव्यवस्था में एक नये युग का सूत्रपात हुग्रा है. इससे जहां ग्रामीणों की ग्रार्थिक एवम् सामाजिक स्थिति वेहतर हुई है वही ग्रामीण क्षेत्रों में वेरोजगारी की समस्या कुछ सीमा तक कम अवश्य हुई है. सरकार की समस्या को ग्रौर भी सुलझा सकती है वशर्ते कि नीतियों का सही दिशा में क्रियान्वयन हो.

भेड़ और ऊन

राजस्थान का भेड़ उद्योग बहुत प्रसिद्ध है. राजस्थान में विशेषतया पश्चिमी भागों में वर्षा की कमी के कारण लोग खेती आदि नहीं कर पाते वहां जनसंख्या बहुत कम है. जहाँ तहां घास और झाड़ियां पायी जाती हैं. भेड़ बकरी जैसे पशु उस थोडी सी वनस्पति से भी अपना पेट भर लेते हैं. इस कारण यह व्यवसाय पनप रहा है. राजस्थान का भेड़ तथा ऊन उद्योग राज्य की समृद्धि का ही साधन नहीं बल्कि यह एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है.

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए भेड़ पालन एक प्रमुख व्यवसाय है. भेड़ पालन का कार्य राज्य के विशेष रूप से पश्चिमी जिलों में है. भेड़ पालन से भेड़ पालकों को या तो भेड़ों की बिक्री से या ऊन की बिक्री से लगातार आमदनी प्राप्त होती है, राज्य में लगभग 1.34 करोड़ (1983 की पशुगणना के आधार पर) भेड़े हैं जो देश की कुल भेड़ों का लगभग 25 प्रतिशत है. राज्य का वार्षिक ऊन उत्पादन 1.56 करोड़ किलोग्राम है जो देश के कुल ऊन उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत है. ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष लगभग 25 से 30 लाख भेड़े मांस के लिए उपयोग में ली जाती है. राज्य में लगभग दो लाख परिवारों का जीवन निर्वाह भेड़ पालन से होता है. इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शहरों व गांवों के लगभग 15 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है.

यदि राजस्थान में भेड़ों के क्षेत्रीय वितरण पर दृष्टिपात करें तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम मे लगभग 67 प्रतिशत भेड़े पाई जाती है. पश्चिमी भाग के जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर तथा पाली इन पांचों जिलों में राजस्थान की कुल भेड़ों की संख्या का लगभग 43 प्रतिशत मिलता है. 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व में भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, और अजमेर में भी भेड़े पाई जाती है. सबसे कम भेड़ों की संख्या बांसवाड़ा और झालावाड़ में क्रमश: 21 हजार तथा 25 हजार है.

भेड़ों की मुख्य नस्ले—भेड़ों की नस्ल को 8 भागों में बांटा गया है. यह वर्गीकरण शरीर के आकार प्रकार ऊन की मात्रा आदि के आधार पर की गई है.

(1) नाली—ये भेड़ें बीकानेर के उत्तरी भाग और गंगानगर जिलों में पायी जाती है. इस प्रकार की भेड़ वर्ष में 2 किलोग्राम तक ऊन देती है. इनकी ऊन लम्बे रेशे की होती है. ये वजन में जैसलमेरी भेड़ों से कुछ हल्की होती है.

(2) जैसलमेरी—इस प्रकार की भेड़ों से औसत रूप से प्रति भेड़ अधिक ऊन प्राप्त होती है. एक भेड़ वर्ष भर में 2.5 किलोग्राम तक ऊन देती है. ये शरीर से मजबूत होती है. इनकी ऊन का रेशा 4-5 इंच तक लम्बा होता है. ये जैसलमेर और जोधपुर जिलों में अधिक मिलती है.

(3) चोकला—इन्हें शेखावटी भी कहते हैं. इस नस्ल की लगभग 16 लाख भेड़े राजस्थान में पाई जाती है. लेकिन इनका अधिकांश केन्द्रीयकरण चुरू, झुन्झुनु व सीकर जिलों में है. इन भेड़ों के चेहरों पर गहरे भूरे तथा काले धब्बे होते है. इससे अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है. प्रत्ये भेड़ प्रति वर्ष औसतन 1-2 किलोग्राम तक ऊन देती है.

(4) मगरा—इस नस्ल की भेड़े जैसलमेर, बीकानेर तथा नागौर जिलों में पायी जाती है. इनकी शारीरिक बनावट सुन्दर व मजबूत होती हैं. औसतन वजन 40 किलोग्राम होता है. इनसे ऊन वर्ष में तीन बार प्राप्त की जाती है. इनसे प्राप्त ऊन कालीन बनाने के लिए बड़ी अच्छी होती है. यह 10 से 12 सेंटीमीटर

लम्बे रेशे वाली ऊन का उत्पादन करती है. प्रति मेड़ ग्रौसतन प्रति वर्ष 2 किलो तक ऊन देती है. इस जाति की लगभग 4 लाख मेड़ें राजस्थान में पाई जाती है.

(5) मारवाड़ी—इन मेड़ों का स्वास्थ्य अच्छा होता है और लम्बी दूरी तय कर सकती है और किसी भी रोग से शीघ्र पीड़ित नहीं हो सकती. इस नस्ल की मेड़ें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जयपुर, सीकर व झुनझुनु जिलों में मिलती है इससे मध्यम व साधारण किस्म की ऊन मिलती है. प्रति मेड़ प्रति वर्ष ग्रौसतन 1 से 2 किलोग्राम तक ऊन देती है.

(6) मालपुरी—यह नस्ल कम ऊन देने वाली है और जयपुर टोंक तथा सवाई माधोपुर जिलों में मिलती है. प्रति मेड़ प्रति वर्ष ऊन का उत्पादन 1.5 किलोग्राम तक होता है.

(7) सोनाड़ी अथवा चनोथर—इस नस्ल की मेड़ें राजस्थान में लगभग 9 लाख है और यह बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर तथा उदयपुर जिलों में पाई जाती है. इनका वजन ग्रौसतन 55 से 60 किलोग्राम तक होता है. इनसे प्राप्त ऊन का रेशा छोटा होता है. प्रति मेड़ प्रति वर्ष 1 से 1.5 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है.

(8) पूगल—पूगल तहसील बीकानेर जिले में भारत व पाकिस्तान की सीमा के निकट है. इसका उत्पत्ति स्थान पूगल होने से इस नस्ल का नाम भी पूगल हो गया है. अतः ये मुख्यतः बीकानेर और जैसलमेर जिलों में पाई जाती है और कुछ मात्रा में नागौर व जोधपुर जिलों में भी पाई जाती है. इनसे प्राप्त ऊन मध्यम किस्म की होती है और साल में प्रति मेड़ ऊन की मात्रा ग्रौसत रूप से 2 किलोग्राम है.

मगरा जाति की मेड़ों की ऊन मुख्य रुपसे कार-पेट (दरी, गलीचा) बनाने के काम आति है लेकिन सोनाड़ी नस्ल को मुख्य रुप से गोस्त के लिए ही पाला जाता है. मेड़ों का केन्द्रीयकरण मुख्य रुप से पश्चिमी राजस्थान में ही है. राज्य के बाकी जिलों में मेड़ों की संख्या नहीं के बराबर हैं और उनकी कोई विशिष्ठ नस्ल नहीं है. इन जिलों के नाम अलवर, भरतपुर, बून्दी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा तथा सिरोही है. तालिता संख्या-1 में मेड़ों की संरका तथा भविष्य के लिए मेड़ों की संरका के अनुमान बताए हैं. धोलपुर जिले आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं. उनको भरतपुर के साथ ही लिया गया है.

तालिका 1 से स्पष्ट है कि मेड़ों की संख्या में अत्यधिक उतार चढ़ाव आते रहते हैं एवम् संख्या लगभग-लगभग पशु गणना सालों के बीच स्थिर रहती हैं. इसका मुख्य कारण है मेड़ों का स्थानांतरण और स्थानान्तरण का कारण प्राकृतिक प्रकोप. इस प्रकोप से बचने के लिए मेड़ बालक अपनी मेड़ों को रेवड़ लेकर अन्य राज्यों को तिकल जाते हैं लेकिन आय के साधन के अभाव में रास्ते में कुछ मेड़ों को बेच देते हैं, कुछ मेड़ें मर जाती हैं. इस प्रकार अन्य स्थान तक पहुंचते पहुंचते उनके मेड़ों की संख्या आधी हो जाती है. और कुछ कमी उनको संख्या में वापसी से हो जाती हैं यही कारण है कि मेड़ों की संख्या में उतार चढ़ाव आते है. राज्य में निरन्तर हुए प्राकृतिक प्रकोपों का मेड़ों की संख्या पर विपरित प्रभाव पड़ा हैं. इससे सम्बन्धित विभाग इस दिशा में सुधार की ओर प्रयत्नशील है. मेड़ प्रजनन फार्म एवम् कृत्रिम गर्भाधान योजना द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं.

राज्य सरकार इस व्यवसाय की प्रगति के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रही है. इस हेतु संकर प्रजनन की योजनाओं के द्वारा नस्ल विकास का कार्य किया जा रहा हैं. गहन मेड़ विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रेड़ पालकों की सहकारी संस्थाएं गठित की जाती हैं एवम् संकर प्रजनल के लिए समस्त सुविधाएं ग्राम स्तर पर ही उपलब्ध कराई जाती हैं, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रो पर आयातित मेड़ें रखे जाते हैं. ग्राम स्तर पर गठित सहकारी समितियां ऊन विक्रय एवम् पशुओं का विक्रय राजस्थान मेड़ एवम् ऊन विपरण संघ के माध्यम से करती है.

तालिका संख्या 1

जिलानुसार भेड़ों की सख्या तथा भविष्य के लिए अनुमान

(लाखों में)

जिला	1951	1956	1961	1966	1972	1977	1983	अनुमान 1988
1. अजमेर	2.79	4.37	4.89	4.87	5.55	5.32	6.56	7.05
2. अलवर	0 69	0.99	0.99	1.19	0.91	0.92	0.90	0.84
3. बांसवाड़ा	0.27	025	0.24	0.26	0.20	0.21	0.17	0.16
4. बाड़मेर	4.33	4.71	5.86	7.92	5.68	8.47	8.50	6.85
5. भरतपुर	0.48	0.62	0.69	0.69	0.52	0.54	0.40	0.44
6. भीलवाड़ा	3.12	5.88	6.96	7.36	7.80	7.21	9.74	10.35
7. बीकानेर	2.53	4.80	4.30	5.34	4.02	7.97	8.00	3.37
8. बून्दी	0.44	0.70	0:78	0.86	0.97	0.95	1.21	1.34
9. चित्तौड़गढ़	1.01	1.37	1.67	1.15	2.03	1.89	2.47	3.01
10. चूरू	1.13	3.39	2.90	3.62	4.21	4.56	6.11	5.23
11. डूंगरपुर	0,59	0.75	0.91	0.90	1.28	1.45	2.00	2.18
12. गंगानगर	2.28	3 33	2.87	3.34	2.83	3.30	2,99	2.44
13. जयपुर	4.30	3.37	3.63	3.83	3.69	3 07	3.95	4.84
14. जैसलमेर	2.26	3.95	4.67	5.91	3.13	6.77	8.77	2.48
15. जालोर	3.19	4.37	4.06	5.16	4.53	4.80	5.06	4.70
16. झालावाड़	0.63	0.17	0.21	0.29	0.25	0.20	0.29	0.37
17. झुनझुनु	1.89	1.69	2.18	1.76	2.12	1.79	2.06	2.66
18. जोधपुर	5.53	5.78	4.85	6.63	6.83	10.14	10.42	8.07
19. कोटा	0.50	0.53	0.50	0.62	0.44	0.46	0.39	0.37
20. नागौर	3.27	6.72	3.98	5.90	8.02	8.47	16.16	9.57
21. पाली	4.75	6.53	4.93	6.60	6.27	7.52	8.36	6.02
22. सवाई माधोपुर	0.98	0 65	0.95	0.02	0 86	0.86	0.76	1.14
23. सीकर	1.29	2.32	2,93	3.24	3.97	2.94	5.38	6.79
24. सिरोही	0.60	1.47	1.48	1.64	1.77	1.89	2.12	2.13
25. टौंक	1.31	1.62	2.33	2.96	3.03	2.63	4.94	5.67
26. उदयपुर	3.29	3.47	3.85	4.13	4.68	4.95	6.35	6.31
राजस्थान	53.87	73.73	73.60	88.06	85.56	99.38	134.06	103.63

राज्य में इस विभाग के कार्यालय जयपुर, जोधपुर अजमेर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, भीलवाड़ा चुरु. सीकर, नागौर-आदि 14 जिलों में है. इनके अवाला 139 भेड़ व ऊन विस्तार केन्द्र कार्यरत हैं. छठी योजना में लगभग आधी भेड़ संख्या को विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाया गया है. इसके अलावा एक प्रशिक्षण संस्थान. 28 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र एक ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, 5 भेड़ प्रजनन फार्म तथा 3 भेड़ रोग अनु. संधान शालाएँ भेड़ पालन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं छठी योजना में राज्य में भेड़ व ऊन विकास कार्यक्रमों पर 450 लाख रुपये खर्च किए गए.

सातवीं योजना के लिए 1023.50 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है. इस योजना कार्य में सघन भेड़ प्रजनन कार्यक्रम, चारगाह विकास, भेड़ों की स्वास्थ्य रक्षा एवम् अनुसंधान आदि को गति देने के लिए द ो जिला भेड़ व उन कार्यलय तथा 37 नये प्रसार एवम् कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के साथ दो नई क्षेत्र अनुसंधान प्रयोगशालाएँ खोलने के प्रस्ताव है.

इसी प्रकार सातवीं योजना अवधि में मरु विकास कार्यक्रम के तहत 715.25 लाख रुपये प्रस्तावित है.

केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत फतेहपुर जिला सीकर में लगभग 8700 एकड़ भूमि पर एक वृद्ध स्तरीय भेड़ प्रजनन केन्द्र कार्यरत है. इसके अतिरिक्त जोरवर (बीकानेर) मण्डोर (जोधपुर), जोधपुर एवम् चित्तोड़गढ़ में राजकीय फार्मो पर भेड़ों के लिए चारा, दाना, घास पैदा किया जाता है. लेकिन जोधपुर, जयपुर तथा चित्तौड़गढ़ में पास चारा उत्पादन के लिए सीमित भूमि ही है.

दिसम्बर 1982 तक संकर प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत 23,555 भेड़ों को आच्छादित किया गया है जिनसे 6380 मेमने उत्पन्न हुए. इसी प्रकार विस्तार कार्यक्रमों के अन्तर्गत 3.09 लाख भेड़ों को वधिया गया, 44.17 लाख को दवा पिलाई गई व 6.13 लाख की चिकित्सा की गई व 17.58 लाख को रोग निरोधक टीके लगाये गये. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को भेड़ इकाइयों के क्रय, चारागाह विकास व मांस व ऊन के विक्रय हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है. भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा दिसम्बर 1982 तक विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत 119 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है. मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 57 प्रशिक्षण शिविर लगाए गए जिसमें दिसम्बर 1982 तक 1831 भेड़ पालकों को प्रशिक्षण दिया गया. इसी प्रकार सूखा संभाव्य क्षेत्र में एक-एक सौ हैक्टेयर के सात प्रक्षेत्र अवाप्त किए गए. छठीं योजना में ऐसे 24 क्षेत्र प्राप्त करने किये गए हैं तथा दो चारागाहों का विकास किया गया.

प्रत्येक प्रसार केन्द्र पर एक प्रसार अधिकार और 2 से 6 स्कन्ध सहायक होते हैं, जो भेड़पालकों से सम्पर्क कर उन्हें उन्नत भेड़ पालन की नवीनतम तकनीक की जानकारी देते है. प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी 1985 तक 4.46 लाख नाकारा व अनुपयोगी भेड़ों का वधियाकरण किया गया और 69.46 लाख भेड़ों को दवा पिलाई गई. इसके कलावा 27-21 लाख भेड़ों को रोग निरोधक टीके लगाए गए.

नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग द्वारा मार्च 1985 तक 49,600 भेड़ों को संकर प्रजनन द्वारा आच्छादित किया गया जिससे 22,759 मेमने पैदा हुए।

योजना के प्रारम्भ से जनवरी 1985 तक 139 चारागाह भूखण्डों को विकसित कर इन पर 22185 भेड़ों की चराई सुविधा उपलब्ध कराई गई है. 1985-86 में 19 भूखब्ड वन विभाग को स्थानान्तरित किए गए है.

मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भेड़ नस्ल सुधार के लिए झुंझुनु में 8 एवम् चुरू में 4 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और झुनझुनु में ही एक रोग अनुसंधान केन्द्र संचालित हो रहा है.

राज्य में प्रति वर्ष लगभग 20 लाख भेड़े निष्क्रमण कर जाती हैं. निष्क्रमण के समय उनकी स्वास्थ्य रक्षा, जन कल्याण, एवम् निष्क्रमण नियमन की सेवाओं के लिए एक निष्क्रमण प्रकोष्ठ बनाया गया हैं जो मार्ग

में चिकित्सा की व्यवस्था तथा राह दिखाने का कार्य भी करते हैं.

प्रसार केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी एवम् कर्मचारी अपने क्षेत्र में भेड़ पालकों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें भेड़ पालन के उन्नत तरीकों व साधनों की जानकारी कराते हैं. भेड़ों में आने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए रेवड़ों में टीके लगाते हैं. कृमिनाशक दवाइयों का सेवन कराते हैं. बीमारी की दवादारु, भेड़ व ऊन की धुलाई, मशीन द्वारा ऊंट कल्पन, संकर भेड़ें उपलब्ध कराने एवम् विदेशी भेड़ों से कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था करते हैं. विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान के सूखा सम्भवित क्षेत्रों में सीमान्त कृपकों को सहायता देकर चारागाह विकास योजना क्रियान्वित की जा रही है. यह कार्यक्रम राज्य के चार जिलों जोधपुर, नागौर, जालोर तथा चोमू में चलाए जा रहे हैं. नवीन पशुपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को भेड़ इकाइयाँ प्रदान की गयी. वर्ष 1982 में 300 भेड़ पालक सहकारी समितियाँ स्थापित की गई हैं लेकिन योजना के अन्त तक यह संख्या बढकर 600 हो गई.

ऊन व्यापार–राजस्थान में लगभग 1.34 करोड़ भेड़ें हैं जिनसे वर्ष में 1.56 करोड़ किलोग्राम ऊन पैदा होती है तथा मांस के लिए प्रति वर्ष 25 से 30 लाख भेड़े उपलब्ध हो जाती है. जिनकी बिक्री राज्य में, राज्य के बाहर और विदेशों को निर्यात करके होती हैं.

राज्य में ऊन के कुल उत्पादन का 16 प्रतिशत ऊनी कम्बल, गलीचे तथा नम्दे बनाने में प्रयोग किया जाता है. शेष 84 प्रतिशत में से 72 प्रतिशत विदेशों को तथा 12 प्रतिशत भारत के दूसरे राज्यों को निर्यात किया जाता है. राजस्थान में आठ नस्लों की भेड़ों से विभिन्न किस्म की ऊन पैदा होती है जो सामान्यतया कालीन, कंबल एवम् मोटा कपड़ा बनाने आदि के काम आती है. राजस्थान में प्राप्त होने वाली ऊन को चार वर्गों में बांट सकते हैं.

उत्तम श्रेणी की ऊन—यह ऊन बीकानेर, झुनझुनु, जयपुर, चुरु तथा नागौर से प्राप्त होती हैं. समस्त ऊन की 27 प्रतिशत ऊन इस प्रकार की है.

(2) मध्यम श्रेणी की ऊन—यह ऊन अलवर, भरतपुर, गंगापुर, बीकानेर जोधपुर, जैसलमेर सवाई माधोपुर तथा जयपुर के कुछ भागों से प्राप्त होती है. इस प्रकार की ऊन कुल ऊन के उत्पादन का 15 प्रतिशत है.

(3) मोटी ऊन—यह टोंक, कोटा, तथा जयपुर के कुछ भागों से प्राप्त होती है.

(4) निम्न श्रेणी की ऊन—यह उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा आदि जिलों से प्राप्त होती है.

रंगों की दृष्ठि से राजस्थान में उत्पादित ऊन सफेद, हल्की सफेद, पीली तथा धूसर भूरी होती है. सबसे अधिक उत्पादन पीली ऊन का किया जाता है.

प्रदेश में भेड़ पालन करने में लगभग दो लाख परिवार लगे हुए हैं. इनमें अनुसूचित जाति एवम् जनजाति के लोग बड़ी संख्या में है. भेड़ पालकों को सहकारिता के आधार पर उनके उत्पादन का क्रय-विक्रय कर उन्हें उचित आर्थिक लाभ पहुँचाने तथा बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन का गठन 1977 में किया गया था.

भेड़-पालकों को प्राथमिक सहकारी समिति का सदस्य बनाया जाता है. सदस्य सहकारी समिति को स्थापना के पहिले वर्ष में 1800 रु. का व्यवस्थापकीय अनुदान और इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य समिति को कांटे बाँट खरीदने के लिए 200 रुपये की सहायता भी दी जाती है. भेड़-पालकों की सहकारी समितियों को फेडरेशन द्वारा दवाइयां तथा प्रजनन के लिए मेढ़ें भी उपलब्ध कराये जाते हैं. भेड़-पालकों की सहकारी समिति के ऊन खरीदने पर 20 पैसे प्रति किलोग्राम तथा मेंढ़ा या बकरों की खरीद पर उनकी कीमत का 2 से 3 प्रतिशत तक फेडरेशन द्वारा कमीशन देकर लाभ पहुंचाया जाता हैं.

राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फेड़रेशन ऊन का क्रय-विक्रय, कम्पोजिट मीट प्लांट अलवर का संचालन और जीवित पशुओं तथा मटन का निर्यात एवम जयपुर तथा दिल्ली की मीट शाप का संचालन करती है। फेडरेशन अनेक कारणों से अधिक मात्रा में ऊन क्रय करने में असमर्थ रही है। इनमें सबसे मुख्य कारण ऊन के गिरते दाम रहे हैं. विपणन की नीति के अनुसार भेंड़ों का क्रय फैडरेशन इकाइयों द्वारा किया जाता है.

भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन को वर्ष 1979 में पशु पालन विभाग द्वारा अलवर स्थित कम्पोजिट मीट प्लांट स्थानान्तरित किका गया था. इस फैक्ट्री की 300 से 350 भेंड़ों या बकरों की प्रतिदिन वध क्षमता है. इस फैक्ट्री से विदेशों को चिल्ड कारकेसेजो और जीवित पशुओं का निर्यात किया जा रहा है. मीट फैक्ट्री में प्रोसेसिग चार्जेज से फेडरेशय को वर्ष 1979-80 में 2.37 लाख रु. वर्ष 1980-81 में 3.६8 लाख रु. वर्ष 1981-82 में 3.88 लाख रुपये की आय हुई जो कार्य प्रगति की सूचक है. 1984-85 में फेडरेशन को होने वाली आय 2.76 लाख रुपये थी.

फेडरेशन द्वारा वर्ष 1980-81 में मटन का निर्यात प्रारम्भ किया गया. प्रथम वर्ष 1980-81 में बढ़कर 92,495 किलोग्राम मटन निर्यात किया गया. जबकि 1984-85 में यह निर्यात की मात्रा 1,32,965 किलोग्राम थी. 1985 के प्रथम पांच महिनों में यह मात्रा लगभग 25000 किलोग्राम थी.

मांस उपभोक्ताओं को शुद्ध एवम् ताजा मांस उपलव्व कराने तथा बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने की दृष्टि से फेडरेशन द्वारा जयपुर तथा दिल्ली में खुदरा मांस विक्रय की दुकानों के लिए 1.32 लाख रुपये का मांस और मांस उत्पादन का क्रय किया गया और 1.27 लाख रुपये की बिक्री की गई. जबकि दूसरे और तीसरे वर्ष में

लाभ प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की गई. 1980-81 में 2.28 लाख रु. के मांस एवं उसके उत्पादनों का क्रय क्रय कर 2.36 लाख रुपये बिक्री में प्राप्त किए गए हैं. वर्ष 1981-82 में 4.48 लाख रु के मांस एवम् उसके उत्पादनों को क्रय किया गया जबकि बिक्री 4.87 लाख रु. की गई जो लाभ का सूचक है. 1984-85 में 7 56 लाख रुपये के मांस एवम् उसके उत्पादनों को क्रय किया गया जबकि बिक्री 7.82 लाख रुपये की हुई.

फेडरेशन, भेड़ पालक सहकारी समितियों एवम् भेड़ पालकों से ऊन तथा पशुओं को क्रय करके उनके विक्रय तथा जीवित पशुओं एवम् मटन का निर्यात करने में क्रियाशील है तथा इनका भविष्य उज्ज्वल है.

भेड़ पालन एवम् ऊन उद्योग के दोष—भेड़ों से प्राप्त ऊन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन यह व्यवसाय उन्नत दशा में नहीं है. अतः इस उद्योग में कुछ दोष पाये जाते हैं जो निम्न हैं—

(1) राजस्थान में उत्तम चारागाह तथा नर भेडा कम है. इसलिए भेड़ों की नस्ल बहुत बिगड़ी हुई है.

(2) चरवाहे रोग ग्रस्त भेड़ों को तथा निरोग भेड़ों को अलग रखने में असमर्थ होते हैं और इसके परिणाम स्वरुप रोग से मृत्यु तक हो जाती है.

(3) भेड़ पालकों की आर्थिक दशा खराब होने के कारण उनकी कार्य क्षमता में कमी पाई जाती है.

(4) भेड़ पालक प्रायः अशिक्षित हैं जिससे वह उचित तकनीकों का उपयोग न तो भेड़ पालन में और न ऊन के चयन में कर पाते हैं.

(5) ऊनों की कटाई साधारणतया कैंची से की जाती है दोष पूर्ण है तथा इससे ऊन बेकार चली जाती हैं.

(6) दोष पूर्ण बिक्री तरीकों से भेड़ पालकों को ऊन के वर्गीकरण से अलग रखा जाता है और मिश्रित ऊन की बिक्री पर जोर दिया जाता हैं जिससे उनको हानि होती है.

ऊन विकास के लिए सरकारी प्रयास—

ऊन उद्योग से सम्बन्धित कार्यों को उन्नत करने के लिए सरकार ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विकास केन्द्रों का नियोजित विकास किया गया है. राजस्थान को ऊन विकास की दृष्टि से चार भागों क्रमशः जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर में विभक्त किया गया है. प्रत्येक भाग के लिए एक एक भेड़ व ऊन विकास अधीक्षक के नियंत्रण में एक एक मुख्य विकास केन्द्र स्थापित किया गया है. प्रत्येक मुख्य विकास केन्द्र के अन्तर्गत दस दस विकास केन्द्र स्थापित हैं.

वैज्ञानिक तरीके से ऊन काटने के अब तक सरकार द्वारा 30 सामूहिक ऊन कटाई केन्द्र खोले गये है.

प्रशिक्षण के लिए कॉटेज ट्रेनिंग इस्टीट्यूट की बीकानेर में, ऊन कतरन ट्रेनिंग स्कूल की जयपुर मे, शीप एण्ड वूल ट्रेनिंग स्कूल की जोधपुर में तथा वूल ग्रेडिग एण्ड स्पिनिग ट्रेनिंग स्कूल की जयपुर में स्थापित की जा चुकी है.

जोधपुर, बीकानेर, पाली, जयपुर, नागौर नवलगढ़ में ऊन वर्गीकरण केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है.

राजस्थान सरकार यदि इस दिशा में विशेष प्रयास करे वो यह (भेड़ पालन) एक पेशे के रूप में उभर कर आए. इससे बेरोजगारी कम होती है और स्वय काम करो की भावना उत्पन्न होती है.

—※—

ग्रामीण विकास एवम् कल्याण

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बाद से यह निरन्तर महसूस किया जाने लगा कि कुछ साधन सम्पन्न क्षेत्र विकास के द्वीप बनकर विकसित हो जावें. अतः विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियों को ध्यान मे रखकर क्षेत्र विशेष की विशिष्ट योजनाए बनाई गई. 1971 से ग्रामीण विकास हेतु छोटी-छोटी योजनाएँ बनाना तथा उन्हें वित्तीय संस्थाओं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समन्वित सहयोग से क्रियान्वित करने का अभिनव प्रयोग योजना संगठन की स्थापना करके किया गया. ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनतम एवम् कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है. इसके लिए निम्न कार्यक्रम को अपनाया गया है.

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 से राज्य के सभी विकास खडों मे क्रियान्वित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लघु कृषक, सीमान्त कृषक, कृषक मजदूर एवम् ग्रामीण दस्तकार इत्यादि के परिवारों को कृषि, लघु सिंचाई, पशु पालन, यातायात उद्योग सेवायें एवम् व्यापार क्षेत्र में आर्थिक इकाइयां उपलब्ध करा उनकी आर्थिक दशा सुधारना व उनके जीवन स्तर में वृद्धि करना है.

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति वर्ष प्रत्येक विकास खंड में से लगभग 600 परिवारों को लाभान्वित किया जाता है. इन्हें आर्थिक इकाइयां दिलाने हेतु सरकार द्वारा अनुदान व बैंकों द्वारा ऋण दिलाया जाता है. अनुदान की राशि लघु कृषक परिवारों को 25 प्रतिशत सीमान्त कृषक के 331/3 प्रतिशत और अनुसूचित जन जाति परिवार को 50 प्रतिशत है. अनुदान की अधिकतम सीमा गैर सूखा सम्भाव्य क्षेत्रों में 3 हजार रुपये. सूखा सम्भाव्य क्षेत्र में 4 हजार तथा अनुसूचित जनजाति परिवारों को 5 हजार रुपये हैं.

गरीब परिवारों के चयन हेतु उनकी आय का अनुमान लगाना आवश्यक होता है और इसके लिए कुछ मापदण्ड निर्धारित किए गए है. उनके आधार पर पटवारी व ग्राम सेवक परिवारों की प्रारम्भिक सूची बनाते है जिन्हे विशेष अभियान मानकर ग्राम सभा की बैठक मे रखा जाता है और अन्तिम चुनाव किया जाता है

ऋण केम्पों मे ही चयनित परिवारों के आवेदन पत्रो को अन्तिम रूप से तैयार करवाये जाते है और केम्प मे ही रेवेन्यू विभाग, पचायत समिति, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवम् बैंकों के प्रतिनिधि आवेदन पत्र को अन्तिम रूप देकर ऋण स्वीकृत कर देते हैं. लेकिन ऋण नकद के रुप मे न दिया जाकर सम्पत्ति, पशुधन आदि के रूप मे दिया जाता जो खण्ड स्तर पर बनी क्रय समिति के माध्यम मे क्रय किया जाता है. इसका दुरुपयोग न हो सके इसके लिए पशुओं का बीमा करवाया जाता है.

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ट्राईसम योजना को भी सम्मिलित किया गया है. योजना के अन्तर्गत ग्रामीण युवकों को विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. प्रशिक्षण व्यय सरकार वहन करती है और प्रशिक्षण के पश्चात् स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अनुदान व ऋण भी उपलब्ध कराया जाता हैं.

छठी पंचवर्षीय योजना काल में 7.11 लाख परिवारों को इस कार्यक्रम से लाभान्वित किया गया है. इनमे से 2.73 लाख परिवार अनुसूचित जाति व 1.23 लाख परिवार अनुसूचित जनजाति के हैं. अनुदान पर 86.60 करोड़ रुपये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में योजना मद से व 16.94 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति निगम से उपलब्ध धन राशि से प्राप्त हुए तथा 135.56 करोड़ रुपये बैंकों द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध कराए गए.

कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा में यह महसूस किया गया कि सामाजिक सुविधा के अभाव में जिन परिवारों को आर्थिक साधन प्रदान किये गये है उनमें से कई गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाये हैं. अतः सातवीं योजना में ऐसे चयनित परिवार जिन्हें पूर्व में लाभान्वित किया गया था परन्तु फिर भी गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ पाये हैं उन्हें पुनः आर्थिक संसाधन इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान किये जावें.

1985-86 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1587.63 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें राज्य का अंश 793.82 लाख रुपये हैं बाकी का अंश केन्द्र का है. 1986-87 हेतु 2488.00 लाख रुपये का प्रावधान है. इसके द्वारा 0.82 लाख नये परिवारों तथा 0.35 लाख पुराने परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है.

सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम—केन्द्र से प्रवर्तित कार्यक्रम के रूप में इसको 1974-75 से प्रारम्भ किया गया था. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिलाना आय स्तर में वृद्धि तथा ऐसी परिसम्पत्तियों का निर्माण सम्मिलित है जिससे सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके.

प्रारम्भ में यह कार्यक्रम केवल पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों तथा बांसवाड़ा व डूंगरपुर क्षेत्र में जहां ग्रामीण विकास कार्यक्रम चल रहा था, लागू किया गया. परन्तु शनैः-शनैः इसे राज्य के 13 जिलों के 79 विकास खण्डों में लागू कर दिया गया. 1982-83 में भारत सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार मरुक्षेत्र के 9 जिलों के 61 विकास खण्डों में इस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया तथा कार्यक्रम राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के 4 जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर तथा अजमेर के 18 विकास खंडों में ही क्रियान्वित रहा. इसके साथ ही उदयपुर जिले के देवगढ़ तथा भीम विकास खंडों में सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम समाप्त कर झालोड़ तथा कोटडी विकास खण्डों में लागू कर दिया गया.

वर्ष 1974-75 से 1978-79 तक इस कार्यक्रम की वित्तीय पद्धति 2/3 केन्द्रीय सहायता तथा 1/3 राज्य सहायता के आधार पर थी. तदोपरान्त 1979-80 से केन्द्र सरकार द्वारा इस पद्धति को 50 प्रतिशत राज्य सहायता के आधार पर परिवर्तित कर दिया गया.

इस कार्यक्रम के प्रारम्भ से छठी पंचवर्षीय योजना (मार्च 1985 तक) तक 76.99 करोड़ रुपये विनियोजित किये गये. सातवीं योजना के प्रथम वर्ष 1985-86 हेतु 3.60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जिसके विरुद्ध दिसम्बर 1985 तक 1.09 करोड़ रुपये व्यय किये गये. 1986-87 के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 4.50 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान रखा गया है.

इस विनियोजन से 4344 हैक्टेयर क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्य, 1045 मध्यम क्षमता एवम् लघु क्षमता के नलकूप लगाये गये, 18 लघु सिंचाई कार्य पूर्ण किये गये जिनकी सिंचाई क्षमता 1095 हैक्टेयर थी. डेयरी विकास के अन्तर्गत एक अवशीतन यन्त्र लगाया गया. वन विभाग के अन्तर्गत 7359 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट योजना संगठन हेतु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समयावधि में लगभग 75 लाख रुपये व्यय किये गये जिससे 1200 परिवार लाभाविन्त हुए।

मरु विकास कार्यक्रम—मरु विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 1977-78 से केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर प्रारम्भ किया गया. वर्ष 1979-80 से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय का वहन केन्द्र एवम् राज्य सरकार द्वारा 1:1 के अनुपात में किया जाता है. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मरुस्थल के प्रसार को रोकना हैं तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है. कार्यक्रम राज्य के 11 मरुस्थलीय जिलों के 85 विकास खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है. ये जिले हैं, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, झुन्झुनु, जैसलमेर, गंगानगर, जालोर,

बाड़मेर बीकानेर तथा चुरु. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन विकास कार्यक्रमों को अपनाया गया हैं, उनमें मुख्यत: कृषि विकास मरुस्थलीय वन विकास, भू-जल विकास, एवम् पशु स्वास्थ्य वर्द्धन लघु सिंचाई, मेड़ एवम् चारागाह विकास, पशु जल, प्रदाय एवम् ग्रामीण विद्युतीकरण आदि है. कार्यक्रम के आरम्भ से मार्च 1985 तक 72.65 करोड़ रुपये विनियोजित किये गये.

मरुस्थल के प्रसार की समस्या को राज्य सरकार राष्ट्रीय स्तर की मानती है. अत: रेगिस्तान के विस्तार को नियंत्रित करने तथा मरुक्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक विपुल धन राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के लिए शत-प्रतिशत सहायता केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया गया था. इस सन्दर्भ मे केन्द्र सरकार से सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में शत प्रतिशत सहायता प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है.

सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1985-86 हेतु 10.96 करोड रुपयों का प्रावधान था. इसमें से दिसम्बर 1985 तक 6.98 करोड़ रुपये व्यय किये गये. वित्तीय वर्ष 1986-87 हेतु कार्यक्रम के अन्तर्गत रुपये 30 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम—राजस्थान में यद्यपि इस कार्यक्रम की शुरूआत अक्टूबर 1980 में ही कर दी गई थी परन्तु प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन 2 अक्टूबर 1981 से किया गया. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण बेरोजगार व अन्य बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध किये जाने के उद्देश्य से लागू किया गया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोजगार दिये जाने के साथ साथ ग्रामीण आधारभूत आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण भी है.

निर्माण कार्यों के लिए मुख्यत: लघु सिंचाई कार्य, भू-संरक्षण कार्य, पेयजल कूप, शाला भवन, औषधालय भवन एवम् ग्रामीण सड़कों के कार्य लिये जाते है. जबकि सामाजिक वानिकी कार्य में सड़कों के दोनों किनारों पर पेड़ लगाने के लिए पौधों का वितरण आदि कार्य है. बेकार पड़ी भूमि पर पौध रोपण, निजी भूमि पर पौध लगाने का कार्य भी है. इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति एवम् जनजाति के वर्ग को सीधा लाभ पहुंचाने वाले निर्माण कार्य जैसे भूमि विकास, आवासन का निर्माण, पेयजल के कुए आदि की व्यवस्था है.

1981-82 से 1984-85 तक की अवधि में 51.56 करोड़ रुपये व्यय कर 3.19 करोड़ मानव दिवस सृजित किये जा चुके हैं और 21 हजार परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जा चुका हैं. 1985-86 के लिए रुपये 1100 लाख रुपये का केन्द्रीय हिस्सा एवम् 1000 लाख रुपये उपलब्ध होंगे. इसी वर्ष 45 लाख मानव दिवस के रोजगार का लक्ष्य रखा गया था. 1986-87 के लिए 1954 लाख रुपये प्रस्तावित है. और 81 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य है.

इस हेतु ग्रामीण स्तर पर 'शैल्फ आफ प्रोजेक्ट' तैयार किए गये एवम् उनमें से प्राथमिकता के आधार पर ऐसे कार्यों का चयन किया गया जिनको करवाने में ग्राम वासी रूचि रखते हों एवम् जिससे अधिक से अधिक रोजगार सुलभ हो सके.

इस कार्यक्रम की क्रियान्विति जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से करवायी जाती है जो निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक धन राशि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाते हैं तथा सरपंच अपनी देख रेख में निर्माण कार्य करवाते हैं. मजदूरी में गेहूं 1 रु० 50 पैसे प्रति किलो की दर से दिया जाता है. इस प्रकार ग्रामवासियों को सस्ती दर पर अनाज भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सुलभ हो रहा है.

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम—

यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा सितम्बर 1983 से प्रारम्भ किया गया. इसके प्रमुख उद्देश्य रोजगार के अवसरों का इस प्रकार से विस्तार करना है कि

प्रत्येक भूमिहीन परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार मिल सके. इसके अन्तर्गत ऐसे कार्य लिये जाते हैं जिनसे ग्रामीण आधारभूत ढांचा सुदृढ़ हो सके एवम् टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन हो. इसी लक्ष्य की पूर्ति को ध्यान में रखकर ही इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों में श्रम एवम् सामग्री का अनुपात 50 : 50 निर्धारित किया गया गया है. अकुशल श्रमिकों को मजदूरी तथा अनाज (डेढ रुपये प्रति किलो) दोनों दिए जाते हैं. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सृजित क्षमता के अधिकतम उपयोग हेतु नालियों का निर्माण, सामाजिक वानिकी, लघु सिंचाई एवम् भूमि तथा जल संरक्षण के कार्य आदि किए जाते हैं.

भारत सरकार ने दिसम्बर 1985 तक कुल 4519.33 लाख रुपये की परियोजनायें स्वीकृत की है. राज्य को 1983-84 मे 240 लाख रुपये भारत सरकार से प्राप्त हुए. 1984-85 के लिए 1200 लाख रुपये प्राप्त हुए लेकिन खर्च 970 12 लाख रुपये हुए. भारत सरकार ने 1985-86 के लिए 918.66 लाख रुपये आवंटित किए. इसका 20 प्रतिशत सामाजिक वानिकी पर खर्च करना आवश्यक है. 1986-87 के लिए 1886 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है.

सड़क निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, 985 लाख रुपये के व्यय से करवाया जायेगा. सामाजिक वानिकी कार्यों में 562 लाख रुपये के व्यय से नंगी पहाड़ियों पर वृक्ष लगाये जाने तथा सामुदायिक भूमि पर पौधे लगाये जाने का कार्य करवाया जायेगा. भू-संरक्षण योजना में मरुस्थलीय क्षेत्रों में खडीन एवम् पहाड़ी क्षेत्रों में एनीकट्स का कार्य किया जा रहा है जिस पर 65 लाख रुपये व्यय होंगे.

सीलिंग अवाप्त भूमियों को वित्तीय सहायता—सीलिंग कानून के अन्तर्गत अवाप्त भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों में वितरित किया जाता है. चूंकि इन भूमिहीनों के पास भूमि को विकसित करने के साधन नहीं होते हैं अतः सहायता दी जाती है.

प्रारम्भ में जब वर्ष 1975-76 में यह योजना लागू की गई थी तब सम्पूर्ण राशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की गई. लेकिन 1978-79 से इस योजना को 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना निश्चित हुआ. 1981-82 से इस योजना का क्रियान्वयन विशिष्ठ योजना संगठन से करवाया जा रहा है.

1984-85 में आवंटियों को दी जाने वाली राशि 1000 से बढ़कर 2500 रुपये प्रति हैक्टेयर कर दी. 1985-86 में योजना के अन्तर्गत 30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। 1986-87 में भी 30 लाख ही रखा गया है. लाभान्वित होने वालों का लक्ष्य 1200 व्यक्ति निर्धारित किया गया है.

बायोगैस राज्य में पिछले 20 वर्षों में बायोगैस संयंत्रों के निर्माण का कार्य खादी ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा किया जाता था बाद में राज्य सरकार ने कार्यक्रम की उपयोगिता को देखते हुए यह कार्य राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अन्तर्गत अपने हाथ में लिया. 1981—82 से 1985 तक 14222 बायोगैस संयंत्र स्थापित किये गये. 1985-86 के लिए लक्ष्य 5 हजार का था.

विगत वर्षों में बनाये गये बायोगैस संयंत्रों में से कुछ संयंत्र कार्य नहीं कर रहे हैं अतः बन्द पड़े संयंत्रों (4000) को चालू करने का लक्ष्य रखा गया. योजना को और अधिक गतिशील बनाने के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण तथा रिफ्रेशर के कार्यक्रम आयोजित किए गए. 1986-87 के अन्तर्गत इस कार्यक्रम के लिए 35 लाख का प्रावधान तथा 6 हजार बायोगैस संयंत्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य है.

इसके अतिरिक्त संस्थागत व सामुदायिक बायोगैस परियोजना भी चल रही हैं. इस योजना के अन्तर्गत किसी संस्था या गांव में एक बड़ा बायो गैस संयंत्र स्थापित कर समस्त घरों को ईंधन के रूप में गैस तथा बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. इन संयन्त्रों को

चलाने हेतु समस्त लाभान्वित होने वाले कृषक गोबर उपलब्ध कराते हैं.

विशेष कार्यक्रम—यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वर्ष 1984 से ही राजस्थान में चलाया जा रहा है. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु एवम् सीमांत कृषकों को जिनकी गैर कृषि स्रोतों से आय 200 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है, कृषि उत्पादन हेतु ऋण एवम् अनुदान दिया जाता है. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु सिचाई कार्यों दलहन तिलहन व मोटे अनाज के सफल प्रदर्शनों हेतु बीज (प्रति 0 2हैक्टेयर क्षेत्र को उपलब्ध कराने हेतु) तथा भूमि विकास कार्यक्रम हेतु आर्थिक सहायता की जाती है. इन कार्यों हेतु प्रति पचायत समिति रुपये 5 लाख की राशि निर्धारित है. यह योजना राज्य के समस्त 27 जिलों की 236 पंचायत समितियों में क्रियान्वित की जा रही है. सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 3100 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है.

लघु सिचाई—कृषकों को नए कुए खोदने, पुराने कुओं को गहरा करने, ट्यूब वैल्स, पुराने कुओं की मरम्मत, रहट, पम्प सैट इलेक्ट्रिक मोटर, डीजल, टैंकों कुओं एवम् तालाबों को गहरा करने व तालाब बनाने के लिए सहायता दी जाती है. इसके अन्तर्गत सामुदायिक सिचाई कार्यों के लिए अनुदान दिया जाता है. इसके अतिरिक्त सिचित क्षेत्र बढाने से जल का पूर्ण उपयोग करने हेतु स्प्रिकलर, ड्रिप, वाटर टरबाइन्स आदि उपकरणों को खरीदने हेतु ऋण के साथ साथ अनुदान भी दिया जाता है. अनुदान व्यय का आधा भाग राज्य सरकार तथा आधा केन्द्र सरकार सहन करती है सप्तम योजना में 200 लाख रुपये व्यय प्रावधान है. 1985-86 में 40 लाख रुपये व्यय कर 712 स्प्रिकलर सेट लगाने का लक्ष्य था.

वृक्षारोपण—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत फलदार वृक्ष तथा ईंधन के उपयोग के लिए लकड़ी के वृक्ष लगाने हेतु अनुदान दिये जाते है. इसके खेतों की मेड़, नालों के किनारे तथा खेतों के उन भागों में जहां खेती नहीं हो सकती हैं, वृक्षारोपण के लिए अनुदान दिया जाता है.

भूमि विकास—भूमि विकास कार्य जो लघु एवम् सीमान्त कृषकों के खेत पर स्थानीय व तकनीकी परिधि में आर्थिक रूप से उपयुक्त है, ऋण व अनुदान की सुविधा मुहैया करा कर कृषकों को लाभान्वित कराना है.

मिनिकिट्स—लघु एवम् सीमान्त कृषकों को बीज एवम् खाद के मिनिकिट्स बांटे जायेंगे जिससे उसके खेतों में अधिक उपज हो सके. इस कार्यक्रम में लघु कृषकों को 25 प्रतिशत सीमान्त कृषकों को 33 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है. 30 लाख रुपये की अनुदान राशि के उपयोग से खरीफ 1985 में कुल 19536 मिनिकिट्स प्रदर्शन लगाये गये, जिसमें 10317 दलहन व 9219 तिलहन फसलों के थे. रबी 1985 में लगभग 43300 मिनिकिट्स वितरण किए गए. 1986-87 में कुल 65 हजार किट्स के वितरण और 45,24 लाख रुपये व्यय का लक्ष्य है.

उपरोक्त वर्णित कार्यों से यह आशा की जाती है कि ग्रामीण विकास के नये क्षितिज पनपेगें और ग्रामीण विकास को दिशा तथा गति मिलेगी.

UNITED CORPORATION

189, Doshi Chambers
29, Nandlal Jani Road,
Danabunder, BOMBAY

वन सम्पदा

भारत जैसे आस्था प्रधान देश मे अति प्राचीन-काल से वनों तथा वन्य जीवों के संरक्षण और उनके प्रति यथेष्ट सम्मान जताने की परम्परा रही है. मानव सभ्यता के प्रारम्भिक दौर मे वेदो, पुराणों, उपनिषदों आदि में प्रकृति की गोद में आश्रमों का ही वर्णन मिलता है. इन ग्रन्थों में वनों से मिलने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पति के नाना प्रकार के उपयोगों की व्याख्या आयुर्वेद शास्त्र में मिलती है. इसी प्रकार वन-देवता और वन देवियों के आख्यान भी यंत्र तंत्र पाये जाते है जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत में वन-सम्पदा के रख रखाव और संरक्षण के प्रति शुरु से ही विशेष चेतना विद्यमान रही है.

कालान्तर में सभ्यता के विकास और बढती जनसंख्या के कारण वन खडों को साफ कर नई-नई बस्तियां बसने जहां वन क्षेत्रों के रकबे में कमी आती वहीं वन्य जीवों के अविवेकपूर्ण शिकार के कारण कई प्रकार के जीवों की प्रजातियां ही विनष्ठ कर दी गई. औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम-स्वरूप यंत्र तत्र करवाने बनने लगे और वायु प्रदूषण के कारण वनस्पति नष्ट होने लगी. जनसंख्या के विस्फोट ने भारी तादाद में प्राकृतिक सुषमा से युक्त वन खंडों को उजाड़ कर असन्तुलन की एक नई समस्या को जन्म दे डाला.

वन हमारे देश की एक प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा है. देश का प्राकृतिक सौन्दर्य निखारने के साथ-साथ वनों का राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है. इमारती लकड़ी, फर्नीचर, ईंधन, चारा एवम् अनेकों बहुमूल्य औषधियों तथा उद्योगों का मूल आधार वन ही है. राजस्थान प्रदेश की शुष्क जलवायु, निरन्तर सूखा अथवा अकाल की सम्भावना, अतिवृष्टि का प्रकोप, बाढ़ एवम् अन्य दैवीय विपत्तियों के स्थाई समाधान की दृष्टि से वनों की उपयोगिता सर्वमान्य हैं.

राजस्थान निमाण से पूर्व वनों की प्रबन्ध व्यवस्था देशी रियासतों के हाथ में थी. उनका संरक्षण और रख-रखाव व्यक्तिगत आय एवम् शिकार के लिए किया जाता था अतः वनो की दशा खास अच्छी नहीं थी. स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जब राजस्थान का निर्माण हुआ तो राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों की वन विकास की ओर भी ध्यान देना आरम्भ किया पिछले कई वर्षों से कृषि, नगरीय फैलाव, नदी घाटी योजनाओं औद्योगिक विस्तार, खनन कार्य आदि विभिन्न उपयोगों के लिए वन भूमि के आवटन एवम् प्रदेश के पश्चिमी भू-भाग के पशुओ व भेड-बकरियों के निष्क्रमण तथा वन-संरक्षण के प्रति जन-साधारण के संकुचित दृष्टिकोण के कारण प्रदेश में वनों की स्थिति दिनों-दिन दयनीय होती जा रही थी. सौभाग्य से प्रदेश में राजनैतिक परिवर्तन के साथ-साथ वन-विकास को दीर्घकालीक संतुलित विकास का एक अंग स्वीकार कर लिया गया है. प्रदेश की नीतियों में वनों के पारस्परिक विकास के साथ-साथ सघन प्रवन्ध वृक्षारोपण, भू-सरक्षण और चारागाह विकास को विशेष स्थान दिया गया है. राजस्थान में वनों के विकास का इतिहास नवम्बर, 1954 से विधिवत आरम्भ होता है. वनों की अपनी अनेक जटिल समस्याएं होते हुए भी वन प्रवन्धक, सीमांकन, वन मार्ग, भवन निर्माण, वन-रोपिणी, गांवाई जंगल, चारागाह सुधार, वन्य पशु-पक्षी विहार संरक्षण एवम् वन प्रशिक्षण कार्यों के माध्यम से राज्य में वन सुरक्षा व विकास कार्यों को क्रियान्वित किया गया.

पुनः उपयोग करने योग्य संसाधनों में वनों का स्थान महत्वपूर्ण है. पूर्व में राज्य का अधिकांश भाग वनों से आच्छादित था परन्तु विभिन्न उद्देश्यों हेतु इनके नष्ट किए जाने से काफी वन क्षेत्र कम हो गया तथा अब राज्य की कुल भूमि का सिर्फ 3 प्रतिशत क्षेत्र ही वनों से आच्छादित है. अन्य 7 प्रतिशत वन क्षेत्र बंजर पहाड़ियों

या प्रवर्तित हुए वनों के रूप में उपलब्ध है. राष्ट्रीय वन नीति में परिस्थितिक सन्तुलन बनाए रखने के लिए वनों के अन्तर्गत 33 प्रतिशत क्षेत्र आवश्यक माना है. पहाड़ी क्षेत्र एवम् रेगिस्तानी भू-भाग पर वनस्पति की अनिवार्यता और भी अधिक है. राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल सिर्फ 0.03 हैक्टेयर है जबकि सम्पूर्ण भारत के लिए यही औसत 0.13 हैक्टेयर है. राजस्थान के वन क्षेत्रों में 32 प्रतिशत वन क्षेत्र सुरक्षित वर्ग में 44 प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षित वर्ग में तथा शेष 24 प्रतिशत अवर्गीकृत वनों में सुधार होता है. प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का मात्र 0.4 प्रतिशत भाग ही वन सम्पदा पर रोजगार के लिए निर्भर है.

राज्य का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है मरुस्थलीय जलवायु के कारण वनों के विकास के अनुकूल नहीं है. राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में जहां 50 सेन्टीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहीं वनों का विशेष प्राविरय है. इस क्षेत्र में राज्य के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बून्दी, झालावाड़, भरतपुर व सवाई माधोपुर जिले आते हैं. दूसरे वर्ग में 30 से 60 सेन्टीमीटर वार्षिक वर्षा वाले पाली, अजमेर, जयपुर, झुन्झुनू, सीकर व टोंक जिले आते हैं जबकि अत्यल्प 5 से 30 सेन्टीमीटर वार्षिक वर्षा वाले जिलों में गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर व चूरु जिले हैं जहां मरुस्थलीय वनस्पति यत्र तत्र छितरी अवस्था में पाई जाती है.

राजस्थान में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से तीन श्रेणियों में बांटा गया है.

सुरक्षित वन—जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते है उन्हें सुरक्षित 'वन' कहते हैं. इन वनों का क्षेत्रफल 32 प्रतिशत है. अर्थात् 12986 वर्ग किलोमीटर पर यह विस्तृत है. ये वन सरकारी सम्पत्ति माने जाते है. इसलिए इनसे लकड़ी काटना, पशु चराना मना होता है. बाढों पर नियन्त्रण करने भूमि अपरदन से सुरक्षा और मरुस्थल प्रसार को रोकने तथा जलवायु व भौतिक कारणों से इसकी आवश्यकता होती है.

(2) रक्षित वन - इन वनों में नियमों के अनुसार पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है. इस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल 44 प्रतिशत है. अर्थात ये वन 15,492 वर्ग किलोमीटर पर फैले है.

(3) अवर्गीकृत वन—शेष सभी वनों को अवर्गीकृत वन कहते हैं. इसमें लकड़ी काटने तथा पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबन्ध नहीं है. सरकार इनके लिए कुछ शुल्क लेती है. इन वनों का क्षेत्रफल 24 प्रतिशत है. अर्थात 6271 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये पाये जाते हैं.

अब इस वर्गीकरण के स्थान पर संविधान के अन्तर्गत वनों को राजकीय वन; सामुदायिक वन आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है. लेकिन आंकड़े अभी तक इन वर्गीकरण के आधार पर उपलब्ध नहीं है.

वनों मे मुख्य रुप से दो प्रकार की उपज प्राप्त होती है. इनकी मुख्य उपज तथा गौण उपज में विभक्त किया जा सकता है. मुख्य उपजों में गोला, लकड़ी, इमारती लकड़ी एवम् ईंधन की लकड़ी आदि सम्मिलित है. गौण उपजों के अन्तर्गत वनों से प्राप्त होने वाली छोटी-छोटी उपजें आती है जैसे : पत्तियां, फल, घास, गोंद, बांस, कत्था, खस, शहद व मोम तथा जड़ी-बूटियां इत्यादि. इसके अतिरिक्त लाख, बेर, सिंघाड़े व अन्य पदार्थ भी गौण उपजों के अन्तर्गत प्राप्त किये जाते हैं.

वनों के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है और योजनाकाल में विभिन्न प्रयास किए गए हैं. जैसे राजस्थान नहर क्षेत्र में वृक्षारोपण, सूखाग्रस्त क्षेत्रों का विकास, परिभाषित वनों का विकास एवम् पुनरोंपण, वन्य जीव संरक्षण एवम् नदी घाटी योजना मे भू-संरक्षण आदि कार्य वन-विभाग की उपलब्धियां है. योजनाओं के अन्तर्गत वनों के विकास का ब्योरा इस प्रकार है.

योजनान्तर्गत वन-विकास : प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्व प्रथम कार्य के अन्तर्गत वनों का राज्य स्वामित्व कायम किया गया और उसके बाद वनों के योजनाबद्ध विकास के कार्य को हाथ में लिया गया.

योजनाकाल में वनों के विकास हेतु 17.64 लाख रुपये खर्च किए गए. इस काल में 5164.46 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया तथा 4486 वर्ग किलोमीटर में बन्दोबस्त कार्य प्रारम्भ किया गया. इसी काल में 26 निवास गृह तथा 17 किलोमीटर लम्बे वन मार्ग का निर्माण किया गया. 8 वन रोहिणी पौधशालाएँ स्थापित की गई. योजनाकाल में 954.44 हैक्टेयर क्षेत्र में गांवाई जंगल लगाये गये. 1142हैक्टेयर क्षेत्र मे चारागाह सुधार कार्य किया गया. इस काल में वनों से 216.13 लाख रुपये वन राजस्व के रूप में प्राप्त हुए.

मरुभूमि में वन लगाने के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने जोधपुर में एक अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना की. इस योजना मे राज्य में वन अनुसन्धान, वन सम्बन्धी शिक्षा, ग्राम वनों का निर्माण, वन सीमायें कायम करना, बन्दोबस्त का कार्य, चारागाहों की सीमाबन्दी आदि के कार्य हाथ में लिये गये. वन सम्बन्धी शिक्षा देने के लिए राज्य में फारेस्ट वार्डन स्कूल, उदयपुर, बांसवाडा व झालावाड़ में स्थापित किए गए. 8 वन पशु-पक्षी क्रीड़ा स्थलों का निर्माण किया गया. वनों में घूमने वाली जातियों के स्थाई रूप से बसने के लिए प्रयत्न किए गए.

द्वितीय पंचवर्षीय योजना : इस योजनाकाल में वन विकास कार्यों को और तेजी से चलाया गया. अनेक योजनाएं बनाई गई जिनके क्रियान्वयन से वनों का विविध क्षेत्रों में विकास सम्भव हुआ. योजनाकाल में वन-विकास कार्यों पर 153.12 लाख रुपये व्यय किए गए. वन राजस्व भी इस अवधि में बढकर 358.64 लाख रुपये हो गया. इन योजनाकाल में 10 वन मण्डलों की योजनाएं चालू कर 2 वन मण्डलों की योजनाएं पूर्ण की गई. इस अवधि में 1967-23 किलोमीटर क्षेत्र में सीमांकन का कार्य किया गया तथा 21138 हैक्टेयर क्षेत्र में वनों का पूर्ण उद्धार किया गया. 2855.25 हैक्टेयर क्षेत्र में पानी के बहाव से भू-सरक्षण होने वाले क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया. औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों का 12355 हैक्टेयर क्षेत्र में प्रतिरोपण किया गया. 14293 हैक्टेयर भूमि में चारागाह सुधार क्षेत्र बनाए गए. चराई भी विकसित पद्धति के अनुसार की जाने लगी 6928 किलोमीटर वन मार्ग तथा 76 नये भवनों का निर्माण भी इसी योजनावधि में किया गया.

इसी योजना में दो मुख्य लक्ष्य थे, एक तो वन साधनों के दीर्घकालीन विकास की व्यवस्था करना और दूसरा, निकट भविष्य में इमारती लकडी की बढती मांग को पूरा करना. इसके अतिरिक्त प्रथम योजना के कार्यों को आगे बढाना इस योजना का लक्ष्य था.

वनस्पति का परीक्षण कर 14 क्षेत्र चुने गये तथा बबूल के वृक्षों का रोपण किया गया. भरतपुर में 400 हैक्टेयर भूमि पर खस और हनुमानगढ़ में 1880 हैक्टेयर भूमि मे शहतूत व शीशम के वृक्ष लगाए. 40 पौधशालाएं और स्थापित की गई.

तृतीय पंचवर्षीय योजना : इस योजनावधि में राज्य योजनाओं के साथ-साथ केन्द्रीय योजनाएं भी प्रारम्भ की गई. इस काल में 443-47 लाख रुपयों की आय हुई. वनों के विकास पर 223.07 लाख रुपये खर्च किए गए. 2906 किलोमीटर लम्बी अग्निरोधी पट्टियां बनाई गई. 7317 हैक्टेयर में कंदरा नियन्त्रण, 118 किलोमीटर सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष तथा 39 किलोमीटर लम्बे रेल मार्ग के सहारे छायादार पेड़ लगाए गए.

इनके अतिरिक्त पूर्व में चल रही 7 प्रबन्ध योजनाओं को पूरा किया गया तथा 10370 हैक्टेयर क्षेत्र में सीमांकन का कार्य किया गया. प्रदेश में नये वृक्ष लगाने के लिए 10 पौधशालाएं खोली गई एवम् 808 किलोमिटर लम्बे वन मार्ग का निर्माण किया गया.

इसी तरह भू-संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत रेगिस्तानी पहाड़ी, कन्दरा एवम् नदी घाटी क्षेत्रों में 8166 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं चारागाह सुधार का कार्य किया गया. इसी तरह वनों की सुरक्षा के लिए 116 किलोमीटर लम्बी शेल्टरबेल्ट लगाई गई एवम् 2996

हैक्टेयर क्षेत्र में कांटेदार तार लगाए गए और 1460 हैक्टेयर कन्दरा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया.

इसी योजना की अवधि में सरिस्का, घना, धौलपुर, दर्रा, रणथम्भोर, जयसमंद, कुम्भलगढ़, रणकपुर, माउण्ट आबू और ताल छापर के वन्य पशु पक्षी विहार स्थलों में खाद्य सामग्री, विश्राम गृह तथा वन मार्ग बनाने के कार्य सम्पन्न किये गये. राजस्थान नहर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया तथा एक पौधशाला भी बनाई गई. इस योजना के अन्तर्गत राज्य की ईंधन, इमारती लकड़ी कृषि संयंत्र तथा औद्योगिक आवश्यकताओं के काम आने वाली लकड़ी को दृष्टिगत रखते हुए वनों के विकास पर बल दिया. इसके लिए रेल्वे लाइनों, सड़कों व नहरों के किनारे बेकार पड़ी भूमि का समुचित उपयोग करने के लिए वहां वृक्षारोपण किया गया. इसके अतिरिक्त वन जीव संरक्षण और अजायबघरों के सुधार के अन्तर्गत राष्ट्रीय उद्यान अजायबघर तथा आखेट स्थल बनाने का कार्य था. जो जंगल घने नहीं थे, उन्हें और अधिक विकसित तथा जंगलों की उपज की मात्रा में वृद्धि करने का प्रयास किया गया. इस योजनाकाल में आर्थिक महत्व के वृक्षों जैसे सागवान, बांस दियासलाई की लकड़ी के वृक्ष आदि के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया.

केन्द्रीय योजनाएँ : चम्बल नदी पर बनने वाले बांधों में मिट्टी के बहाव एवम् जलाशयों में मिट्टी के जमाव को कम करने के लिए 17982 हैक्टेयर में चारागाह सुधार, 522 हैक्टेयर में वृक्षारोपण व 611 किलोमीटर लम्बी अग्निरोधी पट्टियां बन गई. 745 हैक्टेयर में भू-संरक्षण के साथ ही 268 हैक्टेयर में शीघ्र बढ़ने वाले पेड़ लगाये गय. 64018 हैक्टेयर क्षेत्र में कन्दरा भूमि का सर्वेक्षण व 16178 क्विन्टल घास एकत्रित किया गया.

वार्षिक योजनाएं (1966-60) : इन वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत 326.03 लाख रुपये की आय हुई तथा वन विकास पर 142.86 लाख रुपये खर्च किए गए. इस अवधि में 1746 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्ष लगाए, 37 पौधशालाओं का रख-रखाव किया गया, 3337 वर्ग किलोमीटर में सीमांकन किया गया. 464 हैक्टेय में चारागाह सुधार, 170 किलोमीटर लम्बी अग्निरोधी पट्टियां बनाई गई. राजस्थान नहर क्षेत्र में सड़कों एवम् नहर के किनारे क्रमशः 60 किलोमीटर एवम् 677 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्ष लगाए गए. एक अन्य कार्यक्रम के अन्तर्गत इसी अवधि में 800 हैक्टेयर क्षेत्र में चारागाह सुधार, 406 क्षेत्र में टीबों का स्थिरीकरण, तथा 27 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर वृक्ष-मेखलाएं लगाई गई. 6098 हैक्टेयर पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण तथा 1460 हैक्टेयर में कन्दरा भू-सर्वेक्षण का कार्य किया गया.

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)—इस योजना में भी नये क्षेत्रो में वन लगाने, पुराने वनों का विकास करने, वन शिक्षा तथा पौधशालाओं की स्थापना एवम् प्रशिक्षण आदि पर अधिक महत्व दिया गया. राजस्थान सरकार का प्रथम योजना से ही राज्य में 33 प्रतिशत भूमि पर वन लगाने का उद्देश्य था, उसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना अवधि में वन विस्तार पर कार्य किये गये.

योजनाकाल में वनों से कुल 910.18 लाख रुपये की आय हुई तथा वन विकास पर 702.05 लाख रुपये खर्च किए गए. इस योजना अवधि में मुख्य उपलब्धियां निम्न रही. फार्म फोरेस्ट्री के अन्तर्गत 395 हैक्टेयर क्षेत्र में कार्य हुआ. अपरिभाषित वनों के पुनरुद्धार के लिए 34051 हैक्टेयर क्षेत्र में विविध विकास कार्य किए गए. 10455 हैक्टेयर क्षेत्र में चारागाह कार्य किया गया. वन्य जीव रक्षा के लिए राज्य में 9 अभ्यारण एवम् 5 जन्तुशालाओं का विकास किया गया.

वनों को अग्नि से सुरक्षित रखने के लिए 24 वाच टावर, 23 वन रक्षा चौकियां तथा 152 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया. पहाड़ी एवम् कन्दरा क्षेत्रों में मृदा संरक्षण क्रमशः 4500 एवम् 3340 हैक्टेयर में किया गया. कन्दरा भूमि का संरक्षण 1,12,447 हैक्टेयर में किया गया. राजस्थान नहर के

किनारों पर एवम् सड़कों के किनारों पर क्रमशः 5510 एवम् 680 किलोमीटर में वृक्षारोपण किया गया. इसके अतिरिक्त रेतीले टीलों के स्थिरीकरण का कार्य 4610 हैक्टेयर में किया गया.

केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति निम्न प्रकार से रही—

कार्य	चम्बल परियोजना	दांतीवाड़ा परियोजना	कड़ाणा परियोजना
चारागाह विकास (हैक्टेयर)	17566	16184	6100
वृक्षारोपण (हैक्टेयर)	703	205	850
अग्निरोधक पट्टियां किलोमीटर)	178	125	150
अभियांत्रिक कार्य (हैक्टेयर)	21222	8210	4370
मृदा संरक्षण (हैक्टेयर)	8238	4587	3250
भूमि संरक्षण (हैक्टेयर)	8271	6677	3237

इसी योजनावधि के दौरान मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 7662 हैक्टेयर अपरिभाषित वनों का उद्धार किया गया. 4070 हैक्टेयर में चारागाह विकास, 1640 हैक्टेयर में क्षारीय भूमि सुधार, 1109 किलोमीटर में हवा रोक वृक्षारोपण, 3050 क्विटल घास एवम भवनों का निर्माण किया गया. इसके साथ ही इस दौरान 4806 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन साधनों के सर्वेक्षण का कार्य किया गया.

ठेकेदारी प्रणाली के दोषों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान राज्य में 1968-69 से पूर्व ही इस माध्यम से वृक्षों की कटाई पर राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया गया था तथा तभी से राज्य वनों में कटाई विभागीय माध्यम से की जा रही है. अब लकड़ी, कोयला, कत्था, बांस के ठेके नहीं दिये जाते हैं. इस योजना में वर्ष 1974-75 से तेन्दू पत्ता का ठेका बन्द कर दिया गया है.

वनों में विभागीय प्रणाली चालू करने से पूर्व लकड़ी कोयले से जहां प्रति हैक्टेयर औसत आमदनी 212 00 रुपये प्राप्त होती थी, वह विभागीय योजना के कारण योजनाकाल में बढ़कर 778.00 प्रति हैक्टेयर हो गई. राजकीय व्यापार होने से राजकीय आय में तेजी से वृद्धि सम्भव हुई है. वर्ष 1969-70 में योजना से 26.03 लाख रुपये की आय थी जो 1974-75 में बढ़ कर 252.63 लाख रुपये हो गई.

तेन्दू पत्ते का राष्ट्रीकरण होने से 1974-75 में 18902 मानक बोरों का उत्पादन हुआ तथा इससे 76.96 लाख रुपयों की आय हुई तथा 14.88 लाख रुपये विभाग को रायल्टी से प्राप्त हुए. इस योजना पर 74 96 लाख रुपये खर्च हुए.

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79)—प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय वन नीति के सन्दर्भ में राज्य के 33 प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए, का जो निर्णय लिया गया था, वह कृषि तथा अन्य कार्यों के लिए भूमि की मांग के फलस्वरुप अब असम्भव सा प्रतीत होने लगा था. अतः कृषि पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तावित सुझावों के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के अनुरुप नहरों व सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, अविकसित वनों को विकसित करना, बंजर व समुदाय भूमियों पर वृक्षारोपण, पर्यावरण व जंगली जन्तुओं के संरक्षण हेतु अभयारण्य आदि कार्यों को प्राथमिकता दी गई. इस योजना के प्रथम वर्ष 1974-75 में राज्य को वनों से 437.10 लाख रुपयों की आय हुई जो पिछले साल (160.91) लाख की तुलना में अधिक है. इस योजना में वानिकी क्षेत्र में 218 लाख रुपये एवम् भू-संरक्षण क्षेत्र में 75 लाख रुपये खर्च किए गए.

वर्ष 1976-77 में वन विकास एवम् भू-संरक्षण कार्यों पर विभिन्न स्रोतों से 2 करोड़ 33 लाख रुपये व्यय

हुए. 1977-78 में इन कार्यक्रमों का विस्तार किया गया श्रौर इनमें सामाजिक वृक्षारोपण, वन पुनर्रोपण श्रौर मिश्रित वन जैसे नये विकास कार्यक्रम सम्मिलित किए जाकर 4.51 करोड़ रुपये व्यय किये गये. 1978-79 में इस कार्यक्रम का स्वरुप बढाकर 7 करोड़ 79 लाख रुपये का कर दिया गया. इनके श्रतिरिक्त विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम पर 1 करोड़ 50 लाख रुपये पृथक से व्यय किए जायेंगे.

इसी प्रकार 1976-77 में सूखाग्रस्त विकास योजना के श्रन्तर्गत 74.84 लाख रुपये के व्यय से 993 हैक्टेयर परिभाषित वनों का सुधार एवम् 100 हैक्टेयर क्षेत्रों में वृक्षारोपण के साथ-साथ लगभग 28 हजार क्विटल घास इकट्ठा कराया गया, जिसमें 8998 हैक्टेयर में बिगड़े वनों का विकास श्रौर 714 हैक्टेयर में वृक्षारोपण कराया गया. साथ ही लगभग 41 हजार क्विटल भी चारा एकत्रित किया गया. 1978-79 में 91.26 लाख रुपये के व्यय से पुराने कार्यों को श्रौर 4750 हैक्टेयर क्षेत्र में चारागाह विकास-कार्य कराए गए.

केन्द्र सरकार के सहयोग से जोधपुर में मरुस्थल के सर्वांगीण विकास के लिए एक श्रलग में विभाग बनाया गया.

छठी पचवर्षीय योजना (1980-85) — इस योजना में ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण एवम् सामाजिक वृक्षारोपण कार्यक्रम के श्रधीन गांवों के समीप पड़ी बेकार भूमि, गांवों की शमलात भूमियां, सड़कों, रेल पटरियों तथा नहरों के किनारे वृक्षारोपण, किसानों के खेतों के पास पेड़, लगाना श्रादि कार्यों को हाथ में लिया गया. 'प्रत्येक बच्चा एक पेड़' के लक्ष्य को पूरा करने का कार्यक्रम भी श्रपनाया गया. योजनाकाल में व्यय 2000 लाख रुपये किए गए. इसमें से 1981-82 की वार्षिक योजना के लिए 382 लाख रुपये व्यय किए गए जबकि 1980-81 के 325 लाख ही व्यय किए गए.

ईंधन की स्थिति राज्य में श्रत्यन्त गम्भीर ही नहीं वरन् संकटपूर्ण है. ईंधन लकड़ी की बढ़ती हुई मांग वृक्षारोपण कार्यक्रम को श्रब तक निहित मापदंडों से भी वृहत स्तर पर क्रियान्वयन हेतु बाध्य किया है. इस संदर्भ में सामाजिक वानिकी (Social Forestry) की धारणा का महत्व बढता जा रहा है. उपलब्ध सीमित वित्तीय साधनों से सड़कों, नहरों के किनारे, बंजर पहाड़ियों पर ग्रामों के समीप पंचायती भूखंडों पर वृक्षावली तथा रेत मेड़ों पर सिल्वी पेस्टोरल वृक्षारोपण जन सहयोग के माध्यम से किया जा रहा है. फार्म वानिकी योजना के श्रन्तर्गत बीजों का मुफ्त वितरण किया जा रहा है तथा प्रत्येक किसान को इन्हें श्रपने खेत की भूमि पर लगाने को प्रोत्साहित किया जा रहा हैं. राज्य के वन विभाग की प्रगति 1980 से निम्न तालिका सख्या-1 में दी गई हैं.

तालिका से स्पष्ट है कि चालू वर्ष में फार्म वानिकी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. 1981-82 से स्कूल बालकों, श्रनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को स्कूल क्षेत्र एवम् किसानों द्वारा श्रपने खेतों में पौध-शाला लगाने हेतु एक कार्यक्रम चालू किया गया जिससे कि कृषकों एवम् बालकों की वृक्ष लगाने के कार्यक्रम में श्रभिरुचि पैदा हो. 1982-83 में 3.65 करोड़ वृक्षों का रोपण किया गया. जबकि 1981-82 में 3.05 करोड़ वृक्षों का रोपण किया गया.

राज्य सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम में जंगल से मंगल कार्यक्रम के श्रन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम पूरे उत्साह के साथ बड़े पैमाने पर श्रपनाया गया. 1982-83 तक राज्य में 4 करोड़ 32 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं जबकि लक्ष्य 3.50 करोड़ पौधे रोपने का था. वर्ष 1983-84 में 310 लाख पौधे तथा 1984-85 में 359 लाख पौधे रोपे गये.

वर्ष 1981 से जनजाति क्षेत्र में रहने वाले भूमिहीन जनजाति परिवारों के जीवन-स्तर में सुधार कर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने हेतु एक योजना "वन वृक्षावली से समाजिक सुरक्षा" प्रारम्भ की गई श्रौर श्रभी तक इस योजना के प्राप्त परिणाम काफी उत्साहवर्द्धक रहे हैं.

तालिका सख्या–1

योजना	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1. सड़क/नहर किनारे वृक्षारोपण (रो. किलोमीटर)	11498	6017	6635	2895	4844
2. ग्रामीण ईंधन वृक्षा-रोपण (हैक्टेयर्स)	3242	3810	3750	5050	5670
3. बंजर पहाड़ियों पर वृक्षारोपण (हैक्टेयर्स)	9671	9245	6750	5425	10,800
4, मिल्वी पेस्टोरल वृक्षारोपण (हैक्टेयर्स)	16544	7852	9225	5765	9955
5. फार्म वानिकी (पौधे लाखों में)	24 00	39 00	114 00	310	359

कन्दरा क्षेत्रों में वायुयानों द्वारा बीजारोपण कार्य योजना के परिणाम भी अभी तक काफी उत्साहवर्द्धक रहे हैं तथा इस योजना के अन्तर्गत 1983 हैक्टेयर्स में बीजारोपण किया गया. प्रादेशिक सेना की सहायता से 300 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा 1150 हैक्टेयर क्षेत्र में घास रोपण इंदिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण के बाएं किनारे पर किया गया.

वृक्षारोपण कार्यक्रम को जन कार्यक्रम के रूप में लोकप्रिय करने हेतु नर्सरियों की संख्या बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया. कृषकों को समीप के स्थानों से वृक्ष प्राप्त करने हेतु राज्य में 925 नर्सरी अब तक स्थापित की गई.

ठेकेदारी प्रणाली के दोषों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान में 1968-69 से ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी गई है. इससे एक ओर कटाई क्षेत्र में कमी आई है तथा दूसरी ओर राजस्व में 4 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है. जनसख्या एवम् पशु संख्या में तीव्र वृद्धि तथा वन क्षेत्र के सकुचन से संरक्षण की समस्या नए आयामों पर पहुच गई है. अब 14 उड़न दस्ते भी क्षति संभाग वन क्षेत्र मे गश्त एवम् अपराधियों को पकड़ने हेतु लगाए गए है.

वन्य जीव संरक्षण में राजस्थान ही ऐसा पहला राज्य है जहां दो स्थानो रणथम्भोर और सरिसका अभ्यारण्यों मे बाघ परियोजनायें प्रारम्भ की गई. इस केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत रणथम्भोर बाघ परियोजना को क्रमोन्नत कर पृथक वन संरक्षण के अधीन रखा गया है और सरिसका अभ्यारण्य को प्रथम बार बाघ परियो-योजना में सम्मिलित किया गया.

राज्य में राष्ट्रीय मरु उद्यान, नाहरगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, रामगढ़ सरकारी पार्क और जाखम अभ्यारण्य पर कार्य चल रहा है. चम्बल नदी पर मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश के सहयोग से राष्ट्रीय मगर अभ्यारण्य की भी स्थापना की जा रही है चित्तोड़गढ़ जिले के सीतामाता क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया गया है. घाना पक्षी विहार को भी आधुनिक रूप दिया जा रहा हैं.

वनों को ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी गई है. आदिवासी क्षेत्रों में लघु वन उपज, राजस्थान आदिवासी क्षेत्र विकास एवम् सहकारी निगम द्वारा एकत्रित की जा रही है. राज्य सरकार ने पत्ता तेन्दू भी निगम द्वारा ही एकत्र कराने का निर्णय लिया है. सहकारी समितियों को

लघु वन उपज निकासी में प्राथमिकता के साथ-साथ लकड़ी एवम् कोयले के वितरण डिपों लगाने एवम् विभागीय कार्यों में कमीशन के आधार पर श्रमिकों की व्यवस्था का कार्य सौंपा गया है. पंचायतों को चराई एवम् चारा क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाती है.

राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप वनों का विकास और अधिक तेजी से करने की दिशा में राज्य सरकार चिन्तनशील है. वन विकास के लिए पृथक निगम की स्थापना भी विचाराधीन है.

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)—वृक्षारोपण के कार्य में अधिकाधिक जन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सातवीं पचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही राज्य में विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना प्रारम्भ की गई. इस परियोजना के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में 35 करोड़ रुपये व्यय किए जाकर 36.500 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा 1200 लाख पौधों का कृषकों को निःशुल्क वितरण किया जाएगा. वर्ष 1985-86 में इस परियोजना के अन्तर्गत 300 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है तथा 1986 वर्षा ऋतु के लिए 6360 हैक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम है. कृषकों तथा जन साधारण को वितरित करने के लि4 275 लाख पौधे पौधशालाओं में तैयार किए जा रहे है.

वर्ष 1986-87 में 11 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है तथा 250 नई पौधशालाएँ स्थापित की जायेंगी. वर्ष 1986-87 के लिए 8.51 करोड़ रुपये का योजना व्यय प्रस्तवित है.

संस्थागत वित्तीय साधनों से वृक्षारोपण करने की दृष्टि से वन विकास निगम की स्थामना कर दी गई है जिसका विचार छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था. राज्य में बंजर भूमि के विकास हेतु 42 करोड़ रुपए की योजना बनाकर केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है. जिसके अधीन दो वर्षों में दो लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किए जाने का प्रस्ताव है. अभी हाल ही में वृक्षारोपण कार्यक्रम को जन कार्यक्रम बनाए जाने की दिशा में कार्य किया गया है और 'रुँख भायला' का नया नारा दिया गया है. इसका तात्पर्य ही पेड़ को मित्र-भाई की तरह पोषित करना. देखें यह कहाँ तक सफल होता है.

राजस्थान में वन सम्पत्ति राज्य की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है. इसलिए वनों का विकास मरु भूमि के विस्तार को रोकने में सहायक होगा. भूमि के कटाव को रोकने में मदद देगा भूमि की उर्वरता बढ़ाने व नमी को बनाए रखने में मदद देगा तथा पशुपालन क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे का प्रबन्ध करेगा.

राज्य सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है और हर सम्भव प्रयास कर रही है जिससे कि वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हो.

□

नियोजित विकास : पंचवर्षीय योजनाएँ

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजस्थान कई राज्यों मे बंटा हुआ था और इन राज्यों में जनता के हित का ध्यान राजाओ पर निर्भर करता था. जिन राजाओं की रुचि जनकल्याण मे थी उन्होंने अपने यहाँ विकास के कई कार्य किए. जयपुर रियासत को इस बारे मे एक उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है जहां विकास के काफी कार्य हुए, सड़कें बनी, रेल लाइन बिछी, और जमीन की पैमाइश का काम हुआ. रेगिस्तान क्षेत्र बीकानेर रियासत मे वहाँ महाराजा गंगासिंह ने गंगनहर बनवाई जिससे गंगानगर का इलाका सरसब्ज हो गया. इसी तरह से सभी रियासतो में कुछ न कुछ विकास कार्य हुआ था लेकिन गरीबों के उत्थान और गांवों व शहरों के सुनियोजित विकास का कार्य स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही प्रारम्भ हो पाया.

योजना के प्रारम्भ के समय विभिन्न रियासतो को मिला-कर बना हुआ राजस्थान हर क्षेत्र मे पिछड़ा हुआ था. इस पिछड़ेपन के साथ-साथ राज्य की सेवाओं में एकीकरण, जागीरदारी उन्मूलन आदि की कठिनाइयाँ भी सामने थी.

पिछड़ी हुई सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पृष्ठ-भूमि में देश की पहली पंचवर्षीय योजना के साथ 1951 में राजस्थान मे भी आर्थिक नियोजन का सूत्रपात हुआ, परन्तु तत्कालीन परिस्थितियों में 1951 में शुरु हुई पहली योजना संकट कालीन योजना थी. यह योजना राज्य के वित्तीय साधनों का अनुमान लगाए बगैर ही तैयार की गई थी. यही कारण है कि जब अन्य राज्य अपनी प्रथम योजना को क्रियान्वित करने में लगे थे, वहाँ राजस्थान राज्य केवल अपनी समस्याओ के समाधान में व्यस्त था. अत: राजस्थान की पहली पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक वित्त की कुछ निश्चित परियोजनाओं का ही सामूहिक रूप थी, जिसे आर्थिक नियोजन की भूमिका कहना असंगत न होगा.

योजना प्रारम्भ करने से पूर्व राजस्थान देश का सबसे पिछड़ा राज्य था. जहां पश्चिमी राजस्थान का मरूस्थलीय भाग पेयजल के लिए तरसा रहा है वहा पहाड़ी खनिज सम्पदा के दोहन हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी पूर्वी मैदानो मे कृषि मुख्य पेशा था लेकिन सिंचाई के साधनों का विस्तार न होने के कारण आर्थिक गतिविधियों मे कोई तारतम्य नही था. परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि, सिंचाई, सड़कें व शिक्षा को प्राथमिकता दी गई लेकिन आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए भी समय की आवश्यकता थी अत: प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में राज्य के साधनों एवम् सुविधाओं मे वांछित प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही.

राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) : राजस्थान में पहली पंचवर्षीय योजना वास्तविक रूप में अप्रेल 1951 के सवा वर्ष बाद शुरू हुई थी. इस योजना में 64.50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 54.14 करोड़ रूपये विभिन्न मदों पर खर्च किए गए

प्रथम पंचवर्षीय योजना में यहां राज्य और केन्द्र की अलग-अलग योजनाए थी. राज्य की 2546 20 लाख रुपयों में से प्रथम योजना के अन्त तक 1996.97 लाख रुपये ही व्यय किए गये जो कुल निर्धारित योजना का 78.50 प्रतिशत रहा, जबकि केन्द्र की योजना में 3503.60 लाख रुपयों मे मे 1207.35 लाख रुपया ही व्यय किया गया. इस प्रकार राज्य और केन्द्र की योजना को मिलाकर कुल 5414 लाख रुपये ही व्यय किए गए. योजना व्यय का ब्यौरा निम्न तालिका–1 मे दिया गया है—

योजनाकाल में सिंचाई कार्यक्रम में अच्छी प्रगति भाखड़ा से पानी प्राप्त करने के लिए नहरों का निमाण किया गया. चम्बल परियोजना का भी प्रारम्भिक कार्य

तालिका संख्या 1

प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56

विकास की मदें	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपयो में)	प्रतिशत
1. कृषि एवम् सामुदायिक विकास	6.98	12.90
2. सिंचाई	30.24	55.86
3. शक्ति	1.24	2.27
4. उद्योग-खनिज	0.46	0.85
5. सड़कें	5.55	10.25
6. सामाजिक सेवाएं	9.12	16.84
7. विविध	0.55	1.01
योग	54.14	100.00

पूरा हो गया. अन्य साधनों से सिंचित क्षेत्र 5 लाख एकड़ बढ़ गया. कुल सिंचित क्षेत्र (1951) 24.80 लाख से बढकर (1956) 33.35 लाख एकड़ हो गया. इसी काल में विद्युत उत्पादन क्षमता 13,000 किलोवाट से बढ़कर 34,000 किलोवाट हो गई. खाद्यान्न का उत्पादन 3.30 लाख टन बढ़ा तथा कपास का उत्पादन 1.8 लाख गांठे हुआ जो लक्ष्य से अधिक था. उदयपुर में कृषि कालेज तथा बीकानेर में पशु चिकित्सा कालेज की स्थापना की गई. 11 नए कालेज (1 इंजीनियरिंग कालेज) और 4816 नये स्कूल खोले गये. 7-11 वर्ष आयु वर्ग के 21.7 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाने लगे. सड़कों की लम्बाई 11,371 मील से बढकर 13,988 मील हो गई.

राजस्थान में नियोजन के प्रथम पांच वर्षों में 54 करोड़ रूपये खर्च करने पर भी उपलब्धियां असन्तोषजनक ही रही. कार्यक्रमों के लिए निर्धारित रकमों का पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया जा सका. क्योंकि उस समय राज्य सरकार आर्थिक नियोजन कार्यक्रम अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं थी. व्यय की कमी का सबसे प्रतिकूल प्रभाव विद्युत उत्पादन पर हुआ, फलस्वरूप क्षेत्रीय असमानताएं बढी. इसके अतिरिक्त जो भी खर्च किया गया वह योजना के अन्तिम वर्षों में किया गया जो असन्तुलित खर्च को दर्शाता है.

राजस्थान में प्रति व्यक्ति योजना मात्र 15.5 रुपये (5 वर्षों के लिए) रखा गया, जबकि सौराष्ट्र, मैसूर और महाराष्ट्र राज्यों के लिए क्रमश: 59.1,49 और 42 रुपया प्रति व्यक्ति था. यद्यपि राजस्थान की आबादी देश की आबादी का 4.4 प्रतिशत थी पर राजस्थान की योजना की राशि राष्ट्रीय योजना का केवल 2.7 प्रतिशत ही थी. ये आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि राजस्थान की ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया था.

दूसरी पंचवर्षीय योजना : राजस्थान में वास्तविक नियोजन का युग दूसरी योजना (1956-61) से ही प्रारम्भ होता है. यह योजना वास्तव में राजस्थान के लिए पहली योजना समझी जानी चाहिये. पहली योजना में प्राप्त अनुभवों के आधार पर ही एक बड़ी तथा अपेक्षाकृत साहसपूर्ण दूसरी योजना तैयार की गई. इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की अत्यावश्यक मूल आवश्यकताओं, जिन्हें प्रथम योजना काल में ही पूर्ण किया जाना चाहिए था, की पूर्ति करना था. राजस्थान के सार्वजनिक विकास

तालिका संख्या–2

योजनागत व्यय द्वितीय पंचवर्षीय योजना

विकास की मदें	योजनागत वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)	प्रतिशत
1. कृषि एवम् सामुदायिक विकास	25.42	24.77
2. सिंचाई	23.10	22.57
3. शक्ति	15.25	14.74
4. उद्योग-खनिज	3.40	3.29
5. सड़कें	10.17	9.90
6. सामाजिक सेवाएं	24.31	23.67
7. विविध	21.09	1.06
योग	102.74	100.00

कार्यक्रमों के लिए इस योजना में 105.27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था लेकिन वास्तविक व्यय 102.74 करोड़ रुपये ही हुआ जो प्रस्तावित व्यय का 97.6 प्रतिशत था. योजनागत व्यय का मदवार ब्यौरा तालिका संख्या-2 में दिया गया है.

योजना की प्राथमिकताओं में कृषि विकास एवम् सिंचाई को प्राथमिकता दी गई और उसके बाद स्थान सामाजिक सेवाओं का आता है. लेकिन जहां राष्ट्र दूसरी योजना में प्राथमिकता उद्योगों को दे रहा था वहां राजस्थान में प्राथमिकता क्रम अपना अलग ही था.

योजनाकाल में कीमतें निरन्तर बढती रही. थोक भावों का सूचक अंक 1956 के 96.9 में बढ़कर 1960 के अन्त में 128.6 हो गया. योजनाकाल में स्थिर कीमतों पर राज्य की आय 14.6 प्रतिशत बढी, जबकि देश की राष्ट्रीय आय में 21 प्रतिशत वृद्धि हुई, योजना में आधारभूत आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के विकास 74.76 प्रतिशत व्यय का प्रावधान था जो यह सिद्ध करता है कि दूसरी योजना भी वास्तविक विकास की योजना न होकर मात्र विकास का आधार तैयार करने की योजना थी. केन्द्र सरकार ने राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिए लगभग कुछ भी नहीं किया. राजस्थान में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात तथा जनसंख्या ग्रामीण व्यवसायिक वितरण अपरिवर्तित रहा. कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्र से 1955 में 43.46 प्रतिशत आय प्राप्त होती थी जबकि योजना के अन्त में यह प्रतिशत बढकर 45.80 हो गया, जो अर्थव्यवस्था की कृषि पर निर्भरता को दर्शाता है.

तीसरी पंचवर्षीय योजना : राजस्थान के आर्थिक विकास का एक दशक पूरा हुआ, फिर भी राजस्थान एक पिछड़ा प्रदेश रहा. अत: तीसरी योजना के निर्माण कार्य को भी विकेन्द्रित किया गया और नीचे से योजना तैयार करने की विधि अपनाई गई. इस योजना के लिए 236 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया परन्तु वित्तीय साधनों की कमी के कारण योजना को दो भागों में बांटा गया (1) महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिन पर 209 करोड़ रुपये व्यय किया जाना था तथा (2) अन्य कार्यक्रम जो इस समय प्रारम्भ किए जाने थे, जब उनके लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध हो. इस योजनाकाल में विकास कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय 212.63 करोड़ रुपये हुआ जो प्रस्तावित का 90 प्रतिशत तथा महत्वपूर्ण प्रावधान का 101.4 प्रतिशत था. योजनागत विकास व्यय का ब्यौरा तालिका संख्या-3 में दिया गया है.

तालिका संख्या–3
योजनागत व्यय तृतीय पंचवर्षीय योजना

विकास की मदें	वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)	प्रतिशत
1. कृषि एवम् सामुदायिक विकास	40.65	19.11
2. सिंचाई	76.23	35.85
3. शक्ति	39.64	18.64
4. उद्योग-खनिज	3.31	1.58
5. सड़कें	9.75	3.58
6 सामाजिक सेवाएं	42.03	19.76
7. विविध	1.02	0.48
योग	211.63	100.00

जहां तक प्राथमिकताओं के क्रम का प्रश्न है वह लगभग अपरिवर्तित रहा, और कृषि सिंचाई एवम् शक्ति ही अपना स्थान बनाए रही लेकिन सामाजिक सेवाओं की स्थिति में भी परिवर्तन नहीं आया.

तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में राज्य आय चालू कीमतों के आधार पर 32.23 प्रतिशत तथा स्थिर कीमतों के आधार पर 11.15 प्रतिशत बढी. दूसरे शब्दों में वास्तविक वार्षिक औसत वृद्धि 2.32 प्रतिशत हुई. औसत प्रति व्यक्ति आय इन पांच वर्षों में 246.6 रुपये है जो 2 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है अर्थात् प्रति वर्ष 0.4 प्रतिशत वृद्धि.

योजनाकाल में कृषि उत्पादन में बहुत उतार-चढ़ाव आए और कुल मिलाकर खाद्य उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई. 1965-66 में 2.30 करोड़ एकड़ भूमि पर खाद्यान्न की खेती की गई जो 1960-61 की 2.76 करोड़ एकड़ से कम थी. खाद का उपयोग पहले से अधिक अवश्य हुआ, किन्तु खाद की मांग के अनुसार पूर्ति नहीं की जा सकी. कुल सिंचित क्षेत्र (1960-61) के 43.28 लाख एकड़ से बढ़कर 1965-66 में 51.41 लाख एकड़ हो गया, जबकि लक्ष्य 60 लाख एकड़ का छोटी सिंचाई योजनाओं पर प्रस्तावित धनराशि से दुगने से भी अधिक धनराशि खर्च हुई लेकिन कुल कृषि भूमि का केवल 13 प्रतिशत सिंचत था, जबकि सम्पूर्ण भारत के लिए यह प्रतिशत 24 था. इसी योजनाकाल में कृषि पर वास्तविक व्यय केवल 19.10 प्रतिशत था जबकि अन्य सभी राज्यों में कृषि पर प्रस्तावित व्यय 24.49 प्रतिशत था. यही नहीं, जिन क्षेत्रों पर पहले की तुलना में कम ध्यान दिया जा रहा था, उन्हीं में वास्तविक व्यय प्रस्तावित व्यय की अपेक्षा कम हुआ.

तीसरी योजना के अन्त में 30.506 किलोमीटर लम्बी सड़कें थीं. इस प्रकार राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 8-9 किलोमीटर, प्रति लाख जनसंख्या पर 147 किलोमीटर सड़न हो गई. सम्पूर्ण भारत मे यह अनुपात क्रमश: 19.7 और 175 किलोमीटर है. तत्कालीन मूल्यों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 1965-66 में 430 रुपये हो गई, जबकि राजस्थान की 385 रुपये थी. इस प्रकार राजस्थान और सम्पूर्ण भारत में अन्तर बना रहा.

योजनाकाल में कई नए कारखानों को लाईसेंस दिए गए, जबकि कारखाने इनके मुकाबले बहुत कम लगाए गए. 1965-66 मे लघु उपक्रमों ने राजकीय आय में 13.12 प्रतिशत योगदान दिया जबकि बड़े कारखानों ने सिर्फ 1.5 प्रतिशत ही. राजस्थान की अधिकांश औद्योगिक क्रियाएँ गैर-कारखाना क्षेत्र पर केन्द्रित है, और इस क्षेत्र में प्रति श्रमिक उत्पादकता कम है. अतः 15 वर्षों के नियोजित प्रयासों के बावजूद राजस्थान की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान रही, फलस्वरुप असन्तुलित और अस्थिर भी.

राजस्थान में प्रति व्यक्ति योजना व्यय 12 रुपया प्रतिवर्ष मात्र हुआ. यह राजस्थान की विशिष्ठ समस्याओं को देखते हुए अपर्याप्त था, विशेषकर जबकि उस समय राजस्थान में केन्द्रीय सरकार ने बहुत कम उद्योग खोले थे. पंचायत समितियों द्वारा प्रस्तावित योजनाएँ विशेषज्ञ ज्ञान और रुचि के अभाव में ठोस कार्य नहीं कर सकीं. राजस्थान की योजनाएँ अभी भी प्राथिक विकास की आधार भूमि का निर्माण करने में लगी थी. वास्तविक कार्य तो तीसरी योजना में भी नहीं हुआ था. अभी भी कुल व्यय का 70.4 प्रतिशत सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय होता था.

तीन वार्षिक योजनाएं(1966-69):1966 में तीसरी योजना की समाप्ति पर देश में व्याप्त आपातकालीन स्थिति के कारण चौथी योजना को स्थगित करना और वार्षिक योजना का सम्पादक ही देश के लिए हितकर समझा गया. इस प्रकार योजनाके प्रथम वर्ष 1966-67 में 48.83 करोड़ रुपये व्यय किए गए जबकि प्रावधान 36.66 करोड़ का ही था. योजना के दूसरे वर्ष 1967-68 में 39.88 करोड़ रुपये व्यय हुए और तीसरे वर्ष 1968-69 में 47.98 करोड़ रुपये व्यय हुआ. इस राशि में राजस्थान नहर व पौंग बांध के में लिए अतिरिक्त राशि जोड़ दी गई है. तालिका सं-4 में योजनागत व्यय (तीनों वार्षिक योजनाओं का सम्मिलित) दिखाया गया है.

तीनों वार्षिक योजनाओं के कुल व्यय को देखने से आभास मिलता है कि कुल व्यय घटता बढ़ता रहा है जो खर्च की सुदृढ़ योजना नहीं बताता है. तीनों वार्षिक योजनाओं में कृषि पर लगातार व्यय करने पर भी खाद्यान्न की कमी प्रति वर्ष बनी रही. राजस्थान को भारत के बचत करने वाले राज्यों और विदेशों से खाद्यान्नों के आयातों पर निर्भर रहना पड़ा. यह देखते हुए कि आबादी का एक बड़ा भाग खेती में लगा है, अभाव की स्थिति विडम्बना प्रतीत होती है.

तालिका संख्या—4

तीन वार्षिक योजनाओं का विकास व्यय

विकास की मदें	कुल वास्तविक आय (करोड़ रुपयों में)
1. कृषि एवम् सामुदायिक विकास	25 2
2. सिंचाई	
3. शक्ति	83.2
4. उद्योग एवम् खनिज	2 1
5. सड़कें	4.4
6. सामाजिक सेवाएं	21.7
7. विविध	0.1
योग	136.7

प्रति व्यक्ति आय भी इन वार्षिक योजनाओ में अस्थिर गति से बढ़ी. पहली वार्षिक योजना में 1 प्रतिशत, दूसरी वार्षिक में 9 प्रतिशत बढ़ी तथा तीसरी में 6 प्रतिशत घटी. राजस्थान में मुख्य फसलों की पैदावार राष्ट्रीय स्तर से नीचे है. इन सबके मूल में है वर्षा पर निर्भर कृषि, मशीनों से खेती का अलोकप्रिय होना, संरचनात्मक और संगठनात्मक कमियां तथा अपर्याप्त कृषि अनुसंधान और ऋण सुविधाएँ.

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) : राजस्थान की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी पुनः सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई और शक्ति को ही दी गई और दूसरे स्थान पर सामाजिक सेवाएं रहीं. कृषिगत कार्यक्रमों को तृतीय स्थान पर रखा गया. योजनाकाल में विभिन्न विकास मदों पर व्यय तालिका संख्या-5 में दिया गया है.

सिंचाई एवम् शक्ति को ऊंची प्राथमिकता देने का कारण कृषि उद्योगों को बढाना था. सामाजिक सेवाओं पर अधिक व्यय का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सुविधाओं को उपलब्ध कराना था.

तालिका संख्या—5

चतुर्थ पंचवर्षीय योजनागत व्यय

विकास की मदें	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपयों में)	प्रतिशत
1. कृषि	23	7.2
2. सामुदायिक विकास एवम् सहकारिता	9	2.8
3. सिंचाई एवम् शक्ति	189	59.8
4. उद्योग एवम् खनन्	9	2.9
5. यातायात एवम् संचार	10	3.2
6. सामाजिक सेवाएं	73	23.1
7. विविध	3	0.9
योग	316	100.00

इन सब योजनागत व्यय के बावजूद राजस्थान में 83 प्रतिशत कृषिगत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है यानि केवल 17 प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं. थोक मूल्य सूचकांक जो कि योजना के प्रारम्भ में 242 थी, योजना के अन्त में बढ़कर 318.6 हो गया. चतुर्थ योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति आय (चालू मूल्यों पर) 600 रुपये थी खाद्यान्नों के उत्पादन में भी भारी वृद्धि हुई. सिंचाई के साधनों का विकास हुआ. राजस्थान नहर परियोजना पर राजस्थान सरकार ने 38 करोड़ रु. व्यय किए तथा भारत सरकार ने 11 करोड़ अतिरिक्त व्यय किया. दुग्ध उत्पादन पर विशेष बल दिया गया और डेयरी कार्यक्रम को मजबूत बनाया गया. विद्युत उत्पादन 174 मेगावाट से बढ़कर योजना के अन्त तक 452 मेगावाट हो गया. इसके परिणामस्वरुप प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग 26 किलोवाट से बढ़कर 60 किलोवाट हो गया. विद्युतीकृत बस्तियों की संख्या 2247 से बढ़कर 6057 हो गई. इसी प्रकार विद्युतीकृत कुंओं की संख्या 18795 से बढ़कर 80944 हो गई. सड़कों की लम्बाई 31,376 किलोमीटर से बढ़कर 33,882 किलोमीटर हो गई. इसके परिणामस्वरुप प्रति 106 वर्ग किलोमीटर

पर सड़कों की लम्बाई 9.2 किलोमीटर से बढ़कर 10.0 किलोमीटर हो गई. उद्योग के क्षेत्र में पंजीकृत फैक्टरियों की संख्या 1846 से बढ़कर 2800 हो गई. 1969 में एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन की स्थापना हुई.

सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में वृद्धि हुई. स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 6 से 11 वर्ष की उम्र में 56.5 से बढ़कर 65.5 हो गया. इसी प्रकार 11 से 14 में 23.3 से 31.0 प्रतिशत और 14 से 17 वर्ष की उम्र में 11 प्रतिशत हो गया. इसी प्रकार औषधालयों की संख्या 574 (एलोपैथिक) से बढ़कर 619 हो गए. आयुर्वेदिक तथा युनानी औषधालयों की संख्या 1684 से बढ़कर 1846 हो गई तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 232 ही रही. इन सब सुविधाओं के बावजूद राजस्थान में सामाजिक सेवाओं का स्तर सम्पूर्ण भारत से काफी निम्न रहा. अभी भी कई गांव समस्याग्रस्त है जो कि न तो रेल से जुड़े हुए है और न ही बस सेवा से. पीने के पानी के लिए 8-10 किलोमीटर तक जाना पड़ता है. गांवों में विद्युत का तो प्रश्न ही नहीं है, पक्की सड़कें कल्पना के बाहर की बात है.

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) : पांचवीं योजना का मूल उद्देश्य राजस्थान में आर्थिक आधार को मजबूत करना था जिससे कि विकास हो सके. इसके अतिरिक्त विकास के लाभ सभी वर्गो को मिलने चाहिए जिससे कि आम जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके. अतः इस प्रकार व्यूह रचना आवश्यक समझी गई जो कि अधिक रोजगार के अवसर प्रदान कर सके तथा आय की समानता ला सके. पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 857.62 करोड़ रुपये व्यय किए गए जितना वर्ष के अनुसार व्योरा तालिका संख्या-6 में दिया गया है.

योजनाकाल के पहले वर्ष में 109.84 करोड़ रुपये व्यय किए गए लेकिन यह व्यय लगातार बढ़ता रहा है और योजना के अन्तिम वर्ष में बढ़कर 246.43 करोड़ रुपये हो गया. योजनाकाल में विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय को तालिका संख्या-7 में दिखाया गया है.

तालिका संख्या–6

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपयों में)
1974-75	109.84
1975-76	140.87
1976-77	169.21
1977-78	191.27
1978-79	246.43
कुल व्यय	857.62

तालिका संख्या–7
योजनागत व्यय–पांचवीं पंचवर्षीय योजना

विकास की मदें	वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)	प्रतिशत
1. कृषि एवम् सम्बन्धित कार्य	80.14	9.34
2. सहकारिता	15.41	1.80
3. सिचाई-शक्ति	490.68	57.21
4. उद्योग-खनन्	34.53	4.03
5. यातायात-सन्देश वाहन	84.20	9.82
6. सामाजिक सेवाएं	149.05	17.38
7. आर्थिक एवम् सामान्य सेवाएं	3.61	0.42
योग	857.62	100.00

योजनाकाल में कृषि उत्पादन बढ़ा. खाद्यानों का उत्पादन 1978-79 में बढकर 77.80 लाख टन हो गया. जबकि लक्ष्य 77.00 लाख टन रखा गया था. इसी प्रकार तिलहनों का उत्पादन 3.36 लाख टन (1973-74) से बढ़कर 5.55 लाख टन हो गया जबकि लक्ष्य 4.20 लाख टन का था. गन्ने के उत्पादन लक्ष्य 26.50 लाख टन थे जबकि उत्पादन 21.96 लाख टन हुआ. कपास का उत्पादन 1973-74 में 2.84 लाख गांठे था जो 1978.79 में बढ़कर 5.70 लाख गांठे हो गया

जबकि लक्ष्य 4.40 लाख गांठे था. इस प्रकार हम देखते है कि कृषि के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिली है. इस सफलता का मुख्य कारण अधिक उपज देने वाली फसलों का प्रयोग हैं, इसके अतिरिक्त सरकार ने जो टी. वी. योजना अपनाई इसके भी वांछित परिणाम प्राप्त हुए. कुल सिंचित क्षेत्र में योजनाकाल में 13.48 प्रतिशत वृद्धि हुई जो सिंचित पर हुऐ व्यय को देखते हुए अपर्याप्त है. "राज्य कृषि विपणन बोर्ड" बनाया गया. 1975 में राजस्थान में "राजस्थान भूमि विकास निगम" की स्थापना की गई.

पशु-पालक के क्षेत्र में भी सफलता मिली. 1974-79 में 137 नये पशु औषधालय तथा चिकित्सालय खोले गए. इसके अतिरिक्त 2 कुक्कट केन्द्र तथा 4 चारा प्रदर्शन केन्द्र खोले गए डेयरी के क्षेत्र में दुग्ध संग्रहण तथा वितरण के क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त हुई. लेकिन दुग्ध की कीमतों में वृद्धि होने से उपलब्धियों का कोई महत्व नहीं रहा.

विद्युत के क्षेत्र में उपलब्धियां हुई. संस्थापित क्षमता 1973-74 में 800.78 मेगावट थी जो योजना के अन्त में बढ़कर 959.60 मेगावाट हो गई. यह प्रगति पर्याप्त नही कही जा सकती परिणामस्वरुप औद्योगिक उत्पादक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. यही कारण है कि प्रति प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन में राजस्थान का स्थान संपूर्ण भारत में 13 वां रहा.

आर्थिक एवम् सामाजिक विकास के लिए सड़कें एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है लेकिए दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ हैं. योजना के अन्त में 1548 गांव (1500 के ऊपरवाली जनसंख्या के) सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे. कुल सड़क की लम्बाई योजना के प्रारम्भ में 33,833 किलोमीटर थी जो योजना के अन्त में बढकर 40,399 किलोमीटर हो गई.

शिक्षा के क्षेत्र में 44.80 करोड़ रुपये योजनाकाल में व्यय किए गए. परिणामस्वरुप स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत (6-11 वर्ष की उम्र) 62.35 तथा (11-14 वर्ष की उम्र) 29.31 हो गया. योजनाकाल में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया और उस पर 115.93 करोड़ रुपये योजनाकाल में व्यय किए गए. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम खे अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतिकरण, ग्रामीण सड़के, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जलपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को मकान के लिए जमीन वितरण पर्यावरण सुधार आदि कार्यक्रमों को शामिल किया गया है- इन सब नियोजित प्रयासों के बावजुद उपलब्धियां महत्वपूर्ण नहीं कही जा सकती. योजना के अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सको.

योजनाकाल में सबसे ऊंची प्राथमिकता सिंचाई एवम् शक्ति को दी गई तथा द्वितीय प्राथमिकता कृषि को दी गई. सामाजिक सेवाओं का क्रम में तीसरा स्थान आता है. लेकिन वर्षा की अनिश्चितता के कारण कृषि में विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका. इसके अतिरिक्त शक्ति के साधनों में विद्युत उत्पादन को प्राथमिकता देते हुए भी विद्युत संकट बराबर बना रहा जिससे औद्योगिक एवम् कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा.

प्रति व्यक्ति योजना व्यय चौथी पंचवर्षीय योजना में तो लगभग स्थिर ही रहा परन्तु पांचवीं योजना एवम् वार्षिक योजना में बहुत बढ़ा है. निम्न तालिका-8 पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति व्यय दिखाया गया है.

तालिका संख्या–8
प्रति व्यक्ति योजना व्यय

वर्ष	योजना व्यय (रु. में)
1970-71	23.61
1971-72	24.04
1972-73	24.55
1973-74	24.80
1974-79	283.18
1979-80	93.81

प्रति व्यक्ति योजना व्यय पांचवीं पंचवर्षीय योजना वार्षिक योजना में बढ़ने का मुख्य कारण कीमतों में वृद्धि है. यदि स्थिर कीमतों पर इसकी तुलना की जाय तो यह वृद्धि अधिक नजर नहीं आएगी.

छठी पचवर्षीय योजना (1980-85) : राजस्थान की छठी योजना में निम्न उद्देश्यों को मूल रूप से स्वीकार किया गया है—

(i) साधनों के प्रयोग में कुशलता लाकर उत्पादकता को बढाना और अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि करना;

(ii) आर्थिक एवम् तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना;

(iii) गरीबी एवम् बेरोजगारी में कमी करना;

(iv) शक्ति के देशी साधनों का विकास करना;

(v) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के सहारे आर्थिक एवम् सामाजिक ढंग से पिछड़े लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करना;

(vi) आय एवम् धन की असमानताओं में कमी करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना;

(vii) प्रादेशिक असमानताओं को कम करना;

(viii) जनसंख्या पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण करना. इसके लिए स्वेच्छा से छोटे परिवार के विचार को बढावा देना;

(ix) पर्यावरण सुधार को बढाना तथा;

(x) समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त करना. योजनाकाल में 3167.87 करोड़ रुपये व्यय का मदवार वितरण तालिका-9 में दिखाया गया है.

योजना व्यय का वार्षिक मदवार विवरण तथा प्रतिशत व्यय निम्न तालिका-11 में दिखाया है—

1981-82, पूर्व वर्ष 3980-82 के संशोधित प्रावधान की तुलना में योजना प्रावधान 1.88 प्रतिशत अधिक है. 1981-82 में गत वर्ष (1980-81) के संशोधित प्रावधान की अपेक्षा कृषि, उद्योग, यातायात एवम् सामाजिक सेवा मदों पर अधिक धनराशि का आवंटन किया गया है.

तालिका संख्या—9

छठी पंचवर्षीय योजना—मदवार विवरण

मदें	प्रस्तावित व्यय (लाख रुपयों में)	प्रतिशत
1. कृषि एवम् सम्बन्धित क्रियाएं	40472.22	12.78
2. सहकारिता	2800.00	0.88
3. सिंचाई एवम् शक्ति	159275.00	50.28
4. उद्योग एवम् खनिज	11987.00	3.78
5. यातायात एवम् संदेश-वाहन	29400.50	9.28
6. सामाजिक सेवाएं	71522.18	22.58
7. आर्थिक एवम् सामान्य सेवाएं	1330.98	0.42
कुल	316787.39	100.00

वर्ष 1982-83 छठी पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष है एवम् इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 करोड़ रुपये कम किए जाने का प्रावधान है. लेकिन योजना के अगले वर्ष (1983-84) में 416.00 करोड़ व्यय का प्रावधान है जो पिछले वर्ष की तुलना 76 करोड़ अधिक है लेकिन यह वृद्धि वास्तविक वृद्धि नहीं है यह तो बढी हुई कीमतों का ही प्रभाव है. 1984-86 (जो कि योजना का अन्तिम वर्ष था) में 430 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जो कि पिछले वर्ष 1983-84 से 14 करोड़ रुपये ही अधिक था. इस सूक्ष्म वर्ष को वृद्धि नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मुद्रा स्फीति की दर तो इससे सदैव ही ज्यादा ही रही है.

तालिका संख्या–10

योजना प्रावधान (प्रस्तावित) (करोड़ रुपयों में)

मदें	संशोधित	प्रसावित			
	1980-81	1981-82	1982-82	1973-84	1984-85
1. कृषि एवम् सम्बन्धित कार्यक्रम	55 96	59.20	47.87	69.79	77.13
	(15.82)	(16 44)	(17.02)	(16.78)	(17.94)
2. सहकारिता	5.18	4.55	4.50	5.50	6.00
	(1.46)	(1.25)	(1.32)	(1.32)	(1.40)
3. जल एवम् विद्युत विकास	193.45	187.67	182.64	216.38	206.08
	(54.68)	(52.12)	(53 72)	52.01)	(47.93)
4. उद्योग एवम् खनिज	12.41	13.47	16.10	18.60	18 75
	(3.50)	(3 74)	(4.74)	(4.47)	(4.36)
5. यातायात एवम् संचार	26 85	27.45	18 70	19.00	20.65
	(7.59)	(7.62)	(5.50)	(4.57)	(4.80)
6. सामाजिक सेवाएँ	56.56	64.57	58.75	84.40	98.84
	(15.99)	(17.94)	(17.28)	(20 29)	(22.98)
7. विविध	3.40	3.25	1.44	2.33	2.55
	(0.96)	(0.90)	(0 42)	(0.56)	(0.59)
	353.81	360.06	340.00	416.00	430.00
योग	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)

नोट—कोष्ठाक ( ) में प्रतिशत दिखाया गया है.

उपरोक्त तालिका के मदवार विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1982-83 में सामाजिक एवम् सामुदायिक विकास सेवाओं पर कुल योजना प्रावधान में वर्ष 1982-83 में 17.28 प्रतिशत से वृद्धि होकर वर्ष1983 84 मे 20.29 प्रतिशत हो गई इस वृद्धि का कारण चिकित्सा एवम् शिक्षा के उपमदों में वर्ष 1982-83 के अन्त में आरम्भ किए गए कार्यक्रम है व कुछ अन्य कार्यक्रम है जो वर्ष 1983-84 में प्रस्तावित है. यद्यपि जल प्रापूर्ति योजनाओं पर राज्य योजना में मामूली वृद्धि की गई है किन्तु ग्राम पेयजल योजया को तीव्र गति देने हेतु केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत भारी अतिरिक्त विनियोजन किया गया है.

वर्ष 1984-85 के लिए जो वितरण किया गया था उसमें भी प्राथमिकता क्रम किसी भी रुप में बदला नही है. प्रथम क्रम एवम् जल व विद्युत विकास जो कि लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा ले लेती है. दूसरे क्रम में सामाजिक सेवाएँ है जिन पर प्रस्तावित व्यय का लगभग 23 प्रतिशत खर्च किया जाना था. प्राथमिकताओं के के अन्य क्रम तो महज पिछले वर्ष की पुनर्रावृति थे. हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में निरपेक्ष तथा प्रतिशत दोनों ही रूप में कम था.

योजनाकाल के कुल व्यय 3167.87 करोड़ रुपये में से 2705.97 करोड़ रुपये तो पूंजी विनियोजन होगा तथा शेष रकम चालू व्यय के रूप में खर्च की जायेगी.

छठी पंचवर्षीय योजना के विकास कार्यक्रम एवम् लक्ष्यः राजस्थान राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना में विकास सम्बन्धी निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए—

(1) कृषि एवम् सम्बद्ध क्षेत्र—खाद्यान्नों की राज्य में विद्यमान वृद्धि दर 3.7 प्रतिशत (खाद्यान्न), 1.3 प्रतिशत (तिलहन) तथा 4.4 प्रतिशत (कपास) थी जिसे बढ़ाकर क्रमशः 7.9 प्रतिशत, 15.8 प्रतिशत तथा 13.6 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिंचित क्षेत्र एवम् सिंचित दोनों में उत्पादकता बढ़ाने के प्रयत्न किये गये हैं. आधार भूत सुविधाओं का अच्छा उपयोग किया जाय इस बात के प्रयत्न करने पर जोर देने का लक्ष्य रखा गया. प्रमुख फसलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए जो निम्न तालिका संख्या 11 में दिखाए गए हैं.

तालिका संख्या-11

छठी पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन के लक्ष्य

मद	इकाई	उत्पादन लक्ष्य
		1980-85
खाद्यान	लाख टन	113.00
तिलहन	,,	8.87
गन्ना	,,	30.00
कपास	लाख गांठें	8.50

इन उत्पादन लक्ष्यों के अतिरिक्त रासायनिक खादों के प्रयोग, पौध संरक्षण, अच्छे बीजों का उपयोग आदि के भी लक्ष्य निर्धारित किये गये थे.

(2) सिंचाई—सिंचाई के क्षेत्र में यह निर्धारित किया गया कि वर्तमान में चल रही पूर्व योजनाओं को पूरा किया जाय. योजनाकाल में 9.83 लाख हैक्टेयर क्षेत्र भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया—

(3) पशु सम्पदा—पशु सम्पदा के क्षेत्र में नस्ल सुधार कार्यक्रम लक्ष्य निर्धारित किए गए. पशु उत्पादकों में वृद्धि के लक्ष्य तथा कार्यक्रम निर्धारित किए गए. अंडे तथा ऊन का उत्पादन योजना के प्रारम्भ में 126 मिलियन तथा 12.7 मिलियन किलोग्राम था जिसे योजना के अन्त में बढ़ाकर क्रमशः 155 मिलियन व 15.6 मिलियन किलोग्राम करने का लक्ष्य रखा गया.

(4) डेयरी विकास—छठी योजना में डेयरी विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दूध की लाभदायक दरें निर्धारित करना तथा उत्पादन में वृद्धि कर दूध के उत्पादकों को लाभ पहुंचाना है. योजना के प्रारम्भ से दूध का उत्पादन 31.5 टन था जिसे योजना के अन्त में बढ़ाकर 36 लाख टन करना रखा गया. औसत दैनिक दुग्ध संग्रहण 1979-80 में 3 लाख लीटर था जिसे 1984-85 में बढ़कर 10 लाख लीटर करने का लक्ष्य रखा है.

(5) मछली उद्योग—योजनाकाल में मछली उद्योग के विकास के लिए भी प्रयत्न किया जायेगा. मछली विकास ऐजेन्सियों के माध्यम से मछुआरों की स्थिति सुधारने के कई उपाय सुझाव गए है. मछली विकास निगम उनमें से एक है. योजना के प्रारम्भ में मछली का वार्षिक उत्पादन 2.3 हजार टन था जिसे बढ़ाकर योजना के अन्त तक 15 हजार टन करने का लक्ष्य रखा गया.

(6) सहकारिता—सहकारिता को जन आन्दोलन का रूप देने का प्रयास इस योजनाकाल में सुझाव गया है. ऐसी आशा व्यक्त की गई है कि योजना के अन्तिम वर्ष तक 90 प्रतिशत किसान परिवार सहकारी संस्थाओं के अन्तर्गत आ जायेंगे. योजना के प्रारम्भ तक यह प्रतिशत 70 ही था. योजनाकाल में सहकारी संस्थाओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भूमिका को स्वीकार किया है.

(7) विद्युत—आधारभूत सुविधा के रुप में बिजली की आवश्यकता तथा महत्व को स्वीकार किया गया. कृषि तथा उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्माणधीन जल तथा ताप विद्युत गृहों को पूरा करने का

लक्ष्य रखा गया. योजना के अन्त तक 22,041 गांवों को तथा 3:61 लाख कुओं को विद्युत सुविधाएँ उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया. योजना के अन्त तक 22,042 गांवों को तथा 3.61 लाख कुओं को विद्युत सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया

(8) उद्योग—राष्ट्रीय नीति के परिपेक्ष्य में पूंजी प्रधान उद्योगों की बजाय श्रम प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता दी गई. अतः खादी तथा ग्रामीण उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग तथा हैण्डलूम पर विशेष ध्यान देने के सम्बन्ध में लक्ष्य निर्धारित किए गए. खादी तथा ग्रामीण के उत्पादन का मूल्य योजना के प्रारम्भ में 13.5 तथा 12.5 करोड़ रुपये था जिसे बढाकर क्रमशः 27 तथा 66 करोड़ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया. इन क्षेत्रों में 1.26 लाख व्यक्तियों को पूर्णकालीन तथा 2.44 लाख व्यक्तियों को अंशकालीन रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया.

(9) खनिज—योजना अवधि में खनिजों का गहन सर्वेक्षण, छोटे खनिजों हेतु वित्तीय सहायता तथा खदानों के लिए पूंजी की व्यवस्था का प्रावधान रखा गया योजनाकाल में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के विस्तार के कार्यक्रम तथा लक्ष्य निर्धारित किए गए.

(10) सड़क विकास – योजना का लक्ष्य था कि 1500 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को तथा 1000 से 1500 आबादी वाले 50 प्रतिशत गांवों को सड़कों से सम्बद्ध किया जाय. अतः योजना अवधि में 9926 किलोमीटर लम्बी सड़क बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया.

(11) सामाजिक सेवाएँ—योजना अवधि में प्राथमिक शिक्षा, पेयजल की उपलब्धि तथा आवासीय सुविधाओं में वृद्धि करने के उपाय सुझाए गए तथा वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किए गए. सामान्य स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी योजनाकाल में लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा सुधार के लिए सुझाव भी दिए.

इन सभी कार्यक्रमों तथा लक्ष्यों के परिणामस्वरुप प्रतिव्यक्ति आय 1979-80 की कीमतों के आधार पर बढ़कर 2751 रुपये हो जाने का अनुमान लगाया गया.

वित्तीय व्यवस्था—योजना अवधि में राजस्थान सरकार द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय 3168 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार ने 720 70 रुपये अतिरिक्त अन्य प्राप्तियों में विशेष केन्द्रीय सहायता तथा केन्द्रीय करों में राज्य को मिलने वाला अंश प्रमुख था. अतः गम्भीरता से देखें तो मालूम होगा कि राज्य की छठी योजना प्रमुख रुप से केन्द्र से मिटने वाली राशि पर ही निर्भर है.

छठी पंचवर्षीय योजना की प्रगति—यद्यपि छठी पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है लेकिन चूंकि प्रगति का विवरण प्रथम 4 वर्ष तक का ही उपलब्ध है अतः यहां पर 31 मार्च 1984 तक की प्रगति का संक्षिप्त ब्यौरा ही दिया जा रहा है.

(१) कृषि—कृषि विस्तार कार्यक्रम के प्रसार से राज्य के कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है. खाद्यान्न का उत्पादन 1980-81 में 64.96 लाख टन हुआ जो बढ़ कर 1982-83 में 83.06 लाख टन हो गया तथा 1982-83 में 99.96 लाख टन. इसी प्रकार तिलहन व अन्य जिन्सों के उत्पादन में भी प्रगति उत्साहवर्द्धक रही है. तिलहन का उत्पादन 1982-83 में 6.29 लाख टन से बढ़कर 1983-84 में 7-95 लाख टन हो गया. गन्ने का उत्पादन 14.29 लाख टन से बढ़कर 17.15 लाख टन, कपास का उत्पादन 5.51 लाख गांठों से बढ़कर 5.95 लाख गांठें हो गया. यदि उत्पादन लक्ष्य तथा उपलब्धियों की तुलना की जाय तो ऐसा लगता है कि उत्पादन लक्ष्य किसी भी फसल के नहीं प्राप्त किए जा सके है कारण तो सम्भवतः एक ही लगता है और वह है अत्याधिक आशावान लक्ष्यों का निर्धारण. अधिक उत्पादन देने वाली फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 1980-81 में 19.07 लाख हैक्टेयर था जो बढ़कर 1981-83 में 24.43 लाख हैक्टेयर हो गया और 1983-84 में यह 28-91 लाख हैक्टेयर हो गया. 1984-85 के अनुमान 26.84 लाख हैक्टेयर ही है और इस कमी का कारण वर्षा की कमी नजर आती है. 1982-83 में 1.66 लाख टन उर्वरक का उपयोग किया गया जबकि

1983-84 में यह 221 लाख टन उर्वरक का उपयोग किया गया. 1984-85 के लिए लक्ष्य 3.06 लाख टन रखा गया.

सिंचाई—योजनाओं में सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया. 1990-81 तक राजस्थान में केवल 18.1 लाख हैक्टेयर क्षेत्र ही नहरी सिंचित क्षेत्र था जो बढ़कर मार्च 1983 को 1922 लाख हैक्टेयर हो गया. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सम्बन्धी कार्य भी आगे बढाया गया. माही बजाज सागर परियोजना से भी वर्तमान में सिंचाई की सुविधा मिलनी प्रारम्भ हो गई है 1983-84 में 1.5 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है. 1984-85 में यह अतिरिक्त क्षमता 62.74 हजार हैक्टेयर में सृजित हुई.

विद्युत—योजना के प्रथम तीन वर्षों में 3940 गांवों को विद्युतीकृत किया गया और 61.7 हजार कुओं को ऊर्जीकृत किया गया है. 1984-85 में 1244 गांवों का विद्युतीकरण किया गया जिससे विद्युतीकृत कुल गांवों की संख्या 20271 हो गई. 1984-85 में 18 हजार कुओं का ऊर्जीकरण किया गया. इससे वर्ष के अन्त में ऊर्जा प्राप्त कुओं की संख्या 2.79 लाख हो गई. बिजली के मामले में आत्म निर्भरता के प्रयास किये जा रहे है. 1985 मार्च तक कुल संस्थापित क्षमता 1753.17 मेगावाट हो गई.

खनिज एवम् उद्योग—खनिज एवम् उद्योग के क्षेत्र में भी सन्तोषजनक प्रति हुई है. 1981-82 में सीमेन्ट का उत्पादन 29.81 लाख टन था जो 1983-84 1983-84 में बढ़कर 41.51 लाख टन हो गया. 1983 में खनिज संभाग में 1.33 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था वह बढकर 1984 में 1.37 लाख हो गया. कई उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई. पंजीकृत उद्योगों की संख्या 1983 में 7377 तथा 1984 में 7733 हो गई. औद्योगिक उत्पादन की विकास दर 5 प्रतिशत अंकित की गई जबकि योजना लक्ष्य 8 प्रतिशत था. खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु उद्योगों को सहायता सुलभ कराई गई है. इनके उत्पादन में भी अपेक्षित वृद्धि हुई है.

गरीबी उन्मूलन—इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है. इसके अन्तर्गत 1982-83 में 1.83 लाख तथा 1983-84 में 1.33 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया गया.

अन्य कार्यक्रम—योजना काल में भू-संरक्षण के कार्य सम्पन्न किए गए. पशु चिकित्सा केन्द्र स्थापित किए गए तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया. आदिवासी क्षेत्र विकास, ग्रामीण रोजगार एवम् चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों द्वारा अनेक लोगों को लाभान्वित किया गया है. कई गांवों में पेयजल समाज कल्याण, शिक्षा डेयरी विकास व पशु पालन आदि कार्यों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है. प्रशासन गांवों की ओर अभियान चलाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सहज रूप से हल करने का प्रयास किया गया है.

योजना के 34 वर्षों की आर्थिक प्रगति के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अवधि में राजस्थान में विकास के लिए आधार काफी सुदृढ़ हो गया है. सिंचाई, विद्युत, सड़क, पीने के जल, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं के बढ़ने से भावी आर्थिक विकास के लिए उत्तम पृष्ठभूमि तैयार हुई है. अतः निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि राजस्थान में योजना कार्य को अपनाने से कुछ विशेष दिशाओं में महत्वपूर्ण उपलब्धियां जरुर हुई हैं. लेकिन फिर भी राजस्थान पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था का पिछड़ा क्षेत्र है.

उद्योग

राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य रहा. 1969 में पान्डे समिति ने भी राजस्थान राज्य को औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा राज्य माना था. उद्योगों पर योजना व्यय की कमी भी पिछड़ेपन का एक कारण माना गया है. वर्ष 1987-88 की वार्षिक योजना के लिए 645 करोड़ रु. की राशि में से केवल 33 करोड़ उद्योग व खनिज के लिए आवंटित किए है. निरन्तर सूखे के कारण उद्योग के विकास पर साधन कम आवंटित किये गये. राज्य में आधारभूत सुविधाओं में सुधार कर औद्योगिक विकास के स्तर को बढाने के प्रयास किए गए हैं. बिजली की कमी, वित्तीय संसाधनों की कठिनाइयां व बार बार पड़ने वाले अकाल के बावजूद राज्य में आधारभूत सुविधाओं के विकास एवम् वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु सुनियोजित प्रयास किए गए. ये संस्थाएं उद्योगों को संस्थागत वित्त एवम् तकनीकी सलाह प्रदान कर उद्योगों का संवर्धन कर रही हैं. वर्तमान में राज्य के रोजगारोन्मुख औद्योगिक विकास पर बल दिया जा रहा है, तदनुसार लघु एवम् ग्रामीण उद्योगों, हाथ करघा और शिल्प इकाइयों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

राज्य के तीव्र औद्योगिक विकास हेतु गत दो दशकों में, विशेपकर पिछले दशक में प्रयासों में तेजी लाई गई है, जिसमें आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास एवम् ऐसी संस्थाओं की स्थापना जिससे उद्योगों को संगठनात्मक वित्तीय एवम् तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके, की गई है. राज्य के द्रुतगति से औद्योगिकरण करने व नया रूप देने हेतु विभिन्न सगठनों की जो श्रृंखला स्थापित की गई है, उनमें राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवम् नियोजन निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान राज्य वित्त निगम, राजस्थान राज्य टैनरीज, राजस्थान राज्य माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड एवम् राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम आदि कुछ उदाहरण है, जिनसे राज्य के द्रुत औद्योगिकरण को नया रूप प्रदान किया गया है.

राजस्थान निर्माण के पूर्व रियासती राज्यों ने औद्योगिकरण की ओर ध्यान नहीं दिया. उस काल में कृषि ही सबसे बड़ा व्यवसाय था. कृषि के बाद पशु पालन व भेड़ पालन को महत्व दिया गया था. उद्योगों के नाम पर परम्परागत कुटीर उद्योग ही कार्यरत थे. 1943 में बीकानेर रियासत में औद्योगिक विकास हेतु तत्कालीन महाराजा शार्दुलसिंह ने राज्य में रियायतों की घोषणा की. परिणामस्वरुप जयपुर, जोधपुर तथा उदयपुर में उद्योग स्थापित करने पर भी विचार किया गया. इन रियासतो में सूती कपड़ा मिलें एवम् कुछ अन्य कारखानें स्थापित किये गये. इस काल में जो उद्योग स्थापित किए गये थे वे समूचे प्रान्त व देश की आर्थिक संरचना की व्यापक पृष्ठ भूमि पर आधारित नहीं थे.

राजस्थान के योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया वस्तुतः प्रथम योजनाकाल से ही प्रारम्भ हुई. इसके पूर्व राज्य में शक्ति के साधनों, यातायात, संचार तथा तकनीकी कर्मचारियों का नितान्त अभाव था. प्रदेश का आन्तरिक बाजार संकुचित था. राज्य के निर्माण के समय उद्योग के नाम पर 11 इकाइयां थी जिनमें से 7 वस्त्र मिलें, 2 चीनी मिलें तथा 2 सीमेन्ट फैक्टरियां थी. इसके अतिरिक्त दो कपास फैक्टरियां तथा रेल्वे के वर्कशॉप थे पूरे राज्य में पंजीकृत उद्योगों की संख्या 240 थी जिसमें 18000 श्रमिक कार्यरत थे. देश के औद्योगिक उत्पादन में राज्य का हिस्सा 0.5 प्रतिशत ही था.

किसी भी क्षेत्र में संसाधनों के पर्याप्त मात्रा में होने से ही उस क्षेत्र का औद्योगिकरण होना सम्भव नहीं होता. औद्योगिकरण के लिए आधारभूत ढांचे की सुदृढ़ता जरूरी है. राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही औद्योगिक विकास प्रारम्भ हुआ था. सरकारी सहयोग से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित

की गई. प्रथम योजना काल में राजस्थान वित्त निगम और राजस्थान औद्योगिक निगम की स्थापना की गई. इस काल में विद्युत पर 9 करोड़ 58 लाख रुपये व्यय किये गये. लघु उद्योगों के लिए 32.50 लाल रुपये व्यय किए गए प्रथम योजनाकाल में जहां औद्योगिक वातावरण तैयार किया गया वहां द्वितीय योजना काल में महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना की गई. इस अवधि में कोटा में नायलोन फैक्ट्री, उदयपूर में सूती मिल, जिंक स्मेल्टिंग, पेस्टीसाइड फैक्ट्री, डीडवाना में सोडियम सल्फेट तथा भरतपुर में वेगन फैक्ट्री का कार्य प्रारम्भ किया गया. राज्य के ग्यारह नगरों में औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई. तीसरी योजनाकाल से आधारभूत ढांचे को तैयार करने का प्रयत्न किया गया.

समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में नये उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु अनेक सुविधाएं एवम् रियायतें घोषित की गई, राज्य में 171 औद्योगिक क्षेत्रों का जाल बिछाया गया हैं. राज्य के समस्त जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई है जिनमे उद्योग विभाग तथा औद्योगिक विकास से सम्बन्धित नियमों के अधिकारी एक जगह पद-स्थापित है, जिससे उद्यमियों को सभी सुविधाएं आसानी से एक ही जगह सुलभ हो सके. इसी उद्देश्य को मद्दे नजर रखते हुए राज्य स्तर पर भी सभी सम्बन्धित अभिकर्तृत्वों को एक ही स्थान पर स्थित किया गया है. राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक नीति निर्दिष्ट की गई है.

राज्य सरकार द्वारा किये गए विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप 31 मार्च 1986तक 1,24,539 लघु औद्योगिक इकाइयां को पंजीकृत किया गया जिनमें48781.91 लाख रु. का विनियोग किया गया था. तथा 467,933 लोगों को रोजगार मिला. बड़े तथा मध्यम क्षेत्र में विनियोग 1400 करोड़ से भी अधिक हो चुका है.

मध्यम तथा वृहद् उद्योगों के क्षेत्र में राजस्थान औद्योगिक विकास एवम विनियोजन निगम (रीको) के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति सम्भव हुई है. निगम द्वारा अब तक कुल 200 परियोजनाओं को सहायता, ऋण एवम् अन्य सुविधाएं प्रदान की गई है जिसके फलस्वरूप करीब 660 करोड़ रुपयों का विनियोजन का अनुमान है.

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में वर्ष 1982-83 में महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई. बोम्बे हाई गैस पर आधारित रासायनिक खाद का कारखाना सवाई माधोपुर के पास ग्राम बिलोपा में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. इसके अतिरिक्त पाईराइट्स पार आधारित खाद के कारखाने को सलादीपुरा (जिला सीकर) में स्थापित करने हेतु निर्णय लिया गया है.

राज्य में कुल 7 सीमेन्ट के कारखाने उत्पादनरत है जिनकी कुल उत्पादन क्षमता देश की कुल सीमेन्ट उत्पादन क्षमता का लगभग 15 प्रतिशत है. आगे भी इस उद्योग के बड़े पैमाने पर विकास की सम्भावनाएं हैं. निकट भविष्य में तीन इकाइयां जिनकी उत्पादन क्षमता 20.20 लाख टन होगी, उत्पादन में आने की सम्भावना है. इनके अतिरिक्त 81.4 लाख टन की क्षमता की 15 इकाइयां क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है.

राज्य में ग्रामीण एवम् लघु उद्योगों से लेकर मध्यम श्रेणी के उद्योगों के विकास में राजस्थान वित्त निगम की भूमिका महत्वपूर्ण रही हैं. 31 मार्च 1985 तक निगम ने 24440 से अधिक इकाइयों को 278-72 को करोड़ रुपये के शुद्ध ऋण स्वीकृत किये थे तथा 20312 से अधिक इकाइयों को 22817 करोड़ रुपयों के ऋण वितरित किए. वित्त निगम की सहायता से अब तक करीब 600 करोड़ रुपयों का उद्योगों में विनियोजन हुआ है तथा लगभग एक लाख लोगों को उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए है. 1984-85 में 4728 इकाइयों को 54.18 करोड़ रुपयों के ऋण स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया जबकि ऋण 3915 इकाइयों को 39.18 करोड़ के दिये गये. विद्युत संकट को देखते हुए विद्युत उपलब्धि के प्रयासों में सहयोग हेतु निगम राज्य को लघु औद्योगिक इकाइयों को डीजल जेनेरेटिंग सेट्स लगाने के लिए भी ऋण उपलब्ध करा रहा है. राज्य सरकार की ओर से इस हेतु अनुदान भी दिया जाता है.

खादी ग्रामोद्योग व हाथ करघा उद्योग में रोजगार के विपुल अवसर होने से इसके विकास के लिए विशेष प्रयत्न किया जा रहा है. हाथ करघा क्षेत्र में आधुनिकीकरण के प्रयास जारी हैं. कुछ स्थानों पर पेट्रोकेमिल्स की सहायता से पोलिस्टर वस्त्र बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

राज्य के त्वरित औद्योगिक विकास में रेल मार्गों की कमी मुख्य बाधा है. यद्यपि कोटा-चित्तोड़ बड़ी लाइन मार्ग पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है किन्तु दिल्ली अहमदाबाद एवम् जयपुर-सवाई माधोपुर छोटी लाइन रेल मार्गों को बड़ी लाइन में परिवर्तित किए बिना औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त होना कठिन है. इसके अतिरिक्त राजस्थान नहर क्षेत्र में होने वाले कृषि उत्पादनों के आधार पर लगाने वाले उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी राजस्थान नहर क्षेत्र में नई रेल लाइनों का बिछाया जाना आवश्यक है यद्यपि केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, किन्तु राज्य के पिछड़ेपन को देखते हुए उपलब्ध संसाधनों के शीघ्र उपयोग के लिए यह आवश्यक कि केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकाधिक औद्यो- इकाइयां स्थापित करें.

विद्युत की कमी भी राज्य के औद्योगीकरण में बाधक रही है यद्यपि राज्य सरकार अधिकाधिक विद्युत उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील है फिर भी पड़ोसी राज्यों से उदारतापूर्वक राजस्थान को विद्युत उपलब्ध कराने में केन्द्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया जाना अपेक्षित है. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य मे ही विद्युत उत्पादन की परियोजनानाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने हेतु केन्द्र सरकार विशेष केन्द्रीय सहायता एवम् तकनीकी मार्ग-दर्शन उपलब्ध कराने मे पहल करें.

राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को दी जाने वाली सहायता एवम् सुविधाएँ—

पंयजीन : वे लघू उद्योग क्षिनमें संयत्र एवम् मशीनों पर 35 लाख रुपये तक का पूंजी विनियोजन हो अथवा जिन सहायक उद्योगों में संयंत्र एवम् मशीनरी पर 45 लाख रुपये तक का पूंजी विनियोजन हो उनका पंजीयन जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जाता है. इसके पश्चात ही पंजीकृत उद्योगों को सरकार दी जाने वाली सुविधाएं/रियायतें मिलने लगती है. दस्तकारों की इकाईयों के पजीयन हेतु भी सरल आवेदन पत्र उपलब्ध है. जिन उद्योगों में संयंत्र एवम् मशीनरी पर विनियोजन दो लाख रुपये से अधिक है एवम् जो औद्योगिक दृष्टि मे पिछड़े जिलों में स्थापित किए जाने हैं, 25 रुपये एवम् अन्य जिलों में 50 रुपये पंजीयन शुल्क देना होता है.

भू आवंटन : राजस्थान औद्योगिक विकास एवम् विनियोजन निगम लि. (रीको) द्वारा औद्योगिक संभावना वाले स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों लिए भूमि 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की जाती है, जिनकी अवधि समाप्ति पर पुनः 99 वर्ष के लिए नवनीकरण करने का प्रावधान है.

जो उपक्रमी औद्योगिक क्षेत्रों में अपना उद्योग स्थापित न कर अपनी कृषि भूमि (नगरपालिका सीमा से 8 किलोमीटर दूर) पर उद्योग लगाना चाहें, वे कुल भूमि का 2 प्रतिशत या 500 वर्गमीटर या भूमि का 30 गुना लगान जो भी अधिक हो. तहसील में जमा करा कर अपनी पाम बुय मे यह इन्द्राज करवा लेने पर उक्त भूमि उद्योग लगाने के लिए परिवर्तित मान ली जायगी.

वित्तीय सुविधाएँ—

राजस्थान वित्तनिगम द्वारा : औद्योगिक इकाइयों को सस्ते व्याज की दूर पर भवन निर्माण, संयंत्र एवम् मशीनो की खरीद के लिए 2 हजार रुपये मे लेकर 30 लाख रुपये तक के ऋण निगम उपलब्ध करवाता है. ऋण भुगतान की अवधि अधिकतम 10 वर्ष की होती है. इस हेतु जिला उद्योग केन्द्र को 25 हजार तक के ऋण स्वीकृत करने के अधिकार दिए गए हैं. तकनीशियनों को केवल सम्पत्ति की प्रतिभूति पर शत प्रतिशत बिना मार्जिन के 2 हजार से 2.50 लाख रुपये तक ऋण स्वीकार किये जाते हैं.

आयातित मशीनों एवम् संयंत्रों के लिए भी विश्व बैंक की योजना के अधीन सुगम शर्तों पर ऋण तथा आयात लाइसेन्स उपलब्ध करवाये जाते हैं.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा : मशीनों की खरीद तथा कार्यशील पूंजी के लिए ऋण दिए जाने की योजना है. कार्यशील पूंजी ऋण कच्चे माल एवम् बने हुए माल को बंधक रखने पर दिया जाता है. ग्रामीण क्षेत्रों में भेदात्मक व्याज की दरों की योजना के अन्तर्गत 5000 रुपए तक कार्यशील पूंजी के लिए दस्तकारों को स्वीकृत किया जा सकता है. कम्पोजिट फाइनेंस स्कीम के अन्तर्गत 25000/- रुपये तक के ऋण उदार शर्तों पर उपलब्ध कराए जाते हैं.

1. ऋण

1. उदार ऋण— जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु 15,000/- रुपये तक के ऋण उदार शर्तों पर स्वीकृत किये जाते है. 15 से 20 हजार रुपये तक के ऋण निदेशक, उद्योग द्वारा एवं 20 हजार रुपये से अधिक के ऋण राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते है.

2. पंचायत समितियों द्वारा : ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों को पंचायत समिति स्तर पर ही सुविधा मिल सके इसके लिये 2,000/- रुपये तक के ऋण तथा राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत 5 हजार रुपये तक के ऋण एवं अनुदान की स्वीकृति पचायत समिति स्तर पर दिये जाने के अधिकार दिये गये है.

3. नये स्थापित होने वाले या विस्तार करने वाले लघु उद्योगों को ब्याज मुक्त सुविधा— राज्य में 1 अप्रेल, 1985 से 31 मार्च, 1990 की अवधि में स्थापित होने वाले या विस्तार करने वाले लघु उद्योगों को उनके द्वारा देय बिक्रीकर के बराबर ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी जिसकी मात्रा उस इकाई की स्थाई परिसम्पत्ति के मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर 50 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक होगी. इन ऋण की अदायगी ऋण वितरण की तिथि के छटे वर्ष से प्रारम्भ होगी.

अनुदान

3. केन्द्रीय अनुदान योजना :

भारत सरकार के द्वारा 1-4-83 से 16 चयनित पिछड़े जिलों में केन्द्रीय अनुदान निम्न तीन केटेगरी में दिये जाने का निर्णय लिया है. यह योजना 1-4-83 एवं उसके बाद स्थापित उद्योगों पर लागू होगी.

केटेगरी "ए"

इसमें सिरोही जैसलमेर, चुरू व बाड़मेर जिले आते है. अनुदान 25 प्रतिशत अधिकतम 25 लाख रुपये है. अन्तिम दो जिलों में यद सुविधा 1-4-85 से देय है.

केटेगरी "बी"

इस केटेगरी में अलवर, जोधपुर, नागौर, उदयपुर एवं भीलवाड़ा जिले आते हैं. इसमें 15 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 15 लाख रुपये है.

केटेगरी "सी"

इसके अन्तर्गत बासवाड़ा, जालौर, सीकर, झुन्झुनु टोंक डूंगरपुर. एवं झालावाड़ जिले शामिल है. यहां पर अनुदान 10 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपये तक है.

उपरोक्त तीनों केटेगरी के अन्तर्गत जिन ब्लाकों/एगलोमरेशन/पंचायत समिति क्षेत्र में 31-3-83 को 30 करोड़ का विनियोजन हो चुका है उनको 1-4-83 से यह लाभ देय नहीं होगा.

4. राज्य अनुदान : उक्त नई केन्द्रीय विनियोजन अनुदान योजना की घोषणा के फलस्वरुप राज्य सरकार द्वारा राज्य अनुदान योजना को संशोधित हेतु दिनांक 1-4-83 से निम्न अनुदान सुविधा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है.

1. राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के शेष 11 जिलों में डी श्रेणी में जो जयपुर, कोटा, अजमेर, पाली, भरतपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, सवाई मधोपुर, बूंदी और धौलपुर पिछड़े जिलों की श्रेणी में नहीं आते है और जिन्हें राज्य सरकार ने श्रेणी "डी" में

वर्गीकृत किया है, में लघु उद्योगों को 15 प्रतिशत राज्य अनुदान की सुविधा 3 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक यथावत दी जाती रहेगी.

2. "सी" श्रेणी के जिलों में लघु उद्योगों को 10 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के अतिरिक्त 5 प्रतिशत व्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी. जो सम्बन्धित उद्योग के पांच वर्ष की अवधि तक चालू रहने पर अनुदान में परिवर्तित हो जावेगी।

3. "बी" व "सी" श्रेणी के जिलो में अनुसूचित जाति/जनजाति के उपक्रमियों द्वारा लघु उद्योग लगाने पर केन्द्रीय अनुदान के अतिरिक्त क्रमश: 5 प्रतिशत व 10 प्रतिशत व्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सुविधा दी जायेगी. लघुतम (Tiny) उद्योग स्थापित करने पर वित्तीय सहायता की राशि क्रमश: 10 प्रतिशत व 15 प्रतिशत दी जावेगी. सम्बन्धित उद्योगों के 5 वर्ष की अवधि तक चालू रखने पर व्याज मुक्त राशि अनुदान में परिवर्तित हो जावेगी.

4. आदिवासी क्षेत्रों में जहां 10 प्रतिशत केन्द्रीय विनियोजन अनुदान की सुविधा उपलब्ध होगी उन स्थानों में सभी प्रकार के उद्योगों को 5 प्रतिशत व्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य के स्रोतों के वित्तीय सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी जो सम्बन्धित उद्योगों के पाच वर्ष की अवधि तक चालू रहने पर अनुदान में परिवर्तित हो जावेगी।

5. नई केन्द्रीय अनुदान योजना के अनुरूप ही 'डी' श्रेणी के वर्गीकृत जिलों में उन ब्लाक्स / एगलोमरेशन/ पंचायत समिति क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों में दिनांक 31-3-83 तक जहां कुल पूंजी विनियोजन 30 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है वहां 31-3-83 के पश्चात किये जाने वाले विनियोजन पर राज्य अनुदान की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

5. तकनीकी व्यक्तियों को व्याज अनुदान —इस योजना के अन्तर्गत तकनीकी वेरोजगार व्यक्तियों द्वारा लघु उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि, भवन, प्लांट एवं मशीनरी के लिये बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज व 7 प्रतिशत व्याज के अन्तर की राशि पर देय है. अधिकतम देय राशि की सीमा एक वर्ष में एक इकाई को 20,00 रुपये है.

6.परीक्षण उपकरण अनुदान—लघुइकाईयों द्वारा परीक्षण उपकरणों की खरीद पर किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अथवा 10 हजार रुपये तक जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है. परन्तु यदि कोई 15 प्रतिशत अनुदान (केन्द्रीय अनुदान/राज्य अनुदान) का लाभ उठा चुकी है तो ऐसी इकाईयों को परीक्षण अनुदान की दर केन्द्रीय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान को घटा कर तय की जावेगी. यह अनुदान 31 मार्च 1990 तक उपलब्ध रहेगा.

7. आई. एस. आई. मार्का अनुदान– उत्पादित वस्तुओं की गुणवेता को प्रोत्साहन देने हेतु ऐसी इकाईयों को भारतीय मानक संस्थान में आई. एस. आई. हेतु पंजीयन, परीक्षण रिन्युवल फीस का 50 प्रतिशत अथवा 1000/ रु. की सीमा तक जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है.

III अन्य सुविधाएं.

1. लघु उद्योगों को विपणन में सहायता एवं सुविधा. यह सहायता निम्न प्रकार देय है:—

1. उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों को मूल्य वरीयता प्रमाण-पत्र प्रेषित करने पर आधे मूल्य पर निविदा प्रपत्र दिया जाना.

2. प्रतिभूति राशि व सिक्यूरिटिमनी से मुक्ति.

3. लघु उद्योग इकाईयों को 15 प्रतिशत तक भण्डार क्रय में मध्यम एवं वृहद्ध उद्योगों के मुकाबले में मूल्य वरीयता प्रदान करना.

2. राजस्थान विक्री कर से मुक्तिः—टैक्सटाईल सिरोमिक्स, सीमेन्ट, इन्जीनियरिंग, शकर, फरटीलाईजर और मेटल व खनिज पर आधारित लघु उद्योग इकाईयों की स्थापना हेतु क्रय की गई मशीनों पर राजस्थान विक्री

कर से मुक्ति रहेगी. कच्चा माल कर मुक्त नहीं हैं. यह सुविधा 31-2-90 तक उपलब्ध होगी.

3. मशीनरी पर चूंगी से मुक्तिः—लघु उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापित करने एवं उद्योग के विस्तार हेतु प्राप्त मशीन एवं संयंश चुगी से मुक्त रहेगी. कच्चे माल पर चूंगी मुक्ति पर फिलहाल छुट नहीं दी जाती है. यह सुविधा 31-3-1990 तक प्राप्त होगी.

4. बिजली के वास्तविक चार्जेज : लघु उद्योगों को बिजली के मिनिमम चार्जेज के स्थान पर वास्तविक चार्जेज वसूल करने की सुविधा सर्विस लाईन का पचास प्रतिशत व्यय बिजली के मासिक बिलों मे समायोजित करने तथा 250 के. वी. तक के कनेक्टेड लोड वाली इकाइयों को पावरकट से छूट आदि की सुविधाए दिनांक 31 मार्च, 1990 तक उपलब्ध होगी.

5. कच्चे माल की उपलब्धि : औद्योगिक भवन निर्माण हेतु कच्चे माल जैसे सीमेन्ट, कोयला, इस्पात, रासायनिक पदार्थ आदि निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाते हैं. आयातित मशीन व कच्चा माल भी केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित नीति के अनुसार उद्योगों को उपलब्ध कराया जाता है.

मशीनों एवं संयन्त्रों की उपलब्धि : राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा उदार शर्तों पर लघु उद्योगों को किराया खरीद प्रणाली से नई मशीन एवं संयंत्र उपलब्ध कराये जाते है.

5. जिला उद्योग केन्द्र/उपकेन्द्र—जिला उद्योग केन्द्र जिले में एक ऐसी संस्था है जो लघु तथा ग्रामीण उद्योग स्थापित करने के लिये आवश्यक सभी सेवाये और सुविधाये एक ही स्थान पर उपलब्ध कराती है. राज्य में सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं. औद्योगिक संभावनाओं को दृष्टि में रखते हुए राजस्थान के 27 जिला उद्योग केन्द्रों को 4 श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया गया है जो निम्न प्रकार है:—

स्पेशल श्रेणी	"ए" श्रेणी	"बी" श्रेणी	"सी" श्रेणी
1. जयपुर	1. अलवर	1. बांसवाड़ा	1. चूरू
	2. जोधपुर	2. नागौर	2. झालावाड़
	3. भीलवाड़ा	3. टौंक	3. बूंदी
	4. उदयपुर	4. सीकर	4. सिरोही
	5. कोटा	5. झुन्झुनु	5. डूंगरपुर
	6. अजमेर	6. भरतपुर	6. बाड़मेर
	7. पाली	7. बीकानेर	7. जैसलमेर
		8. चित्तौड़गढ़	8. जालौर
		9. गंगानगर	9. धौलपुर
		10. स. माधोपुर	

इसके अलावा राज्य मे सात अन्य स्थानों पर उप जिला केन्द्र है. जो निम्न हैं: – भिवाड़ी (अलवर), व्यावर (अजमेर), आबूरोड (सिरोही), मकराना (नागौर), बालोतरा (बाड़मेर), फालना (पाली) व हनुमानगढ़ (श्रीगंगानगर).

राज्य की औद्योगिक नीति

उद्योगों के विकास हेतु प्राथमिकता क्रम —(a) खादी व ग्रामोद्योग हाथ करघा एवम् हस्तशिल्प.

(b) लघुतम उद्योग—जिसमें मशीन व संयंत्रों पर पूंजी विनियोजन एक लाख रुपये से ज्यादा न हो और जो 50 हजार से कम आबादी वाले स्थानों में लगे हों.

(c) लघु उद्योग – जिसमें मशीन व संयंत्रों पर पूंजी विनियोजन 10 लाख तक है अथवा सहायक उद्योग होने की दशा में 15 लाख रुपये तक है.

2. क्षेत्रीय विकास नीति के सन्दर्भ में — (a) ग्रामीण' अर्धशहरी क्षेत्रों में लगने वाले उद्योगों को इसी क्रम में प्राथमिकता दी जायेगी.

(b) सार्वजनिक अथवा संयुक्त क्षेत्रों में लगने वाले उद्योगों का स्थान चयन, समुचित विकास को दृष्टिगत रख कर किया जायगा.

(c) विनियोजन अनुदान 15 प्रतिशत सभी जिलों पर लागू किए जायगा लेकिन यह अनुदान एक लाख से कम की आबादी वाले शहरों में अथवा गांवों में उपलब्ध होगा.

3. संसाधनों पर आधारित उद्योग—राज्य मे संसाधनों पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी जायगी इस दृष्टि से संसाधनों का सर्वेक्षण कराया जायगा. जिलों में विकास केन्द्र स्थापित किये जायेंगे जहां आधारभूत सुविधाएँ तथा साधारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जायेंगे.

4. कुशल कारीगर—राज्य में रंगाई, छपाई, बंधेज, कोटा डोरिया, हाथ के औजार के लिए कुशल कारीगर उपलब्ध हैं, ऐसे उद्योगों को अधिक पनपाने के लिए तकनीक में सुधार व प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायगी.

5. प्राथमिकता—पूंजी प्रधान और श्रम प्रधान उद्योगों में प्राथमिकता श्रम प्रधान उद्योगों को दी जायगी उदाहरण के लिए मशीनों से बनने वाले उद्योगो के स्थान पर हाथ से बनने वाले गलीचा उद्योग को प्रोत्साहन दिया जायगा.

6. सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग—केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का राजस्थान में अधिक विनियोजिन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेगी. सयुक्त क्षेत्र मे उद्योग लगाने हेतु और अधिक प्रयास किये जाते रहेंगे. राज्य सरकार, समिति वित्तीय साधनों का अधिकाधिक लाभ उठाने हेतु 10 प्रतिशत वाली द्वितीय प्रणाली को अपनायेगी.

सार्वजनिक क्षेत्रों की कार्य प्रणाली में सुधार एवं कुशलता लाने हेतु निम्न कदम उठाये जायेंगे.

(a) एक मेनेजमेंट सर्विस बनायी जायगी जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों (सार्वजनिक) एवम् अनुभव प्राप्त राज्य के अधिकारी लिये जायेंगें. इस सेवा के लिए प्रशिक्षण का भी विशेष प्रयास किया जायगा.

(b) राज्य में एक ब्यूरो आफ पब्लिक एण्टरप्राइजेज की स्थापना की जायगी.

7. रुग्ण उद्योग—जिस उद्योग में निर्धारित क्षमता से 20 प्रतिशत उत्पादन कम हो, तीन वर्ष तक ऋण का मूल अथवा ब्याज नहीं चुकाया हो, जो घाटे में चल रहा हो, ऐसी इकाइयों को रुग्ण समझी जायगी. इसके लिए निम्न प्रयास सुझाये गये हैं.

(a) ऐसी इकाइयों का सर्वेक्षण कराया जायगा.

(b) राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऐसी इकाइयों को दिये गये ऋणों की वसूली की समयावधि बढ़ाने व बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायगा.

(c) राजस्थान कन्सलटेन्सी संस्थान की स्थापना की जा रही जो ऐसी इकाइयों को तकनीकी सलाह देगी.

(d) रुग्ण इकाइयों से खरीदे हुए माल का भुगतान राजकीय विभाग निगमों, मण्डलों द्वारा एक माह मे कर दिया जायगा.

(e) सरकारी विभाग खरीद में इन इकाइयों को प्राथमिकता देगी.

(f) रुग्ण इकाइयों को पुनः स्थापित करने के लिए अरबन इन्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीयकरण पर विचार किया जा रहा है.

8. सहायक तथा एन्सीलरी उद्योग—राज्य में सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायगा. इस संबंध में सर्वेक्षण कराया जायगा.

9. सर्वेक्षण—उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक मानवीय एवम् भौतिक संसाधनों का सर्वेक्षण आवश्यक है. मांग व जिलों के संसाधनों का सर्वेक्षण किया गया है तथा इसी आधार पर उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायगा.

10. प्रशिक्षण : (a) वर्तमान में राज्य में प्रशिक्षण की कई योजनाएं चल रही हैं. उनका विस्तार किया जाना आवश्यक माना गया है. इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण योजनाएँ निम्न हैं— राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (I. T. I.) पोलीटेक्निक संस्थाओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे औद्योगिकरण की आवश्यकता को ध्यान में रख कर निश्चित और संशोधित किया जाएगा.

(b) तकनीकी स्नातकों में उद्योग लगाने के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु राज्य में लघु उद्योग संस्थान, जयपुर व राजस्थान एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन द्वारा विशेष प्रशिक्षण के पश्चात् उद्योग स्थापित करने में सहायता उपलब्ध कराई जाती है. इन कार्यक्रमों को निरन्तर विस्तार किया जायगा.

(c) राजस्थान लघु उद्योग निगम श्रम प्रधान गलीचा उद्योग को बढ़ावा देने हेतु श्रमिक प्रशिक्षण की सुविधा, गलीचा प्रशिक्षण की स्थापना कर उपलब्ध करायेगा.

(d) हस्तशिल्प के क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम विभिन्न हस्तकलाओं के प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है जिसमें मुख्य चन्दन की लकड़ी पर खुदाई ब्लूपोटरी, पीतल पर खुदाई व नक्काशी, ऊंट की खाल पर सोने का काम, गुड़िया बनाना व रंगाई छपाई मुख्य है. निगम द्वारा और शीघ्र ही खोले जायेंगे जिनके अन्तर्गत दक्ष शिल्पी लोगों के मार्ग दर्शन में प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा.

(e) राज्य के जनजाति क्षेत्रों में स्वयं के उद्योग खोलने हेतु कुछ प्रशिक्षण केन्द्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर व प्रतापगढ़ में शुरू किये गये है और ऐसे कई अन्य केन्द्र और स्थानों पर भी स्थापिण किये जायेगे.

(f) हाथ करघा बुनकरों के प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार के सहयोग से एक बड़ा प्रशिक्षण केन्द्र राज्य में स्थापित किया जायेगा.

(g) शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या हल करने व गृहणियों द्वारा आय के साधनों में वृद्धि कर पाने हेतु राज्य के पांच बड़े शहरों में स्वयं सेवा संस्थाओं के द्वारा गृह उद्योग प्रशिक्षण योजना चालू की गई. इनमें मुख्यत: निर्धन महिलाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण करके उनके द्वारा उद्योग खोलने में सहायता दी जाती है. ऐसे और दो केन्द्र बाड़मेर व गंगानगर में खोले गए हैं.

(h) खादी व ग्रामोद्योग के क्षेत्र में राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग मण्डल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहा है.

राजस्थान में औद्योगिक सम्भावनाए (जिलेवार) : विभिन्न अभिकरणों द्वारा राजस्थान के 26 जिलों (धौलपुर के लिए भरतपुर जिले की सम्भावनाएं ही मानी जा सकती है क्योंकि इसका अलग से वर्णन नहीं किया गया है) के लिए किये गये औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर आधारित राजस्थान के संभावित उद्योगों की सूचि निम्न है :

1. अजमेर

खनिज : खनिज पिसाई, सिरेमिक पोर्सलेन, चाक, सोडियमसिलिकेट, स्टोन क्रेशर, इन्सूलेटर्स, पत्थर चिराई एवम् पालिशिंग.

कृषि : फल उद्योग, कपास से सम्बन्धित उद्योग, मैदा मिल, बेकरी, कपड़ा उद्योग, तेल मिल, मसाला पिसाई, केटल फीड.

पशुधन : कुक्कुट शाला, चर्म उद्योग, जूते-चप्पल मिल्क पाउडर.

वन : फर्नीचर, हैडिल्स सा-डस्ट, फ्यूअल, लकड़ी के खिलौने.

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवम् यंत्र, डीजल इंजन, रोलिंग शटर्स, स्टील फर्नीचर, घरेलू बिजली के उपकरण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कन्ड्यूड पाइप, बोल्ट नट, एल्युमिनियम के बर्तन व फर्नीचर, कटलरी, वैज्ञानिक औजार, मेटेलिक यार्न, कास्टिंग.

अन्य उद्योग : प्लास्टिक की वस्तुएं, साबुन, परफ्यूमरी, आतिशबाजी, सूटकेस, कोल्ड स्टोरेज, रबड़ सोल्स, साईकिल ट्यूब, साइजिंग प्लान्ट, दवाइयां, कपड़े की रंगाई छपाई, पान मसाला.

2. अलवर

खनिज : बेरियम, सोप स्टोन, स्टोन ग्रिट क्रशिंग, कांच उद्योग, चूना, खनिज पिसाई, रिफ्रेक्ट्री.

कृषि : दाल मिलें, ग्वार गम, सरसों तेल, रोलर फ्लोर मिल्स, माल्ट वनस्पति, मसाला पिसाई, तेल रिफाइनरी.

पशुधन : शूकर मांस, डेयरी, जूते, हड्डी उद्योग, चमड़ा कमाई, ऊनी धागा.

वन : स्ट्रा बोर्ड, पेपर मिल्स, फर्नीचर.

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवम् यंत्र, सेफ्टी रेजर, बढई औजार, साइकिल के पुर्जे, घरेलू बिजली के उपकरण, इस्पात, स्टील डाई कास्टिंग वायर, स्कूटर पार्ट्स, छपाई की मशीनें, क्लच, प्लेट, स्प्रिंग्ज, रि-रोलिंग मिल, टिन के डिब्बे व पीपे.

अन्य उद्योग : लकड़ी की पेटियां, पोलिस्टर यार्न, फाउन्टेन पेन, प्लास्टिक की वस्तुएं पेपर प्रोडक्ट्स, अल्ट्रा-मेरिन ब्लू, ऐडेसिव टेप्स्, सिले सिलाये कपड़े, पी. वी. सी. पाइप, दवाइयां, बैटरियां, क्राफ्ट व पैकिंग पेपर, औद्योगिक गैसेज, बिजली के बल्ब, पेन्ट आदि.

3. बांसवाड़ा

खनिज : सीमेन्ट, सोप स्टोन पीसना, ग्रेफाइट, स्टोन ग्रिट क्रशिंग.

कृषि : चावल मिल्स, चावल के छिलके से सम्बन्धित अन्य इकाइयां, दाल मिलें, खण्डसारी उद्योग, कपास से सम्बन्धित उद्योग, कपड़ा उद्योग, तेल मिल.

पशुधन : जूता उद्योग, हड्डियां पीसना, मछलियां पैक करना, डेरी फार्म, मुर्गी पालन.

वन : बांसों से सम्बन्धित उद्योग, आरा मिलें, बीड़ी उद्योग, पैकिंग केसेज, लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां आदि,

इन्जीयरिंग : कृषि औजार एवम् यन्त्र, कीलें, रिपेयरिंग वर्कशाप, कास्टिंग, फाउन्ड्री.

अन्य उद्योग : ड्राई बेटरी, कृत्रिम धागा व कपड़े, प्लास्टिक की वस्तुएं, होजरी, साबुन, बर्फ, सीमेन्ट के नल.

4. बाड़मेर

खनिज : खनिज पिसाई, जिप्सम पाउडर.

पशुधन : ऊन उद्योग, जूता उद्योग, हड्डियां पीसना, चमड़ा उद्योग, बकरी के बालों पर आधारित उद्योग, मुर्गीपालन, डेयरी.

वन : बीड़ी उद्योग, ऊंट गाड़ियां.

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवम् यंत्र, बर्तन, रिपेयरिंग वर्कशाप.

अन्य उद्योग : रंगाई व छपाई उद्योग, अगरबत्ती, कारपेट वीविंग, सीमेन्ट के पाईप व जाली, कपड़े की रंगाई व छपाई, साबुन, फर्नीचर.

5. भरतपुर

खनिज : ग्लास, बल्ब, ट्यूब, एसबेस्टास, मौजिक की टाइलें, स्टोन ग्रिट, क्रशिंग, ईंट, पी.सी.सी. पोल्स.

कृषि : दाल मिलें, माल्ट खण्डसारी, सरसों का तेल, केटलफीड, सोल्वेन्ट एक्सट्रेक्शन.

पशुधन : जूते, चप्पल, डेयरी, हड्डियां पीसना, दुग्ध पदार्थ.

वन : फर्नीचर, खस व इत्र, स्ट्राबोर्ड.

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवम् यन्त्र, स्टील फर्नीचर, तोलने के बांट, हाथ के औजार, डीजल इन्जन, कीलें, पेच, साईकिल के पुर्जे तथा पार्टस, ताले, लोहे के नल, इमारती सामान, ओटो लीफ स्प्रिंग्ज, जी. आई. पाईप.

अन्य उद्योग : रबड़ के खिलौने व सोल, कोल्ड स्टोरेज, साईकिल ट्यूब व टायर, पेन्ट्स, दवाइयां, डिटरजेन्ट केक्स.

6. भीलवाड़ा

खनिज : एसबेस्टास, स्टोन ग्रिट क्रसिंग, अभ्रक पिसाई, माइका ब्रिक्स, सिरेमिक व पटरी उद्योग.

कृषि : रस्सा उद्योग, दाल मिल, खण्डसारी, कपास से सम्बन्धित उद्योग मैदा मिल एवं बेकरी, पशु आहार, फल सब्जियों पर आधारित उद्योग.

पशुधन : हड्डियां पिसाई, ऊनी धागा, जूते, व दुग्ध पदार्थ, चर्म उद्योग.

वन : लकड़ी की केसिंग, केपिंग, लकड़ी की गाड़ियां, बीड़ी उद्योग, टोकरी उद्योग.

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवं बढ़ई औजार, साईकिल के पुर्जे, स्टील फर्नीचर. एल्यूमीनियम के फर्नीचर कीलें, पेच, तार, पीतल के वर्तन व कास्टिंग, नल, टूटियां, टीन के डिब्बे व पीपे.

अन्य उद्योग : हाथ का कागज, सूती व रेशमी होजरी, दरी व गलीचा, कपड़े की रंगाई व छपाई, एसवेस्टास, सीमेन्ट पाइप, निवार व रस्सियां, सर्जिकल रुई, पेपर प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक के कंघे खिलौने, चूड़ियां आदि इन्सेक्टीसाइड्स, साईजिंग फैक्ट्री.

7. बीकानेर

खनिज : पोटरीज व सिरेमिक्स, इन्सुलेटर, फायर ब्रिक्स, जिप्सम, प्लास्टर आफ पेरिस, क्ले वाशिंग, कांच उद्योग.

कृषि : फोडर ग्रास उद्योग. चावल मिलें, तेल मिलें, दाल मिलें, खण्डसारी, केटल फीड.

पशुधन : हड्डी व चमड़ा उद्योग, डेयरी, ड्राई मिल्क, पाउडर, ऊनी धागा, कम्बल, गलीचे का कपड़ा.

वन : फर्नीचर व आरा मशीन.

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवम् यंत्र, रिपेयरिंग, स्ट्रील फर्नीचर, मोटर पार्ट्स, कन्डयूट पाइप.

अन्य उद्योग : भुजिया, पापड़ व रसगुल्ला, पोलिथिन की थैलियां, सेन्टेड सुपारी. अगरवत्ती, प्लास्टिक की घरेलु वस्तुएं, मिश्रित खाद, रेडियो, ट्रांजिस्टर एसेम्बली, टायर रिट्रेडिंग, पान का मसाला.

8. बूंदी

खनिज : मोजिक टाइल्स, सीमेन्ट उद्योग, स्टोनग्रिट क्रशिंग.

कृषि : खण्डसारी, मसाले पीसना, तेल मिल. चावल मिलें, कपास पर आधारित उद्योग, बिस्किट फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज.

पशुधन : चमड़ा रंगाई, जूते, हड्डियों का चूरा.

वन : मूंज की रस्सी, माचिस उद्योग, आरा मशीन, कत्था.

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवम् यंत्र, साईकिल के पुर्जे, स्टील की अलमारी एल्यूमीनियम के वर्तन, लकड़ी के पेच व स्क्रू.

अन्य उद्योग : पेंट व वानिश, बर्फखाना, लेस व टेप, प्लास्टिक के खिलौने, सीमेंन्ट के पाइप व जाली, सूती वनियान, नाइलोन के बटन, दरी व निवार, सिले हुए कपड़े.

9. चित्तौड़गढ़

खनिज : सीमेंट, स्टोन ग्रिट क्रशिंग, पत्थर चिराई व पोलिशिंग.

कृषि : खण्डसारी, अलसी तेल, मूंगफली तेल. कपास से सम्बन्धित उद्योग, मेदा मिल एवम् बेकरी, होजरी, स्ट्रावोर्ड, दाल मिल, सर्जिकल काटन.

पशुधन : चमडा उद्योग, जूते ऊन के गलीचे एवम् दरियां, कम्बल, डेयरी.

वन : लकड़ी की केसिंग, केपिंग, लकड़ी की गाड़ियां, बक्स, बास्केट, बीड़ी उद्योग, गोंद की सफाई.

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवं यंत्र मशीनों के पुर्जे, स्टील फर्नीचर हाथ के औजार.

अन्य उद्योग : साबुन, होजरी सीमेंट के नल व जालियां, प्लास्टिक के जूते, केन व पाइप, कपड़ा रंगाई व छपाई.

10. चूरू

खनिज : जिप्सम पीसना, ईंटे बनाना प्लास्टर बोर्ड, चाक.

कृषि : हाथ करघा, ग्वार गम, कोल्ड स्टोरेज.

पशुधन : ऊन, ऊन की दरियां गलीचे, ऊनी नमदे चमड़ा उद्योग, हड्डियां पीसना, डेयरी.

वन : सरकण्डे का फर्नीचर.

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवम् यन्त्र.

अन्य उद्योग : पेन्ट व वार्निश. प्लास्टिक बोर्ड, पाइप, साबुन.

11. डूंगरपुर

खनिज : हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टोन ग्रिट क्रशिंग.

कृषि : दाल मिल, खाने का तेल, कपास, जिनिंग.

पशुधन : चमड़ा उद्योग, हड्डियां पीसना, ऊन की सफाई व कताई, डेयरी.

वन : बीड़ी, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी का फर्नीचर.

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवम् यंत्र, शटल्स, तकुआ उद्योग, स्टील की अलमारी, कुर्सियां.

अन्य उद्योग : पाइप, बेकरी, साबुन, कपड़ा रगाई व छपाई, प्लास्टिक के खिलौने, पी. वी. सी. के जूते.

12. जैसलमेर

खनिज : प्लास्टर आफ पेरिस, संगमरमर कटिंग, जिप्सम.

कृषि : फोडर ग्रास.

पशुधन : चमड़ा उद्योग, ऊन कताई व बुनाई, डेयरी उद्योग.

वन : मूंज की रस्सियां बनाना.

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवम् यंत्र, स्टील चद्दर का सामान.

अन्य उद्योग : सीमेन्ट की जालियां, नमक बनाना, हाथ करघा के वस्त्र, वस्त्र पर छपाई, साबुन व सुगन्धित तेल.

13. जयपुर

खनिज : स्पंज लोहा, सोडा एश, नमक से सम्बन्धित उद्योग, सोप स्टोन ग्राइंडिंग, जवाहरात कटिंग, पोलिशिंग, स्टोन ग्रिट क्रशिंग, ग्लेज्ड टाइल्स, एब्रेजिव व्हील्स.

कृषि : दाल मिलें, माल्ट. मूंगफली तेल, मैदा मिल एवं बेकरी, प्याज सुखाना, कपड़ा उद्योग, वनस्पति उद्योग, मसाला पिसाई, ग्वार गम, माल्ट एक्सट्रेक्ट,

पशुधन : कुक्कुट शाला, हड्डियां पीसना, चमड़ा रंगाई, जूते, चप्पल व चमड़े की उपयोगी वस्तुएं बनाना, ऊनी धागा, गलीचा व कम्बल बनाना.

वन : कागज, लकड़ी का फर्नीचर व इमारती सामान.

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवं यन्त्र, पम्पिंग सेट, स्टील फर्नीचर, पीपे. सर्वे औजार, प्रिन्टिंग मशीन, लाउडस्पीकर, हाथ के औजार, बिजली के पंखे, डीजल इन्जिन घरेलू बिजली के उपकरण, ट्रांसफारमर, कन्डयूट पाइप, ताले, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कांटेदार तार, यन्त्रचालित खिलौने, एल्यूमिनियम की ऐनोटाइज्ड वस्तुएं व बर्तन, सिन्थेटिक जरी, चोक व ट्यूब लाईट फिटिंग, अस्पताल के औजार, पीतल के बर्तन, पुर्जे व नल का सामान, क्लच प्लेट, स्प्रिंग, तार, स्क्रू व नट-बोल्ट, ऑटो साईकिले व साईकिले.

अन्य उद्योग : रंगाई-छपाई, कपड़ा धोने का पाउडर. रबड़ के पाइप व वैल्डिंग, प्लास्टिक के खिलौने व घरेलू उपयोगी वस्तुएं, हाथ करघा वस्त्र, हस्तशिल्प की निर्यात की वस्तुए, रबड़ के गद्दे व तकिये, गम टेप्स, टेलीवीजन व पार्टस, पी. वी. सी. ट्यूब्ज, चद्दरें व टाइलें, नाइलोन होजरी, साईकिल के ट्यूब व टायर, रबड़ के सोल व चप्पल, रगाई-छपाई के रंग व रसायन, दवाइयां, बैन्डेज, पान का मसाला, अगरबत्ती, नहाने का साबुन व पाउडर, सुगन्धित तेल, शैम्पू, पाउडर व क्रीम, सिले-सिलाये वस्त्र.

14. जालौर

खनिज : ग्रेनाइट कटिंग व पालिश करना, ईंट उद्योग.

कृषि : सूती कपड़ा, तेल मिल, दाल मिल, ग्वार गम, मसाला पिसाइ, केटल फीड.

पशुधन : जूता उद्योग, ऊनी कम्बल, दरियां, पशु चारा, डेयरी उद्योग.

वन : लकड़ी का फर्नीचर व गाड़ियां.

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवम् यन्त्र, पीतल के बर्तन, स्टील अलमारी.

अन्य उद्योग : हाथ करघा वस्त्र, कपड़ा रंगाई, साबुन, सूती निवार, रस्सियां व दरिया, प्लास्टिक की चूड़ियां, पेन व बालपेन, सीमेन्ट की जाली व नल.

15. झालावाड़

खनिज : पत्थर काटना व पालिश करना, स्टोन ग्रिट क्रशिंग.

कृषि : नारंगी व अन्य फल प्रिजर्वेशन उद्योग, दाल मिलें, तेल मिल, मसाला पिसाई, कपास सम्बन्धित उद्योग.

पशुधन : पशु चारा, हड्डियां पीसना, जूता उद्योग.

वन : कारपेन्टरी, बीड़ी, बांस की वस्तुए, गोंद, कत्था.

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवम् यंत्र, स्टील की अलमारी व सामान, मोटर रिपेयर्स वर्क शाप.

अन्य उद्योग : रेडीमेड कपड़ों की इकाई, सूती बनियान, साबुन, प्लास्टिक की उपयोगी वस्तुए, अगरबत्तियां, टायर रिट्रेडिंग.

16. झुन्झुनु

खनिज : तांबा तार, तांबा, फाउन्ड्री, चूना, सोडियम सिलिकेट, सुपर फोसफेट, फायर ब्रिक्स.

कृषि : कपड़ा उद्योग, ग्वार गम, दाल मिल.

पशुधन : चमड़ा उद्योग, ऊनी नमदा.

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवम् यंत्र, प्रेशर कुकर, पीपे, लाउडस्पीकर, इलेक्ट्रोनिक, इस्पात को पीसने वाली रॉड व छड़ें, पंपिंग सेट, आटोमोबाइल रिपेयरिंग वर्कशाप, आइल फाऊंड्री.

अन्य उद्योग : दरी, लेस, निवार, बनियान, साबुन, बेकरी, टी. वी. पार्ट्स, केबनेट व एसेम्बलिंग टेप रिकार्ड्स

17. जोधपुर

खनिज : सफेद सीमेन्ट, स्टोन क्रेशर, प्लास्टर आफ पेरिस, सोडियम सिलीकेट, चूना, दाल मिलें.

कृषि : ग्वारगम, मसाले पीसना, कपड़ा उद्योग, पशु चारा उद्योग, डबल रोटी, तेल.

पशुधन : डेयरी, चमड़ा उद्योग, ऊनी धागा व बुनाई, जूते, कसीदे की जूतियां, बैग आदि.

वन : लकड़ी का फर्नीचर, टूल हैंडिल्स, केमिंग, केपिंग, पैंकिग बाक्स, रोसा तेल.

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार व यंत्र, पीपे, सर्वे औजार, डीजल ईंजन, घरेलु बिजली उपकरण, साईकिल के पुर्जे. हाथ के औजार, कण्ड्यूट पाइप, सर्जीकल ब्लेड, कास्ट आइरन फाउन्ड्री, पीतल के बर्तन कास्टिंग, बिजली के तार व केबल्स, ताले, साइकिलें, मोटर पार्ट्स, प्लास्टिक की मशीनें व डाइयां.

अन्य उद्योग : रंगाई व छपाई, रंग बनाना, पोलिथिन की थैलियां, पी. वी. सी. पाइप व फुटकर, टायर रिट्रेडिंग, रंगाई व छपाई, रसायन, साबुन, इलेक्ट्रोनिक पार्ट्स, जिंक के बादले व खिलौने, सीमेन्ट के स्पन पाइप, पेन्ट व वार्निश, कोल्ड स्टोरेज, रबड़ के पदार्थ, एलम.

18. कोटा

खनिज : केल्शयम कार्बोनेट, लिम्पो, पत्थर पट्टी उद्योग, स्टोन ग्रिट क्रशिंग, स्ट्रावोर्ड, चूना उद्योग.

कृषि : चावल मिल, चावल के छिलके से सम्बन्धित उद्योग इकाइयां, मसाला ऊद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, चावल के चूरे की ईंटे, शोधनीय रुई, मिर्च एवम् धनिया पाउडर, कार्नफ्लेक्स, मूंगफली से दूध व दही बनाना, तेल मिलें व सोलवेन्ट, एक्सट्रैक्सन प्लान्ट व रिफाइनरी खण्डसारी.

पशुधन : डेयरी, चमड़ा, कुक्कुटशाला, बोन मिक्स, जूता उद्योग.

वन : पेपर उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, कत्था उद्योग, आक्जोलिक एसिड, लकड़ी के बुरादे से बीड़ी उद्योग.

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवं यन्त्र, सर्वे औजार, बिजली के पंखे, घरेलु बिजली के पंखे, घरेलु बिजली उपकरण, बढ़ई औजार, बड़े औजार, लाईनर, पिस्टन यूनिट, कांटेदार तार, एनोडाइज्ड, एल्यूमीनियम की चीजें व हारवेस्टर्स थ्रेशर्स, फेरस व नान-फेरस फाउन्ड्री, जी. आई. पाइप व फिटिंग. तार खिचाई, केबिल्स, बिजली के तार, कीलें, पेच, नट व बोल्ट, टीन के पीपे व डिब्बे.

अन्य उद्योग : सिन्थेट्रिक यार्न, डेन्टल क्रीम, लिक्विड साबुन, पी. वी. सी. के पाइप, जूते, टाइलें व चद्दर औद्योगिक गैसें, नाइलोन के मोजे व होजरी, पोलिथिन के थैले, ब्लीचिंग पाउडर, पेन्ट व वार्शिग, कोल्ड स्टोरेज. कृत्रिम साबुन, साईकिल ट्यूब, दवाईयां.

19. नागौर

खनिज : मार्बल कटिंग व पालिशिंग, चाक, केल्शियम कार्बोनेट, प्लास्टर बोर्ड, चूना, सोडियम सल्फेट.

कृषि : ग्वार गम, प्याज सुखाना, सूती कपड़ा उद्योग.

पशुधन : डेयरी व ऊन उद्योग, हड्डी का चूरा, चमड़ा कमाई, जूता उद्योग.

वन : लकड़ी का फर्नीचर, सूंज-बान की रस्सी.

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवं यन्त्र, सेफ्टी-रेजर, तोलने के बांट, यांत्रिक खिलौने, घरेलु बिजली के उपकरण, कम्प्रेसर, हेक्साब्लेड, टीन कन्टेनर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, स्टोन कटिंग मशीनें, फ्लोर मिलें.

अन्य उद्योग : कपड़ा रंगाई व छपाई, नमक बनाना, साबुन, प्लास्टिक की वस्तुएं, पी. वी. सी. के जुते, होजरी, एमरी स्टोन, चक्कियां.

20. पाली

खनिज : सीमेन्ट के पाइप व टाइले, चूना मार्बल व पत्थर चिराई व पालिशिंग.

कृषि : ग्वार गम, तिल तेल, कपास से सम्बन्धित उद्योग, मसाले पीसना, मेंहदी पिसाई, जल संरक्षण, रोंसा पाम तेल.

पशुधन : चमड़ा उद्योग, डेयरी फार्मिग, ऊन उद्योग.

वन : लकड़ी चिराई व फर्नीचर.

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवं यन्त्र, स्टील फर्नीचर, लोहे के तार व तार सम्बन्धी उद्योग, पीतल के बर्तन, कास्टिंग, रिरोलिंग मिलें, मोटर पार्ट्स, हार्डवेयर का समान,

अन्य उद्योग : कपड़ा रंगाई-छपाई, छपाई सम्बन्धी रंग व रसायन, व्हाईटिंग एजेन्ट्स, नील, ब्लीचिंग पाउडर, छाता व छाते के पुर्जे, प्लास्टिक के छाते के हैन्डिल व पार्ट्स, सिले सिलाये कपड़े, दवाईयाँ, टेक्सटाइल शटल, प्लास्टिक की चूड़ियां, पेन व बालपेन, कागज व गत्ता बनाना,

21 सवाई माधोपुर

खनिज : कांच की बोतलें, सिलिका सैण्ड, बेनीफियासियेशन रिफैक्ट्री.

कृषि : फल उद्योग, मूंगफली तेल, मसाले पीसना, डेयरी.

पशुधन : चमड़ा रंगाई, जूते, हड्डी उद्योग.

वन : बीड़ी उद्योग, खस का इत्र, लकड़ी के खिलौने, पैंकिंग केस, स्ट्रावोर्ड, टोकरी व टूल हैंडिल्स.

इन्जीनिरिंग : कृषि औजार एवं यन्त्र, कीलें व पेच, स्टील फर्नीचर, मशीन पार्ट्स व रिपेयरिंग वर्कशाप.

अन्य उद्योग : सीमेंट के पाइप, नालियां, पी.सी. सी. पोल्स व टाइल्स, कपड़े की छपाई. साबुन, केटलफीड, होजरी.

22. सीकर

खनिज : सफेद सीमेंट, ग्लेज्ड टाइल्स, स्टोन ग्रिट क्रशिंग खनिज पिसाई.

कृषि : प्याज सुखाना, ग्वार गम, तेल मिलें.

पशुधन : ऊनी धागा, गलीचे, कम्बल व कपड़े, चमड़ा रंगाई, जूते.

वन : चिक व मुड्ढा बनाना, लकड़ी का फर्नीचर लकड़ी के खिलौने,

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवं यंत्र, तांबे का तार, स्टील फर्नीचर, एल्यूमिनियम के औजार, रिपेयरिंग वर्कशाप, रोलिंग शटर्स.

अन्य उद्योग : आयुर्वेदिक दवाइयां, सीमेंट की जालियां, नल व गोटा, साबुन; कपड़े पर बंधाई व छपाई.

23. सिरोही

खनिज : सीमेंट, टाइल, चूना उद्योग, संगमरमर चिराई व पोलिश.

कृषि : फल उद्योग, नीरा, ताड़ गुड़, तेल घानी, कपास पर आधारित उद्योग.

पशुधन : चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, जूते व के थैले.

वन : पेन्सिल उद्योग, कागज उद्योग, स्ट्रावोर्ड, वांस की टोकरियां व चटाइयां, इमबग्रोस.

इंजीनियरिंग : कृषि औजार एवं यन्त्र, बाल्टियां रोलिंग शटर, रिपेयरिंग वर्कशाप व कास्टिंग फाउन्डरी.

अन्य उद्योग : चश्मे की फ्रेम, प्लास्टिक बटन व शीट, तारपोलिन, सीमेंट के पाइप, सिले सिलाये कपड़े, दवाइयां, होजियरी, चूड़ियां.

24. श्रीगंगानगर

खनिज : प्लास्टर आफ पेरिस, जिप्सम पीसना, सोडियम सिलीकेट, मोजाइक टाइलें, ईंट उद्योग.

कृषि : चावल मिलें, चावल के छिलके से अन्य सम्बन्धित इकाइयां, दाल मिलें, खण्डसारी, माल्ट, फल उद्योग, कपास से सम्बन्धित उद्योग, वनस्पति घी, केटल फीड, रोलर, फ्लोर मिल.

पशुधन : हड्डियां पिसाई, चमड़ा उद्योग, जूते.

वन : फर्नीचर, स्ट्रावोर्ड, इमारती लकड़ी का सामान.

इंजीनियरिंग : कृषि औजार एवम् यंत्र, प्रेशर कुकर, मोटर पार्ट्‌स, ट्रेक्टर रिपेयरिंग वर्कशाप, स्टील फर्नीचर, टिन के पीपे, इमारती हार्डवेयर, चाफ कटिंग मशीनें व ब्लेड्स, रोलिंग शटर.

अन्य : साईकिल के पुर्जे, स्टील फर्नीचर, टेक्टर ट्रोली, डिस्टलरी, कोल्ड स्टोरेज, पेन्ट्स वार्निश, होजरी, अस्पताली रुई, पेस्टीसाइड, मिक्सड खाद, ऑटो बैटरी, वेस्ट काटन धागा.

25. टोंक

खनिज : माइका ग्राइंडिंग, गारनेट पालिशिंग, खनिज पिसाई.

कृषि : तेल मिलें, दाल मिलें.

पशुधन : चमड़ा उद्योग, डेयरी; कोल्ड स्टोरेज; ऊनी कताई व बुनाई; नमदा, मीट पैकिंग, मशीनों से जूते बनाना.

वन : बीड़ी उद्योग, लकड़ी का फर्नीचर.

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवम् यंत्र, शीट के बक्से व बाल्टी, एल्युमिनियम के बर्तन.

अन्य : सूती दरी, निवार, वेन्डेज, रस्सी उद्योग, चमड़े के गारमेन्ट व उपयोगी वस्तुएं, साबुन, बिस्कुट, बेकरी, होजरी, प्लास्टिक की उपयोगी वस्तुए.

26. उदयपुर

खनिज : जस्ता डस्ट, जस्ता बेटरी, राक फास्फेट पल्वराइजिंग सोप स्टोन, पल्वराइजिंग स्टोन ग्रिट क्रशिंग.

कृषि : खण्डसारी, कपास से सम्बन्धित उद्योग, मैदा मिल एवम् बेकरी.

पशुधन : चमड़ा रंगाई, जूते व हड्डी उद्योग व मछली पैकिंग.

वन : लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के हैंडिल व फर्नीचर, जूट बुनाई व रस्सियां.

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवम् यंत्र, सर्व औजार, यांत्रिक खिलौने, स्टील फर्नीचर, नोवल्टी आइटम सेफ्टी रेजर, रोलिंग शटर, लोहे की अलमारियां, कीलें व तार, मोटर पार्टस व रिपेयरिंग वर्कशाप.

अन्य : पोलिथिन की थेलियां, घड़ियों की असेम्बलिंग, पेस्टीसाइड्स, आयुर्वेदिक दवाइयां, श्रृंगार प्रसाधन, आइन्टमेन्ट, सोडियम नाइट्रेट, एलम, पोलियीलिन की बनी बोरियां, सोडियम ट्रीपोली फोस्फेट.

उद्योगों का वर्गीकरण : उद्योग की विभिन्न श्रेणियों के आधार पर राजस्थान में उद्योगों को उपभोग उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, इन्जीनियरिंग उद्योग,

रसायन उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग तथा हस्तशिल्प या हस्तकला के लघु उद्योग में बांटा जा सकता है.

उपभोग उद्योग : इसके अन्तर्गत सूती वस्त्र, होजरी, चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग, ऊन मिल, डेयरी, ग्वार गम तथा दाल मिलें आदि को सम्मिलित किया गया है.

खनिज आधारित उद्योग : राजस्थान में खनिजो का अतुल भंडार है. इन भंडारों का अधिकांश भाग भारत के अन्य भागों तथा विदेशों में जाता रहा है. खनिजो की बहुतायत के बावजूद इनका न तो खनन वैज्ञानिक ढग से किया जाता रहा है और न ही इन पर आधारित उद्योग स्थापित किए गए हैं. अब सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है और उद्योगपति इनसे लाभ उठाने के लिए आगे आ रहे हैं. प्रमुख खनिज आधारित उद्योगों के अन्तर्गत सीमेन्ट, अभ्रक, जस्ता व शीशा, तांबा. घीया पत्थर (सोप स्टोन) और नमक आदि है.

इन्जीनियरिंग उद्योग : राजस्थान में इन्जीनियरिंग उद्योगों के अन्तर्गत बड़ी इकाइयां बहुत कम है, मध्यम तथा लघु इकाइयां ही अधिक है. इसकी शुरुआत 1943 में जयपुर मेटल्स ने प्रारम्भ हुई. बाद में नेशनल बाल बियरिंग कारखाना खोला गया जो एशिया मे अपने किस्म का एक हैं. अब जोधपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर इन्जीनियरिंग उद्योग के प्रमुख केन्द्र है. परन्तु इनमें से अधिकांश मध्यम तथा लघु इकाइयां ही है. अन्य इन्जीनियरिंग उद्योगों में मोटर पार्टस्, मिनी स्टील प्लांट, रेडियो, टेलीविजन, स्प्रिग, स्टील फर्नीचर, रोलिंग मिल्स, ग्लास आदि इकाइयां है. राज्य में ट्रेक्टर कारखाना प्रस्तावित है.

रसायन उद्योग व सिन्थेटिक रसायनिकों की बढ़ती हुई महत्ता के कारण राजस्थान में रासायनिक उद्योग के विकास की ओर ध्यान दिया गया है सोडियम सल्फेट का कारखाना डीडवाना में स्थापित किया गया. राजस्थान में उर्वरक उत्पादन में कोटा के श्रीराम केमिकल्स यूरिया उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. इसी प्रकार जिंक स्मेलटर से रसायनिक खादो का उत्पादन किया जा रहा है. भारत सरकार एक नए खाद के कारखाने पर सहमत हो गई है. प्लास्टिक की इकाइयां राज्य में छोटे दर्जे की हैं. राज्य में पोलिथीन की थेलियां तथा वलकनाइज्ड रबड़ तथा रबड़ के जूते बना रही है. पेस्टीसाइड के अन्तर्गत उदयपुर में सहकारी क्षेत्र में उद्योग चल रहा है लेकिन पेस्टीसाइड की अन्य इकाइयां भी कार्यरत है. गंगानगर शुगर मिल्स चीनी तथा रेक्टीफाइड स्प्रिट आदि का भी उत्पादन करती है.

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग—केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के अन्तर्गत हिन्दुस्तान जिंक लि. हिन्दुस्तान कापर लि. इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि मशीन टूल्स; सांभर साल्ट्स तथा मोडर्न बेकरी है. राज्य सरकार के प्रतिष्ठानो के उद्योगों में गंगानगर शुगर मिल्स हनुमानगढ़ पचमी डिस्टिलरिया, हाइटेक प्रिसिजन ग्लास लि धौलपुर; राज.स्टेट टेनेरीज लि. टोंक; राजकीय राजस्थान ऊनी मिल्ल लि. बीकानेर डीडवाना राजकीय लवण स्रोत डीडवाना पचपदरा; टी. वी. रिसिविंग सैट; मयूर बोर्डो टोंक; ग्रेनाइट कटाई; पालिस; टेलकेम व घड़ी परियोजना प्रमुख हैं.

चीनी उद्योग—राजस्थान में सर्वप्रथम सन् 1982 में मेवाड़ सुगर मिल की स्थापना भोपालसागर, (चित्तोड़ जिला) में की गई, गंगानगर सुगर मिल्स में सन् 1946 में उत्पादन प्रारम्भ हुआ, वर्तमान में यह मिल सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रही है. इसके पश्चात् सन् 1970-71 और सन् 1976 में दो चीनी मिले क्रमशः केशोराय पाटन और उदयपुर में स्थापित की गयी. राजस्थान में चीनी के उत्पादन (हजार टनों में) निम्न तालिका से है—

वर्ष	1971	1972	1982	1983	1984	1985
उत्पादन	11.3	10.4	22.9	24.5	21.5	9.6

वर्तमान में राजस्थान में चार चीनी मिलें हैं जो क्रमक्षः भोपाल सागर. उदयपुर. केशोराय; पाटन तथा श्री गंगानगन में हैं. भोपाल नगर तथा उदयपुर की चीनी मिलें निजी क्षेत्र में कार्य कर रही हैं जबकि केशोराय

पाटन की चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में तथा गंगानगर की चीनी मिल सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रही है. गंगानगर चीनी मिल शीरे से शराब भी बनाती है. इस मिल के पास शराब बनाने का एक कारखाना है. अन्य चीनी मिलें उनके द्वारा उत्पन्न शीरा शराब कारखानों को बेच देती हैं. राज्य में चीनी उद्योग लगभग में 3.31 करोड रुपये की पूंजी लगी हुई है जहां लगभग 1982 श्रमिकों को प्रति-रोजगार प्राप्त होता है.

राज्य की सभी चीनी मिलें प्रायः गन्ने से चीनी बनाती है किन्तु गंगानगर की चीनी मिल में चुन्दर से भी बनाई जाती है.

सीमेन्ट उद्योग : राजस्थान में सीमेन्ट की मांग 1984-85 में 1420.000 2.1 की थी जो 1994-95 में 25;42;00 टन हो जायेगी.

राजस्थान में सर्वप्रथम सन् 1915 में लाखेरी (बूंदी जिला) नामक स्थान पर एक सीमेन्ट फैक्टी की स्थापना की गई. इसके पश्चात् सवाईमाधोपुर में एक सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित की गई. सन् 1957, 1970 तथा 1974 में क्रमशः चित्तौड़; उदयपुर तथा निम्बाहेड़ा में सीमेंट कारखानों की स्थापना हुई. 1981 में मोराक (कोटा)में एक और कारखाना आरम्भ हुआ है. मोराक कि तुलना में यहा उत्पादन अधिक है स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही राज्य के सीमेंट उत्पादन में वृद्धि हो रही है. निम्न तालिका से यह स्पष्ट है—

वर्ष	1954	1960	1965	1971	1982	1985
उत्पादन (लाखटन)	5.7	9.5	10.4	13.9	22.6	30.1

वर्तमान में राजस्थान में सीमेंट कारखाने क्रमशः लाखेरी; सवाईमाधोपुर; चित्तोड़: उदयपुर; निम्बाहेड़ा; ब्यावर और मोराक में स्थित है. सिरोही; आबूरोड़; ब्यावर, मूण्डवा; गोटन; नीम का थाना में स्थित हैं.

राज्य में सीमेंट उद्योग में लगभग 14 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है तथा लगभग 2.500 श्रमिकों को रोजगार प्रतिदिन प्राप्त है.

सीमेंट बनाने के लिए चूने का पत्थर तथा जिप्सम का प्रयोग किया जाता है. यह पदार्थ सवाईमाधोपुर; बूंदी चित्तोड़ जोधपुर, नागौर व सिरोही जिले में पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं.

राजस्थान में कोयले का अभाव है. यहाँ कोयला मुख्यतः बंगाल; बिहार व उड़ीसा आदि राज्यों से मँगाना पड़ता है जिस पर अत्यधिक व्यय करना पड़ता है तथा कभी-कभी समय पर रेल्वे वैगन न मिलने के कारण भी राज्य में कोयले का अभाव हो जाता है जिससे सिमेन्ट निर्माण में कठिनाई होती है.

भावी समस्याएँ— राजस्थान में सीमेंट उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि इसकी मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही हैं. यहां पर चूने का पत्थर, जिप्सम तथा जन शक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. राजस्थान में मिनी प्लान्ट बनाने का डी. पी. साबू का श्री इन्जीनियर्स अभी तक देश भर में करीब 35 प्लान्ट लगा चुका है तथा 16 अन्य प्लान्टस् पर कार्य चल रहा है.

वनस्पति घी उद्योग—भारत में वनस्पति घी का उत्पादन सन् 1950 में ही प्रारम्भ हो गया था लेकिन राजस्थान में उद्योग का प्रारम्भ तीसरी योजनाओं में ही हुआ सर्वप्रथम भीलवाड़ा में एक वनस्पति घी का कार-खाना खोला गया. इसके पश्चात् जयपुर चित्तोड़, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, गंगानगर, अलवर आदि नगरों में इस उद्योग का विकास हुआ.

राजस्थान में वनस्पति घी की मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है. राज्य में इसका उत्पादन भी तीव्र गति से बढा है यह तालिका से स्पष्ट है—

वर्ष	1971	1972	1973	1975	1982	1985
उत्पादन (हजारटन)	19.8	32.6	24.9	20.7	58	65.7

वर्तमान में राजस्थात में नौ घी के कारखाने हैं जो क्रमशः भीलवाड़ा, जयपुर, चित्तोड़, उदयपुर, गंगानगर आदि स्थानों पर स्थित है.

राजस्थान में मूंगफली तथा बिनौले के तेल से घी तैयार किया जाता है. ये वस्तुए मुख्यतः जयपुर,

गंगानगर, भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़, पाली, अजमेर, कोटा, बूंदी आदि क्षेत्रों में अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं.

राजस्थान में घी की मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है. अतः इसके भावी विकास की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं. राजस्थान नहर के पूर्ण हो जाने पर राज्य में मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि हो जायेगी तथा वर्तमान मूंगफली उत्पादन क्षेत्रों में भी उत्पादन बढ़ाया जा रहा है. इनके अतिरिक्त राज्य में शक्ति के साधन तथा श्रमिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं.

जिंक उद्योग : हिन्दुस्तान जिंक लि. का गठन जनवरी 1966 में हुआ था. इसकी जावर ग्रुप की खानें उदयपुर के पास, मटून रॉकफास्फेट खानें, दरीबा में चूना खानें स्थित हैं। देबारी, उदयपुर में स्मेल्टर लगा हुआ है। वर्तमान में राजस्थान में ही चन्देरिया में 70000 टन जिंक व 35000 टन सीसा धातु का स्मेल्टर लगाने का प्रस्ताव है. सातवीं योजना में इसके और विस्तार का प्रावधान रखा गया है. 1984-85 में कम्पनी ने 3441 लाख रु. का शुद्ध लाभ कमाया तथा 1985-86 में 20 करोड़ रु. के लाभ की सम्भावना है.

कॉपर उद्योग : हिन्दुस्तान कॉपर लि. खेतड़ी का राजस्थान में खेतड़ी व कोलिहान क्षेत्र में उत्पादन कार्य होता है. यह सल्फ्यूरिक एसिड व रॉक फास्फेट से उर्वरक का भी निर्माण कर रहा है. 1973 व 1975 में खेतड़ी, कोलिहान व दरीबा में उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया गया जो 8000 टन कॉपर ओर प्रतिदिन का उत्पादन करेगी. कई अन्य सहायक उत्पादन का भी प्रावधान रखा गया है. खेतड़ी में कम्पनी ने 4000 क्वार्टर बनाये हैं. यह कम्पनी बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है. 1984-85 में 12.98 लाख टन ओर का उत्पादन किया गया. ओर मिलिंग का 13.04 लाख टन उत्पादन हुआ. 1985-86 में 16.19 लाख टन, कॉपर-ओर का उत्पादन का प्रावधान था. सातवीं योजना के तहत खेतड़ी में शुद्ध ताम्बा का 31000 टन उत्पादन क्षमता की अनुमति दी गई है.

ग्वार गम उद्योग : राजस्थान में देश के कुल ग्वार क्षेत्र का 82 प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है जिससे कुल उत्पादन का 72 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है. हरियाणा का दूसरा स्थान आता है. राजस्थान में इसका उत्पादन इस प्रकार रहा—

		हजार टन
1974-75	—	120.0
1975-76	—	476.2
1976-77	—	854.7
1977-78	—	683.3

ग्वार गम का मुख्य उपयोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ड्रिलिंग, टेक्सटाइल्स, पेपर, गम दवाइयां, जूट, तम्बाकू, खनिज-विस्फोटक, फोटोग्राफी, आइसक्रीम, टॉफी के उत्पादन में होता है. इस उद्योग से देश को भी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है क्योंकि 90 प्रतिशत उत्पादन का विदेशों में निर्यात किया जाता है. 1980-81 में 56000 टन, 1981-82 में 88000 टन तथा 1982-83 में 30, 000 टन ग्वार गम का निर्यात किया गया. कुल 120 यूनिट्स कार्यरत हैं.

समस्याएं : पेट्रोल ड्रिलिंग व पेट्रोलियम पदार्थों में कमी के कारण ग्वार गम की विदेशों में मांग घटी है. अमेरिका ने भारत पर निर्भरता भी घटाई है.

पाकिस्तान के साथ प्रतिस्पर्धा

घरेलू खपत में वृद्धि नहीं होना.

बिजली दर वृद्धि तथा अव्यवस्था.

कच्चे माल पर सेल्सटैक्स लगाने से लागत वृद्धि

हस्तशिल्प : हस्तशिल्प की कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में राजस्थान विश्व में अनुपम स्थान रखता है. शाहपुरा की फड़-पेन्टिंग, डूंगरपुर व उदयपुर के खिलौने, बाड़मेर, जैसलमेर व पाली की कपड़े पर हाथ की छपाई, बीकानेर की मोजड़ी, जैसलमेरी कम्बल, नाथद्वारा की कोस्ट्यूम ज्वैलरी, जयपुर व जोधपुर में रंगाई छपाई व बन्धेज का काम विश्वप्रसिद्ध है. जयपुर को तो हस्तशिल्प का केन्द्र ही कह सकते हैं. रत्नों की कटाई व जड़ाई, पीतल पर खुदाई व भराई, पत्थर व लकड़ी पर खुदाई,

ब्लू पाटरी, लाख, हाथी दांत और चन्दन का काम, कुट्टी के खिलौने आदि देशी-विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का एक प्रमुख केन्द्र है. राजस्थानी हस्तशिल्प की ये कलात्मक वस्तुएँ भारी मात्रा में विदेशों को निर्यात की जाती हैं.

हमारे कलाकारों ने अपनी कला को सभी के लिए उपादेय एवम् सुग्राही बनाते हुए उसे बखूबी बढ़ाया है. परम्परा से पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त ज्ञान, अनुभव और कौशल की अनुपम छाप यहां के कलाकारों द्वारा निर्मित उपादानों में स्पष्ट परिलक्षित होती है. इसी से हमारी कलाओं का पुरातन वैभव आज भी यथा-स्थापित है.

राज्य के उद्योग विभाग ने 1946 में जयपुर में एक हस्तकला एम्पोरियम खोला था, बाद में और भी स्थानों पर एम्पोरियम की स्थापना की गई. किन्तु विभागीय तौर पर उन्हें व्यावसायिक ढंग से नहीं चलाया जा सका. इसलिए एम्पोरियम अप्रेल 1962 में राजस्थान लघु उद्योग निगम को सौंप दिए गए. तत्पश्चात् निगम ने जयपुर, नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और माउन्ट आबू आदि स्थानों पर नए एम्पोरियम खोले.

निगम के माध्यम से हस्तकलाओं के विकास को नई गति मिली है. हाथ की छपाई के कई प्रकार के ओढ़ने, बिछाने, पहिनने के वस्त्रादि बनते हैं. चद्दरें, तकिया, खोल, लिहाफ, शर्ट पीस, स्कार्फ, लूंगी, टाई, टेबिल कवर, पर्दे के कपड़े वगैरह-वगैरह कई डिजाइनों में खूबी के साथ चल निकले हैं. आज स्थिति यह है कि सांगानेर और बाड़मेर की हाथ छपाई के कपड़ों के कुल उत्पादन का लगभग विदेशों को निर्यात होता है. लाख, हाथी दांत और चन्दन की वस्तुएँ कई किस्म और डिजाइनों में मिलने लगी हैं जैसे छोटे व बड़े खिलौने, फूलदान, एश ट्रे, बटन, पिन, क्लिप, चाबी के गुच्छे, पेपर कटर. पेपरवेट टाईपिन, अंगूठियां, ईयरिंग, फुन्दे, चैन, बक्से, डिब्बियां, बालपेन आदि आदि इस तरह की अनेकानेक चीजें हैं जिन्हें नया रूप व विकास मिला है.

ग्रामोउद्योग : जब तक गांवों में बिजली नहीं पहुंचती तब तक ग्रामोद्योगों का महत्व बढ़ता ही रहेगा. विद्युत पहुंचने पर हाथ से चलने वाले उद्योगों में बिजली लगाकर उन्हें कुटीर तथा लघु उद्योगों में परिणित किया जा सकता है. ग्रामोद्योगों में तेल घाणी, गुड़, खंडसारी, ताड़ गुड़ चर्म अखाद्य तेल साबुन, हाथ कागज कुम्हारी, चावल, मधु-मक्खी पालन, कुक्कट पालन, सिलाई रंगा, लुहारी, बढ़ईगिरी, गोबर गैस तथा पत्थर व चूना आदि मुख्य हैं. यातायात के साधनों के बढ़ने के कारण ग्रामीण उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का बाजार भी विस्तृत हो रहा है. नगर तथा कस्बों में इन वस्तुओं की आसानी से बिक्री हो इसके लिए यह आवश्यक है कि इनमें मांग के अनुसार रंग तथा डिजाइनों में परिवर्तन किया जाय. नागौर में लोहे के औजार सैंकड़ों वर्षों से बनाए जा रहे हैं. आज भी इनकी मांग यथावत् है.

हस्तकलाओं के विकास एवं कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की दृष्टि से राज्य सरकार ने कई योजनाएँ बनाई हैं और इनकी क्रियान्विति से राज्य में कई उद्योग पनपेंगे. इन छोटे उद्यमियों को कच्चे माल के लिए भटकना न पड़े, वे व्यवस्थित रूप से काम कर सकें, माल का समुचित मूल्य मिले एवं समुचित मार्ग-दर्शन, प्रेरणा, सहयोग, साधन, सुविधायें मुहैय्या हों, यही इस कार्यक्रम का आधार है. मूलतः परम्परागत अनूठी कलाओं का विकास, कलाकारों को प्रोत्साहन और कुटीर उद्योगों की स्थिति मजबूत बनाने का यह बहुत बड़ा उद्देश्यपूर्णकार्य है.

राजस्थान के प्रमुख उद्योगों (सब उद्योगों को शामिल करना सम्भव नहीं है) की सूची उद्योगवार इस प्रकार है. रीको के द्वारा सहायता प्राप्त उद्योगों को इस में नहीं दिखा कर अलग तालिका में दिखाया गया है.

प्रमुख उद्योग

A. सूती वस्त्र उद्योग

पार्टी का नाम	उत्पादन का नाम
राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, गुलाबपुरा	सूती धागा, वस्त्र
सादुल टैक्सटाइल मिल्स, श्रीगंगानगर	सूती धागा, वस्त्र
कृष्णा मिल्स, ब्यावर	सूती धागा, वस्त्र

महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर — सूती धागा, वस्त्र
आदित्य मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़ — सूती धागा, वस्त्र
मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा — सूती धागा, वस्त्र
जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, जयपुर — सूती धागा, वस्त्र
श्री गोपाल इण्डस्ट्रीज, कोटा — सूती धागा
महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लि. पाली — सूती धागा, वस्त्र
राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, भीलवाड़ा — सूती धागा, वस्त्र
उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर — सूती धागा
एडवर्ड मिल्स ब्यावर — सूती धागा, वस्त्र
राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स, भवानीमंडी — सूती धागा
पोद्दार स्पिनिंग मिल्स, जयपुर — सूती धागा
विजयनगर कॉटन मिल्स, विजयनगर — सूती धागा, वस्त्र
राजस्थान को-ऑपरेटिव मिल्स, गुलाबपुरा — सूती धागा

B. ऊनी वस्त्र उद्योग

स्टेट वूलन मिल्स, बीकानेर — ऊनी धागा
जोधपुर वूलन मिल्स, जोधपुर — ऊनी धागा
फोरेन इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट मिल्स, कोटा — ,,
वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स लाडनूं — ,,
वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, चुरू — ,,
नागपाल कोम्बिंग मिल्स, कोटा — ,,
राजस्थान वूलन मिल्स, बीकानेर — ,,
बीकानेर वूलन मिल्स, बीकानेर — ,,
कैन्ड्स वूलन मिल्स, बीकानेर — ,,
भारत वूलन मिल्स, बीकानेर — ,,

C. सिंथेटिक फाइबर प्लांट्स

जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड, कोटा
नाइलोन यार्न, अक्रेलिक फाइबर, नायलोन टायर कोर्ड, नायलोन स्पेटल फाइबर पोलिस्टर फिलमेंट यार्न
श्री राम रेयन्स लिमिटेड, कोटा
एच. टी. रेयन्स यार्न, रेयन टायर कोर्ड, वीविंग रस, रेयन टायर फेब्रिक्स

D. अन्य धात्विक उद्योग

ए एस. एस. डी. सी. आयरन स्टील इन्डस्ट्रीज, कोटा
कास्टिंग एम. आई./जी. आई.
इन्डोफ्लेक्स प्रा. लि., जयपुर
प्रेस वर्क्स, मेट्रेलिक ऑटो कास्टिंग प्रेसर डाई ऑटो, ट्यूब्स, फ्लेक्स, मेटेलिक कार्बरेटर्स ऑटो फ्यूअल पम्प्स, वाटर पम्प आदि.
मान इन्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन, जयपुर
फोरजिंग्स स्टील, स्टील सिलको, मैंगनीज
एल्कोबेक्स मेटलस् प्रा. लि. जोधपुर
नान फेरस मेटल
कोनवेन्ट्री मेटलस् प्रा. लि., जयपुर
कोल्ड रोल्ड ब्रास, कोपर स्ट्रिप्स, शीट्
महेश मेटल वर्क्स, किशनगढ़
ब्रास/एल्यूमिनियम/कोपर/स्टील वेयर होट एण्ड कोल्ड, रोल्ड ब्रास, कोपर, जिंक, एल्यूमिनियम, शीट्स/स्ट्रील सर्किल/प्लेट्स
नेशनल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर
स्टील कास्टिंग/रोलर बियरिंग, एक्सल बोक्सेज स्टील रोलर, रिंग्स, रोलर बियरिंग, बोक्सेज बाईकिल स्टील वाल्व आदि.
मशीन टूल्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया, अजमेर (हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कार्पोरेशन)
ग्रे आईरन कास्टिंग, ग्राइंडिंग मशीन, यू. एन. एन. टूल्स, ग्राइंडिंग मशीन इंटरनल आदि.
शारदा इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., जयपुर
एक्सपान्डेड मेटल, कास्टिंग, मालल्ड स्टील वायर, एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स आदि
पालीवाल मिनी स्टील, अलवर
एम. एस. इन्गोटस
नेशनल वायर प्रोडक्ट्स, अलवर
एम. एस. इन्गोटस
आर. जी. इस्पात लिमिटेड, जयपुर
मिनी स्टील प्लान्ट
बंसल पाइप्स, अलवर

स्टील पाइप ट्यूब्स

जनरल इन्जीनियरिंग वर्क्स, भरतपुर
स्टील वायर्स

अशोक फाउन्डरी एण्ड मेटल वर्क्स, जयपुर
री रोल्ड प्रोडक्ट्स

E. इण्डस्ट्रियल मशीनरी

गुरु नानक स्टील मिल्स, भरतपुर
ब्रास प्लेट्स/ऐंगिल्स/एम एस.

लायरा इन्जीनियर्स, जयपुर
टेक्सी मीटर

मल्टी मेटल्स लि., कोटा
कोपर ब्रास एण्ड ब्रास एलॉय ट्यूब्स/राड्स

केप्स्टन मीटर्स, जयपुर
सिंगल फेस एच. एम. मीटर्स, वाटर मीटर्स,-
परमानेन्ट मेगनेट्स, हाउस सर्विस मीटर्स

स्पिनिंग एसेसरीज प्रा. लि, जयपुर
पेपर मशीन वायर क्लोथ

कमानी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन, जयपुर
ट्रान्समिशन टावर्स, हैवी स्ट्रक्चरल

मान स्ट्रक्चरल मिलिटेड, जयपुर
ट्रान्समीशन टावर्स, फोरजिंग्स

शालीमार इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., जयपुर
टेम्पर्ड एण्ड स्टील स्ट्रिप्स

रनिल स्टील इण्डस्ट्रीज, कनकपुरा
स्टील स्ट्रिप्स

सन्तोष फाउन्डरी एण्ड इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, भरतपुर
वेट्स, वाटर गेट्स, कास्टिंग एवं फेब्रीकेशन

F. कृषि आधारित उद्योग

आसाम रोलर फ्लोर मिल्स, जयपुर
आटा, सूजी, मैदा आदि

जयपुर रोलर फ्लोर मिल्स, जयपुर
आटा, सूजी, मैदा आदि

मंगला रोलर फ्लोर मिल्स, जयपुर
आटा, सूजी, मैदा आदि

गुप्ता रोलर फ्लोर मिल्ल, श्रीगंगानगर
आटा, सूजी, मैदा आदि

राजस्थान रोलर फ्लोर मिल्स, कोटा
आटा, सूजी मैदा आदि

वेदला रोलर फ्लोर मिल्स, कोटा
आटा, सूजी, मैदा आदि

गनपति रोलर फ्लोर मिल्स, भरतपुर
आटा, सूजी, मैदा आदि

G. चीनी उद्योग

मेवाड़ा शुगर मिल्स, भूपालसागर, उदयपुर
चीनी व इण्डस्ट्रियल एल्कोहोल

गंगानगर शुगर मिल्स, श्रीगंगानगर
चीनी, स्पिरिट

केशोरायपाटन शुगर सहकारी मिल्स, केशोरायपाटन(बून्दी)
चीनी

H. वेजीटेवल आयल्स

हेमराज उद्योग, जयपुर
वनस्पति

मेहता वेजीटेवल प्राडक्ट्स, चित्तौड़गढ़
वनस्पति

प्रीमियर वेजीटेवल प्रोडक्ट्स, जयपुर
वनस्पति, टिन कन्टेनर्स, आक्सीजन गैस

राजस्थान वनस्पति प्राडक्ट्स, भीलवाड़ा
वनस्पति

रामनगर केन एण्ड शुगर कम्पनी, जयपुर
वनस्पति

रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर
वनस्पति

राजस्थान कॉटन प्रेस, श्रीगंगानगर
काटन शीड आयल

मेवाड़ इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन, उदयपुर
वनस्पति

जयपुर आयल प्रॉडक्ट्स, जयपुर
वनस्पति

रेल्वे वैगन, ट्रेलर्स
अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड, अलवर
स्कूटर

P. वन सम्पदा पर आधारित
प्रीमियर पेपर एन्ड बोर्ड लि., कोटा
स्ट्रा वोर्ड, पल्प

Q. इलेक्ट्रोनिक व विविध उद्योग
राजस्थान इलेक्ट्रोनिक एन्ड इन्स्ट्रूमेन्टस, जयपुर
कैन्जल इन्डियन समय लि., भिवाड़ी
मोर्डन इन्सुलेटर्स लि आबूरोड
जिप्सम फाइवर्स लि., रतनगढ़
आदित्य सिरेमिक्स लि., रतनगढ़
एलाइड इलेक्ट्रोनिक लि., उदयपुर
स्टेनफोर्ड इन्जीनियरिंग लि., भिवाड़ी
प्रताप राजस्थान कापर फोइल्स एन्ड लेमिनेटस् लि. जयपुर
श्री पाइपस् लि., भीलवाड़ा
केमिन्ट सर्कटस् लि., उदयपुर
राजस्थान एक्सलो सान्वा मिडलेन्ड लि., अलवर
इन्डिया इलेक्ट्रोनिक्स लि., भिवाड़ी
पन्सुमी इन्डिया लि., भिवाड़ी
राजस्थान टेलीफोन इन्डिया लि., भिवाड़ी
फार्माकेम लि., अलवर
राजस्थान स्विचेज लि. भिवाड़ी
राजस्थान काम्यूनिकेशनस लि. जयपुर
सुमटेल (इन्डिया) लि., भिवाड़ी
इनडग रवर लि. भिवाड़ी व भीलवाड़ा
दाप्स क्रायोजनिक्स लि. अलवर

R. चमड़ा उद्योग
स्टेट टेनरीज लि., टौंक
लेदर फोम स्किन/हाइड्स, सोल लैदर

S. वैज्ञानिक औजारों के उद्योग
तोषनीवाल व्रदर्स प्रा. लि., अजमेर
लेवोरेटरी एपेरेटस आदि
भार्गव प्रा. लि., किशनगढ़
डिटेचेवल सर्जिकल ब्लेडस्

इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा
मेगनेटिक इलेक्ट्रिक इन्स्ट्रूमेन्ट्स, इलेक्ट्रोनिक, ओटोमेटिक इंडीकेटर्स, रिकोर्डिंग एन्ड कन्ट्रोल इन्स्ट्रूमेंट्स ट्रान्समीटर्स आदि

T. फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज
डालमिया डेयरी इण्डस्ट्रीज, भरतपुर
डेयरी प्रॉडक्टस
इण्डियन डेयरी एन्टरप्रेन्यूअर्स, रानीवाड़ा (जालौर)
डेयरी प्रॉडक्ट्
राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन
डेयरी प्रॉडक्ट्स

U. डिस्टीलरीज, ब्रीवरीज व पेयपदार्थ
गंगानगर शुगर मिल्स, श्रीगंगानगर
रेक्टिफाइड/इम्प्योर स्पिरिट
उदयपुर डिस्टिलरीज कम्पनी प्रा. लि., उदयपुर
कोटेवल स्पिरिट, माल्ट एक्ट्रैक्टस
जय ड्रिंक्स, जयपुर
सोफ्ट ड्रिंक्स

औद्योगिक प्रगति की एक झलक—औद्योगिक क्षेत्र में वढ़ते दवाव के वावजूद वर्ष 1981-82 में अंकित प्रगति को पूर्व वर्ष की तुलना में सन्तोषप्रद कहा जा सकता है. न केवल पंजीकृत निर्मानियों ली संख्या में वृद्धि हुई वरन् उनमें दैनिक औसत रोजगार तथा राज्य की अर्थ व्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हुई है जो तालिका–1 में स्पष्ट है—

तालिका–1

मद	इकाई	वर्ष 80-81	वर्ष 81-82
पंजीकृत निर्माणियों की संख्या	संख्या	6608	7001
दैनिक औसत रोजगार	लाख	1.54	1.63
राज्य आय में योगदान (प्रचलित कीमतों पर)	करोड़ रु.	324	361

वर्ष 1981-82 को अवधि में 14,4000 लघु एवं शिल्पी उद्योग इकाइयों का पंजीयन किया गया जिसमें 43,62करोड़ रुपये की पूंजी का विनियोजन था तथा जिनके द्वारा 31,000 व्यक्तियों को नियोजन उपलब्ध कराया गया. इस प्रकार समस्त पंजीकृत इकाइयो की संख्या 82,600 तक पहुंच गई जिसमें 3.57 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है.

वर्ष 1981-82 में वृहत व मध्यम श्रेणी उद्योग क्षेत्र में सिरोही जिले की दो औद्योगिक इकाइयों ने उत्पादन प्रारम्भ किया. इस वर्ष 16 औद्योगिक लाइसेन्स जारी किए गए व 55 आशय पत्र स्वीकृत करने हेतु भारत सरकार को भेजे गए जिनमें से 9 आशय पत्र राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम द्वारा प्राप्त किए गए राज्य मे 213 औद्योगिक इकाइया कार्यरत है जिनकी कुल पूंजी विनियोजन 1300 करोड रुपये है. जबकि 21 संयुक्त क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शेरु हो गया है. वही 41 अन्य इकाइयो मे कार्य प्रगति पर है.

वर्ष 1981-82 में निम्न तीन योजनाओ को हाथ में लिया गया है जिनमें राज्य में उद्योगो का सामान्य एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से विकास सम्भव होगा—

(i) अनुसूचित जाति एवं जन जाति के उपक्रमियों के लिए पूंजी विनियोजन में अनुदान राशि वर्तमान 15 प्रतिशत दर को वढ़ा कर 20 प्रतिशत कर दी गयी.

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों के उपक्रमियों को सुविधायें प्रदान करने की दृष्टि से पंचायत समितियों को 2000 रुपये तक के ऋण एवं 1000 रुपये तक का अनुदान स्वीकृत करने के अधिकार दिए गए है.

(iii) राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजनाओं पर पंचायत समितियों को 5000 रुपये तक के ऋण स्वीकृत करने के अधिकार दिए गए है.

सुनियोजित औद्योगिक विकास के लिए न केवल पंचायत समितियों में सम्भावना सर्वेक्षण व कार्यकारी योजना तैयार करने हेतु तकनीकी अधिकारियो की नियुक्ति की गयी है वरन् पंचायत समितियों को ट्राइसम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु उत्तरदायी बनाया गय. राज्य का उद्योग विभाग लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को विपणन, विद्युत, परीक्षण यन्त्र व डीजल के जनेरेटिंग सेटों आदि के लिए अनुदान भी दे रहा है.

राजस्थान हाथ करघा मण्डल का हाथ करघा उद्योगो के विकास में काफी योगदान है. परम्परागत कौशल एवम् रोजगार को बढ़ाने के लिए, जो कि 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रधान अंग है, ग्रामीण उद्योग तथा हाथ करघा उद्योग का विशेष महत्व है. हाथ करघा उद्योग के विकास के लिए दो संस्थाएं कार्यरत है. राज्य उद्योग विभाग हाथ करघा उद्योग के सहकारिता क्षेत्र को देखता है, तथा हाथ करघा मण्डल जो कि हाथकरघों के बुनकरो को आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जो सहकारिता के क्षेत्र में नहीं है. छठी पंचवर्षीय योजना में 200.00 लाख रुपये हाथ करघा मण्डल के विकास के लिए रख गए है. हाथ करघा मण्डल की बिक्री 1981-82 में 70 लाख रुपयों तक पहुंच गई जो एक कीर्तिमान है पोलिस्टर धागे का उत्पादन बुनकरों के जीवन निर्वाह व आय का एक विश्वसनीय साधन वन गया है. हाथ करघा मण्डल राज्य में 40 केन्द्रों के माध्यम से बुनकरों की सुविधायें प्रदान कर रहा है. छठी पंचवर्षीय योजना में एक प्रोसेसिंग हाऊस का सुझाव है.

खादी व ग्रामोद्योग कार्यक्रम के तहत बनाई गई योजनायें मुख्यतः रोजगारोन्मुख है वर्ष 1981-82 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 8931 इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई. इन इकाइयों द्वारा 1.22 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया. राजस्थान लघु उद्योग निगम गलीचा निर्माण में प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध करा रहा है. अब तक 4202 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है और वर्तमान में 1538 व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इनमें से आधे व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हैं. निगम ने चालू वर्ष में 462 परिवारों को करघे वितरित किये या निष्क्रिय करघों को क्रियाशील किया. राजस्थान लघु

उद्योग निगम ने लघु शिल्पी इकाइयों को देशी व आयातित कच्चा माल पहुंचाने व तैयार माल के विपणन में सहायता की है. निगम ने एम्पोरियम व डिपो के माध्यम से 1981-82 में 17.50 करोड़ रुपये के माल की बिक्री की. छठी योजना में खादी एवम् ग्रामोद्योगों के लिए 300 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.

राजस्थान लघु उद्योग निगम : प्रदेश में लघु उद्योगों एवम् हस्तशिल्प के विकास, सहयोग व प्रोत्साहन के मूलभूत उद्देश्यों सहित भारतीय कम्पनीज अधिनियम 1965 के अन्तर्गत राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी. इसे दिनांक 1 फरवरी, 1975 को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी का स्वरूप प्रदान कर दिया गया है.

निगम की अधिकृत हिस्सा पूंजी पाँच करोड़ रुपये है, इसमें से प्रत्येक 100 रु. के शेयर के रूप में तथावधि 31 मार्च 1981 को परिदत्त पूंजी दो करोड़ 54 लाख रुपये रही.

निगम राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्थित 27 कच्चा माल आगारों द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को कच्चा माल वितरित करता है. हस्तशिल्प का विपणन 9 एम्पोरियम के माध्यम से होता है. चुरू एवम् लाडनूं स्थित दो ऊनी मिलें तथा जयपुर स्थित फर्नीचर उत्पादन केन्द्र निगम द्वारा संचालित हैं. जयपुर स्थित औद्योगिक संग्रहालय एवम् व्यवसाय केन्द्र लघु उद्योगों को उनके उत्पादनों के विपणन में सहयोग प्रदान करता है.

प्रोत्साहनात्मक गतिविधियों के रूप में निगम द्वारा 35 गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र व आदिवासी क्षेत्रों में 9 शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं. ऊँट की खाल पर मनोवत के काम की विशिष्ट कला को कायम रखने की दृष्टि से बीकानेर में एक प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत है.

जयपुर स्थित हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवम् शोध केन्द्र का पुनर्गठन किया जा रहा है. सांगानेर एयर पोर्ट पर स्थापित एयर कारगो काम्पलेक्स के माध्यम से निर्यातकों को सुविधाएं सुलभ कराई जाती है. हाथकर्घा

विकास की दृष्टि से छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पांच हजार करघों की स्थापना एवम् आधुनिकरण की परियोजना को निगम कार्यरूप दे रहा है. इसके अलावा बुनकरों को कच्चा माल एवम् विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 16 हाथकरघा कच्चा माल डिपों को निगम चला रहा है.

जिलेवार 31.3.1986 तक पंजीकृत उद्योगों की संख्या, रोजगार व विनियोग.

		पंजीकृत	रोजगार	विनियोग (लाख रु. में)
1.	जयपुर	14701	72572	10169 34
2.	अजमेर	6695	30896	2815.41
3.	अलवर	9496	25555	3133.08
4.	भीलवाड़ा	6772	23788	2524.02
5.	जोधपुर	7499	31447	4793 34
6.	कोटा	5518	18762	1655 27
7.	पाली	4645	20275	2426 36
8.	उदयपुर	8004	28004	5108.91
9.	बांसवाड़ा	4345	10543	455.53
10.	भरतपुर	4247	16751	1008.82
11.	बीकानेर	3864	18902	1828.06
12.	चित्तौड़	3094	8684	797.39
13.	झुन्झनू	2575	7396	738 96
14.	नागौर	8385	26956	2897.32
15.	श्रीगंगानगर	4137	22871	2060.78
16.	सवाईमाधोपुर	3697	10739	587.61
17.	सीकर	3492	13607	1122.86
18.	टौंक	4755	20119	675.34
19.	बाड़मेर	2563	11111	467 49
20.	बून्दी	1862	7241	557.24
21.	चुरू	3407	12076	1026.67
22.	डूंगरपुर	1272	3571	208.62
23.	जैसलमेर	898	2559	126.89
24:	जालोर	1882	5094	316.76
55.	झालावाड़	4251	10967	461.67
26.	सिरोही	1939	5836	729.69
27.	धौलपुर	544	1521	88.48
	कुल	124539	467933	48781.91

राजस्थान वित्त निगम

8 अप्रैल1986 को वित्त निगम ने 31 वर्ष पूरे किये. इसकी स्थापना 1955 में की गई थी. इसका उद्देश्य लघु एवम् मध्यम श्रेणी के उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देना है जिसकी वसूली साधारणतः 10 वर्षों में की जाती है. ऋण पुनर्भुगतान की प्रथम किस्त 2 वर्ष पश्चात देय होती है. इन 31 वर्षों में निगम ने राज्य के औद्योगिक विकास में भारी योगदान दिया है. आम व्यक्ति को औद्योगीकीकरण या हस्त उद्योग के विकास हेतु निगम ने वित्तीय सहायता प्रदान की है. 50000 से कम जनसंख्या वाले गांव/शहर में हस्त कलाकार तथा कारीगर को 2000 रु. से 25000 रु. तक के ऋण प्रदान किये गये हैं. मध्यम स्तर के साहसी को 2 लाख रु. तक के ऋण दिये गये. इस प्रकार तरह-तरह के उद्योगों, कारीगरों को 2000 रु. से 30 लाख रु. तक के ऋण प्रदान करने का निगम प्रावधान रखता है. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवम् विनियोजन निगम (रीको) के सहयोग से स्थापित बड़े पैमाने के उद्योगों को भी निगम ने ऋण देने प्रारम्भ कर दिये हैं जिससे कि राज्य में द्रुतगति से औद्योगिक विकास हो सके. वर्ष 1984-85 में 680 67 लाख रु. 29 इकाइयों को निगम व रीको ने संयुक्त रूप से ऋण प्रदान किये. संयुक्त वित्त की यह नयी परम्परा डाली गई है. पिछले 30 वर्षों में निगम ने 350 करोड़ रु. के ऋणों की स्वीकृति दी तथा 31 मार्च 1985 तक 228 करोड़ रु. से भी अधिक के ऋणों का वितरण किया गया. 1984-85 में निगम का घाटा 13.62लाख रु. रहा जो कि 1983 में 120.95 लाख था. एक अनुमान के अनुसार निगम वर्ष 1985-86 में 324 35 लाख व 1986-87 में 499.50 लाख रु. का लाभ अर्जित कर पायेगा.

संगठन व कार्य : निगम के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं प्रबन्ध, संचालक मण्डल तथा प्रबन्ध समिती द्वारा होता है. प्रबन्ध संचालक के अलावा 5 सदस्य प्रबन्ध समिती में होते हैं जब कि पूरे संचालक मण्डल में 12 सदस्य व एक सचिव मुख्य प्रबन्धक होता है. चेयर मेन राज्य सरकार द्वारा, उद्योग सचिव, रीको के चेयरमेन व प्रबन्ध संचालक, उद्योग निर्देशक भी राज्य सरकार द्वारा सदस्य के रूप में मनोनीत किये जाते हैं. रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक प्रत्येक द्वारा सदस्य, मनोनीत किया जाता है. जबकि अनुसूचित बैंक, बीमा व अन्य वित्तीय संस्थाओं, सहकारी बैंक व अंशधारियों के प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक द्वारा संचालक मण्डल के लिए चयनित किया जाता है।

निगम अंश पत्रों का अभिगोपन, विलम्बित भुगतान प्रत्याभूति भी देता है और अपनी पूंजी में से औद्योगिक संस्थान के शेयर, बांड्स या ऋणपत्र भी ले सकता है.

पूंजी, कार्य व कार्यलय : 31 मार्च 1985 तक प्रदत्त पूंजी10 करोड़ रु. की थी जिसके बढाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है तथा इसके लिए राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 को संशोधित किया गया है. निगम ने 28 बार बांड्स निर्गमित करके 79.80 करोड़ रु. जुटाये जिसमें से पहली सात निर्गमित बांड्स का ब्याज सहित पुनर्भुगतान कर दिया है. अभी 29वें निर्गमन में निगम ने 750 लाख रु. प्राप्त किये जिसपर 10 करोड़ रु. का ओवर सब्सक्रिप्शन हुवा.

निगम की कार्यविधि का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है :-

बीकानेर रीजन 16, सादुल कालोनी	जोधपुर रीजन एच. 73 शास्त्रीनगर
1. बीकानेर	7. बालोतरा
2. चूरू	8. जालोर
3. झुंझनू	9. जोधपुर-I
4. नागोर	10. जोधपुर-II
5. सीकर	11. पाली
6 श्रीगंगानगर	12. सिरोही

कोटा रीजन	उदयपुर रीजन
सी. 92 वल्लभ वाड़ी	बी. 17 फतेहपुरा
13. भरतपुर	19. बांसवाड़ा
14. बूंदी	20. भीलवाड़ा
15. धौलपुर	21. चित्तौड़गढ़
16. झालावाड़	22. डूंगरपुर
17. कोटा	23. उदयपुर
18. सवाईमाधोपुर	

निम्न कार्यालय के अधीन कार्य करते हैं

24. अजमेर
25. अलवर
26. भिवाड़ी
27. जयपुर–I
28. जयपुर–II
29. VKIA–जयपुर
30. मकराना
31. टौंक

1 अप्रेल 1985 से गंगापुर (जि. सवाईमाधोपुर) व MIA (अलवर) में उप-कार्यालय प्रारम्भ किये हैं जबकि पहले से ही उपकार्यालय निम्न स्थानों पर कार्यरत थे = ब्यावर, जैसलमेर, आबूरोड़, व हनुमानगढ़. ये भी मुख्य कार्यालय के सीधे नियन्त्रण में कार्य करते हैं. इस प्रकार कुल कार्यालय 31 + 4 + 6 = 41 हैं.

निगम को प्रदत्त पूंजी 31 मार्च 1982 तक 10 करोड़ रु. की है जिसे बढ़ाने की अनुमति शीघ्र मिलने वाली है. निगम की शाखाओं अधिकारी को निम्न अधिकार प्राप्त हैं (संशोधित मार्च 86 से)

	ऋणसीमा
शाखा प्रवन्धक (M)	1,00,000
क्षेत्रीय कार्यालय (DGM)	5,00,000
मुख्य प्रवन्धक (GM)	7,00,000
प्रवन्धक निदेशक (M.D)	12,00,000
संचालक मण्डल (Executive Board)	60,00,000

कोई भी उद्योग के लिए वित्त प्राप्ति हेतु निर्धारित फार्म पर आवेदन करना होता है. ये फार्म कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं. अलग अलग व्यावसायिक स्वरूप को देखते हुए अलग अलग फार्म भरने होते हैं. उपरोक्त ऋण की सीमा को देखते हुए फार्म प्रस्तुत किये जाने चाहिए. फार्म के साथ प्रस्तावित उद्योग की योजना भी प्रस्तुत करनी होती है. इस संम्बन्ध में विस्तृत जान-जानकारी शाखा/उपशाखा से प्राप्त की जा सकती है. निम्न प्रकार से फार्म का उपयोग किया जाना चाहिए :-

साझेदारी या एकल स्वामित्व संस्था	फार्म बी से एफ
कम्पनी	फार्म 'ए'

राशि अनुमार निम्न फार्म भरे जाने चाहिए:-

2000 से 25,000 रु. तक के ऋण हेतु	फार्म 'एफ'
25,000 से 2,00,000रु. तक	फार्म 'ई'
2,00,000 से 5,00,000 या ऊपर	फार्म बी'
यातायात उद्योगों के लिए	फार्म 'डी'
होटल उद्योग हेतु	फार्म 'सी'
सहकारी संस्था	फार्म 'सी'
जेनरेटर सेट हेतु	फार्म 'जी'

वर्ष 1984-85 में जो जिलेवार निगम ने ऋण दिये हैं वे आगे दी गई तालिका 1 से स्पष्ट है. इसके अलावा इसमें ऋण-स्वीकृत, ऋण-वितरित, सब्सीडी स्वीकृत तथा सब्सीडी वितरित की राशि भी दी गई है. इकाई संख्या भी साथ में दी गई हैं. स्पष्ट है कि समस्त राजस्थान में निगम ने 4728 इकाईयों को 5418.80 लाख रु. के ऋण स्वीकृत किये लेकिन केवल 3915 इकाईयों ने 3928.81 रु. लाख रु. प्राप्त किया. राहत या सब्सीडी 3086 इकाईयों को 924.42 लाख रु. स्वीकृत हुई जो 2610 इकाईयों में 677.59 लाख रु. प्राप्त किये.

तालिका-2 में विभिन्न व्यापार-संगठन को स्वीकृत वितरित व बकाया ऋणों की मात्रा की गई हैं.

तालिका–1

राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण जिलेवार (1984-85) (लाख रु. में)

(अ) पिछड़े घोषित जिले विनियोग राहत

	ऋण स्वीकृत		ऋण-प्रदान		सब्सीडी स्वीकृत		सब्सीडी प्रदान	
	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
1. अलवर	212	791.85	145	544.94	137	143.20	156	100.93
2. बांसवाड़ा	38	35.23	43	41.95	26	4.15	21	4.31
3. बाड़मेर	51	48.86	27	31.63	29	5.01	21	4 09
4. भीलवाड़ा	373	356.46	348	388.18	303	125.83	305	69.03
5. चुरू	54	26 98	37	15.65	65	6.91	38	5.10
6. डूंगरपुर	76	45.20	59	31.90	43	2.52	30	2 19
7. जैसलमेर	30	29.34	16	6.76	29	7.69	10	0.58
8. जालौर	68	49.73	48	29.73	60	5.74	50	3 16
9. झालावाड़	54	29 46	48	23.47	66	3.45	66	3.53
10. झुंझनू	123	85.17	107	67.65	94	7.68	120	9.02
11. जोधपुर	268	424.63	262	338.21	217	86.21	230	84.48
12. नागौर	248	297.66	240	289.19	223	68.91	173	80.34
13. सीकर	121	89.30	112	122.89	106	21.15	83	15.94
14. सिरोही	145	543.64	106	122.77	123	137.62	97	49.95
15. टोंक	99	54.44	81	59.52	99	5.94	74	3.08
16 उदयपुर	235	518.31	218	271.08	189	73.15	177	60.08
कुल	2195	3426.26	1897	2385.52	1809	705.16	1651	495.81

(ब) प्रगतिशील जिले

	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
17. अजमेर	203	147.15	166	124.84	159	27.90	175	30.39
18. भरतपुर	129	90.62	95	53.44	108	11.62	65	4.41
19. बीकानेर	156	167.95	162	189.24	106	26.12	48	14.62
20. बूंदी	25	7.21	21	16.91	27	4.35	25	5.83
21. चित्तौड़गढ़	172	97.47	147	75.95	171	18.33	154	15.32
22. धौलपुर	89	34.73	65	20.05	56	3.57	14	0.79
23. जयपुर	767	679.91	629	529.92	118	29.90	127	30.92
24 कोटा	262	143.17	175	87.12	79	7.23	31	3 68
25- पाली	271	234.69	208	188.84	176	51.89	125	47.92

26. सवाई माधोपुर	152	131.47	98	49.50	138	15.84	84	7.96
27. श्रीगंगानगर	307	258.17	252	207.48	139	22.51	111	19.94
ब कुल	2533	1192.54	2018	1543.29	1277	219.26	959	181.78
अ + ब कुल	4728	5418.80	3915	3928.81	3086	924.42	2610	677.59

तालिका–2

31 मार्च 1985 तक ऋणों की स्थिति (लाख रु. में)

औद्योगिक संस्थानों का स्वरूप	प्रभावशाली स्वीकृति		राशि वितरित		राशि बकाया		
	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	
1. सार्वजनिक	36	151.31	23	140.83	17	267.21	लघु उ.
कम्पनियां	129	1746.70	120	1696-53	45	810-28	अन्य
2. निजी कम्पनियां	499	3114.66	491	2835.81	415	2689.72	लघु
	176	3089.21	121	1661.27	48	918.37	अन्य
3. सहकारी समितियां	10	18.36	8	15.08	4	5.09	लघु
	2	40.00	2	40.00	2	28.47	अन्य
4. साझेदारी संस्थाएं	5384	9246.18	4889	7774.13	4783	6608.80	लघु
	37	199.65	31	120.29	–	–	अन्य
5. संयुक्त हिन्दू परिवार	30	61.78	21	40.82	13	34.65	लघु
संस्थाएं	–	–	–	–	–	–	अन्य
6. एकाकी व्यापार	18130	10184.33	14601	8480.81	12942	6697.86	लघु
	5	17.17	4	13.92	–	–	अन्य
7. पंजीयत समितियां	2	3.30	1	0.29	–	–	लघु
	–	–	–	–	–	–	अन्य
8. कुल लघु उद्योग	24091	22779.92	20034	19285.77	18274	16303.33	लघु
अन्य	349	5092.73	278	3532.01	95	1757.12	अन्य
कुल ऋण	24440	27872.65	20312	22817.78	18269	18060.55	

राजस्थान वित्त निगमें द्वारा प्रदान विभिन्न ऋण सुविधाएं

(1) मिनी सीमेन्ट प्लान्टस् : भारतीय औद्योगिक विकास संघ द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी नीति का नवीनीकरण किया है इस परिवर्तन के संदर्भ में निगम ने भी नीति परिवर्तन निम्न प्रकार किया है—

(1) जहां बड़े पैमाने के सीमेन्ट उद्योग हैं वहां मिनी सीमेन्ट प्लान्टस् हेतु ऋण नहीं दिये जाएगें. लेकिन यह सुविधा उन जिलों में मिलती रहेगी जो नो इन्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट हैं' (NID)

(2) बड़े प्लान्ट के 200 कि. मी. की दूरी तक मिनी सीमेन्ट प्लान्ट को सुविधा नहीं दी जायेगी.

(3) प्रतिभूति व प्रवर्तक पूंजी 33 प्रतिशत रहेगी-NID में छूट दी जा सकती है.

(4) जहां बड़े तथा नाजुक संयन्त्र लग चुके हैं वहां सीमेन्ट उद्योग नहीं लगाये जाऐगें.

(5) रोटरी किल्न तकनीक पर आधारित 200 TPD मिनी सीमेन्ट प्लान्ट पर वित्त नहीं दिया जायेगा (NID को छोड़कर)

(6) बहुत छोटे वी. एस. के. तकनीक पर आधारित प्लान्टस् हेतु चयनात्मक रूप में ही वित्त प्रदान किये जाऐगें. वर्ष 1984-85 में सीमेन्ट उद्योग की 16 इकाईयों को 42.14 करोड रु. के ऋण स्वीकृत किये गये.

(2) इक्युपमेन्ट रीफाइनेन्स स्कीम (ERS) यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की योजना है जिस पर वित्त निगम मशीनों पूंजीगत माल के आयात पर 80 प्रतिशत ऋण व विदेशी मुद्रा देता है. अधिकतम सीमा 1 करोड़ रु. है. 20 प्रतिशत राशि इकाई द्वारा प्रबन्ध की जायेगी.

यह वर्तमान इकाईयों को सुविधा प्राप्त होगी जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो, पिछले 4 वर्षों से कार्यरत हो, पिछले दो वर्षों में साधारण अंशों पर लाभांश दिया हो तथा पुनःभुगतान में देरी नहीं की हो ऋण अवधि दो से पांच वर्ष,

(3) परिवहन उद्योग :समस्त परिवहन परिचालकों, विभिन्न संस्थानों को मिनी बस, एवं माल वाहक ट्रक के लिए ऋण मिल सकता हैं, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को परमिट प्राप्त होने पर थ्री व्हीलर्स पर ऋण दिया जा सकता है. दो वाहनों तक 12.5 प्रतिशत व अन्य हेतु 15 प्रतिशत ब्याज की दर ली जाती है जिसमें अनुसूचित जाति व भूतपूर्व सैनिकों से क्रमशः 1 लाख व 2 लाख तक के ऋणों पर 2 प्रतिशत कम ब्याज वसूल किया जाता है. ऋण की अवधि 48 माह व अनुसूचित जाति/मूतपूर्वक सैनिक के लिए 58 माह है. इसमें विकलागों को भी ऋण सुविधा 2 लाख रू. तक की हैं, वर्ष 1984-85 में 817 लोगों को 11,57करोड़ रु. दिये गये.

(4) लघु उद्योग : लघुउद्योगों, छोटे उद्यमियों जो गांवों व कस्बों में बसे हैं उन्हें टर्म लोन तथा सोफ्ट लोन 2 लाख रू. तक के ऋण व टेकनोक्रेटस् को 1.50 लाख रु. तक (डाक्टर, इजीनियर्स, डिप्लोमाहोल्डर्स, एक्सरे मशीन, इ. सी. जी. हेतु डाक्टरों को) वर्ष 1984-85 में 388৳ इकाईयों को 35.59 करोड़ रु के ऋण स्वीकृत किये गये.

(5) होटल : नई होटल, मोटल, रेस्टोरेन्ट की स्थापना हेतु अथवा वर्तमान होटल के पुनः निर्माण या क्षमता वृद्धि, एयर कडीशनिंग, रेफ्रीजरेशन हेतु ऋण की व्यवस्था है. पिछड़े जिलों में होटल हेतु ब्याज दर 11.5 प्रतिशत तथा अन्य स्थानों पर 15 प्रतिशत है 19 होटल को वर्ष 1984-81 मे 0. 71 करोड़ रु. दिये गये.

(6) डी.जी सेटस् : के क्रय हेतु 100 प्रतिशत ऋण प्रदान किया जाता है लेकिन अधिकतम सीमा 1 लाख रु. है. 110 के. वी के सेट पर ब्याज दर 14 प्रतिशत व इससे ऊपर शक्ति के सेटस् पर 17 प्रतिशत ब्याज दर रहती है. वर्ष 1984-85 में 91 इकाईयों को 0.89 करोड़ रु. स्वीकृत किये गये.

(7)आधुनिकीकरण :इस हेतु छोटे व मध्यम श्रेणी की इकाईयों को 11.5 ब्याज दर पर ऋण प्रदान किये जाते हैं. इकाई स्वय 10 प्रतिशत धन की व्यवस्था करेगी जबकि बाकी राशि निगम देगा. इसके लिए 5 वर्ष से कार्यरत इकाई आवेदन कर सकती है.

(8) बन्द व बीमार इकाईयां : निगम द्वारा बन्द इकाईयों को पुनः जीवन प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास 1978-79 में प्रारम्भ किये गये. इन्डस्ट्रियल रीकन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन ऑफ इन्डिया के सहयोग से बीमार उद्योगो के पुनर्जीविन हेतु मार्जिन मनी, कार्यशील पूंजी, प्रारम्भिक खर्चों, सीमित पूंजी खर्चे तथा नकद हानियों के लिए 9.15 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान किये जाते है. इसकी अधिकतम राशि 30 लाख रु. (एकल स्वामित्व व साझेदारी हेतु 15 लाख रु.) व अधिक 10 वर्ष है.

इस सन्दर्भ में 845 इकाईयों को 15.88 करोड़ रु. के ऋण स्वीकृत किये गये.

राजस्थान वित्त निगम द्वारा लघु उद्यमियों के सहायतार्थ निम्न ऋण योजनायें चालू है:–

(1) कम्पोजिट टर्मलोन योजना : इस योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा दस्तकारों, शिल्पियों एवं लघु उद्यमियों जो गांवों में अथवा उन कस्बों में कार्यरत है जिनकी जनसंख्या 500,000 से अधिक नहीं है को 25 हजार रुपये अथवा उससे कम का ऋण उपकरण अथवा कार्यशील पूंजी अथवा दोनों के लिए उपलब्ध करायी जाती है. इस ऋण पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है.

(2) सुमन ऋण योजना : इस योजना के अन्तर्गत माल का उत्पादन, संरक्षण एवं तैयारी के लिए 2 लाख रुपये तक ऋण दिया जाता है. इस ऋण पर ब्याजदर 11 प्रतिशत है.

(3) विशेष ऋण योजना : 1. तकनीकी शिक्षा प्राप्त उद्यमियों को सहायतार्थ ऋण योजना इस योजनान्तर्गत 2.5 लाख तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है. जिसकी बयाजदर 11 प्रतिशत है.

2. अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण सहायता : इस योजनान्तर्गत 1 लाख रुपये तक का ऋण 9 प्रतिक्षत एवं 2 लाख तक का ऋण 11 प्रतिशत दर से उपलब्ध कराने का प्रावधान हैं.

3. भूतपूर्व सैनिकों को ऋण सहायता : 2 लाख तक के ऋण को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है.

4. अपंग व्यक्तियों को ऋण सहायता का प्रावधान : 2 लाख तक का ऋण 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है.

5. चिकित्सकों को ऋण सहायता : चिकित्सकों को 2 5 लाख तक का ऋण 11 प्रतिशत वार्षिक दर पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है.

(4) बीज पूंजी (सीड मनी) : उद्यमी के स्वयं की पूंजी अंशदान में रही कमी की पूर्ति हेतु निगम नये उद्यमियों को उद्योग की योजना लागत के 20 प्रतिशत तक अथवा 2 लाख रुपये दोनों में जो भी कम हो सीड-मनी के रूप में सहायता प्रदान करता है. इस पर ब्याज दर एक (1) प्रतिशत है.

(5) मार्जिन मनी ऋण योजना :- इस योजनान्तर्गत पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के उद्देश्य से नये उद्योग लगाने हेतु स्थायी पूंजी का 15 प्रतिशत ऋण अधिकतम 2 लाख रुपये एवं कार्यशील पूंजी का 10 प्रतिशत ऋण देय है जिसमें 4 प्रतिशत ब्याज देय है,

(6) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण सहायता : मशीनों की खरीद तथा कार्यशील पूंजी के लिए बैंको द्वारा ऋण दिये जाने की योजना है. कार्यशील पूंजी ऋण कच्चेमाल, एवं बने हुए माल को बंधक रखने पर दिया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में विभेदी पर ऋण योजना (डीआरआई) के अन्तर्गत 5000/- रुपये तक ऋण कार्यशील पूंजी के लिये दस्तकारों को स्वीकृत किया जा सकता हैं. कम्पोजिट फाईनेन्स स्कीम के अन्तर्गत 25,000/-रुपये तक के ऋण उदार शर्तों पर उपलब्ध कराये जाते हैं.

रीको : राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लि. (रीको) राजस्थान राज्य में औद्योगिक विकास के लिए एक प्रमुख कम्पनी है जिसका सृजन स्वयं राजस्थान सरकार ने किया है. इसके निम्न उद्देश्य हैं—

—प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना और उद्योगों को भूमि आवंटन करना.

—बड़े एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों की वित्तीय सहायता प्रदान करना.

—केन्द्र सरकार से आशय पत्र एवं लाइसेन्स प्राप्त कर उद्योग स्थापित कराना एवं उद्यमियों के जरिए इनकी स्थापना कराना.

—उद्योग स्थापित करने वालों को तकनीकी सहायता देना.

वित्तीय मामलों में यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की ओर से कार्य करती है. उद्योगों को 90 लाख रु. तक वित्तीय सहायता देता है तथा उद्योगों में अंशधारी बनकर, अंशों का अभिगोपन, बीज, पूंजी, राहत, ब्रिज-लोन आदि का कार्य कर सहायता प्रदान करता है. रीको ने डेनमार्क, जर्मनी, इटली, जापान, स्वीडन, स्विटजरलैंड,

अमेरीका आदि देशों से उच्च तकनीक आयात कर करीब इक्कीस उद्योगों की स्थापना में भारी सहयोग दिया है. ये उद्योग प्रमुखतया जयपुर, भिवाड़ी, आबूरोड, रतनगढ, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर में स्थित हैं. केमिकल सिरामिक, मिनरल, टैक्सटाइल, इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र में अभी 40 परियोजनाओं पर कार्य जारी है जिनकी स्थापना शीघ्र होने की सम्भावना है. हाईटेन्शन इन्सुलेटर बनाने की 26 करोड़ रु. लागत की एक परियोजना का उत्पादन अभी आबू रोड जैसे जन जाति क्षेत्र मे की गई हैं.

रीको अपने 171 औद्योगिक क्षेत्रो मे एक लाख लोगों को रोजगार मिला है जहा विकसित जमीन, सड़कें, बिजली, पानी जैसी मूल सुविधाओं के अलावा विद्यालय, चिकित्सालय, होटल, पोस्ट आफिस, दुकानें, गोदाम आदि की भी सुविधाएं प्रदान की गई है. 31-3-1985 तक सभी औद्योगिक क्षेत्रों में 2525 लाख रु. खर्च किये गये तथा 1985-86 के लिए 700 लाख रु. निर्धारित किये गये थे. रीको ने 21679 एकड़ जमीन अवाप्त की जिसमे से 15454 एकड़ जमीन विकसित करली गई है तथा 9101 एकड़ आवंटित कर दी गई है, 14422 प्लाटों में ने 7636 प्लाट खाली हैं जिनका आवंटन अब किया जाना है. इन पर 5106 उद्योग कार्यरत है जबकि 1490 प्लाटों पर उद्योग का निर्माण कार्य चल रहा है. 1969 में जब रीको की स्थापना हुई थी तो प्रदेश मे मात्र 26 औद्योगिक क्षेत्र थे.

सहायक उद्योग

रीको ने अपने ही क्षेत्र में एक हाथ घड़ी का उद्योग स्थापित किया है जिसने काफी ख्याति अर्जित की है। विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने और घड़ियां बनाने के कार्य के लिए इस उद्योग को 1985 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया हैं. अब तो इस उद्योग में "डिजिटल" घड़ियां भी बनने लग गई हैं.

रीको के दो सहायक उद्योग हैं. एक में तो बेतार के संयंत्र बन रहे हैं इनका उपयोग पुलिस, सेना, हवाई अड्डे एव खानों इत्यादि संवाद स्थापित करने के लिए किया जाता है.

दूसरे सहायक उद्योग में टेलिविजन सैट बनाए जाते है. रीको टेलिविजन सैट ने काफी प्रतिद्धि पाई है. अब तो इसमें रंगीन टेलिविजन सैट भी बनाये जा रहे हैं.

इलेक्ट्रोनिक्स

सातवीं पंचवर्षीय योजना में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों के लिए रीको ने कई महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना राजस्थान में कराना तय किया है. केन्द्र सरकार की नई नीति की अनुपालन में रीको का ध्येय है कि इन पांच वर्षों में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों में 400 करोड़ रु. का नया पूंजी विनियोजन कराया जाय. अभी तक अरम्भ प्रयासों के परिणामस्वरुप करीब 10 उद्योगों की स्थापना पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है जिनमें लगभग 90 करोड़ रु. का पूंजी विनियोजन होगा. सातवीं योजना काल में राजस्थान सरकार ने इस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए करों में पूर्ण छूट दी हैं.

इलेक्ट्रोनिक टेलिफोन, फलोपी डिस्क, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, सोलर पैनल, प्रिन्टेड सर्किट वोर्ड आदि इनमें प्रमुख हैं. इलेक्ट्रोनिक मिल्क टैस्टर एवं कोपर फोइल बनाने के लिए तो रीको द्वारा स्थापित दो उद्योगों मे देश मे ही नहीं विदेशों में भी अच्छो ख्याति अर्जित की है. दूध के गाढ़ेपन को इलेक्ट्रोनिक्स की विधि से कम समय एवं कम कीमत पर नापने के लिए यह यत्र काम में लाया जाता है जो देश में पहली बार बनाया गया है. कोपर फोइल बनाने के लिए स्थापित संयंत्र तो विश्व में पांचवी एवं एशिया में दूसरा है.

उच्च तकनीक आधारित 11 उद्योगों में तो उत्पादन आरंभ भी हो गया है जबकि ऐसे ही उच्च तकनीक पर आधारित 10 अन्य उद्योगों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है. इन सभी के लिए तकनीकी ज्ञान एवं अनुबन्ध विदेशों से रीको द्वारा किये गये है.

वित्तीय सहायता

रीको द्वारा अब अक 110 करोड़ रु. वित्तीय सहायता के रुप में स्वीकृत किए गए हैं. यह सहायता केवल पड़े या मध्यम श्रेणी के उद्योगों को ही मिली है. इसके

परिणामस्वरुप 200 बड़े या मध्यम श्रेणी के उद्योगों की स्थापना राजस्थान में संभव हो सकी है. इनमें लगभग 660 करोड़ रु. का पूंजी विनियोजन हुआ है.

रीको के औद्योगिक क्षेत्र

श्रेणी 'अ' जहां 25 प्रतिशत केन्द्रीय सब्सिडी उपलब्ध है (सीमा-25 लाख)

(1) सिरोही सिरोही, शिवगंज, अबुंदा, आबूरोड़, अम्बाजी-आबूरोड, मन्दिर, सिरोही रोड, स्वरूपगंज

(2) जैसलमेर

(3) चुरू बिदासर, सादूलपुर, सरदारशहर, चुरू, सुजानगढ़

(4) बाड़मेर बालोतरा, समदड़ी, बाड़मेर

श्रेणी 'ब' जहां 15 प्रतिशत केन्द्रीय सब्सिडी उपलब्ध है (सीमा 15 लाख)

(5) अलवर मत्स्य (सब्सिडी उपलब्ध नहीं) भिवाड़ी खेरली, बेहरोर, खैरथल, राजगढ़, शाहजहांपुर

(6) भीलवाड़ा भीलवाड़ा, जहाजपुर, बिगोद, रैंगला

(7) जोधपुर:मरूधर (सब्सिडी उपलब्ध नहीं) भगत की कोठी, खीचन, मथानिया, मन्डोर, पावर हाऊस, फलोदी

(8) नागौर मेड़ता सिटी, मकराना, नागौर

(9) उदयपुर राजनगर, मेवाड़ (अनुपलब्ध), फतेह नगर, सुखेर

श्रेणी 'स' जहां 10 प्रतिशत केन्द्रीय सब्सिडी उपलब्ध है (सीमा 10 लाख)

(10) बांसवाड़ा खुशालगढ़

(11) डूंगरपुर डूंगरपुर, सागवाड़ा

(12) जालोर जालोर, बिशनगढ़, सांचोर

(13) झुन्झनू खेतड़ी, पिलानी, चिड़ावा, झुन्झनू, सिघांना

(14) सीकर सीकर, श्रीमाधोपुर, रींगस, खण्डेला, नीमका थाना, रामगढ़

(15) झालावाड़ झालावाड़, भवानीमण्डी, अकलेरा, झालरापाटन

(16) टोंक–टोंक, नीवाई, मालपुरा

श्रेणी 'द' जहां राज्य सब्सिडी उपलब्ध है

10% बड़े व ध्मयम श्रेणी के उद्योगों को (सीमा 10 लाख रु.)

15% लघु उद्योग इकाईयों को (सीमा 3 लाख)

20% SC/ST की लघु उद्योग इकाई को (सीमा 3 लाख)

25% SC/ST की SSI TINY UNITS (सीमा 3 लाख)

(17) अजमेर केकड़ी, परबतपुरा, एम. टी. सी. अजमेर, किशनगढ़, विजयनगर, ब्यावर, भखुपुरा

(18) भरतपुर भरतपुर, डीग, बयाना

(19) बून्दी बी. सी. आर, बी. एन. आर, बी. पी. आर

(20) बीकानेर बिछवाल, लूनकरनसर, बारी वाली

(21) चित्तौड़गढ चित्तौड़गढ, निम्बाहेड़ा, कपासन, प्रतापगढ़

(22) जयपुर भारतीय व विश्वकर्मा (अनुपलब्ध), बगरू, दूदू, रेनवाल, दौसा, शाहपुरा, लालसोट, सांभर, फुलेरा, जेतपुरा, कनकपुरा, सांगानेर

(23) श्रीगंगानगर सूरतगढ़, अनूपगढ, घरसाना, हनुमानगढ, श्री गंगानगर, पदमपुर, रावला मण्डी, नोहर

(24) कोटा इन्द्रप्रस्थ, अपोजिट मल्टीमेटल, रेल्वे क्रोसिंग (अनुपलब्ध) रामगंजमण्डी, सुमेरगंजमण्डी

(25) पाली पाली, मन्डियारोड़, सुमेरपुर, तखतगढ, मारवाड़ जं., सोजत सिटी, पिपलिया कलां, रोहट

(26) सवाईमाधोपुर हिन्डोन, गंगापुर सिटी, खेरडा रोड, रणथम्मोर, करोली

(27) धौलपुर धौलपुर, बारी

———

राजस्व

भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 15 अगस्त 1947 को जूनागढ, काश्मीर एव हैदराबाद को छोड़कर सभी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बना लिया था. राजस्थान की अलग अलग रियासतों ने भी भारतीय संघ का अंग बनने की सहमति दे दी थी. लेकिन राजस्थान निर्माण के समय विभिन्न इकाइयों की वित्तीय स्थिति में कोई समानता नहीं थी. यह असमानता वित्तीय लेखा-जोखा तथा करों की मात्रा के रूप में स्पष्ट दिखाई देती थी. वित्तीय लेखांकन के तरीके अलग-अलग रियासतों में अलग-अलग थे. करों के प्रकार एवम् *मात्रा में कहीं पर भी समानता नहीं थी अत: राज्य की* विभिन्न रियासतों के बारे में कोई भी विश्वसनीय एवम् तुलनात्मक अध्ययन सामान्यतया सम्भव नहीं है. राज्य की विविध रियासतों के मुख्य साधन मालगुजारी और सीमा शुल्क ही थे. राजस्थान में एकमात्र जोधपुर ही ऐसी रियासत थी, जिसकी आमदनी का प्रमुख स्रोत रेलवे थी. रियासतों की आय का अधिकांश भाग पुलिस, सेना तथा राजा-महाराजाओं के मनोरंजन पर खर्च होता था.

राज्यों की विकास योजनाओं के लिए इतनी अपर्याप्त राशि थी कि राज्य मे जन कल्याण के कार्य करना असम्भव प्रतीत होता था. एकीकरण के समय विभिन्न रियासतों में वित्तीय समानता तथा एकरूपता का अभाव था. कुछ रियासते या रजवाड़ों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ थी तथा आय के साधन भी पर्याप्त इसके अतिरिक्त विकसित होने के कारण खर्च कम. इसके विपरीत कुछ रियासतें पिछड़ी एवम् वित्तीय दृष्टिकोण से बुरी स्थिति में थी. अतः एकरूपता लाने के लिए इन पर अधिक व्यय करना आवश्यक हो गया. फलस्वरूप योजना के अन्तर्गत भारी व्यय का प्रावधान किया गया था.

राजस्थान का वित्त विभाग विभिन्न विभागों से आय और व्यय के आंकड़े प्राप्त करता है, इन आंकड़ों के आधार पर अगले वर्ष के लिए अनुमानित धन राशि व्यय करने का प्रावधान रखा जाता है. इसी प्रकार आय के भी अनुमानित आंकड़े तैयार किए जाते हैं. बजट प्रति वर्ष वित्तमंत्री द्वारा मार्च में विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता हैं. विधान सभा बजट को बजट को स्वीकार करती है और इसके पश्चात् ही विभिन्न विभागों द्वारा धन राशि व्यय की जाती है. यह बजट प्रस्ताव कहलाते है. जब विधान सभा में बहस के बाद बजट पारित हो जाता है तो विभिन्न विभागों को व्यय का अधिकार प्राप्त होता है. बजट में बहस के समय कई मदों में आवश्यकतानुसार कटौती तथा वृद्धि भी की जाती है. इसी प्रकार कर *प्रस्तावों में छूट भी दी जाती है. आवश्यकता पड़ने पर* वित्त मंत्रालय विधान सभा में अतिरिक्त धन की मांग कर *उसे स्वीकार भी करा लेता है.*

राजस्थान में वित्तीय एकरूपता के अभाव में, विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा निरन्तर पड़ने वाले अकालों के कारण प्रतिवर्ष देनदारियाँ बढती गई है और राज्य की आर्थिक स्थिति विषम हो गई थी.

तालिका संख्या-1 में विभिन्न वर्षो के अन्तर्गत राजस्व खाते में आय एवम् व्यय को दिखाया गया है.

तालिका सख्या-1 में राजस्व खाते के आय व्यय को ही दिखाया गया है इसलिए पिछले वर्षों में बचत को दिखाया गया है. यदि इसमें राजस्व खाते के अतिरित लेन देन के ब्योरों को शामिल करलें तो प्रति वर्ष घाटा ही नजर आता है. इस घाटे का मुख्य कारण यह रहा है कि वर्षा के अभाव से पड़ने वाले अकालों से एक ओर उत्पादन कम हुआ और दूसरी ओर अभावग्रस्त क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए भारी मात्रा में राहत कार्य चलाने पड़े. इससे राज्य सरकार का ओवरड्राफ्ट याने घाटा बहुत अधिक बढ़ गया था. इसके साथ ही बढ़ती हुई महँगाई के कारण केन्द्र सरकार द्वारा घोषित राज्य कर्मचारियों को समय-समय पर देय महंगाई भत्ते को चुकाने से यह वित्तीय भार और बढ़ता गया और इस प्रकार गत

तालिका संख्या–1

राज्य में विभिन्न वर्षों में आय-व्यय की स्थिति (राजस्व खाता) (लाख रुपयों में)

वर्ष	आय	व्यय	आधिक्य + घाटा —
1955-56	2643.23	2545.60	+ 96.63
1956-57	2375.31	2718.54	— 343.23
1957-58	3078 94	3131.96	— 63.02
1958-59	3397.30	3594.78	— 197.48
1959-60	3946.12	4042.89	— 96.77
1960-61	4396.31	4546.09	— 149.78
1961-62	4520.88	5209.09	— 688.71
1962-63	5826.20	5679.45	+ 146.75
1963-64	6802.91	6880.11	— 77.20
1964-65	7386 90	7822.91	— 436.01
1965-66	9687.07	10039.22	— 352.15
1966-67	9674.65	11649.74	—1962.67
1967-68	12138.35	13630.21	—1491.86
1968-69	13046.00	15836.18	—2790.11
1969-70	15700.00	21760.62	—6059.79
1670-71	16884.95	22009.55	—5621.40
1971-72	18510 79	20299.55	—1788.86
1972-73	23345.15	24203.45	— 858.31
1973-74	26329.34	29889.12	—3560.78
1974-75	32044.49	30616.21	+1428.28
1975-76	39491.83	34775.98	+4715.85
1976-77	45258.71	41034.15	+4224.56
1977-78	48653.76	46064.74	+2589.02
1978-79	54040.07	54040 07	+5548.37
1979-80	65337.34	63536.09	+1801.25
1980-81	75285.11	68753.24	+6531.87
1981-82	85707.39	82279.86	+3427.63
1982-83	100905.85	95451.42	+5454.43
1983-84	114311.88	109846.79	+4465.09
1984-85	122722.51	130308.59	—7586.01
1985-86 (R.E)	149010.87	154301.00	—5290.13
1986-87 (B.E)	163760.33	170763.44	—7003.11

Note : R E=Revised Estimates
B E=Budget Estimates

गैर कर राजस्व (राजस्व लेखा)

(लाख रुपयों में)

शीर्ष का शीर्षक	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86 R.E	1986-87 B.E.
1. सामान्य सेवाएँ	1536.27	1628.04	2477.87	7493.79	2701.13	6053.32	7041.96	7884.12	7554.32	10109.40
2, सामाजिक एवम् सामुदायिक सेवाएँ	1360.12	1438.17	2086.46	2320.80	2582.97	2747.99	3350.07	3299.57	4229.72	4323.19
(a) शिक्षा, कला एवम् संस्कृति	295.46	189.70	266.12	211.60	199.08	433.65	548.20	457.01	294.82	294.98
(b) जन स्वास्थ्य, स्वच्छता प्रबन्ध एवम् जलप्रदाय	762.86	855.31	1264.89	1400.73	1607.31	1735.40	2223.37	2277.38	2972.64	3320.90
(c) अन्य	301.80	393.16	555.45	708.48	776.58	578.94	578.50	565.18	962.06	717.31
3. आर्थिक सेवाएँ	4376.26	4820.28	4989.53	5505 41	5886.21	6902.55	7530.50	9700.50	10207.20	10643.00
(a) लघु सिंचाई	276.19	305.64	169.42	297 95	219.07	435.65	158.18	465.50	592.60	593.60
(b) वन	533.93	600.22	651.34	698.98	856.73	907.86	951.98	918.02	829.07	786.86
(c) उद्योग एवम् खनन	2482.46	2568.58	2808.72	2957.32	3534.23	3936.01	4785.25	6234.95	6865.98	7263.29
(d) सिंचाई व बहुउद्देश्य नदी परियोजनायें	814.57	1017.97	1078.99	968.99	866.16	1191.52	1255.39	1434.88	1384.22	1454.03
(e) अन्य	269.11	327.87	281 06	582.17	410 02	431.51	379.75	647.15	534.33	545.22
4. ब्याज की प्राप्तियाँ, लाभांश एवम् लाभ	3376.94	4578.39	5069.81	4516 06	6332.12	7559.17	8822.05	7090.82	7696.17	8247.88
5. सहायतार्थ अनुदान	12334.31	18198.25	13311 29	14974.01	17281.44	17335 23	19248.45	19311 71	30329.56	29457.74
कुल अ-कर राजस्व	22983.90	30663.13	27934.96	34810.07	34873.88	40598.26	45993.03	47286.72	60016.97	62791.21

तालिका संख्या 3

करों एवम् महसूलों से आय

(लाख रुपयों में)

लेखे का शीर्षक	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86 (RE)	1986-87 (BE)
A केन्द्रीय करों का अंश	8399.07	9174.28	15723.21	17451.64	19635.44	21360.50	24201 31	26696 69	32530.00	35695.00
(i) आय कर	3039.00	3179.79	3774.34	4374.94	4431.05	4944.63	5113.04	5374 19	8394 00	9168.00
(ii) भू-सम्पत्ति कर	43.93	47.99	19.18	32 92	—7.25	21.92	24.45	65.08	59.00	43.00
(iii) संघीय आबकारी	5316.14	5946.50	11929 69	13042,03	15208 06	16393.95	19063.82	21257.42	24077.00	26484.00
B राज्य कर राजस्व	17270.79	19751 03	21679.17	23023.40	31198.17	38947.09	44117.54	48739.17	56463.90	65274.12
(i) भू-राजस्व	901.76	1242.82	766.82	963.70	2499.71	2432.88	2100 29	1500.56	1452.65	2003.62
(ii) मुद्रांक एवम् पंजीयन शुल्क	789.81	926.10	1139 21	1387.57	1524.14	1795.23	2078.90	2257.51	2660.00	2926.03
(iii) राज्य आबकारी	2755 44	2447.72	2045.37	1345.50	3363.64	5854.55	6394 84	7609.21	8500.00	9605.00
(iv) बिक्री कर	10025.03	11367.62	13585.76	14731.42	18621.58	22223 40	24998.22	28045.66	33000.00	38687.00
(v) वाहनों परकर	775.43	886.21	1216.60	1391 06	1565.51	2959.12	5522 79	6243.02	6875.00	7612.00
(vi) सामान एवम् यात्री कर	1134,40	1863.52	1825.57	1781.49	2078.97	1739 11	194.60	173.44	750.00	950.00
(vii) बिजली कर एवम् शुल्क	297.58	392.30	411.94	573.05	602.54	1278.48	1578.62	1647.61	1883.50	2048.75
(viii) अन्य कर एवम् महसूल	591.34	624.74	687.90	849.61	942.08	1164.32	1249.28	1262.16	1342.75	1441·75
कुल कर राजस्व	25669.86	28925 31	37402.38	40475.04	50833.61	60307.32	68318.85	75435.86	88993.90	100969.12

तालिका संख्या 4

राजस्व व्यय (विकास एवम् गैर-विकास) (लाख रुपयों में)

लेखे का शीर्षक	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
कुल राजस्व व्यय	46064.74	54040.07	63536.09	68753.24	82279 86	95451.42	109846.79	130308.59	154301.00	170763.44
(i) विकास व्यय	32035 46	38751 68	45551.07	48074.34	57259.44	66350.16	75711.76	87370.58	106351.66	113814 84
(ii) अ-विकास व्यय	14029.28	15288.39	17985.02	20678.90	25020.42	26101.26	34135.03	42938.01	47949.34	56948.60
विकास व्यय कुल व्यय का प्रतिशत	69.54	71.71	71.69	69.92	69 59	69.51	68.92	67.05	68.92	66 65
विकास व्यय का सूचकांक (1970-71 = 100)	299	362	426	449	535	620	707	816	994	1063
अ-विकास व्यय का सूचकांक (1970-71 = 100)	124	135	159	183	221	257	302	379	424	503

कुछ वर्षों में राज्य की आर्थिक स्थिति बड़ी विषम हो गई थी.

तालिका संख्या-2 में राज्य की राजस्व खाते में गैर-कर क्षेत्र से आय को दिखाया गया है. इस आय को 1977-78 से ही दिखाया जा रहा है. इसके पहले के वर्षों में भी प्रवृति इसी प्रकार की मिलती है. लेकिन राज्य सरकार के वित्त विभाग ने आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत वर्गीकरण को बदल देने के कारण तुलनामत्क नहीं रह जाती है. अतः इसको 1977-78 से ही दिखाया गया है.

गैर-कर राजस्व में सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत प्रशासनिक सेवायें, सार्वजनिक निर्माण, पेंशन और लेखन सामग्री तथा मुद्रण इत्यादि को सम्मिलित किया गया है. सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत अन्य मदों मे चिकित्सा, गृह निर्माण, नगरीय विकास, सूचना व प्रसर, श्रम तथा नियोजन और सामाजिक सुरक्षा व कल्याण को सम्मिलित किया गया है. इसी प्रकार आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत अन्य मद में सहकारिता, कृषि, खाद्य, पशुपालन, मत्स्य एवम् सड़कें इत्यादि को सम्मिलित किया है.

गैर-कर राजस्व में आधार वर्ष 1970-71-100 मानते हुए यदि हम तुलना करें तो 177-78 में यही सूचकांक 318 हो जाता है और 1981-82 में बढ़कर 475 तथा 1986-87 के बजट अनुमान के अनुसार 855 हो जासे की आशा है.

1978-78 से 1986-87 के मध्य सामान्य सेवाओं से प्राप्त राष्ट्रीयों की तुलना करें तो ऐसा लगता है. कि लगभग 6½ गुना वृद्धियाँ हो गई है. जबकि इसी दौरान सामाजिक एवम् सामुदायिक सेवाओं में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है. आर्थिक सेवाओं में यह वृद्धि 2½ गुना के लगभग है. ब्याज की प्राप्तियाँ लाभ एवम् लाभांश में भी लगभग 2½ गुना वृद्धि हुई है.

तालिका संख्या-3 में राजस्व गाते मे कर राजस्व को दिखाया गया है।

तालिका संख्या-3 से स्पष्ट है कि केन्द्रीय करों का अंशदान लगातार बढ़ता जा रहा है. 1977-78 से 1986-87 के मध्य यह लगभग 4¼ गुना बढ गया है, इस हिस्से के बढने का मुख्य कारण संघीय आयकर का बढ़ना है. परिणामस्वरूप यह हिस्सा अधिक बढ़ा है. राज्य कर राजस्व लगभग 4 गुना बढ़ा है. कुलकर राजस्व भी इन सालों में 4 गुना के लगभग बढ़ा है. यदि कर राजस्व के सूचकांक 1970-71-100 माने तो यह 1977-78 में बढ़कर 269 हो गया और 1986-87 में इसके 1057 हो जाने की आशा है.

तालिका संख्या-4 में राजस्व व्यय (विकास एवम् विकास) दिखाया गया है.

तालिका संख्या 4 से स्पष्ट है कि विकास व्यय कुल व्यय का 69.54 प्रतिशत था जो इन वर्षों में लगभग स्थिर रहा है और 1986-87 में गिरकर 66.65 हो जाने की आशा है. लेकिन विकास व्यय का सूचकांक जो 1970-71 में 100 था 1986-87 में 1063 हो जाने की आशा है. यह इस बात का सूचक है कि विकास व्यय व्यय में लगातार वृद्धियाँ हुई है. हो सकता है यह वृद्धि मूल्य वृद्धि का परिणाम हो. गैर विकास व्यय का सूचकांक 1986-87 में 503 हो जाने की आशा है. यह सूचकांक भी पिछले 3-4 सालों में तेजी से बढा है. इसके बढने का मुख्य कारण भी कीमत वृद्धि ही नजर आती है. राज्य की ऐसी दुर्बल अर्थ-व्यवस्था के निवारण के लिए वित्तीय अनुशासन पहली आवश्यकता थी, जिसे सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय नीतियों को अधिक व्यावहारिक बनाने और प्रशासनिक तथा अन्य खर्चों पर नियंत्रण रखने का गुणात्मक कार्यक्रम अपनाया गया, वर्ष 1982-83 से इस हेतु करारोपण करना पड़ा जिसमें मद्य-निषेध को समाप्त कर आबकारी से आय बढ़ाने, सिंचाई और बिजली की दरें बढ़ाने और परिवहन कर तथा शुल्क की परिवर्तित दरें लागू करने साहसिक वित्तीय निर्णय लिए गए, क्योंकि अकाल की विभीषिका और विषम आर्थिक स्थिति के रहते भी आवश्यक सामाजिक सेवाओं के प्रसार एवम् अन्य विकास कार्यों की गति बनाये रखने की अत्यन्त आवश्यकता थी.

तालिका संख्या 5

राजस्थान की राज्य आय औद्योगिक उद्‌भव स्थिर (1970-81) कीमतों पर (लाख रुपयों में)

नुभाग	1970-71	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-883	1983-84	1984-85
. कृषि	100374	111362	83857	90394	101619	109605	125347	108463
. वन उद्योग	329	220	222	247	190	159	134	135
. मत्स्य पालन	162	320	333	346	333	358	371	410
. खनन्	1042	3722	3753	3173	3433	3628	4311	4466
विनिर्माण (पजीकृत)	5060	7479	7565	7767	8654	9938	8229	9787
. विनिर्माण (गैर पंजीकृत)	7606	8997	8112	6572	7196	7766	8201	7960
. निर्माण कार्य	7597	9348	8367	9455	9931	9771	9893	9971
. विद्युत, गैस तथा जल पूर्ति	1168	3197	3697	3672	3939	4111	5107	5128
. रेल्वे	2750	3962	3811	3434	3655	3200	3248	3297
. अन्य यातायात तथा संग्रहण	2572	3851	4074	4286	4493	4724	5055	5296
. संचार	522	939	998	1088	1175	1339	1489	1649
. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	12444	24530	21938	22760	24957	26557	29014	27535
. बैंक व्यापार नया बीमा	1758	4602	4547	4304	4558	5473	5858	6270
स्थावर संपदा आवासीय गृहों का स्वामित्व एवम् व्यावसायिक सेवायें	2237	3447	3686	3647	3923	4072	4311	4523
. सार्वजनिक प्रशासन	4528	8104	8158	8210	8195	9459	9316	8365
. अन्य सेवायें	7734	10029	10387	11443	13695	14118	14631	15150
शुद्ध उत्पादन (साधन लागत पर)	157883	204109	174505	180833	200337	213278	234507	218405
प्रति व्यक्ति आय	620	642	534	535	577	597	638	577

इस आर्थिक अनुशासन में पूर्ण क्षमता से आय के तों का दोहन करके अतिरिक्त संसाधन जुटाये गए. समें नीतिगत निर्णय लिए गए. जैसे कृषि भूमि के रूपान्तरण, मोटर वाहन पर एक मुश्त कर आदि है. कृषि भूमि के रूपान्तरण से आय के अतिरिक्त जनसाधारण को आवास समस्या हल करने में सुविधा भी मिलेगी.

राज्य के इस आर्थिक संकट के मुख्य कारण दो हैं, जिनमें से एक प्राकृतिक आपदाओं से राहत दिलाने के लिए सहायता कार्य चलाना और दूसरा केन्द्रीय सरकार के द्वारा घोषित सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते दिया जाना हैं. चूंकि राहत कार्यों का खर्च लगभग सारा व्यय आयोजना मद से होता है, जिसके कारण अतिरिक्त संसाधन जुटाकर राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने की सारी योजना डगमगा जाती है. वर्ष 1985-86 में राज्य सरकार ने अक्टूबर 1985 में 580 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केन्द्र सरकार से किया था और भारत सरकार ने इस के अन्तर्गत 40.26 करोड़ रुपये की सीमा मार्च, 1986 तक के कार्यों और 36.59 करोड़ रुपयों की सीमा जुलाई 1986 तक के कार्यों के लिए प्राप्त की गई है. इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राज्य सरकार के संकल्पों के साथ साथ वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था की अत्यन्त आवश्यकता है. जिसमें कर्मचारियों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते की राशि केन्द्रीय सरकार से अनुदान के रूप में मिलें, अकाल राहत कार्यों पर खर्च होने वाली राशि में केन्द्र सरकार की सहायता अग्रिम योजना सहायता के रूप में न मिलकर अनुदान के रूप में दी जाय.

आठवें वित्त आयोग द्वारा पूंजीगत कार्यों के लिए दी गई सहायता (9.88 करोड़ रुपये) तथा सीमावर्ती एवम् सामरिक महत्त्व की सड़कों पर होने वाले व्यय (5.80 करोड़ रुपये) भी योजना व्यय का ही अंश है. लेकिन इसे योजना भिन्न व्यय के अन्तर्गत दिया जाना चाहिए था.

तालिका संख्या-5 में राज्य की आय, औद्योगिक आधार पर (स्थिर कीमत 1970-71 = 100) पर दिखाई गई है.

तालिका-5 से स्पष्ट है कि राज्य आय में कृषि का महत्व घट रहा है. 1970-71 में कृषि का हिस्सा 63.57 प्रतिशत था जो 1981-82 में घट कर 50.72 हो गया और 1984-85 में और भी गिरकर 49.66 प्रतिशत हो गया. दूसरी तरफ व्यापार, होटल तथा जलपान गृह का हिस्सा जो 1970-71 में 7.88 प्रतिशत था वह 1981-82 में बढ़कर 12.46 तथा 1984-85 में 12.61 प्रतिशत हो गया. यूं तो सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ है लेकिन महत्वपूर्ण ऊपर वर्णित दो क्षेत्रों में ही होता है. स्थिर कीमतों पर (1970-71) में प्रति व्यक्ति आय 620 रुपया थी जो 1979-80, 1980-81 में तो घटी है. लेकिन बाद में पुनः बढ़ी है फिर भी 1984-85 में यह 577 ही रही है. इसका शुद्ध तात्पर्य यह है कि इन सालों में मूल्य वृद्धि ही हुई है वास्तविक वृद्धियां नहीं.

पिछले 10 वर्षों की अवधि में प्रति व्यक्ति करों से प्राप्त आय लगभग 4 गुना बढ़ी है. यदि जिलेवार करों से प्रति व्यक्ति प्राप्त आय को देखे तो पता चलता है कि इस मद से सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय जयपुर, दूसरे क्रम में कोटा फिर गंगानगर, अजमेर, उदयपुर तथा जोधपुर का स्थान आता है. इसका कारण सामान्यतया यह समझा जाता है कि या तो ये जिले औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न है या फिर कृषि बाहुल्य क्षेत्र है.

जहां तक गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का प्रश्न है, वह 1977 के लिए सम्पूर्ण देश के लिए 45 प्रतिशत आंका गया है लेकिन राजस्थान के लिए यह प्रतिशत 56.36 है. यह राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारिक शोध परिषद का अनुमान है. जबकि राज्य के योजना विभाग के अनुसार यह प्रतिशत 60 है. इसी प्रकार के निष्कर्ष राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 28 वें दौर में राजस्थान के लिए किए गए है और इसके लिए जो आधार माना गया है वह ग्रामीण क्षेत्र में 18.90 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 25 रुपये मासिक व्यय. यह राशि इतनी कम है कि इससे न्यूनतम जीवन की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो सकती है. राज्य सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है. यद्यपि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण 1986-87 की वार्षिक योजना में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि करना सम्भव नहीं हो पाया हैं और योजना का आकार 525 करोड़ रुपये रखा गया है. हालांकि यह 1985-86 की योजना से यह 95 करोड़ रुपये अधिक हैं जो कि गत कई वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है. इसमें से 332 करोड़ रुपये विद्युत, सिंचाई,

कृषि तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए आवंटित किये गए है. यह इस वात का द्योतक है कि राज्य सरकार विकास की गति अनवरत रूप से द्रुतगामी वनाये रखने के लिए कृत संकल्प है.

राजस्थान सरकार का 1986-87 का वजट और विकास कार्य—

राज्य सरकार ने 21.50 करोड़ के नए कर लगाए है लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार का 50.38 करोड़ के घाटे का वजट प्रस्तुत हुआ. घाटे की वृद्धि का प्रमुख कारण मंहगाई के परिणाम स्वरूप प्रशासनिक व्यय का वढ़ता भार है. सेवारत एवम् सेवामुक्त राज्य कर्मचारियों को देय तीन मंहगाई भत्तो पर करीव 33.56 करोड़ रुपये व्यय होगी. अव चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के वाद वजट का घाटा और भी वढ जायगा. सूखा ग्रस्त पिछड़े राजस्थान के समक्ष प्रमुख समस्या है साधन विकास की औद्योगिक दृष्टि से राज्य पिछड़ा हुआ है. वार वार पड़ने वाले सूखे एवम् अकाल के कारण कृषि अनिश्चित है केन्द्रीय अनुदान राशि, वर्तमान फार्मूले के कारण पर्याप्त नहीं है.

राज्य सरकार की 1986-87 में कुल प्राप्तियाँ 2266.66 करोड़ रुपये होगी एवम् व्यय 2343.66 करोड़ रुपये का होगा. व्यय में प्रमुख हिस्सा प्रशासनिक व्यय का है जो 1985-86 में 30 प्रतिशत के लगभग था यह व्यय अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि से ज्यादा है. इसकी अधिकतम सीमा 16 प्रतिशत से अधिक नहीं है. कई अर्थशास्त्रियों ने इस पर अपने प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए है. यदि इसमें कटौती सम्भव हो सके तो राज्य सरकार का बजट का घाटा पूरा हो जायेगा. लेकिन पिछड़े राज्य में शिक्षा, चिकित्सा आदि पर व्यय वढ़ाना ही पड़ता है और राजस्थान भी चूंकि पिछड़ा है अतः यह खर्च प्रयत्न करने के वावजूद भी घटाया नहीं जा सकता है. हाँ यदि सरकार इमानदारी दिखाए तो रिसाव जरूर रोक सकती है.

राजस्थान पर इस समय करीव 6 अरव का ऋण है जिसमें आंशिक अदायगी एवम् व्याज के रुप में करीव 636 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं और यह ऋण प्रतिवर्ष वढ़ता ही जाता है. केन्द्र जो वित्तीय सहायता देता है उसका लगभग 70 प्रतिशत तो वापस इसी स्रोत से ले लेता है.

राज्य की पूंजीगत प्राप्तियाँ तो घट रही है और देनदरियों में वृद्धि . पूंजीगत निवेश अलाभकारी है. उदाहरण के लिए राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की बिजली उत्पन्न करने की लागत प्रति यूनिट 75 पैसे आती है लेकिन विभिन्न प्रयोगों के लिए यह दर 75 से कम ही है.

प्रस्तुत वजट में आधार भूत सुविधाएँ जैसे सिंचाई एवम् बिजली को प्राथमिकता दी गई है जो योजना व्यय का लगभग 58 प्रतिशत है. राज्य की आवश्यकता को देखते हुए यह निर्णय उचित ही लगता है लेकिन फिर भी विजली के क्षेत्र में असन्तोष ही पनप रहा है. राजनैतिक एवम् प्रशासनिक कारणों से कृषि आय पर कर नहीं लगता. किन्तु लघु वचत योजनाओं द्वारा इस क्षेत्र से पूंजी प्राप्त की जा सकती है.

आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से राजस्थान में मरु क्षेत्रीय विकास का महत्वपूर्ण स्थान है. विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के लिए. यह हर्ष का विषय है कि भविष्य में केन्द्र सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के समान मरु क्षेत्र के विकास का सम्पूर्ण भार वहन करते हुए, इस मद पर करीव 180 करोड़ रुपये व्यय करेगी। अभी तक राज्य सरकार 11 जिलों के 85 विकास खंडों पर करीव 50 प्रतिशत व्यय करती थी इस क्षेत्र का तीव्र गति से विकास राज्य के हित में होगा.

राज्य सरकार पेयजल समस्या से अवगत है और दूर करने का प्रयास कर रही है लेकिन ग्रामीण इलाकों की वात तो दूर वड़े नगरों (जयपुर, अजमेर, व्यावर) में भी इस पर कावू नहीं पाया जा सका है. इस स्थिति में पश्चिमी राजस्थान की स्थिति तो और भी दयनीय है. 1986-87 में पेयजल योजना पर 84 करोड रुपये व्यय करके राज्य के सभी 23,752 गांवों तक पेयजल पहुँचाने की योजना है. लेकिन . वर्ष की लगभग समाप्ति तक स्थिति में कुछ सुधार हुआ हो ऐसा आभास नहीं लगता है.

राज्य के पास खनिज पदार्थों का अमूल्य भण्डार है लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए 4.85 करोड़ का प्रावधान अपर्याप्त लगता है.

बढ़ती जनसंख्या एवम् मूल्य वृद्धि के कारण आवास की विशेषकर शहरों में कठिन समस्या है. बजट में 3.76 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो ऊंट के मुंह में जीरा लगता है. इसके अतिरिक्त जो विरोधाभास दिखाई देता है वह यह है कि एक तरफ सरकार समस्या के प्रति संवेदन दिखाई पड़ती है दूसरी तरफ जिस प्रकार सीमेन्ट पर बिक्री कर बढ़ाया गया और किराया नियन्त्रण कानून है व्यक्तिगत मकानों के निर्माण में रुकावट आती है. भवन कर जिससे सरकार को कोई विशिष्ट राशि प्राप्त नहीं होती हठधर्मिता छोड़कर समाप्त कर देना चाहिए. आवास समस्या का सही हल किराया नियन्त्रण कानून को मकान मालिकों के पक्ष में मोड़कर ही किया जा सकता है जो सरकार की घोषित नीतियों के विरुद्ध जाता है.

सरकार ने भूमि कर, पंजीयन शुल्क, मोटर वाहन कर (एक मुश्त) मनोरंजन कर, बिक्री कर में संशोधन करके 21.50 करोड़ रुपये के नए कर लगाए है. लेकिन जिन वस्तुओं पर कर बढ़ाया गया है (कर- विवेकीकरण के नाम पर) उनमें से अधिकांश वस्तुएँ मध्यम वर्गीय परिवार की आवश्यकताएँ हैं. एक तरफ सरकार मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने की दृष्टि से फ्लश शौचालय बनाने पर जोर देती है दूसरी तरफ पानी के साथ कर की राशि भी वसूल कर रही है. अतः सरकारी दृष्टिकोण की सही दिशा नहीं इंगित करती है.

बिक्री कर के विषय में जो मनमाना पन दिखाई देता है वह आम आदमी को भुगतना पड़ता है. दवाईयों पर राज्य सरकार की घोषित दर 5 प्रतिशत है लेकिन अधिकांश स्थिति में 4 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर तथा 1 प्रतिशत बिक्री सरचार्ज जोड़कर वसूल किया जाता है. अतः इसमें छिद्रों को बन्द करने की आवश्यकता है.

वाहन कर एक मुश्त वसूल होने से भ्रष्टाचार कम होगा और राज्य सरकार को भी आय मिलेगी. अतः स्वागत योग्य है है. लेकिन इतनी ही आय प्रति वर्ष मिलेगी. सम्भवतः नहीं अतः विकास में बाधा आएगी. सड़कों की स्थिति पहले ही स्तर से हल्की हैं अतः भविष्य के बारे में क्या कहा जा सकता है.

विकास की अधिकांश योजनाएं अनिश्चित केन्द्रीय सहायता पर निर्भर है. रावी-व्यास योजना अथवा स्थाई अकाल उन्मूलन कार्यों का कोई उल्लेख नहीं है. साधन विस्तार के लिए सरकार साहस जुटाने में असमर्थ रही है. कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के बजाय उन पर कर लगाकर उनको हतोत्साहित किया गया है जैसे सिले सिलाये वस्त्र, संगमरमर तथा संगमरमर की मूर्तियां आदि. अतः निष्कर्ष के रूप में कह सकते है कि बजट सन्तुलित तथा कल्याणकारी होते हुए भी रूढिवादी है और दिशा देने में असमर्थ है.

खनिज संसाधन

विस्तृत क्षेत्रफल वाला राजस्थान प्रदेश प्राकृतिक ाधनों की दृष्टि से बहुत सम्पन्न है. अधिक विस्तृत ने के कारण यहां प्रकृति में विभिन्नता के दर्शन होना ाभाविक है। इन विभिन्न भूखण्डो में विभिन्न प्रकार खनिज पदार्थ विद्यमान है.

सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य ने अपने द्धि चातुर्य तथा कौशल से प्राकृतिक सम्पदा का भरपूर योग किया है. प्राकृतिक सम्पदा कई रूपो में उपलब्ध खनिज सम्पदा उनमें से एक है. किसी भी सभ्यता के ए प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता एवम् उपलब्धता यन्त आवश्यक है. प्राकृतिक साधन सम्पन्नता के प्रतीक ते हैं जो सभ्यता का विकास करते है. संयुक्त राज्य मेरिका, ब्रिटेन एवम् सोवियत रूस इसके उदाहरण है. निज प्रकृति में पाये जाने वाले वे पदार्थ हैं जिनका कि निश्चित आकार और गुण होता है तथा इनकी तंत्र रसायनिक संरचना होती है. सरल शब्दों में वे सायनिक यौगिक होते हैं।

मानव का खनिज ज्ञान आदिकाल में भी बहुत कसित था. उसको प्रमुख धातुओं जैसे सोना, चांदी, म्बा तथा रत्नों के बारे में पर्याप्त जानकारी थी. विकास विभिन्न अवस्थाओं ने खनिजों ने मानव जीवन में जो प्रदान दिया है, वह इस बात से स्पष्ट है कि विभिन्न ों का नामकरण उसी के आधार पर किया गया है. ापत्थर युग, लौह युग आदि. आज खनिज सम्पदा के ा औद्योगिक विकास का पहिया एक कदम भी आगे ों बढ सकता. आधुनिक युग में खनिज आधारित ोगों की संख्या निरन्तर बढ रही है. बिहार, उडीसा, ध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवम् कर्नाटक की भांति राजस्थान भी प्रायः सभी तरह के खनिज उपलब्ध है.

राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा ता है. राजस्थान में, खनिज काफी मात्रा में मिलते है नसे राज्य में अधिक आय व रोजगार के स्रोत बढाये जा सकते हैं। राज्य की खनिज सम्पदा के विषय में डा. हेरोन (Heron A.M.) के विचार 1953 में निम्न थे-"राज्य ज्ञात खनिज भण्डारों तथा उनकी सम्भाव्यताओं की दृष्टि से धनी नही है लेकिन बाद के सर्वेक्षणों से यह सिद्ध हो गया है कि राजस्थान निश्चित रूप से देश के मुख्य खनिज उत्पादकों में से एक है और खनिज संसाधनों के अधिकतम औद्योगिक सम्भाव्यताओं से परिपूर्ण तथा धनी है।" यहां दोनों प्रकार के खनिज पाये जाते हैं-आधारभूत और अधात्विक। खनिजों में वर्तमान में 6 धात्विक एवम् 28 अधात्विक औद्योगिक खनिजो पर कार्य हो रहा है।

राजस्थान में खनिजों के वृहत् किस्मों के स्रोत हैं तथा वह देश के खनिज उत्पादक प्रदेशों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश में यह जस्ता, शीशा वा ताम्बा जैसे बुनियादी धातुओं तथा एस्बेस्टीस, डोलोमाइट, फेलस्पार, जिप्सम, मार्बल, माइका, सिलिका, सेण्ड तथा सोपस्टोन जैसी अधात्विक धातुओं का प्रमुख उत्पादक है। जहाँ भवन-निर्माण पत्थरों का सबसे बड़ा भंडार इस प्रदेश में है, वहीं इसे शीशा, जिंक, चांदी अयस्क तथा राक फास्फेट जैसे खनिजों के उत्पादन में प्रायः पूर्ण एकाधिकार प्राप्त है।

राजस्थान में एकीकरण के पूर्व खनन कार्य से सम्बन्धित कोई भी ऐसी नीति नहीं थी जिसका पालन सभी देशी रियासतें करती। लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् खनिज संसाधन का समुचित उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रयास किये गये।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व खानों से सिर्फ इमारती पत्थर ही निकाला जाता था। अभ्रक उद्योग स्वतन्त्रता प्राप्ति के कुछ वर्ष पूर्व ही प्रारम्भ हुआ था लेकिन संगठित रुप से उद्योग का विकास राजस्थान में राज्यों के एकीकरण के बाद प्रारम्भ हुआ।

राज्य में लगभग 45 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं उनमें से लगभग 34 प्रकार के खनिजों का निरन्तर खनन हो रहा है. राजस्थान का खनिजों की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान है.

तकनीकी दृष्टि से राज्य के खनिज भण्डारों को दो भागों में बांटा जा सकता है. (1) धात्विक खनिज और (2) अधात्विक खनिज. धात्विक खनिज वे हैं जिनमें से प्रमुख धातुओं को रसायनिक क्रिया द्वारा अलग किया जाता है तथा ये धातुएँ उद्योगों के आधार स्तम्भ का कार्य करती हैं. अधात्विक खनिज वे हैं जिनमें से धातु नहीं निकाली जा सकती. इसके विशिष्ट भौतिक एवं रसायनिक गुणों के कारण इनका प्रयोग इनके प्राकृतिक रूप में ही किया जाता है. विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में काम आने के कारण इनको औद्योगिक खनिज समूह भी कहा जाता है.

धात्विक खनिजों में तांबा, सीसा, जस्ता आदि के भण्डार प्रमुख हैं. पुराने खण्डहरों एवं ऐतिहासिक खोज से यह सिद्ध हो गया कि प्राचीन काल में भी राजस्थानवासी खनन कार्य किया करते थे तथा धातुओं के महत्व को जानते थे.

तांबा

खेतड़ी में तांबा खनन तथा उसको साफ करने का कारखाना भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है. इसके पहले यह कार्य सिर्फ घटशिला नामक स्थान पर ही होता था जहां कच्चा माल मोसाघानी खान से आता था. राजस्थान में खेतड़ी व अलवर की तांबे की पट्टी का गहन अनुसंधान होता रहा है। 80 किलोमीटर लम्बी खेतड़ी तांबा पट्टी के विस्तृत नक्शे बन चुके हैं और ड्रिलिंग द्वारा इसकी जांच पड़ताल की जा चुकी है. इस पट्टी के उत्तर में 80 किलोमीटर क्षेत्र में 850 लाख टन से अधिक कच्ची धातु के भण्डार का अब तक पता लग चुका है. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा माघानकुदान, कोल्हिान और चांदमारी के प्रमुख भण्डारों का दोहन किया जा रहा है. वनवास, ढोलमाला, अकवाली, सतकुई और सिंघाना-मुरादपुर के खनिज भण्डारो में भी तांबे की खाने हैं. अकवाली में खनिज अनुसंधान से 38.8 लाख टन कच्ची धातु होना प्रमाणित हो गया है. इस धातु में 1.1 प्रतिशत सी. यू. है. सिंघाना-मुरादपुर भण्डारों में 56.6 लाख टन खनिज का संकेत मिला है जिसमें 0.71 से 1.11 प्रतिशत तक सी. यू. है.

झुंझूनू और सीकर जिलों में एक नई खनिज पट्टी स्थित है. यह 60 किलोमीटर लम्बी पट्टी नीम का थाना तांबा पट्टी के नाम से जानी जाती है। इस पट्टी में वालेश्वर (10 लाख टन 1 प्रतिशत सी. यू. सहित) और अहिरवाला और तेजवाला खानें सम्मिलित है. कुछ खाने जहां विस्तृत कार्य किया जा चुका है और जो लाभदायक सिद्ध हो चुकी हैं. अलवर पट्टी में खो-दरीवा और भागोनी में भण्डार है इनमें 5.6 लाख टन और 52.2 लाख टन कच्ची धातु प्रस्थापित की गई है। भीलवाड़ा जिले में पुर-बनेड़ा खनिज पट्टी 84 किलोमीटर फैली हुई है. इसमें दो खनिज क्षेत्र हैं. पश्चिमी क्षेत्र में तांबा है और पूर्वी में सीसा-जस्ता मौजूद है. अब तक 41.2 लाख टन से अधिक धातु इस पट्टी में प्रस्थापित की जा चुकी है. आगे कार्य प्रगति पर है.

हाल ही की एक खोज जयपुर जिले में रुपाली में हुई जहां ड्रिलिंग द्वारा जांच पड़ताल का कार्य प्रगति पर है जयपुर जिले में ही घाटी-गोदयान क्षेत्र में भी जांच पडलात जारी है. 1984 के कच्चे तांबे का उत्पादन 1233 लाख टन हुआ और 1985 में इसके उत्पादन लक्ष्य 14.36 लाख टन है. जिसका मूल्य लगभग 33.29 करोड़ होगा.

सीसा ओर जस्ता

अलौह धातु-समूह में सीसा एवं जस्ता का महत्वपूर्ण स्थान है. सीसे का उपयोग पाइप, चद्दर, बैट्रियां तथ विभिन्न रंग बनाने में किया जाता है. जस्ते का प्रयोग मुख्य रुप से स्टील परत बढाने में किया जाता हैं जिसे गैलवेलनाईजिंग कहा जाता है, जस्ता व सीसा प्रकृति में संयुक्त रुप से पाये जाते हैं, अतः इनके भण्डारों क वर्णन साथ ही किया जाता है.

देश में सीसा और जस्ता के वृहद् भण्डार राजस्थान में स्थित है, उदयपुर जिले में जावर सीसा जस्ता पट्टी 20 किलोमीटर से अधिक बढ रही है. यह प्राचीन और अर्वाचीन खनिज दोहन का स्थल है. प्राचीन समय 14 और 18 वीं शताब्दी के बीच यहां खनन कार्यकलाप चले थे. विस्तृत मानचित्रीकरण भौगोलिक सर्वेक्षण और ड्रिलिंग सहित विशाल अनुसंधान कार्यक्रम इस क्षेत्र में 1950 से 1960 की अवधि में चला. फलतः 6 करोड़ 50 लाख टन से अधिक खनिज भण्डार मिले. इनमें 1.79 प्रतिशत सीसा और 4.15 प्रतिशत जस्ता सम्मिलित है, कैडमियम, चांदी, सुरमा, संखिया भी कच्ची धातु में मिले हुए थे. इनकी खुदाई हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा की जा रही है।

1963 के व्यापक भूगर्भीय सर्वेक्षण के बाद उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों में राजपुरा-बेथूमनी पट्टी का पता चला, इस पट्टी में राजपुरा-दरीवा खण्ड 17 किलोमीटर से अधिक लम्बाई में है. इसमें 2 करोड़ 50 लाख टन का भण्डार का अनुमान है जिसमें 5-5 प्रतिशत जस्ता और 1.2 प्रतिशत सीसा है. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड इसे खुदाई के लिए तैयार कर रहा है. इस पट्टी के देवपुरा और दक्षिण डेडवास खंडों से अब तक करीब एक करोड 76 लाख टन सीसा और जस्ता कच्ची धातु प्रस्थापित की जा चुकी है. इन भण्डारों के अलावा प्रति टन 37 ग्राम चांदी का भी अनुमान लगाया है.

राजपुरा-दरीवा के उत्तरी क्षेत्र में 1974 में किए गए प्रारम्भिक सर्वेक्षण से सिन्देसर कलाँ क्षेत्र में सीसा और जस्ते की सम्भावनाओं का संकेत मिला है और 1976 में जियोफीजकल सर्वे से इस क्षेत्र में खनन कार्य की प्रेरणा मिली. विस्तृत मानचित्रीकरण के पश्चात इसमें ड्रिलिंग कार्य 1977 से प्रगति पर है.

अजमेर जिले के सावर टिक्खी क्षेत्र में खोज और ड्रिलिंग से 23 लाख 60 हजार टन कच्ची धातु का प्रमाण मिला है जिसमें 4.31 प्रतिशत सम्पूर्ण सीसा जस्ता है. सिरोही जिले के डेरी क्षेत्र में 8 लाख टन कच्ची धातु का भण्डार मिला जिसमें 17.13 प्रतिशत सम्पूर्ण धातु अंश प्रस्थापित किया गया.

1984 में सांद्र सीसे का उत्पादन 23.4 हजार टन तथा 1985 के लिए उत्पाद अनुमान 23.9 हजार टन है. इसका मूल 8.32 करोड़ के लगभग होगा. सांद्र जस्ता का उत्पादन 84.3 हजार टन 1984 में हुआ और 1985 के लिए अनुमान 90.2 हजार टन है. इसका मूल्य 31.30 करोड़ आंका गया हैं.

हाल ही राजस्थान सरकार के भूगर्भ एवम् खनिज विभाग द्वारा उच्च श्रेणी का जस्ता सीसा प्रभव आगुचा क्षेत्र में पाया गया. समीपवर्ती क्षेत्र में इस भण्डार के विस्तार का पता करने, का शोध और अध्ययन प्रगति पर है, मोती परत वाली मिट्टी के क्षेत्र में जियोफिजीकल सर्वे के आधुनिक तरीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

लोहा एवम् मैंगनीज

लोहा एवम् मैंगनीज के बिना औद्योगिक विकास लगभग असम्भव सा है, इनका प्रमुख उपयोग स्टील, मैंगनीज स्टील तथा कई प्रकार के मिश्र धातु बनाने में किया जाता है. यद्यपि राजस्थान में लौहा व मैंगनीज के अच्छे भण्डार उपलब्ध नहीं है फिर भी पुराने समय में इसका खनन् कार्य किया जा चुका है, निम्न श्रेणी के लौह खनिज जयपुर, उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में पाये जाते है, जयपुर में यह चौमू-मोरीजा, नोमला तथा डाबला क्षेत्रों में है. उदयपुर में यह उरलाभक्ता, अभी सवाली तथा भीलवाड़ा में पुर-बनेड़ा बेल्ट में उपलब्ध है, जयपुर और उदयपुर में यह लोह अस्ट हेमेटाइट की शक्ल में है जबकि भीलवाड़ा में यह मेगनेटाइट की शक्ल में मिलता है. भीलवाड़ा क्षेत्र के भण्डारों को उपयोग के पहले रासायनिक क्रिया द्वारा साफ करना आवश्यक होता है.

1984 में लोहे (कच्चा) का उत्पादन 12.8 हजार टन हुआ तथा 1985 में 13.1 हजार टन का अनुमान है. इसका उत्पादन मूल्य 1984 में 4.56 लाख तथा 1985 में 4.59 लाख का अनुमान है.

टंगस्ठन

टंगस्टन एक सामरिक महत्व की धातु है, इसका उपयोग युद्ध सामग्री बनाने में किया जाता है. इसके मिश्रण से मजबूत इस्पात बनता है जो अस्त्र बनाने के काम आता है, हीरे के बाद टंगस्टन कड़ी वस्तु को काटने वाला दूसरा पदार्थ है, इससे चट्टानें काटने वाले ड्रिल बिट्स भी बनते हैं.

जोधपुर संभाग के डेगाना के निकट स्थित रेवत की पहाड़ियों में टंगस्टन की खानें मिली है. यहां सीमित मात्रा में टंगस्टन निकाला गया था, यह स्थान जोधपुर फुलेरा रेलमार्ग पर स्थित है. इन पहाड़ियों में वुलफ्रेमाइट भी मिलता है. 1942 में यहां मशीनें लगाई गई थीं, लेकिन 1946 में इन्हें फिर से हटा लिया गया. 1950 में खनिज विभाग ने पुनः कार्य प्रारम्भ किया लेकिन 1955 में पुनः बन्द कर दिया गया. इस बीच टंगस्टन विदेशों में भी बेचा गया. यहां पर खनन कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा उत्पादित खनिज रक्षा विभाग को दे दिया जाता है.

राजस्थान सरकार की प्रेरणा से सन 1959 से भारतीय खान ब्यूरो द्वारा इस क्षेत्र में विस्तृत पूर्वेक्षणा किये गये है जिनसे नागौर जिले के डेगाना भाकरी स्थित टंगस्टन परियोजना क्षेत्र में और बडी मात्रा में टंगस्टन प्राप्त होने के अनुमान है जिनसे टंगस्टन की उत्पादन क्षमता 3,550 टन तक हो जाने की सम्भावना है. डेगाना स्थित यह खान सम्पूर्ण देश में एक मात्र टंगस्टन की खान है जहां टंगस्टन का उत्पादन हो रहा है. हीरे के पश्चात् टंगस्टन कड़ी से कड़ी वस्तु काटने वाला दूसरा पदार्थ है। टंगस्टन विकास निगम द्वारा इन खानों के विकास हेतु कार्य किया जा रहा है. वार्षिक उत्पादन मूल्य 50 से 60 लाख रुपये आंका जाता है. 1981 में टंगस्टन का उत्पादन 17 मैट्रिक टन हुआ जबकि 1984 में 39.4 मैट्रिक टन हुआ और 1985 के लिए 24 मैट्रिक टन के अनुमान थे.

टंगस्टन विकास निगम जयपुर में इसके परीक्षण हेतु एक प्रयोगशाला भी स्थापित कर रहा है.

बेरिलियम

बेरिलियम धातु का महत्व इन दिनों बहुत बढ़ गया है तथा आणविक शक्ति आयोग द्वारा खरीदे जाने से इसके खनन को काफी प्रोत्साहन मिला है, राजस्थान हमारे देश में प्रमुख बेरिल पदार्थ उत्पादक राज्यों में से है, यह पदार्थ हरा, पीला, सफेद, रंग का होता है तथा तोड़ने पर पारदर्शी जैसी झांई देता है, इसकी उपलब्धि ग्रेनाइट और पेगमेटाइट श्रेणी की चट्टानों में होती है. राजस्थान में अच्छे किस्म का बेरिलियम पाया जाता है जिसमें 11.5 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक बेरिलियम मिश्रित पदार्थ इस्पात के सदृश्य मजबूत और साथ ही वजन में हल्के व अचुम्बकीय होते हैं. दुनियां में अमरीका रूस, ब्राजील, भारत व रुमानिया में बेरिल प्राप्त होता है. भारत में राजस्थान व बिहार में इसका नियमित उत्पादन होता है. राजस्थान के उदयपुर व जयपुर डिविजनों में मुख्यतः यह पदार्थ मिलता है.

भीलवाड़ा में देवड़ा गाँव के पास एक पहाड़ी पर बने मन्दिर के आसपास यह पदार्थ पाया गया था लेकिन वर्षों तक धार्मिक कारणों से गांवों ने इसको छूने तक नहीं दिया लेकिन बाद में इसकी कीमत मालूम हो जाने से इसका खनन कार्य प्रारम्भ किया गया.

बेरिलियम पदार्थ बिरल नामक खनिज से प्राप्त प्राप्त होता है. यह षटकोणीय आकृति में मिलता है और एल्युमिनियम का एक सिलिकेट है. यह रंगों जैसे हल्का हरा, पीला, सफेद आदि से मिलता है तथा तोड़ने पर पारदर्शी जैसी झांई देता है. यह राज्य में विभिन्न भागों में मिलने वाले पैगमेटाइट्स में मिलता है. ऐसे पैगमेटाइट्स अधिकांशतः अभ्रक क्षेत्रों में मिलते हैं. यह 15 से 18 मीटर तक की गहराई तक पाया जाता है। राजस्थान में बेरिलियम बहुतायत में मिलने के कारण इसकी गणना भारत में प्रमुख बेरिलियम उत्पादक राज्यों में की जाती है.

अधिकांश खानों में अयस्क मुख्यतया मानव श्रम से निकाला जाता है. राजस्थान की खानों में बेरेलियम का वार्षिक उत्पादन 5-7 टन है. इस धातु को

विखण्डनशील तत्वों की सूची में शामिल करने के पश्चात् इसकी महत्ता काफी बढ़ गई है. चम्बल घाटी परियोयोजना से सस्ती जल विद्युत शक्ति प्राप्त होने के साथ बेरेलियम खनिज संयंत्र भी राज्य में ही स्थापित किया जा सकता है.

अघात्विक खनिजों को बिना किसी रसायनिक क्रिया के सीधा औद्योगिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है. अतः इन्हें औद्योगिक खनिज भी कहते हैं. ऐसे खनिजों में सर्व प्रथम उन खनिजों को लिया जा सकता है जिनका उपयोग खाद बनाने एवम् कृषि सम्बन्धी कार्यों में किया जाता है. खाद उद्योग के विकास में तथा हरित क्रान्ति लाने में इन खनिजों की मुख्य भूमिका रही है. इनमें सर्वप्रथम रॉक फास्फेट अथवा फॉमफोराइट का नाम आता है. इसका उपयोग फासफोरिक एसिड एवम् अन्य फासफेट खाद जैसे सुपर फासफेट आदि बनाने में होता है.

रॉक फास्फेट

भारत सरकार के भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने रॉक फास्फोराइट पहले 1966 में जैसलमेर जिले के बिरमानिया में खोजा बाद में उदयपुर जिले में भी यह कार्य किया. इससे बड़े भण्डारों का पता चलता है, उदयपुर जिले में कानपुर, माटोन, डाकनकीकरा, कारबरी, सीसारमा, नीमच, माटा, बारगांव, झामर-कोटरा में यह भण्डार है. इसी प्रकार जैसलमेर में यह फतेहगढ़ तथा बिरमानिया में पाया जाता है. इन सब क्षेत्रों में विस्तृत शोध कार्य किया गया है और अब इन खानो का दोहन किया जा रहा है. देश के इस भाग में फास्टफोराइट की खोज ने अनुसंधान में के नये क्षितिज उद्घाटित किए हैं.

जैसलमेर जिले में 10 किलोमिटर जैसलमेर-बाड़मेर सड़क पर फतेहगढ़ के समीप लाठी शैल समूहों की जुरेसिक चट्टानों में रॉक फास्फेट के सस्तर पाये जाते हैं. इसमें तत्व की मात्रा कम है लेकिन भण्डार काफी बड़े है. भूगर्भ खान विभाग की सीकर जिले में करपूरा के समीप भी ऐपेंटाइट के जमाव मिले हैं. उदयपुर जिले में विदोहन योग्य भण्डार 10 करोड़ टन है उनमें से 4 करोड़ टन के भण्डार अकेले झामरा-कोटड़ा में है. इसके उत्पादन ने देश में अब तक 50 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई हैं.

राज्य में 1960 में 6.4 लाख टन रॉक फास्फेट का उत्पादन हुआ था जो बढ़कर 1984 में 7.32 लाख टन हो गया और जिसके 1985 में 7.50 लाख टन के हो जाने के अनुमान हैं.

फास्फोराइट की खोज अभी जारी है. जयपुर के अचरोल क्षेत्र में दिल्ली के सुपरग्रुप जैसी फास्फोराइट मिश्रित चट्टानें मिली हैं, तत्सम्बन्धी जांच पड़ताल की जा रही है. इस महत्वपूर्ण खनिज की शोध और जानकारी तथा फास्फ़ोराइट से उसके उसके उत्पत्ति-गत सम्बन्ध का पता लगाया जाना काफी महत्वपूर्ण है, इसके पहले सम्पूर्ण आवश्यकता का आयात ही किया जाता था. इस प्रकार इसकी खोज ने विदेशी मुद्रा बचाई है तथा खाद के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने में मदद दिलाई है.

इसके मुख्य भण्डार उदयपुर नगर से 32 किलोमीटर के अर्द्धव्यास में फैले हुए हैं. इस क्षेत्र मे प्रमुख स्थान झामरकोटड़ा है. यहां पर 5 करोड़ टन के उच्च श्रेत्री के खनिज भण्डार सिद्ध हो चुके हैं जिसमें 28 से 87 प्रतिशत तक पी ओ है. उदयपुर के अन्य स्थानों पर अनुमानतः 88 लाख टन खनिज उपलब्ध होने की आशा है. इनमें 20 से 30 प्रतिशत पी ओ है. इनसे निम्न श्रेणी के भण्डार राजस्थान के जैसलमेर जिले के बिरमानिया एवं फतेहगढ़ मे पाये गये हैं. यहां कुल भण्डार 43 लाख 40 हजार टन है:

पाईराइट:

गंधक के बिना अधिकतर रसायनिक उद्योग ठप्प हो जाते हैं. इसको बनाने के लिए गंधक योगिकों की आवश्यकता पड़ती है. गंधक के अन्य उपयोग कृमि कीटरसायन, रबड़ आदि विभिन्न रसायन बनाने में होता है. गंधक युक्त खनिज के यहां ये प्रमुख स्रोत हैं. पाईराइट पिर्रोटाइट एवं जिप्सम पाइराइट, भारतीय भू-वैज्ञानिक

सर्वेक्षण द्वारा सीकर जिले के सलादीपुर में पिराइट-पिर्रोटाइट का पता 1965 में लगाया गया.

ये भण्डार करीब 7 किलोमीटर लम्बाई में फैले हुए हैं जिनकी औसत मोटाई 25 मीटर है और 11 करोड़ 20 लाख टन से अधिक परिमाण में है, इनमें 21.73 प्रतिशत गन्धक है. इसका खनन कार्य केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठान पिराइट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है.

इस भण्डार के खनिज को उच्च श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए रसायनिक क्रियाओं की आवश्यकता है. बाद में यह भण्डार एक तेजाब के बड़े कारखाने के लिए कच्चा माल देने में समर्थ हो सकेगा. सरकार वहां खाद कारखानों का एक समूह लगाने पर गम्भीरता से विचार कर रही है ताकि सलादीपुरा में निर्मित तेजाब का व्यापक उपयोग किया जा सके.

जिप्सम :

यह एक खनिज पदार्थ की तहदार किस्म है जो अपने रवेदार रूप में सैलेनाईट कहलाती है. यह खनिज विशेषत:- उसर भूमि और शुष्क भागों में बहुत होता है। जिप्सम, केल्शियम का सल्फेट होता है. इसका उपयोग भी गंधक का तेजाब बनाने में होता है. अमोनियम सल्फेट उर्वरक, सीमेन्ट, प्लास्टर आफ पेरिस आदि के लिए खड़िया मिट्टी एक अत्यावश्यक कच्चा माल है. इस महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ के विशाल भण्डारों की खोज बीकानेर और नागौर जिले में की गई है. नागौर क्षेत्र में 90 करोड़ टन तथा बीकानेर क्षेत्र में 18 करोड़ टन से अधिक इस धातु के होने का अनुमान लगाया गया है। अपेक्षाकृत कम भण्डार भरतपुर, बाड़मेर, पाली और श्री गंगानगर जिले में भी पाये गये हैं. सम्पूर्ण भारत में जितना जिप्सम प्राप्त होता है उसका 90 प्रतिशत राजस्थान से मिलता है. 1949 में राज्य के जिप्सम उत्पादक क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया था. इसका वार्षिक औसत उत्पादन 7 से 11 लाख टन है जबकि 1981 में 8.80 लाख टन का उत्पादन हुआ. 1984 में 11.78 लाख टन का उत्पादन हुआ जो 1985 में घटने के अनुमान है. 1985 का अनुमान उत्पादक क्षेत्र विस्तृत रूप से फैले हैं लेकिन मुख्य क्षेत्र राज्य के उत्तरी व पूर्वी भागों में ही मिलते है.

राज्य में वर्तमान में प्रति वर्ष लाखों टन जिप्सम फर्टीलाइजर व सीमेन्ट कारखानों को भेजा जाता है. जामसर के जिप्सम भंडारों से सिन्दरी के खाद कारखाने को एक हजार टन जिप्सम प्रति दिन भेजा जाता है. किन्तु अब फर्टीलाइजर कोरपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा खाद उत्पादन में जिप्सम के स्थान पर पाइराइडप उत्पादित गन्धक का अम्ल के उपयोग में लाने से जिप्सम के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. पोकरण के निकट हाल ही में जिप्सम का भंडार मिला है तथा खनन कार्य किया जा रहा है. फास्फेटिक अम्ल के कारखानों में उत्पादित रासायनिक जिप्सम की उपब्धि के फलस्वरूप राज्य में प्राप्य खनिज जिप्सम की मांग दिन व दिन कम होती जा रही है.

एस्वेस्टस

एस्वेस्टस एक व्यापारिक नाम है जिसका प्रयोग ऐसे खनिज के लिए होता है जो बहुत कुछ लचीले तन्तुओं में अलग किया जा सकता है. मूलत: एस्वेटस्टास ऐम्फीबॉल खनिज का एक रूप था पर अब ऐस्वेस्टॉस के कुछ और महत्वपूर्ण रूपों का जिसमें क्राइसोटाइल एक हैं, पता चला है और वे संसार भर में मिलते हैं.

व्यापारिक ऐस्वेस्टॉस दो मुख्य वर्गों जैसे क्राइसोलाइट और एम्फीवॉल के रुप में पाया जाता है परिणामस्वरूप इस खनिज की कई किस्में उपलब्ध होती है. एम्फीवॉल किस्म का खनिज घटिया श्रेणी का है जो राजस्थान में मिलता है. एम्फीवॉल में तीन किस्में जैसे ट्रेमोलाइट, एक्टीमेलाइट और ऐस्वेस्टॉल महत्वपूर्ण है. इन तीन किस्मों की रासायनिक संरचना और आकृति ऐस्वेस्टॉस से काफी मिलती जुलती है लेकिन एस्वेस्टॉस के रेशे लम्बे होते हैं तथा हाथ से अलग किए जा सकते हैं.

देश में सम्पूर्ण एस्वेस्टस उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत राजस्थान में होता है. यह नर्म व छूने पर

रेशमी लगता है. यह धागों के समूह के रूप मे मिलता है. इन धागों की कताई की जा सकती है तथा कपड़े व डोरी के रूप में बुना भी जा सकता है. इसका उपयोग एस्वेस्टस कागज, सीमेन्ट, रस्सियां, डोरी एवम् अग्निरोधक एस्वेस्टस, कपड़ा वनाने के लिए किया जाता है, कंवली, कोटड़ा, ढाल गारिया, कागदर की पाल, ऋषभदेव और ढ़ेलाना की खानें अजमेर, पाली और उदयपुर जिलों में खोजी गई हैं और उनका अन्दाज लगाया गया है. सम्पूर्ण भण्डार लगभग 2.`0 लाख टन होने का अनुमान है. सर्वेक्षण से जांच पड़ताल और आकलन के लिए नये क्षेत्रों का भी पता चला हैं.

इसके उत्पादन मे निरन्तर वृद्धि हो रही है. 1971 में इसका उत्पादन 9.6 हजार टन था वह 1977 में वढ़कर 18.5 हजार टन तथा 1979 में 27.6 हजार टन हो गया. 1983-84 में यह 31 हजार टन तथा 1984 में यह 24.6 हजार टन रहा. 1985 में इसके उत्पांदन का अनुमांन 25.3 हजार टन है.

राज्य में खनन तथा तन्तुओं की प्राप्त करने का तरीका आदिम हैं. खनिजों को घरट्ट में पीसा जाता है. यह घरट्ट वृताकार गोल चक्कर जैसा होता है. इसमें एक वड़े पत्थर की चक्की की तरह वैल द्वारा कुछ पानी मिले अपरिष्कृत खनिज पर घुमाया जाता है. इस तरह गीले रूप में पिसाई के पश्चात् इसे पाउडर अथवा रेशे के रुप मे सुखाया जाता है.

सोप स्टोन

राजस्थान मे एक और खनिज वहुतायत मे प्राप्त होता है जिसे टाल्क अथवा सोपस्टोन कहते हैं. यह सामान्यता घीया पत्थर के नाम से जाना जाता है. यह चमकीला होता है तथा सफेद, हल्के पीले व हरे रंगों में पाया जाता है. छूने पर यह चिकना लगता है. राष्ट्रीय उम्पादन का लगभग 80 प्रतिशत्त टाल्क राजस्थान में होता है. इसका उपयोग रवड़, कागज, सिरेमिक, रंग, कीटरसायन एवम् सौन्दर्ड प्रसाधन सम्वन्धी उद्योगों में होता है. इसके भंडार उदयपुर, जयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, टौंक, सवाई माघोपुर एवम् झुनझुनु जिलों में उपलब्ध है. जहाँ कुल 50 लाख टन भंडार होने की आशा है. उदयपुर जिले में लखवाली, देवपुरा, लोहगढ़ तथा देवला आदि प्रमुख है. भीलवाड़ा में जिले में घेवरिया, चांदपुरा प्रमुख हैं जवकि जयपुर जिले में गीजगढ़,गढ़मोरा, दौसा आदि हैं.

देश में औद्योगिक वढ़ती मांग के कारण सोपस्टोन का उत्पादन भी वढ़ गया है। 1956 में इसका उत्पादन 37 हजार टन था. यह वढ़कर 1971 में 1.7 तथा 1977-78 में 2.2 लाख टन और 1984 में 3.01 लाख टन हो गया. 1985 में इसके अनुमान 2.99 लाख टन के हैं.

वोलेस्टोनाइट

वोलेस्टोनाइट कैलशियम का मेटासिलिकेट होता है. यह औद्योगिक खनिज समूह में प्रवेश करने वाला नया सदस्य है. वोलेस्टोनाइट ऐसा खनिज पदार्थ है जो मिट्टी के वर्तन वनाने, मीनाकारी, कांच, कागज और प्लास्टिक उद्योग में काम आता है. इसकी खानें पाली जिले के खेंड़ा-उपरला में पाई गई हैं. ये खानें एक किलोमीटर लम्बी है और 1.85 मिट्रिक टन के परिमाण में है. यह भारत में अपने आकार प्रकार की अकेली खान है. अतः इसका अपना ही महत्व है.

पन्ना :

पन्ना एवम् गारनेट कीमती पत्थरों के रूप में काम आते हैं. पन्ना तो रत्न समूह में आता है. अच्छे पन्ने की कीमत हीरे से भी ज्यादा होती है. यह चमकीले हरे रंग का होता है. गारनेट लाल से लेकर गहरे कत्थई रंगों के विभिन्न प्रकारों में पाया जाता है. इसका अन्य मुख्य उपयोग घिसाई करके के सैंड पेपर वनाने में भी होता है. पन्ने के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार रहा है. इसकी खानें अजमेर और उदयपुर में हैं. इस मूल्यवान खनिज और इसकी उत्पत्ति के वारे में व ज्ञान के लिए विस्तृत अध्यन और सर्वेक्षण किए गए हैं. इस रत्न की खुदाई के लिए सम्भावित क्षेत्रों को सीमांकित करने और परिचित क्षेत्रों में इसका उत्पादन वढ़ाने का काम प्रगति

पर है. अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक जिलों में गारनेट पाया जाता है जो अर्ध-मूल्यवान पत्थर के रूप में काम आता है.

पन्ने के भंडार वायो टाइट शिस्ट, एक्टीनोलाइट शिस्ट आदि शिलाओं के साहचर्य में मिलते हैं. पन्ने के उत्पादन क्षेत्र अधिकतर पूर्व अरावली चट्टानों तक ही सीमित है. राजस्थान में सर्वप्रथम इसका पता 1943 में उदयपुर जिला में कालागुमान क्षेत्र में लगा. गार्नेट (अब्रेसिव) का उत्पादन 1984 में 328.3 मैट्रिक टन हुआ जबकि 1985 के लिए लक्ष्य 275.7 मैट्रिक टन के है. गार्नेट (जेम) का उत्पादन 1984 में 2509.1 किलोग्राम हुआ जबकि 1985 के प्रावधान 1770 किलो ग्राम के है.

पन्ना स्फटकों आकार मटर के दाने से लेकर 2.5 सेन्टीमीटर तक होता है. 2 सेन्टीमीटर से अधिक होने पर आकार असाधारण माना है. अपरिष्कृत पन्ना अयस्क सर्वप्रथम धोकर साफ किया जाता है. फिर विशेषज्ञों के द्वारा उसे काटकर वांछित आकृति में तराशा जाता है. वर्तमान में पन्ना के खनन कार्य में शिथिलता आई है क्योंकि ज्ञात खदानों की अधिक गहराई के कारण खनन लागत दिनों दिन बढ़ती जा रही है.

तामड़ा

राजस्थान का तामड़ा उत्पादन में एकाधिपत्य है. तामड़ा को रक्तमणी भी कहते हैं. अनेक शताब्दियों से टोंक जिले के राजमहल व अजमेर से सरवाड़ से प्राप्त तामड़ा संसार में प्रसिद्ध रहे हैं. यह वास्तव में लोहा व एल्युमिनियम का मिश्रणा होता है. इसमें पारदर्शी किस्म के पदार्थ भी मिलते हैं जो लाल रंग के सुन्दर व आकर्षक होते हैं.

फ्लोराइट

खनिज फ्लोराइट प्रदेश के डूंगरपुर, उदयपुर व जालौर जिलों में मिलता है. यह क्रिस्टल के रूप में अत्यन्त आकर्षक रंगों वाला एक खनिज है. यह स्टील एवम् एल्युमिनियम उद्योगों में तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के काम में आता है. कैलशियम तथा फ्लोरिन का यौगिक है.

खान तथा भू-विज्ञान ने 1956 में डूंगरपुर जिले में मांडव की पाल के निकट इस खनिज को आर्थिक दृष्टि से खोदकर निकालने के लिए उपयुक्त भण्डार की स्थिति मालूम करने में सफलता प्राप्त की थी. यहां पर 17.3 प्रतिशत कैल्सियम फ्लोराइट की मात्रा युक्त 10 लाख टन से अधिक के भण्डार उपलब्ध हैं. मांडव की पाल में फ्लोराइट की प्रमुख खान है तथा इसके निकटवर्ती गांवों में इसकी छोटी खानें है. यह खाने लगभग 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं. इन सभी खानों में लगभग 150 लाख टन फ्लोराइट खनिज के भण्डार हैं. भारत में कहीं अन्यत्र नहीं मिलने के कारण राजस्थान इसके उत्पादन में एकाधिकार रखता है. 1981 में इसका उत्पादन 380 टन किया गया. 1984 में 5400 टन तथा 1985 के लक्ष्य 3800 टन रखे गए हैं.

देश को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस खनिज का आयात करना पड़ता है. अतः निगम को चाहिए कि बन्द पड़ी खानों में खुदाई का कार्य पुनः प्रारम्भ करें तथा नई खानों की खोज तेजी से करे.

अभ्रक

अभ्रक उत्पादन में बिहार एवम् आन्ध्रप्रदेश के बाद राजस्थान का स्थान आता है. अभ्रक आधुनिक बिजली सम्बन्धी उद्योगों के लिए एक अनिवार्य पदार्थ है तथा इसका उपयोग इन्सूलेटर के लिए किया जाता है. यह ऐसा खनिज है जिसे किसी भी स्मेल्टर में सीधा काम में लिया जा सकता है. इसके रंग आकार व किस्म पर इसकी कीमत आंकी जाती है. हवाई जहाजो, ट्रांसफार्मरों व बिजली के जेनरेटरों आदि के बनाने में इसका उपयोग होता है. इसके दो कारण है (1) इसकी अत्यन्त बारीक एवम् पतली परतें आसानी से बन जाती है और (2) उच्च तापशक्ति सहन करने की क्षमता होती है.

राजस्थान का अभ्रक (माइका) उद्योग लगभग 35 वर्ष पुराना है. राजस्थान की माइका पट्टी भारत की

तीन प्रमुख माइका पट्टियों में से एक है माइका पट्टी जयपुर से उदयपुर तक 320 किलोमीटर में फैली हुई है. मुख्यत: भीलवाड़ा टौंक और अजमेर जिलों में इसकी महत्वपूर्ण खानें हैं जिनमें भीलवाडा, मे लगभग 5 प्रतिशत उत्पादन होता है. हाल ही के वर्षो मे भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस खनिज पदार्थ की उत्पत्ति को समझने के लिए शोध कार्यक्रम हाथ मे लिया गया है जिसका परिणाम निकट भविष्य मे नई खोजो मे प्रकट हो सकेगा.

राजस्थान के बहुमूल्य खनिजों मे अभ्रक का मुख्य स्थान है. यह देश के कुल उत्पादन का लगभग 22 प्रति. शत कर तीसरे स्थान पर है. अभ्रक का उत्पादन 1981 में 1000 टन हुआ था. 1984 में यह 800 टन तथा 1985 के अनुमान भी 800 टन के है.

राज्य से निर्यात होने वाले अभ्रक में से अधिकतर दरातीनुमा काला अभ्रक होता है. राज्य का प्रायः सभी अभ्रक बिहार राज्य को भेज दिया जाता है. अतः राज्य के अभ्रक का व्यापार बिहार द्वारा नियन्त्रित होता है. बिहार में अभ्रक को अलग-अलग पर्तों में करके विदेशों को भेज दिया जाता है. राज्य में अगर अभ्रक की कटाई-छटाई शुरू हो जाये तथा इसे पर्तो में करने की व्यवस्था हो जाये तो राज्य सीधे ही इसका निर्यात विदेशों को कर सकेगा.

बैराइट्स

बैराइट अथवा बेराइटीज का नाम आते ही पेट्रोलियम उद्योग का नाम अनायास ही आ जाता है. बेरियम केमिकल्स, आइल ड्रिलिंग मड और रासायनिक एवम् भौतिक उपायों के लिए बेराइट्स एक महत्वपूर्ण साधन है जिसकी खानें राजस्थान में हैं. तेल के कुए खोदते वक्त इस खनिज का उपयोग ड्रिलिंग मड के रूप में होता है. इसके अन्य उपयोग रंग उद्योगों में, रसायन बनाने में, कागज, कपड़ा एवम् प्लास्टिक आदि उद्योगों में होता है. मुख्यतया यह अलवर जिले में पाया जाता है. सीमित मात्रा में भरतपुर, बूंदी एवम् उदयपुर जिलों में भी यह उपलब्ध है. अभी हाल ही में नई खानें मिली हैं.

रसायनिक संगठन के अनुसार बेराइट्स बेरियम सल्फेट है और इसे भारी पत्थर भी कहते हैं. यह प्रकृति में सफेद, घूसर हरे या लाल रंग में पाया जाता है. राजस्थान में बेराइट्स दरारों में मिलते हैं. यद्यपि वर्तमान में यह अधिकतर खदान से निकाला जाता है फिर भी कई स्थानों पर गहराई में शिराओं की स्थिति तथा अधिक भार के कारण खनिज को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त खनन विधियों को ग्रहण करना ठीक रहेगा.

यह खनिज क्वार्टज और फ्लाइट्ल चट्टानों में बेरियम सल्फेट के रूप में पाया जाता है तथा इसका आपेक्षिक घनत्व 4 से 4.5 तक होता है. एक अच्छी किस्म के बेराइट्स में 95 प्रतिशत तक बेरियम सल्फेट मिलता है. अलवर जिले में 1948 से ही इस खनिज पर आधारित अनेको उद्योग स्थापित है. 1948 में बेराइट्स का उत्पादन केवल 12 टन था जो निरन्तर बढ़कर 1960 में 3106 टन हो गया। फिर इसके उत्पादन में उतार चढाव आते रहे और 1875 में इसका उत्पादन 5500 हुआ. लेकिन 1981 मे घटकर 4300 टन रह गया. 1984 में पुन: बढ़कर 7100 टन हो गया जिसके 1985 में 7900 टन हो जाने की आशा है.

चूने का पत्थर

चूने का पत्थर विभिन्न भू-वैज्ञानिक कालों जैसे अरावली, रायलों, अजबगढ़ विघ्यन तथा जतुर्यकीय आदि का राज्य के सभी भागों में मिलता है. अरावली काल का चूना पत्थर बहुत अशुद्ध है तथा इनमें डोलोमाइट की इतनी अधिक मात्रा रहती है कि चूना बनाते समय यह अधिक काम में नहीं लाया जाता. रायलों श्रेणी के चूना पत्थर को जलाने से अच्छा चूना मिलता है. अजबगढ़ श्रेणी के चूना पत्थर का चूना बनाने में उपयोग किया जाता है. विघ्यन काल का चूना पत्थर पिछले कई दशकों से पाली और नागौर जिले के सोजत विलाड़ा गोटण, अटवड़ा, मूंडवा आदि कई स्थानों में चूने के निर्माण उद्योग का आधार बन गया है.

रसायनिक एवम् फ्लक्स श्रेणी के चूने के पत्थर के राज्य में सीमित भण्डार है. परन्तु जहां भी वे उपलब्ध है, उच्च श्रेणी के हैं. अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, कोटा नागौर और पाली जिलों में चूना पत्थर के अनेक भण्डार पाये गये हैं और उनका मूल्यांकन किया गया हैं. सीमेन्ट स्तर के सम्पूर्ण प्रभव 200 करोड़ से 250 करोड़ टन तक चूना पत्थर होने का अनुमान है. रसायनिक एवम् तरल चूना पत्थर केवल 5 करोड 40 लाख टन होने का अन्दाज लगाया गया है. हाल के वर्षो में मुख्यतः रासायनिक स्तर के चूना पत्थर के व्यापक भण्डारों का पता जेसलमेर जिले में लगाया गया है. आकलन के लिए इस सम्पूर्ण खनिज भण्डार की जांच प्रगति पर है. प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार ये भण्डार 90 टन है. नागौर जिले में गोटन नामक स्थान चूना उद्योग के लिए प्रसिद्ध है. लाखेरी, सवाई माधोपुर, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कांकरोली, सिरोही में मौजूद सीमेन्ट फैक्टरियां इस बात को सिद्ध करती हैं कि राजस्थान में सीमेन्ट श्रेणी के चूना पत्थर के पर्याप्त भण्डार है. इन भण्डारों पर आधारित कई नये सीमेन्ट उद्योग लगाने की राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है. राजस्थान में लगने वाले मीनी सींमेन्ट प्लांट इस बात के सबूत हैं.

कुछ अन्य क्षेत्र जहां चूने के पत्थर के पर्याप्त भंडार हैं वे सीमेन्ट निर्माण के लिए न केवल उपयुक्त हैं बल्कि उनमें निकट भविष्य में कारखानें लगाये जाने की भी सम्भावनाएँ हैं. जैसे जयपुर में कोटपुतली क्षेत्र, (ii) सीकर में पाटन तथा भांडवा क्षेत्र (iii) उदयपुर में डबोक के समीप का क्षेत्र (iv) कोटा में दरांह-रामगंज मंडी क्षेत्र (v) डूंगरपुर में सवला लोहरियां क्षेत्र (vi) बांसवाड़ा में तलवारा चूना पत्थर क्षेत्र (viii) बूंदी में सतूर क्षेत्र (viii) चित्तोड़गढ़ में पारसोली क्षेत्र (ix) सिरोही जिले में किरवली क्षेत्र तथा (x) अजमेर जिले में व्यावर के समीप के क्षेत्र।

चूनें के पत्थर का उत्पादन 1981 में 14.81 लाख टन हुआ था जो 1984 में बढ़कर 19.18 लाख टन हो गया और जिसके 1985 में 19.25 लाख टन हो जाने की आशा है. लाइम स्टोन डाइमेंशनल के उत्पादन को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है.

रिफ्रेक्टरी खनिज

उच्चताप की भट्टियों की अन्दरूनी दीवार पर ईंटें बनाने के लिए जिस खनिज का प्रयोग होता है उसे रिफ्रेक्टरी खनिज कहते हैं, इस समूह में कई खनिज आते हैं जैसे सिलिका, फायरक्ले, कायनाइट, एडेल्युसाइट व सिलिमेनाइट आदि, ये उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर एवम् बांसवाड़ा क्षेत्र में मिलते हैं, सिलिका सैंड एवम् फैलसपार. कांच उद्योग एवम् सिरेमिक उद्योग में काम आते हैं. अजमेर, भीलवाड़ा, टौंक, अलवर एवम् जयपुर क्षेत्र में ये काफी मात्रा में मिलते हैं. इसका उत्पादन (सिलिका सैन्ड) 1984 में 2.03 लाख टन हुआ तथा 1985 में 1.81 लाख टन हो जाने की आशा हैं. औद्योगिक प्रगति ने इसके खनिज के प्रयोग की सम्भावनाओं को बढ़ा दिया है.

क्ले समूह

वेण्टोनाइट, मुल्तानी मिट्टी, काओलिन एवम् चायनाक्ले क्ले समूह के खनिज हैं. ड्रिलिंग मड में काम आने के अलावा ये वनस्पती तेलों व चर्बी साफ करने, सिरेमिका एवम् रंग उद्यागों में काम आते हैं. अधिकतर ये बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा व नागौर जिलों में पाये जाते हैं.

वेन्टोनाईट शब्द यथार्थतः एक खनिजात्मक नाम नहीं है. इस खनिज का उत्कृष्ट गुण पानी से भिगोये जाने पर विपुल मात्रा में फूल जाने की योग्यता है. वेन्टोनाइट एक बहुत ही उत्तम दानेदार मृत्तिका की किस्म है जो प्रधानतः मोन्टमोरीलोनाईट से निर्मित होती है. खनिज बड़े ढेलों के रूप में निकलता है और खुले में पड़े रहने पर टूट टूट कर विभाजित हो जाता है. यह स्लेटी, पीले या हल्के गुलाबी रंग में मिलता है. बाड़मेर जिले में वेन्टोनाईट ने अतुल भण्डार हैं.

मुल्तानी मिट्टी एक प्राकृतिक मिट्टी है जो लेस रहित या थोड़ी लेसदार है. इसमें मोंट मोरिलोनाइट

प्रमुख मृतिका खनिज होता है. यह तलछटीय उद्गम वाली मिट्टी है. मुल्तानी मिट्टी निपुन परिमाण में मिलती है इसके भण्डार बहुत बड़े माने गये हैं. खदान से ताजे निकाले गए नमूनों में पानी की मात्रा अधिक रहती है परन्तु सूखने पर इसमें अवशोषण की क्षमता अधिक आ जाती है और बड़ी मजबूती से जीभ पर चिपकने लगती है. राजस्थान भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में अग्रणी है. वार्षिक उत्पादन लगभग 9000 टन है जो कि भारत के कुल उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत है इस मिट्टी के महत्वपूर्ण क्षेत्र बीकानेर जिले मे पालाना, केनरदेसर और मुख्य है. बाड़मेर जिले में कपूरड़ी, खलामरिया और गिव आदि इसके क्षेत्र है. जैसलमेर जिले में यह खनिज मन्धा, मन्धाऊ, बेहदोई और रामगढ़ आदि जमाओं में पाया जाता है. हालाकि जमाव बड़ी मात्रा में उपलब्ध है लेकिन रेलवे मार्ग से अधिक दूर स्थित होने के कारण यातायात लागत अधिक आती है. अतः इन पर खनन कार्य बड़े पैमाने पर नही किया जा रहा है.

इमारती पत्थर

राजस्थान में इमारती पत्थरों की भी कई विशाल खाने है. अच्छा इमारती पत्थर होने के लिए उसमें कई गुण आवश्यक है जैसे-पत्थर कहां उपलब्ध है, उसकी कीमत क्या है, रंग कैसा है तथा उनमें मौसम परिवर्तन यानि ताप, दाब आदि सहने की क्षमता कैसी है. संक्षेप में यह अनुमान लगाना है कि उस पत्थर को इमारत में लगाया जाय तो उसकी आयु कितनी हो सकती है. उत्तम कोटि के इमारती पत्थर के भण्डार राजस्थान में कई जगह उपलब्ध है, लाल से लेकर कत्थई रंग के सैंड स्टोन अथवा रेत के पत्थर का खनन जोधपुर, कोटा एवम् चित्तोड़गढ़ में किया जाता है, जिनमें जोधपुर, के लाल पत्थर की अपनी शान है. क्वार्टज का खनन जयपुर, अजमेर, अलवर एवम् उदयपुर में होता है, ग्रेनाइट एक कठोर चट्टान है. जिसमें बड़े आकार के माणिक होते है. यह अच्छी पॉलिस लेता है, अच्छे ग्रेनाइट के भण्डार पाली, सिरोही एवम् जालौर जिलों में स्थित है.

इमारती पत्थर की दृष्टि से चूने से पत्थर का भी अपना स्थान है, यह मुख्यतया फर्श पर जड़ने के लिए टाइल्स बनाने के लिए चौकोर टुकड़ें बनाने के लिए उपयुक्त है. चित्तौड़ एवम् कोटा क्षेत्र में इसका खनन होता है. यह पत्थर कई रंगों में प्राप्त होता है. जैसलमेर का पीला जीवाश्म युक्त चूने का पत्थर भी एक अच्छा इमारती साबित हो रहा है. सभी चूने के पत्थर घिसाई करने पर अच्छी पॉलिश ले लेते है.

राजस्थान में इमारती पत्थर का उत्पादन वर्ष 1973 में 6000 टन था जो बढ़कर 1981 में 16374 टन हो गया 1973 में यह 81.52 लाख टन हो गया. लेकिन 1985 के अनुमान 75.52 लाख टन है.

संगमरमर

इमारती पत्थरों में संगमरमर का स्थान सर्वोपरि है जिससे इमारती पत्थरों में संगमरमर को राजा कहा जाता है. यह बहुत अच्छी पॉलिस लेता है तथा विभिन्न रंगो में मिलता है. लेकिन इसमें सफेद संगमरमर की मांग सर्वाधिक है. यह दिखने में भी बहुत खूबसूरत होता है, कीमत के हिसाब से भी इसका स्थान सबसे ऊंचा है विशुद्ध संगमरमर सफेद होता हैं, मकराना संगमरमर का विश्वविख्यात खनन केन्द्र है. यहां बहुत पुराने समय से खनन कार्य होता आ रहा है तथा पुराने समय से यहां का संगमरमर प्रसिद्ध रहा है. आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल तथा कलकत्ता के विक्टोरियो स्मारक मकराना के सफेद संगमरमर के बने हुए है. भू-वैज्ञानिक दृष्टि से ये संगमरमर दिल्ली सुपरग्रुप की चट्टानों से सम्बन्ध रखते हैं. मकराना में सामान्यतया सफेद संगमरमर बहुतायत में होता है. मकराना के अलावा सफेद संगमरमर की एक अन्य पट्टी नाथद्वारा एवम् कांकरोली क्षेत्र में भी है. संगमरमर बून्दी, डूंगरपुर, जयपुर, अजमेर. किशनगढ़ और आबू में भी मिलता है. लेकिन इन सभी स्थानों पर रंगीन संगमरमर मिलता है. जिसका चलन दिन प्रतिदिन बढता जा रहा है. संगमरमर की अन्य खानें अजमेर जिले में खरवा के पास, अलवर जिले में मावण्डा और भैंसलाना में है. उदयपुर जिले में भी कुछ थोड़े बहुत भण्डार है जिनकी खुदाई हो रही है.

अभी हाल के दो एक दशकों में विभिन्न प्रकार की सीमेन्ट मृतिका से निर्मित टाइलों का प्रचलन इमारती पत्थर के रूप में काफी होने लगा है फिर भी अभिरुचि एवम् उपयोगिता वाले पत्थर के रूप में अपनी सुन्दरता तथा चमक के कारण संगमरमर अपने महत्व को निरन्तर बनाये हुए है।

राजस्थान में संगमरमर के उत्पादन में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि होती चली गई है. वर्ष 1955 में इसका उत्पादन 19,800 टन, 1965 में 48,000 टन, 1975 में 1.39 लाख टन, 1984 में 4.95 लाख टन और 1982 में 5.01 होने का अनुमान है.

संगमरमर काटने एवम् पालिस करने के उद्योग के आधुनिकीकरण के फलस्वरुप अब राजस्थान में पहले की अपेक्षा बेहतर एवम् अधिक पत्थर उपलब्ध होने लगा है. आज संगमरमर की कटाई की क्षमता 7.50 लाख टन प्रति वर्ष हो गई है.

सोडियम सल्फेट

सोडियम सल्फेट डीडवाना झील के पास अपने प्राकृतिक रुप में मिलता है. प्राकृतिक रूप में मिलने वाला यह भारत भर में एक ही स्थान है. यह कागज बनाने तथा चमड़ा कमाने के काम में आता है.

1938 में इसकी परतें यहां मिल गई थी किन्तु 1962 में 38 लाख रुपये की राशि से यहां प्रथम बार कारखाने की स्थापना की गई. इस कारखाने से प्रतिदिन 20 टन सोडियम सल्फेट प्राप्त किया जाता है.

पोटास तथा नमक

पोटाश की खानें 50 हजार वर्ग किलोमीटर में है. ये मारवाड़ सुपरग्रुप की तलछट और से रेत आच्छादित चुरु, गंगानगर और बीकानेर जिले में है. अब तक संपन्न ड्रिलिंग से 482 मीटर अधिकतम मोटाई में सोडियम क्लोराइट का पता चला है, इसकी ड्रिलिंग में विशेष तकनीक इस्तेमाल की गई है. गंगानगर जिले के सतीपुरा में छेद करने में 0.5 मीटर मोटाई के एक पोटाश क्षेत्र का पता चला है. राजस्थान में सांभर, डीडवाना और डिगाना नमक की झीलें है. डा. उनीक्लीक की गणनानुसार साभर झील भारत में नमक का सबसे बड़ा स्रोत है. झील के अतिरिक्त राजस्थान में कुछ ऐसे भी स्थान है जहां पृथ्वी के नीचे बहने वाले नमकीन जल को निकालकर फिर उसे सुखाकर नमक बनाया जाता है. डीडवाना की झील से सोडियम सल्फेट प्राप्त किया जाता है. सांभर में नमक बनाने कार्य हिन्दुस्तान नमक कम्पनी द्वारा तथा पचपद्रा डीडवान में राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है.

कोयला

लिग्नाईट भूरे कोयले का नाम हैं जिसमें 30 प्रतिशत से अधिक आद्रता निहित होती है. पलाना में जब खनिज एवम् भूगर्भ विभाग ने कार्य प्रारम्भ किया तब वार्षिक उत्पादन 30 हजार टन था. कोयला निकालने की पुरानी पद्धति से काम होता था. इस पद्धति से 20 प्रतिशत से अधिक कोयला निकाला नहीं जा सकता था. एक टन कोयला खान से निकालने के लिए 4 टन कोयला पीछे छोड़ना पड़ता था-

पलाना में नवीननम अनुमानों के अनुसार लगभग 230 लाख टन कोयले का अनुमानित भण्डार है. इसके अतिरिक्त खारी गांव के पास विभाग ने ड्रिलिंग करके एक अन्य भण्डार का पता लगाया है. यह राज्य खनिज ईंधन की दृष्टि से कमजोर रहा है. इस जिले में हाल ही में किए गए कार्यों से पश्चिम की ओर खास तौर पर गुढ़ा क्षेत्र में लिग्नाइट की शोध का काम कुछ बढ़ा है और अन्य खानों की तलाशी का कार्य प्रगति पर है. पलाना में पहले खनन कार्य हो चुका है वर्तमान में बन्द है और राज्य सरकार पलाना के पास तापीय बीजलीघर स्थापित करने पर गम्भीरता से विचार कर रही है जिसमें कि राज्य की बिजली की आवश्यकताएं पूरी हो.

लिग्नाईट में कार्बन की मात्रा 45 प्रतिशत से 55 प्रतिशत जल का अंश 30 प्रतिशत से 55 प्रतिशत और वाष्प की मात्रा 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक होती है.

कुछ प्रारम्भिक जांच पड़ताल और संछिद्रों के द्वारा सर्वेक्षण अन्य स्थानों पर लिग्नाइट की उपस्थिति को दर्शाते हैं. ऐसे स्थान खारी, भाडवानिया, चान्नेरी, गंगासरोवर मून्ध, केसरदेसर और नापासर है. इन क्षेत्रों में लिग्नाइट सतह से 32 मीटर से 67 मीटर की गहराई तक मिलता है. अभी हाल में किये गये सर्वेक्षण कार्यो से पता चला है कि नागौर जिले में मेड़तारोड तथा बाड़मेर जिले के कपूरड़ी क्षेत्रों में क्रमशः 30 लाख व 6 करोड़ टन लिग्नाईट भण्डारों का पता चला है कपूरड़ी लिग्नाईट अच्छी किस्म का है ।

यूरेनियम

यह अणुशक्ति सम्बन्धी खनिज है. इसकी खानें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और किशनगढ़ में है. ये खाने बहुत छोटी हैं व उत्पादन बहुत ही कम होता है आणविक खणिजों की खोज की गई है. अतः राजस्थान में अनेक भागों में अनेक पाये जाने की सम्भावनाए है.

डोलोमाइट

डोलोनाइट मे कैल्सियम तथा मैग्नीशियम का दुहरा कार्बोनेट होता हैं. डोलोमाइट युक्त चूना पत्थर में मैग्नीशियम कार्बोनेट का अनुपात कम हो जाता है. जिन्हें डोलोमाइट कहा गया है उनमें से अधिकतर वास्तव में डोलोमाइट युक्त चूना पत्थर है. वास्तविक डोलोमाइट कुछ ही स्थानों में पाये जाते है. पिछले दो वर्षो में प्रमुख खनिजों के उत्पादन में हुई प्रगति का विवरण तालिका संख्या 1 में दिया गया है.

खनिज उत्पादन का मिला जुला रुख रहा. खनिज उत्पादन का मुल्य जो 1981 में 127.57 करोड़ रु. था वह 1982 में बढ़कर 133.81 करोड़ रुपये हो गया. इस प्रकार इसमें 4.89 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई है. 1981 में 1.36 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला था जबकि 1982 में यह 1.44 लाख व्यक्तियों को मिला.

राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में 2 प्रतिशत के योगदान साथ-साथ इससे ग्रामीण जनसंख्या के एक भाग को रोजगार भी मिलता है.

खान एवम् भूगर्भ विताग ने प्रदेश में विभिन्न वर्गो के खनिज की किस्म का पता लगाने हेतु विभिन्न कार्यक्रम प्रारम्भ किए.

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम एवम् राजस्थान राज्य खान एवम् खनिज लिमिटेड राज्य में खनिज साधनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है. राजस्थान औद्योगिक एवम् खनिज विकास निगम का विभाजन होने पर, राज्य खनिज विकास निगम माह नवम्बर, 1979 में स्थापित किया गया था. तब से यह खनिजों के विकास के लिए कार्यरत है.

पंचवर्षीय योजनाओं में खनिज विकास

प्रथम योजना—योजना के अन्तर्गत खनिजों के विकास के लिए सुनियोजित ढंग से प्रयास किए गए. भूगर्भ निरीक्षण विभाग ने देश की कई खानों का पता लगाया 1952 में खानों में कार्य करने वालों की संख्या 13,400 थी जो बढकर योजवा के अन्त में 51,286 हो गई. उत्पादित खनिज का मुल्य 3.04 करोड़ था जो बढ़कर 3.65 करोड़ हो गया.

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—इस योजना अवधि में खनिजों को औद्योगिक विकास का आधार मानकर लोहा, कोयला व चूने के पत्थर आदि खनिजों का उत्पादन बढ़ाया गया. इस योजना के अन्त में खनिज उत्पादन का मूल्य बढ़कर 6.2 करोड़ रुपये हो गया.

तृतीय पंचवर्षीय योजना—इस योजना के अन्तर्गत 3.65 करोड़ रुपये खनिज विकास की योजना के लिए प्रदान किए गए. लेकिन योजना व्यय का बड़ा हिस्सा 2.75 करोड़ रुपये राजस्थान राज्य खनन निगम के निर्माण पर खर्च किया गया. अतः खनिज विकास (जो कि योजना का मूल उद्देश्य था) के लिए सिर्फ 90 लाख रुपये ही व्यय किए जा सके. योजना के अन्तर्गत खनिजों के पूर्वेक्षण और शोषण के सघन एवम् विस्तृत कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया. खनन कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या 51 हजार से बढकर 76 हजार हो गई तथा उत्पादन भी 6.2 करोड़ रुपये से बढकर 9.62 करोड़ रुपये हो गया.

तालिका संख्या 1

खनिज	उत्पादन (000 टनों में)		विक्रय मूल्य (000 रु. में)		नियोजित व्यक्तियों का दैनिक औसत	
	1984	1981 प्रा.	1984	1981 प्रा.	1984	1981 प्रा.
1. धात्विक खनिज						
(a) कच्चा तांवा	1232.9	1435.7	332900	387648	3794	4004
(b) कच्चा लोहा	12.8	13.1	456	459	80	84
(c) सांद्र सीसा	23.4	23.9	81200	83224	4104	4140
(d) सांद्र जस्ता	84.3	90.2	292700	313001		
(e) चांदी किलोग्राम में	10500.0	4200.0	27700	10920		
(f) टंगस्टन (मे. टन)	39.3	24.0	4680	2880	323	323
2. अधात्विक खनिज						
(a) डोलोमाइट	13.6	8.3	407	240	70	65
(b) फेल्सपार	35.9	36.1	1411	1480	3725	3779
(c) फ्लोराइट	5.4	3.8	7759	5510	911	900
(e) गारनेट (एब्रोसिव)	328.3	275.7	39	33	124	125
(e) जिप्सम	1178.8	1069.3	41200	37425	1130	1130
(f) लाइमस्टोन	4516.4	4527.0	126400	126757	1662	1665
(g) माइका	0.8	0.8	6201	5038	713	740
(h) रॉक फास्फेट	731.9	750.4	340400	348938	1317	1365
(i) सिलिका सैंड	202.8	180.9	8112	7236	1260	1200
(j) सोप स्टोन	301.1	298.6	33126	32844	5315	5310
(k) एस्टस्टोस	24.6	25.3	1599	1616	2328	2335
(l) वेराइट्स	6.1	7.9	1598	2054	254	260
3. लघु खनिज						
(a) सैंड स्टोन	3812.6	4012.5	433025	481500	43979	45850
(b) मेसनरी स्टोन।	8152.3	7552.3	71310	60418	25137	23836
(c) लाइम स्टोन (डाइमेंशनल)	920.5	919.6	312974	312400	22300	22300
(d) लाइम स्टोन	1918.3	1924.2	47913	48129	5252	5950
(e) मारवल पत्थर	495.6	501.3	206575	250656	12892	13216

तीन वार्षिक योजनाएं एवम् चतुर्थ योजना

इस काल में खनिज और भूगर्भ विभाग का पुनर्गठन किया गया तथा इसका विस्तार भी किया गया. चतुर्थ योजना में खनिज सम्बन्धी नीति निम्न प्रकार रही—

(1) वर्तमान में जो खनिज तथा धातुएं पूर्णतः या अंशतः विदेशों से आयात की जाती है उनके कार्यशील भण्डारों का पता लगाना.

(2) लोहा, जिप्सम, कोयला, चूने का पत्थर आदि के अतिरिक्त भण्डारों का पता लगाना जिससे देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके.

(3) निर्यात योग्य खनिजो के भण्डारों का पता लगाना जिससे आय में वृद्धि हो सके,

लेकिन इन सब के बावजूद योजनाकाल बुरा रहा. औद्योगिक मन्दी के परिणाम स्वरूप योजना के अन्त में खनिजों का मूल्य सिर्फ 4 करोड़ ही रहा.

पांचवी योजना—इस यौजना काल में भारत सरकार ने खनिज विकास योजना के अन्तर्गत चार क्षेत्रीय मण्डलों में एक मण्डल अजमेर में स्थापित किया गया. इसका कार्य क्षेत्र न केवल राजस्थान बल्कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश रखा गया. इन राज्यों के खनिज विकास का कार्य भी इस निगम के कार्य क्षेत्र में था. इस योजना अवधि में खनिज विकास पर 4.75 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई. उत्पादित खनिजों का मूल्य योजना के अन्त में बढ़कर 49 करोड़ रुपये हो गया. वह इस बात का संकेत है कि राज्य में खनन क्रियाएं जोर पकड़ने लगी.

छठी योजना

इस योजना में 15 करोड़ रुपये खनिज विकास के लिए लिए निर्धारित किए गए थे जिनमें खनिज सर्वेक्षण तथा सड़क निर्माण को प्रधानता दी गई. 1979 में ही खनिज विकास निगम की स्थापना की गई. 1982-83 में खनिजों का मूल्य 57 करोड़ था और 1984-85 में इसके 190 करोड़ हो जाने का अनुमान है.

सातवीं पंचवर्षीय योजना

योजना में इस बात को दोहराया है कि राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज सम्पदा उपलब्ध है. उपलब्ध खनिज सम्पदा का वैज्ञानिक पद्धति से खनन करके ही राज्य आय को बढाया जा सकता है. सर्वेक्षण और पूर्वेक्षणा का कार्य 60 परियोजनाओं तक सीमित किया गया है. वैज्ञानिक पद्धति से टंगस्टन खनिज के दोहन हेतु भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से एक लघु टंगस्टन परिष्करणा संयंत्र लगाया गया है. यह अपने किस्म का पहला संयत्र लगाया है. यह अपने किस्म का पहला संयत्र है. 1986-97 के लिए खनिज विकास के लिए 4.85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

राजस्थान में खनन उद्योग की विशेषताएं एवम् समस्याएं—

1. राजस्थान मे यद्यपि खनिजों का बाहुल्य है लेकिन उनका क्षेत्रीय वितरण असन्तोष जनक है.

2. भारी इन्जीनियरिंग उद्योग के लिए आवश्यक इंधन व लौह धात्विक खनिजों का राजस्थान में अभाव है.

3. राज्य में अधात्विक खनिजों के भण्डार है. और अन्य राज्यों में कमी अतः राजस्थान इस कमी को पूरा कर सकता है.

4. विदोहन के अवैज्ञानिक तरीकों के कारण उत्पापन लागत ऊंची आती है अतः इन्हे लागतों को कम करना आवश्यक है.

5. ऊर्जा आपूर्ति की कमी तथा खानों से मशीनों के द्वारा विदोहन न होने से अभ्रक, संगमरमर आदि के उत्पादन में कठिनाई आती है अतः अनार्थिक होने से बचाने के लिए वित्तीय सहायता देकर आधुनिक बनाया जाय.

6. रेल भाड़े की दरें राज्य के खनिज विकास में एक प्रमुख बाधा है जिसका समाधान आवश्यक हैं.

7. पानी तथा बिजली दोनों ही अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. अतः विदोहन कष्टकारी है.

8. अवाशिष्ट पदार्थों का उपयोग यदि होने लगे तो एक अतिरिक्त आकर्षण होगा.

9. खानों की गहराई के कारण उनको खोदना महंगा कार्य है.

सैद्धान्तिक दृष्टि से तो 'औद्योगिक श्रम' से हमारा आशय उन सभी श्रमिकों से होना चाहिए जो बड़े तथा छोटे पैमाने के उद्यमों (जिनमें कुटीर उद्योग भी है,) में कार्य करते हैं. किन्तु भारत में इस पद का प्रयोग सीमित रूप से किया जाता है और उन सभी श्रमिकों को जिन पर व्यवस्थित कारखानों में फैक्ट्री अधिनियम (Factory Act) लागू होता है. औद्योगिक श्रम का अंग मान लिया जाता है. चूंकि हमारे देश में कारखाना उद्योगों की प्रगति बहुत धीरे-धीरे हुई, इसलिए औद्योगिक श्रम तथा विकास भी धीरे धीरे-हुआ है

राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादन के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इस सन्दर्भ में 1981 की जनगणना में राज्य में अनुमानित शक्ति (कर्मकार 15--59 वर्ष आयु वर्ग से अानुमानित) 176.56 लाख थे, जिनमें से 62.38 प्रतिशत (मुख्य व सीमान्त कर्मकार) नियोजित हैं.

श्रम नीति का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध सीमित साधनों का समुचित उपयोग तथा उत्पादकता नीति को विकास की नीतियों के साथ जोड़ना है. क्योंकि जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय उत्पादकता से ही आंकी जा सकती है. उत्पादकता वृद्धि के अच्छे परिणामों के लिए मानवीय क्षमता अत्यन्त आवश्यक एवम् महत्वपूर्ण तत्व है और हमें उसके विकास पर पूरा ध्यान देना होगा.

राज्य की प्रगति एवम् योजना वद्ध विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि श्रम नीति का निर्धारण, उद्योग तथा श्रमिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाय. औद्योगिक विवादों का द्विपक्षीय एवम् अन्य वैधानिक उपायों से समाधान, औद्योगिक संस्थानों में नियोजन और श्रमिकों में आपसी सुमधुर सम्बन्ध स्थापित करना, श्रमिकों की सुरक्षा तथा कल्याण के लिए योजनाएँ बनाना, उत्पादन तथा उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि करना विभिन्न श्रम कानूनों का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन करना आदि राज्य की श्रमनीति के आधारभूत अंग है. राज्य में श्रम नीति का मुख्य उद्देश्य स्थायी औद्योगिक शान्ति के साथ ऐसा स्वच्छ वातावरण बनाये रखना है जिसमे श्रमिक अधिक लगन व उत्साह से काम करें ताकि उत्पादन व उत्पादकता में यथेष्ठ वृद्धि सम्भव हो सके

औद्योगिक श्रमिकों के कुछ विशिष्ट लक्ष्य हैं जिनमें मुख्य है (i) श्रम का प्रवासीपन (migratory character)

(ii) औद्योगिक श्रम अधिकतर अशिक्षित है और परिणामत: वह उद्योगों की समस्या से अपरिचित है।

(.ii) औद्योगिक श्रम धर्म, जाती, भाषा आदि के आधार पर बटाँ है।

(iv) श्रम का आधिक्य, अनुपस्थिति, अनुशासनहीनता श्रम की मुख्य समस्याएँ है।

हड़ताल तालाबन्दी तथा ले-आफ के मामले पर विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सितम्बर 1975 में तत्कालीन श्रम मंत्री की अध्यक्षता में एक त्रिपक्षीय शिखर समिति का गठन किया गया, इसमें श्रमिकों, मालिकों एवम् राज्य सरकार के प्रतिनिधि रखे गये थे. 2 जनवरी 1976 में द्विपक्षीय शिखर समिति का गठन किया गया. औद्योगिक शांति कायम रखने, श्रमिकों की समस्याओं को समझने तथा सुलझाने के लिए जुलाई 1977 में श्रम मंत्री की अध्यक्षता राज्य के श्रमिकों एवम् नियोजकों का एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया गया. सम्मेलन ने वस्तु स्थिति पर पूर्ण विचार कर बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप श्रम समस्याओं का हल निकालने तथा श्रम नियमों व अधिनियमों में सरलीकरण तथा उनमें संशोधनों पर विचार करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति के गठन की सिफारिश की. समिति ने मुख्य रूप से जिन विषयों पर विचार किया वे निम्न हैं—

a. श्रम संगठनों को मान्यता देने के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अधिनियम 1953 में आवश्यक संशोधन पर विचार.

b. लघु उद्योग इकाइयों के सम्बन्ध में एवम् श्रम कानूनों में सरलीकरण करने तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर, रिकार्ड आदि में एकरुपता लाने पर विचार.

c. श्रमिकों की प्रबन्ध में भागीदारी योजना पर विचार. इसके परिणाम स्वरूप सरलीकरण तथा एकरूपता का कार्य पूरा हो सका और अन्य कार्यों में जो प्रगति हुई उसका विवरण इस प्रकार है.

(i) **प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी :** इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने एक योजना 30 अक्टूबर 1976 को घोषित की है. इस योजना को 500 से अधिक श्रमिकों वाले संस्थाओं में लागू किया गया है. लेकिन यह व्यवस्था अभी तक स्वैच्छिक होने से इसमें वांछित प्रगति नहीं हो सकी है.

(ii) **समान कार्यो के लिए समान वेतन :** 26 सितम्बर 1975 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया जिसमें सामान कार्यो के लिए महिला श्रमिकों तथा पुरुष श्रमिकों को समान वेतन मिलने की व्यवस्था है. इसके कारण अब महिला श्रमिकों तथा पुरुष श्रमिकों को समान वेतन मिलने लगा है लेकिन अभी तक यह सरकारी एवम् अर्द्ध सरकारी संस्थानों पर ही प्रभावी है निजी संस्थान इससे बचने के उपाय निकालते है.

(iii) **औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन:** कारखाना मालिकों द्वारा श्रमिकों की मनमाने ढंग से छंटनी (ले आफ) तालाबन्दी (लॉक आऊट) की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम में संशोधन किया गया है, संशोधित प्रावधानों के अनुसार छंटनी आदि के लिए औद्योगिक संस्थानों को सरकार द्वारा नियुक्ति सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृत प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है.

(iv) **वेतन भुगतान अधिनियम:** 1936 इस अधिनियम का मूल उद्देश्य श्रमिकों को निश्चित समय पर तथा विना किसी कटौती के वेतन प्रदान करवाना है. यह अधिनियम 1000/- रूपये प्रतिमाह वेतन पाने वाले कर्मचारियो पर लागू है तथा इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय उप सहायक श्रम आयुक्तो को प्राधिकारी नियुक्त किया हुआ है.

(v) **न्यूनतम वेतन अधिनियम** 1948: इसके अन्तर्गत अनुसूचित धन्धों में कार्यशील श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने तथा उनमें संशोधन करने का अधिकार सरकार को प्राप्त है. अभी तक 30 अनुसूचित धन्धों में राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जा चुका है और जिसके प्रभावशाली परिपालन के लिए श्रम निरीक्षक नियुक्त है तथा क्षेत्री उप/सहायक श्रम आयुक्तों को प्राधिकारी नियुक्त किया हुआ है. अब 1 अप्रेल 1982 से न्यूनतम मजदूरी 9 रु. प्रतिदिन कर दी गई है.

न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने 17 फरवरी 1987 को एक अधिसूचना जारी करके राज्य के 37 अनुसूचित नियोजनों के अकुशल, अर्द्ध कुशल तथा कुशल श्रमिकों की पगार में वृद्धि की है. इसका लाभ राज्य के सात लाख से अधिक कृषि श्रमिकों के अलावा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले लगभग 15 लाख असंगठित श्रमिकों को भी मिलेगा. पूर्व में 16 जनवरी 1985 की अधिसूचना के अनुसार विभिन्न नियोजनों में काम करने वाले अकुशल श्रमिकों को 11 रूपए प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है अब उनका न्यूनतम वेतन 14 रूपए प्रतिदिन होगा. अर्द्ध कुशल श्रमिक जो 12 रूपए प्रतिदिन पा रहे है वे अब साढे पन्द्रह रूपए प्रतिदिन प्राप्त करेंगे और इसी प्रकार कुशल श्रमिक जो सवा तेरह रूपए प्रतिदिन लेते है वे अब सतरह रूपए प्रतिदिन न्यूनतम वेतन प्राप्त करेंगे.

(vi) **श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम:** इस अधिनियम के अन्तर्गत उन श्रमिकों को जो कार्य करते घायल अथवा अपंग हो जाते है अथवा जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हे या उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति अनुदान प्रदान किया जाता है. इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सभी उप/सहायक श्रम आयुक्तां को क्षतिपूर्ति आयुक्त नियुक्त कियां गया है. अधिकतम श्रमिकों को इस नियम के अन्त-

गंत लाने के लिए, मजदूरी की सीमा 1000/- रुपये प्रतिमाह कर दी गई है तथा क्षतिपूर्ति राशि बढा दी गई है. वर्तमान में लोक अदालतों को यह कार्य सौंप दिया गया है.

(v बोनस भुगतान अधिनियम: इसके अन्तर्गत बोनस वितरण का प्रावधान है केन्द्रीय सरकार ने इसमें संशोधन कर अब न्यूनतम बोनस 8.33 प्रतिशत निर्धारित किया हे जो अवश्यमेव देय है. राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की गम्भीरता से परिपालना कराने के लिये श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति की हुई है

(viii) बीड़ी एवम् सिगार श्रमिक अधिनियम: इस अधिनियम के परिचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति की हुई है. इनका कार्यक्षेत्र उनको न्यूतनम मजदूरी का समय पर भुगतान तथा उनकी कार्य क्षमता को बनाये रखने के लिए उनकी कार्य की दशाओं में सुधार करना है. इस कार्य के लिए निरीक्षक निरीक्षण करते हैं और चालान प्रस्तुत हे.

(ix) मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम: यह अधिनियम उन सभी मोटर यातायात संस्थानों पर लागू है जिनमें दो या उनसे अधिक श्रमिक कार्य करते है, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन श्रमिकों के कार्य के घण्टे निर्धारित करना है जिससे कि उनकी कार्य क्षमता का ह्रास न हो.

इसके साथ ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था तथा रोजगार गारन्टी की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है. इसके अन्तर्गत किसी भी श्रमिक को बगैर कारण बताए हटाया नहीं जा सकता हैं.

(x) दुकान एवम् वाणिज्य संस्थान अधिनियम: इस अधिनियम की परिपालना अब श्रम विभाग करता है. पहले यह 91 स्थानों पर ही लागू था अब राज्य के उन सभी शहरों/कस्बों में लागू है जिनकी जन संख्या 10 हजार से अधिक है. इसके अन्तर्गत सभी दुकानों एवं एवम् वाणिज्य संस्थानों जहां-जहां यह अधिनियम है रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक हे. इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के काम के घन्टों पर नियन्त्रण करने की दृष्टि से उक्त संस्थानों के खोलने एवम् बन्द करने के घण्टे पर नियन्त्रण करने के लिए समय में उचित परिवर्तन कर दिया गया है. वर्तमान में बडे शहरों (राज्य के) मे संस्थान खोलने, बन्द करने का समय गर्मी के मौसम में 15 मार्च से 14 अक्टूबर तक 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सर्दियों में 15 अक्टूबर से 14 मार्च तक 9 बजे सुबह से रात्रि के 8 बजे तक का है. इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी क्षेत्रीय उप/सहायक श्रम आयुक्तों को प्राधिकारी नियुक्त किया हुआ हैं. श्रमिकों के कल्याण की दिशा में, एक नीति सम्बन्धी निर्णय लिया गया जिसके अन्तर्गत एक लाख की जनसंख्या से ऊपर वाले 11 शहरों की दूकानों एवम् व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले 70 हजार श्रमिको को लाभ पहुंचेगा. इस योजना के अन्तर्गत *सामान्य बीमा योजना तथा* ई. एस आई. की सुविधाओं का विस्तार किया गया हे.

(xi) ठेका श्रम (उन्मूलन एवम् नियमन) अधिनियम 1970: यह अधिनियम उन सभी ठेकेदारों पर लागू होता हे जो 20 या इससे अधिक श्रमिक नियोजित करते हैं. इस अधिनियम का उद्देश्य ठेका श्रमिकों के हितों की रक्षा करना उनके कार्य की दशाओं में सुधार करना तथा उनको कार्य की गारन्टी प्रदान करना है और कार्य नही मिलने की स्थिति में उनको मुआवजा दिलाना है.

(xii) श्रमिक संघ अधिनियम 1926: इसके अन्तर्गत श्रमिक संघों का पंजीयन किया जाता है. राज्य सरकार द्वारा समस्त राज्य के लिए उप श्रम आयुक्त (मुख्यालय) को रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन' नियुक्त किया हुआ है, इसके अतिरिक्त जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर के प्रादेशिक उप-श्रम आयुक्तों को उनके क्षेत्रों में 'अतिरिक्त रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के अधिकार प्रदान किए हुए है. वर्ष 1984 में पंजीकृत श्रमिकों संघों की संख्या 218 थी जो 1985 में बढकर 328 हो गई। उनकी सदस्यता 26182 थी जो 1985 में बढकर 41289 हो गई।

राज्य में अव असंगठित श्रमिकों को संगठित करने की एक नई योजना प्रारम्भ की गई है. इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 30 विकास खण्ड प्रारम्भिक रूप से चुने गए हैं और उनमें से 23 में संगठनकर्ताओं की नियुक्ति की जा चुकी है. इन 23 संगठनकर्ताओं में से 16 को कार्य प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है.

(xiii) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश अधिनियम 1947) इसके अन्तर्गत 100 अथवा इससे अधिक श्रमिकों वाले संस्थानों में स्थाई आदेश प्रमाणित करवाने की व्यवस्था है. स्थाई आदेश प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच सेवा नियमों का प्रावधान करते हैं. वर्ष 1977 में स्थाई आदेशों का का प्रमाणीकरण किया गया है.

(xiv) ग्रेच्युटी अदायगी अधिनियम 1972 : इसके अनुसार प्रत्येक फैक्टरी अथवा व्यावसायिक संस्थानों में जिसमें 10 या इससे अधिक/कर्मचारी कार्य करते हैं: सेवा निवृत्ति या सेवा से त्याग पत्र के समय यदि किसी श्रमिक ने 5 वर्ष या इससे अधिक का सेवा काल पूरा कर लिया है तो उसे ग्रेच्युटी के रूप में प्रत्येक वर्ष पर 15 दिन का वेतन देय होगा जो अधिक से अधिक 20 मास के पूरे वेतन तक होगा.

(xv) श्रमिकों की नई सुविधायें : राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सभी पंजीकरण, राष्ट्रीय त्यौहारों पर 8 दिन का सवैतनिक अवकाश, 10 दिनों सवैतनिक आकस्मिक अवकाश तथा संयुक्त प्रवन्ध समितियों के गठन आदि कार्यों की दिशा में प्रगति की है.

औद्योगिक शान्ति उत्पादकता व वृद्धि के लिए परमावश्यक है। वर्ष 1985 में मिश्रित रूप से रहा है। वर्ष 1984 में जहाँ 73 हड़ताले हुई थी. वर्ष 1985 में 74 हड़ताले हुई, किन्तु प्रभावित श्रमिकों की संख्या यथेष्ठ कम, 12444 रही, जवकि 1984 में यह संख्या 16860 थी। इसके उपरान्त भी 1984 में मानव दिवसों की हानि यथेष्ठ अधिक, 374103 मानव दिवस रही जवकि 1984 में यह 486006 रही, जिसका मुख्य कारण मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में हड़ताल का होना है.

तालावन्दी की स्थिति भी इसी के अनुरूप रही। यद्यपि वर्ष 1985 में इनकी संख्या वर्ष 1984 की तुलना में 21 से घटकर 10 रह गई किन्तु इनसे प्रभावित श्रमिकों की संख्या व मानव दिवसों की क्षति के रूप में अजमेर जिले के किशनगढ़ में कार्यरत विद्युत शक्ति चालित कर्घों में तालावन्दी के कारण रही।

हड़ताल एवम् तालावन्दी का विस्तृत विवरण तालिका संख्या-1 में दिया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि : सन् 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि एवम् प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम वनाया गया. इसमें उद्योगों कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य के लिए प्रावधान था जिससे उनकी सेवा का कार्यकाल पूरा होने पर. अथवा असमय मृत्यु होने पर उनको तथा उनके आश्रितों को कुछ राशि मिल सके. साथ ही उनमें वचत की कुछ भावना उत्पन्न हो. इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1-11-1952 से लागू की गई.

भविष्य निधि वुढापे का एक सहारा है. लेकिन जव कर्मचारी की मृत्यु हो जाए. और उसके खाते में भविष्य निधि की राशि अधिक नहीं हो तो किस प्रकार उसके परिवार का पोषण किया जाय. यह वात सरकार के विचारधीन थी. इस वात को ध्यान में रखते हुए उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के परिवार को लम्बी अवधि की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए, 1971 में एक नई योजना अर्थात कर्मचारी परिवार पेंशन योजना. वनाई गई. परिवार पेंशन में कर्मचारियों, नियोजकों तथा केन्द्रीय सरकार का अंशदान होता है. इससे कर्मचारी की मृत्यु के वाद, उसके परिवार को पेन्शन तथा अन्य लाभ मिलते हैं. 1976 में वीमा योजना भी कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सदस्यों के लिए लागू की गई. यह एक नई सामाजिक सुरक्षा योजना है.

भविष्य निधि की सदस्यता के लिए कर्मचारी को तीन महीने की नौकरी या तीन महीनों में 60 दिन का

तालिका—1

हड़तालें एवम् तालाबन्दी

मद	1980	1981	1982	1984	1985
हड़तालें					
a. हड़तालों की संख्या	84	92	68	74	75
b. प्रभावित श्रमिकों की संख्या	18,339	34.579	31,309	16,860	12,444
c. श्रमिक दिवसों की हानि	2,68,202	6,07,274	14,01,740	4,86,006	7,34,103
तालाबन्दी					
a. तालाबन्दी की संख्या	20	18	25	21	10
b. प्रभावित श्रमिकों की संख्या	5,662	1,691	4,955	3567	4602
c. श्रमिक दिवसों की हानि	1,96,586	1,60,148	1,36,433	1,48,535	2,29,401

वास्तविक कार्य, सम्बन्धित प्रतिष्ठान में करना आवश्यक है. सदस्य बनने पर भविष्य निधि का अंशदान $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत की दर से या 8 प्रतिशत की दर से देय होता है तथा 1600 रुपये प्रति माह वेतन तक काटा जा सकता है. नियोजक द्वारा बराबर का अंशदान मिला कर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय को विवरण भेजा जाता है.

राजस्थान में कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 तथा उसके अन्तर्गत आने वाली योजनाओं का अनुपालन, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, जयपुर द्वारा होता है. दिसम्बर 1982 से सदस्यों की सुविधा के लिए एक उपक्षेत्रीय कार्यालय कोटा में आरम्भ किया गया है.

राज्य में भविष्य निधि निरीक्षक के कार्यालय अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में स्थित है. भविष्य निधि निरीक्षकों का कार्य अपने अपने क्षेत्रो में संस्थानों का निरीक्षण करना तथा वहां के नियोजकों को सलाह देना है.

परिवार पेंशन : कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1-3-71 से लागू की गई है. जिस सदस्य ने यह योजना ग्रहण की है यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उस पर आश्रित परिवार को इस योजना के अन्तर्गत पेंशन दी जाती है. कम से कम 60 रु. प्रतिमाह की दर ने पेंशन मिलती है. इसके अतिरिक्त जीवन बीमा लाभ 2,000 रु. तक देय है.

यदि कोई सदस्य नौकरी छोड देता है या अवकाश प्राप्त कर लेता है तो भी उसे इस योजना के अन्तर्गत राशि का भुगतान हो जाता है.

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 : वह नियोजक जो भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत आते है, उनके लिए आवश्यक है कि ऐसे कर्मचारी जो

भविष्य निधि के सदस्य हैं, का इस योजना में बीमा करायें बीमा का अंशदान, कर्मचारी के वेतन का 0.5 प्रतिशत की दर से जमा कराना होता है और सदस्य की मृत्यु होने पर उसके उसके परिवार को इससे सहायता दी जाती है. सहायता की यह राशि भविष्य निधि की देय राशि से अतिरिक्त है. अधिकतम सहायता की राशि 10,000 रुपये की होती है. परन्तु सहायता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक हैं कि मृतक सदस्य के खाते में 1000 रुपये से कम की राशि नहीं होनी चाहिए.

कर्मचारी राज्य बीमा योजना : कर्मचारी राज्य बीमा योजना राजस्थान में सर्वप्रथम 6 औद्योगिक केन्द्रों जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, पाली, बीकानेर एवम् लाखेरी में 2 दिसम्बर 1956 में 17,000 कर्मचारियों पर लागू की गई थी. धीरे-धीरे योजना का विस्तार पूरे प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में हुआ एवम् आज यह योजना प्रदेश के 27 केन्द्रों में लागू है एवम् 1,55,000 कर्मचारी व 1,93,000 बीमाकृत व्यक्ति इस योजना के अधीन हैं. जिन केन्द्रों पर यह लागू है उनका विवरण इस प्रकार है : जयपुर, कोटा, ब्यावर, भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली, किशनगढ़, श्री गंगानगर. सवाई माधोपुर, बीकानेर, भरतपुर, लाखेरी, उदयपुर, भवानी मण्डी, अजमेर, अलवर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, फालना, भिवाडी, विजयनगर, निम्बाहेड़ा, कांकरोली, बांसवाड़ा, गुलाबपुरा, देवारी आदि है.

प्रदेश में योजना को दिनांक 26-10-75 से छोटे उद्योगों, होटलों, रेस्टोरेन्टों, पूर्व दर्शन थियेटरों, पथ परिवहन इत्यादि प्रतिष्ठानों पर भी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (5) के अन्तर्गत लागू किया गया हैं. राज्य में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित है जिसके प्रधान क्षेत्रीय निदेशक है एवम् कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों को लागू करवाने में क्षेत्रीय निदेशक को सहयोग प्रदान करते हुए उप क्षेत्रीय निदेशक, 3 सहायक निदेशक, लेखाधिकारी व एक हिन्दी अधिकारी नियुक्त हैं.

राज्य के विभिन्न केन्द्रों में स्थापित 23 स्थानीय सदस्यों को हितलाभ प्रदान किया जाता है.

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (3) व 1 (5) के अधीन 2607 कारखाने, संस्थान आते है जिनका ब्योरा निम्न है—

1. अधिनियम की धारा 1 (3) के अधीन कारखाने 998

2. अधिनियम की धारा 1 (5) के अधीन कारखाने 1696

a. शक्ति का प्रयोग करने माले कारखाने	1433
b. शक्ति का प्रयोग नहीं करने वाले खारखाने	146
c. दुकानें व संस्थान	42
d. होटल व रेस्तरां	36
e. सिनेमा व पूर्व दर्शन थियेटर	46

राज्य में एक क्षेत्रीय मण्डल गठित है, जिसमें नियोजकों, कर्मचारियों, राज्य सरकार व निगम के प्रतिनिधि हैं. राज्य के श्रम मंत्री मण्डल के अध्यक्ष हैं. यह मण्डल राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सम्पूर्ण कार्य पद्धति, नकद हितलाभ के भुगतान व चिकित्सा लाभ की व्यवस्था के सम्बन्ध में पुनरावलोक करता है एवम् निगम व राज्य सरकार को योजना कीं कार्य पद्धति के बारे में दोनों, नकद हित लाभ भुगतान व चिकित्सा व्यवस्था के सम्वन्व में सुधार करने के उपायों की सलाह देता है. राज्य में 49 पूर्णकालिक ऐलोपैथिक कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, एक अंशकालिक ऐलोपैथिक औषधालय एवम् एक होम्योपैथिक औषधालय व एक नियोजक द्वारा संचालित औषधालय स्थापित किए गए हैं.

अंतरंग अस्पताल में भर्ती किये जाने सम्बन्धी सुविधाओं को जयपुर में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के माध्यम से सुलभ कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है. जहां पर 250 शैयाओं की व्यवस्था है. इस अस्पताल में 100 शैयाओं के बढ़ाये जाने की अनुमति भी राज्य सरकार को प्रदान की जा चुकी है. इसके अतिरिक्त 20 शैयाओं का आरक्षण, टी. बी. मरीजों के लिए

सिविल अस्पताल में किया जा चुका है. दूसरे केन्द्रों पर 219 शैयाओं का आरक्षण विभिन्न सिविल अस्पतालों में किया गया है. जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा ऐजेन्सियों में बिस्तरे इत्यादि भी सम्मिलित हैं.

श्रम कल्याण : राज्य में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रम एवम श्रम कल्याण कार्यक्रमों पर 46.00 लाख रुपये खर्च किए गए. इसमें से 37.16 लाख रुपये श्रम सम्बन्धों को सुधारने के लिए प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने पर व्यय किए गए.

राज्य में विभाग के अधीन कल्याण केन्द्र चलाये जाते हैं जिनके द्वारा श्रमिकों को शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवम् मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. यह केन्द्र खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करते है.

औद्योगिक आवास योजना : श्रमिकों को उचित, सस्ते और स्वच्छ आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी राज्य सरकार पर्याप्त ध्यान दे रही है. औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक नगरों में आवासीय भवनों के निर्माण की योजनाए विचारधीन हैं.

औद्योगिक सम्बन्ध : औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष प्रयास किए गए है. इसके परिणाम स्वरूप अब यह सम्भव हो सकेगा कि औद्योगिक विवादों का निपटारा शीघ्रातिशीघ्र हो. औद्योगिक विवादों में यथा सम्भव समझौते पर जोर दिया है जिससे औद्योगिक सम्बन्ध सुधरे एवम् मधुर बने रहें. अधिकांश औद्योगिक मामले वेतन वृद्धि एवम् छंटनी से सम्बन्ध रखते हैं.

बन्धक श्रम उन्मूलन : बन्धुआ मजदूर अथवा सागड़ी प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने की दृष्टि से 1976 में बन्धक श्रम (उन्मूलन) अधिनियम बना दिया गया था. जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि किसी को बंधुआ मजदूर रखता है तो उसे तीन वर्ष तक की सजा अथवा दो हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है. राज्य सरकार द्वारा बंधक मजदूरों को चिन्हित एवम् पुनर्वासित करने हेतु उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सभी जिलों एवम् उप-जिला स्तरों पर सतर्कता समितियां बनाई गई हैं. इन समितियों में जिलाधीश एवम् अन्य सरकारी कर्मचारी के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्त्ता एवम् स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी रखा गया है. राज्य में बंधक श्रमिकों की शिनाख्तगी का कार्य वर्ष 1975-76 से ही प्रारम्भ कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप लगभग 6000 बंधक श्रमिकों का पता लगाया गया और उन्हें मुक्त कराकर पुनर्वासित किया जा चुका है.

वर्ष 1981-82 से इस कार्य में अधिक गतिशीलता लाई गई है एवम् सभी जिलाधीशों तथा ग्रामसभाओं के माध्यम से बधुआ मजदूरों की शिनाख्तगी के लिए पुनः सर्वेक्षण कराया गया. इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया गया है. अब यह कार्यक्रम ऐसे चरण पर पहुच गया है जहां बंधुआ मजदूर आसानी से स्पष्टतः उजागर होकर चिन्हित नहीं हो पाते हैं. अतः समाज के सभी जिम्मेदार वर्गो व शक्तियों की सहायता लेकर छिपे हुए बन्धुआ मजदूरों की शिनाख्तगी एवम् पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाय. अक्टूबर 1985 तक 262 बंधुआ मजदूरों को पुनः बसाया गया है.

1984 में पंजीकृत कारखानों में औसत नियोजन की संख्या 1,96,589 थी, जबकि 1983 में यह 1.87 045 निजी क्षेत्र के कारखानों में वर्ष 1984 में नियोजित व्यक्तियों की औसत संख्या 1,54,821 थी जबकि वर्ष 1983 में यह संख्या 1.43.417 थी, जो यथेष्ट वृद्धि दर्शाती है. सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में वर्ष 1984 मे श्रमिकों की औसत संख्या में समान्य कमी रही. राज्य के उद्योग निदेशालय में पंजीकृत लघू उद्योगों में 31 मार्च 1985 को औसत दैनिक नियोजन 4.37 लाख व्यक्तियों को उपलब्ध था, जो दिसम्बर 1985 के अन्त में बढ़कर 4.59 लाख हो गया.

शिक्षित बेरोजगारों के नियोजन की स्वरोजगार (SEEUY) के अन्तर्गत 10300 युवकों को वर्ष 1985-86 में लाभान्वित करने का लक्ष्य है.

निर्धन बेरोजगारों के नियोजन की स्वरोजगार एवम् प्रशिक्षण योजना (SETUP) जो शहरी क्षेत्रों में कार्य-

है, उसमें 1985-86 के लिए हजार व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था.

समन्वित ग्रामीण विकास (IRDP) एक अन्य लाभार्थी उन्मुख योजना जिसके जरीये 1985-86 में 0.39 लाख रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य था.

'नियोजन बाजार सूचना' कराये गए रोजगार पर अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराती है. 1984 के अन्त में सार्वजनिक क्षेत्र में 7.85 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाया. दिसम्बर 1985 के अन्त तक रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजीकाओं पर 6.86 लाख आशार्थी पंजीकृत थे। आवश्यकता इसको छटाने की है।

विद्युत

आधुनिक शक्ति के साधनों में कोयला, पेट्रोल एवम् जल विद्युत मुख्य है. इनकी आवश्यकता राज्य में कल कारखानों को चलाने के लिए होती है. क्षेत्र विशेष में किस उपलब्ध शक्ति का उपयोग किया जाये यह कई तथ्यों पर निर्भर करता है, जैसे स्थापित क्षमता की प्रति इकाई पूंजीगत लागत, उत्पन्न की गई जल शक्ति या ताप शक्ति की प्रति किलोवाट घण्टा लागत, परियोजना तैयार करने की अवधि और कोयला, पेट्रोलियम या जल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति. वैसे राजस्थान इन तीनों ही शक्ति संसाधनों में अभाव वाला राज्य माना जाता है.

ऊर्जा के विभिन्न संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है-—

(A) वाणिज्यिक—कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत और अणु शक्ति

(B) गैर वाणिज्यिक—लकड़ी, गोबर, और वनस्पति अवशिष्ट

(C) नवीन—सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ज्वार भाटा ऊर्जा, वायु शक्ति और गोबर गैस.

लेकिन हम यहां सिर्फ विद्युत शक्ति का ही वर्णन कर रहे हैं. विद्युत किसी भी राष्ट्र के विकास तथा औद्योगिक समृद्धि की कुंजी है. लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही है. स्वतंत्रता के पूर्व वर्तमान राजस्थान के अन्तर्गत कई देशी रियासतें विद्युत के क्षेत्र में पिछड़ी हुई थीं. रियासती राज्यों के एकीकरण के समय राजस्थान में मात्र 42 शहरों में बिजली की रोशनी उपलब्ध थी. विद्युतिकृत वस्तियों में उपभोक्ताओं की संख्या 31,205 थी. इन वस्तियों की वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत केवल 330 किलो मीटर लम्बी 11/33 के. वी. लाइनें विद्यमान थीं.

राजस्थान निर्माण के प्रारम्भिक दिनों में 1949 में बिजली से केवल शासकों के राज प्रसाद जगमगाते थे अथवा कुछ मुख्य शहरों की मुख्य सड़कें बिजली के प्रकाश से प्रकाशित थी. किन्तु इससे शासक और शासित लोगों के बीच की खाई और भी अधिक उजागर हो जाती थी. विद्युत शक्ति विलासिता की वस्तु थी और आम जनता के लिए यह एक चमकीला रहस्य बना हुआ था. जनतांत्रिक सरकार के निर्माण के बाद ही प्रशासन ने नियोजित तरीके से बिजली को आर्थिक उन्नति का आधार बनाने की योजना प्रारम्भ की.

सस्ती विद्युत तथा इसकी सतत् प्राप्ति से न केवल यंत्रीकरण एवं औद्योगिकरण की संभावनाये ही बढ़ती हैं, बल्कि रोजगार के नये अवसर भी उत्पन्न होते हैं. कृषि को भी आधुनिक दिशा मिलती है और समाज को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होती है. इस प्रकार ग्रामीण एवम् शहरी जनता का जीवन स्तर ऊंचा होता है. विद्युत के प्रति व्यक्ति उपभोग किसी भी राष्ट्र के विकास और उसकी सम्पन्नता का द्योतक है. राजस्थान भी इसका अपवाद नहीं है. यही कारण है कि पंचवर्षीय योजनाओं में इसके विकास पर बल दिया गया.

विकास : प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में विद्युत विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति सम्भव नहीं हो सकी. इस योजना के अन्त में प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 35 मेगावाट एवम् विद्युतिकृत वस्तियों की संख्या 66 तक पहुंच गयी थी. कुल वस्तियों से विद्युतिकृत वस्तियों का प्रतिशत जो पूर्व में 0. 13 था वह योजनाकाल के अन्त में बढ़कर 0.20 हो गया.

इस योजना के अन्तर्गत राज्य में थर्मल विद्युत शक्ति को विकसित करने, भाखड़ा-नांगल व चम्बल बहु-उद्देश्य योजनाओं से प्राप्त बिजली का प्रसार करने तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए 1.05 करोड़ रुपये व्यय किये गये.

थर्मल शक्ति के विकास कार्यक्रम में दो प्रकार के कार्य पुराने बिजलीघरों में नई मशीनें लगाना और नई

ट्रांसमिशन लाइनें डालना आदि को सम्मिलित किया गया. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 180 किलोमीटर लम्बी ट्रांसमिशन लाइनें डाली गयी.

भाखड़ा-नांगल परियोजना के अन्तर्गत गंगानगर व राजगढ़ के आस-पास के 61 नगरों व कस्बों को बिजली की व्यवस्था की गई. लगभग 240 किलोमीटर लम्बी ट्रांसमिशन लाइनें गंगानगर, रायसिंहनगर रतनगढ़, फतेहपुर व सीकर में 1956 के अन्त तक बिछा दी गई.

द्वितीय एवम् बाद में पंचवर्षीय योजनाकाल में देश की कठिन समस्याओं और प्राकृतिक ईंधन स्रोतों जैसे कोयला, तेल या विद्युत उत्पादन के लिए सदा बहने वाली नदियों में पानी की कमी के बावजूद राज्य सरकार की विद्युत विकास नीति के कारण उल्लेखनीय प्रगति सम्भव हुई. इस योजनाकाल में भाखरा-नांगल योजना के प्रथम चरण एवम् चम्बलघाटी विकास योजना के अन्तर्गत जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों की स्थापना से उक्त योजना के अन्त तक प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 134.57 मेगावाट तक बढ़ गयी. इस अवधि में 132 के. वी. लाइनों का विस्तार 320.66 एवम् 66 के. वी. लाइनों का 232.66 किलोमीटर में विस्तार हुआ.

इस योजना काल में 15.14 करोड़ रुपये की राशि विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण पर व्यय की गई और अधिकांश रियासतों के विद्युतगृह राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को सौंप दिए गए.

द्वितीय योजनाकल में कुल विद्युतीकृत बस्तियों की संख्या 131 हो गयी तथा विद्युतीकृत कुओं की संख्या 1038 हो गयी, इसी योजनाकाल में 1 मई 1957 को राजस्थान विद्युत मण्डल की स्थापना हुई. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में प्रगति की सम्भावनाओं का दौर भी इसी काल में प्रारम्भ हो सका. इससे पूर्व गांवों में विद्युतीकरण का कोई स्रोत नहीं था. इस कार्यक्रम से गांवों में तथा पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक विकास तथा सामाजिक रूपान्तरण का भविष्य नजर आने लगा था.

तीसरे योजनाकाल में प्रतिष्ठापित क्षमता में 275 मेगावाट वृद्धि करने का लक्ष्य था परन्तु वास्तविक उपलब्धियां भाखरा राइट बैंक, राणाप्रताप सागर और सतपुड़ा परियोजनाओं की अनेक इकाइयों के देर से चालू होने के कारण काफी कम रही. इस प्रकार प्रतिष्ठापित क्षमता में सिर्फ 76 मेगावाट की ही वृद्धि सम्भव हुई. इस योजना अवधि में 132 के. वी. की लाइनों का 827.56 किलोमीटर तथा 66 के. वी. लाइनों का 111.53 कि. मी. में विस्तार सम्भव हो पाया. इसके अतिरिक्त 33 के. वी. एवम् 11 के. वी. लाइनें क्रमशः 3168 तथा 4787 किलोमीटर ये डाली गयी इस अवधि में 1111 बस्तियों का विद्युतिकरण किया गया और 5823 कुओं को बिजली दी गई.

इस योजना अवधि में जोधपुर में 3000 किलोवाट के सेट का प्रतिष्ठापन कर दिया गया परन्तु बायलर्स में निर्माणाकारी दोष के कारण उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका.

तीन वार्षिक योजनाएं

चतुर्थ योजना के स्थगित होने पर वार्षिक योजनायें चालू हुई. इस अवधि में अतिरिक्त उच्च प्रसारण लाइनें पूर्ण की गयी एवम् 220 के. वी. की लाइनें 115 किलोमीटर में, 132 के. वी. की लाइनें 576 किलोमीटर में तथा 66 के. वी. की लाइनें 68 किलोमीटर में डाली गई. इसके अतिरिक्त 33 के. वी. एवम् 11 के. वी. की लाइनें क्रमशः 1075 एवम् 3131 किलोमीटर में डाली गई. इन लाइनों के निर्माण स्वरुप राज्य में लगभग 84 हजार नये उपभोक्ताओं को नये कनेक्शन दिये गये और प्रति व्यक्ति औसत विद्युत उपभोग बढकर 27.6 यूनिट हो गया.

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

इस योजनाकाल में विद्युत उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और योजनाकाल में ही लक्ष्यों को पूर्ण करने का वादा भी किया गया.

चतुर्थ योजनाकाल में मण्डल को अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता बढकर 580.83 मेगावाट हो गई. इसके अतिरिक्त राजस्थान अणु शक्ति परियोजना में 220 मेगावाट की एक इकाई नवम्बर 1972 में परीक्षण तौर

पर चली एवम् चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इससे 140 मेगावाट तक बिजली राजस्थान ग्रिड को प्राप्त हुई. इस योजना के अन्त तक प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता बढ़कर 809.83 मेगावाट हो गई.

लाइनों के प्रसारण के क्षेत्र में 132 के. वी. लाइनें 675 किलोमीटर में डाली गई. 220 के. वी. की लाइनें 804 किलोमीटर में डाली गई. इसके अतिरिक्त 132 के. वी. ग्रिड उप चौकी चौमू, निवाई, हनुमानगढ एवम् जावर माइन्स का कार्य पूरा किया गया. इस योजनाकाल में 3663 किलोमीटर को 33 के. वी. लाइनें एवम् 11 के. वी. की 2552 किलोमीटर लाइने बिछाई गई है. इन प्रयत्नों के फलस्वरुप राज्य में प्रति व्यक्ति औसत विद्युत उपलब्धि बढकर 65.54 यूनिट हो गई. प्रति व्यक्ति औसत विद्युत उपभोग बढकर 48.31 यूनिट हो गया.

पांचवी योजना—वर्ष 1979-80 के अन्त तक न केवल समस्त नगरीय क्षेत्रों वरन 13942 गांवों में भी बिजली की रोशनी उपलब्ध कराई गई. बिजली उत्पादन की क्षमता 1979-80 के अन्त तक बढकर 1025.6 मेगावाट हो गई. इस प्रगति के उपरान्त भी राज्य के आर्थिक विकास में विद्युत की कमी एक बाधा बनी हुई थी। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के कोटा में थर्मल विद्युत सयन्त्र को स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी और कार्य भी प्रारम्भ कर दिया। योजना काल में महत्वपूर्ण उत्पादन की जो योजनाएं कार्यान्वित की उनमें व्यास परियोजना के प्रथम दो चरण, माही परियोजना का प्रथम चरण तथा कोटा थर्मल प्लांट मुख्य है. इस योजना के अन्तर्गत कोटा-उज्जैन ट्रांसमिशन लाइन के कार्य को पूरा किया गया. 220 के. वी. ट्रांसमिशन लाइन की लगभग 114 किलोमीटर लम्बी लाइन इस योजना अवधि में मौजूदा लाइनों में जोडी गई. खेतडी-जयपुर लाइन का कार्य निर्माणाधीन था.

छठी एवम् सातवीं पंचवर्षीय योजना—वर्तमान में राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना को छोड़कर अन्य सभी विद्युत उत्पादन के स्रोत राज्य के बाहर स्थित है. अब तक के अनुभव के आधार पर परमाणु विद्युत परियोजना राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की अनियमित आपूर्ति में वांछित योगदान करने में असमर्थ रहा है. राज्य में तीव्र गति से हो रहे कृषि एवम् औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के आधार पर लगाये गये अनुमानों के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में उपलब्ध होने वाली 1250 मेगावाट बिजली के विरुद्ध मांग लगभग 1625 मेगावाट होने की सम्भावना है जो वर्ष 1989-90 में बढ़कर 2944 मेगावाट अनुमानित है. उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप विद्युत क्षमता एवम् मांग के बीच के अन्तर को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सतत् प्रयास किये जा रहे हैं.

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी ने कहा कि 1983-84 में राजस्थान की प्रगति में बिजली का अभाव सबसे बड़ा रहा। कोटा ताप बिजलीघर राणा-प्रताप सागर की हाइडल परियोजनाओं को छोडकर राज्य के पास अपने विद्युत उत्पादन के साधन नहीं है इसलिए मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि से बिजली लेनी पडती है और परमाणु बिजलीघर पर हमारा नियन्त्रण नहीं है। अब तक के अनुभव के आधार पर परमाणु विद्युत परियोजना राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की नियमित आपूर्ति में वांछित योगदान करने में असमर्थ रहा हैं.

योजनाकाल में विद्युत विकास पर लगभग 1111.66 करोड रुपये व्यय का प्रावधान था. इस राशि में 444.8 करोड रूपये विद्युत उत्पादन पर, 241.48 करोड रुपये ट्रांसमिशन लाइनों के विस्तार पर 128 करोड रुपये सब-ट्रान्समिशन पर, 107.80 करोड रुपये ग्रामीण विद्युतीकरण पर तथा 50 करोड रुपये सर्वेक्षण व अनुसंधान कार्यों पर व्यय करने का लक्ष्य था. इस योजना अवधि में राज्य की अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए ट्रान्समिशन विस्तार तथा वितरण व्यवस्था एवम् उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया. विशेष महत्व एकीकृत ग्रामीण विकास के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित किये जाने पर दिया गया जिससे अधिक से अधिक कुओं तथा ग्रामों को विद्युतिकरण के लाभ पहुंचाया जा सके.

सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में विद्युत के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. इसलिए राज्य में बिजली की कमी को देखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन के साधन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है. योजना के अन्तर्गत करीब तीस लाख पम्प सेटों को बिजली देने का काम है. राज्य के प्रत्येक गांव व उद्योग को विद्युत उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेगें. इसके लिए पड़ोसी राज्यों से भी विद्युत उपलब्ध कराने की भी योजना हैं. लिग्नाइट पर आधारित बिजलीघर को भी पूरा करने की योजना है.

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने राज्य को पांच और लघु विद्युत परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है. स्वीकृत योजनाओं में इन्दिरा नहर की पूगल व बीरसालपुर शाखाओं पर उपलब्ध जल-प्रपातों की प्रस्तावित परियोजना, जाखम बांध से बिजली बनाने की परियोजना माही परियोजना की 'दायी' मुख्य नहर पर उपलब्ध जल प्रपात और चम्बल परियोजना की इटावा शाखा पर उपलब्ध जल प्रपात से विद्युत बनाने की योजनाएं है.

सातवीं योजना के प्रथम वर्ष 1985-86 में विद्युत विकास पर 123 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान था जो योजना व्यय का 28.6 प्रतिशत है. कोटा ताप बिजली घर के द्वितीय चरण में 210 मेगावाट के दो यूनिट लगाने का कार्य प्रगति पर है. योजना के लक्ष्यों के अनुसार इसे सातवीं योजना में ही पूरा करना हैं. इस 1985-86 के लिए इस कार्य के लिए 60 करोड़ का प्रस्ताव किया था. द्वितीय चरण की पहली इकाई मार्च 1987 में व दूसरी इकाई से दिसम्बर 1987 में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ करने का लक्ष्य हैं.

नई लाइनों, सब स्टेशन और विशेष यन्त्र लगाए जायेगें. विद्युत वितरण के लिए व्यवस्थाओं पर 25-29 करोड़ रुपये व्यय होंगे. इस कार्यक्रम के तहत 220 के. वी. की 288 किलोमीटर लाइन और 132 के. वी. की 126 किलोमीटर लाइन बनाने का लक्ष्य है. प्रणाली में सुधार के लिए 19 ई. एच. वी ग्रिड सब-स्टेशन पर 100 एम. पी. आर क्षमता के केपीसीटर बैंक भी स्थापित किए जाएगें.

योजना आयोग के अनुमान के अनुसार 60 प्रतिशत बिजली का उपयोग उद्योग धन्धे करते हैं, 20 प्रतिशत कृषि के लिए होता है तथा शेष 20 प्रतिशत का उपयोग घरेलू, व्यावसायिक, सार्वजनिक प्रकाश तथा जल प्रदाय के लिए होता है. राजस्थान में जबकि उद्योग धन्धों के लिए यही प्रतिशत 47 है. कृषि तथा सिंचाई के लिए 31 है तथा शेष 22 प्रतिशत का उपभोग अन्य कार्यों जैसे घरेलू, व्यावसायिक, सार्वजनिक प्रकाश, जल प्रदाय योजनाओं तथा अन्य कार्यों के लिए होता है. राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग 83.3 किलोवाट टावर है जबकि सम्पूर्ण भारत में यही औसत 119.4 किलोवाट टावर है. यह राजस्थान के पिछड़ेपन का संकेत देता है और औद्योगिक दृष्टि से विशेष रुप से पिछड़ेपन को बताता है.

विद्युत उत्पादन दो स्रोतों से ही हो रहा है. वे हैं—तापीय व पन विद्युत. राजस्थान में प्रतिष्ठापित विद्युत क्षमता लगभग 1240 मेगावाट थी जिसमें 661 मेगावाट उसका विद्युत में हिस्सा और तापीय विद्युत घरों एवम् भाप व डीजल से उत्पन्न स्थानीय विद्युतघरों में उसका हिस्सा 579 मेगावाट है. पन विद्युत का हिस्सा भाखड़ा-नांगल, व्यास युनिट प्रथम और द्वितीय (रावी, व्यास और सतलज), गांधी सागर, राणाप्रताप सागर और जवाहर सागर (चम्बल) से प्रात किया जा रहा हैं. तापीय विद्युत का हिस्सा सतपुड़ा (मध्य प्रदेश), सिंगरोली, (राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम) और राजस्थान अणु विद्युत स्टेशन कोटा से प्राप्त किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त स्थानीय रूप से राज्य में स्थापित भाप और डीजल के लघु सेट्स से भी विद्युत उत्पादन किया जा रहा है.

वर्ष 1982-83 से कोटा थर्मल की 110 मेगावाट की प्रथम इकाई, पोंग पावर स्टेशन की 5 वीं इकाई और सिंगरोली थर्मल स्टेशन की द्वितीय इकाई से भी विद्युत उपलब्ध होने लगेगी.

सिंगरोली विद्युत परियोजना की 200-200 मेगावाट की प्रथम तीन इकाइयों में उत्पादित विद्युत में

तालिका संख्या—1

विद्युत उपभोग कार्यानुसार

मिलियन K. W. H.

उपभोग	1980-81 मात्रा	1981-82 मात्रा	1982-83 मात्रा	1983-84	1984-85	1985-87
1. घरेलू	221.81	257.62	293.32	340.22	390.24	429.00
2. घरेलू के अतिरिक्त (व्यावसायिक)	143.49	161.36	169.07	196.40	224.03	245.00
3. उद्योग एवम् खनन	1294.55	1421.04	1546.68	1988.56	1982.77	2178.00
4. सार्वजनिक प्रकाश	19-53	18.27	21.50	24.51	27.51	30.00
5. सिंचाई और कृषि	1004.95	1017.67	1068.77	1301.58	1441.46	1585.00
6. सार्वजनिक जल प्रदाय	149.50	158.56	170.66	180.83	212.73	225.00
7. अन्य	95.13	95.14	95.00	116.96	111.89	120.00
योग	2928.96	3129.66	3375.00	4148.71	4389.64	4812.00

राजस्थान का 8.8 प्रतिशत हिस्सा है और इन इकाईयों के अतिरिक्त उत्पादन का 50 प्रतिशत हिस्सा केन्द्रीय सरकार ने उत्तरी क्षेत्र के उन राज्यों के लिए सुरक्षित रखा हे जो विद्युत संकट का साभना कर रहे है.

सिंगरोली थर्मल परियोजना की सातो इकाइयों के समग्र उत्पादन 2 हजार मेवावाट में राजस्थान का हिस्सा 300 मेगावाट है. प्रतिष्ठापित क्षमता में इस वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष 1982-83 से राज्य को 163 मेगावाट बिजली अधिक मिलने लगी.

1985-86 (फरवरी 1986 तक) कुल संस्थापित क्षमता 180.16 मेगावाट है जिसमे पन विद्युत का हिस्सा 807.07 मेगावाट है और शेष ताप विद्युत का है (इसमें अणु विद्युत केन्द्र से प्राप्त बिजली भी शामिल है.) इसके अतिरिक्त स्थानीय रूप से राज्य में स्थापित भाप और डीजल के लघु सेट्स से भी विद्युत उत्पन्न होगी.

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमानित उच्चतम मांग 2028 मेगावाट होगी. इस मांग को पूरा करने के लिए 2898 (70 प्रतिशत के आधार पर) मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता की आवश्यकता होगी. लेकिन छठी योजना के अन्त तक (1984-85) जो विद्युत योजनाएं हाथ में थी उससे 1387.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगी फिर भी 532 मेगावाट की कमी थी. इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य को या तो केन्द्रीय योजनाओं मे ज्यादा हिस्सा मिले या अन्तर्राज्यीय योजनाओं मे ज्यादा हिस्सा मिले लेकिन वस्तुस्थिति इसके ठीक विपरीत रही.

यह स्थिति सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी नही बदलेगी. मार्च 1985 में बिजली की कुल संस्थापित क्षमता 1753 मेगावाट हे जो वर्तमान आवश्यकता के अनुसार 31 प्रतिशत कम है. सातवी योजना के अन्त तक बिजली उत्पादन 2656 मेगावाट होगा. लेकिन 946 मेगावाट अतिरिक्त बिजली तभी मिलेगी जबकि सारी योजनाएं समय पर पूरी हो जाए तथा वर्तमान बिजली उपलब्धि के स्रोत अनुमानित मात्रा में बिजली प्रदान

करते रहें। भारत सरकार के वर्तमान सर्वेक्षण के अनुसार पूर्वोत्तर संभाग के अलावा शेष समूचे देश में विजली का प्रभाव रहेगा. सिर्फ मध्य प्रदेश के पास अतिरिक्त विजली रहेगी. अतः मध्यप्रदेश की अतिरिक्त विजली राजस्थान को मिले यह प्रयास किए जाने चाहिए.

राज्य में वर्तमान में 31 प्रतिशत विजली की कमी है और पांच वर्षों के दौरान मांग व खपत में 10 प्रतिशत या इससे भी अधिक प्रतिशत की वृद्धि होगी. इसके विपरित उपलब्धि में अनुमानित वृद्धि संशयात्मक है. इस प्रकार कुल कमी अनुमान से कहीं अधिक होगी.

विद्युत प्रणाली में सम्प्रेषण तथा वितरण हानि को कम करने के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर लगभग 800 एम. वी. ए. आर. कैपेसिटर कण्डैन्सर्स लगाने की आवश्यकता है. निम्न तालिका में राज्य में विद्युत की उपभोग के आकार को विभिन्न प्रयोगों में दिखाया गया है.

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1984-85 में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 1244 तथा कुल विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 20,362 हो गई. यह संख्या 1982-83 के अन्त में 17,700 गांवों की थी. 1985-86 के अन्त में यह वढकर 21409 हो गई. 1982-83 के अन्त तक 2,43,538 कुओं का विद्युतीकरण हुआ जो 1984-85 में वढकर 2,81,950 हो गए और 1985-86 में यह संख्या वढकर 2,89,574 हो गई.

राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए जिन छोटीपन विजली परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है उनमें निम्न उल्लेखनीय है. ये अलग अलग चरणों में है—

1. **चरणवाला योजना**—यह वीकानेर ने चरणवाला नामक स्थान पर लगेगी जिससे 2 मेगावाट विजली उत्पन्न होगी.

2. **जाखम परियोजना**—यह चित्तौड़गढ जिले में प्रारम्भ की जायेगी जिससे 9 मेगावाट विजली वनेगी.

3. **पूगल योजना**—यह राजस्थान नहर की वीकानेर शाखा पूगल पर स्थापित की जायेगी जिससे 2.25 मेगावाट विजली उत्पन्न हो सकेगी.

4. **सूरतगढ योजना**—इस योजना के अन्तर्गत दो जेनेरेटिंग सैट स्थापित होंगे जिससे 4 मेगावाट विजली उत्पन्न होगी.

5. **कोल वांध योजना**—यह हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर शुरू की जायेगी. जिसकी क्षमता लगभग 600 मेघावाट होगी. जिससे राजस्थान को 40 प्रतिशत ऊर्जा मिलेगी.

6. **थीन वांध योजना**—यह योजना रावी नदी पर स्थापित की जायेगी जिससे 120 मेघावाट विजली उत्पादन का 42.6 प्रतिशत भाग राजस्थान को मिलेगा.

7. **संजय प्रोजेक्ट**—यह सतलज नदी पर स्थापित किया जा रहा है.

8. **पार्वती योजना**—राजस्थान और मध्यप्रदेश के द्वारा पार्वती नदी पर यह योजना क्रियान्वित होगी और राजस्थान को इसका हिस्सा मिलेगा.

राज्य सरकार अन्य स्रोतों से भी विद्युत प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है. हिमाचल प्रदेश की संजय विद्युत परियोजना तथा कोल परियोजना में हिस्सेदारी करके विजली प्राप्त करने का एक अनुवन्ध सितम्वर 1982 में किया है. वीकानेर जिले के पलाना क्षेत्र में लिग्नाइट के भण्डारों पर आधारित 60-60 मेगावट के विद्युत सयन्त्र लगाने जाने के लिये राज्य सरकार प्रयास कर रही है. इस संदर्भ में सभी प्राथमिक व्यवस्थायें पूर्ण करली गई है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भी इस परियोजना का अनुमोदन कर दिया है. लेकिन योजना प्रायोग से वित्तीय स्वीकृत प्राप्त होना शेष है. राज्य के वाड़मेर व नागौर जिलों में लिग्नाइट के विशाल भण्डारों का पता चला है. राज्य सरकार के भू-सर्वेक्षण विभाग, मिनरल कार्पोरेशन आफ इण्डिया तथा कोल इण्डिया से द्रुत सर्वेक्षण हेतु सहयोग करने के लिए निवेदन किया है. वार्षिक योजना 1983-84 के अन्तर्गत प्रारम्भिक कार्य हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे लिग्नाइट के विशाल भण्डारों के दोहन के विषय में विस्तृत विवरण प्राप्त हो सकें. इसके आधार पर राजस्थान में एक सुपर थर्मल प्लान्ट लगाने की सम्भावना वढेगी.

राजस्थान अणु विद्युत परियोजना को छोड़कर विद्यु त उत्पादन के सभी साधन वर्तमान में राज्य के बाहर है. अणु विद्यु त परियोजना पर भी राज्य का नियन्त्रण नहीं है. फलस्वरूप जहां एक ओर विजली लाने के लिए लाइनों पर अधिक व्यय करना पड़ता है, ट्रांसमीशन लोसेज अधिक होते है, वही दूसरी ओर अधिक दर पर विजली क्रय कर सस्ती दर पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करानी पड़ती है. इसका प्रभाव राज्य विद्युत मण्डल के वित्तीय संसाधनों पर भी विपरीत पड़ता है. अत: यह आवश्यक है कि राज्य में अपने स्वयं के स्रोतों का शीघ्राातिशीघ्र विकास किया जाय. इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा उदारतापूर्वक अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जावे.

राजस्थान में विजली के उत्पादन और विकास में प्रारम्भ से ही काफी अड़चने आयी है. वारहमासी नदियां नहीं बहने के कारण पन-विजली का विकास अवरुद्ध हो गया. वहीं कोयला खदान नहीं होने से ताप विजली उत्पादन की दिशा में भी नहीं वढ़ा जा सका. ऐसी स्थिति में जो वेहतर विकास हो सकता था वही राजस्थान ने अपनाया और विकल्प यह है कि उसने पन विजली उत्पादन की दृष्टि से भाग्यशाली राज्यों की साझेदारी में पन विजली विकास के प्रयत्न प्रारम्भ किए. पंजाव हरियाणा की साझेदारी में भाखड़ा नांगल तथा व्यास परियोजना और मध्य प्रदेश की साझेदारी में चम्वल तथा सतपुड़ा परियोजनायें इसी प्रकार की परियोजनाएं है.

लेकिन दु:ख का विषय यह है कि सरकार ने विकास के नाम पर विजली की कीमत में वृद्धि की है राज्य सरकारों का सवसे वड़ा सरदर्द आज राजकीय उपक्रम है जिनमें राजस्थान राज्य विद्यु त मंडल भी है जो घाटे में चल रहा है. इस घाटे के पीछे क्या कारण है वह सर्वविदित है. लेकिन इस घाटे को पूरा करने के लिए न तो विजली की चोरी रोकी जा सकी है और न कुशलता वढ़ाकर खर्च कम किया जा सके है. सवसे आसान रास्ता दरों में वृद्धि का ही अपनाया गया है. राजस्थान अपने नियोजित विकास के वावजूद भी भारत के मानचित्र पर औद्योगिक प्रान्त के रूप में नहीं उभर पाया है. विजली की कमी और दरों में वृद्धि इसे और पीछे ढ़केल देगी. अत: जहां विकास के लिए संसाधन जुटाने की आवश्यकता है वहां आधारित सुविधा की उपलब्धि इससे भी ज्यादा आवश्यक है और विजली उनमें मुख्य है.

राज्य सरकार इस दिशा में सजग है अत: व्यक्तिगत उपभोग के लिए नये उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए उदार स्वीकृतियां दी गई है जिसके परिणाम स्वरुप 1985-86 में 35.38 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की क्षमता सृजित हो रही है. इसके साथ साथ सरकार वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को काम मे लेने की दृष्टि से प्रयत्नशील है. वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों जो राजस्थान में आसानी से उपलब्ध है उनमें निम्न मुख्य है—

अणुशक्ति से विद्युत शक्ति वहुत वड़ी मात्रा में उत्पन्न की जा सकती है लेकिन हमारा अनुभव ठीक नहीं निकला है क्योंकि कोटा वाला अणु विद्युत गृह अधिकांश समय वन्द ही रहता है.

गैस आधारित विद्युत गृह दूसरा स्रोत हो सकता है. योजना आयोग ने जैसलमेर जिले के रामगढ़ में गैस आधारित ताप विजली परियोजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस योजना पर करीव 4 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित हैं. तथा इससे प्रतिदिन 3 मेगावाट विजली उत्पन्न होगी. खेतड़ी कादर काम्पलेक्स में गैस टरवाइन प्लांट की स्थपाना की है. सवाई माधोपुर के निकट गेस पर आधारित एक विजली घर का निर्माण नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा करवाया जायेगा.

देश में सातवीं योजना में वायु से ऊर्जा उत्पन्न करने के कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए है. इस दिशा में सफल परीक्षण गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, और उत्तरी पूर्वी राज्यां में हो रहा है, प्रश्न यह है कि इस प्रकृति प्रदत प्रसाद की प्राप्ति करने में राजस्थान पीछे क्यों है. कारण सम्भवत: राजस्थान का इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं चुना जाना हो सकता हो सकता है. वाकी राजस्थान में वायु वेग पूरे वर्ष पूरे राजस्थान में उपलब्ध है. अतः राजस्थान की प्राथमिकता अपने आप वनती है.

सौर ऊर्जा एक और विकल्प है इस पर प्रयोग किए गए है कि और किए जा रहे है लेकिन व्यापारी करण अभी वाकी है,

यातायात एवम् संचार वाहन

आधुनिक समय में परिवहन के साधनों के विस्तार को आर्थिक समृद्धि का सूचक माना जाता है. आर्थिक विकास को मापने के लिए जीवन के भौतिक गुण सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है और यातायात के साधन इन सूचकांकों में महत्वपूर्ण योगदान देते है. राजस्थान जैसे कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था वाले प्रदेश मे परिवहन के साधन प्राथमिक आवश्यकता के रूप में महत्व रखते है. यहां की मुख्य समस्या अधिक उपज वाले क्षेत्रों की पैदावार को कमी या सूखे वाले क्षेत्रो में पहुचाने की है, क्योंकि राजस्थान में किसी न किसी क्षेत्र में प्राय: अकाल की स्थिति रहती ही है.

यातायात की दृष्टि से राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य था. राजस्थान निर्माण से पूर्व रियासतों में बैलगाडी, घोड़े, ऊंट आदि यातायात के प्रमुख साधन थे. कुछ रियासतों की अपनी रेल्वे लाइन थी. यह लाइन रियासत के महत्वपूर्ण नगरों एवम् कस्बों को जोड़ती थी. इसी प्रकार कुछ रियासतों में सड़क यातायात की व्यवस्था भी थी और राजस्थान के कुछ प्रमुख नगर पक्की सड़कों से जुड़े हुए थे. हवाई मार्ग भी यहां पर नाम मात्र को था.

प्रान्त में उद्योग, व्यवसाय एवम् आवागमन की गति अत्यन्त धीमी होने से यातायात और संचार के उन्नत और प्रगतिशील साधनों की आवश्यकता तीव्रता से अनुभूति नहीं की गई.

एकीकरण के समय राज्य में सड़कों की स्थिति इतनी शोचनीय थी कि राज्य के पांच प्रमुख नगर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर तथा कोटा तक सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे. राज्य में केवल 5.8 हजार मील लम्बी सड़कें थी जिनमें 4000 मील लम्बी कच्ची मौसमी सड़कें, 1300 मील लम्बी पक्की सड़कें तथा 500 मील डामर व सीमेन्ट की सड़कें थी. जनसंख्या एवम् क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सभी राज्यों में राजस्थान की सड़कों की लम्बाई सबसे कम थी.

राजस्थान के एकीकरण के बाद रियासतों की प्राचीरें टूटी और लोग एक दूसरे के निकट आने लगे. प्रदेश की बढ़ती औद्योगिक एवम् कृषि उत्पादन क्षमताओं तथा जन सुविधाओं में बढ़ोतरी के उद्देश्य से सड़क निर्माण का कार्य पूरे समन्वित तरीके से आरम्भ किया गया. विकास कार्यो से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की दिशा में पर्याप्त परिवहन सुविधाओं की उपलब्धि आवश्यक है इस बात को ध्यान में रखकर पुरानी सड़कों के जीर्णोद्वार के साथ-साथ नागपुर योजनानुसार जिला, उप-जिला, तहसील व पंचायत समिति मुख्यालयों एवम् अन्य व्यापारिक महत्व के स्थानों को सड़कों की सुविधा से जोडने का काम हाथ में लिया गया. राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन के साथ प्रान्त के यातायात एवम् संचार के साधनों में भी एक प्रकार से क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है.

रेलमार्गो की तुलना में सड़क मार्ग काफी मितव्ययी होते है और निर्माण में समय भी कम लगता है. खुश्क मौसम मार्ग एवम् रख रखाव वाले सड़क मार्ग आदि के निर्माण में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, इनकी लागत रेल मार्गो की तुलना में काफी कम होती है. अत: योजनाकाल में सड़कों के विकास पर जोर दिया गया.

योजनाकाल में सड़कों का विकास : राज्य सरकार योजनाकाल के प्रारम्भ से ही सड़कों के विस्तार एवम् विकास की दिशा में प्रयत्नशील है.

प्रथम योजना : प्रथम योजनाकाल के प्रारम्भ में (1950-51) राज्य में 17,339 किलोमीटर लम्बी सड़कें के थी. योजनाकाल में सड़क निर्माण हेतु 4.98 करोड़ रुपये व्यय किए गए. इसके अतिरिक्त आर्थिक एवम् राष्ट्रीय महत्व के मार्गो को केन्द्रीय सरकार की योजनानुसार विस्तृत करने के कार्य पर 3658 लाख रुपये व्यय हुए. योजना की समाप्ति तक राज्य में सड़कों की लम्बाई लगभग 22.518 किलोमीटर तक पहुँच गई थी.

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

द्वितीय योजना का आधार समाजवादी समाज की स्थापना तथा इसके लिए आधारित सुविधाओं को जुटाने का कार्यक्रम रखा गया. इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही द्वितीय योजनाकाल में सड़क विकास पर 10.17 करोड़ रुपये व्यय किए गए तथा सड़कों की लम्बाई 26,701 किलो मीटर हो गई. याने योजनाकाल में लगभग 4500 किलो मीटर बढ़ी.

तृतीय योजना : बढ़ती हुई यातायात समस्या के लिए सड़कों के स्तर में सुधार, राज्य मार्गों व प्रमुख मार्गों पर जल प्रवाह की समुचित व्यवस्था कर उन्हें हर मौसम के लिए उपयोगी बनाना, भाखरा, चम्बल व राजस्थान नहर के जल विकसित क्षेत्रों में सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के कार्यों को इस योजनाकाल में प्राथमिकता दी जाने लगी योजना के दौरान 9.61 करोड़ रुपये की राशि सड़क निर्माण पर व्यय की गई. योजना के अन्त तक विभिन्न प्रकार की सड़कों की लम्बाई 30,628 किलोमीटर तक पहुंच गई. इसके साथ साथ पुरानी सड़कों के जीर्णोद्धार का कार्य भी चलता रहा.

तीन वार्षिक योजनाए : तीन वार्षिक योजनाओं के तहत क्रमश: 196.80 लाख, 124.60 लाख तथा 105.0 लाख रुपये की राशि व्यय की गई. 1668-69 के अन्त तक सड़कों की लम्बाई 31,376 किलोमीटर हो गई. लेकिन राष्ट्रीय औसत के मुकाबले अभी भी बहुत कमी थी. इनमें से अधिकांश सड़कें अकाल राहत कार्यक्रम के तहत बनी थी. अतः उनकी गुणवत्ता संदिग्ध है.

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74): इस योजनाकाल में महत्वपूर्ण सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण, कृषि, खान व औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मुख्य सड़क मार्गों से जोड़ने के लिए 8.03 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध थी जो पिछली योजनाओं को देखते हुए अपर्याप्त थी. 1973-74 के अन्त तक विभिन्न प्रकार की सड़कों की लम्बाई 32832 किलोमीटर रही.

इसी योजनाकाल में बढते हुए यातायात को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के चार राष्ट्रीय मार्गों को 2089 किलोमीटर चौड़ा किए जाने का कार्य प्रारम्भ किया गया. केन्द्र सरकार ने इस कार्य के लिए 12.13 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए.

इसके अतिरिक्त चौथी योजना के दौरान ही अन्तर्राज्यीय मार्गों पर पुल-निर्माण कार्य हाथ में लिए गए. इस कार्यक्रम के तहत दौसा-सवाई माधोपुर मार्ग (बनास नदी पर), हिण्डौन-बयाना–फतेहपुर सीकरी मार्ग (गम्भीरी नदी पर) हिण्डौन-बयाना-बारोठ सड़क (गम्भीरी नदी पर), इसके अतिरिक्त पुलों का निर्माण धोलपुर-बाड़ी, समरथपुरा-करोली सड़क मार्ग पर प्रगति पर था, लेकिन 8 पुलों का निर्माण धोलपुर-बाड़ी, समथुरा-करोली सड़क मार्ग पर, डीग से नया गांव सडक-केन्द्रीय सरकार से समुचित प्रावधान न मिलने के कारण आशा के अनुरुप नहीं चला.

पांचवी पंचवर्षीय योजना : वर्ष 1978 तक राज्य में सड़कों की कुल लम्बाई 36194 किलोमीटर हो गई जिसमें 25275 किलोमीटर पक्की तथा 10994 किलोमीटर ग्रेवल सडकें हो गई है. राज्य में 1978 तक प्रति 100 किलोमीटर पर 11.45 किलोमीटर सडकें थी. इसमें 2110 किलोमीटर राष्ट्रीय राज मार्ग तथा 1815 किलोमीटर सीमा सड़कें है.

	लाख रुपयों में
1. राज्य सड़कें	1075.40
2. ग्रामीण सड़कें	
(i) न्यूनतम आवश्यकता योजना	
(A) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र	
(i) विश्व बैंक	545.27
(ii) अन्य क्षेत्र	100.00
(B) चम्बल	540.15
(C) जनजाति उप परियोजना	110.66
(D) अन्य क्षेत्र	400.30
(ii) अन्य न्यूनतम आवश्यकता क्षेत्र	2140.81
(iii) उपकरण शोध आदि	29.89
	4942.48

पांचवीं योजना के दौरान राज्य योजना के अन्तर्गत 1942.48 लाख रुपयो का प्रावधान किया गया था

इस व्यय के कारण राज्य में 4209 किलोमीटर नये सड़क मार्गो का निर्माण हुआ तथा 3879 किलोमीटर मौजूदा सड़कों की मरम्मत व सुधार किया गया.

राज्य में सड़क निर्माण कार्य विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से हो रहा है जिसमे मुख्य राज्यसरकार,केन्द्रीय सड़क सगठन, अकाल राहत कार्य तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है. इन निर्माण कार्यो में विश्व बैंक व रेल्वे द्वारा भी योगदान दिया जा रहा है. विश्व बैंक मुख्य रूप से राजस्थान नहर तथा चम्बल कमांड क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है. केन्द्रीय सड़क संगठन राष्ट्रीय राज्य मार्ग का निर्माण तथा देखरेख करता है. रेलवे सड़क विभिन्न नदियों तथा सड़कों पर पुल निर्माण में अपनी ओर से सहायता करता है. सुरक्षा की दृष्टि से जो सड़कें बनाई गई है उसका व्यय भार भी केन्द्र सरकार वहन करती है.

इनके अलावा राज्य की मंडी समितियों द्वारा गांवों को जोड़ने वाली सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है.

पिछले कुछ वर्षों मे राजस्थान की सड़कों को बाढ़ से काफी क्षति हुई है तथा इन दिनों में सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाता है. इस कारण सड़कों को पानी से बचाने तथा पुलियों के निर्माण के कार्य को भी प्राथमिकता से हाथ में लिया गया है. इसके लिए 1979 में 'राजस्थान ब्रिज एन्ड कन्सट्रैक्शन कार्पोरेशन' की स्थापना की गई है. इसको 10 लाख से ऊपर की लागत के सभी पुलों के निर्माण का कार्य सौपा गया है. इसके अतिरिक्त निगम अत्याधिक महत्वपूर्ण भवनों के निर्माण का कार्य भी हाथ में ले सकता है. बाढ से बचाव कार्यक्रम के तहत 3442 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण तथा 1890 किलोमीटर लम्बी सड़कों की मरम्मत की गई थी.

योजना की समाप्ति तक 38,644 किलोमीटर लम्बी सड़क का लक्ष्य रखा गया था और उपलब्धि 40,403 किलोमीटर हो गई. यह लक्ष्य से अधिक अवश्य है लेकिन इसमें कच्ची और पक्की सड़कें सम्मिलित है. कच्ची सड़के अकाल राहत कार्यक्रम के तहत बनी थी.

छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 : योजनाकाल में 246 करोड़ रुपये सड़क विकास कार्य पर व्यय किया जायगा जो कुल योजना व्यय का 7.7 प्रतिशत है. इसके अन्तर्गत विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार से व्यय किया जायगा—

	लाख रुपयों में
1. राज्य सड़कें	6780.00
2. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	
(a) राजस्थान नहर तथा चम्बल के कमाड क्षेत्र में सड़कें	374.90
(b) अन्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम सड़कें	16900.00
3. अन्य ग्रामीण सड़कें	21.00
4. औजार एवम् सयत्र	100.00
5. आर्थिक महत्व की सड़के	125.00
6. पर्यटन महत्व की सड़कें	160.00
7. राजस्थान पुल निगम को हिस्सा पूंजी	140.00
	24600.00

वर्ष 1984-85 में गत वर्ष की तुलना में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, सड़कों की लम्बाई 13.94 किलोमीटर से बढ़कर 14.12 किलोमीटर हो गई. इसी प्रकार प्रति लाख जनसंख्या पर सतही सड़को की लम्बाई जो कि 1982-83 में 135.49 किलोमीटर थी जो बढकर 1983-84 में 139.24 किलोमीटर हो गई. सड़कों की कुल लम्बाई जो वर्ष 1982-83 में 47706 किलोमीटर थी, बढकर मार्च 1985 के अन्त तक 48306 किलोमीटर हो गई.

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 एवम् अधिक जनसंख्या वाले 3300 गांवों तथा 1000-1500 जनसंख्या वाले 2407 गांवों को सडकों से जोडने

का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इनमें से उपरोक्त दो श्रेणियों के क्रमश: 2105 व 1067 गांवो को मार्च 1983 के अन्त तक जोड़े जाने की सम्भावना है. इसके अतिरिक्त मार्ग में पड़ने वाले 1000 से कम जनसंख्या वाले 2608 गांवों को भी इससे लाभ पहुंचेगा.

राजस्थान पुल एवम् निर्माण निगम के 15.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के 34 पुल निर्माणधीन थे. निगम के पास 13.51 करोड़ रुपये लागत के भवन एवम् अन्य निर्माण कार्यों के ठेके भी है. 1982-83 में निगम ने 9 पुल, 5 भवन तथा अन्य निर्माण कार्य पूरे किये हैं. इनमे से एक पुल चम्बल नदी के ऊपर सवाई माधोपुर श्योपुर मार्ग पर बनाया जा रहा है. ढूंढ नदी पर राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 11 पर एक करोड़ दस लाख रुपये की लागत से एक पुल बन रहा है. इसी प्रकार बाण गंगा नदी पर 50 लाख रुपये की लागत से एक पुल बनाया गया.

वर्ष 1984-85 के अन्त तक वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 1500 एवम् अधिक जनसंख्या वाले 3000 ग्राभो में से 2263 ग्राम सड़कों से जोड़े गए, 1000–1500 जनसंख्या वाले 2400 ग्रामो में से 1121 ग्रामों को मार्च 1985 के अन्तर्गत सड़कों से जोड़ा गया है.

सातवीं पंचवर्षीय योजना—1985-86 के प्रथम वर्ष में मार्च 1986 अन्त तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बढकर 14.41 किलोमीटर हो गई. किन्तु भारतवर्ष के सम्वादी स्तर की तुलना में, जहां इसका स्तर 47.02 किलोमीटर है, यह स्थिति काफी असन्तोषजनक, जो भावी कार्यक्रम के स्तर का परिचायक है. मार्च 1986 तक सड़कों की कुल लम्बाई 49,311 किलोमीटर है. इसमें से डामर व पक्की सडकों की लम्बाई 37617 किलोमीटर है, लेकिन अभी भी ययेप्ठ संख्या में अनेक गांव है, जो सड़कों से नहीं जुड़े हैं. राज्य के 1500 से ऊपर जनसंख्या वाले 3300 गांवों में से, मार्च, 86 तक, 2323 गांवों के सडकों से जुड़ जाने की सम्भावना है. अन्य गांवों में से 1151 गांवों के सड़कें से जुड़ जाने की सम्भावना है. सीमित साधनों की पूर्ति हेतु सडकों का निर्माण कार्य, अकाल राहत कार्यो व भूमिहीन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत भी किया जा रहा है.

तालिका संख्या–1 में विभिन्न प्रकार की सड़कों की लम्बाई दी जा रही है।

तालिका संख्या—1

राज्य में सड़कों की लम्बाई

किलोमीटर

सड़क	1983-84			1984-85			1984-85		
	पक्की	कच्ची	योग	पक्की	कच्ची	योग	पक्की	कच्ची	योग
1. राष्ट्रीय मार्ग	2521	—	2521	2521	—	2521	2521	—	2521
2. राजकीय मार्ग	7295	172	7457	7306	151	7457	7820	137	7457
3. मुख्य जिला सड़कें	3319	297	3616	3330	286	3616	3365	259	3624
4. अन्य जिला सड़कें	11090	3624	14714	11305	3514	14819	11402	3550	14942
5. ग्रामीण सड़के	10154	7005	17159	10916	7243	18159	11206	7312	18518
6. सीमावर्ती सड़कें	2239	—	2239	2239	—	2239	2239	—	2239
योग	36608	11098	47708	37616	11194	48811	38053	11228	49311

1985-86 की अवधि में धौलपुर के निकट चम्बल नदी पर 325 लाख रुपये की लागत से निर्मित पुल का निर्माण कर लिया गया तथा इसे आवागमन के लिए खोल दिया गया. इसी प्रकार एक अन्य पुल बयाना बराठा मार्ग पर बन चुका है और आवागमन के लिए खोल दिया गया है. इसके परिणाम स्वरुप राजस्थान का मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश से सीधा सम्पर्क जुड़ गया है और किलोमीटर लम्बाई में फर्क पड़ा हैं जो ईंधन बचने की दृष्टि से लाभकारी है.

राज्य सरकार ने इन पुलों के रख रखाव के लिए टोल टेक्स की दरें निर्धारित की है जो काफी विरोध के बाद स्वीकार कर ली गई है इसमें गाड़ियों का वर्गीकरण किया गया है और उसके अनुरुप दरें है. आशा है इससे पुलों के रख रखाव में मदद मिलेगी.

अकाल राहत कार्यो के अन्तर्गत भी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 247 किलोमीटर कोलतार सड़के, 7311 किलोमीटर पक्की सड़के और 3574 किलोमीटर ग्रेवल सड़कों का निर्माण किया. इसके परिणाम स्वरुप देहाती इलाकों से सम्पर्क सुविधाएं बढ़ी है. ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधाएं बढ़ाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने न्यूनतम कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत मुख्यवासों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए एक महत्वकांक्षी योजना तैयार की गई, जिसके अन्तर्गत आगामी वर्षों में लगभग 15 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जायेगा.

पूर्व में यातायात के मुख्य साधन के रूप में केवल रेल-सेवा का ही उपयोग किया जाता था किन्तु प्रदेश में आवश्यकता के अनुरूप लोक वाहन एवम् यात्री परिवहन के अन्तर्गत निरन्तर क्रमिक विकास होता रहा है. राजस्थान के गठन के समय विभिन्न प्रकार की वाहनों की सख्या मात्र 10787 थी जो 1980 में बढ़कर 3,00,551 तथा 1982 में बढ़कर 3,77,121 हो गई. सड़क पर मोटर वाहनों की संख्या में जो वृद्धि हुई है वह तालिका संख्या 2 से स्पष्ट है.

1975 में श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय मोटर गाड़ी राष्ट्रीय परमिट नियम 1975 के तहत राष्ट्रीय परमिट जारी किए गए हैं. इसका उद्देश्य राज्यों के मध्य आवागमन को सुचारू

तालिका संख्या 2

राज्य में मोटर वाहन

संख्या

वाहनों की किस्म	वर्ष					
	1980	1981	1982	1983	1984	1985
1. कार व जीपें	42159	44192	45512	48660	51866	56229
2. मोटर साइकिल एवम् स्कूटर	141419	165191	190615	227235	268782	303300
3. टैक्सी	843	1208	1576	2451	3321	4812
4. राजकीय वाहन	14994	15838	16710	15719	16419	17504
5. निजी एवम् सार्वजनिक वाहन	35195	37919	40549	44162	46546	62390
6. ट्रैक्टर	64403	72395	80313	88945	98551	108103
7. अन्य	1528	1727	1846	1894	2006	2050
कुल	300551	338470	377121	429012	487491	554388

वनाना है. अब भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिमिट योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले परमिटों की संख्या पर प्रतिबन्ध हटाये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार इनकी वितरण प्रणाली को सरल वना रही है। और यही कारण है कि इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. विशेष रूप से पिछले 5 वर्षों में अव राज्य सरकार ने करों के सम्बन्ध में भी एक मुश्त कर योजना लागू की है आशा है राजस्व में वृद्धि होगी.

योजनाकाल में सड़क निर्माण और विकास पर ध्यान देने के वावजूद राजस्थान राज्य पूरे भारतवर्ष में जम्मूकश्मीर को छोड़कर सवसे निम्न स्थान पर है. जहां राष्ट्रीय औसत प्रति 100 किलोमीटर पर 42 किलोमीटर (1976 के आधार पर) का है वहां राजस्थान में यह औसत उस साल 11 किलीमीटर था जो 1981 मार्च में वढ़कर 12 हो गया और 1986 के अन्त तक वढकर 14.41 किलोमीटर हो जावेगी. यह इस वात का संकेते देती है कि राज्य की स्थिति इस सम्बन्ध में वहुत पिछड़ी हुई है और अधिक प्रयास की आवश्यकता है.

राज्य की जिलेवार स्थिति का अध्ययन करके भी संतोपजनक निष्कर्ष नही निकलते है. क्योंकि जिले में जो कस्वे, नगर व्यापारिक व अन्य कारणों से महत्वपूर्ण थे उनकी तरफ तो कोई ध्यान दिया नहीं गया लेकिन राजनैतिक महत्व के कस्वे, नगर जरूर इसका लाभ उठा सके है. अतः आवश्यकता इस वात की है कि इन लाभों का बंटवारा सव जिलों को वरावर वरावर हो.

परिवहन : राजस्थान में परिवहन का विकास ज्यादा पुराना नहीं है. वर्ष 1949 में राजस्थान के निर्माण के समय जो कुछ भी परिवहन व्यवस्था थी, वह निजी वस चालकों के हाथ में थी और इससे रियासतों की राजधानियों की जनता को सीमित आवश्यकता पूरी हो पाती थी. सर्वप्रथम वर्ष 1952 में टौंक में पहली राजकीय वस सेवा चालू की गई तथा अगले दो तीन वर्षों में कुछ मार्गो का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया. वर्ष 1959 में राजस्थान स्टेट रोडवेज विभाग की स्थापना की गई तथा टौंक के अतिरिक्त कोटा, सिरोही, अलवर, अजमेर, भरतपुर आदि क्षेत्रों को जयपुर से जोड़ने वाले मार्गो का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया. राजस्थान में सड़क परिवहन के विस्तार की दृष्टि से 1 अक्टूवर 1964 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई तथा अनेक प्रमुख मार्गो पर निगम ने वस सेवाएं आरम्भ की. इसकी स्थापना के घोषित उद्देश्य निम्न थे :

1. सड़क परिवहन के विस्तार के द्वारा प्रदेश की जनता, व्यापार एवम् उद्योगों को वढ़ावा देना.
2. सड़क परिवहन का अन्य परिवहन सेवाओं से समन्वय करना.
3. राज्य की जनता के लिए सस्ती, उपयुक्त एवम् कार्यकुशल वस सेवाओं का विस्तार एवम् सुधार करना.

निगम की स्थापना के समय 421 वसों के द्वारा प्रतिदिन लगभग 0.22 लाख किलोमीटर का संचालन किया जा कर लगभग 0.29 लाख यात्रियों का परिवहन किया जाता था. उस समय 4 प्रतिशत मार्गों के संचालन के लिए दो प्रादेशिक कार्यालयों के अन्तर्गत 8 आगार कार्यालय स्थापित थे. इसके 4 वर्ष पश्चात् जुलाई 1968 में श्रीगंगानगर जिले के कुछ मार्गो का राष्ट्रीयकरण हो सका तथा अन्य महत्वपूर्ण मार्गों के राष्ट्रीयकरण का मसला कानूनी दाव-पेचों के कारण लटका पड़ा रहा. 1 अप्रेल 1972 तक सड़क परिवहन में केवल 5.8 प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था. 1972-73 में मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किया गया. तत्पश्चात् राष्ट्रीयकरण ने गति पकड़ी. मार्च 1976 तक राष्ट्रीयकृत मार्गों का प्रतिशत वढ़कर 27.6 हो गया था. उस समय निगम द्वारा परिचालित लम्वाई 95789 किलोमीटर तथा वसों की संख्या 1531 हो गई. इन मार्गो की कुल संख्या 650 हो गई. राज्य सरकार निगम के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने की दृष्टि से निरन्तर आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है. 1974-75 में 203.35 लाख रुपया, 1975-76 में 168.20 लाख रुपया, 1976-77 में 342.43 लाख

रुपया तथा 1977-78 में 337.00 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता मुख्य रूप से नई बसों की खरीद, कार्यशाला व अन्य उपकरणों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी गई.

निगम के पास जहां 1075 में बसों की संख्या 1363 थी वह 1976 में 1531, वर्ष 1977 में 1716 तथा 1978 में 2000 के आसपास पहुंच गई. निगम के बस मार्गों की संख्या पांचवी योजना में 527 से बढ़कर 700 तक हो गई है. पांचवी योजनाकाल में निगम ने 1019 नई बसें और लगाई योजनाकाल में 10 करोड़ 50 हजार रुपये राज्य सरकार की ओर से व्यय किये इसके अतिरिक्त 1 करोड़ 31 लाख रुपये केन्द्र सरकार द्वारा पथ-परिवहन निगम की हिस्सा पूंजी हेतु प्राप्त हुए. इस प्रकार 1979-80 में राष्ट्रीयकृत सड़कों की लम्बाई 14389 किलोमीटर हो गई थी तथा कुल मार्ग के 37 प्रतिशत का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था. छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 53 प्रतिशत मार्ग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। निगम ने छठी पचवर्षीय योजना में 7518.70 लाख रुपये व्यय किए। वर्ष 1984-85 के अन्त तक राष्ट्रीयकृत मार्गों की लम्बाई 15134 किलोमीटर हो गई। राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा स्वयं की 2417 बसें तथा 180 अनुबन्धित बसों का इन मार्गों पर चलाया गया.

निगम ने सातवीं योजना के लिए 2 हजार नई बसों की खरीद की योजना तैयार की हैं. जो विस्तार पुनः स्थापना तथा मौजूदा मार्गों पर बढती आवश्यकताओं को पूरा करेगी। निगम ने 1200 बसों की संख्या पर एक कार्यशाला का लक्ष्य भी रखा है.

राज्य के अब सभी जिला मुख्यालय सड़क परिवहन से जुड़े तथा कई क्षेत्रों में त्वरित बस सेवायें विद्यमान है. अन्तर्राज्यीय बस सेवाओं का भी विस्तार हुआ है तथा हरियाणा, दिल्ली, अहमदाबाद, आगरा को सीधी बस सेवाएं उपलब्ध है. रात्रि बस सेवाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिसमें डीलक्स तथा सुपर डीलक्स बस सेवाएं भी सम्मिलित है. बस सेवा के विस्तार के साथ साथ बस स्टेण्ड, विश्रामगृह आदि सेवाओं का विस्तार हुआ है तथा प्रमुख नगरों पर यह यह सुविधा उपलब्ध है.

मुख्य मार्गों की दूरी (किलोमीटर में) : जयपुर-कोटपुतली-दिल्ली 256, जयपुर-अलवर-दिल्ली 310, जयपुर-अलवर 146, जयपुर-अजमेर 132. जयपुर-ब्यावर उदयपुर 392, जयपुर - चित्तौरगढ - उदयपुर 435, उदयपुर - अहमदबाद 250, उदयपुर - डूंगरपुर 106, डूंगरपुर-बांसवाड़ा 105, उदयपुर-बाली-माउन्ट आबू 320, जयपुर-अजमेर-माउन्ट आबू 508, जयपुर-अजमेर-जोधपुर 318, जयपुर-अजमेर-कोटा 327, जयपुर-टोंक-कोटा 245, कोटा-झालावाड़ 85, जयपुर-दूदू-नागौर 275, जयपुर-सुजानगढ़-नागौर 317, जयपुर-रतनगढ़-बीकानेर 336, जयपुर-रतनगढ़-गंगानगर 446, गंगानगर-बीकानेर 242, बीकानेर-नागौर 112, नागौर जोधपुर 136, जयपुर-भरतपुर 178, भरतपुर-डीग-अलवर 117.

रेलमार्ग : एकीकरण के पूर्व जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, धौलपुर तथा बी. बी. एण्ड सी. आई. आर. कम्पनी की रेल्वे थी. इन पर रियासतों का अधिकार था. राजस्थान में केवल जोधपुर रेल्वे लाइन ही सबसे बडी थी. फुलेरा से मुनाबा तथा सिंध में हैदराबाद तथा टन्डोजाम लूप लाइन पर जोधपुर रियासत का अधिकार था. राजस्थान बनने के बाद सभी रेलमार्ग केन्द्र के अधीन चले गये तथा पाकिस्तान बनने के बाद सिंध का टुकडा पाकिस्तान में मिल गया. वर्तमान में रेलमार्गो की नई व्यवस्था के अनुसार, जोधपुर, बीकानेर, उत्तरी रेल्वे तथा अजमेर, जयपुर, उदयपुर पश्चिमी रेल्वे के अन्तर्गत है.

पिछले कुछ वर्षो में राज्य में रेल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है। इन सबके बावजूद रेल्वे लाइन प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर राजस्थान में 16 किलोमीटर (आधार वर्ष 1976-77) है जबकि इसी दौरान राष्ट्रीय औसत 18 किलोमीटर का है. इसके साथ साथ जो सबसे बडी समस्या और अधिक कष्टदायी है वह है मीटर-गेज। विकास गति को देखते

हुए, जबकि सामान व सेवाओं की वर्तमान आर्थिक ढांचे में गति काफी बढ रही है-रेल का विस्तार काफी कम है- इसके विपरीत, वस्तुतः राज्य की आर्थिक प्रगति, बड़ी लाइन के विस्तार की कमी होने से सीमित है, क्योंकि बड़ी लाइन के अभाव में, बड़ी लाइन से छोटी लाइन में में परस्पर ढुलाई करने में, सामान के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की गति व लागत में काफी समस्यायें है एवम् इस तथ्य की आगे लम्बे समय तक अवहेलना नहीं की जा सकती है.

छठी पंचवर्षीय योजना में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य समझा गया वह था कुछ नई लाइनों को बिछाना तथा कुछ मीटरगेज लाइनों को ब्रॉड़ गेज में बदलना। इनका उद्देश्य औद्योगिक उत्पादनों तथा कच्चे माल की ढुलाई तथा कृषि जन्म पदार्थों को उनके गन्तव्य स्थान तक पहुंचाना। अतः निम्न कार्यक्रम हाथ में लिए गए-

1. जयपुर से सवाई माधोपुर (ब्रॉड गेज में परिवर्तन
2. दिल्ली से अहमदाबाद (ब्रॉड गेज में परिवर्तन)
3. सूरतगढ़ से जैसलमेर (नई लाइन डालना)
4. चित्तौड़गढ़ से बून्दी-कोटा (नई लाइन डालना)
5. नाडियाड-मोडासा लाइन का मावली तक विस्तार
6. कोलायत से फलोदी
7. नाचना से फलोदी
8. अनूपगढ़ से रामगढ़
9. जयसिंहपुरा से सुथारवाला
10. बीकानेर से अनूपगढ
11. कोलायत से रनजीतपुर
12. रतलाम-बांसवाड़ा-डूंगरपुर
13. अजमेर-बून्दी-कोटा
14. स्वरूपगंज एवम जवाई बांध के बीच का हिस्सा जिससे सिरोही, शिवगंज, बड़ागांव और सुमेरपर सम्मिलित हो जाय.
15. जयपुर-टोडारायसिंह लाइन का कोटा तक विस्तार
16. जवाई बांध रेल्वे स्टेशन से सुमेरपुर
17. गंगापुर-शिरममुरा-धौलपुर
18. टौंक-चित्तौतगढ़

पिछले कुछ वर्षों में राज्य में रेल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है, पश्चिम-रेल्वे की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है. पश्चिम-रेल्वे की सीकर-फतेहपुर शाखा को उत्तरी रेल्वे की बीकानेर-दिल्ली लाइन पर स्थित चुरू तक बढ़ा दिया गया है. इसके अतिरिक्त उदयपुर-हिम्मतननर रेल्वे लाइन का निर्माण है. अजमेर में रेल्वे भर्ती बोर्ड बनाया गया है इसके अतिरिक्त डिब्बों की संख्या में वृद्धि, वर्कशोपों की स्थापना नये आधुनिक स्टेशनों का निर्माण आदि अन्य महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किए गए है. पिछले कुछ नई रेल-गाडियां भी चालू की गई जिसमें मरुधरा एक्सप्रेस जोधपुर-जयपुर के बीच चलाई गई थी जिसको एक तरफ लखनऊ तक बढा दिया दूसरी तरफ़ बाड़मेर तक। इसी प्रकार दो सुपरफास्ट गाडियां एक जोधपुर दिल्ली तथा दूसरी भीलड़ी एक्सप्रेस जिसे अहमदाबाद तक बढाया गया है, और इन गाड़ियों को नियमित किया गया है. इसके परिणामस्वरूप यातायात में कुछ सुधार हुआ है. लेकिन अभी यात्री सूची लम्बी होने से बहुत कुछ करना बाकी है. राजस्थान पहले से पिछड़ा है और रेलों का अपर्याप्त विकास इसके पिछड़े स्वरूप को बनाए गए है. आशा है सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा-

वायु मार्ग : स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले जोधपुर भारत का मुख्य हवाई केन्द्र था. डच हवाई सेवा (के. एल. एम.) दिल्ली से जोधपुर होती हुई कराची जाती थी. लाहोर से अहमदवाद तथा बम्बई जाने वाले हवाई जहाज भी जोधपुर ठहरते थे. स्वतन्त्रता के पश्चात् निजी कम्पनियां द्वारा जोधपुर-दिल्ली, जोधपुर-अहमदाबाद, हवाई सेवाएं नियमित रूप से चलने लगी. राजस्थान निर्माण के पश्चात् जोधपुर को पुनः वायुसेना का प्रशिक्षण केन्द्र बना दिया गया, अब राज्य में जयपुर, उदयपुर तथा जोधपुर; दिल्ली, अहमदावाद तथा बम्बई हवाई सेवाओं से जुड़ हुए हैं, ये सब स्थान इन्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन से सम्बन्वित है. राज्य के कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थान अब वाय सेवा जुड़ जाने से राजस्थान अब वायुयान के नक्शे में स्थान पा गया है. अभी हाल हीं में कोटा,

जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर को वायुदूत सेवा से जोड़े जाने से वास्तव में राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने में सहायता होगी. सांगानेर हवाई अड्डे (जयपुर) पर कार्गो कम्पलेक्स खोलने से, द्रुतगति से सामान ढोने (विशेषकर कीमती पत्थर) में सहायता मिलेगी, जिससे निर्यात प्रोत्साहन व विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सुधार होगा.

संचार : राजस्थान निर्माण के पूर्व राज्य में 1167 डाकखाने थे, प्रथम योजनाकाल में 915 एवम् द्वितीय योजनाकाल में 1270 नये डाक खाने खोले गये. तीसरी योजना के अन्त तक राज्य में डाकखानों की संख्या बढ़कर 6000 हो गई. इसके बाद में इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है. 1975-76 में यह संख्या बढकर 6400 हो गई तथा 1982-83 में बढ़कर 9493 हो गई है. 1984 85 में यह संख्या 10,263 हो गई.

देश के 16 डाक परिमण्डलो में से राजस्थान में भी डाक महाव्यक्ष के संचालन में एक डाक परिमण्डल स्थापित है. यह राजस्थान डाक परिमण्डल दो क्षेत्रों में विभाजित है पूर्वी क्षेत्र एवम् पश्चिमी क्षेत्र, जिनकी कमान निदेशक ने सम्भाली हुई है, डाक महाध्यक्ष की सहायतार्थ एक निदेशक मुख्यालय है जो जयपुर मुख्यालय के कार्य संचालन के साथ रेल डाक सेवा का प्रशासन भी सम्भालते हैं. पूर्वी क्षेत्र के निदेशक का मुख्यालय जयपुर में है जिनका कार्यक्षेत्र जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और धौलपुर हैं. पश्चिमी क्षेत्र के निदेशक का मुख्यालय जोधपुर में है तथा उनका कार्यक्षेत्र जोधपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, नागौर, सीकर, चुरू, झुन्झुनु, बीकानेर, पाली व सिरोही है.

राजस्थान डाक परिमण्डल की सेवायें विभाग के 10,263 डाकघर है जिसमें से 60 मुख्य डाकघर, 1398 विभागीय डाकघर, 492 अतिरिक्त विभागीय उप-डाक घर तथा 8313 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर स्थापित है.

विभाग ने हाल ही में काउण्टर डाक सेवा प्रारम्भ की है और राजस्थान में भी यह सुचारु रूप से चल रही लेकिन सख्या बताने की स्थिति में नहीं है.

परिमण्डल में प्रशासनिक दृष्टि से 24 डाक मंडल, 3 रेल डाक सेवा मण्डल, 3 डाक वस्तु भण्डार, डाक टिकट भण्डार तथा 3 राजपत्रित प्रधान डाकघर हैं. इस प्रकार 1981 की जन गणना के आधार पर राज्य में प्रति डाकघर द्वारा सेवित औसत क्षेत्र 36.2 वर्ग किलोमीटर तथा प्रति डाकघर द्वारा सेवित और जनसंख्या 3717 है.

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 450 अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर तथा 8260 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर है. इनके अतिरिक्त 6542 ग्रामों में चल डाक घरों के माध्यम से काउण्टर सुविधायें उपलब्ध है. इस प्रकार राज्य के 5 ग्रामों में से प्रत्येक दो ग्रामों में डाक सुविधा उपलब्ध है. राज्य के आधे से अधिक ग्रामों में पत्र पेटिकायें उपलब्ध है जिनकी कुल सख्या 25076 है.

प्रदेश की छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान प्रदेश में 333 नए डाकघर खोले गए और 347 ग्रामों में काउण्टर सेवा स्थापित की गई और 489 डाक वितरण एजेन्टों की नियुक्ति की गई. यह योजना के लक्ष्य से काफी नीचे है. और इनको न प्राप्त करने का सीधा तात्पर्य सरकारी प्रयासों में कमी दिखाई देती है. विभाग ने अब ऐजेन्सी प्रणाली को बढावा देना प्रारम्भ किया है आशा है इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे. इस प्रणाली में लागत घटती है और प्रशासनिक कुशलता बढ़ती है. गांव-गांव में डाक का जाल बिछाने का यह सर्वोत्तम तरीका है. इसको अपनाकर विभाग लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है.

संचार के माध्यम के रूप में तारघरों की अपनी विशेष स्थिति है, 30 जून 1964 को राज्य के 444 तारघर थे इसके बाद तारघरों की संख्या में लगातार वृद्धि होती गई है यह सख्या 1979-80 में बढकर 763 हो गई और 1984-85 में 965 लेकिन इनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है क्योंकि अलग-अलग प्रकाशन अलग-अलग

आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं फिर भी इस संख्या को माना जा सकता है और यह इस बात का संकेत देती है कि सरकार सुविधाएं जुटाने में प्रयत्नशील है.

राज्य में टेलीफोन सुविधा में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है. 1975-76 में 235 टेलीफोन एक्सचेंज थे जो 1980-81 (जनगणना वर्ष) में बढ़कर 364 हो गए. लेकिन मात्र इनसे बहुत अधिक है इसलिए प्रतीक्षा सूची बढ़ रही है. इधर सेवा के स्तर में गिरावट आई है जिससे जनता में असन्तोष है. राज्य सरकार ने भी केन्द्र के नियमों के अन्तर्गत टेलीफोन हस्तान्तरण योजना चालू कर दी है और इससे उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है. सरकार का इरादा कालाबाजारी को रोकना तथा उपभोक्ताओं को सुविधा पहुंचाने का था जिसमें इसे सफलता मिल रही है.

राज्य में 1975-76 में 415 पब्लिक काल आफिस कार्यरत थे. इस सुविधा में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है और कई गांव इसके कारण टेलीफोन सुविधा सेवा से जुड़ गए हैं. इन पब्लिक काल आफ़िसों की संख्या 1980-81 में बढ़कर 694 हो गई.

आकाशवाणी : आकाशवाणी जन मानस को शिक्षित करने का एक सबल साधन है. लोकानुरंजन के साथ जनमानस को शिक्षित करने में रेडियो की महत्ता सभी स्वीकार करते हैं. राजस्थान निर्माण के पूर्व जोधपुर में एक छोटा सा केन्द्र शिप हाऊस में स्थापित किया गया था किन्तु उसकी शक्ति और साधन बहुत सीमित थे. राजस्थान की आंचलिक संस्कृति, साहित्य, कला, लोक-जीवन और प्रतिभाओं को प्रचार-प्रसार देने और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण देने की दृष्टि से जयपुर में आकाशवाणी के एक केन्द्र की स्थापना सन् 1955 में की गई. इसके बाद अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर में आकाशवाणी के केन्द्र स्थापित किए गए.

आकाशवाणी के प्रसारणों के प्रयोग का माध्यम रेडियो है. इनके प्रयोग में निरन्तर वृद्धि हो रही है. 1976 में घरेलू उपयोग के रेडियों की संख्या 477244

थी जो 1980 में बढ़कर 536484 हो गई इसी प्रकार व्यापारिक प्रयोग के रेडियों की संख्या 1976 में 12278 थी जो 1979 में बढ़कर 25867 ही गई लेकिन 1980 में 2 बैंड के रेडियो सेट्स को लाइसेंस से मुक्त करने के कारण 1980 में इनकी संख्या घटकर 12407 हो गई. अन्य में भी वृद्धियां हुई हैं. इसी प्रकार कुल रेडियो सेट्स की संख्या 1976 में 624755 थी जो बढ़कर 1980 में 702242 हो गई. लेकिन अब दो बैंड वाले सेटों को लाइसेंस से मुक्त करने के कारण इनके बारे में विश्वसनीय आंकड़े आगे के वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं हैं. सिर्फ जनगनना वर्ष के लिए उपलब्ध है.

दूरदर्शन : 1 अगस्त 1975 को राजस्थान में सर्वप्रथम दूरदर्शन कार्यक्रम का प्रारम्भ हुआ. इस तिथि से भारतीय दूरदर्शन ने अपने बहुर्चाचित सैटेलाइट टी. वी. से प्रसारण प्रारम्भ किया. वह सैटेलाइट जिससे टी. वी. कार्यक्रम प्रसारित किये गये अमेरिका के "अंतरिक्ष खोज संगठन नासा" (यूनाइटेड स्टेच्यू एलरोनोटिक्स एण्ड स्पेश अडमिनिस्ट्रेशन) ने तैयार किया था और वह भारत को प्रयोग के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक वर्ष के लिए उपलब्ध रहा.

इस सैटेलाइट के दो रेडियो चैनेल और एक वीडियो चैनेल भारतीय कार्यक्रमों के लिए चार घन्टे के लिए उपलब्ध हुए. टी. वी. सैटेलाइट स्टेशन भूमध्य रेखा पर धरती से 22300 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में रहा. बाद में इसे पूर्वी अफ्रीका के ऊपर सरका दिया गया. यह स्थिति भारत के लिए उपयुक्त मानी गई.

इस कार्यक्रम का सैटेलाइट इन्स्ट्रक्शनल टेलिविजन एक्सपेरीमेंट (साइट) नाम दिया गया. राजस्थान भारत के उन 6 राज्यों में से एक है जिसको 'साइट' कार्यक्रम से सम्बन्धित किया गया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की पिछड़े इलाकों की जनता के लिए परिवार नियोजन, कृषि उत्पादन, राष्ट्रीय एकता, प्रौढ़ एवम् प्राथमिक शिक्षा आदि कार्यक्रमों का प्रसारण था.

सैटेलाइट से प्रसारित करने के लिए एक वर्ष तक दिल्ली, हैदराबाद तथा कटक में कार्यक्रम रेकार्ड किए गए. अब दूरदर्शन द्वारा 307 टी. वी. सेट उन गांवों को दिए गए हैं जो पहले से 'साइट' कार्यक्रम के अन्तर्गत आ चुके हैं. राज्य सरकार ने 200 सामुदायिक टी.वी. सेट 'साइट' से बचें गांवों में दिए हैं.

राज्य में पहला दूरदर्शन कार्यक्रम 10 के. वी. ट्रांसमीटर से पूरा किया गया. यह कार्यक्रम जयपुर से 90 किलोमीटर की परिधि में पड़ने वाले 4500 ग्रामी तक सीमित है, जयपुर में लगे ट्रान्समीटर से 6 जिलों की 30 पंचायत समितियां लाभान्वित हो रही हैं. 1 मार्च 1977 से जयपुर क्षेत्र में टेलिविजन कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया है इसके परिणाम स्वरुप टी. वी. सेट्स की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है. वर्ष 1980 में यह संख्या 18633 हो गई थी.

नाहरगढ़ व जयगढ़ किले की पहाड़ियों के बीच जयपुर के धरातल से करीब आठ सौ फीट की ऊंचाई पर टेलिविजन ट्रान्समीटर ने कार्यक्रम रिले करने प्रारम्भ कर दिए हैं. यह योजना 1.75 करोड़ रुपये की है इसके अन्तर्गत आठ टन वजन का 100 मीटर ऊंचा ट्रान्समीशन टावर बनाया गया है. इससे कार्यक्रम रिले किया जाता है. भविष्य में दूरदर्शन कार्यक्रम को अधिक रोचक बनाए जाने के कार्यक्रम प्रयत्नशील है.

जन संचार में दूरदर्शन एक सशक्त मांध्यम बन गया है. जयपुर के अतिरिक्त 100 व 10 क्षमता वाले 12 केन्द्र जो कि 25 किलोमीटर की परिधि में सेवायें उपलब्ध करा रहे हैं, बाड़मेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, सूरतगढ, गंगानगर, अलवर, खेतड़ी, कोटा व ब्यावर में स्थापित है. उपरोक्त संसाधनों से राज्य की लगभग 45 प्रतिशत जन संख्या लाभान्वित हो रही है. राज्य की योजना समूची जन संख्या को लाभान्वित करने की है. लेकिन केन्द्र ने जो टी. वी सेट्स पर कीमतों में बढोतरी की हैं वह घोषित उद्देश्यां के विपरीत है.

□

चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य सेवा

अनेक सुख जो बताए गए हैं उनमें पहला सुख निरोगी काया को माना है. याने शरीर स्वस्थ्य रहना चाहिए। "स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है." यह सिद्धान्त भारतीय संस्कृति ही नहीं प्रत्येक देश की संस्कृति में किसी न किसी रूप में विद्यमान है. स्वास्थ्य रक्षा के दो पक्ष हैं—प्रथम बीमारियों की रोकथाम एवम् दूसरा बीमारियों का उपचार.

स्वास्थ्य रक्षा के उपाय आदि काल से चले आ रहे हैं. सामान्य बीमारियों का उपचार अधिकांश रियासतों में परम्परागत वैद्यों, टोने-टोटके तथा मन्त्र-तंत्र से किया जाता था. कुछ ही रियासतों में आधुनिक चिकित्सा पद्धति से उपचार की सुविधायें प्राप्त थीं.

राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय केवल 418 चिकित्सा संस्थाएं तथा 5720 रोगी शैय्याएं थी, जो प्रति 3040 व्यक्तियों पर एक शैय्या आती थी. ये शैय्यायें राजस्थान के अस्पतालों में थी. ये सुविधाएं राज्य के विस्तार तथा बीमारियों की व्यापकता को देखते हुए कम थी. इसके अलावा प्रशिक्षित डाक्टरों, नर्सों तथा बीमारी की रोकथाम करने वाले तकनीकी व्यक्तियों की भी कमी थी. यही कारण है कि राजस्थान में मृत्यु दर अन्य राज्यों से अधिक थी.

राज्य की शुष्क आव हवा के कारण यहां बीमारी फैलने की आशंका अपेक्षाकृत कम रहती थीं. फिर भी हैजा, मलेरिया, नाहरु, चेचक जैसी बीमारियो की रोकथाम के लिए विशेष सुविधा रियासती शासन मे नहीं थी. जोधपुर जयपुर, बीकानेर, कोटा आदि में कुछ स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध थी लेकिन इनका क्षेत्र नगरों तक ही सीमित था. गांवों में मृत्यु दर शहरों की तुलना में बहुत अधिक थी. इसके अतिरिक्त सफाई सुविधाओं के अभाव में गांवों में मृत्यु दर, शहरों की तुलना में बहुत अधिक थी.

प्रदेश में व्याप्त भौगोलिक एवम् सामाजिक विषमताओं के कारण चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार अपने आप में एक चुनौती थी. सरकार ने तत्कालीन एवम् भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विस्तार कार्य का श्री गणेश किया.

राजस्थान निर्माण के पश्चात 35 वर्षों में सुनियोजित विकास की व्यूह रचना के तहत राज्य में चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य सेवाओं का काफी विस्तार किया गया. इसी का सुपरिणाम है कि राज्य के हर बड़े शहर और कस्बों में ही नहीं दूर-दराज के गांवों तथा आदिवासी क्षेत्रो तथा छोटी छोटी बस्तियों तक के लोगों के लिए रोगों की रोकथाम, बेहतर इलाज और दवादारु की समुचित व्यवस्था के प्रयास किये जा सके. यह सब योजनाओं के माध्यम से किया गया.

योजना में प्रगति :

प्रथम योजना : प्रथम योजनावधि में 254 चिकित्सालय, 210 औषधालय तथा मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों की संख्या 45 हो गई. इसी प्रकार रोगी शैय्याओं की संख्या 6788 पहुंच गई. इन कार्यों पर 1.07 करोड़ रुपया पांच वर्षों में व्यय किया गया,

द्वितीय योजना : दूसरी योजनाकाल में इन सेवाओं के विस्तार हेतु 3.38 करोड रुपये व्यय हुए. ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार के कार्यक्रम को विशेष प्राथमिकता दी गई. इस अवधि में चिकित्सालयों की संख्या 254 ही रही. परन्तु औषधालयों की संख्या 237 हो गई. इसी प्रकार मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों की संख्या 63 तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 132 हो गयी. इसी के अनुरूप रोगी शैय्याओं की संख्या 9459 हो गई.

तीसरी योजना : दूसरी योजना के दौरान जो कार्य प्रारंभ किये गये थे वे तीसरी योजनावधि में पूरे

कराये गये. इस योजना के दौरान 7.91 करोड़ रुपये व्यय किए नए. इस अवधि में चिकित्सालयों की संख्या 329 हो गई. मातृ एवम् शिशु कल्याण केन्द्रों की संख्या वढ़कर 76 हो गई. सर्वाधिक प्रगति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवम् परिवार नियोजन इकाइयों की स्थापना से हुई. इनकी संख्या क्रमशः 230 व 310 हो गई. रोगी शैय्याओं की संख्या 12,241 पहुंच गई. अब गांवों में भी चिकित्सा सुविधा पहले की अपेक्षा आसानी से सुलभ होने लगी है.

तीन वार्षिक योजनाए : योजनाओं के अन्त में राज्य में 348 चिकित्सालय, 247 औपधालय, 76 मातृ शिशु केन्द्र 232 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 345 परिवार नियोजन इकाइयां कार्यशील थी. रोगी शैय्याओं की संख्या 13,731 हो गई.

चतुर्थ, पंचम एवम् छठी योजना : चौथी योजना के समाप्त होने एवम् पांचवी योजना के आरम्भ हो जाने पर चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार निर्वाध गति से आगे वढ़ता रहा. 1975-76 के अन्त तक राज्य में औपधालय एवम् चिकित्सालय की सम्मिलित संख्या 707 हो गई थी. 232 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त 1624 उप केन्द्र भी कार्यशील हो गए थे. मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों की संख्या 92 हो गई थी. परिवार नियोजन कार्यक्रम की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में 232 परिवार नियोजन ग्रामीण केन्द्र एनम् 138 शहरी केन्द्र स्थापित किए जा चुके थे. रोगी शैय्याओं की संख्या जो 1951-52 में मात्र 5720 थी वह 1975-76 में वढ़कर 15,737 हो गई.

राज्य में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से चिकित्सा सुविधाओं का द्रुत गति से विकास हुआ है. दिसम्बर 1980 के अन्त में राज्य में 171 अस्पताल, 733 चिकित्सालय, 232 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 104 मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, 232 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, 138 नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र, 265 एड-पोस्ट और 2140 उप केन्द्र विद्यमान थे. ऐलोपैथिक चिकित्सा संस्थाओं में शैय्याओं की संख्या वर्ष 1979 में 17197 थी, जो वर्ष 1980 के दिसम्बर में वढ़कर 17869 हो गई है. तद्नुसार 472 शैय्याओं की वृद्धि हुई है. राज्य में अलग से चल-शल्य चिकित्सा निदेशालय भी है. 1980 में 700 केमिस्ट एवम् 57 औपधि निर्माण इकाइयों में वृद्धि होने से इनकी संख्या क्रमशः 4900 हो गई है.

वर्प 1982 में ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं की वृद्धि पर जोर दिया गया है एवम् इसी दृष्टिकोण से 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 250 उप केन्द्र व 15 एडपोस्ट और स्थापित किए गए है. संस्थागत सेवाओं की स्थिति निम्न सारिणी में दी जा रही है.

सारिणी संख्या—1

(संख्या)

संस्था	वर्ष 1981	1982	1984
1. चिकित्सालय	171	171	177
2. औपधालय	867	867	818
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	232	236	288
4. मातृ एवम् शिशु कल्याण केन्द्र	106	106	111
5. एड-पोस्ट	262	280	280
6. उप केन्द्र	2340	2590	2522

एलोपैथिक संस्थाओं में शैय्याओं की संख्या 1991 में 17960 की तुलना में वर्ष 1984 में 21915 हो गई. 550 की प्रवेश क्षमता वाले 5 आयुर्विज्ञान महाविद्यालय इस वर्ष भी कार्यरत रहे. इसी प्रकार 540 की प्रवेश क्षमता वाले 18 आक्जीलरी नर्सिंग एवम् मिडवाईफरी केन्द्र अपने क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराते रहे. वर्ष 1982 में राज्य में फार्मस्यूटिकल इकाइयों की संख्या में 51 की वृद्धि होने से उनकी संख्या 464 पहुंच गई जवकि 1983 में यह संख्या 518 थी.

वर्तमान (1984) में राज्य में चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य सेवाओं के अधीन 177 अस्पताल, 818 औपधालय, 50 सहायक स्वास्थ्य केन्द्र, 280 एड-पोस्ट,

288 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3522 स्वास्थ्य उपकेन्द्र, 111 मातृ एवम् शिशु कल्याण केन्द्र, 14 मिनी हेल्थ सेन्टर है. इसके अलावा 3046 आयुर्वेदिक निदान केन्द्र तथा 3 प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र भी राज्य में कार्यरत हे

1984-85 में 32 नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (20 शैय्याओं वाले रेफरल अस्पताल) की स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये, 50 ग्रामीण औषधालयों को सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया गया. ग्रामीण जनता को लाभ प्रदान करने हेतु 472 उप केन्द्रों को क्रमोन्नत किया गया एवम् उनमें अधिक कर्मचारी व औषधिया उपलब्ध कराई गई.

50 शैय्याएं वाले 5 उप नगरीय अस्पताल खोले गए और राजकीय अस्पताल नागौर, झालावाड़, चित्तोड़-गढ, जालौर, सवाई माधोपुर, सिरोही, टौंक, झुन्झुनु, एवम् चुरु को क्रमोन्नत किया गया और 100 से 150 शैय्याओं से युक्त किए गए। जैसलमेर राजकीय अस्पताल को क्रमोन्नत कर 50 से 100 शैय्याओं वाला किया गया.

5 सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, प्रत्येक 50 प्रवेश क्षमता वाले खोले गए और एक ऐसे चल रहे केन्द्र की प्रवेश क्षमता में वृद्धि की गई.

सातवीं पंचवर्षीय योजना सातवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1985-86 के लिए खर्च का प्राव-धान 16.26 करोड रुपये था जबकि वास्तविक व्यय 14.05 करोड रुपये था. 1986-86 में एलोपैथी चिकित्सा सुविधा पर 6603.51 लाख रुपये, अन्य चिकित्सा प्रणालियों पर 1626.68 लाख रुपये, परिवार कल्याण कार्यक्रम पर 2444.70 लाख रुपये तथा नवीन सेवा कार्यक्रम के तहत 179-28 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान था.

ग्रामीण स्वास्थ्य पथ प्रदर्शक योजना (V.G.H.) के अन्तर्गत 11309 हैल्थ गाइडों को प्रशिक्षित किया जा चुका है. सातवी योजना में भी इस कार्यक्रम को जारी रखने का प्रावधान है. इसके लिए विभिन्न उपकरण एवम् सुविधाएं जुटाई जा रही है.

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं—ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओ में वेहतरी के निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे है, इसमें विस्तृत चिकित्सा सेवा योजना और भ्रमणशील चिकित्सा इकाई प्रमुख है, इसके अनुसार ग्रामीण जनता के लिए निकटतम स्थान पर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है. 500 रोगी शैय्याओं वाली भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई दूर-दूर तक गामीण अंचलों में जाकर शिविर लगाती है तथा स्थानीय माग के अनुसार चिकित्सा की सुविधाएं जुटाती है. इस इकाई के अतिरिक्त वृहत चिकित्सा सेवा योजना के अन्त-र्गत विशेषज्ञों एवम् चिकित्सकों के दल नियमित रुप से समय-समय पर स्वाथ्य उप केन्द्रों पर जाता है. छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस कार्य के लिए 48.17 लाख रुपये व्यय किए गए.

इन सभी कार्यक्रमों के अलावा सरकार द्वारा प्रत्येक 1000 आबादी वाले गांवों में एक-एक जन स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त किया गया. राज्य के 27 जिलों में 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का इस योजना के लिए चयन किया गया है.

प्रत्येक 5000 की आवादी वाले क्षेत्रों में एक पुरुष व एक महिला को स्वास्थ्य सेवाओ में प्रशिक्षण देकर भेजा जा रहा है. राज्य के कई जिलों में यह योजना कार्यशील है.

प्रत्येक पंचायत समिति के क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा दो डिस्पेंसरी और एक एड-पोस्ट है तथा प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत सात उप केन्द्र है.

स्वास्थ्य शिक्षा केन्द्र—राज्य में शाला स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवम् राज-कीय चिकित्सालयों से संवद्ध 3277 प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रियान्वित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शाखा के छात्र/छात्राओं का वर्ष में कम से कम दो वार स्वास्थ्य परीक्षण कर चिकित्सा की जाती है.

व्यापक मार्ग दर्शी परियोजना—इस परियोजना के तहत डूंगरपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

सांगवाड़ा से सम्बन्धित प्राथमिक एवम् उच्च माध्यमिक शालाओं से सम्बन्धित आदिवासी छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें चिकित्सा सुविधाओं से लाभान्वित किया गया.

चिकित्सा शिक्षा—राज्य में पूर्व में केवल एक मेडिकल कालेज जयपुर में था. परन्तु कालान्तर में राज्य की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चार अन्य स्थानों पर मेडिकल कालेजों की स्थापना की गई. वर्तमान में जयपुर के अतिरिक्त 4 मेडिकल कालेज जोधपुर, अजमेर, उदयपुर तथा बीकानेर में कार्यरत है. इन कालेजों में स्नातक तथा स्नातकोतर शिक्षा दी जाती है. इन महाविद्यालयों में 550 की प्रवेश क्षमता है, इसी प्रकार 540 की प्रवेश क्षमता वाले 18 आक्जीलरी नर्सिंग एवम् मिडवाईफरी केन्द्र कार्यरत है.

जयपुर के आयुर्वेदिक कालेज को 'राष्ट्रीय 'आयुर्वेद संस्थान' में क्रमोन्नत किया गया है जिसके अधीन एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय कार्यरत है.

भारत सरकार के अनुमोदन से भारतीय आयुविज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जोधपुर स्थित क्षेत्रीय मरु अनुसंधान केन्द्र में स्थापित किये जाने वाले चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र के लिए राज्य के राजस्व विभाग द्वारा फरवरी 1984 में आवश्यक भूमि का आवंटन किया जा चुका है. यह केन्द्र मरू क्षेत्र के निवासियों की स्वास्थ्य समस्याओं का सर्वेक्षण कर उनके निवारण के लिए विस्तृत कार्य करेगा.

सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में डेन्टल विंग में बी. डी. एस. कोर्स प्रारम्भ किये जाने के अलावा ओपन हार्ट सर्जरी व एण्डो यूरोलोजी के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा द्वारा दे दी गई है. जोधपुर स्थित नव शिक्षण अस्पताल में मानसिक रोग चिकित्सालय तथा उदयपुर में कैंसर रोग के उपचार के लिए कोवाल्ट थिरेपी यूनिट की स्थापना कर दी गई है. इसी प्रकार अजमेर में जवाहर लाल नेहरु अस्पताल में कार्डियोलाजी विभाग स्थापित किया गया है.

आयुर्वेद चिकित्सा—राजस्थान में एलोपैथी चिकित्सा सेवा विस्तार के साथ इस महत्वपूर्ण एवम् प्राचीन चिकित्सा सेवा को विकसित करने के उद्देश्य से एक पृथक विभाग स्थापित किया गया. इस पद्धति के तहत चिकित्सा सेवा में बढोतरी के साथ औषध निर्माण व अनुसंधान पक्ष की ओर भी समुचित ध्यान दिया गया.

प्रथम योजना की अवधि में राज्य में 498 चिकित्सालय एवम् औषधालय सचालित थे. यह संख्या 1979-80 में बढकर 2463 हो गई. इस समय इनमें रोगी शैय्याओं की संख्या 720 है. छठी योजना के अन्त तक यह संख्या बढकर 1095 हो जायगी, इसके अतिरिक्त राज्य में 5 भ्रमणशील इकाइयाँ, 4 फ़ार्मेसीज तथा 1 आयुर्वेदिक कालेज तथा 2 प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है,

आयुर्वेदिक निदेशालय के अधीन 36 आयुर्वेदिक, 4 युनानी, होम्योपैथिक चिकित्सा और 1 प्राकृतिक अस्पताल है. इसके अलावा राज्य में 3010 आयुर्वेदिक 72 यूनानी, 80 होम्योपैथिक एवम् 3 प्राकृतिक चिकित्सालय माह जनवरी 1986 के अन्त में कार्यरत है। इसके साथ साथ 5 चल चिकित्सालय भी आयुर्वेदिक निदेशालय के अधीन कार्यरत है.

राज्य में चिकित्सागत उपलब्धियां-संक्रामक रोगों के सम्बन्ध में—विभिन्न संक्रामक बीमारियों के रोकथाम कार्यक्रमों के अन्तर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है—

मलेरिया—2959 से मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अपनाया गया. यह राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत घर-घर जाकर बुखार से पीड़ित रोगी की जानकारी व खून का परीक्षण करने की व्यवस्था की जाती है. धीरे-धीरे इस रोग पर पहले तो नियन्त्रण हो गया था परन्तु पिछले वर्षों में यह फिर से उभरने लगा है, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, गंगानगर, ब्यावर तथा पाली आदि बड़े एवम् औद्योगिक शहरों में इस रोग की रोकथाम के वृहद प्रयास किये गये. इन शहरों के लगभग सभी घरों, दूकानों पर तथा नालियों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया गया.

रोग निरोधक टीके लगाए गए. यह कार्यक्रम आंशिक रूप से सफल रहा.

इसका व्यय राज्य तथा केन्द्र सरकार के मध्य 50:50 के अनुपात में वहन किया जा रहा है. वर्तमान में विभिन्न ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों द्वारा राज्य में 11789 बुखार केन्द्र, 2393 दवा वितरण केन्द्र तथा 283 मलेरिया क्लिनीक संचालित किए जा रहे हैं.

चेचक—1962 से प्रदेश में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था. अभियान से पूर्व हजारों व्यक्ति राजस्थान में इस भयंकर रोग की चपेट में आते रहे. परन्तु प्राथमिक टीके लगाने तथा पुनः टीके लगाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह रोग अब समाप्त हो चुका है. राज्य सरकार ने इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का पता देने हेतु 1000/- रुपये का इनाम भी घोषित किया है. अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि चेचक रोग का उन्मूलन राजस्थान से हो चुका है.

हैजा, कुष्ट रोग एवम् क्षय रोग—राज्य में हैजे के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए चौथी योजना के वर्ष 1972-73 से हैजा नियन्त्रण हेतु प्रभावी व्यवस्था की गई है. राज्य स्तर पर एक हैजा नियन्त्रण प्रकोष्ठ स्थापित है, मुख्यालय पर एक भ्रमणशील इकाई स्थापित है, विभिन्न जिलों में हैजा नियन्त्रण ईकाइयां कार्यशील है, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हैजे निरोधक टीके तथा पेयजल कुओं का शुद्धीकरण किया गया है.

कुष्ट रोग नियन्त्रण का कार्य राजस्थान के 1970-71 के दौरान प्रारम्भ किया गया. अब यह राष्ट्रीय अभियान बन गया है. केन्द्र सरकार की सहायता से प्रारम्भ किए गए इस कार्यक्रम के तहत सर्वेक्षण शिक्षण निदान केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं.

इस कार्यक्रम के तहत 1982-83 तक राज्य के 22 जिलों में 55 सर्वेक्षण, शिक्षा एवम् उपचार केन्द्र विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व अस्पतालों व चिकित्सालयों पर कार्यरत थे. दो कुष्ठ रोग उन्मूलन इकाइयां नागोर व लक्ष्मणगढ में कार्यरत हैं. जयपुर के कुष्ठ रोग केन्द्र को नया रूप देने का प्रावधान है.

राष्ट्रीय योजना के तहत क्षय रोग के नियन्त्रण एवम् निदान हेतु योजना चल रही है. योजना के अन्तर्गत प्रत्येक नवजात शिशु व अन्य व्यक्तियों को बी. सी. जी. के टीके लगाने की व्यवस्था है. सर्वेक्षण के आधार पर क्षय रोग से प्रभावित रोगियों में 30 प्रतिशत मामले गांवों और 20 प्रतिशत मामले शहरों में पाये जाते हैं. राज्य स्तर पर एक सहायक निदेशक (क्षय) की देखरेख में प्रत्येक जिले में एक क्षय निवारण केन्द्र कार्यशील है. इसके अतिरिक्त राज्य में 5 निवारण चिकित्सालय तथा एक क्षय निवारण प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर में हैं.

इस कार्यक्रम के तहत राज्य में 81 चिकित्सा अधिकारी, 2 वरिष्ठ विशेषज्ञ तथा 9 कनिष्ठ विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में बी. सी. जी. के टीके लगाने, क्षय निवारण केन्द्रों पर रोगियों की भर्ती, जाँच व उपचार सुविधा, टी. बी. एच. ई. दल द्वारा रोगियों के घर पर जाकर उनके स्वास्थ्य की देखभाल व जाँच, नये क्षय रोगियों की पहचान आदि सम्मिलित है.

अन्धापन नियन्त्रण योजना : राज्य में अन्धापन रोकने और आँखों की बीमारियों के इलाज की भी विशेष व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत सभी जिला मुख्यालयों पर नेत्र विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं. इसके साथ ही हर साल नेत्र शिविर भी लगाए जाते हैं.

खाद्य पदार्थ में मिलावट विरोधी तथा औषधि नियंत्रण संगठन : चिकित्सा के साथ साथ यह आवश्यक है कि रोग की उचित रोकथाम के लिए खाद्य में मिलावट तथा नकली औषधियों पर नियंत्रण रखा जाय. सरकार ने 1954 में खाद्य पदार्थ मिलावट निरोधक अधिनियम लागू किया. पहले यह बड़े शहरों में लागू था परन्तु राज्य सरकार द्वारा 12 अगस्त 1983 को जारी अधिसूचना के अनुसार यह प्रदेश के सभी शहरों एवम् ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है. अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य वस्तुओं का नमूना लेने का अधिकार है. खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाँच के लिए राज्य में 12 प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं.

राज्य में नकली, निम्न कोटि तथा निर्धारित मूल्य पर औषधि न बेचने जैसी कार्यवाही रोकने हेतु भी

नियंत्रण संगठन है. छठी पंचवर्षीय योजना में खाद्य एवम् औषधि नियंत्रण के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के अधीन अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया.

जिलों में दवा विक्रेताओं को लाइसेंस प्रदान करने तथा अन्य प्रकार के दूसरे अधिकार मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी को दिए गए हैं. मुख्यालय पर कार्यरत इस संगठन के अधीन दो सहायक औषधि नियंत्रक (एक आयुर्वेदिक) तथा 29 औषधि निरीक्षक 3 (आयुर्वेदिक) कार्यरत हैं.

निर्मित औषधियों के परीक्षण एवम् विश्लेषण के लिए राज्य में एक प्रयोगशाला भी कार्यरत है. यहां से औषधियों के नमूने गहन परीक्षण के लिए कलकत्ता, गाजियाबाद तथा कर्नाटक जैसे राज्य की प्रयोगशालाओं को भेजे जाते हैं.

परिवार कल्याण : बढ़ती जन संख्या एक राष्ट्रीय समस्या है और राजस्थान इसका अपवाद नहीं है. राजस्थान में भी योजनाबद्ध तरीके से जन संख्या नियन्त्रण के प्रयास किये जा रहे हैं. राजस्थान में जन्म दर भी मृत्यु दर से दुगुनी है. 1976-78 के त्रिवर्षीय औसत के आधार पर जन्म दर 34.2 है तथा मृत्यु दर 15.0 प्रति हजार है. जनसंख्या को उत्तरोत्तर वृद्धि का बहुत बड़ा कारण अशिक्षा रहा है. भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग (लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या) गांवों में बसता है जहां अशिक्षा का व्यापक प्रकोप है. राजस्थान में तो यह समस्या और भी गम्भीर रूप लिए हुए है.

देश की इस प्रमुख समस्या का एकमात्र समाधान 'सीमित परिवार' है. हमारे प्राचीन वेदों (ऋगवेद) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अधिक सन्तान वाला व्यक्ति अधिक दुख पाता है. अच्छा पालन-पोषण व अच्छी शिक्षा सीमित परिवार में ही सम्भव है. सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रयास सीमित परिवार या परिवार नियोजन कार्यक्रम अपना कर किया है. राजस्थान में एक सर्वेक्षण द्वारा पता चला है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में या आसपास चिकित्सा तथा शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां जन्म दर उन क्षेत्रों की अपेक्षा कम है जहां यह सुविधाएं प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है. परिवार नियोजन के इस कार्यक्रम को गैर सरकारी व सरकारी माध्यमों द्वारा स्वास्थ्य एवम् पौष्टिकता कार्यक्रम के साथ जोड़ कर लोगों को सीमित परिवार के लिए प्रेरित किया जाता है. नसबन्दी, लूप प्रविष्टियां तथा दवाइयों द्वारा परिवार सीमित के उपाय व साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं.

राजस्थान में प्रगति : राज्य में इस कार्यक्रम के प्रसार हेतु प्रति वर्ष लक्ष्य निर्धारित किये जाते रहे हैं. वर्ष 1970-71 में निर्धारित लक्ष्य का 27.7 प्रतिशत भाग ही पूरा हुआ. 1971-72 में 42.2 प्रतिशत, 1972-73 में इस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता मिली और लक्ष्य का 91.7 प्रतिशत भाग पूरा कर दिया गया. 1973-74 में 32.5 प्रतिशत तथा 1974-75 में 60 प्रतिशत, 1974-75 की अवधि में कुल 22,603 नसबन्दी आपरेशन किये गए जबकि *1975-76 में 50 हजार से भी* अधिक नसबन्दी आपरेशन किए गए. 1977-78 में 12,636 नसबन्दियां तथा 17258 लूप प्रविष्टियां की गई. परिवार कल्याण कार्यक्रम जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम का एक भाग है, पर विशेष ध्यान केन्द्रित रहा. 1981-82 में 1.34 लाख नसबन्दी आपरेशन के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 1.42 लाख आपरेशनों की रही. राज्य की 1981-82 की इस उत्साहवर्धक उपलब्धि से प्रभावित होकर केन्द्र सरकार से 1982-83 में राज्य के ल 2.15 लाख नसबन्दी आपरेशनों का उच्चतर लक्ष्य निर्धारित किया. इस उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में चिकित्सा विभाग ने दूरबीन नसबन्दी दल विकसित करने के लिए स्वयं की प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की एवम् तदनुसार 96 दल प्रशिक्षित किए गए और प्रत्येक जिले को नसबन्दी दूरबीन उपलब्ध कराई गई ताकि ग्रामीण एवम् अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में अधिकाधिक शिविरों का आयोजन किया जा सके. माह जनवरी 1983 के अन्त तक 1.10 लाख नसबन्दी आपरेशन किए जा चुके थे एवम् पंचायत समितियों, स्वयं सेवी सस्थाओं एवम् अन्य विभागों के कार्यकर्ताओं के सक्रिय सहयोग से मार्च

1985 तक 1.38 लाख नसबन्दी आपरेशन किए गए. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियों की स्थिति निम्न प्रकार रही—

परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति

वर्ष	नसबन्दी आपरेशन	आइ. यू.सी.डी.
1978-79	20,884	18,179
1979-80	47,315	23,993
1980-81	1,00,541	18,110
1981-82	1,42,058	18,517
1984-85	1,38,000	62,000

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित जनसंख्या कार्यक्रम राजस्थान के तीनों जिलों भरतपुर, सवाई माधोपुर एवम् कोटा में प्रारम्भ किया गया है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुनियोजित ढंग से परिवार कल्याण कार्य करना एवम् प्रजनन दर को कम करना है. इस कार्यक्रम द्वारा स्वास्थ्य सेवायें, पोषाहार, मातृ एवम् शिशु स्वास्थ्य, गर्भाधान रोकने व गर्भ समापन सुविधाए जनता को विशेष कर ग्रामीण जनता को समग्र रूप से ग्रामीण रूप से सुलभ कराने की योजना है. सूचना के प्रसार, शिक्षा एवं संचार कार्यकलाप द्वारा कार्यक्रम की स्वीकारोक्ति की गति बनाई जायेगी. समुदाय एवम् जन नेताओं के निकट सहयोग से मांगसृजन सुनिश्चित किया जायगा. इस कार्यक्रम की अवधि 5 वर्ष की है तथा इस कार्यक्रम पर कुल 120754 लाख रुपये व्यय होंगे.

मातृ शिशु कल्याण : महिलाओं को प्रसव से पूर्व तथा प्रसवोत्तर चिकित्सा एवम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना भविष्य में अच्छे तथा तन्दुरुस्त नागरिक प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है. महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा भी आवश्यक है. इस हेतु राज्य में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र तो अपनी सेवायें दे ही रहे हैं, साथ ही राज्य के पांचों मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों तथा 15 अन्य अस्पतालों में प्रसवोत्तर केन्द्र खोले गये हैं जो बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए रोग प्रतिरक्षण के टीके लगाने तथा कुपोषण के कारण रक्त की कमी का उपचार करते हैं.

राज्य में सुव्यवस्थित ढंग से गर्भवती माताओं की देखभाल के लिए कुशल दाईयों अथवा सहायक नर्स दाइयों के द्वारा प्रसव की सुविधा तथा प्रसव के बाद माता की भरपूर देखभाल के लिए अनेक सेवाओं का विस्तार किया गया है.

परिवार कल्याण कार्यक्रम का ही एक महत्वपूर्ण घटक मातृ एवम् शिशु स्वास्थ्य है. इसी उद्देश्य से टीका लगाने के कार्यक्रम को परिवार कल्याण कार्यक्रम के एक मुख्य अंग के रूप में जारी रखा गया. इस क्षेत्र में 4.49 लाख बच्चों को डी. पी. टी द्वारा व 4.31 लाख बच्चों को डी. टी. द्वारा लाभान्वित किया गया. 5.26 लाख माताओं तथा 5.21 लाख बच्चों को खून की कमी की स्थिति से सुरक्षित किया गया. इसी प्रकार 4.71 लाख बच्चों को विटामिन 'ए' की गोलियां एवम् तरल वितरित किए गए. 1.36 लाख औरतों को टेटनस से सुरक्षित किया गया.

चिकित्सकीय गर्भ समापन : चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम के तहत वर्ष 1972-73 में गर्भसमापन को सरकारी मान्यता दी गई है. शैक्षिक एवम् इस कार्य के लिए विभिन्न संस्थाओं एवम् डाक्टरों को रजिस्टर्ड किया गया है. वर्तमान में राज्य में 246 गर्भ समापन केन्द्र रजिस्टर्ड हैं.

अब स्वैच्छिक परिवार नियोजन कार्यक्रम अमल में लाया जा रहा है. इस हेतु स्वयं सेवी तथा मानव सेवी संगठनों की सहायता मांगी गई है. शैक्षिक एवम् प्रेरणात्मक प्रयासों को तेज कर दिया गया है. इसके लिए राज्य में विषय परिचायक प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं जिनमें प्रभावशाली जन नेताओं, पुरुष एवम् महिला दोनों को जनसंख्या समस्या, बच्चों की देखभाल तथा गर्भ निरोधन के तरीकों के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी जाती है.

वर्तमान में राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलास्तरीय परिवार कल्याण केन्द्र, 159 शहरी व 248 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, 246 गर्भसमापन केन्द्र, 64 पोस्ट मार्टम केन्द्र तथा 809 ओरल पिल वितरण केन्द्र कार्यरत हैं.

कर्मचारी राज्य वीमा योजना : सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत चिकित्सा परिचर्या की इस योजना का समस्त उत्तरदायित्व राज्य सरकार वहन करती है. राजस्थान में यह योजना 1956 से लागू है. इसके अन्तर्गत वीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को एक अंतरंग व वहिरंग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. कर्मचारी राज्य वीमा निगम सम्पूर्ण व्यय का 7/8 भाग वहन करती है और राज्य सरकार 1/8 भाग.

इस योजना के अन्तर्गत जयपुर में 250 रोगी शैयाओं का एक अस्पताल है जिसे सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज जयपुर द्वारा विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है. अन्य नगरों में 245 रोगी शैयाओं के आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है राज्य के अन्य कई औद्योगिक नगरों में औषधालय खोले जाने के प्रस्ताव है. इनके खुलने से सामाजिक सुरक्षा क क्षेत्र विस्तृत होगा.

सहकारिता

सहकारिता व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो अपने आर्थिक हितों में वृद्धि करने के उद्देश्य से समानता के आधार पर ऐच्छिक रूप से संगठित होते हैं सहकारिता सत्ता के केन्द्रीयकरण तथा एकाधिकार के खतरे का अन्त करता है. इस प्रकार सहकारिता आर्थिक उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए मिल जुल कर काम करने के तरीके का नाम है.

स्वतंत्रता से पूर्व भी कुछ भूतपूर्व देशी रियासतों में सहकारिता की मामूली सी शुरुआत हो चुकी थी, परन्तु अधिकांश भूतपूर्व रियासतो के लोग इससे अपरिचित ही थे. राजस्थान में सहकारिता का उदय 1904 में अजमेर मे हुआ था. 1904 में ही भरतपुर व डीग में कृषि बैंकों की स्थापना की गई. 1912 में भरतपुर में भारतीय सहकारिता अधिनियम कुछ संशोधनों के साथ लागू किया गया तथा राज्य की ओर से समितियों को 10 हजार रुपया ऋण हेतु दिया गया. कोटा में 1915-16 में सहकारी समिति अधिनियम लागू किया गया तथा 1927 में कोटा में कोटा राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की गई. इस प्रकार राजस्थान की देशी रियासतों में सहकारिता को प्रश्रय भरतपुर व कोटा क्षेत्र को मिला.

राजस्थान की अन्य रियासतों में बीकानेर में 1925 से, अलवर में 1934 से, किशनगढ़ में 1935 से, जोधपुर में 1938 से, जयपुर में 1944 से, धौलपुर में 1947 से, उदयपुर में 1949 से तथा टौंक, शाहपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवम् डूंगरपुर की रियासतों में 1950 से सहकारिता का श्री गणेश हुआ.

राजस्थान निर्माण के समय भरतपुर सहकारी समिति विधेयक प्रथम 1915 अलवर सहकारी विधेयक 1935, अजमेर सहकारी समिति विधेयक 1949, बीकानेर, जोधपुर तथा जयपुर रियासतों के 1943 के विधेयक तथा संयुक्त राजस्थान संघ का 1948 का अध्यादेश विद्यमान था.

राजस्थान के वर्तमान एकीकृत रूप को धारण करने के समय यहां 2677 सहकारी समितियां मौजूद थीं. इनकी सदस्य संख्या 0.90 लाख थी. इनमें से भरतपुर में 654, जयपुर में 410, अलवर में 321, जोधपुर में 275, बीकानेर में 136 तथा अन्य रियासतें जो संयुक्त राजस्थान सघ में मिल चुकी थी, उनमें 881 सहकारी समितियाँ थी, इस प्रकार राजस्थान के 5 प्रतिशत गांव तथा 0.8 प्रतिशत ग्रामीण परिवार उस समय तक सहकारिता के क्षेत्र में आ चुके थे.

राजस्थान में सहकारिता का विकास योजनाबद्ध तरीके से प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से प्रारम्भ हुआ है 1953 में पहली बार राजस्थान सहकारी समिति विधेयक पारित किया गया जो समय समय पर संशोधित होकर वर्तमान मे राजस्थान सहकारी समिति विधेयक 1965 के रूप में सम्पूर्ण राजस्थान की सहकारी गतिविधियों को वैज्ञानिक रूप से संचालित करता है.

राज्य में 2 अक्टूबर 1965 से नया सहकारी अधिनियम जारी हुआ. इसमें कुछ प्रावधान ऐसे रखे गये थे जिनके कारण सहकारी कानूनों के क्षेत्र में इस कानून को एक प्रगतिशील कानून माना जाता हैं.

इस अधिनियम की 153 धाराएं है. उनमें से कुछ मुख्य धाराओं का विवरण इस प्रकार हैं—

(1) रजिस्ट्रार की अनुमति सहायक समिति की स्थापना के लिए आवश्यक है.

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत जिन समितियों का पंजीयन कराया जा सकता है उनमें से प्रमुख कृषि साख समितियां, गैर कृषि साख समितिया, भूमि विकास बैंक, विपणन समितियां, सहकारी मिलें, भवन निर्माण समितियां, बुनकर समितियां, प्रोसेसिंग समितियाँ, उपभोक्त भण्डार, अन्य औद्योगिक समितियां आदि.

(3) एक सहकारी संस्था का पंजीकरण सीमित अथवा असीमित दायित्व के साथ किया जा सकता है।

(4) पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट प्रपत्र भरना आवश्यक है.

(5) यदि आवेदक अलग-अलग व्यक्ति हो तो आवेदकों की संख्या कम से कम 15 और पृथक पृथक परिवार के सदस्य होने चाहिए।

(6) किसी सेवा सहकारी समिति के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदकों की संख्या 50 से कम नहीं होनी चाहिए और उनमें भी 10 प्रतिशत लोग आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के होने चाहिए।

(7) प्रत्येक सदस्य के लिए कम से कम एक अंश लेना अनिवार्य है.

(8) यदि रजिस्ट्रार की राय में किसी सहकारी समिति की प्रवन्ध कमेटी या इस कमेटी का कोई सदस्य लगातार त्रुटि करे या निर्धारित कर्तव्यों का पालन न करे तो रजिस्ट्रार प्रवन्ध कमेटी या सदस्य को यथोचित अवसर देने के वाद अपने लिखित आदेश द्वारा हटा सकेगा.

(9) इस स्थिति में एक वर्ष के लिए प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है।

(10) रजिस्ट्रार किसी अधिकृत व्यक्ति से वर्ष में एक वार समिति के लेखों का अंकेक्षण कराता है.

राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 37 (7) का प्रत्यारोपण दिसम्वर 1981 में किया गया ताकि इस नये प्रावधान से सहकारिता में एकाधिकार की वढ़ती हुई प्रवृति पर रोक लगाई जा सके. संशोधन से कोई भी व्यक्ति किसी भी सहकारी संस्था की प्रवन्ध कारिणी में 6 साल से अधिक सदस्य नहीं रह सकेगा. दूसरा संशोधन जून 1983 में किया गया जिसमें सहकारी संस्थाओं के चुनाव शीघ्र पूरा कराने का प्रावधान किया गया है.

पंचवर्षीय योजनाएँ और सहकारिता

प्रथम पंचवर्षीय योजना : प्रथम योजना काल में कोई योजनावद्ध विकास कार्यक्रम निर्धारित नहीं था. इसका कारण मुख रूप से एकीकृत राजस्थान था. एकीकृत राजस्थान वनने के वाद ही राजस्थान के विकास की ओर कदम उठाए गए. योजनाकाल के अन्त तक राज्य में सहकारी समितियों की संख्या 8077 तथा उनकी सदस्यता 2.74 लाख तक पहुंच गयी. इस प्रकार राज्य के 16 प्रतिशत गांव और 5 प्रतिशत ग्रामीण परिवार सहकारिता के क्षेत्र के अन्तर्गत आ गए. इस अवधि में एक शीर्ष सहकारी वैंक, 10 केन्द्रीय सहकारी वैंक और एक सहकारी प्रशिक्षण स्कूल खोला गया. प्रदेश में सहकारिता पिछड़ेपन व गरीवी के सम्वन्ध में एक चुनौती थी जिसे स्वीकार कर योजनावद्ध तरीके से विकास प्रारम्भ किया गया.

द्वितीय पचवर्षीय योजना : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विभिन्न प्रकार की 18309 सहकारी समितियों का गठन किया गया जिनकी सदस्यता 9 लाख 68 हजार, हिस्सा पूंजी 620 लाख रुपये, कार्यशील पूंजी 3205.86 लाख रुपये हो गई थी. 59 प्रतिशत गांव और 26 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सहकारिता के अन्तर्गत लाया गया.

योजनाकाल के अन्त तक राज्य में केन्द्रीय सहकारी वैंकों की संख्या 24 हो गयी. एक केन्द्रीय सहकारी भूमि वन्धक की स्थापना के साथ-साथ 19 प्राथमिक भूमि वन्धक वैंकों का गठन हुआ. 103 मंडियों में क्रय-विक्रय समितियां स्थापित हुई और एक राज्य स्तरीय क्रय-विक्रय सहकारी संघ का गठन हुआ. 77 वड़े आकार की समितियों के लिए व 103 मंडियों में क्रय-विक्रय समितियों के लिए गोदाम वनाए गए. एक दाल मिल व दो सूती मिल सहकारी आधार पर प्रारम्भ की गई. 129 सेवा समितियों का गठन किया गया. योजनाकाल में 193.69 लाख रुपये व्यय हुए जवकि प्रावधान 202 लाख रुपयों का था.

तृतीय पंचवर्षीय योजना : योजना काल में 242-91 लाख व्यय हुए. योजना के अन्त तक 85 प्रतिशत गांव एवम् 34 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सहकारिता के अन्तर्गत लाया गया. इस अवधि में 2732 सेवा सहकारी समितियों का गठन व 816 लघु आकारीय कृषि ऋणदात्री समितियों को सुदृढ़ किया गया. केन्द्रीय सहकारी वैंकों की

50 नई शाखाएँ खोली गई व 18 प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों की स्थापना हुई. 12 नई प्राथमिक क्रय विक्रय सह-सहकारी समितियाँ बनाई गई. पाइलेट क्षेत्र के 244 व गैर पाइलेट क्षेत्र के अन्तर्गत 130 सहकारी समितियाँ, 10 होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार व 160 प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डारों का गठन किया गया.

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना : सहकारिता की वृद्धि के लिए पिछले वर्षों में जो कदम उठाए गए थे उनके परिणामस्वरुप इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई. चौथी योजना के अन्त तक 100 प्रतिशत गाँवों तथा 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सहकारिता के अन्तर्गत लाना था. इसके विरुद्ध 90 प्रतिशत गाँव तथा 40 प्रतिशत परिवार सहकारिता के अन्तर्गत लिये जा चुके थे.

योजनाकाल मे प्राथमिक कृषि साख समितियों के पुनर्गठन का कार्य भी पूरा कर लिया गया. इस प्रकार की समितियों की संख्या 12457 से पुनर्गठन के कारण 7727 कर दी गई. प्राथमिक कृषि साख समितियों के सदस्यों की हिस्सा पूंजी का लक्ष्य 6 करोड़ का था जिसे पूर कर लिया गया. 10 कमजोर सहकारी बैंकों को मदद देने का कार्य भी पूरा किया गया.

प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की 20 शाखायें खोलने का कार्य पूरा किया गया. चौथी योजना में भण्डारण की सुविधा बढ़ाने का कार्य आगे बढ़ाया गया. इस योजना के अन्त में 135 मार्केटिंग गोदाम और 864 ग्राम्य गोदाम बनकर तैयार हो गये.

इन सबके बावजूद सहकारी अन्दोलन कमजोर बना रहा. इसे पूरी तरह दृढ़ करने की आवश्यकता बराबर बनी हुई. है. इसलिए पांचवी योजना मे अन्तक्षेत्रीय असमानता को दूर करने का कार्य किया.

पांचवी पंचवर्षीय योजना : इस योजना के अन्त तक 99 प्रतिशत गाँव तथा 70 प्रतिशत ग्रामीण परिवार सहकारिता के अन्तर्गत आ गए थे. अल्पकालीन एवम् मध्यमकालीन ऋण के रूप में योजनाकाल में 77.00 करोड़ रु. बांटे गए जबकि इसी दौरान दीर्घकाल ऋण 21.00 करोड़ रु. के विपरित किए गए. केन्द्रीय सहकारी बैंक 25 जिलों में कार्यरत थे. 1978-79 तक इनकी शाखाओं में विस्तार के कारण इनकी संख्या 210 तक पहुँच गई. इसी प्रकार भूमि बन्धक बैंक (जिनको अब भूमि विकास बैंक कहते हैं) की संख्या बढ़कर 35 हो गई.

भंडार व क्रय-विक्रय सहकारी समितियाँ कृषकों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने में सहायक हो सकती है. इन समितियों द्वारा राज्य में भंडारण के लिए गोदाम तथा कृषकों के उत्पादन को खरीदने एवम कृषकों की आवश्यकता हेतु बीज तथा उर्वरक प्रदान किया जाता है. योजना काल में इन संस्थाओं ने राज्य में 9 करोड़ रुपयों की कृषि उपज, 1.27 करोड़ रुपयों की कृषि आवश्यकताएँ, 25 करोड़ की रासायनिक खाद तथा 8.53 करोड़ रुपयों की उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण किया. योजनाकाल में गैर कृषि क्षेत्र में सहकारिता के अन्तर्गत 1046 गृह निर्माण सहकारी समितियाँ, 187 प्राथमिक भंडार तथा 874 श्रमिक ठेका समितियाँ कार्य कर रही थी. यूरोपिय आर्थिक समुदाय की सहायता से 3500 ग्रामीण गोदाम बनाए गए. यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से बनाए गए हैं.

छठी पंचवर्षीय योजना : योजनाकाल में शत-प्रतिशत गाँवों को तथा प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सहकारिता के अन्तर्गत लाया जायगा. इसके लिए मौजूदा सहकारिता के ढांचे का पुनर्गठन करना होगा तथा जो भी अन्तर्क्षेत्रीय असमानताएँ हैं उनको दूर करना होगा. इसके अतिरिक्त प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं को मजबूत करना होगा. योजना काल में 2800.00 लाख रुपये सहकारिता पर व्यय किए गए.

राज्य में सहकारी वर्ष 1981 तक सहकारी समितियों की सख्या 18,122 थी जिनकी सदस्य संख्या 47.72 लाख थी. सहकारी वर्ष 1982 (जून 1982) को सदस्यों की संख्या बढ़कर 50.78 लाख तथा समितियों की संख्या बढ़कर 18,172 हो गई. 1981-82 में समितियों की हिस्सा राशि 130.28 करोड़ रुपये थी

जबकि 1980-81 में यह 114-12 करोड़ रुपये थी. कार्यशील पूंजी इन समितियों की 1981-82 में 1138.33 करोड़ थी जबकि 1980-81 में 929.47 करोड़ ही थी. राज्य में 99 प्रतिशत ग्राम तथा 82 प्र.श. परिवार सहकारिता के अन्तर्गत लाए जा चुके थे. सहकारी वर्ष 82-83 तक 88 प्रतिशत कृषक परिवारों को सहकारिता के तहत लाने के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर 1982 तक 0.80 लाख नए सदस्य बनाए गए हैं 1983-84 के अन्त तक 85 प्रतिशत कृषक परिवार सहकारिता के अन्तर्गत लाये जा चुके थे. 1984-85 के प्रथम 6 माह की अवधि में 55 हजार सदस्य बनाये जा चुके थे. सहकारी वर्ष जून 1984 के समय राज्य में सहकारी समितियों की संख्या 18,440 तथा सदस्य संख्या 56.91 लाख तक महुंच गई, सभी प्रकार की सहकारी समितियों की हिस्सा पूंजी 1983-84 में बढ़कर 163.12 करोड़ रुपये तथा अमानत राशि 217.29 करोड़ रुपये पहुंच गई. सहकारी समितियों की कार्यशील पूंजी 1403.63 करोड़ रुपये हो गई.

1982-83 की वार्षिक योजना में 875.26लाख रुपये व्यय हुए जिसमें से 477.69 लाख रुपये राज्य योजना व्यय तथा 379.57 लाख रुपये केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत व्यय हुआ. 1983-84 में कुल व्यय 1100.86 लाख रुपये व्यय किए गए जिसमें से 465.81 लाख रुपये राज्य योजना मद में व 635.05 लाख रुपये केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत व्यय किया गया है.

सातवी पंचवर्षीय योजना : सातवीं योजना के प्रथम वर्ष 1985-86 में 0.50 करोड़ रुपये व्यय करने प्रावधान किया गया और 1986-87 के लिए यह राशि 7.65 करोड़ रुपये रखी गई है. राज्य में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अन्तर्गत कोटा में सोयाबीन प्रोजेक्ट एवम् श्री गंगानगर में एकीकृत कपास विकास योजना स्वीकृत की गई है. सोयबीन प्रोजेक्ट. राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय संघ के माध्यम से कियान्वित किया जायेगा तथा इसमें अनुमानित 27.57 करोड़ रुपये की राशी विनियोजित की जायेगी. एकीकृत कपास विकास की योजना के अन्तर्गत 2 काटन एवम जिनिंग प्रोसेसिंग इकाइयाँ, एक स्पिनिंग मिल तथा एक तेल मिल स्थापित की जायेगी. इन इकाइयों की स्थापना में 48.45 करोड़ रुपये की राशि विनियोजित की जायेगी इसके अतिरिक्त सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में राज्य में सरसों के आधार पर 6 तेल मिलें जालोर, श्री गंगानगर, झुन्झुनु, सवाई माधोपुर तथा नागौर में लगाने का प्रावधान किया गया है.

विश्व बैंक की सहायता से एक गोदाम निर्माण परियोजना सहकारी क्षेत्र में भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है. वर्ष 1986-87 में इस परियोजना के अन्तर्गत 298 गोदामों जिनकी क्षमता 22,750 मैट्रिक टन होगी, के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है.

वर्ष 1986-87 में 125 करोड़ रुपये के अल्पावधि ऋण 12 करोड़ रुपये के मध्यावधि ऋण तथा 25 करोड़ रुपये के दीर्घवधि ऋण सहकारी क्षेत्र में वितरण करने का लक्ष्य है.

ऋण वितरण : कृषकों को महाजनों और बिचौलियों के शोषण से छुटकारा दिलाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने के कार्य में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है.

कृषि उपज हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तर मर सहकारी बैंक एवम् जिला स्तर पर 27 केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं. केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा 5,222 कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण का कार्य किया जा रहा है.

सहकारी वर्ष 1982 (30 जून 1982) को सहकारी बैंकों की हिस्सा पूंजी 8 60 करोड़ रुपये, अमानतें 3870.53 लाख रुपये, निजी पूंजी 1989.26 लाख रुपये तथा सुरक्षित कोष 1129.05 लाख रुपये थी. इसी प्रकार कार्यशील पूंजी 16460.65 लाख रुपये थी. वर्ष 1982-83 के लिए 120 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण, 1498 लाख रुपये का मध्यकालीन ऋण तथा 2250.50 लाख रुपये का दीर्घकालीन ऋण वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस लक्ष्य के

बीस संकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत 1981-82 में 1000 गोदाम निर्माण का लक्ष्य रखा गया था. इस लक्ष्य के विपरीत 1981-82 में 804 गोदामों का निर्माण कर सहकारिता क्षेत्र की गोदाम क्षमता में 73.500 मैट्रिक टन क्षमता की वृद्धि की गयी है. इनकी लागत 918 रुपये आएगी. यह कार्य वास्तव में 1984-85 में प्रारम्भ किया गया.

स्टोरेज प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में 625 गोदामों का निर्माण कराया जायेगा. इस कार्य के लिए राज्य योजना के अन्तर्गत 62.48 लाख रुपये एवम् केन्द्रीय सेक्टर योजना के तहत 78.25 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. 1984-85 के अन्त तक 399 गोदाम और निर्माणधीन था.

माल संवारने वाली इकाइयां (प्रोसेसिंग)—कृषि उपज पर आधारित उद्योगों को सहकारी क्षेत्र में स्थापित करने की राज्य सरकार की नीति के अन्तर्गत राज्य में अनेक सहकारी माल संवार कारखानों की स्थापना की जा चुकी हैं. वर्तमान में राज्य में 25 माल संवार, इकाइयां संचालित है. इसमें से 7 दाल मिलें, चावल मिलें व काटन जिनिंग एवम् पैंकिग, 3 तेल मिले है. टमाटर प्रोसेगिंग आदि को भी इस क्षेत्र में लाया गया है.

कपास उत्पादकों को बिनोला का उचित मूल्य दिलाने हेतु गंगानगर जिले के गजसिहपुरा कस्बे में आयलसीड व वनस्पति प्रोसेसिंग मिल भी सहकारिता के क्षेत्र में स्थापित की गयी है. इस मिल की क्षमता 100 टन बिनोला की पिराई प्रतिदिन करने की है. मिल ने इस वर्ष उत्पादन चालू कर दिया हैं.

डीग व अनूपगढ़ में एक एक सहकारी दाल मिल तथा नदबई एवम् सुमेरपुर में तेल मिल भी निर्माणाधीन है. इसके अलावा अनूपगढ़, घड़साना व गंगापुर (भीलवाड़ा) में काटन जिनिग व प्रेसिंग यूनिट यथा भीलवाड़ा जिले में माण्डलगढ़ उपरमाल किसान सहकारी वनस्पति मिल की स्थापना की कार्यवाही भी प्रगति पर है.

सहकारी उपभोक्ता भंडार : राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के द्वारा उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण सेवाए उपलब्ध कराने के साथ साथ राज्य के होलसेल उपभोक्ता भण्डारों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया जा रहा है जिला स्तर पर 27 सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार एवम् 697 प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार कार्यरत है. 1981-82 में होलसेल भण्डारों को सदस्य संख्या 88624 एवम हिस्सा पूंजी 141.86 लाख रुपये थी. प्राथमिक भण्डारों की सदस्य संख्या 1.59.510 तथा हिस्सा पूंजी 34.27 लाख रुपये थी शहरी क्षेत्र में 1982-83 के लिए 108.14 करोड़ रुपये की बिक्री के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे. 1983-84 में होलसेल भण्डारों की हिस्सा पूंजी 164.88 लाख रुपये व सदस्य संख्या 92345 थी. प्राथमिक भण्डारों की हिस्सा पूंजी 37.27 लाख रुपये तथा सदस्य संख्या 1.56.152 थी

कमजोर वर्ग का उपभोक्ता वस्तुएँ दिलाने के लिए राज्य में 111 जनता दुकानें कार्यरत है. बड़े शहरों में सहकारी दवाईयों की दुकानें हैं अकेले जयपुर में 37 है.

गृह निर्माण हेतु ऋण सुविधाएं : प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी समितियों एवम ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गृह निर्माण के लिए ऋण की व्यवस्था करने का कार्य राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी द्वारा किया जाता है. 1981-82 में 2663 मकानों के लिए कुल 278.05 लाख रुपये के ऋण वितरित किये गये जबकि दिसम्बर 1982 तक 1326.12 लाख रुपये के ऋण विपरीत किए जा चुके हैं. 30 जून 1981 तक 10517 भवन पूर्ण हो गये थे तथा 13481 भवन निर्माणधीन थे. 1982-83 तथा 83-84 के दौरान प्रति वर्ष 2000 भवनों के लिए 3 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गए. इसके अलावा 10 हजार मकानों के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जरिये ऋण उपलब्ध कराने का भी कार्यक्रम है. इस परियोजना के अन्तर्गत 9 करोड़ का ऋण विपरित किया जायेगा. अप्रैल 1984 तक 19.998 मकानों के लिए 597.75 लाख रुपये के ऋण टुकड़ों से स्वीकृत किए जा चुके हैं.

राज्य में सहकारी संगठनों द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया जा रहा है- इनसे शोषण की व्यवस्था समाप्त होगी ऐसी आशा की जा रही हैं.

राजस्थान राज्य का दूसरा नाम अकाल राज्य है. राजस्थान और अकाल पर्यायवाची शब्द हो गये हैं. अकाल और जलाभाव राजस्थान का स्थायी भाव है. पिछले दशक में शायद ही कोई ऐसी अवधि रही हो जबकि लगातार इस राज्य में सूखे का प्रकोप न रहा हो. राजस्थान मे सूखा एक भयानक वास्तविकता है. लाखों ग्रामीण परिवार इसकी चपेट में आ गये हैं जो लगभग राज्य की आधी आबादी है. प्रदेश के कुल 27 जिलों में से 27 जिलों को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है. धौलपुर को छोडकर सभी जिलो में सूखे के कारण 2 करोड़ 19 लाख लोग और 3 करोड़ 5 लाख पशुओं के प्राण अन्न-जल के बिना सूखे रहे हैं. कुल 203 तहसीलों की 170

तालिका

राजस्थान में अकाल/अभाव की स्थिति से हुई क्षति

कृषि-वर्ष	प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित गांवों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या (लाखों में)	भू राजस्व निलम्बित (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5
1967-68	12	2,365	15.16	35.97
1968-69	26	22,799	131.63	466.64
1969-70	23	10,877	72 84	277.93
1970-71	8	503	3.29	N.A.
1971-72	12	4,510	30 00	130.78
1972-73	26	18,768	140.23	999 66
1973-74	—	—	—	102.75
1974-75	25	20,073	148 99	891.39†
1975-76	—	—	—	—
1976-77	—	—	—	—
1977-78	18	12,251	92.37	218.04
1978-79	24	5,609	N.A.	170.37
1979-80	26	31,095	210 00	1,061.19
1980-81	26	21,395	167.79	1,225.50
1981-82	26	23,246	200.12	1,165.15
1982-83	26	22,606	171.10	416 46
1983-84	3	282	2 89	N.A.
1984-85	21	6,017	65.14	N.A.

† वित्तीय वर्ष के समंक

N A.—Not available

(स्रोत—आय-व्ययक अध्ययन 1985-86 पृ. 66, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर) ।

तहसीलों के 26.8.85 गांव अकाल पीड़ित हैं. 19.5.89 में इस बार भी खरीफ की फसल चौपट हो चुकी है. 7266 गांवों में 50 से 74 प्रतिशत तक फसल नष्ट हो चुकी है. इन क्षेत्रों में पानी के अभाव के कारण यह निश्चित है कि रबी की फसल भी नष्ट हो जायेगी. अकाल से हुई क्षति उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है :

राजस्थान की अर्थ व्यवस्था में पशुधन का भारी योगदान है. लेकिन जानवरों को न तो चारा मिल रहा है और न ही पानी. प्रदेश में 7.10 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं जिन्हें वर्ष में छः मास से अधिक समय तक के लिए कार्य मिल जाता था और 21 लाख कृषि श्रमिक 6 मास कार्य ले लेते. छोटे किसान 8.83 लाख और मध्यम श्रेणी किसान 13.10 लाख के करीब है. अतः कुल 50.10 लाख लोग कृषि पर निर्भर है जो अकाल के कारख वित्तीय संकट में आ चुके हैं. इनकी क्रय क्षमता समाप्त हो चुकी है.

सरकारी प्रयास : राजस्थान सरकार ने अकाल की इस विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए कई प्रभावशाली कदम उठाये हैं. सरकार ने 26855 गांवों को सूखा-पीड़ित घोषित कर राजस्व की वसूली रोक दी है. इसके अलावा किसानों द्वारा वाणिज्य बैंकों व सहकारी बैंकों से लिए गये ऋणों की वसूली भी स्थगित कर दी गई है. करीब 2.00 लाख भूमि हीन श्रमिकों को राहत कार्यों में लगाया जा चुका है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए 29.27 करोड़ रुपये मंजूर किये गये. पानी के 115 टैंकर पेयजल पहुंचा रहे हैं. 100 और टैंकरों की व्यवस्था की गई है.

पशुधन बचाव : राज्य सरकार पशुधन के बचाव हेतु चिन्तित है. वन विभाग के पास 88000 क्विन्टल चारा है, 5000 क्विंटल चारा पंजाब ने उपहार में दिया है तथा हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश से 77 हजार क्विन्टल चारा खरीदा जा रहा है. गो सेवा सदन ने डेढ हजार क्विंटल घास एकत्र करके दी है जो पल्ली-जैसलमेर में जमा है. जैसलमेर और नजदीक के जिलों से भूखे-प्यासे 2 लाख जानवर इस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं. जोधपुर की स्वयं सेवी संस्था मारवाड़ अकाल राहत समिति ने चारा बैंक की स्थापना व पशुधन के बचाव हेतु पूरे देश में राजस्थान के लोगों से धन एकत्रित कर भारी सहायता प्रदान कर रही है.

केन्द्रीय सहायता : राज्य सरकार ने 1985 में केन्द्रीय सरकार से 580 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की थी. रोजगार, पेयजल, पशुधन सुरक्षा पोषक आहार व कृषि कार्यों के लिए यह सहायता मांगी गई. केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार प्राप्त हुई—

केन्द्रीय सरकार ने अकाल राहत कार्यों में नकद भुगतान की जगह खाद्यान्नों की व्यवस्था भी की है. लेकिन यह अपर्याप्त है, जो सहायता वर्तमान में प्राप्त हो रही है वह कुल अकाल पीड़ितों के सिर्फ एक प्रतिशत लोगों के रोजगार हेतु ही पर्याप्त है. प्रदेश के कुल 50 लाख भूमि हीन कृषि श्रमिक, छोटे किसान के 3½ प्रतिशत लोगों को ही काम देने के लिए 400 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है. पेयजल, चारा, खाद्यान्न आदि की गम्भीर समस्याओं का स्थायी हल आवश्यक है जिसका समाधान केन्द्रीय व अन्य राज्यों से सहायता द्वारा ही हो सकता है.

अपर्याप्त एवं अनियमित वर्षा के कारण कृषि धीमे धीमे गौण व्यवसाय हो रही हैं और अधिकांश जन संख्या को अपने जीविकोपार्जन के लिए मुख्य रूप से पशुपालन पर ही निर्भर रहना पड़ता है. अकाल की स्थिति में पीने के पानी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है तथा पशुपालकों को चारे एवं पानी के अभाव में अन्यन्त्र निष्क्रमण करने को विवश होना पड़ता है. आज राजस्थान में अधिक सहायता विकास कार्यक्रमों वन एवं चारागाह क्षेत्रों के वैज्ञानिक तरीकों से विकास व रख रखाव भूमि का कटाव तथा व्यर्थ बहकर जाने वाले वर्षा के जल का संरक्षण डेयरी व पशुधन का विकास, सीमित भूजल की उपलब्धि एवं जानकारी का अधिकतम उपयोग उन्नत दृष्टि से पशुपालन, भेड़ विकास मानव और पशुधन के लिए पीने के पानी की व्यवस्था आदि कार्यक्रमों के लिए चाहिए.

(अकाल सहायता लाख रुपयों में)

मद	सहायता की मांग अक्टूबर 1985 से मार्च 1986 तक	पूर्ति की राशि	सहायता की मांग अप्रेल 1986 से जुलाई 1986 तक	पूर्ति की राशि
1. रोजगार हेतु	15640.06	1331.00	24424.72	2338.00
2. पेयजल आपूर्ति				
शहरी क्षेत्र	769.01	453.60	640.37	100.00
ग्रामीण क्षेत्र	2445.79	643.54	1599.60	360.00
ट्रक जेनरेटर क्रय	600 00	510.00	400.00	340 00
टैंकर क्रय व विविध	550.00	250.00		
जल ढुलाई व नकद	236.00	108.75	135.00	
3. जानवरों की सुरक्षा	1981.20	213.50	1964.75	120.00
4. पोषक आहार	1728 53	265.00	864.71	75.00
5. खाद्यान्न ढुलाई	150.00	—	100.00	—
6. औषधियां	75.00	35.00	45.00	20.00
7. राहत राशि (दान)	75.00	9.00	45.00	9.00
8. कृषि सहायता	—	222.75	650.00	297.00
9. लघु मध्य अवधि ऋण की दीर्घ अवधि ऋण में परिवर्तन हेतु	2818.00	—		
कुल योग	27068.59		30869.16	3659.00

मरु विकास : सातवीं योजना के तहत मरु विकास के लिए 189 करोड़ 50 लाख रु. का प्रावधान किया गया है. इसके अन्तर्गत कृषि भू-संरक्षण, भू-जल विकास, सिंचाई, वन विकास, लाठी सीरीज परियोजना, भेड़ एवं चारागाह विकास, डेयरी एवं दुग्ध मार्गों का विकास, पशु स्वास्थ्य, पशु पेयजल योजना, विद्युतिकरण, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ करवाया गया है. लाठी सीरिज परियोजना में जैसलमेर जिले के लाठी ग्राम में डावला ग्राम तक 45 दीर्घ क्षमता के नल कूपों का निर्माण कराया गया है जिससे 5891 मीट्रिक टन हरा चारा उत्पादन एवं 66 मीट्रिक टन सेवण घास संग्रहण किया गया. इससे पशुधन के बचाव व रख रखाव की सुविधा होगी । ☐

पर्यटन

राजस्थान के विषय में केवल वालुका स्तूपों का विस्तार तभी तक मानस पटल पर साकार रहता है जब तक कि कोई जैसलमेर से मीलो दूर 'थार रेगिस्तान' के मध्य विचरण करता है अन्यथा राज्य में वे सभी रंगीन स्थल उपलब्ध है जिनको पर्यटक पसन्द करते हैं, सराहते है. 'राजस्थान' शब्द स्वयं भी एक गौरवपूर्ण सांस्कृतिक स्थल की ओर इंगित करता है जिसकी सस्कृति में एक अद्भुत सौन्दर्य व आकर्षण व्याप्त है. सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जब राजस्थानी पनिहारियां अपनी परम्परागत पहनावे में कुओं से जल भरकर लौटती हैं तो समस्त रेगिस्तानी संस्कृति साकार हो उठती है. शौर्य तथा रोमान्स की अमर गाथाओं एवं वलिदानों से गुम्फित प्राचीन भव्य स्मारकों, किलों, गिरी शिखरों पर सामन्ती गढ़ों, उच्च श्रेणी की शिल्प कलाओं से परिपूर्ण चतुरंगी महलों तथा मन्दिरों, रंगीले मेलों तथा त्यौहारों और मोहक रंग-बिरंगी पोशाकों तथा स्वर्णिम वालुका स्तूपों तथा घने जंगल सदैव पर्यटकों को आकर्षित करते रहे है. जहां एक ओर यह भूमि वीर योद्धाओं के शौर्य की मदाकिनी को दर्शाती है वहीं असंख्य कवियों, सज्जाकारों, दस्तकारों, शिल्पियों तथा इतिहासकारों पर भी गर्व अनुभव कर सकती है. इन्हीं तथ्यों से प्रेरित होकर सर्वश्री सी. वी. रमन ने राजस्थान को 'आइलैंण्ड ऑफ ग्लोरी' अर्थात 'रंग श्री के द्वीप' की संज्ञा दी है.

स्वतन्त्रता के सूर्योदय के पश्चात से राज्य सरकार ने पर्यटकों की सुविधाओं का नियोजित रूप से परिणामस्वरुप यातायात, अवास आदि में आधुनिक स्तर पर विकास हुआ है. पर्यटकों को आधुनिक सुविधाओं युक्त टूरिस्ट वंगलों, गेस्ट हाउस, डाक वंगलों एवं स्टेट टूरिस्ट गाइड सर्विसेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है. पर्यटन यात्रा एवं प्रचार योजना के अन्तर्गत विविध प्रकार का परिचियात्मक साहित्य तैयार किया गया है. जिससे पर्यटकों को स्थान के महत्व की जानकारी होती है.

पर्यटन के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को मद्दे नजर रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य होटल निगम की स्थापना की है. जो पर्यटकों की सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देता हैं,

राजस्थान राज्य के लिए पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग बनता जा रहा है जो विदेशी मुद्रा-अर्जन का पांचवा सबसे बड़ा स्रोत है. इस हेतु सरकार ने पर्यटन भवनों का निर्माण किया है. कई तीन सितारा एवं पांच सितारा होटलों का भी निर्माण, मिड-वे-केन्टीन और यातायात में भी समुचित विकास किया गया है. इन्हीं कारणों से प्रतिवर्ष विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है.

प्रमुख पर्यटन स्थल

जयपुर— मरुभूमि में तराशी गयी नगरी-लगता है सुनहरे रेगिस्तान की मुद्रिका में गुलाबी हीरा जड़ा हो ! सुनियोजित नगर......जहां जीवन एक उत्सव ही लगता है.

अपने संस्थापक विद्वान महाराजा जयसिंह के नाम से वसा यह नगर, श्री विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा, हिन्दू शिल्पशास्त्र के अनुसार नियोजित किया गया. नगर में दो मील लम्बे मुख्य बाजारों को समकोण पर काटती सड़कें अत: चौराहों का नाम 'चोपड़' दिया गया है. विशेपता यह कि समस्त गलियां और सड़कें इन्हीं सड़कों के समानान्तर चलती है. सड़कों के दोनों किनारों पर गुलावी इमारते, मन्दिर व नियोजित बरामदेदार दुकानें संपूर्ण दृश्य को मोहकता प्रदान करती है. वस्तुतः नगर की अनोखी शिल्प योजना ही उसका प्रमुख आकर्पण है.

प्राचीन राजमहल : नगर के राजमहल पुराने शहर के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/7 भाग पर विस्तृत है. आकर्षक महलों में सात मंजिलों वाली भव्य इमारत चन्द्रमहल विशेष उल्लेखनीय है जो राजपूत शिल्प कला का विशिष्ट उदाहरण है. चन्द्रमहल के बिल्कुल सामने

श्री गोविंद जी का सुन्दर महल स्थित है जो भगमान श्री कृष्ण को समर्पित हैं. समीप ही 'पोथी खाना' अथवा मुबारक महल महाराजा का निजी पुस्तकालय है जहां प्राचीन हस्तलिखित संस्कृत एवं फारसी के ग्रंथ, नक्शे, ज्योतिष यन्त्र एवं विभिन्न हस्तचित्रों का भण्डार उपलब्ध है. यहां के उल्लेखनीय ग्रन्थों में अबुल फजल द्वारा महाभारत का अरबी अनुवाद, गीता एवं लिंग पुराण के सूक्ष्मदर्शी संस्करण तथा सदियों पुराने चित्र हैं. यहां स्थित सिलेखाना (शस्त्रागार) शताब्दियों पुरानी तलवारें, ढालें, भालों और अनेकानेक आधुनिक बारूदी शस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है जो कारीगरी की अद्भुत सूक्ष्मता के ज्वलंत उदाहरण है.

वेधशाला (जन्तर मन्तर) : महाराजा सवाई जय सिंह की खगोल शास्त्रीय वेधशाला को अत्यन्त तर्कसंगत एवं वास्तविक जन्तर-मन्तर कहा जाता है जो वाचनालय के पूर्व में स्थित है. राजस्थान के सामन्ती स्वरूप की यह

जन्तर-मन्तर, जयपुर

वेधशाला अत्यन्त जिज्ञासापूर्ण दर्शनीय स्थल है. सम्राट यन्त्र, जयप्रकाश तथा रामयन्त्र वेधशाला के प्रमुख स्थल हैं. खगोल विद्या एवं उससे सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन हेतु गवेषण शाला के रूप में सवाई जयसिंह की यह प्रमुख देन हैं जहां सूर्य एवं चन्द्र की गति और तारों की स्थिति शुद्ध रूप से सही दर्शाई गई है.

हवामहल : एडविन अरनाल्ड के शब्दों में "हवा महल तत्कालीन शिल्प कला के जादू एवं नगर के मध्य

हवा महल, जयपुर

स्थित वायु पर्वत का एक सजीव स्वरूप है." इस महल का निर्माण महाराजा प्रतापसिंह द्वारा 1779-1803 के मध्य किया गया था. पांच मंजिलों वाला गोल तथा आगे निकले झरोखों एवं खिड़कियों की एकरूपता युक्त पिरामिड सदृश्य हवामहल भारत के स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण हैं. झरोखों को वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार निर्मित किया गया है कि उनमें से होकर लगातार तेज हवा आती रहती है.

रामनिवास बाग : रामनिवास बाग नगर परकोटा से बाहर स्थित एक प्रसिद्ध पब्लिक उद्यान है. जिसमें अल्बर्ट हाल की एक अत्यन्त सुन्दर एवं कलात्मक इमारत अजायबघर और जन्तुआलय स्थित है. इस महल की नींव बादशाह एडवर्ड सप्तम द्वारा 6 फरवरी 1789 को रखी गई थी. इस संग्रहालय में चीन, जापान, सीरिया आदि के प्रख्यात तैलचित्रों के अतिरिक्त हिन्दु-रोमन भित्तिचित्र एवं यूनानी शैली की अनेकानेक कलाकृतियां संग्रहित है. फारस के शाह अब्बास का विश्व प्रसिद्ध सुन्दर गलीचा इसी अजायबघर की शोभा है. इनके अतिरिक्त महाराजा मानसिंह द्वारा काबुल से जीती ट्राफियां भी रखी है.

जयपुर से सात मील दक्षिण से एक प्राचीन राजपूत नगर सांगानेर ग्याहरवीं शताब्दी के जैन मन्दिर के लिए प्रसिद्ध है जो संगमरमर की उत्कृष्ट शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है जिसे माउंट आबू में स्थित देलवाड़ा मन्दिर के पश्चात महत्वपूर्ण गिना जाता है. यह नगर हस्त छपाई व कागज के लिए भी विख्यात है.

आमेर : प्राचीन जयपुर राज्य की राजधानी आमेर, जयपुर नगर से केवल 6 मील दूर स्थित है. यह उजड़ा हुआ राजपूत नगर अपने शक्तिशाली किला जयगढ,

आमेर दुर्ग, जयपुर

मानसिंह और राजा जयसिंह के हाथीदांत के राजमहल, भारत के 17 वी तथा 18 वीं में निर्मित माओटा झील और जगत शिरोमणी मन्दिर अपनी सूक्ष्मतम मूर्तियों की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है. इसके अतिरिक्त संगमरमर का तोरण और भगवान विष्णु के गरुड की मूर्ति पर्यटकों को अत्याधिक आकर्षित करती है.

राजपूत शिल्प कला की दृष्टि से आमेर के राजमहल उत्कृष्ट हैं. इनके प्रवेश द्वार पर गणपति की मूर्ति स्थित है. महलों में दीवानें खास और जय मन्दिर कला की सीमा है. यहां दर्पणों का महल अत्यन्त आकर्षक है. जयगढ का किला लगभग 500 फुट ऊँची चोटी पर स्थित राजमहल की रक्षा करता प्रतीत होता है. संक्षेप में, आमेर पर्यटन दृष्टि से अपनी भव्यता का मुख्य आकर्षक स्थल है.

नाहरगढ़ : यह विशाल दुर्ग नगर के उत्तर-पश्चिम में स्थित एक पहाड़ी पर सन् 1734 में निर्मित किया गया था. राजाओं का खजाना इसी दुर्ग में रखा जाता था. अब यह दुर्ग जनसाधारण के लिए खोल दिया गया है.

गल्ता : जयपुर के पूर्वी पहाड़ियों में एक सुन्दर कन्दरा पर स्थित स्थल है जो ऊपर से नीचे तक तालावों, मन्दिरों तथा यात्रियो के आवास स्थानों से भरा है. इस धार्मिक स्थल में अनेक स्नानागार है जिनको लगातार एक चश्मा जल पूर्ति करता रहता है.

उदयपुर (पूर्व का वेनिस) प्रकृति की गोद में बसा उदयपुर नगर सन् 1568 में महाराणा उदयसिंह द्वारा बसाया गया था. हरियाली पहाड़ियों के बीच हिलोरें लेता मुरम्य झीलों का नगर बना दिया है जो पर्यटकों पर जादू सा असर छोड़ती है. यह नगर 'राजस्थान का कश्मीर 'वेनिस आफ दि ईस्ट' 'झीलों की रानी' आदि के नामों से विख्यात है.

झीलें : कुछ प्रमुख झीलें निम्नलिखित है :

राजससंद : कांकरोली के समीप स्थित यह झील अपने किनारे पर बनी लगभग 200 गज लंबी संगमरमर की चौकियों के कारण, अदभूत रुप ग्रहण किए है. यही पर पत्थर की पट्टियों पर खुदा विख्यात काव्य 'राजप्रशस्ति' है, जो देश में अब तक प्राप्त शिलालेखों में सबसे लंबा संस्कृत शिलालेख है.

जयसमंद : उदयपुर से 32 मील दक्षिण-पूर्व में स्थित यह झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है. सन् 1691 मे महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित इस झील को 21 वर्गमील क्षेत्रफल में, गोमती नदी के बहाव को रोककर बनाया गया है. यह झील 1 मील लम्बी, 6 मील चौड़ी व 120 फीट गहरी है. झील पर बनी पक्की 1200 फीट लंबी 117 फीट चौड़ी व 7 6फीट मोटी है. पर्यटक इनमे नौका-विहार का आनद सहज ही प्राप्त कर सकते हैं.

पिछोला झील : राजमहल को प्रक्षालित करती पिछोला झील को महाराणा लाखा के शासन काल (13821421) में किसी बन्जारे ने बनवाई थी. यह झील 3 मील लम्बी, 2 मील चौड़ी और 25 फीट गहरी

है. जिसका क्षेत्रफल लगभग $3\frac{3}{4}$ व. मी. है. यह झील अपने चतुर्दिक हरी भरी पहाड़ियों, बड़े बड़े मन्दिरों, नहाने के सुन्दर घाटों और राजमहलों को समेट पर्यटकों को आकर्षित करती है. नीली पिछोला झील के बीचों बीच बनाए बने श्वेत एवं 'धवल जग निवास' जलमहल

पीछोला झील, उदयपुर

की अद्भुत छटा आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है. इस महल को महाराणा जगतसिंह ने 17 वीं शताब्दी में बनवाया था. अब इसको पर्यटकों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का आधुनिक सुविधाओं युक्त होटल में परिवर्तित कर दिया गया है जिसे 'लेक पेलेस' होटल के नाम से पुकारते हैं. इसमें बड़ा महल, खास महल, दिलाराम, सज्जन निवास और चन्द्र प्रकाश विशेष रूप से दर्शनीय है.

जग मन्दिर : 17 वीं शताब्दो में ही महाराणा जगतसिंह ने पीले रंग के पत्थर का एक तिमन्जिला भवन जिसका आंगन सफेद एवं काले संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है, जगदीश मन्दिर के नाम से बनवाया था. काले संगमरमर के पत्थर की यहां भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति है. इस मन्दिर के समीप ही स्थित पुराने महलों की पच्चीकारी देखने योग्य है.

सज्जन निवास (गुलाब बाग) : महाराणा महल के दक्षिण पूर्व की ओर स्थित सज्जन निवास भारत के विशाल एवं सुन्दर बाग में से एक हैं. इस बाग में विक्टोरिया हाल नामक एक सुन्दर संग्रहालय है जिसमें प्राचीन वस्तुओं का बहुमूल्य संग्रह हैं. इसी संग्रहालय के समीप सरस्वती भवन नामक एक विशाल पुस्तकालय हैं जिसमें हस्तलिखित ग्रन्थों तथा एतिहासिक सामग्री का विशाल संचय है. इस भवन को वाणी-विलास के नाम से भी पुकारा जाता है.

आहड़ संग्रहालय : उदयपुर रेलवे स्टेशन के पास 'धुल कोटा टीला' 1961-62 में उत्खनन के पश्चात्त पुरातत्व विभाग द्वारा प्राचीन सभ्यता के अवशेष के रुप में सुरक्षित रखा हैं. यहां हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के पश्चात की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं. इस संस्कृति को आहड़ संस्कृति के अध्ययन का एक प्रमुख ख्याति प्राप्त केन्द्र बन गया है.

फतह सागर : फतह सागर की तलहटी में बनी सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के रमणीक उद्यानों में से एक है. शहर के उत्तर-पश्चिम के एक द्वार पिछोला से जुड़ी हुई फतह सागर भील सन् 1678 में महाराणा फतहसिंह द्वारा बनवाई गई थी. यह झील तीन ओर

फतह सागर, उदयपुर

पहाड़ियों से घिरी हुई है. झील के चारों ओर किनारे-किनारे सर्पाकार सड़कें हैं. फतह सागर में नौका विहार अत्यन्त आकर्षक है. सूर्यास्त का दृश्य दर्शक को मुग्ध किये बिना नहीं रहता. सहेलियों की बाड़ी के बीच में गोल तथा

चोंकोरे फव्वारे लगे हैं. दूवदार मैदान के चारों ओर सफेद हाथियों से सुशोभित 'कमल तलाई' है जिनकी सूंढ में से वर्षा जल गिरकर शोभा बढ़ा देता है.

अन्य दर्शनीय स्थलों में 'स्टेट आरमरी' जहां उदयपुर के महाराणा द्वारा प्रयुक्त शस्त्रों का संग्रह, सज्जन निवास बाग जहां जन्तुआलय, अजायबघर और पुस्तकालय बड़ी पोल त्रिपोलिया के मध्य स्थित आठ महरावें जहां उदयपुर के महाराणाओं को सोने में तोला जाता था और यह सोना गरीबों में बांट दिया जाता था और ओदी खास है.

सहेलियों की बाड़ी, उदयपुर

एकलिंगजी का मन्दिर : उदयपुर से 21 कि. मी. की दूरी पर एकलिंगजी का मन्दिर है. जो सफेद पत्थरों से निर्मित हैं. निज मन्दिर में काले संगमरमर की भगवान शिव की विशाल मूर्ति है. यह मेवाड़ के महाराणाओं का सदैव से ईष्ट देवता का स्थान रहा.

नाथद्वारा : उदयपुर के उत्तर में 30 मील दूर स्थित वैष्णवों का सुप्रसिद्ध श्री नाथजी का तीर्थ स्थान है. बनास नदी के किनारे बसा छोटा सा नगर श्री नाथजी के मन्दिर के कारण जन्माष्टमी व अन्न कूट के अवसरों पर भीड़ से भर जाता हैं. यहां से 6 मील दूर प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध स्थल हल्दी घाटी है. जहां राणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था.

चित्तौड़गढ : उदयपुर के 69 मील पूर्व में स्थित यह नगर स्वयं के भीतर असंख्य बलिदानों की गाथाएँ छिपाए है. एक ओर राजपूत योद्धाओं के अविसमरणीय बलिदान तो दूसरी ओर राजपूत नारियों द्वारा सतीत्व रक्षा हेतु 'जोहर' का वरण .... स्वाभिमान, त्याग और वीरता का अद्भुत संगम. रानी पद्मिनी के अद्वितीय सौंदर्य से आकर्षित हो सन् 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की, किन्तु बदले में उसे मिला राजपूत वीरों का अतुलनीय पराक्रम और उनकी स्त्रियों का 'जोहर ! दूसरी बार 1523 ई. में गुजरात के बहादुरशाह फिर 1568 ई. में शंहशाह अकबर .. .... सभी के इस वीर प्रसविनी भूमि ने छक्के छुड़ा दिए.

वीरों का तीर्थस्थल बन गया है यह प्रदेश और वीरता का पर्याय !

दुर्ग : यह दुर्ग एक पृथक चट्टान पर समुद्र से लगभग 500 फीट ऊँचाई पर दक्षिण से उत्तर तक लगभग साढ़े तीन मील क्षेत्र पर विस्तृत है. इस दुर्ग के चारों ओर 7 मील का परकोटा बना हुआ है. इस किले में दो बड़े मार्ग हैं. पश्चिमी मार्ग चढते समय सात दरवाजे पड़ते हैं. भैरव पोल व हनुमान पोल के बीच पत्ता व ठाकुर जयमल की छतरियां है जिन्होंने सन् 1657 में अकबर से लड़ते *वीरगति प्राप्त की थी. दुर्ग में भव्य राजमहल, मन्दिर व* कुंड दर्शनीय है.

विजय स्तम्भ : सन् 1440 मे मालवा के सुल्तान पर विजय की स्मृति में महाराणा कुम्भा ने सन् 1458-68 में 'विजय स्तम्भ' का निर्माण करवाया था. यह स्तम्भ 47 वर्ग फीट आधार पर स्थित है जो 30 फीट चौड़ा और 122 फीट ऊँचा है तथा इस स्तम्भ में 157 सीढ़ियां है. स्तम्भ के चारों ओर पौराणिक कथाएं मूर्तियां में अंकित है जो मूर्ति कला के श्रेष्ठ उदाहरणों मे से एक है. इसके अतिरिक्त विभिन्न ऋतुओं, शस्त्रों एवं संगील वाद्यों के चित्र भी सजीवता लिए हुए है. तीसरी और आठवीं मंजिल पर 'अल्लाह' शब्द की खुदाई अन्य धर्मो के आदर का सूचक है. नवीं मंजिल में चित्तौड़ के शासन कर्ताओं के वंश इतिहास हमीर प्रथम से कुम्भा तक के चित्रित है.

कर्नल टॉड के अनुसार यद्यपि विजय स्तम्भ दिल्ली की कुतुबमीनार से काफी छोटा है किन्तु जय स्तम्भ की तुलना में वह घटिया है.

विजय स्तम्भ चित्तौड़गढ़

कीर्ति स्तम्भ : 12 वीं शताब्दी में एक जैन व्यापारी जीजाज द्वारा निर्मित स्तम्भ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है. यह स्तम्भ अपने आधार पर 35 फीट व्यास तथा 75 फीट ऊँचाई लिए है. इस स्तम्भ के चारों कोनों पर ऋषभदेव की सुन्दर मूर्तियां है.

चित्तौड़ के भग्नावशेषों में राणा कुम्भा का विशाल महल विशुद्ध राजपूत शिल्पकला का नमूना है. रानी पद्मिनी द्वारा प्रथम जौहर इसी महल के मार्ग पर किया गया था. कुछ गज दूर स्थित पद्मिनी का महल व ताल हैं. दुर्ग में कुम्भ श्याम का मन्दिर, मीरा मन्दिर समधीश्वर मन्दिर, कालका मन्दिर, आदि अन्य दर्शनीय हैं.

अजमेर : जयपुर नगर से 130 कि. मी. दक्षिण में अरावली पहाड़ियों से घिरे एवं उत्तर भारत के मैदान से सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित पठार पर अजमेर नगर बसा हुआ है. नगर के चतुर्दिक सुन्दर परिस्थान और शुष्क जलवायु अत्यधिक मोहक है. अजमेर अजयमेरु शब्द का अपभ्रंश है जिसे चौहान वंश के अजयपाल नामक राजा ने सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ में बसाया था. पृथ्वीराज चौहान इस वंश का अन्तिम राजा था.

तारागढ़ का सशक्त दुर्ग, जिसे हेबर ने राजस्थान के 'जिब्राल्टर' के नाम से पुकारा है, अजयदेव द्वारा निर्मित करवाया गया था. तारागढ़ पहाड़ी का शिखर 800 फीट ऊँचा है. और इस पर यह प्राचीन दुर्ग स्थित है. इस दुर्ग में मीर सैयद हुसैन खंगस्वार का रोजा दर्शनीय है जो तारागढ का प्रथम मुस्लिम गवर्नर था और जिसे 1202 A. D. में राजपूतों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था. अजमेर नगर ने अतीत में कई इतिहास प्रसिद्ध युद्ध देखे हैं. किन्तु इस नगर के विकास में अकबर, जहांगीर तथा शाहजहाँ का अधिक योगदान है.

मेग्जीन : अकबर की बहुतायत यात्रा ने इस नगर में 1571-72 A. D. में एक किले का निर्माण करवाया जिसे मेग्जीन भी कहा जाता है. इस दुर्ग में भी हिन्दू तथा मुस्लिम शिल्पकला का संगम देखा जा सकता है. वर्तमान में इस महल को संग्रहालय बनाया गया है. जहां राजस्थान के विभिन्न भागों से खुदाई में प्राप्त मूर्तियां का संग्रह देखा जा सकता है.

आना सागर : पृथ्वीराज चौहान के पितामह अरुणोराज अथवा अणाजी ने 1135-50 में दो पहाड़ियों के मध्य बांध बनावाकर इस कृत्रिम झील का निर्माण करवाया था. जहांगीर ने यहां बगीचा लगवाया और शाहजहां ने 1240 फुट लम्बी संगमरमर की मुंडेर व पांच अति सुन्दर मण्डप बनवाये.

अरुणोराज के उत्तराधिकारी विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया था जो कर्नल टॉड क शब्दों में हिन्दू शिल्पकला का अत्यधिक प्राचीन नमूना है. किन्तु मोहम्मद गोरी ने संस्कृत महाविद्यालय को मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया.

दरगाह : वर्तमान में अजमेर के आकर्षण का प्रमुख कारण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो भारत में मुस्लिम दरगाहों में अत्यधिक पवित्र मानी जाती

है. सर्वप्रथम सन् 1464 में ख्वाजा साहब की कब्र पर सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने एक पक्की कब्र बनवाई. तत्पश्चात इसका विस्तार शहंशाह अकबर ने करवाया. तभी से यह दरगाह मुसलमानों का प्रमुख तीर्थ स्थान बन गया है. दरगाह में अकबरी मस्जिद, शाहजहाँ की जुमा मस्जिद, बेगमी दालान, सन्दल खाना, महफिल खाना आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं. अकबर के काल के ही दो बड़े देग है जिनमें एक 100 मन चावल पकाये जा सकते हैं. यहां का अद्वितीय बुलन्द दरवाजा मोहक है.

जैन मन्दिर : सन् 1865 में सेठ मूलचन्द सोनी द्वारा निर्मित मन्दिर सिद्धकुट चैत्यालय नाम से जाना जाता है. लाल पत्थर से बना इस मन्दिर में स्वर्ण कलश इतनी ऊंचाई पर बने हैं कि नगर के प्रत्येक घर की छत से इन्हें देखा जा सकता है. मन्दिर के पीछे 40 फुट चौड़ा और 80 फुट लम्बे कमरे मे जैन दर्शन से सम्बन्धित चित्रों का प्रदर्शन किया गया है.

ढाई दिन का झोंपड़ा : सम्राट विशाल देव (बीसलदेव) द्वारा जैन धर्म के प्रचारार्थ निर्मित मदिर को सन् 1192 में मोहम्मद गौरी ने इसे गिराकर केवल ढाई दिन में मस्जिद का रूप दे दिया, इसी कारण यह ढाई दिन के झोंपड़े के नाम से विख्यात है. इसके दरवाजे पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं और इसके आंगन की खुदाई से कई प्राचीन मूर्तियां तथा शिलालेख प्राप्त हुए हैं.

अन्य दर्शनीय स्थलों में सन् 1875 से लार्ड मेयो द्वारा राजकुमारों को ब्रिटिश शिक्षा देने हेतु मेयो कालेज, बड़े पीर दरगाह, अतेह माता का मन्दिर, चश्मा, सन् 1899 मे निर्मित टाउन हाल जो गांधी भवन के नाम से विख्यात है. इसकी इमारत लाल पत्थर की बनी हुई है तथा अब यह पुस्तकालय है. फाईसागर जो 24 फुट गहरी झील है तथा पिकनिक स्थल है. नगर से 5 मील पर नाग पहाड़ की ढाल पर पांच कुण्ड बने हैं जो हिन्दुओं के तीर्थ स्थान हैं.

पुष्कर : अजमेर से 11 कि.मी. उत्तर-पश्चिम में हिन्दुओं का महत्त्वपूर्ण पुष्कर तीर्थ स्थान स्थित है. पद्म-पुराण के अनुसार ब्रह्माजी ने मृत्युलोक में यज्ञ करने की ठानी तथा स्वर्ग से तीन कमल पुष्प गिराए. प्रथम पुष्प वर्तमान स्थान पर गिरा. भगवान ब्रह्माजी ने पुष्कर को यज्ञ के लिए चुना किन्तु यज्ञ करते समय सावित्री के पहुंचने में विलम्ब होते देख ब्रह्मा ने सावित्री नामक गूजरी को पत्नी रूप में वरण किया और यज्ञ प्रारम्भ कर दिया किन्तु जब सावित्री वहां पहुंची तो गूजरी को पत्नी रूप मे देख क्रुद्ध हो गई और पास ही ऊचे पर्वत पर बैठ गई और ब्रह्मा को श्राप दिया फलस्वरूप यज्ञ सामग्री बालू में परिवर्तित हो गई और उस स्थान पर पुष्कर झील बन गई. पुष्कर स्थान की पवित्रता पुराण तथा रामायण से भी प्रमाणित होती है. ब्रह्माजी तथा सावित्री के मन्दिर भारत मे केवल पुष्कर ही में स्थित है. झील के चतुर्दिक लगभग 60 घाट है. कार्तिक पूर्णिमा को पर्व स्नान का विशाल मेला लगता है. अठमटेश्वर जी का मन्दिर, रमा वैकुण्ठ मन्दिर तथा बाईजी के मन्दिर सबसे बड़े मन्दिर हैं. पुष्कर मे गुलाब के बगीचे भारत प्रसिद्ध हैं.

अलवर : अरावली पर्वत माला के मध्य तराशा गया ये नगर इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. वर्षों तक अलवर मुगलों की शक्ति से डावाडोल रहा था किन्तु इस क्षेत्र के रणबांकुरे हार मानने वाले नहीं थे. सन् 1770 मे महाराजा प्रतापसिंह ने इस नगर को मुगलों से छुड़वाया और अपने अधीन किया. नगर में कई शिल्पकला की ऐतिहासिक रचनाएं हैं.

सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान : दिल्ली से अलवर की ओर राजस्थान में प्रवेश करते ही घने जगल मे से होकर गुजरना पड़ता है. यहां इस क्षेत्र की सुन्दरतम 'वाईल्ड लाइफ सेन्चुरी' स्थित है जहां विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध करवाया गया है. इस क्षेत्र को 'प्रोजेक्ट टाईगर' घोषित किया गया है जहां चतकेदार हरिण, नील गायें, जंगली भालू, मोर आदि सैकड़ों शेरों तथा चीतों के बीच रहते हैं. रात्रि विश्राम का उत्तम प्रबन्ध है तथा 'निरीक्षण टावर' से शेरों आदि

को देखा जा सकता है. इसी क्षेत्र में ऐतिहासिक पाण्डु पोल अति दर्शनीय स्थल है. इस क्षेत्र में एक झरना भी है जो शीत ऋतु तथा मानसून से पूर्व सूखा रहता है.

विनय विलास महल एवं अजायबघर : 18 वीं सदी में निर्मित विनय विलास महल को अब सरकारी कार्यालयों एवं अजायबघर में परिवर्तित किया गया है. महल के गुम्बदनुमा भव्य कमरे में दुर्लभ पाण्डुलिपियां, पेन्टिंग्स व अस्त्र-शस्त्र का संग्रह है. यहां फारसी तथा अरबी के हस्तलिखित ग्रन्थ—शेख सादी का 'गुलिस्तां' तथा बाबर-नामा प्रमुख है. कुरान तथा महाभारत हस्तलिखित ग्रंथ तथा राजपूत तथा मुगल कला की अति सुन्दर चित्रों का संग्रह भी है. रत्यात्मक पेन्टिंग यहां का मुख्य आकर्षण है. शस्त्रागार में अकबर महान, जहांगीर और दाराशिकोह की तलवारें भी सुरक्षित रखी है. इसके अतिरिक्त चांदी की बनी भव्य खाने की मेज भी अति सुन्दर है. अलवर किले में निकुम्भा महल, राजकुमार सलीम द्वारा निर्मित सलीम सागर, सूरज कुण्ड और सूरजमहल शिल्पकला की दृष्टि से अत्यन्त आकर्षक स्थल है.

अलवर में मूसी महारानी की छतरी उत्कृष्ट है जो राजमहल के पीछे स्थित है. इस पर बंगाली शैली की ढाल छत और महराबें निर्मित है इसको सन् 1815 में महाराजा विनयसिंह ने अरावली परिस्थान में लाल पत्थर से बनवाया था.

वैराठ : अलवर से 66 कि. मी. दूर वैराठ एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल स्थित है जिनका वर्णन महा-भारत और बौद्ध साहित्य में मिलता है. इसी क्षेत्र में सम्राट अशोक के शासन काल (3 B. C.) का एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है. 300 B. C. के बौद्ध चैत्या के 26 अष्टपार्श्वीय स्तम्भ भग्नावेष में यहां स्थित है जिसकी शिल्पकला पर्यटकों को आकर्षित करती है.

भरतरी : सरिस्का के मार्ग में राजा भरतरी का आश्रम निर्मित है. राजा भरतरी ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति हेतु राज्य सिंहासन त्याग कर यहां आश्रम बनवाया. राजा भरतरी को स्थानीय लोकगीतों में बड़े आदर से गाया जाता है. वर्तमान में यह आश्रम धार्मिक यात्रा का उत्तम स्थान बन गया है जहां प्रति वर्ष हजारों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं.

जयसमन्द झील : नगर से 6 कि. मी. दूर एक अन्य आकर्षक पिकनिक स्थल जयसमंद झील है. झील के किनारे ही पवेलियन एवं डाक बंगला बना है जहां विश्राम की व्यवस्था है. नगर से 64 कि. मी. दूरी पर निर्जन क्षेत्र में सातवी से दसवीं सदी के गुर्जर-परिहार शासन के खण्डहर स्थित हैं. तलवृक्ष और काला नीलकंठ शिवालय अन्य दर्शनीय स्थल हैं. मन्दिर के चतुर्दिक असंख्य टूटी-फूटी मूर्तियां बिखरी हैं. मन्दिर से 100 गज की दूरी पर जैन मन्दिर के खण्डहर हैं जिसके मध्य में 16 फुट लम्बी तथा 6 फुट चौड़ी एक दिगम्बर जैन तीर्थंकर की मूर्ति पड़ी है जो नगौजा के नाम से प्रसिद्ध है.

पाण्डुपोल : सरिस्का के दक्षिण-पश्चिम में स्थित पाण्डुपोल ऐतिहासिक महत्व का स्थल है जहां पाण्डवों ने अज्ञातवास के समय एक वर्ष यहां व्यतीत किया था. समीप पर्वत पर शयन मुद्रा में हनुमान जी की प्रतिमा मानवाकार में पड़ी है.

भरतपुर : मथुरा से 20 मील और आगरा से 36 मील दूर अठारहवीं सदी में महाराजा जयसिंह द्वारा बसाया गया यह नगर, पूर्व में 'मेवात' नाम से प्रसिद्ध था. खितीवर जाटों की राजधानी रहा यह नगर अपने मिट्टी से निर्मित किले 'लोहागढ़' के कारण जगत प्रसिद्ध है. किले के चारों ओर गहरी खाई है, जो मोती झील के पानी से भर दी जाती थी.

घाना केवलादेव : नगर से 9 मील दूरी पर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त घाना पक्षी विहार स्थित है. पूर्व में राज परिवारों हेतु सुरक्षित आखेट स्थल, एक विस्तृत निम्न स्थलीय दल-दली क्षेत्र अब केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करता है जो 52 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर फैला है. इसका नयनाभिराम प्राकृतिक वातावरण और उसमें स्वच्छन्दतापूर्वक विचरण करते पक्षी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण है. यहा का पक्षी विहार मुर्गाबियों के लिए प्रसिद्ध है. जहां दूरस्थ देशों से आने वाले अनगिनत पक्षियों का शीतकालीन आवास व प्रजनन

स्थल उपलब्ध है. हेवन्त व शिशिर के आरम्भ में मध्य एशिया, अफगानिस्तान और साईबेरिया से जंगली मुर्गाबियां, कलहंस, श्वेत जल पक्षी झुण्ड के झुण्ड में आते हैं और शीत व्यतीत कर पुनः अपने मातृ देश को लौट जाते हैं. विविध पक्षियों के अतिरिक्त इस वन में हिरण, बारहसिंगे, काले हिरण, नीलगाय, जंगली सूअर तथा चीते आदि जंगली जानवर भी विचरण करते हैं. इस पक्षी विहार की यात्रा अक्टूबर से फरवरी के मध्य अत्यन्त आकर्षक रहती है.

डीग : भरतपुर से 34 कि.मी. उत्तर में 18 वीं शताब्दी में निर्मित यह नगर भरतपुर के शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है. नहरों और तालाबों से घिरे डीग के वातावरण में मानसून-सी ठंडक और नमी व्याप्त है. तालाबों से सटे हुए मुगल शैली के भवन अत्यन्त आकर्षक लगते हैं.

डीग के महल

गोपाल भवन : सन् 1750 में गोपाल सागर तालाब के किनारे निर्मित इमारत के प्रवेश पर बगीचे और पृष्ठ भाग में जल दृश्य को मोहक बनाते हैं. इस महल की कारीगरी अद्वितीय है. इस महल में फर्नीचर, संगमरमर की कारीगरी, गोपाल सागर तालाब, पवेलियन तथा स्तम्भ शिल्पकला के नमूने है, जो पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण हैं.

सूरज भवन : गोपाल भवन के पूर्व में सूरज भवन स्थित है जिसकी बालकनियां गोपाल सागर की ओर निकाली गई है. सम्पूर्ण महल हवादार पवेलियन की भांति है जो संगमरमर की कारीगरी का नमूना है. गोपाल भवन म प्रत्यक्ष सामने बगीचे के अन्य किनारे पर खुली 12 स्तम्भ की बारादरी निर्मित है जो केशव भवन के नाम से जानी जाती है. इस महल से रूप सागर दिखाई देता है.

पूरण महल : रूप सागर के दक्षिण में पूरण महल नामक प्राचीनतम महल स्थित है. इस महल में मुगल तथा राजपूत शैली की पेन्टिंग पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है.

डीग का किला : राजा सूरजमल द्वारा निर्मित डीग का भव्य किला तथा उसके चारों ओर निर्मित महल व द्वार बरबस पर्यटकों को आकर्षित करता है. यहां स्थित निरीक्षण टावर पर आगरे के किले से विजित तोप रखी है. इसी प्रकार अहमद शाह अबदेली से 1761 में विजित तोप भी देखने को मिलती है.

बयाना : मध्ययुगीन भारत के इतिहास में बयाना का वर्णन लगातार मिलता है. यह नगर भरतपुर के दक्षिण में 36 मील पर स्थित है. इसके किले की प्राचीनता गुप्त काल से सम्बन्धित है जहां समद्रगुप्त के शासन काल का एक विजय स्तम्भ निर्मित है. वि. सं. 428 में विष्णु वर्द्धक पुण्डरीक द्वारा किए गए यज्ञ के स्मारक रूप में भीम लाट के नाम से एक स्तम्भ बना है. समीप ही कामा के महुवंशीयों के चौरासी कीर्ति-स्तम्भ है इनमें से एक स्तम्भ पर आठवीं शताब्दी का संस्कृत लेख खुदा हुआ है. 1028 मे निर्मित उषा मन्दिर मुख्य दर्शनीय स्थल है. इसी शताब्दी के लादी मीनार, सराय सादुला, अकबर की छतरी तथा जहांगीर का द्वार आदि किले के अन्य दुर्लभ स्थल हैं.

कोटा : राजस्थान के दक्षिण-पूर्व में चम्बल नदी के किनारे स्थित कोटा नगर मध्ययुगीन भव्यता एवं आधुनिक औद्योगीकरण का मिश्रित दृश्य प्रस्तुत करता है. सम्वत् 1681 में कोटा राज्य की नींव डाली गई थी. बूंदी के माधोसिंह को यहा का राज्य जहांगीर के बड़े पुत्र खुर्रम द्वारा जागीर में दिया गया था. कोटा राजपूत शक्ति व संस्कृति का प्रमुख प्रतीक माना जाता था. यहां की शिल्पकला मे संस्कृति परिलक्षित होती है.

कोटा का आकर्षक किला वर्तमान चम्बल नदी परियोजना पर अपने अनेक बांधों- कोटाबांध, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर के साथ स्थित है. एक अत्यन्त प्राचीन किला कोटा बेरेज के समीप स्थित है जो हाडा राजपूतों की स्मृति दिलाता है.

कोटा में पुरातत्व एव ऐतिहासिक महत्त्व के अनेक स्थान हैं. दरबार हाल में दर्पण कार्य और हाथी दांत के द्वार राजपूत शैली से निर्मित हैं. शाहबाद एवं शेरगढ़ के किले विशेष आकर्षण स्थल है. शाहबाद किले में औरंगजेब ने दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रकार की एक भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया था. रंगवाड़ी में महावीर जी का प्राचीन मन्दिर और उससे लगे हुए तालाब, छतरियां एवं बगीचे पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं.

महाराजा माधोसिंह अजायबघर प्राचीन राजमहल में स्थित है. जिसमें राजपूत शैली की पेन्टिंग्स उपलब्ध हैं. इसके अतिरिक्त अनेक भित्तिचित्र, मूर्तिकला, शस्त्र आदि अनेक बहुमूल्य दुर्लभ संग्रह भी रखे हैं. सरकारी आजयबघर में प्राचीन सिक्के, हस्तलिखित ग्रन्थ तथा हाड़ोती शैली की मूर्तियां, विष्णु तथा लक्ष्मी की भव्य मूर्ति मुख्य दर्शनीय है.

बारोली : प्रतापसागर बांध की ओर जाते समय कोटा से लगभग 40 कि. मी. दूर अत्यन्त प्राचीन (आठवीं शताब्दी के) अति सुन्दर मन्दिर स्थित हैं. जिनकी शिल्पकला उच्च श्रेणी की है. यहां स्थित मूर्तियां प्रमुख आकर्षण हैं. स्तम्भ तथा मण्डप उच्च श्रेणी की शिल्प कला की मूर्तियों से ढके हैं. मण्डप के द्वार पर नृत्य की मुद्रा में शिव की मूर्ति अति सुन्दर है. इसके अतिरिक्त अनेक आश्रम दर्शनीय हैं. वर्तमान कोटा राजस्थान का प्रमुख औद्योगिक नगर विकसित हो रहा है जहां एशिया का सबसे बड़ा खाद कारखाना, बहुमूल्य औजार निर्माण केन्द्र तथा अणु बिजलीघर स्थित हैं.

भांड-देवड़ा मन्दिर : कोटा से 60 मील दूर 'राजस्थान के खजुराहो' नाम से विख्यात मन्दिर स्थित है. इसमें रतियात्मक मूर्तियां शैवाङ्गत कला की उत्कृष्ट सुन्दरता है.

दारा राष्ट्रीय उद्यान : कोटा से 80 कि. मी. दूर घने जंगल के मध्य राजाओं का शिकार स्थल स्थित था जिसे अब 'वाइल्ड लाइफ सेन्चूरी' में परिवर्तित कर दिया गया है. यहां चीते, चतकेदार हरिण, शेर तथा भालू अपनी इच्छा से प्राकृतिक वातावरण में विचरण करते हैं. दारा गेस्ट हाउस से लगभग एक किलोमीटर दूरी पर स्थित अमींगढ़ महल में विश्राम की व्यवस्था भी उपलब्ध है.

झालरापाटन (घंटियों का शहर) : कोटा से 60 कि. मी. दूर घटियों का नगर झालरापाटन स्थित हैं जहां भारत का अति सुन्दर सूर्य मन्दिर विशेष दर्शनीय है. इससे कुछ दूरी पर कुछ जैन मन्दिर तथा हाल की खुदाई से प्राप्त बौद्ध मन्दिर भी मिले है. समीपक झालावाड़ नगर में एक सुन्दर अजायबघर भी है जिसमें प्राचीन शिलालेख, मूर्तियां तथा हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह है. कोटा के प्राचीनतम शिवालयों में नीलकंठ महादेव का मन्दिर राजमहल के पूर्व में स्थित है. नगर के दक्षिण में गोपुरनाथ का सुप्रसिद्ध शिवालय चम्बल की अनोखी छटा बनता हैं. यहां दो घाटियों के बीच 200 फीट ऊंचाई से पानी गिरता है. राजमहल, सीताबाड़ी, अधरशिला, अमरनिवास और छत्रविलास बाग कोटा के अन्य अनुपम दर्शनीय स्थल हैं.

बूंदी : कोटा नगर से 24 मील पश्चिम में सकड़ी पहाड़ियों के मध्य बूंदी नगर स्थित हैं. बूंदी सन् 1342 से हाडा राजपूतों का सिंहासन रहा है. जब राव देवा ने इस राज्य को बसाया था. वर्षाकाल में शहर की शोभा अदभुत बन जाती है. बूंदी का नवलखा तालाब एवं पहाड़ी के ऊपर निर्मित सड़क सारे वातावरण को अति आकर्षक व सुन्दर बनाते है.

बूंदी का गढ़ : 17 वीं शताब्दी में निर्मित राजमहल बूंदी का प्रमुख दर्शनीय स्थल है. किपलिंग के शब्दों में 'यह गढ़ स्वप्निल कल्पना का प्रतीक है' ऐसा प्रतीत होता है कि इसको किसी प्रेतात्मा ने बनाया है. कर्नल टाड के अनुसार समस्त रजवाड़ों के गढ़ों में बूंदी का यह महल सर्वोत्कृष्ट माना जाना चाहिए. इस गढ़ में सर्वाधिक महत्व

का स्थान छत्र महल है जिसे राजा छत्रसाल ने 1531 ई. में बनवाया था. राव छत्रसाल ने केशोरायपाटन मे भगवान विष्णु का एक विशाल मन्जिर का भी निर्माण करवाया था जो स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है. गढ़ के प्रवेश-द्वार पर दो विशाल हाथियों की मूर्तियां हैं जिनका निर्माण राजा रतनसिह ने करवाया था. इसके निकट ही रंग विलास नामक बाग है. गढ़ में 18 वीं सदी के अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक एवं शिकार आदि से सम्बन्धित भित्ति चित्र हैं. अनिरुद्ध महल का निर्माण सन् 1679 में करवाया गया था. राव राजा अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने 1699 ई. में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था जो स्थापत्य कला की दृष्टि से दर्शनीय है.

बूंदी का किला : तत्कालीन राजा नरसिंह ने सन् 1354 में नगर के उत्तर में 1416 फीट ऊँची पहाड़ी पर तारागढ़ नामक किले का निर्माण करवाया था. किले की बाहरी दीवार जयपुर के फौजदार दालिल ने बनवाई थी. इस किले की बनावट एवं आकार में एक विचित्र सामंजस्य है. अन्य स्थलों के अतिरिक्त बूंदी शैली के भित्ति चित्र मुख्य आकर्षण हैं जिनका राजपूत पेन्टिग में अदभुत स्थान है.

नगर से कुछ ही दूर पहाड़ियों के बीच जैतसागर तथा फूलसागर नामक दो सुन्दर तालाब हैं. जैतसागर तालाब का निर्माण बूंदी की स्थापना (1342) से पूर्व जैता मीणा नामक मीणों के सरदार ने करवाया था. तत्पश्चात 1568 में रावराजा सुरजन की माता जयवंती ने इसकी पक्की दीवारों का निर्माण करवाया.

इस तालाब के किनारे राव राजा विष्णुसिंह द्वारा निर्मित सुखमहल स्थित है. इस महल में सुन्दर चित्र तथा मूर्तियां रखी गई है. राव राजा भोजसिंह की पत्नी फूललता द्वारा फूल सागर का निर्माण करवाया गया था. तत्पश्चात राव राजा रामसिंह ने यहां एक जल कुण्ड तथा दो छोटे छोटे महलों का निर्माण करवा कर इस स्थान को और मोहक बना दिया. नवल सागर तालाब अन्य स्थान है जिसके मध्य में एक मन्दिर तथा छतरी बनी हुई है तथा किनारों पर सुन्दर उद्यान लगे हैं.

सन् 1770 ई. में महाराजा उम्मेदसिंह ने पहा- के बीच अपना एकान्त वास बनवाया था. यहां हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है. पहाड़ियों में ही एक बुर्ज है जो शिकार खेलने के काम मे लिया जाता था.

माउंट आबू (अर्बुद-प्रदेश) : 'रेगिस्तान में नखलिस्तान' की उक्ति को सार्थक करता माउंट आबू समूचे राजस्थान में एकमात्र ग्रीष्मकालीन आमोद स्थल है. अरावली पर्वतश्रेणी के शीर्ष पर स्थित, यह प्रदेश समुद्र-सतह से 1200 मीटर की ऊँचाई पर है. यहां का वार्षिक औसत तापमान 70° F. है. पर्यटन के लिए उत्तम समय 15 मार्च से 15 जून व अक्टूबर-नवम्बर मास हैं.

एक मिथक के अनुसार, आबू' का नाम 'अर्बुद' नाम के विशाल जन्तु के नाम पर पड़ा, जिससे भगवान शिव के वाहन नन्दी को एक गर्त में गिर जाने पर बाहर निकाला था. कालांतर में यह सक्षिप्त हो कर 'आबू' रह गया.

दिलवाड़ा जैन मंदिर : दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के कारण आबू जैन तीर्थ स्थल रूप में भी जाना जाता है. सन 1031 में विमलशाह द्वारा निर्मित ये मंदिर, प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है. मंदिर का आंतरिक भाग शिल्पकला व मूर्तिकला का अत्यंत मनमोहक उदाहरण प्रस्तुत करता है. संगमरमर में बेहतरीन नक्काशी लगता है, कारीगरों ने अपनी आत्मा उडेलकर बेजान पत्थरों में प्राण डाल दिए हों. आदिनाथ के मंदिर के निकट ही नेमीनाथ और पार्श्वनाथ के मंदिर हैं जो उच्च श्रेणी की मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं. इनमें 15 वीं शताब्दी का पार्श्वनाथ का मंदिर सबसे ऊंचा है और तीन मंजिला है.

नक्की झील : रघुनाथ मंदिर के पास बनी यह कृत्रिम झील शांत और स्थिर रह वातावरण में पवित्रता का आभास देती है. पर्यटक इस झील में नौका-विहार का आनंद भी उठा सकते हैं. इसी झील के एक ओर प्रसिद्ध 'टोड रॉक' (Toad Rock) है, जो इस पर झुकी हुई बनी है.

अन्य दर्शनीय स्थलों में अम्बा देवी का मन्दिर, भतृहरि की गुफा, राणा कुम्भा का महल,

सनसेट पाईन्ट, अचलगढ़, वशिष्ठ आश्रम, गौमुख आदि विशेष रूप से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं.

रणकपुर : राजस्थान के अन्य दर्शनीय स्थलों में रणकपुर का स्थान महत्त्वपूर्ण है. उदयपुर से 96 कि.मी. की दूरी पर यहां आदिनाथ अथवा ऋषभदेव का एक भव्य जैन मन्दिर है. इस मन्दिर का निर्माण 1439 में विशाल आधार स्थल पर किया गया है जिसे, 'स्तम्भों के वन' की संज्ञा दी जाती है. अपने प्रारूप एवं शिल्पकला की दृष्टि से रणकपुर के मन्दिर की कोई समानता नहीं है. रणकपुर जैनियों का तीर्थ स्थान है.

जैसलमेर : थार के हृदयस्थल में; राजस्थान के पश्चिमी सीमांत में; पीले पत्थरों से निर्मित यह नगर, अपने में एक जादुई सौंदर्य समेटे है. यादवों के वंशज रावल जैसल द्वारा 1556 ई. में, लुदरवां से हटाकर इस नगर को राजधानी रूप में बसाया गया. मुगल आक्रमण के समय जैसलमेर ही भारतीय कला को सुरक्षित रख पाने में समर्थ हो सका. 280 फुट ऊंची पहाड़ी पर यहां का किला निर्मित है, जिसमें 99 बुर्ज है. इसके अतिरिक्त समूचे नगर में हवेलियों के झरोखे, खिड़कियों और मेह-राबों की नुकीली जालियां यहां के वीरों की तलवारों के समान ही पैनी हैं. नगर के अन्य दर्शनीय स्थलों में जैन मंदिर, गड़ी सागर, पटवों की हवेली, सालिमसिंह की हवेली, आदि प्रमुख हैं.

लुदरवां पाटन : प्राचीन समय के लोदरवां भारत तथा बलुचिस्तान के मध्य व्यापार का प्रमुख केन्द्र स्थल था. मुगलों के आक्रमण ने इस नगर को नष्ट कर दिया. जैनियों के मन्दिर, पुराना किला तथा जवाहर निवास यहां के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं.

बीकानेर : एक अनोखा किंतु सुंदर नगर, जहां दूर-दूर तक रेत पर लहरों का विस्तार है और सिर पर चमकती तीखी धूप, सन् 1488 में राव बीकाजी ने पश्चिमी एशिया और अफ्रीका को जाने वाले कारवां के मार्ग पर बीकानेर को स्थापित किया. नगर परकोटा में पांच प्रवेश द्वार हैं, जिनमें कोटद्वार उत्कृष्ट है.

राजा रायसिंहजी द्वारा निर्मित किला अपनी लम्बे 37 पवेलियन के कारण भिन्नता लिए हुए है. बालकनियों एवं खिड़कियों के भिन्न भिन्न स्वरूप अत्यन्त मोहक लगते हैं. किले के चतुर्दिक भव्य दीवार का निर्माण सन् 1588-93 के मध्य राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था. इस चार दीवारी में स्थित जोरामल मन्दिर, हर मन्दिर, अनूप महल, रंग महल और विजय महल के गुम्बद एवं शिल्प कला अनूठी है. चन्द्र महल और फूल महल नक्काशी, पेन्टिंग्स एवं दर्पण की अनूठी कारीगरी से सजाए गए हैं.

लाल पत्थरों से निर्मित 19 वीं शताब्दी का लालगढ़ महल खुदाई कला का एक उत्कृष्ट नमूना है. वर्तमान में इस महल के एक भाग को आधुनिक होटल में परिवर्तित किया गया है.

बीकानेर से 10 कि.मी. दूर ऊंटों की नस्ल सुधार का एक फार्म है. जहां कोई भी सजे धजे ऊंट की सवारी कर सकता है और ऊंटनी के दूध का प्रथम स्वाद भी चख सकता है.

नगर से 8 कि.मी. बाहर छतरियों के साथ देवी कुंड स्थित है. ये छतरियां राठौड़ कुल के राजाओं की याद दिलाता है.

नगर से 32 कि.मी. दूर गजनेर नामक मरुद्यान बंझड़ मरुस्थल में हरियाली प्रस्तुत करता है जो पक्षियों एवं जानवरों की उपस्थिति से सजीव हो उठता है. झील के चतुर्दिक घना जंगल है. झील के किनारे राजाओं ने भव्य महल का निर्माण करवाया है.

जोधपुर मार्ग पर नगर से 32 कि.मी. दूर करणी माता का जग प्रसिद्ध मन्दिर है. बीकानेर के राजवंश करणी माता के प्रमुख भक्त थे. हजारों यात्री माता के दर्शनार्थ आते हैं. इस मन्दिर में हजारों चूहे स्वतंत्र रूप से घूमते देखे जा सकते हैं,

जोधपुर : राठौड़ राजा राव जोधाजी द्वारा 1459 ई. में बसाया गया यह सुदृढ़-प्रतापी नगर, थार मरुस्थल का प्रवेशद्वार है। पूर्व में 'मारवाड़' के नाम से पुकारी जाने वाली यह भूमि वीर प्रसविनी है। राठौड़

राजपूतों के शौर्य की जाने कितनी गाथाएं इसकी फिजां में मिली है। नगर के चारों ओर 10 फुट चौडी दीवार का एक परकोटा है जो 6 मील लम्बा और 15-20 फीट ऊंचा है। प्रमुख द्वार मेड़तीगेट, सोजतीगेट, नागौरी गेट हैं. राजा मालदेव के समय से इस नगर को ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हुआ, किन्तु नगर-निर्माण और शिल्पकारी में वृद्धि महाराजा मानसिंह और जसवंतसिंह के समय मे हुई. जोधपुर को आधुनिक स्वरूप देने में महाराजा उम्मेदसिंह का महत्वपूर्ण योगदान है, जिनके काल में उम्मेद भवन, महात्मागाधी चिकित्सालय, उम्मेद चिकित्सालय, रेलवे-स्टेशन आदि भव्य भवनों का निर्माण हुआ।

दुर्ग : मरुस्थलीय घाटी में 120 मीटर ऊंचे कगार पर सन् 1459 में राव जोधाजी ने किले की नीव

जोधपुर दुर्ग

डाली. दुर्ग की शक्तिशाली दीवारें निर्माताओं की यौद्धिक शक्ति को प्रदर्शित करती हैं. सामरिक रक्षा की दृष्टि से उत्तर भारत मे इसका दूसरा कोई सानी नही है. दुर्ग में सात भव्य द्वार में से होकर प्रवेश उपलब्ध है. प्रत्येक प्रवेश द्वार अवांछनीय प्रवेश मे शक्तिशाली बाधक के रूप में खड़ा है. किले में स्थित कई महल विस्तृत अहाते में निर्मित है. महलों की मेहराबनुमा खिड़कियां, बालकनियां तथा बालू पत्थर में जाली का कार्य तथा असंख्य पत्थर में निर्मित चिलमन शाही नारियों के रक्षक हैं. मोती महल (Pearl Palace) फूल महल (Flower Palace) और मान महल (Palace of Honour) की शिल्प कला अत्यन्त उत्कृष्ट है. किसी भी पर्यटक को दुर्ग में स्थित सिलेह खाना बिना देखे नहीं जाना चाहिए जहा राजाओं के प्राचीन अस्त्र-शस्त्र सुरक्षित रखे हैं. शस्त्रागार के अतिरिक्त दुर्ग मे चित्रशाला एवं प्राचीन ग्रन्थों का पुस्तकालय भी है. राजा मानसिंह के समय के बनाए गए ढोला मारु के 126 चित्र भी इस चित्रशाला में दर्शनीय हैं. इसके अतिरिक्त चामुंडा देवी का मंदिर भी आकर्षक है.

जसवंत थड़ा : दुर्ग के समीप ही शुद्ध धवल संगमरमर पत्थर से निर्मित जसवंत थड़ा स्थित है. यह भवन 1899 ई. मे राजा जसवंतसिंहजी की याद में बनवाया गया था. पूर्णिमा की रात्रि को इसकी छटा ताजमहल से होड़ लेती है. भवन पूर्ण रूप से हिन्दु वास्तुकला पर आधारित है भवन में जोधपुर के स्वर्गीय नरेशों की आदमकद कलापूर्ण प्रतिमाएं देखने योग्य हैं.

उम्मेद भवन : आधुनिक वास्तुकला का बालू पत्थर से निर्मित यह अद्वितीय नमूना महाराजा उम्मेदसिंहजी ने बनवाया था. हिन्दु मुस्लिम एव पाश्चात्य वास्तुकला का इस भवन में सुन्दर सगम हुआ है. लगभग 12 करोड़ रुपयों से निर्मित यह महल जोधपुर नगर के समीप स्थित एक पहाड़ी पर बना है वर्तमान में इसके कुछ भाग को होटल का रूप दे दिया गया है किन्तु बाकी भाग पर्यटकों के लिये खुला है।

गोराधाय की छतरी : मारवाड़ के तत्कालीन महाराजा अजीतसिंहजी को बाल्यावस्था में औरंगजेब

उम्मेद भवन पेलेस, जोधपुर

मरवाना चाहता था. इस उद्देश्य से औरंगजेब ने अजीतसिंह पर हमला करवाया किन्तु गोरा नामक धाय ने अजीतसिंह के स्थान पर अपने बालक की बलि देकर मारवाड़ की आन को बचाया त्याग और बलिदान की स्मृति में स्टेडियम खेल के मैदान के निकट एक छतरी का निर्माण करवाया जो धाय की छतरी कहलाती है. हाल ही में इस छतरी का जीर्णोद्धार करके इसे सुन्दर रूप दिया गया है. पुराने शहर से कुछ ही दूरी पर महामन्दिर नामक एक बस्ती स्थित है. यहां स्थित मन्दिर में एक सौ स्तम्भ मन्दिर की छत को उठाए हुए हैं. मन्दिर का आन्तरिक भाग सुन्दर आकारों से सजाया गया है.

नगर के अन्य दर्शनीय स्थलों में कुंज विहारी का मन्दिर, मार्केट, घंटाघर, पब्लिक पार्क, अजायबघर, पुस्तकालय आदि उल्लेखनीय है. जोधपुर के चतुर्दिक एवं नगर में अनेक सुन्दर झीलें हैं, नगर से लगभग 5 कि. मी. दूर बालसमंद नामक एक सुन्दर कृत्रिम झील है. झील के दोनों ओर खड़ी पहाड़ियों एवं महाराजाओं के महल अत्यन्त मोहक प्रतीत होते हैं. 19 वीं शताब्दी में निर्मित इन महलों के साथ ही विस्तृत एवं सुन्दर बगीचा लगा है. नगर से 10 कि. मी. दूरी पर स्थित एक अन्य कृत्रिम झील कायलाना है. जो सबसे बड़ी है जहां वर्षा ऋतु में नौकायान की सुविधा उपलब्ध रहती है. इस झील पर निर्मित गेस्ट हाउस में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. इसके अतिरिक्त नगर से 35 मील दूर एक अन्य रमणीक झील सरदार समन्द स्थित है जहां के राजप्रसाद अत्यन्त मोहक हैं.

मंडोर : राव जोधाजी द्वारा जोधपुर की नींव रखने से पूर्व तक मण्डोर मारवाड़ की राजधानी रहा था. मण्डोर का किला अब भग्नावशेष एवं खण्डहर में पड़ा है. मण्डोर की प्राचीनता के विषय में कहा जाता है कि यहां की राजकुमारी मन्दोदरी का विवाह रावण के साथ हुआ था. किले के कुछ तोरण चौथी शताब्दी के हैं जिन पर कृष्ण लीला के चित्र अंकित हैं. जोधपुर के प्राचीन राजाओं की छतरियां एवं देवालय यहां निर्मित हैं. महाराजा अजीत-की छतरी जोधपुर शिल्पकला का सुन्दर नमूना है.

महाराजा अजीतसिंह का देवल, मण्डोर

उद्यान में 'वीरों की गैलेरी' बनी है जिनमें सोलह आदमकद प्रतिमाएँ बनी हैं. इस उद्यान को नवीनता देकर सुरम्य बनाया गया है जो पर्यटकों का आकर्षण बनता जा रहा है.

ओसियां : ओसियां में कोई रहस्यमय राज्य नहीं है, न ही कोई दुर्भेद्य किला है. जोधपुर नगर से 65कि.मी. दूर पर यह छोटा सा कस्बा, थार मरुस्थल का एक पृष्ट भाग है। जुझारु किस्म के यहां के निवासी, अपने प्रतापी पूर्वजों की झलक देते हैं. 8 वीं और 9 वीं शताब्दी में निर्मित करीब 15 वैष्णव व जैन मंदिर पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। झालावाड़ शैली में बने इन मंदिरों के स्तंभों की कारीगरी और देव-प्रतिमाएँ विशेष रूप से आकर्षक हैं. हरीहर के तीन मंदिर खजुराहो के समान मोहक हैं, जिनमें मूर्तियां सजीव हो उठी हैं.

जालोर : जालोर में सोनगिरी पर्वत पर 1200 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जालोर का दुर्ग 24000 फीट लम्बा और 1200 फीट चौड़ा है. इस दुर्ग के चार भव्य प्रवेश द्वार हैं तथा दुर्ग के चतुर्दिक 20 फीट ऊंची दीवार का परकोटा बना है. दुर्ग में बने महल जीर्ण अवस्था में स्थित हैं. महलों में शत्रु को फंसाने हेतु भूल-भुलैया बनी हुई है. इसके अतिरिक्त दुर्ग में एक शिवालय है जो एक ही पत्थर का बना हुआ है. यहां स्थित शिवलिंग को मारवाड़ के महाराजा अभयसिंह जी अहमदाबाद विजय के समय हाथी पर लाद कर लाए थे.

जैन मन्दिर : सोलहवीं शताब्दी में निर्मित इन मन्दिरों में जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ है. समीप ही गुजरात के सुल्तान मुज़फ्फरशाह द्वारा 1513 में निर्मित एक मस्जिद भी है.

दुर्ग की पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर जोधपुर के नरेश मानसिंह द्वारा बनवाया जालंधर नाथ का मन्दिर है जो राजपूत कला का उत्कृष्ट नमूना है. समीप ही कपिलेश्वर महादेव का मन्दिर है. यह मन्दिर 13 वी शताब्दी में बनवाया गया था.

मेड़ता : राव जोधा के पुत्र राव दूदा ने 15 वीं शताब्दी में मेड़ता की स्थापना की. तत्पश्चात राव मालदेव ने किले का निर्माण कराया जिसे 'मालकोट' नाम से जाना जाता है. इसलिए इतिहास-प्रसिद्ध मीराबाई की जन्मस्थली रहा यह नगर राजस्थान के मुख्य दर्शनीय स्थलों में अपना स्थान रखता है.

दूदासागर : राव दूदा द्वारा निर्मित यह झील तथा कई अन्य छोटे-छोटे तालाब पूरे नगर के चारों ओर फैले हैं. विष्णुसागर के निकट ही मौनी बाबा का आश्रम है.

कुड़की : इस गांव को मीराबाई की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। यहां पर औरंगजेब द्वारा शिवमंदिर को तुड़वाकर उसके स्थान पर बनवाई गई मस्जिद भी दर्शनीय है

नागौर : मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अमरसिंह राठौड़ को नागौर जागीर के रूप में दिया गया था. आज भी नागौर के घर-घर में अमरसिंह राठौड की शूरता के किस्से सुनाए जाते हैं.

किले के अंदर कई भाग हैं-मोती महल, बादल महल हवा महल, और बारादरी.

नागौर का पशुमेला भारत का सबसे बड़ा और आकर्षक पशुमेला है. यहां बाजार और सूफी की मस्जिद भी दर्शनीय स्थल हैं.

क्रय-विक्रय : राजस्थान की हस्तकला परम्परागत एवं उच्च कोटि की कुशलता से परिपूर्ण है. हस्तशिल्प की प्रत्येक वस्तु मानो अपसे आप में कविता हो. सांगानेरी प्रिण्ट के वस्त्र राजस्थानी कला के सर्वोत्तम नमूने हैं. ऐसी मान्यता है कि नामदेव नामक एक साधु को सब्जियों के रंगों का एक विलक्षण स्वप्न आया था और तभी से कपड़ों पर छापने का स्वप्न साकार हुआ. इसके अतिरिक्त मारवाड के बन्धेज व रंगने की कुशलता अद्वितीय है बन्धेज की चूनड़ी और मोठडा अत्यन्त सर्वोत्तम गिने जाते हे. मकराना श्वेत संगमरमर और जालोर ग्रेनाईट पत्थर की कारीगरी में मूल आधार हैं. जयपुर में संगमरमर पर शिल्पकला सजीवता भर देती है. पीतल की विभिन्न वस्तुओं पर मीनाकारी का कार्य परम्परागत कारीगरों द्वारा किया जाता है. 'पोटरीज' अन्य कलात्मक कारीगरी है अलवर से प्राप्त वस्तुओं पर इतनी बारीक करीगरी होती है कि इसको कागजी कला की संज्ञा दी जाती है. विभिन्न आभूषणों एवं हीरे जवाहरात की कारीगरी के लिए जयपुर प्रमुख केन्द्र है.

राजस्थानी पर्व : राजस्थान को रंगीन त्योहारों एव मेलों का स्थल कहा जाता है. त्योहारों एव उत्सव सदियों से यहां के निवासियों की क्रिया-कलापों में समा गए है. रंगीन मेलों, झांकियों एवं खेलों से वर्ष भर कहीं न कहीं नगर अथवा गांव खिले रहते हैं. अतः सम्पूर्ण वर्ष उत्सवों मे ही व्यतीत होता है, क्योंकि यह धरती ऐतिहासिक मन्दिरों, गढ़ों, कथाओं और परम्पराओं का स्थल है. यहां सदैव यत्र-तत्र समारोहों एवं गीतों के माहौल देखने को मिलते हैं.

राज्य के पर्यटन विभाग ने राज्य के अनेक सुप्त रंगीन त्योहारो को नवीन प्रेरणा देने मे महत्त्वपूर्ण कार्य किए है. आधुनिक त्योहार जैसे, जोधपुर का मांड जयपुर का हाथी एवं होली तथा उदयपुर का गणगौर मेलो ने विश्व के पर्यटकों को आकर्षित किया है.

गणगौर : मार्च के माह में मनाया जाने वाला गणगौर का यह त्योहार राजस्थान का महत्त्वपूर्ण पर्व है. जिसमें अठारह दिनों तक समारोह होते हैं. लकड़ी से बनी सुन्दर एवं रंगीन मूर्ति को आकर्षक वस्त्र एवं आभूषणों द्वारा सजाया जाता है. प्रतिदिन इस मूर्ति की पूजा की जाती है तथा अन्तिम दिन आकर्षक झांकी निकालकर समीप की झील में स्नान हेतु ले जाया जाता है.

तीज : जुलाई माह का यह त्योहार देवी पार्वती के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है. ऐसी धारणा है कि लम्बे समय की प्रतिक्षा के पश्चात इस दिन पार्वती अपने पति शिव के पास आई थी. पार्वती ने यह दिन पवित्र दिन माना तथा घोषणा की कि इस दिन की गई कामना पूर्ण होगी. तीज के दिन पार्वती की शोभा यात्रा हाथी-घोड़ों-रथों और अन्य अनेक साज सज्जाओं के साथ मुख्य बाजार से निकाली जाती है. इसके अतिरिक्त लम्बी गर्मी की तपन के पश्चात यह दिन मानसून का स्वागत भी करता है. इस दिन स्त्रियां रंगीन वस्त्रों में सज संवरकर, हाथों तथा पैरों में मेंहदी रचा कर मानसून के गीत गाती हैं तथा पेड़ों और बगीचों में झूले डाले जाते हैं. यह दृश्य प्रत्येक को आकर्षित किए बिना नहीं रह सकता.

मारवाड़-महोत्सव : जोधपुर में अक्तूबर मास से मनाए जाने वाले इस उत्सव में, चांदनी रात में मांड गायकों के बीच सुरीली स्पर्धा, एक अनोखा समां बांध देती है. मांड में गाए जाने वाले गीत प्रेम, विरह और वेदना के गीत हैं, जो अनायास ही श्रोताओं के दिल को गहरे तक छू लेते हैं.

इसके अतिरिक्त, इस उत्सव में अन्य गायकों, लोक-गायकों और लोक नर्तकों का कार्यक्रम भी होता है, जो पर्यटकों को आकर्षित किए बिना नहीं छोड़ता.

बीकानेर-महोत्सव : नवम्बर माह में बीकानेर में मनाया जाने वाला यह उत्सव, राजस्थानी लोकगीतों और नृत्यों का पर्व है. राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा प्रोत्साहित इस उत्सव में 'गजनेर वन्यप्राणी संरक्षण उद्यान' तथा करणी माता के जगप्रसिद्ध मंदिर में पर्यटकों को ले जाने की सुविधा प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त नवम्बर माह में ही, समीप ही कोलायत झील पर कपिल मुनि का मेला लगता है, जो श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है.

पुष्कर मेला : अजमेर के समीप स्थित पुष्कर का मेला नवम्बर माह की पूर्णिमा को लगता है. झील का किनारा आकर्षक समुद्र में परिवर्तित हो जाता है. यहाँ राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला भी भरता है. ऊंट-गाड़ियों की प्रतियोगिता एवं श्रद्धालुओं द्वारा पवित्र स्नान सम्पूर्ण दृश्य को मोहक बना देता है.

मरु-उत्सव : पर्यटकों को केवल तीन दिनों में ही सम्पूर्ण राजस्थान की संस्कृति की झांकी प्रस्तुत करने के उद्देश्य से यह एक आधुनिक मेला लगाया जाता है. जैसलमेर में होने वाले इस त्यौहार की परम्परागत वेश-भूषा में सजी ऊंटों की सवारी, कठपुतली का खेल, बीन पर सर्पों को नचाने की कला आदि प्रमुख झांकियां हैं.

अन्य त्योहार : मरुस्थली भागों में जोधपुर से 131 कि.मी. दूर तिलवाड़ा में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला फरवरी माह में लगता है जहां किसान विभिन्न नस्लों के पशुओं का प्रदर्शन करते हैं और जिन्हें खरीदने के लिए सम्पूर्ण भारत से व्यापारी आते हैं.

अजमेर के ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती का जगप्रसिद्ध उर्स मेला मुसलमानों का पवित्र मेला है जहां प्रतिवर्ष विश्व के हजारों मुसलमान जियारत करने आते हैं. ऐसी धारणा है कि अगाध श्रद्धा और इज्जत वाले संत ने अपनी मृत्यु से पूर्व छः दिनों तक यहां एकान्त का वरण किया था. वार्षिक उर्स इस बात का प्रतीक है कि इन दिनों ख्वाजा साहब स्वयं जन्नत से तशरीफ लाते हैं और दरगाह पर उपस्थित रहते हैं. जियारतियों को चावल का प्रसाद दिया जाता है. कव्वालिएँ, मुशायरे एवं धार्मिक गीत संगीत अत्यन्त आकर्षक होते हैं.

पोकरण में बाबा रामदेवजी का मेला (अगस्त/सितम्बर) और जोधपुर में वीरपुरी का मेला (अगस्त) अन्य आकर्षक व मोहक पर्व हैं.

शाही रेल गाड़ी : भारत में भी समय के साथ-साथ जब रेलों का दौर चालू हुआ तब तक राजस्थान तथा अन्य क्षेत्रों के राजा महाराजा महलों के विलासपूर्ण वातावरण के इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि महलों की सुविधाओं एवं विलासिता के अभाव में कदाचित ही बाहर निकल पाते थे. अतः नरेशों ने प्रत्येक सेलून को इस ढंग ने निर्मित करवाया कि उनमें राजमहल में व्याप्त सम्पूर्ण वातावरण एवं विलासपूर्ण सुविधाओं का समावेश हो जावे. इस प्रकार ये सेलूनें एक प्रकार से राजमहलों के छोटे रूप ही हैं. यदि इस सम्बन्ध में यह कहा जावे कि तत्कालीन राजाओं ने अपने महलों को पहियों पर रख दिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी.

'पहियों पर राजमहल' नामक शाही रेल गाड़ी बीसवीं सदी में निर्मित 12 सेलूनों को मिला कर चलाई जा रही है, इन सेलूनों का नवीनीकरण करते समय इनकी प्राचीन मौलिकता एवं विलासपूर्ण सुविधाओं को बरकरार रखा गया है. केवल इस ट्रेन में आधुनिकता के नाम पर

सेवाएँ ही हैं. भावनगर स्टेट की सेलून जो सन् 1929 में बनाई गई थी इस शाही ट्रेन का प्रमुख आकर्षण है. इसके वरण्डा को उसी रूप में पीतल के स्तम्भों सहित रखा गया है. इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल के एजेन्ट की सेलून को भी अपने मौलिक सफेद रंग में उसी रूप में रखा गया है.

जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भावनगर, नवानगर आदि राज्यों की प्रत्येक सेलूनें अपने तात्कालिक राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं. सभी 12 सेलूनों के फर्श को सुन्दर कालीनों एवं छत पर फानूस से आकर्षक बनाया गया है. आजकल लगभग अर्ध शताब्दी के पश्चात पर्यटन मंत्रालय एवं भारतीय रेल विभाग ने उन पर्यटकों को शाही अवसर प्रदान किया है जो पुरावशेष, पौराणिक कथाओं एवं यात्राओं में दिलचस्पी रखते हैं. शाही रेल अक्तूबर माह से मार्च माह तक चला करती है. जिसमें निम्नांकित सुविधाएँ उपलब्ध हैं :

—अधिकांशतः कूप्स में आवासीय सुविधाएँ तथा आरामदेह कुशन युक्त सीटें.
—प्रत्येक सेलून लोन्ज, बार एवं रसोई सुविधाओं से परिपूर्ण.
—पृथक डाइनिंग कार जिसमें महाद्वीपीय एवं भारतीय भोजन एवं स्नेक बार.
—पृथक बार एव प्राकृतिक दृश्यों के निरीक्षण हेतु लोंज.
—प्रत्येक सेलून में सेवक उपस्थित.
—संगीत का उत्तम प्रबंध.

मार्ग सूची (Itinerary) :

प्रथम परिभ्रमण :
दिल्ली–भरतपुर–आगरा–जयपुर–दिल्ली
अवधि : दो दिन एवं तीन रात्रियां
प्रस्थान : प्रत्येक एकान्तरण शुक्रवार

द्वितीय परिभ्रमण :
दिल्ली–जयपुर–उदयपुर–जैसलमेर–जोधपुर–भरतपुर–आगरा-दिल्ली.
अवधि : छः दिन एवं सात रात्रियां.
प्रस्थान : प्रत्येक एकान्तरण बुधवार

पर्यटकों हेतु आवासगृह

जयपुर : रामबाग पैलेस होटल, आमेर क्लार्क्स होटल, राजस्थान स्टेट होटल, जय महल होटल, टूरिस्ट बंगला एल. एम. बी. होटल, जयपुर एमराल्ड होटल, राजधानी होटल, पोलो विक्ट्री होटल, क्षीरसागर होटल, होटल नीलम, होटल नटराज, होटल मानसिंह, लक्ष्मी विलास, खेतड़ी हाउस, जयपुर होटल, आसाम होटल, रिटायरिंग रूम आदि अनेक आवासीय सुविधाओं युक्त होटल स्थित हैं,

अजमेर : टूरिस्ट बंगला, सर्किट हाउस, डाक बंगला, मरीना होटल, मान महल, पुष्कर होटल आदि.

उदयपुर : लेक पेलेस (जग निवास), सर्किट हाउस (आनन्द भवन), लक्ष्मी विलास पेलेस, डाक बंगला, लेक व्यू होटल, गार्डन होटल एण्ड मोटल, अलका होटल, टूरिस्ट बंगला, होटल हिल टॉप, अजन्ता होटल, होटल नाथद्वारा.

जोधपुर : उम्मेद भवन, होटल रातानाड़ा, इंटरनेशनल, गैलेक्सी होटल, होटल मरुधर होटल पोलो इन्टरनेशनल, सर्किट हाउस, टूरिस्ट बंगला, डाक बंगला, रेल्वे रिटायरिंग रूम, पृथ्वी होटल, अरुण होटल, अग्रवाल लॉज, शान्ती भवन लॉज, आदर्श निवास होटल, रघुनाथदास धर्मशाला.

माउण्ट आबू : रॉक व्यू, डाक बंगला, सर्किट हाउस, ट्रांसपोर्ट रिटायरिंग रूम, जयपुर हाउस होटल, आबू होटल, लेक हाउस होटस, होली-डे-होम, राजेन्द्र होटल, माउण्ट होटल, गुजराती समाज होटल, लक्की लॉज, नवजीवन लॉज, अर्बुद होटल, टूरिस्ट बंगला, पैलेस होटल, मिडहिष्ट होटल, जोधपुर हाउस, किशनगढ़ हाउस, यूथ होस्टल, गर्ल्स होस्टल.

अलवर : सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, सिली शैड, सरिस्का रेस्ट हाउस इत्यादि.

बीकानेर : सर्किट हाउस, डाक बंगला, रिटायरिंग रूम, लालगढ़ पैलेस होटल, गजनेर पैलेस.

कोटा : सर्किट हाउस, डाक बंगला, प्रिया होटल, मरुधर होटल, नवरंग होटल, वन्दना होटल, मद्रास होटल, जगदीश होटल.

बूंदी : सर्किट हाउस, डाक बंगला, रणजीत निवास.

भरतपुर : घना वन सेन्क्चूरी होटल, डाक बंगला.

चित्तौड़गढ़ : रेल्वे रिटायरिंग रूम, डाक बंगला, टूरिस्ट बंगला, गवर्नमेंट सराय.

जैसलमेर : टूरिस्ट बंगला. जवाहर निवास पैलेस, डाक बंगला.

राजस्थान राज्य होटल निगम : राजस्थान के सांस्कृतिक व एतिहासिक महत्व के कारण पर्यटकों को यह प्रदेश सदा से आकर्षित करता रहा है. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है. पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से राज्य के पर्यटन निगम ने पूरे राजस्थान में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया है. राज्य होटल निगम भी इसी का अभिन्न अंग हैं.